श्री जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में योगदान
(१९७१ के उपरान्त)

राजनीति विज्ञान में पी०एच० डी० उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निर्देशक-
डा० प्रेमनारायण दीक्षित
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
पं० जवाहर लाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
बाँदा (उ०प्र०)

प्रस्तुत कर्ता-
जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 1971 के उपरान्त भारतीय राजनीति में जे0पी0 की भूमिका पर आधारित है। परन्तु विषयवस्तु को समझने की दृष्टि से प्रथम अध्याय में जे0पी0 का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके योग-दान का उल्लेख है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार जे0पी0 अपने वैचारिक परिवर्तन के कारण दलगत राजनीति से पृथक होकर 'सर्वोदय' में आये एवं भूदान तथा चम्बल के डाकुओं के आत्मसमर्पण का महान कार्य सम्पन्न कराया। 'सर्वोदय' कार्यपद्धति की निराशा एवं देश की बदली हुयी परिस्थितियों ने उन्हें पुनः राजनीति की ओर सक्रिय होने एवं बिहार में युवकों के आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए बाध्य किया।

द्वितीय अध्याय में 'बिहार आन्दोलन' का अध्ययन है। 'बिहार आंदोलन' की पृष्ठभूमि में कौन सी परिस्थितियाँ एवं कारण विद्यमान थे, इसका उल्लेख है। जे0 पी0 के कुशल नेतृत्व में यह आन्दोलन किस प्रकार विकसित होकर जनान्दोलन में बदल गया एवं इसके क्या परिणाम हुए इन प्रश्नों पर इस अध्याय में विचार किया गया है। यह अध्याय वर्णनात्मक है।

तीसरा अध्याय 26 जून, 1975 की आन्तरिक आपातस्थिति की घोषणा से सम्बन्धित है। इसमें बतलाया गया है कि बिहार आन्दोलन जिस समय केन्द्र की ओर उन्मुख होकर राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर रहा था उसी समय आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा कर दी गयी। आपात स्थिति के समय नागरिक स्वतंत्रतायें लगभग समाप्त प्राय कर दी गयीं। इस अध्याय में 'मीसा' के व्यापक प्रयोग एवं प्रेस सेन्सरशिप का वर्णन है। जे0पी0 से सम्बन्धित समाचारों एवं उनके पत्रों को सेंसर

किया गया। विरोध के दमन के रूप में जे0पी0 के स्वतन्त्रता की मानसिक यंत्रणा का वर्णन है। न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करने एवं परिवार नियोजन के बाध्यतापूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख है।

चौथे अध्याय में जे0पी0 की 'समग्र क्रान्ति' के दार्शनिक चिंतन का अध्ययन है। इस अध्याय में 'समग्र क्रान्ति' में निहित सात क्रान्तियों को 'समग्र-क्रान्ति' के तत्व मानकर उन्हें व्याख्यायित एवं विश्लेषित किया गया है। इसमें समग्र क्रान्ति के दर्शन एवं उसके संगठनों का वर्णन है। इस प्रकार यह शोध प्रबन्ध क्रान्तियों के दर्शन के अध्ययन में वृद्धि करता है।

पाँचवें अध्याय में विपक्षी दलों में एकता स्थापित करवाकर 'जनता पार्टी' के नाम से एक नये राष्ट्रीय दल को अस्तित्व में लाने में जे0पी0 की भूमिका का उल्लेख है।जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जे0पी0 के वैचारिक दर्शन का प्रभाव एवं 1977 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका का वर्णन है। इस प्रकार यह शोध प्रबन्ध भारतीय राजनैतिक दलों के अध्ययन में वृद्धि करता है।

छठें अध्याय में 'जनता पार्टी' की सरकार के प्रथम मंत्रिमण्डल के गठन में जे0पी0 की भूमिका एवं जे0पी0 की प्रेरणा तथा सुझावों के आधार पर जनतापार्टी की सरकार द्वारा आन्तरिक आपात स्थिति के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना का उल्लेख है।

सातवें अध्याय में जे0पी0 की समग्र क्रान्ति के सम्बन्ध में जनता पार्टी की सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा उसका वर्णन है।

आठवें अन्तिम उपसंहारात्मक अध्याय में सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध को संक्षेप में विश्लेषित करते हुए निष्कर्षों को प्रस्तुतकिया गया है।

इस शोध प्रबन्ध में जे0पी0 के अन्तिम समय तक के राजनीतिक व अन्य विचारों का अध्ययन किया गया है इसलिए यह शोध प्रबन्ध 'आधुनिक राजनीतिक -

विचारकों के अध्ययन की परिधि को और अधिक विस्तृत करता है।

इसके अतिरिक्त यह शोध प्रबन्ध 1971 से 1979 तक देश में घटित घटनाओं एवं परिस्थितियों से संबंधित होने के कारण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है।

अस्तु, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीतिक दलों के इतिहास एवं आधुनिक भारतीय विचारकों के चिंतन तथा क्रान्तियों के दर्शन की वृद्धि में सहायक है।

इस शोध प्रबन्ध में सर्वप्रथम एक नयी दृष्टि से आलोच्य विषय के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। भविष्य में श्री जयप्रकाश नारायण से सम्बन्धित और भी सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन सम्भावित हैं उनके लिए यह शोध प्रबन्ध एक आधार भूत ग्रन्थ हो सकता है।

यह शोध प्रबन्ध देश विदेश में प्रकाशित विभिन्न समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों पर आधारित है। ज्ञान की मौलिकता की दृष्टि से जे0पी0 के निजी सचिव, उनके निकटतम व्यक्तियों, मित्रों, सर्वोदय कार्यकर्ताओं एवं उनके आन्दोलन से सम्बन्धित व्यक्तियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार (इन्टरव्यू) द्वारा विषयवस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी है। जे0पी0 के 'सम्पूर्ण क्रान्ति' से सम्बन्धित संगठनों (छात्र युवा संघर्ष वाहनी एवं लोकसमिति) के राष्ट्रीय कार्यालयों से भी शोध से सम्बन्धित तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया गया है। साक्षात्कार (इन्टरव्यू) से सम्बन्धित कुछ प्रमुख चित्र प्रतिलिपियाँ (फोटो कापी) इस शोध प्रबन्ध के पीछे परिशिष्ट में दी हुयी हैं।

उपर्युक्त स्रोतों से प्राप्त तथ्यपरक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान का समावेश इस शोध प्रबन्ध में किया गया है, अतः यह शोध प्रबन्ध श्री जयप्रकाश नारायण के

में देखने का प्रयास किया गया है। परन्तु चूंकि शोधकर्ता अध्येता है, उसका शोध प्रबन्ध परीक्षा के लिए प्रस्तुत है, उसकी शक्ति, साधन एवं पैठ सीमित है। इसलिए विद्वज्जनों की कृपा प्राप्त करने का जो 'कृपाधिकार' प्राप्त है उस भाव इसी सम्बल से उसने यह प्रस्तुत कार्य किया है।

मैं अपने निर्देशक डा० प्रेमनारायण दीक्षित, विभागाध्यक्ष -राजनीतिविज्ञान, पं०जवाहरलाल नेहरू पोस्टग्रेजुएट कालेज, बांदा, का हृदय से आभारी हूँ जिनके पितृतुल्य स्नेह, निरन्तर सहयोग, उदात्त प्रेरणा, एवं कुशल निर्देशन से ही मैं अपने शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में सफल हो सका हूँ। साथ ही मैं जे०पी० के निजी सचिव श्री अब्राहम, जे०पी० की 'समग्र क्रान्ति' से सम्बन्धित पत्रिका '[illegible]' के सम्पादक कुमार प्रशांत (जे०पी० के दिवंगत होने पर इस पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो गया है) एवं अनुग्रह नारायण सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, पटना के निर्देशक डा०सच्चिदानन्द व अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त मैं इस शोध प्रबन्ध में सहयोग करने के लिए श्री कृष्णदत्त जी शुक्ल (भू०पू०प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, [illegible] महाविद्यालय, सहारनपुर) श्री हरिशंकर दीक्षित, श्रीमती निर्मला दुबे का भी आभारी हूँ। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा विधान सभा पुस्तकालय लखनऊ, केन्द्रीय अध्ययन शोध संस्थान नई दिल्ली, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान नई दिल्ली का भी कृतज्ञ हूँ जिनका समय-समय पर मैंने अपने शोध-कार्य के लिए सहयोग लिया है।

सांकेतिक सूची

सांकेतिक	शब्द
जे0पी0	श्री जयप्रकाश नारायण
ले0	लेखक
आपातकाल(या आपातस्थिति)	आन्तरिक आपात स्थिति(जो 25 जून 1975 की रात्रि में घोषित की गयी थी।
वाहनी	छात्र युवा संघर्ष वाहनी
' '(सिंगल कामा)	गद्यखण्ड को संक्षेप में लिखा गया है, अपने शब्दों में लिखा गया है या आशय या भावार्थ लिखा गया है।
" "(डबल कामा)	अक्षरशः उद्धृत
आन्दोलन	बिहार आन्दोलन

विषय-सूची

चतुर्थ अध्याय — जे०पी० की समग्रक्रान्ति का विचार

पंचम अध्याय — जनतापार्टी के निर्माण में जे०पी० की भूमिका

षष्ठ अध्याय —जे0पी0, जनता सरकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना :—

सप्तम अध्याय —जे0पी0की सम्पूर्ण क्रान्ति के सम्बन्ध में जनता सरकार का दृष्टिकोण :—

प्रथम अध्याय

जे०पी० का संक्षिप्त जीवन परिचय

जे0 पी0 का संक्षिप्त जीवन परिचय

श्री जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को विजय दशमी के दिन 'सिताब दियारा' नामक गाँव में हुआ था।[1] उनके पिता का नाम श्री हरसू-दयाल तथा माता का नाम फूलरानी था। श्री जयप्रकाश नारायण बचपन से ही बहुत शान्त, सुशील एवं मेधावी छात्र थे। 1919 में उन्होंने पटना के कालेजियेट स्कूल से एन्ट्रेन्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन प्रसिद्ध वकील एवं कांग्रेसी नेता श्री बृजकिशोर प्रसाद ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री प्रभावती का विवाह उनसे कर दिया। प्रभावती जी का सहयोग आगे चलकर जे0पी0के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा।' जे0पी0 ने पटना के बिहार विद्यापीठ से आई0एस0-सी0 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।'[2]

उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जे0 पी0 अमेरिका गये। अमेरिकी प्रवास के समय उन्होंने बहुत कष्ट सह करके अपना अध्ययन पूरा किया। उन्हें अपने अध्ययन के लिए होटलों, खेतों में विभिन्न प्रकार के कष्टदायक, श्रमसाध्य कार्य करने पड़े। अध्ययन के समय उनके मस्तिष्क पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में उन्होंने समाज-शास्त्र में एम0ए0 की उपाधि प्राप्त की।'एम0 ए0 में उनके शोध प्रबन्ध का विषय था 'सोशल वैरियेशन।'[3] इस शोध प्रबन्ध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से मानव समाज में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में बतलाया गया था। उनकी इस थीसिस को वर्ष का सबसे अच्छा शोध प्रबन्ध घोषित किया गया था।[4] उनकी इच्छा पी-एच0डी0 करने की थी परन्तु माँ के अस्वस्थ होने की सूचना पाकर वह 1929 में स्वदेश लौट आये।

1- धर्मयुग, 9-15 अक्टूबर, 1977 पेज10
2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारी लाल, पेज25
3- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी जयप्रकाश, ले0 पीयूष दत्त भट्ट, पेज25
4- वही, पेज, 25

(अ) स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राजनीति में जे०पी० की भूमिका :-

जे०पी० के अध्ययन के लिए अमेरिका चले जाने के बाद से प्रभावती जी गाँधी जी के साथ उनके आश्रम में पुत्री की तरह रह रहीं थीं। जे०पी० के आश्रम पहुँचने पर गाँधी जी ने उनका दामाद की तरह स्वागत किया। यहीं पर जे०पी० की मुलाकात पं० जवाहर लाल नेहरू से हुई। 31 दिसम्बर, 1929 को काँग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन लाहौर में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू थे। इस सम्मेलन में काँग्रेस द्वारा 'पूर्ण स्वाधीनता' का प्रस्ताव पारित किया गया। गाँधी जी इस सम्मेलन में प्रभावती जी व जयप्रकाश जी को अपने साथ ले गये। जे०पी० उस सम्मेलन से बहुत प्रभावित हुए। इस सम्मेलन के द्वारा जे०पी० वरिष्ठ काँग्रेसी नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्पर्क में आये।

पं० जवाहर लाल नेहरू जी के आग्रह पर जे०पी० इलाहाबाद के 'स्वराज्य भवन' (तत्कालीन अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का कार्यालय) में अखिल भारतीय काँग्रेसकमेटी के 'श्रमिक विभाग' का कार्य देखने लगे। इनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर नेहरू जी ने 'माह के अन्दर ही इन्हें काँग्रेस का स्थायी मंत्री बना दिया।'[1] इलाहाबाद में जे०पी० नेहरू जी के निवास 'आनन्द भवन' में उनके साथ रहने लगे।

'1932 में जिस समय देश के बड़े-बड़े नेता जेल में डाल दिये गये, उस समय बहुत समय तक काँग्रेस के महामंत्री के रूप में गुप्त रूप से जे०पी० आन्दोलन का संचालन करते रहे।'[2] ब्रिटिश सरकार इनके कार्यों से काफी परेशान रही। इसी समय ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भारत आया। इस शिष्टमण्डल का उद्देश्य भारत

1- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी जयप्रकाश, ले० श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 28

2- धर्मयुग, 9-15 अक्तूबर, 1977 पेज।।

की स्थिति एवं सरकार द्वारा की गयी दमनात्मक कार्यवाही की जाँच करना था। जे०पी० ने इन संसद सदस्यों से सम्पर्क किया। उनके साथ पूना गये। वहाँ से 'शिष्ट-मण्डल' को मद्रास ले गये। वहाँ पर उन्होंने सरकार की दमनात्मक कार्यवाही से ब्रिटिश संसद सदस्यों को अवगत कराया। सरकार संसद सदस्यों के सामने जे० पी० को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। 7 सितम्बर 1932 को जिस समय शिष्टमण्डल को मद्रास रेलवे स्टेशन से कर्नाटक के लिए भेजकर जे० पी० वापस लौट रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बम्बई के 'फ्री-प्रेस-जनरल' ने लिखा —'कांग्रेस ब्रेन अरेस्टेड'[1] 'गिरफ्तारी के बाद उन्हें महाराष्ट्र की नासिक जेल में भेज दिया गया।' जे० पी० की यह प्रथम जेल यात्रा थी। 3 फरवरी को प्रभावती जी पहले ही गिरफ्तार कर ली गयी थीं।'[2]

अप्रैल 1934 में जे० पी० को जेल से मुक्त कर दिया गया। जेल में उनका सम्पर्क अनेक समाजवादी मित्रों से हुआ। इन्हीं समाजवादी मित्रों के सहयोग से उन्होंने 1934 में ही 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की। कांग्रेस का ही सदस्य 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' का सदस्य बन सकता था। इस प्रकार यह कांग्रेस का ही एक सहयोगी संगठन था। इसका उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी नीतियों के लिए प्रेरित करना था। आचार्य नरेन्द्र देव इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष एवं जे० पी० प्रथम महामंत्री चुने गये।

1936 में पं० जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। उन्होंने जे०पी० को पन्द्रह सदस्यों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी' में सम्मिलित कर लिया। परन्तु बाद में नीति सम्बन्धी मतभेद होने के कारण जे० पी० ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। जे० पी०, नेहरू, गाँधी व अन्य कांग्रेसी नेताओं का सम्मान करते थे। वह देश की

1- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी, जयप्रकाश, ले० श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज30

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले० अवधबिहारी लाल , पेज 44

स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के महत्व को स्वीकार करते थे, परन्तु नीति सम्बन्धी बातों को लेकर उनका मतभेद अवश्य हो जाता था।

सितम्बर, 1939 में द्वितीय युद्ध आरम्भ हुआ। जे0 पी0 ने इसे नाजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच युद्ध बतलाया। उन्होंने कहा कि भारत को अंग्रेजों को उस समय तक सहयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि वह हमारे देश को स्वतंत्र नहीं कर देते। उनका कहना था कि यह समय साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकने का अच्छा अवसर है। 18 फरवरी, 1940 को जमशेदपुर के टाटा इस्पात कारखाने के मजदूरों की सभा में भाषण देते हुए जे0 पी0 ने कहा -' इस युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग न करो, ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट दो, एशिया के इस सबसे बड़े कारखाने को बन्द कर दो जिससे कि लड़ाई चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को इस्पात न मिल सके, मैं आपसे हड़ताल का अनुरोध करता हूं।'[1] इस युद्ध विरोधी वक्तव्य के कारण जे0 पी0 को गिरफ्तार कर लिया गया और ' 27 मार्च 1940 को जे0 पी0 नौ महीने की कड़ी सजा सुना दी गयी।'[2] नेहरू एवं गांधी जी ने सरकार की इस कार्यवाही की तीव्र निन्दा की। 'दिसम्बर, 1940 के अन्त में जे0 पी0 को रिहा कर दिया गया।'[3]

जेल से छूटने के पश्चात् उन्होंने सम्पूर्ण भारत का दौरा किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जन-विद्रोह की आशा से अनेक गुप्त संगठन बनाये। 'जनवरी, 1941 में उन्हें बम्बई में भारत सुरक्षा नियमों की 129 वीं धारा के अन्तर्गत नजरबन्द कर लिया गया। उन्हें वहाँ से 'देवली बंदी शिविर' में भेज दिया गया।'[4] यहाँ बन्दियों के साथ किये जा रहे अपमानपूर्ण एवं अमानुषिक व्यवहार के विरोध में जे0 पी0 ने अपने बन्दी साथियों के साथ भूख हड़ताल की। एक महीने से अधिक चलने वाली इस भूख

1- जयप्रकाश एक जीवनी- ले0 एलन और वेंडी स्कार्फ (हिन्दी अनुवाद) पेज 110

2- वही, 111, 3- वही, 113

4- वही, 113-14

हड़ताल के परिणाम स्वरूप सरकार को जे0 पी0 व उनके साथियों की बात स्वीकार करनी पड़ी। 'देवली बन्दी शिविर में कैद बन्दियों को उनके प्रान्तों की जेलों में भेज दिया गया। इस भूख हड़ताल से जे0 पी0 बहुत कमजोर हो गये। स्वस्थ होने पर उन्हें 1942 के आरम्भ में हजारी बाग जेल में भेज दिया गया। 'राष्ट्रीय आन्दोलन' में जय प्रकाश जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के समय में थी। जब अगस्त क्रान्ति के समय गांधी नेहरू आदि सभी नेता गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिये गये थे और सरकार जनविद्रोह को कुचलने का प्रयास कर रही थी उसी समय 9 नवम्बर 1942 को दीपावली की रात को जे0 पी0 अपने पांच साथियों के साथ हजारी बाग जेल से फरार हो गये। बाहर आकर डा0 राम मनोहर लोहिया, अरूणा आसफ अली व अन्य साथियों के सहयोग से विद्रोह को गति प्रदान की। भूमि-गतरूप से अपने निर्देशों और पत्रों के माध्यम से क्रान्ति की मशाल अपने सहकर्मियों और देश को दिखाते रहे। नेपाल में रहकर उन्होंने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का एक दल 'आजाद-दस्ता' के नाम से संगठित किया।'[1] 'इसमें क्रान्तिकारियों को तोड़-फोड़ करने, हथियार चलाने और संगठन स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक समय जे0 पी0 और उनके साथियों को नेपाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नेपाली पुलिस जे0 पी0 और उनके साथियों को भारत की अंग्रेजी सरकार को सौंपने जा रही थी। परन्तु उसी समय इस आजाद दस्ते ने सशस्त्र हमला करके जे0 पी0 व उनके साथियों को मुक्त करवा लिया।'[2]

जय प्रकाश जी अपना कार्य स्वतंत्र रूप से अधिक समय तक नहीं कर सके। '18 सितम्बर 1943 को ट्रेन में यात्रा करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।'[3]

1- धर्मयुग, 9-15 अक्तूबर, 1977 पेज 12

2- जयप्रकाश लोकनायक भी किशोर भी - ले0 रामवृक्ष, पेज 42-43

3- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी जयप्रकाश, ले0कृष्णदत्त भट्ट, पेज 47

गिरफ्तार करके उन्हें लाहौर किले में ले जाया गया। वहाँ पर उन्हें अमानुषिक यंत्रणायें दी गयीं। जे0 पी0 की यंत्रणाओं की सूचना मिलते ही इसके विरोध में जनता ने प्रदर्शन करना आरम्भ किया। सरकार को बाध्य होकर उन्हें 1945 के आरम्भ में आगरा जेल भेजना पड़ा।

बीमारी के कारण 6 मई 1944 को गाँधी जी को रिहा कर दिया गया। अन्य नेता 1945 में छूटे। परन्तु जयप्रकाश जी के लिए बन्दीगृह का द्वार अभी तक खुला। इधर राजनैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका था। अंग्रेजों की शक्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप अत्यन्त क्षीण हो चुकी थी। 1945 में इंगलैण्ड में चुनाव हुए। उसमें 'लेबर पार्टी' सत्ता में आयी। 'लेबर पार्टी' भारत में स्वतंत्रता की पक्षधर थी।

भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए इंगलैण्ड से एक तीन सदस्यीय 'कैबिनेट मिशन' भारत आया। 'गाँधी जी ने 'कैबिनेट मिशन' के सामने शर्त रखी कि यदि इंगलैण्ड की सरकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करना चाहती है तो श्री जयप्रकाश व डा0 राममनोहर लोहिया को अविलम्ब रिहा किया जाय। अंग्रेजों को यह शर्त माननी पड़ी।'[1]

'11 अप्रैल, 1946 को श्री जयप्रकाश व डा0 राममनोहर लोहिया को सरकार ने रिहा कर दिया।'[2] जेल से छूटने पर जे0 पी0 का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। जे0 पी0 आगरा से दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर 'कैबिनेट मिशन' से देश की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उनकी बातचीत हुई। नवम्बर, 1946 में नेहरू जी के आग्रह पर जयप्रकाश जी व डा0 राममनोहर लोहिया 'कांग्रेस कार्य समिति' के सदस्य हो गये। परन्तु नीति

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0-अजयबिहारी लाल, पेज 95

2- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी जयप्रकाश- ले0 श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 50

सम्बन्धी मतभेद होने के कारण बाद में दोनों ने त्यागपत्र दे दिया।

1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय देश का विभाजन हुआ। इससे जे0 पी0 को बहुत कष्ट हुआ। कुछ ही दिन बाद (30 जनवरी 1948 को) महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गयी। जयप्रकाश जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। मार्च 1948 में 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' कांग्रेस से अलग हो गयी। 'जयप्रकाश जी नवीन 'सोशलिस्ट पार्टी' के जनरल सेक्रेटरी बनाये गये।'[1] इस प्रकार जयप्रकाश जी का मार्च 1948 में कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद हो गया।

(ब) स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जे0पी0 की भूमिका :-

'गाँधी जी की मृत्यु के पश्चात् जे0 पी0 ने सेवाग्राम में जाकर राष्ट्रीय नेताओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के 11 से 14 मार्च 1948 तक होने वाले प्रसिद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इसी सम्मेलन के 'सर्वोदय समाज' और 'सर्व सेवा संघ' जैसी रचनात्मक संस्थाओं का जन्म हुआ।'[2] मार्च 1949 में समाजवादी पार्टी का दूसरा सम्मेलन पटना में हुआ। जे0 पी0 ने इस सम्मेलन में गाँधी जी के विचारों की प्रशंसा की। '1950 आते-आते जे0 पी0 के विचारों एवं व्यवहार में अन्तर आने लगा था। गाँधी वादी विचारधारा की ओर उनका झुकाव बढ़ता जा रहा था। 30 जनवरी, 1950 को (अर्थात् गाँधी जी के हत्या के दिन) उन्होंने प्रभावती जी के साथ उपवास किया और सूत यज्ञ में भाग लिया।'[3] उधर पार्टी के सदस्यों से विशेषकर डा0 राम मनोहर लोहिया से उनका मतभेद बढ़ता जा रहा था। जून, 1950 के मद्रास के पार्टी सम्मेलन में यह मतभेद खुलकर सामने आ गया।

1- युगपुरुष श्री जयप्रकाश नारायण- सम्पादक डा0 ईश्वर प्रसाद वर्मा, पेज 75
2- जयप्रकाश लोकनायक भी विद्रोह भी — ले0 रामवृक्ष, पेज 48-49
3- वही, पेज 49

'अप्रैल 1951 में आन्ध्र के तेलंगाना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रामचन्द्र रेड्डी नामक एक जमींदार ने विनोबा जी को 100(एक सौ) एकड़ जमीन भूमिहीनों को बाँटने के लिए दान कर दी। जयप्रकाश जी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। जे0 पी0 15 अगस्त, 1951 को विनोबा जी से वर्धा में मिले। उनसे बातचीत के समय जे0 पी0 का यह विचार दृढ़ हुआ कि जहाँ तक आखरी लक्ष्य और उपायों के सही होने का सवाल है, लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वोदय में बहुत फर्क नहीं है।'[1]

1952 में आम चुनाव हुए। इसमें जे0 पी0 की पार्टी बुरी तरह से हारी। पार्टी की बिहार शाखा के सम्मेलन में कुछ सदस्यों ने पार्टी की हार के लिए जे0 पी0 को उत्तरदायी ठहराया एवं उन पर नेहरू जी से साँठ-गाँठ करने का आरोप लगाया। जे0 पी0 को इससे कष्ट पहुँचा। पार्टी से उनकी कटुता बढ़ती गयी। 'पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन पंचमढ़ी(म0प्र0) में मई, 1952 में हुआ। इसमें जे0 पी0 और डा0 राम मनोहर लोहिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूदान आन्दोलन में सम्मिलित होने और भूमिहीन मजदूरों में जमीन बाँटने में मदद देने की सलाह दी। जे0 पी0 ने सिताब दियारा की अपनी 50 बीघे जमीन में से 25 बीघे जमीन दान कर दी।'[2]

विनोबा जी भूदान के लिए उत्तर भारत की पैदल यात्रा करते हुए बाँदा जिले में पहुँचे।' 30 मई, 1952 को जे0 पी0 ने उनसे वहीं पर मुलाकात की।'[3] जे0 पी0 ने विनोबा जी से भूदान के कार्य में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की।

1- जयप्रकाश लोकनायक की किशोर की – ले0 रामभूषण, पेज 49-50

2- वही, पेज 50

3- भारत छोड़ो आन्दोलन के सेनानी जयप्रकाश, ले0 श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 56

जे० पी० डाकतार यूनियन के अध्यक्ष थे। डाकतार कर्मचारियों ने हड़ताल की। जे० पी० ने इस सम्बन्ध में तत्कालीन केन्द्रीय डाकतार मंत्री श्री रफी अहमद किदवई से बातचीत की। श्री किदवई के मौखिक आश्वासन के आधार पर उन्होंने कर्मचारियों से यह कहकर हड़ताल समाप्त करवा दी कि सरकार उनके हड़ताल के दिनों का वेतन देंगी। परन्तु बाद में श्री किदवई एवं प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। सरकार के इस व्यवहार से जे०पी० बहुत दुखी हुए। उन्होंने अनुभव किया कि मंत्री महोदय के वचनों पर भरोसा करके उन्होंने गलती की उन्हें लिखित आश्वासन लेना चाहिए था। उन्होंने प्रायश्चित्त के लिए तीन सप्ताह का उपवास करने की घोषणा की। 22 जून, 1952 से उन्होंने 21 दिन का पूना में उपवास किया। इससे उनका वजन 17 पौण्ड कम हो गया। स्वस्थ होने पर जे० पी० भूदान के कार्य में लग गये। 'बिहार के गया जिले में उन्हें 7000 एकड़ भूमिदान में मिली। इससे उनका इस क्षेत्र में कार्य करने का साहस और बढ़ गया।'[1]

'फरवरी, 1953 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने जे० पी० को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।'[2] जे० पी० ने एक 14 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम नेहरू जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार इस कार्यक्रम को स्वीकार कर ले तो वह सरकार में सम्मिलित हो सकते हैं। इस समाजवादी कार्यक्रम को स्वीकार करने में नेहरू जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। परिणामतः जे०पी० मंत्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं हो सके। जे० पी० और नेहरू जी की इस बातचीत को उनके कुछ समाजवादी साथियों ने पसन्द नहीं किया। इस पर जे०पी० ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद से त्यागपत्र दे दिया।

1- जयप्रकाश लोकनायक श्री किशोर जी, ले० रामभूषण, पेज 5।
2- वही, पेज 5।

'अप्रैल, 1954 में बोधगया(बिहार) में छठा वार्षिक 'सर्वोदय सम्मेलन' हुआ। इसमें जे0 पी0 ने 19 अप्रैल, 1954 को भूदान और सर्वोदय कार्य के लिए अपना जीवन दान कर दिया।'[1] गया(बिहार) के सोखो देवरा स्थान में उन्होंने अपने और प्रभावती जी के लिए एक आश्रम बनाया। यहीं पर वे अपने मित्रों सहित अनेक वर्षों तक भूदान और 'सर्वोदय' के कार्य में लगे रहे।

(ख) राजनीति से सर्वोदय की ओर :-

'मार्क्सवाद' से 'लोकतान्त्रिक समाजवाद' और इसके पश्चात् 'सर्वोदय' तक की अपनी यात्रा को जे0पी0 अपना वैचारिक विकासक्रम मानते थे।'मार्क्सवाद' को छोड़कर लोकतांत्रिक समाजवाद' एवं आगे बढ़ 'सर्वोदय ' की ओर वे क्यों मुड़े?इसका उत्तर उन्होंने अपनी पुस्तक 'फ्राम सोशलिज्म टू सर्वोदय' में दिया है।'जे0पी0 ने अपने विचारों के परिवर्तन की व्याख्या के सम्बन्ध में अनेक लेख लिखे थे। वह साप्ताहिक पत्र 'भूदान' और मासिक पत्रिका'सर्वोदय' में नियमित रूप से छपते रहे थे। 1955 में 'ए पिक्चर आफ सर्वोदय सोशल आर्डर, (सर्वोदय सामाजिक व्यवस्था का एक चित्र) नाम से एक लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसमें सर्वोदय सम्बन्धी जे0पी0 के अनेक महत्त्वपूर्ण लेख है।'[2]

1958 के आरम्भ में नेहरू जी ने जयप्रकाश जी से सलाह माँगी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा गाँवों में नये जीवन का संचार कैसे किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दोनों ने आपस में एवं योजना आयोग के सदस्यों एवं प्रशासकों के साथ विचार विमर्श किया।

1- जयप्रकाश लोकनायक श्री किशोर भी-ले0 रामवृक्ष, पेज 5।

2- जयप्रकाश एक जीवनी, ले0 एलन और वेंडी स्कार्फ(हिन्दी अनुवाद) पेज 277

'1959 में जे0 पी0 ने ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित एक कानून बनाने के लिए नेहरू जी को राजी कर लिया। इस कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्रीय समितियों एवं जिलाबोर्डों के अधिकार बढ़ा दिये गये।[1] यह कानून गाँवों के विकास से सम्बन्धित होने के कारण भारत की ग्रामीण बाहुल्य जनता के लिए बहुत ही लाभदायक था।

'1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किये जाने का उन्होंने विरोध किया।'[2] उन्हीं के प्रयत्नों से कलकत्ता और मद्रास में 'तिब्बत सम्मेलन' बुलवाये गये। कलकत्ता में आयोजित 'तिब्बत सम्मेलन' की उन्होंने अध्यक्षता की।'1953 से शेख अब्दुल्ला की चली आ रही नजरबन्दी को उन्होंने गलत बताया। 1961 में सेना भेजकर गोवा, दमन दीव को भारत में मिला लिये जाने का उन्होंने विरोध किया।'[3] उनका कहना था कि इस फौजी कार्यवाही से दुनिया में भारत की तस्वीर धुंधली हुयी है। जे0 पी0 के इस विचार को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में जे0 पी0 की आलोचना की।

'सर्वोदय' में रहते हुए भी जे0 पी0 ने देश-विदेश की विभिन्न समस्याओं के प्रति अपने विचार व्यक्त किये और उनके समाधान में अपनी भूमिका निभायी। उनका कहना था कि 'मैं दलगत एवं सत्ता की राजनीति से अलग हुआ हूँ, जनता की राजनीति (जिसे यह लोकनीति कहते है) से तो मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा।'

सितम्बर 1961 में लंदन में अन्तरराष्ट्रीय शांतिवादियों का सम्मेलन हुआ। इसमें जे0 पी0 ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उन्होंने 'विश्व शान्ति सेना' का चिन्तन

1- जयप्रकाश एक जीवनी- ले0 एलन और वेंडी स्कार्फ (हिन्दी अनुवाद) पेज 287

2- जयप्रकाश लोकनायक श्री किशोर श्री, ले0 रामभूषण पेज 52

3- वही, पेज 52

प्रस्तुत किया। जनवरी 1962 में बेरूत में 'वर्ल्ड पीस ब्रिगेड' (विश्वशान्ति सेना) का गठन किया गया। 'वर्ल्ड पीस ब्रिगेड' के तीन अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये इनमें इंगलैण्ड के माइकेल स्काट, अमरीका के ए0जे0मस्टे और एशिया से श्री जयप्रकाशनारायण को चुना गया।

12 अक्तूबर, 1962 को चीन ने नेफा पर आक्रमण कर दिया। जे0पी0 को इससे अपार कष्ट हुआ। उन्होंने चीन की आलोचना की।

'नागालैण्ड' की समस्या' भारत की सीमावर्ती समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। यहाँ नागा विद्रोहियों और भारतीय सैनिकों के बीच अनवरत युद्ध चलता रहा है। जे0 पी0 ने इस समस्या के समाधान में अपना रचनात्मक योगदान दिया। नागालैण्ड में हिंसा बंद करवाने के उद्देश्य से उन्होंने 'शान्ति मिशन ' स्थापित किया। 'शान्ति मिशन' को पर्याप्त सफलता मिली' इसे दोनों पक्षों ने मान्यता दी।'[1] मिशन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप '6सितम्बर, 1964 से 5 अक्तूबर, 1964 तक का युद्ध विराम पहली बार भारतीय सेना और नागाविद्रोहियों के बीच हुआ।'[2] इस 'शान्ति - मिशन ' के प्रयत्नों से ही भारत सरकार और नागा प्रतिनिधियों के बीच बातचीतसंभव हो सकी। इस शान्ति मिशन' में जे0 पी0 भी सम्मिलित थे एवं उनकी बहुत सक्रियभूमिका थी।' पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खाँ ने भारत-पाक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के उद्देश्य से जे0पी0 को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भेजा।'[3] सितम्बर, 1964 में जे0 पी0 पाँच सदस्यीय 'सद्भावना मिशन' के साथ पाकिस्तान गये। वहाँ पर भारत पाक सम्बन्धों को अच्छा बनाने की दिशा में बातचीत हुई, कश्मीर समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया।

1- जयप्रकाश एक जीवनी : ले0 एलन स्केरी स्कार्फ , पेज 320
2- सम्पूर्ण क्रान्ति के लोकनायक जयप्रकाश, ले0श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 18
3- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधकिशोरीलाल, पेज 150

जयप्रकाश जी के शान्ति कार्यों एवं मानव सेवा की ख्याति सम्पूर्ण विश्व में फैल रही थी। '1965 में मनीला (फिलीपीन की राजधानी) में 'रेमन मैगसेसे पुरस्कार संस्थान की ओर से जयप्रकाश जी को उनकी मानवीय सेवाओं के लिए 'रेमन मैगसेसे' पुरस्कार देने के लिए चुना गया।'[1] यह पुरस्कार उत्कृष्ट मानवीय एवं जनसेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जे0पी0 के कार्यों का अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकन था।

'1966 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा।'[2] 'जे0पी0 ने राहत कार्य के लिए अक्तूबर, 1966 में 'बिहार रिलीफ कमेटी' का गठन किया।'[3] इस कमेटी को राज्य एवं केन्द्र सरकार के अतिरिक्त विदेशों की अनेक संस्थाओं से सहायता दिलवाने में जे0पी0 ने सफलता प्राप्त की। जे0पी0 के निर्देशन में बिहार में राहत कार्य का संचालन किया गया। जे0पी0 की सहायता से बिहार की जनता को भूखों मरने की स्थिति से बचाया जा सका। इससे बिहार की जनता में जे0पी0 के प्रति निष्ठा बहुत बढ़ गयी। बिहार की जनता को जे0पी0 मसीहा के रूप में नज़र आये।

सन् 1970 में बिहार का मुजफ्फर जिला नक्सलवादियों का गढ़ बन गया था। नक्सलपंथियों द्वारा हत्या एवं डकैतियों जैसे जघन्य अपराध किये जा रहे थे। इसी समय मुजफ्फर पुर जिले के मुसहरी प्रखण्ड में नक्सल पंथियों का जोर बढ़ रहा था। 'इसी समय उन्होंने जिला सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष श्री ~~[illegible]~~ बद्री नारायण सिंह और मंत्री श्री गोपाल मिश्र की हत्या क्रमशः पांच और सात जून 1970 को कर देने की धमकी दी थी।'[4] जे0 पी0 को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसे अहिंसक सर्वोदय कार्य-पद्धति पर प्रहार माना। उन्होंने इस चुनौती का सामना अहिंसक ढंग से करने का

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के लोकनायक जयप्रकाश, ले0 श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज24

2- जयप्रकाश लोकनायक श्री किशोर श्री, ले0रामभूषण, पेज 53

3- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारीलाल, पेज 152

4- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 श्रीअवधबिहारी लाल, पेज155

निश्चय किया। जे0 पी0 ने घोषणा की कि वह मुसहरी प्रखण्ड में जाकर सर्वोदय से सम्बन्धित ग्रामीण विकास और स्वावलम्बन का कार्य करेंगे और वहाँ उत्पन्न हुयी हिंसक परिस्थिति को अहिंसक साधनों से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जे0पी0 कार्यकर्ताओं को लेकर मुसहरी प्रखण्ड में सघन कार्य करने में जुट गये। जे0पी0 ने मुसहरी प्रखण्ड की समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वहाँ पर व्यापक बेरोजगारी, गरीबी, विपन्नता, कुपोषण है। पुलिस तथा धनी व्यक्तियों द्वारा गरीब जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। गरीबों को बंटी हुयी जमीन नहीं मिल पायी है, बासगीत का पर्चा सही लोगों को नहीं मिल पाया है। जे0पी0 ने वहाँ की स्थानीय जनता को समझाकर कार्यकर्ताओं, युवकों तथा सरकारी सहयोग से ग्रामीण स्वावलम्बन के अनेक कार्य आरम्भ किये। भूमि सम्बन्धी विवादों का निपटारा करवाकर गरीबों को उनकी जमीन दिलवायी। जे0पी0के इन कार्यों का अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ की ग्रामीण जनता का आत्मविश्वास बढ़ा और वे लोग आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किये जा रहे कार्यों की ओर उन्मुख हुए। बहुत नक्सलपंथियों से जे0पी0 की मुलाकात हुई। उन्होंने नक्सल पंथियों को सर्वोदय कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में बतलाया और हिंसक कार्यपद्धति के दोषों से अवगत कराया। जे0पी0 ने कहा कि दोनों का मूल उद्देश्य एक है अन्तर केवल कार्यपद्धति का है। जे0पी0 के कथनानुसार "सर्वोदय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति लोक शक्ति के द्वारा करना चाहता है। इस विषय में वह हिंसक क्रान्ति जैसा है। हिंसक क्रान्ति कानून से नहीं होती। वह भी प्रत्यक्ष लोक शक्ति से होती है। अन्तर इतना ही है कि हिंसक क्रान्ति जब एक लम्बे प्रयास के बाद विजयी होती है, तभी पुराना समाज मिटता है, यद्यपि उसके बाद नये समाज

---

1. सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक [illegible], पेज 158.

के निर्माण में बहुत समय लगता है और निर्माण धीरे-धीरे हो पाता है। दूसरी ओर अहिंसक क्रान्ति में पुराने समाज का बदलना और नये का बनना दोनों साथ-साथ और कदम-कदम होते हैं।"[1] जे0पी0 द्वारा किये गये कार्यों से धीरे - धीरे वहाँ से नक्सलवादियों में भय समाप्त हुआ। जे0पी0 के इन कार्यों की बिहार सरकार तथा विनोबा जी ने प्रशंसा की। इस प्रकार जे0पी0 ने 'सर्वोदय' कार्यक्रमों के माध्यम से एक बार पुनः अहिंसक कार्यपद्धति की उपयोगिता एवं सफलता को सिद्ध कर दिया। मुसहरी प्रखण्ड के कार्य के समय जे0पी0 को 'सर्वोदय' कार्यपद्धति का भी विश्लेषण करने का अवसर मिला। इससे आगे चलकर उनके 'सर्वोदय' सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन आया।

जे0पी0 का यह कार्य 1977 तक चलता रहा। इसी समय पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान की 'आवामी लीग पार्टी' की विजय हुई। यह पार्टी 'बंगला देश' के प्रान्तीय स्वायत्तता की माँग कर रही थी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहयाखाँ ने मुजीब की माँग को अस्वीकार करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। 25 मार्च, 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान समय में बंगला देश) पर आक्रमण कर दिया। जे0पी0 ने भारत सरकार से बंगला देश का समर्थन करने की अपील की। सैनिक दमन के कारण बड़ी संख्या में बंगला देश के शरणार्थी भारत आये। इससे भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। शरणार्थियों को राहत कार्य में सहयोग देने के लिए जे0पी0 ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं की टुकड़ियाँ पश्चिमी बंगाल भेजीं। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जे0पी0 के इन कार्यों की प्रशंसा की।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, डॉ0 अवधबिहारीलाल, पेज 158

बांगला देश के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय अनुकूलता प्राप्त करने के उद्देश्य से जयप्रकाश जी ने 16 देशों की यात्रा की। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों, राजनेताओं, मानव कल्याण में लगी संस्थाओं के प्रमुख लोगों से मिलकर 'बंगमुक्ति आन्दोलन' के पक्ष में अन्तराष्ट्रीय जनमत तैयार किया। 'बांगला देश के सम्बन्ध में उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।'[1] दिसम्बर 1971 में भारतीय सेना के सहयोग से बांगला देश को मुक्ति मिली। 17 दिसम्बर, 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जे0पी0 ने उनके इस दूरदर्शिता पूर्ण कदम की प्रशंसा की।

<u>चम्बल की घाटी में बागियों का आत्म समर्पण :-</u>

भारत की धरती पर दानवता संतों के सामने शीश झुकाती रही है। अनेकों भटके हुए व्यक्तियों ने महापुरुषों के सामने आत्म समर्पण कर नया जीवन आरम्भ किया है। भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाला ने आत्मसमर्पण किया था, वाल्मीकि जी का भी एक ऐसा ही उदाहरण है। 1960 में विनोबा जी के सामने लगभग 20 डाकुओं ने आत्म समर्पण किया था। परन्तु सन् 1972 में जे0पी0 के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप एक बड़ी संख्या में डाकुओं का आत्मसमर्पण सम्भव हो सका। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक घटना थी। स्वतंत्र भारत में इसके पूर्व कभी भी इतनी अधिक संख्या में अपराधियों ने अपराध जगत को छोड़कर सामाजिक जीवन व्यतीत करने का निर्णय नहीं लिया था। हृदय परिवर्तन का यह उत्कृष्ट उदाहरण था।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के लोकनायक जयप्रकाश, ले0 श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 36

अक्तूबर, 1971 के आरम्भ में चंबल के दस्यु सरदार माधोसिंह ने जे0पी0 से मिलकर चंबल के बागियों द्वारा आत्म समर्पण किये जाने की इच्छा व्यक्त की। जे0पी0 ने उनको इस कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। जे0पी0 ने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क किया। उचित आश्वासन पाकर उन्होंने इस कार्य के लिए 'चंबल घाटी शान्ति मिशन' का गठन किया। श्री महावीर भाई को चंबल शान्ति मिशन' का अध्यक्ष बनाया गया। श्री महावीर भाई विनोबा जी के शान्ति मिशन में कार्य कर चुके है।

दिसम्बर, 1971 में जे0पी0 ने चंबल के बागियों के नाम एक अपील जारी की। इस अपील में उन्होंने कहा 'आजकल हमारा देश नाजुक दौर से गुजर रहा है।-- बागी भाइयों से मेरी अपील है कि वे अपनी गतिविधियों को बन्द कर दें और हिम्मत के साथ समाज के सामने आत्म समर्पण करें।'[1] जे0पी0 की यह अपील दिसम्बर 1971 के बाद तक चंबल घाटी में वितरित की जाती रही। जे0पी0 की इस अपील एवं"चंबल घाटी शान्ति मिशन' तथा माधो सिंह के प्रयत्नों का बागियों पर प्रभाव पड़ा।

जे0पी0, शान्ति मिशन एवं बागियों के बीच बातचीत के पश्चात् समर्पण की तिथि तय की गयी। 14 अप्रैल, 1972 को जौरा में सायंकाल गाँधी सेवाश्रम में आयोजित एक सभा में जे0 पी0 और प्रभावती जी की उपस्थिति में बागियों ने गाँधी जी के चित्र पर शस्त्रार्पण करते हुए समर्पण आरम्भ किया। सर्वप्रथम मोहर सिंह ने समर्पण किया इनको जिन्दा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर 2 लाख रूपये का इनाम था। इस दिन 82 बागियों ने अधियार डालकर आत्मसमर्पण किया।" 15 अप्रैल 1972 को माधो सिंह

1- अंधियार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले0 डा0लक्ष्मीनारायण लाल, पेज 7।

माखन सिंह, जगजीत सिंह , रूप सिंह, कल्याण सिंह, हरि विलास , सियालाल आदि ने अपने दलों के इक्यासी बागियों के साथ आत्म समर्पण किया। 16 अप्रैल को भी कई बागियों ने आत्म समर्पण किया।"[1] 17 अप्रैल को जे०पी० ग्वालियर पहुँचे। वहाँ पर नाहू सिंह के दल ने आत्मसमर्पण किया। "धीरे-धीरे समर्पणकारियों की संख्या 475 पर पहुँच गयी।[2] बागियों ने आत्मसमर्पण के समय समाज से क्षमा माँगते हुए कहा-" बाबू जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से हम अपनी फिर नई जिन्दगी शुरू कर रहे हैं। हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें हार्दिक पश्चाताप है। हमारी वजह से जिनको भी दुख, तकलीफ हुयी है उनसे हम माफी माँगते हैं।"[3]

कुछ लोगों ने इस आत्मसमर्पण की आलोचना करते हुए कहा कि इस समर्पण के द्वारा डाकुओं को (हीरो) बनाया जा रहा है। इसके प्रत्युत्तर में जे०पी० ने कहा —" बहुत दफा यह बात कही जाती है कि सर्वोदय वालों ने डाकुओं को हीरो बना दिया है, 'ग्लैमराइज' किया है। विनोबा जी के सामने 1960 में हुए समर्पण से लेकर आज तक कुछ लोग इसी दृष्टि से देखा करते हैं । किन्तु मैं इसका बिलकुल विरोध करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने उन्हें 'हीरो' नहीं बनाया,-'भाई' बनाया है,'मनुष्य' बनाया है। हाँ समर्पण के बाद वह हमारे लिए डाकू नहीं रहे।'आप डाकू हैं, डाकू हैं' ऐसा कहते रहने से कोई आदमी बनेगा क्या ? इसलिए इसमें 'हीरो' बनाने का सवाल ही नहीं है। हमने उन्हें गले लगाकर भाई बनाया है , मनुष्य बनाया है, यही ———

———————————————

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले० श्यामबिहारीलाल-पेज 169

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के लोकनायक जयप्रकाश, ले० कृष्णदत्त भट्ट, पेज 39

3- बीहड़ों की यात्री, ले० डा० [illegible], पेज 133

परिवार में शामिल किया है।"[1]

डाकुओं को मेमराइस करने की बात औचित्यपूर्ण नहीं है। डाकुओं की समस्या भारत की महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या थी। इसको पुलिस प्रशासन सुलझा नहीं पाया था। एक-एक बागी पर दो-दो लाख का पुरस्कार घोषित होने के पश्चात भी न तो ये डाकू पकड़े जा सके और न मारे जा सके थे। अतः इन्हें प्रेरित कर आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर लेना एक सामाजिक हित की बात थी एवं कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्या का एक बहुत ही औचित्यपूर्ण तात्कालिक समाधान था।

बागी समस्या के सम्बन्ध में जे0पी0 का कहना था कि —" बागी समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतिहास में हैं, भूगोल में हैं, मनोविज्ञान में हैं, समाज की और राज्यतंत्र की रचना में हैं, राजनीति में हैं। इस समस्या को सुलझाने का काम अकेले जयप्रकाश या सर्वोदय वालों की शक्ति के बाहर है। सारा समाज इस समस्या का अन्त लाना चाहे और उसके लिए ईमानदारी से पूरा प्रयत्न करे तभी यह हो सकता है। - - - सामन्ती समाज व्यवस्था, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, राजस्व और पुलिस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पक्षपात, धाँधली, भ्रष्टाचार आदि उन्हें डाकू बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।- - - निम्नस्तर के पुलिस तथा प्रशासन के कर्मचारी, सिद्धान्तहीन राजनीतिज्ञ, शस्त्रों के व्यापारी, करों की चोरी करने वाले जंगलों के ठेकेदार आदि अपने निहित स्वार्थ के लिए इस समस्या को बनाये रखने में दिलचस्पी रखते हैं। बागियों को हथियार देने वाले पुलिस और सेना के लोग हैं। ...।......"[2]

दूसरी ओर देखे तो यह 'आत्म समर्पण' 'सर्वोदय' सिद्धान्त के भी अनुकूल था क्योंकि सर्वोदय 'हृदय परिवर्तन' में विश्वास रखता है। इस प्रकार जे0पी0

1- मेरी विचार यात्रा, भाग एक, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 189

2- वही, पेज 190-91

ने बागियों का आत्मसमर्पण कराकर एक बार फिर भारत की धरती पर अंगुलिमाला और वाल्मीकि का इतिहास दोहराया था। इस आत्मसमर्पण, के द्वारा जे0पी0 ने गाँधीवादी मूल्यों की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए एक राष्ट्रीय सामाजिक समस्या के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सम्बन्ध में समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" ने अपने एक लेख में लिखा है —" जे0पी0 ने सन् 1972 में ...... डाकुओं को समझा बुझाकर उनका हृदय परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की। जो दुनिया में सर्वोत्कृष्ट नमूना बनकर समाज और राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण था।"[1]

1972 में जे0पी0 यह अनुभव करने लगे थे कि " भूदान आन्दोलन लोगों को समझाने बुझाने और उनका हृदय परिवर्तन करने की अपनी पद्धति के द्वारा विकास के अनुकूल कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर सकेगा।"[2]

15 अप्रैल, 1973 को प्रभावती जी का कैंसर की बीमारी से देहान्त हो गया। प्रभावती जी की मृत्यु से जयप्रकाश जी को बहुत आघात पहुँचा। उनका जीवन एकाकी और अवसादपूर्ण हो गया।

'14 नवम्बर, 1973 को जे0पी0 द्वारा मुंगावली, की खुली जेल का उद्घाटन किया गया। इस जेल में आत्मसमर्पण करने वाले बागियों को सपरिवार रहने एवं स्वतंत्ररूप से जीविकोपार्जन करने के लिए कई सौ एकड़ भूमि की व्यवस्था की। इसमें खेती करने एवं बागियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी सुविधायें प्रदान की गयी थीं।'[3] यह भारत में अपने प्रकार की प्रथम जेल थी। इसमें अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था।

1- दैनिक भास्कर, झांसी, 8 अक्टूबर, 1982

2- टूवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, ले0 ब्रह्मानन्द, पेज lxcvii

3- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 182-83

(ब) सर्वोदय से पुनः राजनीति की ओर :—

'मुसहरी प्रकरण' में प्रवास के समय हुए अनुभव एवं देश की परिस्थिति को देखते हुए जे०पी० को 'सर्वोदय' से निराशा होने लगी थी। वह सर्वोदय कार्य पद्धति और 'सिद्धान्तों' में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। उनका यह विचार दृढ़ होता जा रहा था कि 'सर्वोदय' 'परिवर्तन की शक्ति बनने में असमर्थ हो रहा है एवं उसको अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल पा रही है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार मँहगाई, दूषित शिक्षा प्रणाली एवं शोषण से आम जनता परेशान हो रही है, लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है परन्तु 'सर्वोदय' जनता की की इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है। सर्वोदय, कार्यक्रमों में भी ठहराव आ गया है। ऐसी छटपटाहट की स्थिति में उन्होंने परिवर्तन के लिए देश के युवकों का आह्वान किया। उन्होंने युवकों के लिए 'यूथ फार डेमोक्रेसी' (लोकतंत्र के लिए युवक) नामक शीर्षक से एक अपील निकाली। इस अपील के सम्बन्ध में जे०पी० ने अपनी जेल डायरी में लिखा है —" 1973 का अन्तिम महीना था। मैं पौनार में था। मुझे भीतर से प्रेरणा हुई कि मैं देश के युवावर्ग का आह्वान करूँ। मैंने उनके नाम एक अपील की और 'लोकतंत्र के लिए युवा' शीर्षक के अधीन उसे समाचार पत्रों में छपने के लिए भेजा। मेरे अनुमान से बढ़कर इस अपील पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया हुई।"[1]

इस अपील के बाद ही गुजरात और बिहार में छात्रों एवं युवकों का क्रमशः आन्दोलन आरम्भ हुआ। गुजरात के आन्दोलनकारी छात्रों ने जे०पी० की इस अपील

---

1. मेरी जेल डायरी, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 23

से प्रेरणा प्राप्त करने की बात कही थी। जे0पी0 ने बिहार आन्दोलन का नेतृत्व किया। इस आन्दोलन में विरोधी राजनीतिक दलों के सम्मिलित होने एवं सरकार विरोधी संघर्ष होने के कारण जे0पी0 की राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गयी और वे 'सर्वोदय' कार्यक्रमों की अपेक्षा राजनीति के अधिक निकट आते गये। अपनी राजनीति में वापसी का कारण 'सर्वोदय' की असफलता को मानते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक में 'नये मार्ग की खोज' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है "विनोबा जी के रास्ते पर जिस अहिंसक क्रान्ति की सिद्धि के लिए पिछले 20 सालों से हम जुट रहे थे उस क्रान्ति का ध्येय ग्रामदान आन्दोलन द्वारा सिद्ध होना सम्भव नहीं। 1954 में मैं विनोबा जी के आन्दोलन में शामिल हुआ था। तब से लेकर 1974 तक मैं उस आन्दोलन का एक अंग बनकर रहा। लेकिन 1974 के अरसे में मैं किसी नये मार्ग की खोज में लगा।"[1] 1974 में बिहार आन्दोलन आरंभ हुआ और जे0पी0 उससे सम्बन्धित होते गये।

जे0पी0 के 'सर्वोदय' से पुनः 'राजनीति' में वापस आने के सम्बन्ध में उनके निजी सचिव श्री सच्चिदानन्द ने अपने लेख 'क्रान्ति शोधक जे0पी0' में 'सर्वोदय से आगे' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है —' सर्वोदय आन्दोलन के दौरान जे0पी0 ने जब महसूस किया कि विनोबा की सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम प्रक्रिया कारगर सिद्ध नहीं हो रही है तो वे तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम प्रक्रिया की ओर बढ़े। उन्होंने गाँधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग करने का फिर निश्चय किया। गाँधी जी ने विदेशी सत्ता के विरू- द्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जे0पी0 ने स्वदेशी सत्ता के विरूद्ध उसी हथियार का प्रयोग शुरू किया। विनोबा को यह कार्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वे किसी भी प्रकार के संघर्ष को नकारात्मक मानते थे। विनोबा की असहमति के बावजूद जे0पी0 ने छात्रों, युवकों के संघर्ष का न केवल समर्थन किया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। विनोबा और जे0पी0

---

1. सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 11-12

के बीच इस मतभेद के कारण सर्वोदय आन्दोलन में एक दरार पड़ गयी। परन्तु जे0पी0 आगे बढ़ते गये। कांग्रेसी सत्ता के विरूद्ध उनका आन्दोलन उत्तरोत्तर तेज होता गया। उसका तीव्रतम रूप बिहार आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ। अहिंसक या शांतिमय संघर्ष का यह सबसे उग्रतम या आक्रामक रूप था। इस प्रयोग के द्वारा जे0पी0 लोकनीति अहिंसा या शांति की शक्ति का परीक्षण कर रहे थे।"[1]

जे0पी0 ने स्वयं अपनी पुनः राजनीति की ओर वापसी की स्वीकारोक्ति करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है —" कितने वर्षों से इस चुनाव और सत्ता की उलट फेर वाली राजनीति से मैं अलग हो गया था। परन्तु इस समय मैंने अपना यह कर्तव्य माना कि जब देश के भविष्य का फैसला होना हो, उस वक्त तटस्थ नहीं रहा जा सकता।[2]"

बिहार आन्दोलन के समय से भारतीय राजनीति में जयप्रकाश जी की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती गयी। परन्तु 'सर्वोदय' के पहले वाली राजनीति और इधर सर्वोदय के बाद वाली उनकी राजनीति में अन्तर था। यह सत्य है कि उन्होंने सर-कार विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया, विरोधी दलों को निकट लाये एवं उन्हें सत्ता तक पहुँचाने में सहायता की परन्तु वह स्वयं किसी राजनीतिक दल, में सम्मिलित नहीं हुए (यहाँ तक कि अपने प्रयत्नों से गठित 'जनता पार्टी' के भी वे साधारण सदस्य नहीं थे) और न कोई सत्ता का या राजनीतिक पद ही ग्रहण किया। 'सर्वोदय' के पूर्व और 'सर्वोदय' के बाद वाली राजनीति में यह एक मूलभूत अन्तर था। क्योंकि सर्वोदय' के पूर्व वह कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी' के सदस्य रहे थे और महत्वपूर्ण दलीय पदों को भी ग्रहण किया था। जे0पी0 अपनी इस राजनीति, को सत्ता' या 'दल' की राजनीति न

1- जनप्रभा, अर्धवार्षिक अंक, अक्टूबर-दिसम्बर, 1979 पेज 18

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 71-72

मानकर 'जनता की राजनीति' कहते है। इसके लिए उन्होंने कहीं-कहीं पर 'लोकनीति' शब्द का प्रयोग किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी पुस्तक में 'सर्वोदय के साथियों से' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है —" सत्ता और दल की राजनीति से अलग रहने की हमारी नीति आज भी ज्यों की त्यों कायम रहनी चाहिए, ऐसा मैं अवश्य मानता हूँ। परन्तु क्या जनता की राजनीति में हमारी दिलचस्पी नहीं है? आज समाज में मुश्किल से ही कोई प्रश्न होगा, जो कहीं न कहीं राजनीति को स्पर्श न करता हो, या जिसे राजनीति कहीं स्पर्श न करती हो। ऐसे सारे सवालों से क्या हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए? मेरी नम्र राय में स्पष्ट उत्तर है- नहीं। हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे, किसी पद पर नहीं जायेंगे और चुनाव में खड़े नहीं होंगे। इतनी मर्यादा का दृढ़ता के साथ पालन करते हुए हम समाज में एक सक्रिय भूमिका तो अवश्य ही अदा कर सकते हैं। इस प्रकार जनता की राजनीति से तो कोई भी जागरूक व्यक्ति अलग नहीं रह सकता......"[1]

इस प्रकार जे०पी० ने राजनीति में अपनी भूमिका को निभाते हुए भी अपने को 'सत्ता' और 'दल' की राजनीति से अलग रखा। भारत की राजनीति में गांधीवादी आदर्श को प्रस्तुत करते हुए अपनी सक्रिय भूमिका निभायी।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले० जयप्रकाश नारायण, पेज 135-36

द्वितीय अध्याय

जे०पी० का बिहार आन्दोलन

द्वितीय अध्याय

'जे०पी० का बिहार आन्दोलन'
(अ) पृष्ठभूमि और तत्कालीन परिस्थितियाँ

'बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि में छात्र-युवा शक्ति का विस्फोट एक महत्वपूर्ण कारक तत्व रहा है।'[1] इसीलिए बिहार आन्दोलन में युवकों एवं छात्रों की बड़ी सहभागिता रही है। देश की बिगड़ती हुयी स्थिति और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए युवा शक्ति का आह्वान् जे०पी० ने 9 दिसम्बर 1973 को पवनार से निर्गत अपनी महत्वपूर्ण अपील 'यूथ फार डेमोक्रेसी' (लोकतंत्र के लिए युवा) के माध्यम से किया।

इस अपील में जे०पी० ने कहा था -' अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा बहुत कुछ है कि युवावर्ग उसका प्रतिरोध कर सकता है, पिछले कुछ वर्षों में हमारी शिक्षण संस्थायें युवा प्रतिरोधों के अखाड़े बन गयी हैं। लेकिन युवा प्रतिरोध प्रायः स्थानीय प्रश्नों संकीर्ण मुद्दों अथवा तात्कालिक कारणों तक ही सीमित रह गये हैं। इस अपील के माध्यम से मैं जिन मुद्दों को उठाना चाह रहा हूँ, वे गम्भीर व्यापक एवं राष्ट्रीय जीवन के व्यापक मुद्दे हैं। यह लोकतंत्र का प्रश्न है, लोकतंत्र पर जो हमारे नागरिक जीवन की बुनियादी शर्त है, सर्वाधिक खतरा दूषित चुनाव पद्धति से है, पैसा, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार तथा हिंसा के कारण चुनाव की सार्थकता नष्ट हो गयी है, लोकतंत्र का गला घुट रहा है। दम तोड़ती लोकतंत्री प्रणाली को हमारा युवावर्ग क्या चुपचाप हाथ पर हाथ धरे देखता रहेगा? इससे बड़ा और कौन सा मुद्दा होगा जो युवाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित कर सके? यह सही वक्त है कि युवा सक्रिय हो जायें। उनके संघर्ष

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 पेज 70, रामबहादुर राय (सम्पादक)

का रूप क्या होगा इसका निर्णय वे स्वयं करें। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि लोक-तांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल इस संघर्ष को भी शान्तिपूर्ण तथा निर्दलीय होना चाहिए।'[1]

इस अपील के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से भाषणों द्वारा भी जे0पी0 युवाओं को देश की लोकतांत्रिक समस्याओं के सम्बन्ध में समझाते रहे। 'पटना विश्वविद्यालय में ही जे0पी0 ने दो भाषण दिये।'[2] जे0पी0 द्वारा युवकों को उस समय किया गया आह्वान बहुत सामयिक था। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा शक्ति का उदय हो रहा था और युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 'अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिकी विश्व विद्यालयों में असंतोष, इण्डोनेशिया में छात्र शक्ति के द्वारा डा0 सुकर्णो की सरकार का तख्ता पलट, फ्रांस में जनरल दगाल की सरकार को चुनौती तथा इटली, जर्मनी चेकोस्लोवाकिया आदि राष्ट्रों में विविध रूपों में युवा शक्ति उभर रही थी। भारत की युवाशक्ति के उभार तथा युवा चिंतन के विकास में इन घटनाओं का भी स्थान है। भारत में स्थितियाँ तथा मान्यतायें भिन्न थीं, इसलिए युवा शक्ति ने भी विशिष्ट रूप अपनाया।'[3]

देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए, जे0पी0 युवशक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। विगत में दृष्टि डालने से प्रतीत होगा कि भारतीय इतिहास ने जब भी क्रान्तिकारी युवकों मोड़ लिया है, युवकों ने अपने त्याग और शौर्य का परिचय दिया है। 1921 में महात्मा गाँधी ने युवकों को पढ़ाई छोड़कर आन्दोलन में सम्मिलित होने की सलाह दी। जे0पी0 भी उस समय युवकों के प्रिय नेता के रूप में उभरे। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में युवकों का राष्ट्रीय समस्याओं से तारतम्य बना रहा। किन्तु स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के निर्माण और उसकी समस्याओं के प्रति उनका आकर्षण पहले जैसा

1- योजना (लोकनायक विशेषांक) पेज 84

2- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन पेज 4 डा0 अजयकुमार वर्मा

3- योजना (लोकनायक विशेषांक) पेज 85

इनको देश नहीं रहा। वे स्कूल, कालेज की परीक्षा, भवन, क्षेत्रीय समस्याओं जैसी छोटे मुद्दों के लिए हड़तालों में भाग लेते रहे। राष्ट्र निर्माण का कोई स्वरूप उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जे०पी० ने युवाशक्ति का आह्वान कर एक महत्वपूर्ण पहल की।

डा० विजय रंजन शर्मा के मतानुसार —" जयप्रकाशजी ने दिसम्बर 1973 में युवकों का आह्वान किया, जिससे उन्हें नयी दिशा मिली।---" जे०पी० द्वारा निर्देशित युवा आन्दोलन का पहला चरण 1973 में 'लोकतंत्र के लिए युवा' के आह्वान से प्रारम्भ हुआ।[1] जे०पी० ने स्वयं लिखा है —" अनेक सवालों द्वारा अपनी समस्यायें स्वयं हल करने के संबंध में जो आह्वान किया गया था उसके परिणाम स्वरूप गुजरात और बिहार के छात्रों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया।"[2]

अतः, जे०पी० के बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि में युवाशक्ति का आह्वान (जिसे उन्होंने यूथ फार डेमोक्रेसी के माध्यम से किया) एक महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम घटना थी।

<u>गुजरात आन्दोलन</u> :—

बिहार आन्दोलन ने अपने से पूर्वगामी गुजरात आन्दोलन' से भी प्रेरणा ग्रहण की। गुजरात आन्दोलन छात्रों द्वारा छात्रावास के भोजन की बढ़ती हुयी कीमतों के कारण आरम्भ हुआ था। गुजरात में अहमदाबाद और मोरवी के इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने मांग की कि उनसे भोजन का खर्च पहले की तरह लिया जाय। मँहगाई

1- जनप्रभा 23-29 अप्रैल, 1978 पेज 12

2- मेरी जेल डायरी, पेज 43, ले० जयप्रकाश नारायण

के कारण सरकार ने उनकी माँग पूरी नहीं की जिससे झगड़े का विस्तार हो गया। गुजरात के सभी छात्र आन्दोलन में उतर आये। जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है —
"हालाँकि गुजरात में छात्र आन्दोलन शुरू होने के पहले मैं गुजरात नहीं गया था, लेकिन कुछ बड़े-बड़े नेताओं का कहना है कि उन्होंने मेरे बताये हुए मार्ग पर चलकर काम किया।"[1]

आन्दोलनकारी छात्रनेताओं का कहना था कि उन्होंने जे0पी0 की अपील से प्रेरणा ग्रहण की है। गुजरात के छात्रों के इस आन्दोलन में बाद में जनता भी सम्मिलित हो गयी। आन्दोलन कारी विधान सभा के विघटन की माँग करने लगे। संघर्ष के लिए 'नवनिर्माण समिति' का गठन किया गया। गुजरात आन्दोलन व्यापक होता गया। बाध्य होकर श्रीमती गाँधी को 15 मार्च, 1974 को गुजरात विधान सभा भंग करनी पड़ी। गुजरात आन्दोलन के समय जे0पी0 गुजरात भी गये। विधान सभा भंग होते ही यह आन्दोलन लगभग समाप्त प्राय होगया क्योंकि आन्दोलनकारियों के पास इसके अतिरिक्त कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं था। इस आन्दोलन का आगे की भारतीय राजनीति में व्यापक प्रभाव पड़ा। इस आन्दोलन से बिहार आन्दोलन और स्वयं जे0पी0 प्रभावित हुए। गुजरात आन्दोलन से प्रेरणा ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करते हुए जे0पी0 ने कहा —
"वर्षों से मैं रास्ता खोजने के लिए भटक रहा था...... तब मैंने देखा कि गुजरात में छात्रों ने जनता के समर्थन से एक बड़ा राजनैतिक परिवर्तन ला दिया...... और मुझे पता चला कि यही सही रास्ता है।"[2] आपातकाल के समय भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'आपातस्थिति क्यों?' में भी कहा गया है —' गुजरात से हौसले बढ़े।'[3]

1- मेरी जेल डायरी जयप्रकाशनारायण, पेज 42
2- एवरीमेन्स(वीकली) 3अगस्त 1974
3- आपातस्थिति क्यों?(सूचना विभाग उत्तरप्रदेश) पेज 7

इस प्रकार जे0पी0 एवं तत्कालीन सरकार बिहार आन्दोलन से सम्बन्धित दोनों पक्ष) दोनों ने बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि में गुजरात आन्दोलन की बात स्वीकार की है। बिहार के आन्दोलनकारी छात्रों का बहुप्रचलित नारा था "गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है।"[1] इस नारे से भी स्पष्ट है कि बिहार के आन्दोलन कारी गुजरात के आन्दोलन को अपना मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत मानते थे। तत्कालीन सत्ता काँग्रेस के अध्यक्ष डा0 शंकर दयाल शर्मा ने भी कहा था —"गुजरात में विधान सभा भंग होने के बाद बिहार में आन्दोलन शुरू हुआ।"[2]

"गुजरात आन्दोलन की सफलता ने विभिन्न राजनैतिक दलों के भीतर यह भाव बोध जगाया कि वे युवा संगठनों को राजनैतिक लक्ष्य की ओर उन्मुख कर सके तो उनका मार्ग सरल हो जायेगा। गुजरात से प्रभावित बिहार का छात्र आन्दोलन इसी रणनीति का परिणाम था।........"[3] गुजरात आन्दोलन की तकनीक का प्रयोग बिहार आन्दोलन में भी किया गया। जिस प्रकार गुजरात में विधायकों का घेराव करके उनके त्यागपत्र दिलवाये जाते थे, बिहार आन्दोलन में भी यही तरीका प्रचलित रहा।

इस प्रकार बिहार आन्दोलन' अपनी तकनीक और स्वरूप में 'गुजरात आन्दोलन ' से प्रभावित था। जे0 पी0 ने गुजरात आन्दोलन की तकनीक का एक बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से प्रयोग बिहार आन्दोलन के समय किया।

डा0 अमरनाथ सिन्हा के अनुसार " इस आन्दोलन का बीज पहले ही बोया गया था जिसका पहला पौधा गुजरात का छात्र आन्दोलन था और विकसित रूप बिहार का जनांदोलन है।"

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अवधकुमार गर्ग, पेज3
2- दिनमान 28 जुलाई, 1974, पेज2
3- वही, अशोतेन्दु बीरबल का लेख, 5-11 फरवरी, 1978, पेज 28

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण और विद्वानों की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि में 'गुजरात आन्दोलन' निहित था।

मुजफ्फर पुर का छात्र सम्मेलन :-

मुजफ्फरपुर में 17 और 20 जनवरी 1974 को जे0पी0 ने छात्रों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं के रचनात्मक समाधान के लिए अहिंसक संघर्ष करने को कहा। मुजफ्फर पुर के छात्रों पर जे0पी0 की बात का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 8 फरवरी 1974 को पूरे बिहार के छात्र नेताओं का सम्मेलन इस सम्बन्ध मे विचार करने के लिए बुलाया। 'इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन तथा सुधार आवश्यक है। सम्मेलन में छात्रों तथा युवावर्ग से संगठित होने की अपील की गयी।'[1] इस प्रकार इस सम्मेलन से जे0पी0 के आह्वान पर बिहार में छात्र शक्ति सक्रिय एवं संगठित होना शुरू हो गयी थी।

पटना सम्मेलन :-

उसके पश्चात् पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ ने 17-18 फरवरी, 1974 को प्रदेश के छात्र व युवा नेताओं का सम्मेलन बुलवाया। इसमें प्रत्येक महाविद्यालय से दो प्रतिनिधि एवं प्रदेश में सक्रिय सभी राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक युवासंगठनों से एक-एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। 'इस सम्मेलन में 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिए, लगभग 70 महाविद्यालयों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आये।'[2] इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि 'साम्यवादी युवासंगठनों के छात्र उस समय से सम्मेलन का बहिष्कार कर गये जब सम्मेलन में रखे गये आर्थिक प्रस्ताव पर उनके संशोधनों को

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अवधकुमार शर्मा, पेज 4

2- वही, पेज 6

अस्वीकार कर दिया गया।"[1] साम्यवादियों की यह पृथकता पूरे बिहार आन्दोलन में बनी रही। इस सम्मेलन में 8 माँगों के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर रचनात्मक संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश स्तर पर 'बिहार-राज्य संघर्ष समिति' का निर्माण किया गया।

आठ माँगे निम्नलिखित थीं :—

(1) बिहार के प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष चुनाव वाले छात्र संघों की स्थापना की जाय।

(2) शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर उसे रोजगारोन्मुख बनाया जाय।

(3) डिग्री के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाय।

(4) शिक्षित बेरोजगारों को काम दिया जाय, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाय।

(5) मँहगाई पर अविलम्ब रोक लगायी जाय। जमाखोरों, मुनाफाखोरों को सरकार पकड़े एवं छात्रों को सस्ते दर पर भोजन, पुस्तक कापी की व्यवस्था की जाय।

(6) बिहार के प्रत्येक महाविद्यालय के साथ छात्रावासों की व्यवस्था की जाय।

(7) छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ायी जाय एवं छात्रवृत्ति की रकम को वर्तमान मूल्यसूचकांक के अनुसार पुनर्मूल्यांकित किया जाय।

(8) विश्वविद्यालयों में नीतिनिर्धारक-समितियों तथा सीनेट सिंडिकेट, एकेडेमिक कौंसिल में छात्रों को प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाय।"[2]

1- बिहार आन्दोलन, एक सिंहावलोकन, ले० अमणकुमार गर्ग, पेज 7

2- वही, पेज, 7-8

आगे चलकर छात्रों ने 'मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन जैसी चार सार्वजनिक माँगे भी अपने माँगपत्र में जोड़ लीं।'[1]

'छात्रों का यह आन्दोलन 12 माँगों के साथ प्रारम्भ हुआ उनमें आठ पूर्णतया छात्रों से सम्बन्धित थीं, शेष चार जनता के व्यापक हितों से सम्बन्धित थीं।'[2] 'पटना सम्मेलन में जे0पी0 से आन्दोलन को दिशा निर्देश देने का भी आग्रह कियागया।'[3]

बिहार के छात्र आन्दोलन के इतिहास में यह पहला अवसर था जिसमें छात्रों ने अपनी शिक्षा सम्बन्धि माँगों के साथ-साथ देश के आम आदमी से सम्बन्धित मँहगाई और भ्रष्टाचार संबंधी समस्याओं को भी सम्मिलित किया और पहले के आन्दोलनों से भिन्न युवा चरित्र इस आन्दोलन से प्रकट हुआ। इसका श्रेय जे0 पी0 के युवकों के उस आह्वान् को है जिसमें उन्होंने युवकों को समस्याओं के रचनात्मक समाधान के लिए आगे आने को कहा था।

डा0अमरनाथ सिन्हा पटना के इस 'छात्र-युवा-सम्मेलन' को बिहार आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। उनके अनुसार —" बिहार में एक व्यापक छात्र-युवा आन्दोलन का प्रारम्भ करने का निर्णय 'बिहार राज्य छात्र नेता सम्मेलन' (17-18 फ़रवरी 1974) में ही लिया जा चुका था।"[4]

अपनी माँगों को मनवाने के उद्देश्य से छात्रों ने पटना एवं राज्य के अन्य भागों में प्रदर्शन तथा जुलूस निकालना प्रारम्भ कर दिया। मुजफ्फर पुर, भागलपुर सीतामढ़ी, बेगुसराय, रोहतास आदि जिलों में छात्रों ने जमाखोरी तथा मुनाफ़ाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारीलाल, पेज 192
2- हिन्दुस्तान टाइम्स, 26अगस्त, 1974 — जे0पी0
3- दैनिकआर्यावर्त, 19फ़रवरी, 1974 मुखपृष्ठ
4- बिहार का जनान्दोलन, ले0डा0अमरनाथ सिन्हा, पेज।

छात्रों ने अपनी मांगों के संबंध में शिक्षामंत्री व मुख्यमंत्री श्री अब्दुलगफूर से भेंट करके उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे स्वीकार कर ली जांय अन्यथा 18 मार्च, 1974 के आरम्भ होने वाली विधान सभा का घेराव करेंगे और राज्यपाल सहित किसी भी मंत्री विधायक एवं अधिकारी को विधान सभा में प्रवेश नहीं करने देंगे।

'बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति' की अपील पर 'विपक्षी दलों ने विधान सभा की प्रथम दिन की बैठक में भाग न लेने की घोषणा कर दी।'[1] इसी समय एक उल्लेखनीय घटना यह हुई कि गुजरात में चल रहे आन्दोलन के परिणाम स्वरूप 15 मार्च 1974 को गुजरात की विधान सभा भंग कर दी गयी। इससे बिहार के आन्दोलनकारी छात्रों का साहस और बढ़ा।

'16 मार्च, 1974 तक सी0आर0पी0 की 12 कम्पनियां और बी0एस0पी0 की 16 कम्पनियाँ पटना में विधान सभा भवन के चारों ओर तैनात कर दी गयीं।'[2]

18 मार्च, 1974 का प्रदर्शन :-

18 मार्च, 1974 को छात्रों द्वारा विधान सभा का घेराव व प्रदर्शन के समय 'पटना में व्यापक रूप से हिंसा हुयी, जिसमें करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई।'[3] पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया गया व गोली चलायी गयी। स्थिति का लाभ उठाते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा पटना में आगजनी व लूट की घटनायें की गयीं। 'सर्चलाइट' व 'प्रदीप' जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों को प्रशासन जलने से

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अजयकुमार शर्मा, पेज 12

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारी लाल, पेज 193

3- टाइम्स आफ इण्डिया, 19 मार्च, 1974, पेज।

नहीं बचा सका। नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन असफल रहा। नागरिक प्रशासन सेना को सौंप दिया गया। सेना ने कर्फ्यू लगा दिया। अपने एक वाक्य में उस दिन की स्थिति का वर्णन करते हुए जे0पी0 ने कहा —" ढाई घण्टे तक पटना जलता रहा और कोई पूछने वाला नहीं रहा।"[1] जे0पी0 द्वारा नियुक्त 'जाँचसमिति' ने अपनी रिपोर्ट में कहा 'सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति को पूर्णतया असामाजिक तत्वों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। छात्रों पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया और गोली चलायी गयी। कई निर्दोष नागरिकों को गोली मार दी गयी सीमा सुरक्षा बल व केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस ने नागरिकों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया।'[2] डा0 लक्ष्मीनारायण लाल के अनुसार ' यह सब छात्र युवक आन्दोलन को बदनाम करने और उसे हिंसकरूप देने के लिए किया गया।'[3]

पटना छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने शोधकर्ता को इस दिन की घटना के सम्बन्ध में साक्षात्कार के समय बतलाया कि आग लगाने व लूट की घटनायें असामाजिक तत्वों द्वारा की गयीं, छात्रों का उसमें कोई हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने घायल अवस्था में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा था —' आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। अब हम लोग गुजरात की तरह विधान सभा भंग करेंगे यह हमारी तेरहवीं माँग होगी।' इसके पहले छात्रों की माँगों में विधान सभा के विघटन की माँग सम्मिलित नहीं थी।

1- बिहार आन्दोलन: एक सिंहावलोकन, पेज 17

2- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, जाँच समिति की रिपोर्ट, पेज 17-18

3- धर्मयुग, 20 अप्रैल, 1975, पेज 10

18 मार्च, 1974 की घटना का समाचार मिलते ही प्रदेश के अनेक स्थानों में विद्यार्थियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। प्रशासन ने दमन का सहारा लिया। डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने इस संदर्भ में लिखा है —" जिस तरह 18 मार्च, का जो छात्र आन्दोलन उठा वह थमने के लिए नहीं रुका, उसी तरह सरकार की बन्दूकों का जो मुँह एक बार खुला तो फिर बन्द नहीं हुआ। उन्नीस को जमुई-मुंगेर में, बीस को लखी सराय-मुंगेर में और बैरागनिया-सीतामढ़ी में सरकार की गोलियाँ चलीं और कर्फ्यू लगते रहे।"[1] तत्कालीन गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने कहा —' बिहार की स्थिति गंभीर और भयावह है।'[2] बिहार की स्थिति की गम्भीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय 'बिहार के 13 नगरों में कर्फ्यू लागू था।'[3]

18-19 मार्च को छात्र इस घटना के सम्बन्ध में पटना में जे०पी० से मिले। छात्र नेताओं ने जे०पी० से कहा कि वे सरकार के विरोध में 21 मार्च को (मौन-जुलूस, एवं 23 मार्च को 'बिहार बन्द' का आह्वान कर रहे हैं। इसमें आप हमारा समर्थन करें। उन्होंने गफूर मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र की माँग की। 'संचालन समिति के एक सदस्य ने जे०पी० से कहा कि वे आन्दोलन का नेतृत्व करें।'

इस प्रकार जे०पी० औपचारिक रूप से छात्रान्दोलन के सम्पर्क में 19 मार्च 1974 से आये जब उनसे आन्दोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया। 20 मार्च 1974 को जे०पी० ने आन्दोलन के सम्बन्ध में अपना सार्वजनिक वक्तव्य दिया उन्होंने कहा —" 18-19 मार्च की हुई घटनाओं के लिए तथा जितनी जानें गयी हैं, जो लोग घायल हुए हैं तथा जो बर्बादी हुयी है, उसकी लिए गफूर साहब का मंत्रिमण्डल जिम्मेदार है। उनका प्रशासन उन्हें रोकने में असफल रहा है। अतः उनकी सलाह है कि

1- अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले० डा० लक्ष्मीनारायण लाल, पेज 86
2- अमृत बाजार पत्रिका, 22 मार्च, 1974
3- टाइम्स आफ इण्डिया, 24 मार्च, 1974 कालम।

गफूर साहब अपनी अन्तरात्मा टटोलें और शीघ्र ही त्यागपत्र दे दें।"[1]

22 मार्च, 1974 में इसके प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर ने विधान सभा में कहा —" खुदा की कसम, मैं अपनी अन्तरात्मा से पूछ रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूँ कि नहीं। किन्तु एक बात का संदेह होता है कि बाद में लोग यह न कहें कि अल्पसंख्यक-वर्ग का यह आदमी बुजदिल और कायर था।"[2]

जे0पी0 ने प्रशासनिक बर्बरता एवं लोगों को सुरक्षा न दे पाने की प्रशासनिक असफलता के कारण त्यागपत्र की मांग की थी और श्री गफूर इसे राजनैतिक कायरता से जोड़ रहे थे। दृष्टिकोण की इस भिन्नता के कारण संघर्ष होना स्वाभाविक था।

18 मार्च, 1974 की घटना का सम्पूर्ण बिहार प्रदेश में प्रभाव पड़ा था। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के विभिन्न नगरों में जुलूसों व प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों को असफल करने के उद्देश्य से पुलिस ने दमन का सहारा लिया। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर लाठी चार्ज किया गया व गोली चलायी गयी। इसमें अनेक निर्दोष लोगों की जानें गयीं एवं अनेक व्यक्ति घायल हुए। पुलिस के इस दमन के परिणाम स्वरूप जनाक्रोश बढ़ता गया। जनता छात्रों की सहानुभूति में उनके साथ होती गयी। जे0पी0 भी इस बर्बरतापूर्ण दमन को सहन नहीं कर सके। छात्रों के आग्रह एवं अनुरोध पर उन्होंने इस आन्दोलन का समर्थन करने का निश्चय किया। उन्होंने इस आन्दोलन को अपना कुशल नेतृत्व प्रदान किया। इन परिस्थितियों में बिहार आन्दोलन का प्रारंभ हुआ।

उपर्युक्त घटनाक्रम और परिस्थितियाँ बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि में निहित हैं। जिनसे आगे चलकर बिहार आन्दोलन विकसित हुआ।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जयप्रकाश, डॉ0अजयबिहारीलाल, पेज 196-97

2- वही, पेज 197

(ख) जे0पी0 का नेतृत्व और आन्दोलन का विकास

पटना में प्रशासन छात्रों को 'शान्तिपूर्ण सभायें करने एवं शान्तिपूर्ण ढंग से 'मौन जुलूस' निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था। 30 मार्च, 1974 को जे0पी0 ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में कहा "बिहार सरकार को मेरी ईमानदार सलाह है कि वह विद्यार्थियों और लोगों से शान्तिपूर्ण विरोध और कार्यवाही का उनका अधिकार न छीने.... दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पर अगर सरकार की वर्तमान नीति जारी रही तो स्वस्थ होने के पहले ही सत्याग्रही के रूप में नागरिकों का मौन जुलूस निकालने के लिए मैं अपने को बाध्य पाऊंगा।"[1] बाद में जे0पी0 ने घोषणा कर दी कि वे 8 अप्रैल 1974 को पटना में चुने हुए सत्याग्रहियों का मौन जुलूस निकालेंगे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 'श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जे0पी0 के इस शान्तिपूर्ण विरोध की आलोचना की।'[2] 1 अप्रैल, 1974 को भुवनेश्वर (उड़ीसा) की एक सभा में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जे0पी0 की ओर संकेत करते हुए कहा कि —"दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ग्राम विकास में अपनी रूचि खो बैठे हैं और सक्रिय राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं।............ आचार्य विनोबा भावे भी अपने कुछ अनुयायियों के ऐसे आन्दोलनकारी रवैये से दुखी हैं।" —आगे बोलते हुए श्रीमती गाँधी ने यहाँ तक कह दिया कि — "जो लोग अमीरों से पैसा लेते हैं उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।"

इन्दिरा जी का यह वक्तव्य पटना के समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। बिहार में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुयी क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक ईमानदार

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 श्रवणकुमार गर्ग, पेज 30-31

2- इण्डियन नेशन (पटना) 2 अप्रैल, 1974 पेज। कालम 2

वयोवृद्ध देशप्रेमी नेता के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सर्वोदय कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह वक्तव्य जे0पी0 और विनोबा के बीच में मत-भेद उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिया गया है। बाद में श्रीमती गाँधी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 'उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह जयप्रकाश जी के लिए नहीं था।'[1]

परन्तु विभिन्न समाचार एजेन्सियों ने जो समाचार दिये उनमें कहा गया कि श्रीमती गाँधी ने जो कुछ कहा है वह स्पष्ट रूप से जे0पी0 के लिए है। पी0टी0 आई0 ने अपने विवरण में लिखा था कि " इन देन आबवस रेफरेंस टू जयप्रकाश नारायन — स्पष्ट है कि इशारा जयप्रकाश नारायण की तरफ था।"[2] इस सम्बन्ध में 'एलन और वेंडी स्कार्फ' ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'पहली अप्रैल को श्रीमती गाँधी ने भुवनेश्वर में एक भाषण में विरोध करने की भावना के लिए अरूचि प्रकट करते हुए जयप्रकाश के चरित्र पर हमला किया ।...... श्रीमती गाँधी ने एक ऐसे राष्ट्रीय ख्याति के नेता का जिसकी ईमानदारी और अहिंसा पर जिसके विश्वास की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी थी, चरित्र हनन किया तो उनकी अपनी पार्टी के बहुत से प्रमुख लोग उनसे विमुख हो गये।'[3]

श्रीमती गाँधी की उस सभा में जे0पी0 के समाजवादी मित्र श्री सुरेन्द्र मोहन भी उपस्थित थे उन्होंने जे0पी0 को पत्र लिखकर कहा कि "प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वह आपको (जे0पी0) लक्ष्य करके ही कहा था।"[4]

श्रीमती गाँधी के वक्तव्य पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए विनोबा जी ने कहा —" अधिकांश बातों में जयप्रकाश जी से मेरी सहमति है, हालांकि बातों को रखने

1- इण्डियन नेशन 4 अप्रैल, 1974 पेज3कालम 3

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए आवाहन, लेO पेज 27 ले० जे० पी०

3- जयप्रकाश एक जीवनी-लेO एलन और वेंडी स्कार्फ (हिन्दी अनुवाद) पेज 349

4- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, बजकुमारगर्ग, पेज 3।

के बारे में कुछ अन्तर हो सकता है। जयप्रकाश जी भी अहिंसा में आस्था रखते हैं। श्रीमती गाँधी ने कुछ सर्वोदय कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर मेरे खेद का उल्लेख किया है वह किसी दूसरे संदर्भ में है और उसका जयप्रकाश जी से कोई सम्बन्ध नहीं है।"[1]

इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्रीमती गाँधी का यह कहना कि जे०पी० के आन्दोलनकारी रवैये से विनोबा जी दुखी हैं सत्य नहीं था। यह बात आन्दोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से कही गयी थी। परन्तु इसकी प्रतिक्रिया विपरीत हुई। बिहार की जनता जे०पी० पर ऐसा आरोप सहन करने के लिए तैयार नहीं थी अतः सत्ता के विरोध में जे०पी० को जनसमर्थन मिलता चला गया। 'जे०पी० ने श्रीमती गाँधी के वक्तव्य का प्रत्युत्तर दिया।'[2] अपने प्रत्युत्तर में जे०पी० ने कहा कि –"इन्दिरा जी ने भुवनेश्वर में मेरे बारे में जिस तरह की बातें कहीं बतायी जाती हैं उन पर टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि कतिपय क्षेत्रों में मेरे मौन का गलत अर्थ लिया जा सकता है। इन्दिरा जी से मेरा मेरा विनम्र निवेदन है कि वे यह न मान बैठें कि मुझे और दूसरे सर्वोदय कार्यकर्ताओं को हमारे कर्तव्यों की शिक्षा वे दे सकती हैं। मुझमें और विनोबा जी में फूट डालकर सर्वोदय-आन्दोलन को तोड़ने में वे अपनी सिद्ध कुशलता का उपयोग कृपया न करें।"[3] श्रीमती गाँधी के इस कथन का कि 'जो लोग अमीरों से पैसा लेते हैं उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।' का उल्लेख करते हुए जयप्रकाश जी ने कहा कि "प्रधानमंत्री ऐसे स्तर पर उतर रही हैं, जितने नीचे मैं अपने को उतार नहीं सकता। 'एवरीमैन्स' के 13 अक्तूबर 73 के अंक में अपने मित्रों के नाम एक लेख लिखकर — मैं साफ-साफ

1- बिहार आन्दोलनः एकसिंहावलोकन, लेखक- बजरंगकुमार वर्मा, पेज 33

2- सर्चलाइट, 5 अप्रैल, 1974 पेज 1

3 - बिहार एक आन्दोलनः एक सिंहावलोकन, ले० बजरंगकुमार वर्मा, पेज 32

बता चुका हूँ कि इन सारे वर्षों में किस तरह मैंने अपना खर्च चलाया है। इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है, सिवाय इसके कि अपना पूरा समय समाज सेवा में लगाने वाला ऐसा कार्यकर्ता जिसकी आय का अपना कोई स्वतंत्र स्रोत न हो, साधन सम्पन्न अपने निजी मित्रों के मदद के बिना काम नहीं चला सकता। अगर इन्दिरा जी के मापदण्ड सब जगह लगायें जाय तो गांधी जी सबसे भ्रष्ट निकलेंगे क्योंकि उनके तो पूरे दल की सहायता उनके अमीर प्रशंसक करते थे। मैं नहीं जानता कि इस देश के लोग कब तक हमारे ऊँचे और शक्तिशाली लोगों की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनते रहेंगे।------ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश के बड़े और शक्तिशाली लोगों के सार्वजनिक कारनामों के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा और इसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ।"[1]

'एवरीमैन्स' में जे०पी० ने अपने खर्च के सम्बन्ध में लिखा था कि —

"रैमन मैगसेसे — पुरस्कार के दस हजार डालर (साठ हजार रूपये) बैंक में जमा है जिसके सूद से तथा सिताबदियारा की अपनी जमीन से प्राप्त अन्न से वे निजी खर्च चलाते हैं। फर्नीचर आदि उनके मित्र डा० ज्ञानचन्द ने दिया है। बाहर आने जाने तथा कपड़ों का खर्च कुछ उनके मित्र दिया करते हैं।"[2]

इस प्रकार उपर्युक्त वक्तव्यों के माध्यम से 'श्रीमती गांधी और जयप्रकाश जी, इन दो महान व्यक्तियों में टकराव शुरू हो गया।'

<u>मौन जुलूस :—</u>

8 अप्रैल, 1974 को जे०पी० के नेतृत्व में पटना में एक हजार चुने हुए सत्याग्रहियों का ऐतिहासिक मौन जुलूस निकला। जुलूस के पूर्व पटना के नागरिकों के नाम प्रसारित एक अपील में जे०पी० ने कहा —" जुलूस मौन इसलिए है कि यह जनता

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले० अभयकुमार गर्ग, पेज 32
2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जयप्रकाश, ले० अवधबिहारीलाल, पेज 199

तथा शासन पर प्रकट करें कि आन्दोलन पूर्णतया शान्तिमय है और हिंसावादियों, तोड़-फोड़ और आगजनी आदि करने वालों से पृथक है और इसमें सम्मिलित तत्व तथा संगठन ऐसे कार्यों की निन्दा करते हैं और जनता से यह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आत्मघाती कुचक्रों से दूर रहे और उनका शान्तिमय मुकाबला करें।"[1]

इस 'मौन जुलूस' में प्रसिद्ध साहित्यकार 'फणीश्वर नाथ रेणु' भी सम्मिलित हुए। सत्याग्रही अपने हाथों में नारे लिखे हुए 'प्लेकार्डस' (तख्तियाँ) लिये हुए थे इनमें लिखा था —" मुक्त हृदय है बन्द जुबान" "हमला चाहे जैसा हो" हाथ हमारा नहीं उठेगा।" "महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार — सत्ता ही है जिम्मेवार" "हम छात्र आज आन्दोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं" लाठी गोली, हिंसा लूट—किसी को इसकी मिले न छूट" जनता जुट ही जाग उठेगी — भ्रष्ट व्यवस्था तभी मिटेगी।"[2] आन्दोलन के ये नारे आन्दोलन के चरित्र को उजागर कर रहे थे। पटना के नागरिकों ने इस जुलूस का अभूतपूर्व स्वागत किया। इस संबंध में डा0 अमरनाथ सिन्हा ने लिखा —" मौन जुलूस के दर्शनार्थियों के रूप में जैसे पूरा पटना सड़कों पर उतर आया।"[3] जुलूस ने बिहार के सारे जनमानस को विह्वल किया।"[4] यह जुलूस प्रतीकात्मक अर्थ रखता था, यह आन्दोलन के इस स्वरूप को प्रकट करता था कि आन्दोलन शान्तिमय और अहिंसक है।

9 अप्रैल 1974 की शाम को पटना के गाँधी मैदान में एक विशाल सभा हुई। "लगभग एक लाख लोग इस सभा में आये। वर्षों बाद बिहार में कोई इतनी बड़ी सभा हुयी थी।"[5] शोधकर्ता को पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अजयकुमार गर्ग, पेज, 34

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार - लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 20।

3 -बिहार का आन्दोलन, पेज 46 ले0 डा0 अमरनाथ सिन्हा,

4 -दिनमान, 14 अप्रैल, 1975, पेज 13

5 -बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अजयकुमार गर्ग, पेज 35

श्री लालू प्रसाद यादव ने बतलाया कि इसी ऐतिहासिक सभा में जयप्रकाश जी को जनता की ओर से 'लोकनायक' के सम्मान से विभूषित किया गया। जे0पी0 ने अपने एक घण्टे के भाषण में व्यवस्था को बदलने एवं लोगों के नैतिक स्तर को उठाने के लिए युवकों एवं छात्रों का आह्वान् किया। '18 मार्च की घटना के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया एवं देश की कुस्थिति को बदलने की बात कही।'[1]

उस समय की घटनाओं के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीनारायण लाल ने लिखा —" आठ और नौ अप्रैल को पटना में बिहार की जनता ने गाँधी को फिर जीवित कर दिया। किसी और गैर राजनीतिक जननेता का आजादी के बाद इतना बड़ा सम्मान नहीं हुआ होगा जितना जयप्रकाश का हुआ।"[2]

जे0पी0 की सभाओं और कार्यक्रमों में उमड़ने वाले जनसमूह से स्पष्ट था कि जनता की सहानुभूति जे0पी0 और आन्दोलनकारियों के साथ है। दूसरी ओर सत्ता कांग्रेस के नेता जे0पी0 को विध्वंसकारी बतला रहे थे। इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए धर्मयुग' ने लिखा —"कुछ कांग्रेसी संसद सदस्यों तथा विधायकों ने यहाँ तक कह दिया कि सर्वोदयी नेता ने 1942 में भी विध्वंसकारी भूमिका अदा की थी और वे कभी भी सही मार्ग पर नहीं चले। ऐसे वक्तव्य किसी को भी चौंकाने के लिए काफी थे, क्योंकि जयप्रकाश जी से किसी भी भारतीय का वैचारिक मतभेद हो सकता है पर उनकी व्यक्तिगत निष्ठा एवं राष्ट्रप्रेम पर किसी ने कभी भी संदेह करने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन बिहार के कांग्रेसी विधायक स्वनिर्मित विवेकहीनता के दायरे में इतना धँस चुके हैं कि उन्हें उलटकर आरोप लगाने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आता है।"[3] सत्ता पक्ष के इन आरोपों का विपरीत प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा था।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 203

2- अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले0 डा0 लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 87

3- धर्मयुग, 28 अप्रैल 1974 पेज 11

इधर सरकार दमनात्मक रूख अपनाये हुयी थी। सचिवालय पर धरना देते हुए छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल, 1974 को जे0पी0 ने यह घोषणा करके सबको विस्मित कर दिया कि 'वे सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन चलायेंगे। पर सत्ता की राजनीति में कभी भी भाग नहीं लेंगे।'[1]

12अप्रैल, 1974 का गया गोलीकाण्ड :—

आंदोलनकारी 'सरकार ठप करो' कार्यक्रम के अन्तरगत सरकारी कार्यालयों का घेराव कर रहे थे एवं धरना देकर सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में जाने से रोक रहे थे। 12 अप्रैल 1974 को गया(बिहार)टेलीफोन एक्सचेंज पर धरना दे रही एक ऐसी ही शांतिपूर्ण जनता पर पुलिस ने गोली चलायी। इस गोलीकाण्ड में '14व्यक्ति मारे गये और 38 घायल हुए।'[2] इस घटना से जे0पी0 बहुत दुखी हुए। घटना की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए स्वयं 16 अप्रैल, 1974 को गया पहुँचे। 'गया गोली काण्ड की जाँच के लिए पाँच लोगों की एक समिति को गठित किया।'[3] समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा " गया में 12 अप्रैल को स्थानीय अधिकारियों ने एक सर्वथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन के विरूद्ध जानबूझकर सम्भवतः राज्य सरकार के आदेश पर दमन शक्ति का प्रयोग किया...... 12 अप्रैल को और उसके बाद पुलिस ने बहुसंख्यक लोगों को सताया।'[4]

इस पूरे घटनाक्रम के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है कि गया गोली -काण्ड होने तक जे0पी0 'विधानसभा भंग करो' की माँग का समर्थन नहीं कर रहे थे। डा0 ईश्वर प्रसाद वर्मा ने इस तथ्य के सम्बन्ध में लिखा है —' 15 अप्रैल तक छात्रसंघर्ष समिति की विधान सभा भंग करने की माँग से जे0पी0 सहमत नहीं थे। पर 16 अप्रैल

1-सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार : लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारी लाल, पेज 207

2- वही, पेज 207

3- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन, ले0श्रवणकुमार गर्ग, पेज 36

4- दिनमान, 9जून1974 पेज 11-13

को गया जाकर उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद उन्होंने छात्र संघर्ष समिति के नेताओं से कहा कि तुम लोग यदि फैसला करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।'[1] इस प्रकार बिहार विधान सभा भंग करने की माँग भी आन्दोलन में सम्मिलित हो गयी। आन्दोलन के बहुत समय बाद अपने प्रकाशित लेख में 'दिनमान' ने लिखा —" गया गोलीकाण्ड ने बिहार को अन्तिम रूप से हिला दिया। यह महज गोलीकाण्ड नहीं था पुलिस की षडयंत्र पूर्वक की गयी एक अपराधपूर्ण कार्यवाही थी।"[2]

18 अप्रैल, 1974 को केन्द्रीय हाईकमान के निर्देश पर मंत्रियों से त्याग-पत्र दिलवाकर 46 की जगह 14 सदस्यीय मंत्रिमण्डल का गठन बिहार में किया गया। मुख्यमंत्री श्री गफूर ही रहे। 'हटाये गये मंत्रियों ने आलाकमान पर यह आरोप लगाया कि उन्हें मंत्रिमण्डल से हटाकर उनकी चारित्रिक हत्या की गयी है क्योंकि मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप के फलस्वरूप कांग्रेस ने छात्रों एवं जनता से अपना मुँह बचाने के लिए उन्हें उनकी दृष्टि में भ्रष्टाचारी ठहराया है।'[3]

इस प्रकार आन्दोलन के दबाव से तत्कालीन बिहार मंत्रिमण्डल में परिवर्तन हुआ। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जे0पी0 ने कहा —" मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन से कोई भी समस्या हल नहीं हुयी है और न किसी को संतोष हुआ है।... अतः कांग्रेस उच्च सत्ता को तथा बिहार कांग्रेस कमेटी को मेरी हार्दिक सलाह है कि वे सम्मानपूर्वक और समय पर कदम उठायें, जिससे कि कांग्रेस को गुजरात में जो अपमान सहना पड़ा है, उससे वह बच सकें।" उल्लेखनीय है कि गुजरात में आन्दोलन के प्रभाव से सत्ता कांग्रेस को गुजरात विधान सभा का विघटन करना पड़ा था। "आन्दोलन के आरंभिक दौर का श्रेय छात्रों के युवा राजनीतिक नेतृत्व को जाता है लेकिन बाद में आन्दोलन में गहराई और तेजस्विता जयप्रकाश के कारण ही आ सकी।"

1-युगपुरुष श्रीजयप्रकाश नारायण, ले0ईश्वरप्रसाद वर्मा(सम्पादक) पेज 84-85
2-दिनमान, 7-13मई, 78, पेज13
3-सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0बनवारीबिहारीलाल, पेज209

जे०पी० और आन्दोलनकारियों द्वारा की जा रही विधानसभा के विघटन की माँग को सरकार अलोकतांत्रिक कह रही थी। इस सम्बन्ध में 'दिनमान' के ये शब्द द्रष्टव्य हैं –" विधान सभा और संसद एक संस्था के रूप में ही लोकतंत्र की मूल और अनिवार्य इकाइयाँ हैं। पर एक जीवित सदन के रूप में वे देश की राजनैतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए बिहार आन्दोलन के दौरान की गयी विधानसभा भंग करने की माँग लोकतंत्र समाप्त करने की कार्यवाही नहीं थी, बल्कि वह लोकतंत्रीय मूल्यों के लिहाज से एक पतनशील राजनैतिक संस्कृति के ~~विरुद्ध~~ विरुद्ध विद्रोह था।"[1]

पौरुष, ग्रन्थि (प्रोस्टेट ग्लैंड) रोग से पीड़ित होने के कारण जे०पी० 23 अप्रैल 1974 को आपरेशन के लिए वेल्लौर (मद्रास) चले गये। जाते समय आन्दोलनकारियों को उन्होंने पाँच सप्ताह का कार्यक्रम दिया। साप्ताहिक कार्यक्रम इस प्रकार था – 'पहला-जनजागरण सप्ताह, दूसरा – संगठन सप्ताह, तीसरा – विधानसभा भंग करो सप्ताह, चौथा – सदाचार सप्ताह, पाँचवाँ – शिक्षा क्रान्ति और बेरोजगारी सप्ताह। अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व आचार्य राममूर्ति, नारायण देसाई, मनमोहन चौधरी व त्रिपुरारी शरण को सौंपा।'[2] 'कार्यक्रमों का झुकाव बिहार सरकार की बर्खास्तगी और विधायकों के इस्तीफे की ओर रहा।'[3]

पाँच सप्ताह के कार्यक्रम के बाद 5 जून, 1974 को पटना में एक विशाल प्रदर्शन करने तथा विधान सभा के विघटन के लिए जनता से एक करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त कर राज्यपाल को देने का निश्चय किया गया। 2 जून, 1974 को स्वस्थ होकर जे०पी० पटना आ गये।

1- दिनमान, 4-10 जून, 1974 पेज 27

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले० अवधबिहारीलाल, पेज 210

3- दिनमान, 25 जून से 1 जुलाई, 1978 पेज 32

कम्युनिस्टों का प्रदर्शन :—

पाँच जून को जे0पी0 के प्रदर्शन को असफल करने के उद्देश्य से इसके पूर्व ही 3 जून को शक्ति परीक्षण की नियति से बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक जुलूस निकालने का निर्णय किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रदर्शन को सत्ता काँग्रेस का समर्थन प्राप्त था। सत्ता काँग्रेस के बिहार के तत्कालीन प्रभावशाली नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने अपने एक साक्षात्कार के समय कहा था —"हमें पिछले वर्षों के अनुभवों का लाभ उठाना होगा, जब काँग्रेस जनों और कम्युनिस्टों ने संयुक्त रूप से प्रतिक्रियावादियों की चुनौती का सामना किया था।"[1] इस वक्तव्य से यह संकेत मिलता है कि कम्युनिस्टों का यह प्रदर्शन काँग्रेसी नेतृत्व की इच्छा पर आयोजित किया गया था। 'धर्मयुग' ने अपने लेख 'बिहार : जन आन्दोलन' जयप्रकाश और जवाबी अभियान' में लिखा था —" 3जून के पटना के कम्युनिस्ट प्रदर्शन की योजना भी केन्द्र में बिहार की राजनीति के कतिपय सूत्रधारों की पहल पर बनी थी। कारण स्पष्ट था कि बिहार में काँग्रेस स्वयं अपनी राजनीतिक पूँजी के बल पर विधानसभा के विघटन की माँग के विरोध में कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकने की स्थिति में नहीं थी। श्रमिक संगठनों और किसानों में अपने संगठनात्मक आधार के बल पर कम्युनिस्ट यह काम कर सकते थे।"[2] 3जून 1974 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 50 हजार लोगों का जुलूस निकाला। इस जुलूस में नारे लगाये जा रहे थे —"अमेरिका को दे दो तार- जयप्रकाश की होगी हार" 'जयप्रकाश की गुण्डागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' आदि। राज्यपाल को

1- न्यू वेव, 5मई, 1974

2- धर्मयुग, 7जुलाई, 1974 पेज11

किये गये मांगपत्र में यह मांग की गयी कि विधानसभा भंग न की जाय।'[1] विधानसभा के विघटन की मांग को अलोकतांत्रिक बतलाते हुए कम्युनिस्टों ने कहा —' इससे संसदीय जनतंत्र के पूरे ढांचे के नष्ट होने का खतरा उपस्थित हो जायेगा।'[2] शाम की सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री डांगे ने जे०पी० की आलोचना की।

<u>पांच जून 1974 का प्रदर्शन और सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान् :—</u>

कम्युनिस्टों के प्रदर्शन के बाद 5 जून 1974 को आन्दोलनकारियों ने पटना में एक विशाल छात्र-जन-प्रदर्शन किया।'जे०पी० ने राजभवन तक इस जुलूस का नेतृत्व किया।'[3] कम्युनिस्टों के जुलूस के विपरीत इस प्रदर्शन को असफल करने की सरकार ने पूरी कोशिश की 'पटना में सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों द्वारा बड़े पैमाने पर गश्त शुरू किया गया, लगभग 100 गाड़ियों का एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस तरह एक आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गयी। पटना आने वाली बस तथा रेलगाड़ियों को रोका गया। प्रशासन द्वारा जुलूस का रास्ता बदल दिये जाने के कारण तीसरे पहर जुलूस निकला पर इस जुलूस में आंदोलन के जवाब में इससे दो दिन पहले निकाले गये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जुलूस से ज्यादा जनसमूह था।'[4] जे०पी० ने राज्यपाल को विधानसभा के विघटन के लिए जनता द्वारा किये गये हस्ताक्षरों का बण्डल दिया और विधान सभा के विघटन की मांग की। 6बजे शाम को गांधी मैदान में जे०पी० का भाषण होना था।'राजभवन से जिस समय प्रदर्शनकारी लौट रहे थे उन पर 'इन्दिरा ब्रिगेड' के कार्यालय से गोलियां चलायी गयी। इसमें एक दर्जन लोग घायल हुए

1-दिनमान 25जून,से 1जुलाई 1978 पेज32

2- जनयुग, 7जून, 1974

3- सर्चलाईट, 6जून, 1974

4— दिनमान, 25जून-1जुलाई, 1978 पेज 38

इस सम्बन्ध में 'इन्दिरा ब्रिगेड' के छह कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।'[1] 'इन्दिरा ब्रिगेड' का यह कार्यालय एक कांग्रेसी विधायक श्री फुलेना राय चला रहे थे। फुलेना राय को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोलीकांड की इस घटना के बाद श्री फुलेना राय को कांग्रेस दल से मुअत्तल कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डा0 शर्मा ने कह दिया कि 'इन्दिरा ब्रिगेड' से कांग्रेस का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 'छह अक्तूबर को पटना के गांधी मैदान में एक सभा में जे0पी0 ने बतलाया कि उनके पास फुलेना राय की वह चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री गफूर के नाम हजारी बाग जेल से लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि 'इन्दिरा ब्रिगेड' ने 5 जून को जो कुछ किया वह गफूर साहब के आदेश पर ही किया था। 7 अक्तूबर, को जे0पी0 ने पत्रकारों को उस पत्र की फोटो स्टेट कापी देकर कथन की पुष्टि भी कर दी।'[2]

5 जून, 1974 की शाम को गांधी मैदान की सभा में प्रदर्शन के बाद बोलते हुए जे0पी0 ने कहा —" हमें सम्पूर्ण क्रान्ति चाहिए इससे कम नहीं।'[3] प्रदर्शनकारियों को रोकने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा —"डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार है कि वह शान्तिपूर्ण प्रदर्शन और सभाओं में भाग ले........ शर्म आनी चाहिए उनको अपने व्यवहार पर।'[4] आगे का कार्यक्रम देते हुए उन्होंने कहा —'युनिवर्सिटी कालेज एक वर्ष बन्द रहेंगे...... परीक्षायें नहीं होंगी।..... सात तारीख से असेम्बली के चारों गेटों पर सत्याग्रह हो। हम लोग लेट जायेंगे हमारे ऊपर से चलकर मंत्री और एम0एल0ए0 जायें।"[5]

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 रामबहादुर राय(सम्पादक) पेज 9

2- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अवधकुमार गर्ग, पेज 5।

3- जेल से आलोक तक, ले0 अरुणकुमार जैन, पेज 90

4- सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए आवाहन, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 14

5- वही, पेज 30-41

'7जून से 12 जुलाई तक विधानसभा के दरवाजों में जे0पी0 के इस आह्वान पर 3407 सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारी दी।'[1] संघर्ष को तीव्र करने के लिए 10 हजार संघर्ष समितियाँ गठित की गयी। 26 जून को भारतीय लोकदल भी आन्दोलन में शामिल हो गया।'[2] आन्दोलन कारियों से जेलें भर गयीं। आन्दोलनकारियों ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जेलों के अन्दर भी सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। जेलों में आन्दोलनकारियों को प्रताड़ित किया गया। इसी क्रम में 'फुलवारी शरीफ कैम्प जेल' की घटना हुयी। '2जुलाई, 1974 को फुलवारी शरीफ कैम्प जेल में अधिकारियों ने जेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे सत्याग्रह के सम्बन्ध में 'सत्याग्रहियों को बुरी तरह मारा पीटा। छात्र नेता अश्विनी कुमार को लोहे की जलती हुयी छड़ से दाग दिया। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे प्रदेश में रोष फैल गया। सरकार को बाध्य होकर इस घटना की जाँच करवानी पड़ी, जेलर तथा सहायक जेलर का तत्काल तबादला कर दिया गया और 18 वार्डरों को मुअत्तल कर दिया गया।'[3] इस तरह की घटनाओं से सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा था।

जे0पी0विनोबा वार्ता :—

'अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ' के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जे0 पी0 विनोबा जी के पास पवनार पहुँचे। 'उनका उद्देश्य विनोबा जी से बातचीत करके बिहार आन्दोलन के लिए स्वीकृति प्राप्त करना था।'[4] 'सर्व सेवा संघ' में सर्वोदय कार्य-कर्ताओं के बिहार आन्दोलन में भाग लेने के प्रश्न को लेकर गतिरोध बना हुआ था। सर्व-

---

1- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन, ले0अजयकुमारगर्ग, पेज 56
2- आपातकालीन संघर्ष में बिहार, डा0विशुधन प्रसाद(संकलनकर्ता) पेज10
3- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोक, अजयकुमार गर्ग, पेज57-58
4- इण्डियन नेशन, 10जुलाई 1974 कालम 8

सेवा संघ के प्रबन्ध समिति के 21 सदस्य जे0पी0 के आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं और तीन सदस्य विरोध कर रहे हैं।'[1] पहले विनोबा जी भी सरकार विरोधी आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे परन्तु बाद में स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने स्वीकृति दे दी। 12 जुलाई 1974 को जे0पी0 की उपस्थिति में उन्होंने कहा 'बिहार आन्दोलन को क्रान्तिकारी कार्य मानकर जो सदस्य, प्रतिनिधि, लोकसेवक इस कार्य में जाना चाहें तो जायें पर वह सत्य, अहिंसा और संयम के व्रत का पालन करें।'[2] सर्वोदय कार्यकर्ताओं के आन्दोलन में सम्मिलित होने की स्वीकृति से बिहार आन्दोलन को बल मिला क्योंकि बिहार में 'सर्वोदय' की बहुत संस्थायें हैं और वहाँ पर सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में पर्याप्त कार्य किया है। ~~छात्रों द्वारा~~

छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थाओं एवं परीक्षाओं का बहिष्कार :—

3 जून, 1974 की सभा में जे0पी0 ने छात्रों से एक वर्ष के लिए शिक्षण संस्थाओं एवं परीक्षाओं का बहिष्कार करने की अपील की।' 1920-21 में गाँधी जी की इसी प्रकार की अपील पर बहुत से छात्रों ने शिक्षण संस्थायें छोड़ी थीं।[3] सरकार ने जे0पी0 की इस अपील को शक्ति परीक्षण का आधार बनाया। सरकार ने 15 जुलाई, 1974 से कालेज खोलने एवं परीक्षायें लेने की घोषणा की। इसके पीछे सरकारी मन्शा यह थी कि जो छात्र आन्दोलन में लगे हुए हैं, वे साल बरबाद होने के भय से कक्षाओं में चले जायेंगे और इससे आन्दोलन कमजोर हो जायेगा। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हेतु जे0पी0 ने 'सरकार पर टकराहट का आरोप लगाया।'[4]

---

1 - सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार,लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 222

2- दिनमान, 21जुलाई, 1974 पेज 16-18

3- समग्रता 6-12नवम्बर, 1977 पेज 9

4- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, अजयकुमार शर्मा, पेज60

'15 जुलाई, को प्रदेश भर में महाविद्यालयों को पुलिस की देख रेख में खोला गया। पूरे प्रदेश के अधिकांश छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।'[1] 'पटना विश्वविद्यालय और पटना कालेज में भी उपस्थिति नगण्य रही।'[2] 18 जुलाई, 1974 से रांची, भागलपुर, बिहार, मिथला इन चारों विश्वविद्यालयों में परीक्षायें शुरू करवायी गयीं। 'परीक्षाओं में छात्रों को नकल करने की पूरी छूट के साथ-साथ अतिरिक्त अंक देने का प्रलोभन भी दिया गया।'[3] 'सरकार परीक्षाओं में 60 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति का दावा कर रही थी। परन्तु स्थिति ठीक इसके विपरीत थी, बहुत प्रलोभनों के बाद भी 60 से 70 प्रतिशत तक छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया।'[4] '25 जुलाई, को पटना विश्वविद्यालय में इन्टरमीडियट की परीक्षायें आरम्भ हुईं। सैकड़ों छात्र परीक्षा-पुस्तिकाओं को फाड़कर परीक्षा भवन से बाहर चले गये। 25 जुलाई से ही पटना आदि स्थानों पर मेडिकल कालेज के छात्रों ने भी परीक्षा का बहिष्कार आरम्भ कर दिया।'[5]

परीक्षाओं के बहिष्कार के समय कहीं-कहीं पर छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष भी हुआ। 'बेगूसराय और जमालपुर में परीक्षाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों पर पुलिस ने गोलियाँ चलायीं। इसमें तीन छात्र मारे गये और कई घायल हुए।'[6] 'मुजफ्फरपुर में छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ।'[7]

1- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0 अवधकुमार गर्ग, पेज-63

2- इण्डियन नेशन, 18 जुलाई 1974 पेज3 कालम 3

3- दिनमान, 28 जुलाई, 1974, पेज 16

4- वही,

5- बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, अवधकुमार गर्ग, पेज 64

6- इण्डियन एक्सप्रेस, 19 जुलाई 1974 पेज1 कालम 6

7- इण्डियन नेशन 21 जुलाई, 1974 पेज1 कालम 2

पुलिस की इस दमनात्मक कार्यवाही से सरकार के विरूद्ध जनाक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आन्दोलन कारियों के प्रति जनता की सहानुभूति में वृद्धि होती गयी।

'एक अगस्त से बिहार में करबन्दी अभियान प्रारम्भ हो गया।'[1] राज्य के हर नगर एवं प्रखण्ड में आन्दोलनकारियों ने शराब की भट्ठियों पर धरना देना एवं सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। प्रारम्भ में सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सरकार का अनुमान था कि शराब की दुकानों के ठेकेदार, शराब पीने वाले और इस व्यवसाय में पलने वाले गुण्डे सत्याग्रहियों से निपट लेंगे परन्तु सरकार की यह मन्सा सफल नहीं हुई, इसलिए दमन का सहारा लेते हुए सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना एवं उनपर लाठीचार्ज आरम्भ कर दिया गया। सरकारी दमन के बाद भी 'पटना जैसे शहर में शराब की सात भट्ठियाँ बन्द हो गयीं। गिरफ्तारियों के बाद भी शराब की भट्ठियों पर धरना बन्द नहीं हुआ।'[2] इस सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा —' अब तक इस आन्दोलन के सिलसिले में सरकार को इस मद से 40 लाख से ऊपर की राजस्व की हानि हो चुकी है। केवल पटना में पाँच सौ से ऊपर गिरफ्तारियाँ हुयीं हैं--- इस जन आन्दोलन में युवकों को सन् 42 की पुनरावृत्ति नजर आती है। स्वतंत्रता संग्रामियों को गांधी युग लौटता हुआ नजर आता है क्योंकि उन्होंने गाँधी जी के कहने पर भट्ठियों के सामने सत्याग्रह किया था और जेल गये थे।'[3]

24 अगस्त, 1974 को जे0पी0 लखनऊ गये, वहाँ पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह (तत्कालीन भारतीय क्रान्तिदल के अध्यक्ष) से आन्दोलन के सम्बन्ध में विचार

1- सर्चलाइट, 1अगस्त 1974 पेज1कालम 3

2-बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, ले0अयोध्याप्रसाद गर्ग, पेज72

3- दिनमान, 22 सितम्बर, 1974 पेज 13-14

निर्णय किया। '31 अगस्त, 1974 को आन्दोलन समर्थक राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, मंत्रियों, सदस्यों एवं संचालन समिति के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पास करके उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय करने का भार जे0पी0 पर छोड़ दिया।'[1]

5 सितम्बर, 1974 को गया जिले के कुर्था प्रखण्ड में श्री जगदेव प्रसाद की पुलिस की गोली लगने से उस समय मृत्यु हो गयी जब वे कुर्था प्रखण्ड कार्यालय के सामने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। श्री जगदेव प्रसाद बिहार प्रदेश के हरिजनों एवं पिछड़े समूहों के प्रभावशाली नेता थे। बिहार के दो मंत्रिमण्डलों में मंत्री भी रह चुके थे। इस हत्या की बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुयी। इस गोलीकाण्ड के विरोध में शोषित दल के दो विधायकों श्री विनायक प्रसाद यादव एवं श्री अनूप लाल यादव ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। 7 सितम्बर को पटना के गाँधी मैदान की सभा में श्री जगदेव प्रसाद को श्रद्धान्जलि देते हुए जे0पी0 ने कहा —" मुझे एक मंत्री महोदय ने पत्र में लिखा था कि बिहार का वर्तमान आन्दोलन ऊँची जातियों का आन्दोलन है। मंत्री महोदय के उस पत्र का उत्तर जगदेव बाबू ने दे दिया है।"[2]

12 सितम्बर 1974 को जे0पी0 घटना स्थल का निरीक्षण करने स्वयं कुर्था गये और जगदेव बाबू की मृत्यु के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया।

इसीबीच पूरे बिहार में जे0पी0 की सभायें चल रहीं थी जिनमें अपार जनसमूह एकत्र होता था। धरना, सत्याग्रह, बहिष्कार के कार्यक्रम भी चलते रहे पुलिस का दमन पूर्ववत रहा।

1- दिनमान, 15 सितम्बर, 1974 पेज 18

2- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन, अवधकुमार गर्ग, पेज 82

बिहार विधानसभा के विघटन की माँग को केन्द्र सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। तत्कालीन गृहमंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने 3 सितम्बर, 1974 को राज्य सभा में बोलते हुए कहा —"बिहार विधान सभा को भंग नहीं किया जा सकता।...... गुजरात में जयप्रकाश जी नहीं है इसी से वहाँ का आन्दोलन सफल हुआ, बिहार में हैं इसी से वहाँ का आन्दोलन सफल नहीं हो रहा।"[1] बिहार का आन्दोलन में 1974 के अगस्त और सितम्बर महीनों का महत्व कस्बों में अध्ययन करने वाले छात्रों के सघन आन्दोलन के कारण है। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार का आन्दोलन हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रों के ही कारण से आगे बढ़ सका था। इसी समय इन्टरमीडिएट की परीक्षायें भी थीं। इन परीक्षाओं में छात्रों एवं सरकार के बीच टकराव हुआ। परीक्षा बहिष्कार आन्दोलन से बिहार आन्दोलन को छात्रों की सबसे बड़ी सेना प्राप्त हुई। आगे चलकर आन्दोलन को समाज के भीतर सम्भव दूरी तक ले जाने का क्रम यही छात्र बने। बिहार आन्दोलन के इस युवा-आधार पर आरम्भ से ही टिप्पणियाँ की जाती रही है। आन्दोलन के समर्थक समीक्षक जहाँ इसे आन्दोलन की शक्ति का मूल स्रोत कहते हैं वहीं बिहार आन्दोलन के विरोधियों ने इसे शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कहकर आन्दोलन की सीमायें रेखांकित की। वस्तुस्थिति यह है कि ये दोनों ही मूल्यांकन तथ्यों से परे और राजनैतिक पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं।

हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट में अध्ययन करने वाले कस्बों के छात्र अधिकांशतः गाँवों से आये निम्न मध्यम वर्ग के छात्र थे। आनुपातिक दृष्टि से बिहार आन्दोलन में इस वर्ग के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। छात्रों के इस आन्दोलन को शहरी

1-बिहार आन्दोलन : एक सिंहावलोकन, अजयकुमार गर्ग, पेज 8।

मध्यम वर्ग की निराशा और कुण्ठा का परिणाम बतलाते हुए उसे प्रतिक्रियावादी कहना भारतीय साम्यवादी दल का एक राजनैतिक पैंतरा मात्र था उसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं था। आन्दोलन के विकास में राजनैतिक दलों का सहयोग एवं जे0 पी0 के नेतृत्व में सर्वोदय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जैसी परिस्थितियाँ भी सहायक रहीं।

जे0पी0 ने देखा कि बिहार विधान सभा का विघटन केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि केन्द्र ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तब उन्होंने आन्दोलन को दिल्ली की ओर मोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार आन्दोलन के प्रति अपनी एकात्मकता प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक प्रदेश से कम से कम एक हजार लोग दिल्ली पहुँचें। और 2 अक्टूबर, को गाँधी जी की समाधि पर सामूहिक प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री को बिहार के सम्बन्ध में ज्ञापन दें। जे0पी0 ने अपने वक्तव्य में कहा —' बिहार का संघर्ष अब प्रादेशिक नहीं रह गया है। इसने अब देश व्यापी महत्व प्राप्त कर लिया है।... आज जबकि बिहार का संघर्ष एक निर्णायक दौर पर पहुँचनेवाला है और विशेषकर इस स्थिति में उसका मुकाबला बिहार की लड़खड़ाती सरकार से नहीं बल्कि स्वयं दिल्ली की सत्ता से होने वाला है, अन्य प्रदेशों के समर्थन का रूप भी ज्यादा निश्चित होना चाहिए और उसका रुख दिल्ली की ओर होना चाहिए।'[1] बाद में उस प्रदर्शन की तिथि ईरान के शाह के आगमन के कारण 6 अक्टूबर, 1974 कर दी गयी।

जे0पी0 का उपर्युक्त वक्तव्य बिहार आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इस वक्तव्य से बिहार आन्दोलन के केन्द्रोन्मुख होने के संकेत मिलने लगे थे।

1- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन, श्रवणकुमार गर्ग, पेज 87

27सितम्बर, 1974 को जे0पी0 ने 3 से 5 अक्तूबर तक सम्पूर्ण बिहार बन्द की घोषणा कर दी। इस बन्द को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता एवं कर्मचारियों से अपील की। इसमें सभी सरकारी कार्यालय, कोर्ट, रेलगाड़ियां दुकानें वाहन, शिक्षण संस्थायें बन्द रखनी थीं। अस्पताल, दवा की दुकानें, पानी, बिजली के संस्थान खुले रहने थे। रेलवे लाइनों पर शान्तिपूर्ण ढंग से धरना देने का भी उन्होंने निर्देश दिया। जनता से, आवश्यक वस्तुयें, पहले से खरीद लेने को कहा गया था। सत्याग्रहियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों में धरना देने का कार्यक्रम था।

अभूतपूर्व बिहार बन्द :—

3 से 5 अक्तूबर, 1974 के 'बिहार बन्द' को अभूतपूर्व सफलता मिली। सभी रेलगाड़ियां, सवारियां, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, दुकानें, शिक्षण संस्थायें, बैंक कचेहरियां, बन्द रहीं। शहरों में वीरानगी सी रही। '3-5 अक्तूबर का बन्द एक अनोखा और ऐतिहासिक बन्द कहा जायेगा।'[1] 'तीन दिन बिहार से गुजरते गुजरते कोई भी रेलगाड़ी आगे नहीं जा सकी।'[2] 3 अक्तूबर को जे0पी0 ने स्वयं 500 सत्याग्रहियों सहित एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए सचिवालय के सामने धरना दिया। अन्य स्थानों पर शान्तिपूर्ण धरना देने वाले आन्दोलनकारियों पर पुलिस ने शक्ति का प्रयोग किया जिसमें अनेक लोग आहत हुए।' 17 लोगों की जानें गयीं।'[3] डा0 शत्रुघ्न के अनुसार' इस बन्द के समय 2500 लोग गिरफ्तार हुए।'[4] 'इस सफलता से सरकार तिलमिला गयी।'[5] 'अमानुषिक हत्याकाण्ड सरकार ने किया।'

1-छात्रआन्दोलन से जनता सरकार तक-डा0अमरनाथ सिन्हा(सम्पादक) पेज 25

2- दिनमान, 13अक्तूबर, 1974 पेज15

3- वही,

4-आपातकालीन संघर्ष में बिहार, डा0शत्रुघ्न प्रसाद (संकलनकर्ता) पेज11

5-जेल से ब्लाक तक, प्रसिद्ध पत्रकार अजयकुमार जैन, ले0अजयकुमार जैन, पेज3।

केन्द्र सरकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जे0पी0 पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा —" ऐसा लगता है कि आन्दोलन की बागडोर जय प्रकाश नारायण के हाथ से निकल कर हिंसावादियों के हाथ में चली गयी है।"[1] इस आरोप का उत्तर देते हुए '6 अक्तूबर, 1974 को जे0पी0 ने 'गांधी मैदान (पटना) में' लगभग 5 लाख लोगों की सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि बन्द ने स्पष्ट दिखा दिया है कि राज्य की 90 प्रतिशत जनता बिहार की भ्रष्ट सरकार और उसकी विधान सभा को भंग कर देने के पक्ष में है। आन्दोलन को कुचल न पाने की वजह से सरकार यह बात फैलाने की कोशिश कर रही है आन्दोलन हिंसक हो गया है।"[2]

'6 अक्तूबर को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जिसमें जे0पी0 नहीं पहुंचे। जनता का मांगपत्र आचार्य कृपलानी तथा अन्य राजनैतिक नेताओं ने प्रधानमंत्री को पेश किया। यह बिहार आन्दोलन का एक उल्लेखनीय मोड़ और श्रीमती गांधी के केन्द्रीय नेतृत्व को पहली चेतावनी थी।'[3] 13 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक जे0पी0 ने दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों का तूफानी दौरा किया। अपनी सभाओं में बिहार आन्दोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया।'[4] जे0पी0 की सभाओं में अपार जन-समूह एकत्र होता था।' बिहार सरकार ने सर्वोदय नेता ठाकुरदास बंग, आचार्य राममूर्ति, नारायण देसाई और संसोपा नेता सरला भदौरिया को बिहार से चले जाने के आदेश जारी किये। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह विचित्र कार्यवाही थी, जो लोकतंत्र प्रक्रिया के मूल स्वतंत्रताओं का निषेध करती थी।' अक्तूबर में ही, पटना से प्रकाशित बिहार के

1- दिनमान, 19-25 नवम्बर, 1978 पेज 27

2- वही, 13 अक्तूबर, 1974, पेज 5

3- वही, 29 अक्तूबर, से 4 नवम्बर, 1978 पेज 27

4- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 238

प्रमुख समाचार पत्र 'प्रदीप' और 'सर्चलाइट' को सरकार ने सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर दिया। क्योंकि यह समाचार पत्र सरकार की आलोचना कर रहे थे।' प्रेस परिषद् ने सरकार के इस निर्णय की कड़ी निन्दा की।'[1]

'31 अक्तूबर, 1974 को जे0पी0 ने घोषणा की कि एक वर्ष के अन्दर बिहार जैसा आन्दोलन सम्पूर्ण देश में फैल जायेगा। नाना जी देशमुख को बिहार से निष्कासित कर दिया गया।'[2]

<u>4नवम्बर, 1974 का प्रदर्शन और जे0पी0 पर लाठीचार्ज :—</u>

एक नवम्बर, 1974 को जे0पी0 और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के बीच आन्दोलन के सम्बन्ध में 90 मिनट तक वार्ता हुयी। किन्तु इस वार्तालाप का कोई फल नहीं निकला' श्रीमती गाँधी बिहार विधान सभा को भंग करने के लिए तैयार नहीं थी और जयप्रकाश जी अपना संघर्ष बन्द करने के लिए तैयार नहीं हुए।'[3]

4 नवम्बर, 1974 को जे0पी0 ने पटना में एक विशाल प्रदर्शन करने एवं विधायकों को तथा मंत्रियों के घेराव करने की घोषणा की। इस प्रदर्शन का उद्देश्य मंत्रियों एवं विधायकों को त्यागपत्र दिलवाकर विधानसभा को भंग करवाना था। सरकार ने इस प्रदर्शन को असफल करने के लिए दमनात्मक कार्यवाही का सहारा लिया।' पूरे पटना शहर की घेरे बन्दी की गयी। आन्दोलनकारियों के पटना में प्रवेश को रोकने के लिए सी0आर0पी0 एवं पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। स्टीमर घाटों, बसटापों,

---

1- दिनमान, 19-25 नवम्बर, 1978 पेज 28

2- बिहार आन्दोलन वार्षिकी-जे0रामबहादुर राय (सम्पादक) 1974-75, पेज 75

3- जय प्रकाश एक जीवनी, जे0एलन और वेडीस्कार्ड (अनुवाद) पेज 353

रेलवे स्टेशनों पर धारा 144 लगा दी गयी। 3 नवम्बर, को पटना आने वाली 58 रेलगाड़ियों, सभी सरकारी और गैर सरकारी बसों, ट्रक, स्टीमर नावों आदि को बन्द कर दिया गया। सचिवालय, मंत्री एवं विधायकों के निवासों को बाँस-बल्लियों से घेर लिया गया।'[1] इतनी नाकेबन्दी और चौकसी के बाद भी 3 नवम्बर की रात्रि तक '50हजार से अधिक लोग पटना में प्रवेश कर गये।'[2] पटना में भी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया।'सत्याग्रहियों के लिए लगे तम्बुओं को पुलिस ने गिरा दिया।'[3] जे0पी0 ने कहा —' मुझे नहीं मालुम अंग्रेजों के राज्य में भी इस तरह की घेरेबन्दी न हुयी थी।[4]

4 नवम्बर, 1974 को जे0पी0 के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का विशाल जुलूस पटना में निकला। ये प्रदर्शनकारी मंत्रियों एवं विधायकों का उनके निवासों में घेराव कर उनसे त्यागपत्र की माँग करना चाहते थे। मार्ग में पुलिस ने कई अवरोध खड़े किये। जे0पी0 के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ते गये। पुलिस ने 'प्रदर्शनकारियों पर अश्रुगैस का प्रयोग करते हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया इसमें जे0पी0 घायल हो गये।'[5] घटना का विवरण देते हुए दिनमान' ने लिखा था 'जे0पी0 को चोट से बचाने के लिए नाना जी देशमुख व सर्वोदयी, समाजवादियों, स्वयं सेवकों ने घेरा डाल दिया। जे0पी0 चोट लगने से गिर पड़े थे इस समय पुलिस उन पर अश्रुगोले फेंकती रही। नाना जी के हाथों में जे0पी0 के बचाने में चोट आयी।'[6] इस

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारी लाल, पेज24।

2- सर्चलाइट, 4नवम्बर 1974 पेज 1 कालम 5

3- धर्मयुग 5-11जून, 1977 सम्पूर्णक्रान्ति अंक पेज 13

4-सिंहासन खाली करो, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 5

5-सर्चलाइट, 5नवम्बर, 1974 पेज1कालम2

6- दिनमान, 10नवम्बर, 1974 पेज 19-20

घटना के सम्बन्ध में जे0पी0 ने कहा 'अगर नाना जी देशमुख और हैदर अली तथा अन्य लोगों ने मुझे बचाने के लिए केन्द्रीय रक्षा पुलिस की लाठी का वार अपने पर झेल नहीं लिया होता तो उस दिन मेरी जान निकल जाती या मैं बुरी तरह घायल हो जाता।'[1] इस प्रकार इस प्रदर्शन में भारत के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्र भारत में मार खानी पड़ी और अपनी जिन्दगी को खतरे में डालना पड़ा। प्रदर्शन की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 'जुलूस के नियंत्रण के लिए एक हवाई जहाज ऊपर उड़ता रहा जो नियंत्रण कक्ष को जुलूस के रास्ते की सूचना देता रहा। मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण कक्ष में जुलूस की रोकथाम की कार्यवाही का संचालन करते रहे।'[2] इतनी लाठी चार्ज और अश्रुगैस के प्रयोग के बाद भी 'जुलूस विधायकों एवं मंत्रियों के निवास क्षेत्र में प्रवेश कर गया। आन्दोलनकारियों ने त्यागपत्र सम्बन्धी नारे लगाये।.... सरकार की सारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम सफल रहा।'[3] रात्रि के दस बजे आन्दोलनकारियों को सम्बोधित करते हुए जे0पी0 ने कहा—' आज जितनी फूहड़ बर्बरता, अपने लम्बे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में मैंने पहली बार देखी है। अब लड़ाई सीधे दिल्ली से है, जिसके लिए हमको एकजुट होना है।'[4] जे0पी0 पर लाठीचार्ज को लेकर संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीव्र वादविवाद हुआ। बिहार में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुयी '5नवम्बर को पटना बन्द और 6 नवम्बर को 'बिहार बन्द' का आयोजन किया गया — दोनों बन्द सफल रहे।'[5] विभिन्न संगठनों

1-बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज।5

2- दिनमान।0नवम्बर, 1974 पेज 19-20

3-सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाशनारायण, अवधबिहारीलाल, पेज 245-46

4-अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 103

5- सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 246

एवं राजनैतिक दलों ने इस घटना की तीव्र निन्दा की। बिहार आन्दोलन को दबाने के लिए सत्ता कांग्रेस ने यह नीति निर्धारित की कि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर बिहार आन्दोलन के विरोध में प्रत्यान्दोलन चलायें जिससे इस आन्दोलन को तोड़ा जा सके।

कम्युनिस्टों का प्रदर्शन :—

प्रत्यान्दोलन के क्रम में 11 नवम्बर 1974 को भारतीय कम्युनिस्टपार्टी की ओर से पटना में एक रैली का आयोजन किया गया। 'इस रैली को सरकारीसंरक्षण एवं समर्थन प्राप्त था।'[1] इस तथ्य को स्वीकार करते हुए सत्ता कांग्रेस के तत्कालीन सांसद एवं संसदीय दल के कार्यकारिणी के सदस्य श्री शंकर दयाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है —' सरकारी पैसे, सरकारी मदद और प्रभाव को लेकर जे0पी0 विरोधी सम्मेलनों का आयोजन हो रहा था।'[2] 'पटना की सड़कों पर कम्युनिस्टों का हथियार बन्द जुलूस निकला। प्रदर्शनकारियों ने कुछ लोगों को पीटा भी।'[3] प्रदर्शन की समाप्ति पर राजेश्वर राव ने बोलते हुए कहा —' उनकी पार्टी जे0पी0 के आन्दोलन का सामना करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगायेगी एवं कांग्रेस का सहयोग लेगी।'[4]

इस तरह के प्रदर्शनों का जनता पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहा था।

कांग्रेस का प्रदर्शन :—

प्रत्यान्दोलन योजना के क्रम में 16 नवम्बर 1974 को सत्ता कांग्रेस की ओर से पटना में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व तत्कालीन

1- सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अयोध्याबिहारीलाल, पेज 249
2-इमर्जेन्सी क्या सच क्या झूठ, ले0शंकरदयाल सिंह, पेज 15
3-दिनमान, 17नवम्बर, 1974 पेज 16
4- वही, पेज 16-17

कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरूआ ने किया। 'सरकारी सुविधाओं और प्रलोभनों के बाद भी इसमें प्रदर्शनकारियों की संख्या जे0पी0 के 4 नवम्बर के प्रदर्शन से कम रही।'[1] जुलूस में श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थन में और विधान सभा को बनाये रखने एवं जयप्रकाश के विरोध में नारे लगाये गये। बाद की सभा में बोलते हुए श्री बरूआ ने कहा —' सिर्फ सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण और उनके समर्थकों की इच्छा पर बिहार विधान सभा का विघटन नहीं होगा। इसी सभा में श्री जगजीवन राम ने कहा 'बिहार किसी भी हालत में गुजरात नहीं बनेगा।'[2]

इन प्रत्यान्दोलनों का 'बिहार आन्दोलन' को रोकने की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मात्र सरकारी प्रदर्शन होकर रह गये। 'श्रीमती गांधी ने अपने एक बयान में कहा —' कि संघर्ष का फैसला अगले चुनाव में होगा, गलियों और सड़कों में नहीं। '[3]

18 नवम्बर, 1974 को गांधी मैदान में जे0पी0 की एक विशाल सार्वजनिक सभा हुयी।' 11 और 16 नवम्बर को कम्युनिस्टों और कांग्रेस जनों की जो सभायें हुई थीं उनसे कई गुना अधिक भीड़ इस सभा में थी।'[4] इस सभा में जे0 पी0 ने कहा 'मुझे प्रधानमंत्री की चुनाव की चुनौती स्वीकार है। '[5] इसी सभा में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा —' बिहार की जनता ने गत 4 नवम्बर को अपनी शक्ति और बुद्धि का जो अद्भुत प्रदर्शन किया है वह ऐतिहासिक घटना है। '[6]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारीलाल, पेज 251-252

2- वही, पेज 252   3- वही, पेज 253

4- वही, पेज 252-253

5- सर्चलाइट, 19 नवम्बर, 1974 पेज1कालम 3

6- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 252-53

जे0पी0 द्वारा चुनाव की चुनौती स्वीकार किये जाने पर आन्दोलन में सम्मिलित निर्दलीय शक्तियों ने शंका व्यक्त की। इससे आन्दोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटक जायेगा और चुनावी राजनीति में उलझ कर रह जायेगा। इससे केवल उन्हीं दलगत शक्तियों को लाभ होगा जिनके चुनावों में अपने निहित स्वार्थ हैं। जे0पी0 की इस घोषणा के बाद आन्दोलन में सम्मिलित राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयत्न शुरू कर दिये हैं।

इस सम्बन्ध में शोधकर्ता को, जे0पी0 के निजी सचिव श्री अब्राहम ने साक्षात्कार के समय बतलाया कि जे0पी0 द्वारा चुनाव की चुनौती को इसलिए स्वीकार किया गया जिससे कि चुनाव के विकल्प को जीवित रखा जाये। श्रीमती गांधी को कोई ऐसा मौका न दिया जाय जिससे वह बहाना बनाकर चुनाव को ही टाल दें। जे0पी0 की यह आशंका निर्मूल नहीं थी जैसा कि आगे के घटनाक्रम से भी स्पष्ट है, इमर्जेन्सी के समय कुछ समय के लिए चुनाव टाल दिये गये थे।

बिहार की सरकार, केन्द्र के समर्थन के कारण शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनों से प्रभावित नहीं हो रही थी। इसलिए जे0पी0, लोकतंत्र के सबसे स्थूल प्रतीक चुनाव को ही एक अस्त्र के रूप में देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में जे0पी0 ने चुनाव की चुनौती को स्वीकार करना ही अधिक श्रेयस्कर समझा। उन्होंने चुनाव को आन्दोलन का तात्कालिक लक्ष्य बतलाया और कहा 'सम्पूर्ण क्रान्ति' आन्दोलन का दूरगामी लक्ष्य पूर्ववत् रहेगी।

'23 नवम्बर, 1974 को जे0पी0 ने दिल्ली में दो दिवसीय छात्र-युवा सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा सभी विरोधी दलों को मिलाकर एक दल बना लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन चलाने के लिए उन्होंने 21 सदस्यों की एक समन्वय समिति गठित करायी।'[1]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 256

28 नवम्बर, 1974 को दिल्ली से कुरुक्षेत्र (हरियाणा) जाते हुए करनाल के पास कुछ लोगों ने जे0पी0 की गाड़ी को घेर कर डंडों से प्रहार किया। इस घटना पर संसद के दोनों सदनों में उग्र बहस हुयी। लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव आया। राज्यसभा में जनसंघ के प्रकाश वीर और राजनारायण ने जे0पी0 को खत्म करने का आरोप लगाया।'[1] विपक्ष ने इस घटना की तीव्र निन्दा की।

4 दिसम्बर, 1974 से तनावपूर्ण वातावरण में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आरम्भ हुआ। 'छात्र आन्दोलन के समर्थन में अब तक 319 में से 38 विधायक त्यागपत्र दे चुके है। इनमें - जनसंघ के 24 में से 13, संसोपा के 17 में से 10, सापा के 11 में से 9, संगठन कांग्रेस 20 में से 3, सत्ता कांग्रेस 178 में से एक (श्री [illegible] प्रसाद सिन्हा) निर्दलीय 25 में से एक, स्वतंत्र - एक।'[2]

4 दिसम्बर से 4 जनवरी, 1974 तक विधान सभा की बैठकें चलीं। 'प्रतिदिन घेराव और धरना का कार्यक्रम चला। इस अवधि में लगभग 2 हजार सत्याग्रहियों ने घेराव और धरना में भाग लिया। इनमें 936 जेल भेजे गये, शेष को छोड़ दिया गया।'[3] '4 दिसम्बर, 1974 से जे0पी0 ने उत्तरी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य लोगों को सम्पूर्ण क्रान्ति के विचार को समझाना एवं संगठन तैयार करना था।'[4]

बिहार आन्दोलन में सरकार को काफी व्यय करना पड़ रहा था। 19 दिसम्बर 1974 को तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अपने एक वक्तव्य में कहा -' बिहार में केन्द्रीय पुलिस पर सवा दो अरब रुपये खर्च हुए हैं। सी0आर0

1- दिनमान, 8 दिसम्बर 1974 पेज 19
2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, पेज 26।
3- वही, 26।
4- वही, पेज 262,

एफ० और बी०एम०पी० द्वारा 17 स्थानों पर लाठी प्रहार एवं 12 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिनमें 14 मरे और 47 घायल हुए। 'छात्र संघर्ष समिति' ने कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या इससे बीसियों गुना अधिक है।'[1]

दिसम्बर में ही आन्दोलन की छवि को बिगाड़ने वाली एक घटना घटित हुयी। इस घटना से आन्दोलन का अन्तरविरोध प्रकट हुआ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलने वाले इस आन्दोलन में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला। समाचार पत्रों में छपा कि -'बिहार आन्दोलन में भ्रष्ट लोग सम्मिलित हैं। जे०पी० को इसकी जानकारी नहीं है। जे०पी० के हस्ताक्षरयुक्त कूपनों से आन्दोलन के लिए एकत्र किये गये 18 लाख रुपयों का कोई पता नहीं है।'[2] जे०पी० ने भी आन्दोलन के इस भ्रष्टाचार को स्वीकार किया।'[3] 25 दिसम्बर 1974 को बनारस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'संघर्ष के उद्देश्य से चन्दा एकत्र करने के लिए 27 लाख रुपये के कूपन मेरे हस्ताक्षर से जारी किये गये थे। जिनमें करीब 18 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। कुछ कूपनों में छपी हुयी संख्या के आगे शून्य बढ़ाकर रकम बढ़ा ली गयी है। मुझे जो थैलियां दी गयी हैं उनमें भी गोलमाल की खबरें मिली हैं।'[4]

26 दिसम्बर, 1974 को 'बिहार राज्य संघर्ष समिति' की संचालन समिति ने एक तीन सदस्यीय उपसमिति चन्दे के दुरुपयोग के जाँच के लिए नियुक्त की। इसमें 'सिद्धराज ढड्ढा, रामबहादुर राय एवं निखिलेश कुमार सिंह सम्मिलित थे।'[5] इस समिति की जाँच के पश्चात् 2 जनवरी 1975 को 'जे०पी० द्वारा पुराने कूपन निरस्त कर दिये गये।'

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, रामबहादुर राय(सम्पादक) 1974-75, पेज 38

2- इण्डियन नेशन 25 दिसम्बर, 1974 पेज।पटना।

3- इण्डियन एक्सप्रेस 25, 26 दिसम्बर, 1974 पेज।

4- दिनमान 5 जनवरी, 1975

5- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, डॉ० अमरनाथ मिश्रा(सम्पादक) पेज 64

'दिनमान' ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'बिहार आन्दोलन के नेता अपने अन्दर के भ्रष्टाचार के प्रति सजग हैं। इसे जनता के सामने लाना वह अपनी प्रतिष्ठा की हानि नहीं मानते। किन्तु इससे विरोधियों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि आन्दोलन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 30 दिसम्बर को मुख्यमंत्री - श्री अब्दुल गफूर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वह आन्दोलन के अन्दर के बहुत भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में वे बहुत पहले से जानते हैं। इससे आन्दोलन की छवि बिगड़ी है।'[1]

इस घटना का आन्दोलन के पक्ष में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे विरोधियों को आन्दोलन की आलोचना करने का भी अवसर मिला।

ललित नारायण हत्याकाण्ड :-

2 जनवरी, 1975 की संध्या को, समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन के अवसर पर बिहार के केन्द्रीय रेलवे मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र बम विस्फोट होने से घायल हो गये। दूसरे दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी।

'सत्ता पक्ष एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस हत्याकाण्ड का सम्बन्ध बिहार आन्दोलन से जोड़ा।'[2] इसका प्रतिवाद करते हुए जे०पी० ने कहा कि 'श्री मिश्र की हत्या से आन्दोलन का कोई सम्बन्ध नहीं है।'[3] उन्होंने श्री मिश्र की हत्या पर शोक व्यक्त किया। बाद में श्री मिश्र की हत्या की जाँच सी०बी०आई० को सौंप दी गयी।

1- दिनमान, 5 जनवरी, 1975

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 267

3- वही, पेज 268-69

'21 जनवरी से 26 जनवरी तक जे०पी० ने अपने जनआन्दोलन के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से बम्बई और पूना की यात्रा की। 26 जनवरी को बिहार जन संघर्ष सहायक समिति' बम्बई ने उन्हें साढ़े सात लाख रुपये की थैली बम्बई के नागरिकों की ओर से भेंट की।'[1] '27 जनवरी 1975 को विपक्षी दलों के नेताओं से जे०पी० ने दिल्ली में वार्ता की।'[2]

जे०पी० के आन्दोलन के विरोध में स्थान-स्थान पर सत्ता कांग्रेस द्वारा सरकारी संरक्षण में रैलियों का आयोजन किया जा रहा था। बनारस में आयोजित ऐसी ही एक रैली के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए दैनिक समाचार पत्र 'आज' ने लिखा था 'कांग्रेस जनों को आत्मचिन्तन करना चाहिए कि उन्होंने इस रैली से क्या पाया?.... यदि विरोधी दलों के मन में हड़ताल या आतंक उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य था तो क्या कांग्रेस को इसमें सफलता मिली? इस रैली से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि विरोधी दल ऐसी या इससे बड़ी रैली नहीं कर सकते।......... रैली रूपी सभा में कांग्रेसी स्वयं सेवकों का प्रबन्ध और व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। इसका प्रभाव अच्छा नहीं हुआ, भीड़ के हर सदस्य को इस बात का पग-पग पर अनुभव होता रहा कि हमारा संरक्षण पुलिस कर रही है।.... पुलिस की उपस्थिति से हड़ताल ज्यादा पैदा होती है।.... वाराणसी की सड़कों और गलियों तक में चलने वाली पीपुलिस वालों ने परेशान किया। यह कांग्रेस के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है।'[3]

सरकारी संरक्षण में होने वाली इस प्रकार की रैलियों का विपरीत प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा था।

1- धर्मयुग, 9 फरवरी, 1975 पेज 5

2- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, रामबहादुर राय (सम्पादक) 1974-75 पेज 80

3- आज, 10 फरवरी, 1975

जे0पी0 ने घोषणा की कि 6 मार्च 1975 को दिल्ली में संसद के सामने एक विशाल जनप्रदर्शन किया जायेगा और लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्षों को जनता की ओर से एक मांगपत्र समर्पित किया जायेगा। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के उद्देश्य से जे0पी0 ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का सघन दौरा प्रारम्भ किया। '28 जनवरी फरवरी 1975 को आगरा की एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा —' बिहार के चुनाव में कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी स्थान नहीं मिलेगा यह बात दूसरी है कि वे अपना विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं। बुलन्दशहर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल आदि जिलों में जहाँ भी वे गये, उनकी सभाओं में अपार जनसमूह एकत्र हुआ।'[1]

<u>मोहन धारिया का त्यागपत्र :-</u>

सत्तादल के युवा तुर्क नेता जे0पी0 के आन्दोलन को काफी गम्भीरता से ले रहे थे और आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। 'जे0पी0 चन्द्रशेखर की अध्यक्षता के यहाँ 60 सांसदों से आन्दोलन के सम्बन्ध में पहले भी मिल चुके थे। इन मुलाकात का आयोजन श्री चन्द्रशेखर जी ने किया था। इसे सत्तारूढ़ दल ने पसन्द नहीं किया।'[2] युवा तुर्क नेताओं का विचार था कि आन्दोलन के सम्बन्ध में जे0पी0 से बातचीत की जानी चाहिए आन्दोलन में जिन समस्याओं को उठाया गया है उनके सम्बन्ध में बातचीत करके सहमति के आधार पर कोई समाधान निकाला जाना चाहिए।

अहमदाबाद के 'हेरल्ड लास्की इन्स्टीट्यूट' में भाषण देते हुए युवा तुर्क नेता एवं केन्द्रीय आवास एवं निर्माण राज्यमंत्री श्री मोहन धारिया ने जे0पी0 के आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा —' मैं ऐसी विचारधारा को मानने को तैयार नहीं हूँ जो प्रतिपक्ष या विरोधी नेताओं से बातचीत का दरवाजा यह कह कर बन्द करती है कि वे

1—सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अयोध्याबिहारीलाल, पेज 273

2— वही: पेज 255

राष्ट्रविरोधी है।"[1] श्रीमती गाँधी के लिए यह वक्तव्य एक चुनौती था क्योंकि वे कहती आ रही थी कि प्रतिपक्षी दलों और उनके नेताओं ने अपने स्वार्थी हित के लिए राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण अपना लिया है। 2 मार्च 1975 को श्रीमती गाँधी ने बिहार आन्दोलन का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के कारण राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्री मोहन धारिया को मंत्रिमण्डल से मुक्त करने की सिफारिश की। 'जे0पी0 के आन्दोलन के समर्थन के कारण मोहन धारिया को मंत्रिमण्डल से हटा दिया गया।'[2] मोहन धारिया के त्यागपत्र के बाद युवातुर्क नेताओं ने सशक्त रूप से अपना असन्तोष प्रकट करना आरम्भ कर दिया। इससे आन्दोलन को शक्ति मिली। जे0पी0 के समर्थन में कांग्रेस से अलग होकर इन युवा तुर्क नेताओं ने आगे भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन युवा तुर्क नेताओं का सहयोग प्राप्त करने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है।

<u>दिल्ली का जन-प्रदर्शन :—</u>

6 मार्च, 1975 को जे0पी0 के नेतृत्व में दिल्ली में एक विशाल जनप्रदर्शन हुआ। 'इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया।'[3] यह एक अलोकतांत्रिक कदम था क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने एवं देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार नागरिकों को है। अवरोधों के बाद भी '5-6 लाख लोगों का जुलूस दिल्ली में निकला।'[4] 'स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा जुलूस दिल्ली में पहली बार निकला।'[5] यह प्रदर्शन लाल किले से प्रारम्भ होकर बोट क्लब में जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे थे 'बिहार आन्दोलन जारी है, अब दिल्ली की बारी है।' जे0पी0 के आन्दोलन पर आरोप लगाया जाता था कि यह एक शहरी और

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अयोध्यादास लाल, पेज 278

2- दिनमान, 19 मार्च, 1975 पेज 19

3- धर्मयुग, 30 मार्च, 1975 पेज 3 4- धर्मयुग, 30 मार्च, 1975 पेज 3

5- दिनमान, 16 मार्च, 1975 पेज 24-25

कस्बाई लोगों का आन्दोलन है। इस प्रदर्शन ने इस आरोप को असत्य सिद्ध कर दिया क्योंकि इसमें '70 प्रतिशत प्रदर्शनकारी ग्रामीण थे।'[1] इस प्रदर्शन में सभी राजनैतिक दल अपने भेदभाव भुलाकर जे0पी0 के नेतृत्व में काम कर रहे थे। विरोधी दलों की यह एकता जे0पी0 की एक बड़ी उपलब्धि थी। 9 मार्च 1975 को बी0बी0सी0 लन्दन ने कहा भी था कि "जयप्रकाश नारायण वह ताकत रखते हैं जो सभी गैर कम्युनिस्ट विरोधी दलों को एकत्र कर सकें।"[2] प्रदर्शन के बाद जे0पी0 ने लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों को जनता की ओर से माँग पत्र दिया। इस माँग पत्र में विभिन्न माँगें थीं। माँग पत्र निम्नवत है :—

जनता का माँगपत्र

हम भारत के नागरिक बिहार की जनता के संघर्ष के प्रति जो पूरे देश की भावनाओं का प्रतीक बन गया है, एकात्मकता जाहिर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे समय में जब सार्वजनिक जीवन और सुशासन के बुनियादी सिद्धान्त भुलाये जा रहे हैं, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपना विरोध जाहिर करें। हमारा आज का यह अभियान न्याय की प्राप्ति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

हम समाज में वह सम्पूर्ण क्रान्ति लाने के लिए कृतसंकल्प हैं जो गाँधीवादी दृष्टि के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक समानता, वास्तविक लोकतंत्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नयी व्यवस्था का निर्माण करेगी।

अपने संजोये गये इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम निम्नलिखित अत्यावश्यक माँगों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं —

1- धर्मयुग 30 मार्च, 1975 पेज 3
2- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, रामबहादुर राय(सम्पादक) 1974-75 पेज 82

2- ~~[illegible]~~

बिहार और गुजरात में चुनाव :—

बिहार विधान सभा ने राज्य के लोगों का विश्वास खो दिया है। विधान सभा जनता के सम्पर्क में आने से भय खाती है। उसने अपने आपको अवरोधों और संगीनों के घेरे में बन्द कर लिया है। वह एक लम्बे अरसे से जनता की धड़कनों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वह एक ऐसी सरकार का समर्थन करती है जिसने राज्य में कुशासन कायम कर रखा है और जनता के चिरस्थापित अधिकारों को पैरों तले रौंद डाला है।

कुशासन और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के बजाय बिहार विधान सभा भी उसमें भागीदार बन गयी है। राजनीतिक प्रभु, जनता, लम्बे अरसे से उस कानूनी प्रभु की बर्खास्तगी की मांग कर रही है जिसने अनुचित रूप से सत्ता अधिकृत कर रखी है।

गुजरात में एक साल पहले जन आंदोलन के द्वारा राज्य सरकार को अपदस्थ कर विधान सभा भंग करायी गयी, पर वहां अभी तक स्वतंत्र चुनाव कराने का आदेश नहीं हुआ है। इसीलिए हमारी पहली मांग यह है कि तुरन्त बिहार सरकार बर्खास्त की जाये और विधान सभा भंग की जाये तथा शीघ्र बिहार और गुजरात में चुनाव कराने के आदेश जारी किये जायें।

जनता के सामाजिक आर्थिक अधिकार :—

सरकार की विनाशकारी नीतियों का परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया है और दूसरी ओर गरीबी बढ़ी है, [illegible] कीमतें आसमान छूने लगी हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं का अभाव कमजोर तबके के लोगों की जिन्दगी का एक स्थायी अंग बन गया है। लगभग 60 फीसदी लोग आधा पेट खाकर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या में भयानक

गति से वृद्धि हो रही है। सामाजिक विषमतायें बढ़ती जा रही हैं।

लोगों के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा का अविलम्ब प्रबन्ध आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठायें जायें :

(1) समाज के कमजोर तबके, खासकर आबादी के 60 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकता की चीजें उस दाम पर उपलब्ध करायी जायें, जो उनकी सामर्थ्य के भीतर हो।

(2) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उनकी लागत से संबंधित हों। साथ ही कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के बीच समुचित सन्तुलन हो। मूल्यों में स्थिरता लायी जाये और मूल्यवृद्धि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की रफ्तार से अधिक न हो।

(3) सबको आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मजदूरी और आमदनी का आश्वासन मिले।

(4) आर्थिक विषमतायें इतनी कम कर दी जायें कि वे एक और दस के अनुपात की समुचित मर्यादा के अन्दर आ जायें।

(5) ऐसे कारगर भूमि सुधार किये जायें जिनके परिणाम स्वरूप भूमि का समतामूलक पुनर्वितरण सुनिश्चित हो, 'जो जोते जमीन उसकी' के सिद्धान्त के आधार पर स्वामित्व सुरक्षित हो, भूमिहीनों को बासगीत की जमीन मिले तथा खेतिहर मजदूरों को समुचित मजदूरी सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो। उसका एक हिस्सा उसे अनाज के रूप में दिया जाये।

(6) सब लोगों को पूर्ण रोजगार का आश्वासन मिले। इसके लिए उपयुक्त तकनीक के प्रयोग द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। इसी प्रकार औद्योगीकरण के कार्यक्रम ऐसी तकनीकों पर आधारित किये जायें जिनमें मानव शक्ति का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हो सके।

(7) राष्ट्रीय मितव्ययिता पर आधारित शासनतंत्र का निर्माण इस सम्बन्ध में विशेष निर्धारित के तौर पर किया जाये। इसमें विलास की वस्तुओं के आयात तथा देश में उनके निर्माण पर रोक लगायी जाये।

लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता :—

संविधान की भावना के विरुद्ध सरकार ने राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति कायम कर रखी है। विधि के शासन का स्थान आन्तरिक सुरक्षा कानून(मीसा), भारत रक्षा कानून(डी0आई0आर0) तथा अध्यादेशों के शासन ने ले लिया है। बहुसंख्यक लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जनता के वैध एवं शान्तिपूर्ण संघर्ष को केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस द्वारा दबाया जा रहा है। लोकतंत्र के तत्व की पुनःस्थापना, सुरक्षा एवं विस्तार के लिए हम मांग करते हैं कि —

(1) आपातकालीन स्थिति तथा मीसा, डी0आई0आर0 और नागरिक स्वतंत्रताओं के विरोध में काम करने वाले अन्य कानूनों को अविलम्ब वापस लिया जाये।

(2) स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को सारे राजनीतिक और ट्रेड यूनियन सम्बन्धी अधिकार दिये जायें।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों और कर्मचारियों को सारे राजनीतिक, और ट्रेड यूनियन सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये जायें।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव :—

यह अत्यन्त आवश्यक है कि संसद और विधान सभायें जन-आकांक्षाओं के अधिक अनुकूल बनें। चुनावों को सरकारी मशीनरी, धनशक्ति और बल प्रयोग से प्रभावित न होने दिया जाये। अतः हमारा आग्रह है कि —

(1) संयुक्त चुनाव सुधार संसदीय समिति, जिसमें शासक दल के सदस्य भी शामिल हैं, की सर्वसम्मत सिफारिशें अविलम्ब कार्यान्वित की जायें।

(2) चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद सरकार को महत्वपूर्ण नीति-वक्तव्य देने, परियोजनाओं को मंजूरी देने, शिलान्यास करने और मतदाताओं को लुभा सकने वाले अन्य ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा करने की इजाजत न हो।

(3) चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बने जिसमें आदिकदार चरित्र वाले व्यक्ति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज रहें। उनका चयन एक बोर्ड के जरिये किया जाये, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विरोधी दल के नेता या विरोधी दल के ऐसे प्रतिनिधि हों जो सर्वमान्य हों, रहें।

(4) राजनीतिक दलों के लिए चुनाव खर्च का विवरण देना अनिवार्य हो। विवरण में वे सारे खर्च शामिल किये जायें जो दलों द्वारा अलग-अलग उम्मीदवारों और सामान्य दलीय कार्यक्रमों पर किये गये हों।

(5) शासक दल के लिए रेडियो, टेलिविजन, सरकारी वाहनों, हवाई जहाज तथा अन्य सरकारी साधनों का दलीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल निषिद्ध होना चाहिए। विरोधी दलों के साथ बराबरी की शर्तों पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

(6) मतदान के एक सप्ताह पहले पूरे चुनाव तक शराबबन्दी लागू की जाये।

(7) मतदान के लिए अनिवार्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल में आ रही गाड़ियों को छोड़कर निजी मोटर गाड़ियों सहित तमाम सवारी गाड़ियों का चलना रोक दिया जाये।

(8) मतगणना हर मतदान केन्द्र पर हो, मतदान के तुरन्त बाद ही चुनाव केन्द्र के मतपत्रों का हिसाब जाहिर कर दिया जाये और तीन या चार मतपेटियों की जगह सर्फ एक ही मतपेटी हर मतदान केन्द्र को उपलब्ध रहे। परन्तु आकस्मिक स्थिति के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध रखा जाये।

(9) हर मतदान केन्द्र पर, कुल मिलाकर जितने मतपत्र डाले गये हों, या जिनका किसी दूसरी तरह से इस्तेमाल किया गया हो, उनका हिसाब चुनाव लड़ने वाले सभी दलों के उम्मीदवारों के एजेन्टों को आवश्य उपलब्ध कराया जाये, जिसमें प्रथम और अन्तिम मतपत्रों की संख्या शामिल हो।

(10) मतदान करने की उम्र घटाकर 18 वर्ष की जाये।

(11) प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का समावेश संविधान में किया जाय।

<u>राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण :-</u>

सत्ता के बढ़ते हुए केन्द्रीकरण तथा सरकार द्वारा लोकतंत्र को समूल नष्ट करने की कोशिश को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक स्वशासन के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण और ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, राज्यों और केन्द्र के बीच उसके प्रभावोत्पादक रूप से वितरण की संवैधानिक गारंटी आवश्यक है।

<u>शिक्षा सुधार :-</u>

(1) शिक्षा इस अर्थ में निहित आदर्शों के अनुकूल समाज के निर्माण का माध्यम बने और वह पश्चिमीकरण से अलग आधुनिकीकरण का साधन हो।

(2) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा के गुण एवं तत्व के विकास के लिए कारगर कदम उठाये जायें। मौजूदा ढांचे में प्रत्येक स्तर पर सुधार किया जाय।

(3) माध्यमिक स्तर से शिक्षा को जीविकोन्मुख बनाया जाये, जिसके साथ आर्थिक योजना की एक ऐसी प्रणाली हो जो रोजगार की गारण्टी दे। शिक्षण संबंधी नौकरियों को छोड़कर अन्य नौकरियों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक न रहे।

(4) पांच वर्षों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के सार्वत्रिक प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

(5) शिक्षण संस्थाओं में सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगायी जाये। उन संस्थाओं का प्रबन्ध साधारणतः उनके शिक्षकों को सौंपा जाये और उसमें लोकतांत्रिक ढंग से छात्रों की भागीदारी हो।

<u>राजनीतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन :-</u>

भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक जीवन के प्राणतत्वों को खाये जा रहा है। इसके कारण विकास की प्रक्रिया छिन्न-भिन्न हो रही है, प्रशासन कमजोर बन रहा है तथा नियम-कानून का मखौल हो रहा है। साथ ही इससे जनता का विश्वास नष्ट हो

रहा है और अब लोक प्रतिष्ठा धीरे समाप्त हुआ जा रहा है। जनजीवन को भ्रष्टाचार के कैंसर से मुक्त करने के लिए हमारी मांग है कि —

(1) उच्चाधिकार युक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना हो और उन्हें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित उच्च पदस्थ व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की जांच करने का अधिकार हो। ऐसे मामलों में जहां भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हो चुकी हो, दोषी पाये गये व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से मुकदमा चलाया जाये। सभी मामलों में जांच-रपट अवश्य प्रकाशित करायी जाये।

(2) संथानम कमेटी की भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्बन्धी सिफारिशें लागू की जायें। यह सन्देह होने पर कि मामला प्रत्यक्ष रूप से जांच के योग्य है या नहीं, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा या जहां कार्यपालिका से स्वतंत्र और पर्याप्त अधिकारों से युक्त न्यायाधिकरण हों ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा किया जाये।

(3) एक ऐसा कानून बनाया जाये जिसके अनुसार सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए पद -ग्रहण करने के तुरन्त बाद और तत्पश्चात समय-समय पर अपनी सम्पत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो।"[1]

इस प्रदर्शन से आन्दोलन का रूख दिल्ली की ओर हो गया और बिहार आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन में परिवर्तित होने लगा। डा० लक्ष्मीनारायण लाल के अनुसार ' 6 मार्च के दिल्ली प्रदर्शन को अभूतपूर्व सफलता मिली।'[2]

18 मार्च, 1975 को बिहार आन्दोलन की पहली वर्षगांठ मनायी गयी। इस उपलक्ष्य में 'पटना में जे०पी० के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला।' 2 अप्रैल 1975 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में जे०पी० का भाषण होना था किन्तु 'अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जे०पी० पर हिंसक प्रहार एवं पथराव शुरू कर दिया।'

1- जनता का मांग-पत्र मूल प्रतिलिपि।

2- आंदोलन से युवक तक, डा०लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 26

जिससे जे0पी0 का भाषण न हो सका।'जे0पी0 पर प्रहार के प्रसंग को लेकर लोकसभा में' कलह हुई। विरोध स्वरूप प्रतिपक्षी सदस्य बहिर्गमन कर गये।'[1] '6 अप्रैल 1975 को बिहार बन्द का आयोजन किया गया।'[2] बिहार बन्द सफल रहा। इस बन्द की सफलता के सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा ' शहर की सारी दुकानें बन्द थीं।पथ परिवहन निगम की बसें सवारियों को नहीं बल्कि गश्त लगाती हुयी पुलिस को नगर भ्रमण करा रही थीं।'[3] '6 अप्रैल को श्री अब्दुल गफूर को हटाकर स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के भाई डा0 जगन्नाथ मिश्र को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया।'[4]

गुजरात का चुनाव :—

7 अप्रैल 1975 को श्री मोरार जी देसाई ने बाह्य आपातस्थिति को हटाने एवं मांग गुजरात विधान सभा का चुनाव कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन आरम्भ कर दिया।बाह्य आपात की घोषणा बंगला देश के युद्ध के समय से निरन्तर चली आ रही थी।'जे0पी0 ने राष्ट्र से श्री देसाई के समर्थन की अपील की।'[5] 9 अप्रैल 1975 को बिहार में 'श्री मोरार जी की सहानुभूति में विभिन्न स्थानों पर अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।'[6] श्री देसाई के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर श्रीमती गांधी ने गुजरात के चुनाव की मांग को स्वीकार कर लिया।'13 अप्रैल 1975 को जे0पी0 ने श्री मोरार जी भाई देसाई को शर्बत का गिलास देकर अनशन तुड़वाया।बाह्य आपात काल समाप्त करने की मांग को श्रीमती गांधी ने नहीं माना परन्तु यह आश्वासन दिया कि बाह्य आपातकाल के नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा।'

1-बिहार आन्दोलन वार्षिकी,डा0रामबहादुर राय(सम्पादक) 1974-75, पेज 84
2-इण्डियन नेशन, 6 अप्रैल, 1975, पेज1कालम 4
3-दिनमान 13अप्रैल, 1975 पेज 15-16 ~~4-सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायकजयप्रकाश, 284~~
4- वही, 15-16, 5—सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायकजयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, 284
6-छात्रआन्दोलन से जनतासरकार तक, डा0अमरनाथसिन्हा(सम्पा0) पेज 69

जे0पी0 चाहते थे कि गुजरात के चुनाव में विरोधी दलों के मतों को विभाजित होने से बचाया जाये। 'इसके लिए उन्होंने गुजरात में प्रतिपक्षी दलों का 'जनता मोर्चा' गठित करवाया।'[1] 'गुजरात के 'जनता मोर्चा' में संगठन कांग्रेस, जनसंघ स्वतंत्र और भारतीय लोकदल सम्मिलित है।'[2] चुनाव चिन्ह के प्रश्न को लेकर 'जनता मोर्चा' में गतिरोध पैदा हो गया और विघटन की स्थिति आ गयी। जे0पी0 ने गुजरात में पहुंचकर स्थिति संभाली और नवनिर्मित 'जनता मोर्चा' को विघटित होने से बचाया। जे0पी0 ने प्रतिपक्षी दलों पर एक ही चुनाव चिन्ह अपनाने पर जोर नहीं डाला क्योंकि संगठन कांग्रेस अपनी पहचान बनाये रखना चाहता था।'[3] जनता मोर्चा' ने 182 सीटों में से 176 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े किये।

कलकत्ता में सम्पूर्ण क्रान्ति दिवस :—

2 अप्रैल, 1975 को जे0पी0 कलकत्ता में अपना भाषण नहीं दे पाये थे अतः आन्दोलन समर्थक विपक्षी दलों ने उनके नेतृत्व में 5 जून, 1975 को 'सम्पूर्ण क्रान्ति दिवस' के अवसर पर कलकत्ता में एक विशाल जनप्रदर्शन का आयोजन किया। 'जे0पी0 के नेतृत्व में एक विशाल जनप्रदर्शन हुआ। प0बंगाल के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विशाल जुलूस था। जुलूस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी आदि राजनीतिक दलों के नेता एवं समर्थक कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी पार्टी के झण्डे में चल रहे थे। ..... इसमें चार लाख से अधिक लोग थे। विशाल जन-समूह को सम्बोधित करते हुए जे0पी0 ने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के लिए लोगों का आह्वान किया।' इन आयोजनों से विपक्षी दल एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा था।

1-सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 286
2-दिनमान, 8 जून, 1975, 3— दिनमान, 11 मई 1975 पेज 21

'जे0पी0 ने जनता मोर्चे के पक्ष में गुजरात की चुनाव सभाओं में भाग लिया। उन्होंने जनता से 'जनता मोर्चे' को अपना मत देने की अपील की।'[1] 12जून, 1975 को गुजरात के चुनाव परिणाम सामने आये। उसमें 'जनता मोर्चे' को भारी सफ- लता मिली। कुल 182 स्थानों में से जनता मोर्चे को 86, सत्ता कांग्रेस को 75 शेष स्थान अन्य को प्राप्त हुए। अन्य सदस्यों के समर्थन से 17 जून, 1975 को श्री बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में 'जनता मोर्चा' का मंत्रिमण्डल गठित हुआ।

जनता मोर्चे' की सफलता पर 'राष्ट्रव्यापी बदल की एक प्रयोगशाला' शीर्षक के अन्तर्गत 'दिनमान' ने टिप्पणी करते हुए लिखा –'जनता मोर्चे की सफलता ने यह तो सिद्ध ही कर दिया है कि गैर कांग्रेसी मतों को विभाजित होने से बचाया जा सकता है---- जनता मोर्चे की सफलता राष्ट्रीय स्तर पर 'सत्तारूढ़ दल का एक प्रभावशाली विकल्प तैयार करने में मदद दे सकता है।'[2] आगे की भारतीय राजनीति में जे0पी0 के प्रयत्नों से 'जनता पार्टी' के रूप में यह विकल्प सामने आया।

जे0पी0 ने 'जनता मोर्चे' के माध्यम से विपक्षी दलों की एकता का चुनावी क्षेत्र में सफल प्रयोग गुजरात में किया। विपक्ष को मिलने वाले मतों को विभाजित होने से बचाकर आशातीत परिणाम प्राप्त किये। इस सफलता से विपक्षी दलों में एक नया आत्म विश्वास पैदा हुआ। 'जनता पार्टी' के निर्माण की प्रक्रिया में गुजरात में विपक्षी दलों की एकता एवं उनकी चुनावी सफलता एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके परि- णामस्वरूप आगे चलकर 'जनता पार्टी' का निर्माण सम्भव हो सका। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि गुजरात में 'विपक्षी दलों' की एकता स्थापना तथा उनकी चुनावी सफलता में जे0पी0 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार, लोकनायक जयप्रकाश, डा0अयोध्यानाथ तिवारी, पेज 287-88

2- दिनमान, 22जून, 1975, पेज 21

राजनीति के अध्येताओं के लिए एक प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण रहा है कि जे०पी० आन्दोलन में क्यों आये? गुजरात और बिहार का छात्र आन्दोलन तो उनकी पृष्ठभूमि में है ही पर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो कि जे०पी० के क्रान्तिकारी मन को उद्वेलित कर रहे थे। इनका भी हाथ जे०पी० को आन्दोलन में सम्मिलित कराने में रहा। परम्परागत संगठित राजनीति से सन्यास लेने के बाद भी जे०पी० भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों को भूले नहीं थे। बिहार के सर्वोदय आंदोलन के अपने प्रयोगों के समय, बाद में जब उन्हें सर्वोदय की तकनीक से उकताहट हुयी तो ये विसंगतियाँ उनकी आँखों में और भी अधिक खटकने लगीं। जे०पी० ने यह देख लिया था कि समाज के भीतर इतनी और इतनी तरह की विषमता है कि सर्वोदय के समन्वय के सिद्धान्त के आधार पर इसका निदान कर पाना मुश्किल है तब उनकी दृष्टि लोकतंत्र की पद्धति में उन सुधारों पर केन्द्रित हो गयी जिससे उसकी विसंगतियों को दूर किया जा सके। शक्ति के केन्द्रीकरण को जे०पी० तानाशाही की ओर जाने का रास्ता मानते थे। इस उधेड़ बुन के समय, गुजरात आन्दोलन हुआ और छात्र शक्ति के प्रति उनमें विश्वास नये सिरे से भर गया। बिहार आन्दोलन ने बाद में जाकर जो दिशा ग्रहण की उसका मूल श्री जयप्रकाश नारायण की इसी खोज में है।

(ख) बिहार आन्दोलन के कारण

छात्रों द्वारा आरम्भ किया गया यह आन्दोलन इतना व्यापक कैसे हो गया? यह प्रश्न, निश्चय ही 'बिहार आन्दोलन' के जिज्ञासुओं के लिए विचारणीय है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, 'बिहार आन्दोलन' भी इसका अपवाद नहीं रहा। 'बिहार आन्दोलन' के लिए कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं। सर्वप्रथम हम उन राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जो बिहार आंदोलन के लिए उत्तरदायी हैं।

(1) राजनीतिक कारण :—

भ्रष्टाचार —— 'बिहार आंदोलन' का मुख्य कारण प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार था। 5 जून, 1974 को पटना की सभा में बोलते हुए जे0पी0 ने कहा था—'अब करप्शन का मामला व्यक्तिगतरूप से मेरे सहन के बाहर है, इसलिए मैं स्वयं करप्शन की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ।'[1] 'बिहारवासियों के नाम चिट्ठी' में भी जे0पी0ने लिखा है —'भ्रष्टाचार निवारण हमारे आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य था।'[2] एक अन्य स्थल पर प्रदेश के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जे0पी0 ने कहा था कि —"बिहार न केवल भ्रष्ट है, वह बहुत अक्षमता के साथ भ्रष्ट है, इस क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय पैमाने पर कुख्याति अर्जित की है ... राज्य का कोई ऐसा कद्दावर-मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार के विवाद का शिकार न हुआ हो उनमें से कुछ को आयोगों की जाँच के बाद दोषी भी पाया गया है लेकिन आज भी वे लाभ के पदों पर बने हुए हैं।"[3] इसी पत्र के अनुसार 'सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों के नेतृत्व में दो जाँच कमीशन बैठे थे। इन आयोगों की रिपोर्टों से सिद्ध

1- सम्पूर्ण क्रांति के लिए आवाहन, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 27

2- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 27

3- दिनमान 18 मई 1975 पेंज 17

हुआ था कि व्यापक पैमाने पर बिहार में अधिकारी एवं मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। परन्तु दोषी पाये गये अपराधियों को कोई सजा नहीं दी गयी।'[1] प्रदेश में व्याप्त इस भ्रष्टाचार से जे०पी० क्षुब्ध थे।

जे०पी० के उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार से दुखी होकर ही उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाला।

सरकारी क्षेत्रों में भी प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वीकरोक्ति की गयी थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर ने 24 मार्च,' 1974 कहा था कि —" 75प्रतिशत आपूर्ति निरीक्षक भ्रष्ट हैं।"[2]

बिहार के सत्ता पक्ष के तत्कालीन सचिव एवं विद्वान् श्री शंकर दयाल सिंह ने 17 मार्च 1974 को अपनी डायरी में लिखा था कि —'बिहार की परिस्थिति बहुत बुरी है। शासन तंत्र ढीला है तथा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार कहीं गुजरात न हो जाये।'[3] उनकी यह आशंका सत्य सिद्ध हुई।

आन्दोलन के अन्तिम चरण में पदासीन होने वाले बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री डा०जगन्नाथ मिश्र ने भी स्वीकार किया है कि —' भ्रष्टाचार हटाने का मुद्दा उठाकर छात्र आन्दोलन को एक व्यापक स्वरूप दिया गया।'[4]

इस प्रकार आन्दोलन से सम्बन्धित दोनों पक्षों ने बिहार आन्दोलन के कारण के रूप में 'भ्रष्टाचार' की स्वीकरोक्ति की है।

1- धर्मयुग, 13 अक्तूबर, 1974 पेज 27

2- दिनमान, 21 अप्रैल, 1974 पेज 3

3- इमर्जेन्सी क्या सच क्या झूठ, ले०शंकरदयाल सिंह, पेज 161

4- दिनमान, 22-28 जनवरी, 1978, पेज 34

बिहार आन्दोलन का कारण भ्रष्टाचार को मानते हुए श्री [illegible] ने आन्दोलन के समय अपने प्रकाशित लेख 'बिहार जनआन्दोलन-एक विश्लेषण' में लिखा था कि 'बिहार की इस दुरवस्था के और कुछ भी कारण रहे हों एक बड़ा कारण प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार है। और सभी दृष्टियों से देश व्यापी औसत से पीछे बिहार भ्रष्टाचार में कुछ ज्यादा ही आगे है। इसका अर्थ कि भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का स्वीकृत पहलू बन गया है। लोग राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, सरकारी अमले से ईमानदारी की अपेक्षा ही नहीं करते।'[1]

डा० अमरनाथ सिन्हा ने इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए आन्दोलन के दिनों प्रकाशित अपनी पुस्तक में 'जनान्दोलन' कारण तत्व' शीर्षक के अन्तर्गत उस समय की बिहार की परिस्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है—"राजनीतिक, प्रशासकीय भ्रष्टाचार के कारण लोगों के लिए न्याय पाना कठिन हो गया है और आर्थिक सुरक्षा घट गयी है।"[2]

अन्त में डा० लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा आन्दोलन के समय एक ग्रामीण से लिया गया 'इण्टरव्यू' प्रस्तुत करना यहाँ प्रासंगिक है। इसमें ग्रामीण का उत्तर वहाँ की क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा मैथिली में है।

"यह पूछने पर कि गाँव के लोग जे०पी०के इस आन्दोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने (ग्रामीण ने) उत्तर दिया —' आन्दोलन के समर्थनमें कैसे कहे जी कि आज यदि हमें ब्लाक में एक बोरा बीज पा जाय तो चार किये से उसमें घूस मांगि है। यदि बेटी के बिआह ले चीनी मांगि किये तो उसमें घूस।............ हमारा सबके ई बात कहे में तनिको लाज ने आवे है कि हमरा से अच्छा जीवन रहे।

1- धर्मयुग, 1 दिसम्बर, 1974 पेज 5

2- बिहार का जनान्दोलन, ले० डा० अमरनाथ सिन्हा, पेज 8

आगे डा० लाल ने टिप्पणी करते हुए लिखा है — "दरअसल यह आन्दोलन उस व्यवस्था के खिलाफ है, जहाँ इतना भ्रष्टाचार, अंधकार और अन्याय पैदा होता है।"[1]

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उस समय बिहार में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जनता की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। परिणामस्वरूप जनाक्रोश के रूप में आन्दोलन उभर कर सामने आया।

इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद पहली बार व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए संघर्ष चलाने का श्रेय जे०पी० को प्राप्त है।

<u>प्रशासनिक दमन :—</u>

बिहार आन्दोलन के समय पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों एवं छात्रों पर बुरी तरह लाठी चार्ज किया गया एवं गोलियाँ चलायी गयीं। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दमनात्मक कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता गया और यह सरकार विरोधी आन्दोलन जनता के समर्थन से उत्तरोत्तर व्यापक होता गया।

जे०पी० के कथनानुसार आन्दोलनकारियों के प्रति 'सरकार ने दुश्मनों का सा व्यवहार किया।'[2] 'अंग्रेजी शासनकाल में इतना जुल्म नहीं हुआ जितना पुलिस व सेना द्वारा चलायी गयी गोलियों ने ढाया।'[3]

बिहार आन्दोलन के प्रेरणास्रोत 'गुजरात आन्दोलन' के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए श्री ओसा बंदी ने लिखा था —" जन आन्दोलन की आग सिर्फ आन्दोलनकारियों के भड़काये नहीं भड़कती। राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ

1- अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले० डा०लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 107

2- सर्वलाइट, 15जनवरी, 1975 पेज। कालम 4

3- जयप्रकाश एक जीवनी, ले० एलन और वेंडी स्कार्फ(अनुवाद) पेज 348

सरकार विशेषकर पुलिस का बर्ताव ही आन्दोलन की व्यापकता, ताकत और दिशा निर्धारित करता है।'[1] यह कथन बिहार आन्दोलन के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। पुलिस के दमनात्मक व्यवहार से यह आन्दोलन व्यापक हुआ। आन्दोलन के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए 'दिनमान' ने लिखा था कि -"अफसरी अधिनायकवाद चरम सीमा पर है, मुजफ्फर पुर के पुलिस अधीक्षक ने एक तरुण शान्त सैनिक को यह कहते हुए पीटा कि 'साले अब अपने जय प्रकाश को बुलाओ -- आन्दोलन-कर्मियों और आम आदमी को पिटाई और कानूनी दांव पेंचों से बचने के लिए झूठे मुकदमें चलवाये जा रहे हैं......। अफसरी अत्याचार का असर यह पड़ रहा है कि आम आदमी के मन में अन्याय के प्रतिकार की भावना जग रही है।'[2]

इसी प्रकार पटना के वकील संघ ने पटना के जिलाधीश श्री विजय शंकर दुबे के दमनात्मक व्यवहार से क्षुब्ध होकर एक घटना के उपरान्त उनके स्थानान्तरण की मांग की थी। घटना यह थी कि 27 मार्च, 1974 के सायंकाल 'छात्र संघर्ष समिति' की ओर से गांधी मैदान में दफा 144 का उल्लंघन करके एक जनसभा की जा रही थी। पुलिस ने सभा के संयोजक श्री अख्तर हुसैन और रघुपति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गांधी मैदान के चक्कर लगवाये तथा पीटा। उसी समय पटना के जिलाधीश महोदय पहुंचे 'अख्तर हुसैन (अखिल भारतीय समाजवादी युवजन सभा के सचिव) के द्वारा यह बतलाये जाने पर कि उनके पिता स्कूल में चपरासी हैं। जिलाधीश ने अख्तर की मां बहन से अपना सम्बन्ध जोड़ते हुए (गाली) क्रोध किया और कहा कि यह चपरासी का लड़का नेता बनेगा? विद्रोह करेगा? हम लोगों को हटायेगा? उन्होंने अख्तर हुसैन को अपने हाथ से पीटा.....। हजारों लोगों ने जिलाधीश का

1- धर्मयुग, 17 मार्च, 1974 पेज 29

2- दिनमान, 7 अप्रैल, 1974 पेज 13

यह कुकृत्य देखा कि किस प्रकार 19 साल के समस्त सत्याग्रही को वह पीटते रहे।'[1] ऐसी घटनाओं से जनता का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक था।

गिरफ्तार किये गये सत्याग्रहियों को जेलों में यंत्रणायें दी गयीं। 2 जुलाई, 1974 को 'फुलवारी शरीफ कैम्प जेल' में एक ऐसी ही भयंकर घटना हुई। ' इस जेल में पटना के छात्र नेता अश्वनी कुमार चौबे सहित 6 सत्याग्रहियों को बुरी तरह मारा-पीटा गया और यातनायें दी गयीं। छात्र नेता अश्वनी कुमार पर राइफल के कुन्दे, लाठी तथा जूतों से प्रहार किये गये और लोहे की जलती हुयी छड़ से शरीर दाग दिया गया, होश आने पर पानी तक नहीं दिया गया------ जैसे ही बाहर के लोगों को इस घटना की जानकारी हुई पूरे प्रदेश में रोष फैल गया। प्रदेश भर में इस काण्ड की भर्त्सना की गयी------ सरकारी जाँच के बाद जेलर तथा सहायक जेलर का तबादला कर दिया गया और 18 वार्डरों को मुअत्तल कर दिया गया--- इस घटना को लेकर जनमत में व्यापक रोष हुआ नहीं और 6 जुलाई को सैकड़ों छात्रों और महिलाओं ने पटना में जुलूस निकाला।'[2]

ऐसी घटनाओं से जनाक्रोश बढ़ता गया और जनता निरंतर सरकार विरोधी होती गयी।' बेतिया में पुलिस ने गोली चलायी जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गयी।'[3] इस सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा था -'बेतिया शहर में बूढ़ों से लेकर बच्चों तक से पूछा जा सकता है कि कितनी निर्दयता पूर्वक वहाँ पर गोली चलायी गयी------ किसी कांग्रेसी नेता या मंत्री में हिम्मत नहीं है कि बिना सुरक्षा के घूम ले।'[4]

1- दिनमान 7 अप्रैल, 1974 पेज 13

2- बिहार आन्दोलन एक सिंहावलोकन, ले0 अवधकुमार शर्मा, पेज 57-58

3- सर्चलाइट, 18 मार्च, 1974 पेज1 कालम 4

4- दिनमान, 2 मई, 1974 पेज 3

स्पष्ट है कि जनता में सत्तापक्ष के प्रति कितना रोष व्याप्त था। इसी प्रकार 'छात्रों की परीक्षा के समय जमालपुर और बेगूसराय में पुलिस ने गोली चलायी इसमें 3 छात्रों की मृत्यु हुयी।'[1] '12 अप्रैल 1974 को हुए गया गोली-काण्ड में लोगों को क्रूरतापूर्वक मार डाला गया।'[2] 3-5 अक्तूबर, 1974 को बिहार बन्द के समय पुलिस ने कई स्थानों पर गोलियाँ चलायीं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, बहुत से लोग हताहत हुए।'[3] 4 नवम्बर, 1974 को पटना में हुए गोलीकाण्ड में स्वयं जे0पी0 घायल हुए।'[4]

इन सब दमनात्मक घटनाओं के परिणाम स्वरूप जनता की सहानुभूति आन्दोलनकारियों के प्रति बढ़ती गयी और आन्दोलन और पकड़ता गया।

डा0 शत्रुघ्न प्रसाद के अनुसार 'सम्पूर्ण बिहार में पुलिस राज्य स्थापित हो गया था।'[5] डा0 लक्ष्मीनारायण लाल का भी मत है कि 'दमनात्मक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप लोग बिहार आन्दोलन से जुड़ते गये।'[6] प्रसिद्ध पत्रकार एवं संपादक श्री अक्षयकुमार जैन के कथनानुसार 'सरकार ने समस्या की जड़ों पर आघात करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया। जगह-जगह गोलियाँ चलायीं गयीं। पुलिस को दमन की छूट दे दी गयी। युवा नेता जेलों में ठूँसे जाने लगे। सरकारी आतंक से आन्दोलन और तीव्र हो गया।'

उपर्युक्त तथ्यों एवं विद्वानों की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि आन्दोलन के सम्बन्ध में अपनायी गयी दमनात्मक नीति से क्षुब्ध एवं आक्रोशित होकर जनता ने आन्दोलनकारियों का समर्थन करने का निश्चय किया। इस जनसहानुभूति और समर्थन

1-इण्डियन एक्सप्रेस, 19 जुलाई 1974 पेज। कालम6   2- दिनमान, 2 जून, 1974 पेज27

3-जेपी बिहार आन्दोलन का विकास, शिक्षाध्याय-तीन कि, अभूतपूर्व बिहार बन्द

4-बिहार आन्दोलन वार्षिकी, राजबहादुरराय-सम्पादक) 1974-75 पेज 76

5-आपातकालीन संघर्ष मे बिहार, ले0 डा0 शत्रुघ्न प्रसाद (संकलनकर्ता) पेज 10

6-अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, डा0 लक्ष्मीनारायण लाल. पेज 05

को कुशल नेतृत्व प्रदान कर बिहार में एक व्यापक जनांदोलन चलाने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है।

जे0पी0का नेतृत्व :—

भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक दमन के खिलाफ बिहार आन्दोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में जे0पी0 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे इस आन्दोलन के केन्द्र बिन्दु रहे हैं। उन्होंने आन्दोलन को कुशल नेतृत्व प्रदान किया, जिसके कारण यह आन्दोलन व्यापक हो गया।

बिहार आन्दोलन के अन्तिम चरण के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा0जगन्नाथ मिश्र ने एक 'इण्टरव्यू' में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति करते हुए कहा था —" यह आन्दोलन फिर भी कोई स्वरूप नहीं पकड़ता अगर जे0पी0 को इसमें शामिल नहीं किया जाता, या जे0पी0 इसमें नहीं आते, क्योंकि आन्दोलन को एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जो अखिल भारतीय स्तर का हो। शुरू में जब जे0पी0 इस आन्दोलन के साथ नहीं थे तो इसका कोई स्वरूप नहीं था मगर जे0पी0 के आ जाने से उसे एक व्यापक संघर्ष और व्यक्तित्व तथा लोगों का विश्वास मिला। जे0पी0 के अलावा और कोई इस व्यक्तित्व का नेता नहीं था।"

प्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक श्री किशन पटनायक के कथनानुसार — "जे0पी0 का नेतृत्व मिलने से जब इस आन्दोलन की विश्वसनीयता बढ़ गयी।"

बिहार आन्दोलन के समय प्रकाशित अपने लेख ' बिहार का जन-आन्दोलन — एक विश्लेषण' में श्री गोरा मंत्री ने लिखा —" मार्च में शुरू हुआ छात्र आन्दोलन इतने व्यापक जन आन्दोलन में कैसे बदल गया? और जो कुछ भी इसके कारण हों पर एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व है ...... राजनगरों के वातानुकूलित कक्षों में बैठकर परदेशी मुखबरों में जयप्रकाश की

बोलने वाले राजनीतिज्ञ जो कुछ भी कहें पर बिहार की क्रांति का कोई ईमानदार प्रेक्षक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालकर जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के एक तात्कालिक उफान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में प्रवाहमान एक धारा का रूप दे दिया।"[1]

"आन्दोलन के आरम्भिक दौर का श्रेय छात्रों के युवा राजनीतिक नेतृत्व को जाता है। लेकिन बाद में आन्दोलन में गहराई और तेजस्विता जयप्रकाश नारायण के कारण ही आ सकी थी।"[2]

जे0पी0 के नेतृत्व में विरोधी दल एक साथ कार्य करने को तैयार हो गये थे। अन्यथा उनको अपने में से किसी भी दल के नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं था। 'सर्वोदय' के अन्तर्गत जे0पी0 ने बिहार में बहुत कार्य किया है। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के कारण भी वह जनता में एक सम्माननीय एवं विश्वसनीय व्यक्ति रहे हैं। इसलिए जे0पी0 द्वारा किये गये कार्यक्रमों में जनता की व्यापक साझेदारी देखने को मिलती रही है।

जे0पी0 के नेतृत्व ने इस आन्दोलन को विपक्षी दलों का सहयोग, जनता का व्यापक समर्थन, सर्वोदय कार्यकर्ताओं की सेवायें दिलवायीं, जिससे यह आन्दोलन व्यापक हो सका। इस आन्दोलन ने आगे की भारतीय राजनीति को प्रभावित किया।

1- धर्मयुग, 1 दिसम्बर, 1974, पेज 6

2- दिनमान, 22-28 जनवरी, 1978 पेज 28

(2) सामाजिक कारण :-

बिहार प्रदेश सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी उपेक्षित रहा है। इस प्रदेश में सामाजिक सेवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय रही है। इससे यहाँ की जनता को बहुत कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करना पड़ा है। सामाजिक सेवाओं की समुचित व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। बिहार आन्दोलन के समय प्रकाशित अपने लेखों एवं सभाओं के माध्यम से जे0पी0 ने बिहार की सामाजिक सेवाओं की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में जनता को अवगत कराया। इससे सरकार विरोधी वातावरण बना। उपेक्षित एवं कष्टसाध्य जीवन व्यतीत कर रही जनता सरकार विरोधी आन्दोलन में सम्मिलित होती गयी।

बिहार की स्वास्थ्य-सेवा :-

आन्दोलन के समय प्रकाशित अपने लेख में जे0पी0 ने बिहार के सामाजिक स्वास्थ्य की उपेक्षा के सम्बन्ध में बतलाते हुए लिखा था" बिहार जैसे राज्य में जहाँ बहुत बड़ी आबादी निरक्षर और गरीब है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भी ज्यादा खटकती है। स्वास्थ्य सेवायें कितनी अपर्याप्त हैं इसके कुछ उदाहरण देना ठीक होगा। 56806 व्यक्तियों के बीच एक चिकित्सा केन्द्र है। 3196 व्यक्तियों के बीच एक आदमी के अस्पताल में रखे जाने (हास्पिटल बेड) की व्यवस्था है (जबकि राष्ट्रीय मान 1670 व्यक्तियों पर एक अस्पताली चारपाई है)। 5400 व्यक्तियों पर एक डाक्टर है (जबकि राष्ट्रीय मान 1971 में 4000 है)। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बिहार के शहरी इलाकों और देहाती इलाकों में फर्क अन्य राज्यों की अपेक्षा और भी ज्यादा है। बिहार में 24 हजार देहाती आबादी पर एक डाक्टर है (जबकि राष्ट्रीय मान 17 हजार पर एक डाक्टर का है) शहरी क्षेत्रों में 424 व्यक्तियों पर अस्पताल

में एक चारपाई है जबकि देहाती क्षेत्रों में 14242 व्यक्तियों पर एक चारपाई है। यह आंकड़े यह बतलाते हैं कि कितनी सुविधा उपलब्ध है, यह सुविधा कैसी है यह नहीं। सरकारी और चिकित्सा सेवाओं के भ्रष्टाचार और अधिकारियों के लोभ तथा जनता को कष्ट की दशा तो अब लोकवार्ता का अंग बन चुकी है।"[1]

1974 में बिहार में चेचक की महामारी का प्रकोप हुआ। इसमें सरकार जनता को उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रही। इस सम्बन्ध में जे0पी0 ने लिखा —'1974 में 22 हजार लोग चेचक से मरे (यह सरकारी आंकड़ा है जो अत्यन्त संदिग्ध है) और कितने ही हजार लोग विकलांग और अपाहिज हुए और यह तब हुआ जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन' और 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्लू0एच0ओ0) हर प्रकार की मदद करने को तैयार थे। बिहार स्वास्थ्य सेवाओं के निकम्मेपन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।'[2]

'धर्मयुग' के अनुसार —'पटना का ही अधिकांश भाग गंदगी मच्छरों और मक्खियों से भरा पड़ा है...... चेचक के चिन्ह चेहरे दूर दराज गांव, कस्बों में ही नहीं पटना की गरीब बस्तियों में भी बड़े पैमाने में देखे जा सकते हैं।"[3]

1974 की चेचक की इस महामारी के समय जो उपेक्षा बरती गयी उससे जनता में रोष व्याप्त था। हजारों परिवारों को अपने प्रियजनों को इस महामारी में मृत्यु का ग्रास होते देखना पड़ा था। इससे जनता में आक्रोश फैला। आक्रोशित जनता ने सरकार विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होने का निश्चय किया।

1- बिहार आन्दोलन [illegible], 1974-75 'नये बिहार का घोषणापत्र' रामबहादुर राय, (सं0) पेज 25

2- वही, पेज 24

3- धर्मयुग, 1 दिसम्बर 1974 पेज 5

<u>आवास समस्या :—</u>

बिहार में आवासीय समस्या भी भयावह रूप में विद्यमान थी। लोगों को इस जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति भी सम्भव नहीं हो पा रही थी। 'यह समस्या शहरी और देहाती इलाकों में निरन्तर बढ़ रही थी। 1971 की गणना के अनुसार राज्य में 15 लाख मकानों की कमी थी। शहरों में एक कमरे में 6.2 और देहातों में एक कमरे में 5.7 व्यक्तियों के रहने का अनुमान लगाया गया। देहातों में 81 प्रतिशत मकान कच्चे हैं इनमें 40 प्रतिशत मकानों की छतें घास-फूस की हैं। आदिवासी और हरिजनों के मकान तो केवल झोपड़ियाँ हैं।'[1] इससे जनता कष्ट का अनुभव कर रही थी।

<u>पानी की समस्या :—</u>

बिहार में पेयजल की समस्या भी जनता के लिए बहुत दुखदायी रही है। इस सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा था कि '67655 गाँवों में से 6512 गाँवों में एक मील के भीतर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।'[2] इस समस्या की भयावहता पर प्रकाश डालते हुए जे०पी० ने लिखा था कि 'मेदनी इलाके में 841 गाँवों लोग हैजे के कीटाणु वाला पानी पीते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे गाँवों की संख्या इससे ज्यादा होगी। 200 गाँवों में जो पीने का पानी उपलब्ध है, उसमें बहुत लौह और बहुत कम आयोडीन तत्व है, 3414 हरिजन गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त है। गाँव ही नहीं, शहरी इलाकों में भी स्थिति कोई खास

1- दिनमान, 18 मई 1975 पेज 17

2- वही, पेज 17

अच्छी नहीं है। जबकि शहरों में पानी की सप्लाई करना नगरपालिका का मुख्य काम है। राज्य के 201 शहरों (शहरी केन्द्र) में से सिर्फ 82 में पाइप से पानी आने (एक एक घर आने की विभिन्न स्तर पर) की व्यवस्था है।'[1] इससे स्पष्ट है कि पेय जल की व्यवस्था निकृष्टतम थी। कुछ लोग दूषित जल पी रहे थे, कुछ लोगों को मीलों चलकर पीने का पानी लाना पड़ता था।

लोक शिक्षण के माध्यम से जब जनता को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि इस दुर्व्यवस्था के लिए सरकार उत्तरदायी है, तो उस समय जागृत जनता ने सरकार का विरोध करने का निश्चय किया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार में सामाजिक सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इन समस्याओं के समाधान का अन्तिम उत्तरदायित्व सरकार का ही होता है। आन्दोलनकारियों ने जिस समय सरकार के विरोध में आन्दोलन संगठित किया उस समय, उपर्युक्त समस्याओं से त्रस्त जनता ने इस आन्दोलन को अपना समर्थन दिया।

(3) आर्थिक कारण

राजनीतिक कारणों के साथ-साथ कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ भी बिहार आन्दोलन के लिए उत्तरदायी हैं। उन आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे।

(1) मूल्यवृद्धि या महँगाई :—

बिहार आन्दोलन के समय 'खाद्य पदार्थों व उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही थी।'[2] आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर व अधिक

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 रामबहादुरराय(संपादक) पेज 26

2- इण्डियन नेशन, 7 जुलाई, 1974 पेज 4

लाभ कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारी जनता के कष्ट को और बढ़ा रहे थे। 'बिहार सरकार मूल्यवृद्धि रोकने में असफल सिद्ध हो रही थी।'[1] इससे विद्यार्थियों एवं जनता में आक्रोश बढ़ता गया और आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 'गुजरात के उदाहरण के बाद बिहार का छात्र यह अनुभव करने लगा था कि महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक मात्र साधन आन्दोलन ही है।'[2]

डा0अमरनाथ सिन्हा ने आन्दोलन के समय प्रकाशित अपनी पुस्तक में 'जनान्दोलन : कारण तत्व' शीर्षक के अन्तर्गत उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था कि —' महँगाई आसमान छू रही है...... आम आदमी को यह साफ समझने लगा है कि उसकी दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग स्वयं तो सम्पन्न होते जा रहे हैं.... किन्तु उसकी चमड़ी छिल रही है।'[3] इसलिए वह कटिबद्ध हुआ है संघर्ष कर रहा है.... रोटी के लिए जनता सत्ता से टकरा रही है।'[3] बढ़ते हुए मूल्यों से जनता को होने वाली कठिनाई की स्वीकारोक्ति सरकारी पक्ष द्वारा भी की गयी है। बिहार प्रदेश के तत्कालीन सत्ता पक्ष के अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी ने कहा था —' मैं मानता हूं कि महंगाई के कारण जो जनता को परेशानी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है किन्तु इसके लिए जनतंत्र को तो खत्म नहीं किया जा सकता'[4] सत्तापक्ष इस मौलिक तथ्य को भूल रहा था कि जीवन का अस्तित्व जनतंत्र के पहले की आवश्यकता है।'जन' के न रहने पर 'जनतंत्र कैसे रहेगा?

1- सर्चलाईट, 27 जून, 1974 पेज 3 कालम 7

2- धर्मयुग/28 अप्रैल, 1974 पेज 11

3- बिहार का जनान्दोलन पेज 18 और 22 ले0 डा0 अमरनाथ सिन्हा

4- दिनमान 5 मई, 1974

बिहार आन्दोलन के समय डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने बिहार के ग्राम वासियों से एक 'इन्टरव्यू' लिया था। इसमें ग्रामीणों ने अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा मगही में बोलते हुए कहा था -' बिहार सरकार लूटत आय भाव बढ़त जात। पैसा न टिकत। बउर समझ लेई, ई जन आन्दोलन हवे।......, एक अन्य ग्रामीण ने आन्दोलन का कारण बतलाते हुए कहा 'सारा कारण मँहगाई, बेईमानी होरहे। भूख से मर लेबे बड़े, गोली खाय के काहे न मर जाई।'[1]

मँहगाई से आम जनता दुखी थी। आन्दोलनकारियों ने अपनी माँगों में मँहगाई समाप्त करने की माँग को सम्मिलित किया। इससे उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिला।

<u>बेरोजगारी</u> :--- बेरोजगारी को दूर करना बिहार आन्दोलन की प्रमुख माँग थी। बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही भयावह थी। जे०पी० के अनुसार --" राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ है कि बिहार में शहरी बेकारी प० बंगाल और तामिलनाडु को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों से ज्यादा है।...... बिहार की, बेकारी सम्बन्धी कमेटी' ने यह भी बतलाया है कि शहरी बेकारों के बेकारों में 60 प्रतिशत 16 से 25 साल के उम्र के लोग हैं। यह आर्थिक रफ्तार की अत्यन्त धीमी गति का द्योतक है जो अधूरे आँकड़े और तथ्य उपलब्ध हैं उनसे प्रकट है कि बेकारी बहुत तेजी से बढ़ी है। रोजगार दफ्तर के आँकड़ों के अनुसार 1968 में 2.67 लाख लोग बेकार थे जिनमें 1.07 शिक्षित बेकार थे। दिसम्बर 1972 में यह संख्या बढ़कर 7.02 लाख हो गयी जिनमें 3.23 लाख शिक्षित (मैट्रिक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त थे।"[2]

1- बिहार में एक प्रयोग, जयप्रकाश, ले० डा० लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 108-9

2-बिहार आन्दोलन वर्षगाँठ, ले० रामबहादुर राय (सम्पादक) 1974-75 पेज 23

बिहार आन्दोलन का प्रारम्भ छात्रों ने किया था। इसमें बेरोजगारी की समस्या के समाधान की माँग की गयी थी। अतः बेरोजगारी से परेशान, निराश, युवकों का इस आन्दोलन से जुड़ना स्वाभाविक था। कार्य न होने के कारण आन्दोलन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त समय भी था। आन्दोलन विषयक प्रसंग में 'दिनमान' ने लिखा था —" 74 में आन्दोलन शुरू हुआ और जल्दी ही शहरों में व्यापक जन उभार के साथ उबल पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले सैकड़े धरना और उपवास में बैठे, जुलूसों में शामिल हुए।"[1] आगे चलकर यही छात्र और बेरोजगार युवक बिहार आन्दोलन की प्रमुख शक्ति बने। इन्हें बिहार आन्दोलन की मेरुदण्ड कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

कृषि की दयनीय स्थिति :—

बिहार में कृषि की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। इससे कृषक वर्ग सरकार विरोधी होता गया। इस सम्बन्ध में जे0पी0 ने लिखा था कि 'राज्य में जमीन आमदनी का मुख्य साधन है। राज्य की आय का 58.78 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है, जबकि कृषि से होने वाली आय का राष्ट्रीय प्रतिशत 45.3 है। कृषि की राज्य में बड़ी खराब हालत है। यह अपार दुःख में दिन काट रही है। यह विडम्बना ही है कि जमीन के भूखे राज्य में जमीन के इस्तेमाल का दर्रा अत्यन्त प्रतिगामी है। कुल खेती के क्षेत्र में बुआई का वास्तविक क्षेत्र 77.90 प्रतिशत से घटकर 73.40 प्रतिशत रह गया है।'[2]

बोये जाने वाले जमीन के क्षेत्रफल में कमी का कारण यह था कि कृषि का व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी नहीं रह गया था अतः उन्होंने खेती वाली जमीन में कमी करना आरम्भ कर दिया।

1- दिनमान, 3-9 जुलाई 1977 पेज 9
2- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, रामबहादुर राय (सम्पादक) 1974-75 पेज 23

किसानों की कठिनाइयाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। इस संबंध में जे0पी0 ने आगे लिखा —" भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 1966-67 से बढ़ती हो गयी है। यह किसानों के निरन्तर कंगाल होते रहने का प्रमाण है। कोई अचरज नहीं कि राज्य में उसकी अनाज की न्यूनतम आवश्यकता से भी 9लाख टन अनाज कम होता है। यह कृषि क्षेत्र के दोषों को दुःखद रूप में उजागर करता है।"[1]

कम अन्न उत्पादन होने पर भी सरकार ने किसानों से 'लेवी' लेना आरम्भ कर दिया। इसमें किसानों को अपने उत्पादन का एक निश्चित अंश सरकार को सस्ते मूल्य पर देना पड़ता था। इससे किसानों में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त हुआ। इस सम्बन्ध में डा0 अमरनाथ सिन्हा ने, आन्दोलन के समय में प्रकाशित अपनी पुस्तक में 'जनान्दोलन कारण तत्व' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा था कि ' लेवी की बात लें। लेवी किसानों से उनके उत्पादन की अनिवार्य वसूली की नीति है। • • • • अगर किसानों से कम मूल्य पर अन्न लेकर शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या के लिए राशन की व्यवस्था करना आवश्यक है तो शहरी एवं औद्योगिक उत्पादनों को भी किसानों के लिए रियायती दर पर मुहय्या कराना जरूरी है पर सरकार ने वैसा किया नहीं है, परिणामतः पूरा किसान वर्ग भी अभी सरकार के साथ टकराव की स्थिति में है। लेवी की तर्कहीन नीति का अन्य कोई परिणाम संभव भी नहीं है।.......'[2]

शासन द्वारा अपनायी जाने वाली नीति से क्षुब्ध होने के कारण जे0पी0 के नेतृत्व में चलने वाले सरकार विरोधी आन्दोलन को किसान वर्ग ने भी अपना व्यापक समर्थन दिया।

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 रामबहादुर राय(सम्पादक) पेज 23

2- बिहार का जनांदोलन, ले0अमरनाथ सिन्हा, पेज 12 और 19

<u>गरीबी</u> :—

बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खनिज सम्पदा के क्षेत्र में सम्पन्न होते हुए भी यहाँ की अधिकांश जनता निम्नतर जीवन व्यतीत कर रही थी। इस विपन्नता के लिए जे0पी0 ने सरकार की गलत नीतियों को उत्तरदायी ठहराया। उनके मतानुसार गरीबी का कारण संसाधनों का अभाव न होकर सरकार की त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियाँ थीं। बिहार आन्दोलन के समय लिखे गये अपने लेख में जे0पी0 ने बिहार की गरीबी का विवरण देते हुए लिखा था —" बिहार का पिछड़ापन और उसकी गरीबी अब बहुत प्रसिद्ध हो गयी है। साधन सम्पत्ति के मामले में देश का एक प्रमुख राज्य (देश के कुल खनिज उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 30% है) होने के बावजूद यह देश का दरिद्रतम राज्य है। उसकी प्रतिव्यक्ति सालाना आय (जो जनता के आर्थिक जीवन की बहुत विश्वसनीय सूचक नहीं मानी जा सकती) 1968-69 में 215 रु0 थी और चौथी योजना के अन्त में (1973-74 में) उसके 225 रु0 होने का अन्दाज था। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर 1961-62 से 68-69 की अवधि में सिर्फ 0•26 प्रतिशत थी। हालांकि चौथी योजना (73-74) में वृद्धि की दर में 1•9 प्रतिशत होने का कुशल अनुमान लगाया गया था। इस रफ्तार पर बिहार में प्रतिव्यक्ति आय सन् 2000 में जाकर 439 रुपये हो जायेगी। इतनी प्रति व्यक्ति आय तो अभी ही कुछ राज्यों की है। आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक विषमता वाले एक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय के औसत के इतना कम होने का क्या मतलब होता है, यह जाहिर है कि बिहार की तीन-चौथाई आबादी दैन्य (गरीबी) रेखा के नीचे जी रही है। जो 1960-61 की कीमतों पर 20 या उससे कुछ कम मासिक खर्च है। मौजूदा कीमतों पर 50 रु0 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' 1971-72 के आधार (16 राउण्ड) पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार बिहार में 74•47 प्रतिशत लोग दैन्य रेखा के नीचे रह रहे हैं। उत्तर बिहार में यह प्रतिशत 77•01 तथा दक्षिण

बिहार में 66·69 और छोटा नागपुर में 78·86 था।"[1]

इसी लेख में जे0पी0 ने आगे लिखा था कि 'विपन्नता कितनी ज्यादा है यह इस बात से और भी अधिक रूप से प्रकट होती है कि 63 प्रतिशत परिवारों की आय उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति से भी कम है। (एन0सी0ए0ई0आर0) के अनुसार 64 प्रतिशत मजदूर प्रति सप्ताह 49 घण्टों से अधिक काम करते हैं, जिनमें 48 प्रतिशत दैन्य रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं।'[2]

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार की अधिकांश जनता आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्नता का जीवन व्यतीत कर रही थी। आन्दोलन के समय जे0पी0 ने लोकशिक्षण के माध्यम से जनता को इसके कारणों से अवगत कराया। आर्थिक रूप से निकृष्टतम जीवन व्यतीत कर रही बिहार की परेशान जनता जे0पी0 के आह्वान पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आन्दोलन के साथ आ गयी और आन्दोलन के विकास का हेतु बनी।

<u>आर्थिक शोषण :—</u>

दयनीय आर्थिक स्थिति के साथ ही छोटे गरीब खेतिहर किसानों एवं मजदूरों का मजदूरी तथा ब्याज के द्वारा शोषण किया जा रहा था। खेतिहर मजदूर तथा किसानों की ऋणग्रस्तता की स्थिति का वर्णन करते हुए जे0पी0 ने बिहार आन्दोलन के समय में प्रकाशित अपने लेख में लिखा था कि 'सभी खेतिहरों ने जो कर्ज लिया था उसमें 77·4 प्रतिशत पेशेवर सूदखोरों से 7 प्रतिशत कृषि महाजनों से 5·5 सगे सम्बन्धियों से 4·9 प्रतिशत जमींदारों से 4·7 प्रतिशत सरकारी एजेन्सियों से

1- बिहार आन्दोलन वाणी, रामबहादुर राय(सम्पादक) 1974-75, पेज22

2- वही, पेज 22

और 10 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं से लिया गया था। जानकार लोगों के अनुसार संस्थागत (बैंक, सहकारी बैंक आदि) की सुविधाओं में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और सूदखोरों की अभी भी चांदी कट रही है। आदिवासी इलाकों में स्थिति और भी भयानक है। वहाँ सूदखोरों ने गाँव के गाँव हड़प लिये हैं।"[1]

ब्याज के अतिरिक्त कम मजदूरी देकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। खेतिहर श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए जे0पी0 ने लिखा था—"खेतिहर मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी रूपयों में ढाई रूपयों के लगभग ठहरती है जो मजदूर खातियों से जुड़े हैं उनकी इससे 25-33 प्रतिशत कम है। जहाँ खेतिहर मजदूरों का अनुपात ज्यादा है वहाँ तो मजदूरी और भी कम है इतनी कम कि शर्म से सर झुक जाना चाहिए। उनका कितना ज्यादा शोषण हो रहा है, यह इस बात से प्रकट है कि कृषि मजदूरों द्वारा अर्जित मजदूरी उत्पादित कृषि पदार्थों के कुल मूल्य के 15 प्रतिशत से भी कम है।"[2] बन्धुआ मजदूरों की स्थिति इससे भी भयावह थी।

इसीलिए जिस समय जे0पी0 ने अपने आंदोलन के माध्यम से सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन करने एवं शोषण मुक्त समाज बनाने की बात कही तो इस शोषित वर्ग का समर्थन जे0पी0 को मिला। यह शोषित वर्ग सत्ताविरोधी आंदोलन में सम्मिलित हो गया।

भूमि समस्या (भूमि का असमान वितरण)

बिहार में अनेकों बार भूमि सुधार होने के बाद भी भूमि जोतने वालों को जमीन नहीं मिल सकी थी। भूमि की असमानता के कारण छोटे किसानों का शोषण हो रहा था क्योंकि छोटे किसानों को बड़े किसानों से कृषि के लिए भूमि लेनी पड़ती थी। बड़े किसान बटाईदारी के द्वारा छोटे किसानों का ——————

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 रामबहादुरराय (सम्पादक) पेज 22-23
2- वही, पेज 24

करते हैं। इसीलिए जे0पी0 ने जब बिहार आन्दोलन के समय भूमिसुधार की बात कही तो बहुसंख्यक छोटे किसानों का समर्थन उन्हें मिला। बिहार की भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए जे0पी0 ने लिखा था —"कई बार भूमि सुधार हो जाने के बाद राज्य में जमीन की मिल्कियत (जोत) का वितरण इस प्रकार है :—

जोत का आकार (एकड़)	कुल जोत का प्रतिशत	जोतों की अनुमानित संख्या	शामिल कृषिभूमि का प्रतिशत
0-5	71·6	4158973	30
5-10	17·3	1003376	25
10-15	5·5	319765	14
15-30	4·2	245606	18
30-50	1·0	59549	7
50 एकड़ से अधिक	0·4	25289	6
कुल	100·00	5812558	100

इन आँकड़ों से जमीन में जो असमानता प्रकट होती है वह तो है ही लेकिन उसके साथ बेनामी मिल्कियत की भी समस्या है। यह कितनी भयावह है यह जानना मुश्किल है। जमीन के वितरण के स्वरूप से यह प्रकट है कि कष्टकृष्य भूमि (बाराजिनत) वाले किसानों और छोटे किसानों की बहुलता है और उन्हें कृषि योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है। ज्यादा जमीन ऐसे मालिकों के हाथ में है जो खुद खेती नहीं करते। बिहार के कुछ जिलों में बटाईदारी और गैरकानूनी काश्तकारी के रोग बहुत पुराने हैं। 40 प्रतिशत खेतिहर परिवार पूरी तरह से या आंशिक रूप से रैयत या बटाईदार हैं और ये 23 प्रतिशत भूमि पर खेती करते हैं। चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में तो यह समस्या और भी ज्यादा विकराल है।"।

उपर्युक्त वर्णित जिलों में जे0पी0 के बिहार आन्दोलन को अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मिला था। उपर्युक्त आँकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि बहुसंख्यक किसान बहुत कम जमीन पर खेती करने वाला था। जो खेती करने के लिए बड़े किसानों से बटाई में खेत लेना आवश्यक था। बड़े किसान (जो संख्या में कम थे) छोटे बहुसंख्यक किसानों का बटाई के माध्यम से शोषण करते थे।

(घ) आन्दोलन का स्वरूप

जनान्दोलन :-

बिहार आन्दोलन के विकासक्रम को देखने से ज्ञात होगा कि इस आन्दोलन का प्रारम्भ छात्रों एवं युवकों ने किया परन्तु आगे चलकर जे0पी0 के नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में यह आन्दोलन एक व्यापक जनान्दोलन में परिवर्तित हो गया। आन्दोलन के प्रारम्भ में ऐसी शंकायें व्यक्त की जा रही थी कि छात्रों के इस आन्दोलन को विपक्षी दलों का सहयोग भले ही मिल जाय, इसे व्यापक सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकती। जे0पी0 द्वारा आन्दोलन का नेतृत्व संभालने से यह सभी शंकायें निर्मूल सिद्ध हुयीं।

सत्तापक्ष बहुत समय तक इस आन्दोलन के जनान्दोलन के स्वरूप को नकारता रहा। 1 नवम्बर, 1974 को लाल किले में भाषण के समय स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था —"जयप्रकाश जी कहते हैं कि जनता उनके आन्दोलन के साथ है, तो उन्हें सब्र करना चाहिए इस बात का फैसला अगले चुनाव में हो जायेगा।"[1] श्रीमती गान्धी का आशय यही था कि बिहार के इस आन्दोलन को आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। परन्तु श्रीमती गांधी का यह कथन वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन नहीं था। बिहार आन्दोलन से सम्बन्धित एक सर्वेक्षण के अनुसार —' 7 जून, 74 से 12 जुलाई, 74 तक कुल 3407 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये, उनमें से 1260 सत्याग्रहियों का जीवन परिचय विश्लेषण के लिए उपलब्ध था। उससे जो आँकड़े निकाले जा चुके हैं उससे कई महत्वपूर्ण बातें सामने आयी हैं। एक — बिहार प्रदेश के पश्चिमी चम्पारन और कटिहार जिलों को छोड़कर शेष 29 जिलों के सत्याग्रही आये हैं।(पु0पी0के इटावा,

---

1 - सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 36

वैरायटियों का प्रतिनिधित्व हुआ) ये सत्याग्रही 591 स्थानों (गाँवों या कस्बों) से आये थे जो 434 अफसरों और 296 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 80% सत्याग्रही ग्रामीण क्षेत्रों के थे। शहर में रहने वाले 13 प्रतिशत थे 7 प्रतिशत का ठीक से पता नहीं है कि वे शहर के थे या गाँव के थे।

दूसरा — पुरुषों की संख्या अधिक थी किन्तु 7 प्रतिशत स्त्रियाँ थीं। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 6 प्रतिशत 15 या उससे कम आयु के थे 25 वर्ष या उससे कम आयु के 75 प्रतिशत थे कुछ सत्याग्रही 50 से अधिक कुछ 70 पार कर चुके थे। तीसरा — 45 प्रतिशत सत्याग्रहियों ने अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया फिर भी कुल मिलाकर 58 जातियों का प्रतिनिधित्व हुआ। ब्राह्मण 5 प्रतिशत राजपूत 8 प्रतिशत भूमिहार ब्राह्मण 6 प्रतिशत और कायस्थ 3 प्रतिशत थे। शेष 33 प्रतिशत हरिजन आदिवासी और पिछड़ी जातियों के थे। 50 प्रतिशत सत्याग्रही विद्यार्थी थे। 34 प्रतिशत विद्यार्थी नहीं थे शेष 16 प्रतिशत के बारे में नहीं मालूम है। मुसलमान 1.4 प्रतिशत थे। मोटे तौर पर 39 प्रतिशत सत्याग्रही निरक्षर, साक्षर अथवा अल्पशिक्षित थे।'[1]

आँकड़ों से स्पष्ट है कि यह आन्दोलन शहरों और कस्बों तक सीमित न रहकर गाँवों तक पहुँच चुका था। छात्र आन्दोलन उस समय से ही जनान्दोलन का रूप लेने लगा था। आगे आन्दोलन का विस्तार इसी दिशा में हुआ।

भारत गाँवों का देश है यह बात बिहार प्रान्त में भी लागू होती है। उस समय के 'इण्डियन एक्सप्रेस' के एक 'सर्वेक्षण के अनुसार भी जे०पी० को गाँवों

---

1. दिनमान, 24 नवम्बर, 1974 पेज 10

में लोकप्रिय पाया गया।"[1]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेशन, नई दिल्ली (यह संचालन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तरगत काम करता है) के शोधकर्ता श्री के0एम0 यादव ने बिहार आन्दोलन के समय पटना, मुजफ्फर पुर, गया और मुंगेर जिलों के सामान्य लोगों का सर्वेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि 81 प्रतिशत से अधिक लोग इस आन्दोलन को अच्छा मानते हैं। इस सर्वेक्षण से भी 'बिहार आन्दोलन' के जनान्दोलन होने के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। सर्वेक्षण के अनुसार —" 81·1 प्रतिशत लोग सर्वोदय नेता के आन्दोलन को 'संविधानेतर मगर प्रजातांत्रिक और नैतिक मानते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 6·8 प्रतिशत लोग आन्दोलन से असहमत हैं। 12·1 प्रतिशत लोग अनिश्चित हैं। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में 95·2 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि जनता का विश्वास खोने पर यह अधिकार मतदाताओं को मिलना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार और कालाबाजार दूर करने का यही रास्ता सही है? उत्तर में 75·3 प्रतिशत हाँ में 21·4 प्रतिशत लोगों ने नहीं में उत्तर दिया। अनिश्चित मत के लोगों का प्रतिशत 33 था। सर्वेक्षण में जनता से आन्दोलन के तौर तरीकों पर प्रश्न पूछे गये, 78·3 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत हैं कि सत्याग्रह करना सबसे उपयुक्त रास्ता है। इसी प्रकार 76·7 प्रतिशत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूख हड़ताल के समर्थक हैं। 69·7 प्रतिशत लोग घेराव का रास्ता अपनाना चाहते हैं। सामान्य जनता में महत्वपूर्ण प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो खूनी क्रान्ति का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जिनसे प्रश्न पूछे गये उनका सामाजिक और राजनैतिक स्तर इस प्रकार है। इनमें अधिकतर निम्न मध्यमवर्गीय हैं जिनमें 75 प्रतिशत की आमदनी 500/- रु0 से कम और

1- इण्डियन एक्सप्रेस 23 मई, 1975 पेज 5 कालम 3

7·5 प्रतिशत की आय हजार से अधिक थी। इसी प्रकार 68·1 प्रतिशत लोग किसी दल विशेष के साथ सम्बन्धित नहीं थे। वर्तमान आन्दोलन क्या विरोधियों का षड्यंत्र है? इस प्रश्न के उत्तर में 73 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की जबकि 19·7 प्रति- लोगों को ऐसी आशंका लगी। मगर इन लोगों में से 83 प्रतिशत इस मत के थे कि किसी संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में चुने हुए प्रतिनिधियों के हटाने का वर्तमान आन्दो-लन के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। सर्वेक्षण में आल इण्डिया रेडियो की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न पूछे गये। केवल 10·4 प्रतिशत लोग आकाशवाणी से प्रसारित आन्दोलन सम्बन्धी समाचारों को विश्वसनीयता से पूर्ण मानते हैं। जबकि 48·8 प्रतिशत के अनु-सार समाचारों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शेष इस सिलसिले में अनिश्चित थे या कोई उत्तर नहीं दिया। यह सर्वेक्षण जून-जुलाई,74 में हुआ और 18 सितम्बर,74 को इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत किया गया।"[1]

इस प्रकार एक सरकारी संस्थान के सर्वेक्षण से ही स्पष्ट है कि इस आन्दोलन को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था।

इस सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए श्री कर्पूरी ठाकुर ने नयी दिल्ली में पत्रकारों से कहा था —' चार मास पूर्व जब बिहार आन्दोलन की लोकप्रियता 80 प्रति-शत थी तो कोई आश्चर्य नहीं कि अब 90 प्रतिशत से भी ज्यादा हो। 3-5 अक्टूबर बिहार बन्द के बाद आन्दोलन की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुयी है।'[2]

बिहार आन्दोलन के जनान्दोलन होने की स्वीकारोक्ति अन्य विद्वानों ने भी की है। डॉ॰ विजय रंजन दत्त के अनुसार —' बिहार में हुआ आन्दोलन, जन-

---

1- दिनमान, 8 सितम्बर, 1974 पेज 20

2- वही, पेज 20

आन्दोलन में परिवर्तित हो गया।"[1] डा० विद्यानिवास मिश्र के कथनानुसार 'यह तो निर्विवाद सत्य है कि जयप्रकाश जी के आंदोलन को एक विशाल जनसमुदाय का समर्थन मिला है।'[2] आन्दोलन के समय में प्रकाशित अपने लेख 'बिहार जन आंदोलन जयप्रकाश और जनता का अभियान' में गणेश मंत्री ने टिप्पणी करते हुए लिखा था —

" छात्रों के महंगाई-भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का आधार और उद्देश्य व्यापक हो गया है। अब यह छात्रों का ही नहीं, जनसाधारण का, समाज के सभी तबकों के मिले जुले उठान का आंदोलन बन गया है।"[3]

उपर्युक्त कथनों एवं तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा प्रारम्भ किये गये इस आंदोलन को जे०पी० के प्रयत्नों से जनता का व्यापक समर्थन मिला। छात्रों का यह आंदोलन आगे चलकर कालान्तर में जनांदोलन में परिवर्तित हो गया। गांधी के बाद स्वतंत्र भारत में इतना व्यापक जनसमर्थन केवल जे०पी० को ही मिला है। छात्रों के इस आंदोलन को समाज के व्यापक हितों से जोड़कर जनांदोलन में परिवर्तित करने का श्रेय जे०पी० को प्राप्त है। जे०पी० ने इस आंदोलन को भारतीय राजनीति के इतिहास की अविस्मरणीय घटना बना दिया।

<u>अहिंसात्मक आंदोलन</u> :—

बिहार आंदोलन के हिंसात्मक या अहिंसात्मक होने का प्रश्न भी विवादास्पद रहा है। 'सत्ता पक्ष द्वारा बिहार आंदोलन के हिंसात्मक होने का आरोप लगाया जाता रहा है।'[4] भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित दस्तावेज

1- [illegible], 23-29 अप्रैल, 1978 पेज 12

2- धर्मयुग, 6 अक्टूबर, 1974 पेज 22

3- धर्मयुग, 7 जुलाई 1974 पेज 10

4- आपात स्थिति श्वेत पत्र, सूचना विभाग उ०प्र० लखनऊ (प्रकाशक) पेज 9-10

के अनुसार —" श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में चलाये जाने वाले आन्दोलन का मुख्य आधार हिंसा था।"[1]

दूसरी ओर आंदोलन कारी पक्ष बिहार आंदोलन की हिंसात्मकता से इनकार करता रहा है। जे0पी0 के अनुसार 'बिहार आन्दोलन की तरफ से सारे आयोजन बिल्कुल शान्तिपूर्ण हुए कहीं कोई हिंसा आंदोलन कारियों की तरफ से नहीं हुयी। अगर हिंसा हुई तो इन्दिरा जी के शासन की तरफ से हुयी, उनके साथियों की तरफ से हुयी और आंदोलन के हमारे साथियों ने उसे शान्तिपूर्वक बर्दाश्त किया।'[2]

8 अप्रैल 1974 को पटना में जे0पी0 के नेतृत्व में 'मौन जुलूस' निकला था। इसमें प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर नारे लिखे हुए थे। इनमें एक प्रमुख नारा यह भी था 'हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा।'[3] इस प्रदर्शन के सम्बन्ध में जे0पी0 ने लिखा है कि —' 18 मार्च 74 की घटना से पटना में जो तनाव का वातावरण पैदा हुआ था उसे शान्ति में परिवर्तित करने के लिए मैंने 8 अप्रैल 74 को यह ऐतिहासिक मौन शान्ति जुलूस निकाला जिसका प्रभाव जनमानस और युवा मानस पर पड़ा। जुलूस निकलने के पूर्व पटना के नागरिकों के नाम मैंने अपील प्रसारित करते हुए कहा — यह जुलूस मौन इसलिए है कि जनता तथा शासन के सामने यह प्रकट करें कि हमारा आंदोलन पूर्णतया शान्तिमय है और हिंसात्मकवादी, तोड़फोड़, आगजनी करने वालों से पृथक है। और इसमें सम्मिलित सब तथा संगठन ऐसे कार्यों की निन्दा करते हैं और जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आत्मघाती दुष्कृत्यों से दूर रहें और उनका शान्तिमय मुकाबला करें।'[4]

1- आपातस्थिति श्वेतप्रकाश(सूचनाविभाग उ0 प्र0) पेज 9-10

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में लेखक -जयप्रकाशनारायण, पेज 32-33

3- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 201

4- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 22

'मौन जुलूस' के नारे एवं जे0पी0 की अपील से स्पष्ट है कि बिहार आंदोलन के आयोजक इसे अहिंसात्मक रखना चाहते थे।

कई ऐसे अवसरों पर जबकि आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा बरती गयी, उन पर हमले किये गये ऐसे उत्तेजनात्मक अवसरों पर भी आंदोलनकारियों ने बड़े संयम से काम लिया और अहिंसा के व्रत का पालन किया।

5 जून, 1974 को जे0पी0 के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला। इस पर 'इंदिरा ब्रिगेड' के लोगों ने गोली चलायी और कई लोग गोली से घायल भी हुए किन्तु प्रदर्शनकारियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई हिंसात्मक कार्यवाई नहीं की।

इस घटना के सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा —' गोली से घायल होने के बावजूद आंदोलनकारियों और छात्रों ने अपना अहिंसक चरित्र जाहिर कर दिया।'[1]
तत्कालीन बिहार के मुख्य सचिव श्री शंकर दयाल सिंह ने अपनी डायरी में अंकित किया था —" आज जे0पी0 के नेतृत्व में पटना में बहुत बड़ा जुलूस निकला' इंदिरा ब्रिगेड' के लोगों ने उस पर गोली चलायी परन्तु जुलूस का एक आदमी न तो हिला और न किसी ने प्रतिशोध की भावना दिखायी। अनुशासित और अहिंसात्मक।"[2]
इस घटना से आंदोलनकारियों के अहिंसात्मक चरित्र की पुष्टि होती है।

ऐसा नहीं है कि इतने बड़े आंदोलन में आंदोलनकारियों की ओर से छुटपुट हिंसक घटनायें न हुयी हों। परन्तु जहाँ भी ऐसी घटनायें घटित हुयी, जे0पी0 ने उनकी आलोचना की और अपनी गलती को स्वीकार किया है। ऐसी ही एक-

---

1- दिनमान, 16 जून, 1974 पेज 27

2- इमर्जेन्सी कथा एवं व्यथा सूत्र, ले0 शंकरदयाल सिंह, पेज 166

नाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है कि -" बिहार सत्याग्रह के प्रारम्भिक दिनों में जब सत्याग्रही विधान सभा के सदस्यों को विधानसभा में जाने से रोकने का प्रयास करते थे और मार्ग में लेट जाते थे और एक दिन सत्याग्रहियों द्वारा जब कुछ विधान सभा के सदस्यों की पिटाई की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ की कमीजें फट गयी तब मैंने इसकी सार्वजनिकरूप से निन्दा की थी और विधान सभा के अध्यक्ष को अपना दुख प्रकट करते हुए लिखा था कि वे विधान सभा के ऐसे सदस्यों के प्रति मेरा गहरा खेद और क्षमा याचना भिजवा दें"(अध्यक्ष ने मेरे पत्र को कृपापूर्वक पढ़कर सुनाया) अन्य कुछ और ऐसे मौके थे जब मैंने हिंसा की निंदा की और सीधे शान्तिपूर्ण ढंग अपनाने का आग्रह किया। जब एक उत्तेजित भीड़ जिसे अनावश्यक तौर पर भड़काया गया था, ने एक सिपाही को मार दिया-जो कि निर्दोष था, मैंने न केवल इसकी निंदा की थी बल्कि सार्वजनिक तौर पर बिहार पुलिस से क्षमा याचना की थी। उस सिपाही की विधवा को अपनी संवेदना भेजी थी तथा 5000/- रुपये भी..... संघर्ष में किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने की न अनुमति है और न ही दी जायेगी।"[1] "फिर भी कोई अगर कहे कि आंदोलन से हिंसा का वातावरण बना तो यह सरासर मिथ्या और मनगढ़न्त आरोप है। वास्तविकता यह है कि हमारे आंदोलन से युवकों और छात्रों के आक्रोश को एक शान्तिमय दिशा मिली, अन्यथा उनका आक्रोश भड़ककर भयानक विस्फोट का रूप ले सकता था।"[2]

1- मेरी जेल डायरी, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 76

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 34

इसके विपरीत 'प्रशासन ने आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा बरती एवं दमन का सहारा लिया।'[1] '12 अप्रैल 1974 का गया गोलीकाण्ड 3-5 अक्तूबर 1974 के बिहार बन्द' के समय पुलिस द्वारा गोली चलना प्रशासनिक क्रूरता के उदाहरण हैं।'[2]

'दिनमान' के अनुसार —"वास्तविकता यह है कि कई जगह व्यापक गिरफ्तारियों और लाठी वर्षा के जरिये स्थिति को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गयी थी। पर छात्रों ने धीरज और दूरदर्शिता से काम लिया आंदोलन का चरित्र शांतिपूर्ण बनाये रखा गया।"[3] "आन्दोलन ने हर कदम पर एक बात की सावधानी बरती थी कि उनसे किसी काम से हिंसा न भड़के।"[4]

सर्वोदयी नेता एवं प्रसिद्ध विद्वान् दादा धर्माधिकारी ने लिखा "मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जयप्रकाश का आन्दोलन जितना शांतिपूर्ण था उतना शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने अपने पचास वर्ष के सार्वजनिक जीवन में दूसरा कोई नहीं देखा।"[5] बिहार आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हुए आंदोलन के समय युवा तुर्क नेता श्री मोहन धारिया ने कहा था —"गुजरात और बिहार के आन्दोलन अन्तर स्पष्ट कर देते हैं। गुजरात में हिंसा हुयी थी, जबकि बिहार आंदोलन पूर्णतः अहिंसक है।"[6]

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जे0पी0 के नेतृत्व में बिहार आंदोलन का स्वरूप अहिंसात्मक बना रहा अन्यथा छात्रों के इस आंदोलन के हिंसात्मक होने की अधिक सम्भावना थी। आंदोलनकारियों द्वारा प्रशासन की तुलना में

1-इसी शोधप्रबन्ध में - बिहार आंदोलन के राजनैतिक कारण, शीर्षक -प्रशासनिक दमन
2-इसी शोधप्रबन्ध में-आन्दोलन का विकास शीर्षक-गया गोलीकाण्ड, 3-5 अक्तूबर, 74
3-दिनमान, 23-29 जुलाई 1978 पेज 27 4- वही, पेज 28
5-सम्पूर्ण क्रांति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 10, 6-धर्मयुग, 11 मई 75 पेज 10

नाममात्र की ही उत्तेजनात्मक कार्यवाहियाँ की गयी जो इतने विशाल और व्यापक जनांदोलन को देखते हुए नगण्य ही मानी जायेंगी। इस आंदोलन के द्वारा जे0पी0 ने दिखला दिया कि बुद्ध और गांधी के देश में अहिंसक शांतिपूर्ण उपाय ही अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति में गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है।

निर्दलीय आंदोलन :-

बिहार आंदोलन का स्वरूप दलीय था या निर्दलीय यह विवाद का विषय रहा है। 'सत्तापक्ष का कहना था कि यह विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है।'[1] आंदोलनकारी पक्ष का कहना था कि छात्रों द्वारा प्रारम्भ किया गया यह आंदोलन जनता के आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। यह जनांदोलन है। जनता के खुले आंदोलन में राजनीतिक दल या अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी दलीय भावना के आधार पर न होकर सामाजिक दायित्व बोध के कारण अपनी जिम्मेदारी निभाने की तरह है। इस आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य केवल राजनीतिक न होकर सम्पूर्ण क्रान्ति है। इन अर्थों में यह निर्दलीय, निरपेक्ष आंदोलन है।

प्रश्न उठता है कि बिहार आंदोलन को क्या राजनीतिक दलों का आंदोलन कहना औचित्यपूर्ण है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए निम्न तथ्यों को दृष्टिगत करना प्रासंगिक होगा।

1- आपात स्थिति क्यों? सूचना विभाग उत्तरप्रदेश लखनऊ। पेज 8 और 9

प्रथम, बिहार आंदोलन के विकास क्रम से स्पष्ट है कि इस आंदोलन का प्रारम्भ किसी राजनैतिक दल ने न करके छात्रों ने किया था।

द्वितीय, यह सर्वविदित तथ्य है कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जे0पी0 एक लम्बे समय से दलगत राजनीति से दूर थे। वे दलगत राजनीति को त्याग चुके थे। इस प्रकार इस आंदोलन का नेता एक निर्दलीय व्यक्ति था जिसने अन्त तक किसी भी राजनैतिक दल में सम्मिलित न होकर अपने निर्दलीय चरित्र को बनाये रखा।(उल्लेखनीय है कि जे0पी0 अपने प्रयत्नों से गठित जनतापार्टी के भी साधारण सदस्य तक नहीं रहे) आंदोलन के नेतृत्व कार्यभार ग्रहण करते समय जे0पी0 ने छात्रों से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ' मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से 'डिक्टेट' करे यह बात मुझे मंजूर नहीं होगी। मैं बात सबकी सुनूँगा लेकिन फैसला मेरा होगा और उस फैसले को आपको मानना होगा।'[1] छात्रों ने जे0पी0 की बात स्वीकार कर ली थी। आंदोलन से सम्बन्धित सभी पक्ष आंदोलन के सम्बन्ध में जे0पी0 के निर्णयों को स्वीकार करते रहे हैं।

इस प्रकार की परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन को राजनैतिक दलों का आंदोलन कहना उचित न होगा।

बिहार आंदोलन में विरोधी राजनैतिक दल सम्मिलित थे। इस संबंध में जे0पी0 ने अपनी जेल डायरी में लिखा है ' बिहार संघर्ष और उसी तरह के दूसरे संघर्षों में विरोधी दलों के मिल जाने से कुछ सर्वोदयी मित्रों और शुभचिन्तकों को चिन्तित कर दिया है मैं भी इससे कुछ कम चिन्तित नहीं रहा हूँ।'[2]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में ले0 जे0पी0, पेज 26

2- मेरी जेल डायरी, ले0 जे0पी0, पेज 87

जे०पी०दलगत राजनीति का त्याग करके सर्वोदय में आये थे। उन्हें दलगत राजनीति में आस्था नहीं थी। आदर्श के रूप में उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र की बात कही थी। प्रश्न उठता है कि सिद्धान्त रूप में दलगत राजनीति के विरोधी होते हुए भी उन्होंने इस आंदोलन में राजनैतिक दलों का सहयोग क्यों लिया? इस सम्बन्ध में अपनी बाध्यता का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि —" पहली कठि-नाई यह थी और फिर भी होगी जब कभी दोबारा कोशिश की जायेगी कि राज-नैतिक दलों को खुले समूह संघर्ष से दूर रखना सम्भव नहीं है। हाँ यदि सर्वोदय कार्यकर्ताओं तक ही संघर्ष सीमित किया होता और उनका सिद्धान्त होता कि सभी राज-नैतिक दलों (शासक दल सहित) को दूर रखा जाय, तो उन्हें दूर रखना सम्भव हो जाता। किन्तु ऐसी स्थिति में यह संघर्ष जनता का संघर्ष न होता।"[1] "इस कठिनाई का दूसरा रूप यह है कि मैंने यह संघर्ष प्रारम्भ नहीं किया। संघर्ष पैसे भी चल रहा था, मैंने उसकी बागडोर सम्भाली और उसका निर्देशन किया उसे फैलाया और गहरा बनाया.......... प्रारम्भ में जब कि बिहार छात्र आंदोलन एक निर्दलीय मामला था और उसके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले 80 से 90 प्रतिशत युवा, पुरुष तथा महि-लाओं का किसी राजनैतिक दल से कोई वास्ता नहीं था। उनके नेता अवश्य ही छात्र या भूतपूर्व छात्र थे जिनका अपने दल से गहरा संबंध रहा होगा और इसमें कोई संदेह नहीं कि बाहर के दल के नेता उनका मार्ग दर्शन करते थे।"[2] "इन परि-स्थितियों में बिहार संघर्ष के साथ मेरा संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पहले से ही राज-नैतिक दल थे। दरअसल सभी निष्पक्ष प्रेक्षक स्वीकार करेंगे कि मेरे प्रयत्नों ने दल के प्रभाव को दबाये रखने के साथ ही मतैक्य भी बनाये रखा।"[3] "दलीय और निर्दलीय

1- मेरी जेल डायरी, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 88

2- वही, पेज 88-89

3- वही, पेज 89

संघर्ष का एक और सैद्धान्तिक महत्वपूर्ण पहलू भी है। सब जानते हैं कि बिहार तथा गुजरात में जब संघर्ष प्रारम्भ हुए उस समय राज्य सरकारों के पास कुछ मांगें या शिकायतें प्रस्तुत की गयी थीं। ..... यह राज्य सरकारों पर निर्भर था कि वह छात्रों से मित्रभाव से मिलतीं और उनके लिए कुछ करतीं। किन्तु जब दोनों राज्यों मुकाबला करने का मार्ग चुना तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन अपरिहार्य हो गया। जिस प्रकार शक्कर मक्खियों को अपनी ओर खींचता है उसी प्रकार विरोधी दल इस ओर तुरन्त खिंच आये। ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है?"[1]

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस आन्दोलन में विरोधी दलों का सहयोग जे०पी० का उद्देश्य न होकर उनकी बाध्यता थी।

दलगत राजनीति के दोषों से परिचित होने के कारण जे०पी० बिहार आंदोलन का स्वरूप निर्दलीय रखना चाहते थे। निर्दलीय शब्द का अर्थ यहां परम्परागत अर्थों के से हटकर है। इसका आशय यह नहीं है कि उसमें राजनीतिक दल सम्मिलित ही न हों, राजनैतिक दल आंदोलन में भाग लें परन्तु उनकी भूमिका दलीय न हो और वह आंदोलन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश न करें।

बिहार आंदोलन से संबंधित एक प्रसंग में जे०पी० ने लिखा है —

"मैं छात्रों से प्रारम्भ से ही कहता आ रहा था कि आप अपने आंदोलन को राजनैतिक दलों के हाथ की कठपुतली न बनने दीजिए। छात्रों का आंदोलन और संगठन किसी राजनैतिक दल या दलों के नेतृत्व में नहीं चलना चाहिए। छात्रों को निर्दलीय रहना चाहिए... मैंने राजनैतिक दलों के नेताओं से निवेदन किया कि आप लोग

1- मेरी जेल डायरी, ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 89

इस जनआंदोलन में अवश्य भाग लें परन्तु आपकी भूमिका दलीय नहीं होनी चाहिए। यानी आपको यह चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व आपके दल या दल के छात्र संगठनों के हाथों में आ जाय अथवा उन्हीं के इशारों पर चले।"[1] 20 अप्रैल, 1974 को जे0पी0 ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा था कि "मैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे कृपया मेरी इस बात को समझें कि छात्र आंदोलन जो अब एक तीव्र जनआंदोलन का रूप ले रहा है, निर्दलीय रहे। निर्दलीय आंदोलन का यह अर्थ नहीं है कि दल के लोग इस आंदोलन में भाग न लें। वे अवश्य भाग लें पर उनकी भूमिका दलीय नहीं होनी चाहिए।.... यह निर्दलीय निरपेक्ष आंदोलन है जो अपने कुछ मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समाज की एक नयी रचना के लिए चल रहा है।"[2] "सभी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षक यह स्वीकार करेंगे कि मेरे प्रभाव के कारण बिहार आंदोलन पर दलों का असर कम रहा। और उसका एक निर्दलीय राजनैतिक स्वरूप कायम हो सका।"[3]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेशन, नई दिल्ली (यह संस्थान केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है) के एक शोधकर्ता श्री के0एन0 यादव ने बिहार आंदोलन के संबंध में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के आंकड़ों से भी इस आंदोलन के निर्दलीय स्वरूप की पुष्टि होती है। सर्वेक्षण के अनुसार — "68 प्रतिशत लोग किसी दल विशेष से संबंधित नहीं थे। वर्तमान आंदोलन क्या विरोधी दलों का षड्यंत्र है? इस प्रश्न के उत्तर में 73 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की।"[4]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 27

2- बिहार आंदोलनः एक सिंहावलोकन, श्री [illegible]कुमार शर्मा, पेज 39

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 58

4- दिनमान, 8 दिसम्बर, 1974 पेज 20

बिहार आन्दोलन के अन्तिम चरण में 6 मार्च 1975 को दिल्ली में एक जनप्रदर्शन हुआ। आन्दोलनकारियों ने इसे 'जनता मोर्चा' की संज्ञा दी थी। इस प्रदर्शन से भी बिहार आन्दोलन के निर्दलीय स्वरूप की झलक मिलती है। 'दिनमान' के अनुसार 'इतने बड़े जुलूस में किसी राजनीतिक दल की मुहर नहीं थी। विभिन्न दल के लोग न तो अपने प्रतीक न टोपियाँ लगाये हैं और न अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं।'[1] केवल जे०पी० से सम्बन्धित नारे लग रहे हैं।

बिहार आंदोलन के समय 'धर्मयुग' में प्रकाशित अपने लेख 'बिहार का जनांदोलन एक विश्लेषण' में श्री गणेश मंत्री ने लिखा था -'जे०पी० और उनके सर्वोदयी सहयोगियों की यह लगातार कोशिश रही है कि आन्दोलन'छात्र संघर्ष समितियाँ और 'जन संघर्ष समितियाँ' का निर्दलीय चरित्र बना रहे। विरोधी राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना न बने बने ...... जे०पी० के नैतिक प्रभाव के कारण आंदोलन बहुत हद तक निर्दलीय रहा है।'[2] 'दिनमान' ने बिहार आंदोलन के संदर्भ में लिखा है " राजनीतिक दलों की भूमिका उसके समर्थकों के रूप में ही रही, उसकी रणनीति को या उसकी दिशा तय करने में उनका कोई योगदान नहीं रहा।"[3]

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिहार आंदोलन [illegible] का स्वरूप निर्दलीय था। बिहार आन्दोलन के माध्यम से विभिन्न विरोधी सिद्धान्तों और विचारों वाले राजनीतिक दलों में एकता स्थापना तत्कालीन भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी। इन विरोधी राजनीतिक दलों की एकता का श्रेय जे०पी० को प्राप्त है। इसी एकता के आधार पर आगे चलकर एक नये

1- दिनमान, 16 मार्च, 1975 पेज 24-27

2- धर्मयुग, 1 सितम्बर, 1974 पेज 7

3- दिनमान, 4-10 जून 1978 पेज 27

राजनीतिक दल 'जनता पार्टी' का जन्म हुआ जिसने आगे की भारतीय राजनीति के इतिहास को प्रभावित किया।

संविधानेत्तर आन्दोलन(एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल मूवमेन्ट):—

बिहार आंदोलन की संवैधानिकता वैधानिकता विवाद का विषय रही है। सत्तापक्ष इसे असंवैधानिक (एन्टी कान्स्टीट्यूशनल) एवं अलोकतांत्रिक कहता था। इसके विपरीत आंदोलनकारी पक्ष इसे संवैधानिक(कान्स्टीट्यूशनल) या अधिक से अधिक संविधानेत्तर (एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल) मानता था। संविधानेत्तर आंदोलन से आशय जो विचार संविधान में सम्मिलित नहीं हैं उन नये विचार को संविधान में सम्मिलित करने के लिए चलाये जाने वाले आंदोलन से है। दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करके वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है।

सत्तापक्ष का कहना था कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित विधान सभायें, उनका मंत्रिमण्डल एवं निर्वाचित प्रतिनिधि पांच वर्ष तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। अतः इससे पहले विधान सभा और मंत्रिमण्डल के विघटन तथा प्रतिनिधियों के वापसी की मांग करना संविधान विरोधी एवं अलोक-तांत्रिक आचरण है।(आन्दोलनकारियों ने बिहार विधान सभा एवं उसके मंत्रिमण्डल के विघटन तथा प्रतिनिधियों के वापसी की मांग की थी) इस प्रकार यह एक असंवैधानिक (एन्टी कान्स्टीट्यूशनल) आंदोलन है। सत्ता पक्ष के दस्तावेज, आपातस्थिति क्यों? में आंदोलनकारी पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि " वैधानिक रूप से चुनी गयी सरकारों को काम नहीं करने दिया गया···· यदि विरोधी पक्ष बहुमत का शासन स्वीकार नहीं करेगा तो संसदीय व्यवस्था काम नहीं कर सकती। विरोधीदल एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरा पैदा

हो रहा था।"[1] 14 अप्रैल, 1974 को एक सम्मेलन में कांग्रेस सचिव श्री हरीकृष्ण लाल भगत, श्री शशिभूषण, श्री अमरनाथ चावला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि — 'जयप्रकाश नारायण लोकतंत्री और संवैधानिक ढांचे को तोड़ने के लिए पूंजीपतियों से धन पा रहे हैं।'[2]

दूसरी ओर आंदोलनकारी पक्ष का कहना था कि पांच वर्ष तक विधान सभा और प्रतिनिधियों का बना रहना कोई निर्बाध या अबाधित अधिकार नहीं है। भारत में सत्तारूढ़ दल ने अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न अवसरों पर विधान सभा को भंग किया है। केरल में श्री नेहरू ने विधान सभा को भंग किया था। निकट समय में ही जनता के दबाव से गुजरात विधान सभा भंग की गयी है। प्रजातंत्र में अन्तिम शक्ति जनता में निहित है। यदि प्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है तो उन्हें हट जाना चाहिए। विश्व के कई प्रजातांत्रिक देशों में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को प्राप्त है।

यदि सत्तारूढ़ दल की इच्छा से विधान सभा का विघटन हो सकता है तो जनता की इच्छा से उसी विधान सभा का विघटन क्यों नहीं हो सकता? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक शक्ति की नियामक जनता जब विधान सभा के विघटन और उसके प्रतिनिधियों की वापसी की मांग करती है तो इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? डा0 अमरनाथ सिन्हा के अनुसार "सत्ताधारियों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार विधान सभायें तथा संसद भंग करना, पर उसी कार्य के लिए जनता की मांग को जनतंत्र विरोधी कहना कहाँ तक उचित है केरल और बिहार की विधान सभाओं का भंग पहले भी हो चुका है पर सत्ता के षडयंत्र के रूप में।"[3] जे0पी0 ने

1-आपातस्थिति क्यों? प्रकाशक सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ, पेज 16

2-विद्रोही की वापसी, डा0 आनन्द विजय, पेज 17

3-बिहार का जनांदोलन, डा0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 60

अपनी एक सभा में सुप्रसिद्ध संविधान शास्त्री लार्ड डायसी का उल्लेख करते हुए कहा था " डायसी ने कहा है कि जनता ने जिस मंत्रिमण्डल को बनाया अपने वोट से, जिस धारा सभा को अपने वोट से, अगर वो मंत्रिमण्डल भ्रष्ट होता है, अगर वो मिस-गवर्नमेंट करता है, उसकी हुकूमत अगर बिगड़ती है, बेईमानी की हुकूमत बन जाती है तो जनता को अधिकार है यह मांग उठाने का कि मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे; जनता को ये कांस्टिट्यूशनल अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा 'कांस्टिट्यूशनल अथारिटी' या सबसे बड़े कांस्टिट्यूशनल अथारिटी' में दो-तीन जो गिने जाते हैं, उन में से एक लार्ड डायसी हैं, वो कहते हैं कि जनता को ये अधिकार है, वोटरों को अधिकार है ये मांग करने का कि ये धारा सभा जिसने ऐसे भ्रष्टमंत्रिमण्डल का समर्थन किया है वो भी इस्तीफा दे और फिर नया चुनाव हो।... उनका एक वाक्य जो हमारे दिमाग में बैठा गड़ गया है, वो मैं कह देता हूँ।... उन्होंने लिखा है - 'डिजोल्यूशन इन एसेंस इज एन अपील फ्राम दी लीगल टु दी पालिटिकल सावरेन, 'पालिटिकल सावरेन' कौन? वोटर, जनता। 'लीगल सावरेन कौन? भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैण्ड में क्वीन [illegible]। उनको अधिकार है। उनसे अपील करें वो विघटित करें, भंग करें और जनता की अदालत में, 'पालिटिकल सावरेन' का फैसला हो। जो मालिक हैं डिमोक्रेसी में, जनता जो 'सावरेन' है। सब अधिकार, सर्वाधिकार उसको प्राप्त हैं, जो जनता फैसला दे वो कांस्टिट्यूशनल है।"[1]

आन्दोलनकारी पक्ष का कहना था कि आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों धरना, प्रदर्शन, बन्द, रैली एवं सभाओं की सफलता से स्पष्ट हो चुका है कि जनता का बहुमत आंदोलन के साथ है। विभिन्न सर्वेक्षणों से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है।

1- विधायन [illegible] करें, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 12

बिहार आंदोलन के समय 'इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेशन' नई दिल्ली के शोधकर्ता श्री जे०एस०यादव के एक सर्वेक्षण के अनुसार '81.1 प्रतिशत लोग सर्वोदय नेता के आंदोलन को 'संविधानेत्तर मगर प्रजातांत्रिक और नैतिक मानते हैं। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में 95.2 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि जनता का विश्वास खोने पर यह अधिकार मतदाताओं को मिलना चाहिए।'[1]

संविधान में भी समयानुकूल परिवर्तन होते रहने चाहिए तभी वह उपयोगी रह सकता है। विश्व के सभी संविधानों में समय समय पर परिवर्तन किये गये हैं। कभी-कभी संविधान से कुछ व्यवस्थाओं को हटाकर ठीक उनके विपरीत व्यवस्थाओं को संविधान में सम्मिलित किया जाता है। भारत के संविधान में भी ऐसा हुआ है, संपत्ति के अधिकार से सम्बन्धित जमींदारी व्यवस्था, राजाओं का प्रिवीपर्स, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। संविधान में ऐसे समयानुकूल परिवर्तन प्रजातांत्रिक गतिशीलता का अनिवार्य अंग हुआ करते हैं। अतः यदि बिहार आंदोलन के समय 'जनता' ने यह मांग की कि जनता को प्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाय (ऐसा अधिकार कई प्रजातांत्रिक देशों में किसी न किसी रूप में प्राप्त है) तो इस मांग को असंवैधानिक या संविधान विरोधी कहना उचित नहीं है।

बिहार आंदोलन में सत्तापक्ष का समर्थन करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधान सभा के विघटन एवं प्रतिनिधियों के वापसी के अधिकार की मांग के आधार

---

1. दिनमान, 8 दिसम्बर, 1974 पेज 20

पर बिहार आंदोलन की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक एवं फासिस्टवादी शक्तियों का प्रदर्शन कह रहे थे।

साम्यवादियों की आलोचना का उत्तर देते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भागलपुर विश्वविद्यालय के डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह ने लिखा था — 'क्या इतिहास में कोई उदाहरण मिलता है, जब जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापस करने का अधिकार मिला हो...... यह अधिकार साम्यवादी शासन में जनता को मिला है। इसका पहला प्रयोग 1871 ई० की पेरिस कम्यून की स्थापना में किया गया था। यह फ्रांस में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादियों द्वारा सत्ता हथियाने का पहला अवसर था। यह कम्यून केवल विधायिका सभा ही नहीं, वरन् कार्यकारी सभा भी थी।.... इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके सदस्यों को निर्वाचित करने वाली जनता किसी भी समय बदल सकती थी। पेरिस कम्यून पर टिप्पणी करते हुए मार्क्स ने कहा था कि सरकार की यह व्यवस्था 'प्रजातंत्र की लड़ाई की जीत है'...... पेरिस कम्यून की प्रशंसा करते हुए एंगेल्स ने इसे 'सर्वहारा का अधिनायकवाद' कहा था। एंगेल्स ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में जनतांत्रिक नियंत्रण का अधिकतम प्रसार है। इसका दूसरा उदाहरण सोवियत रूस में जारशाही के खिलाफ लेनिन द्वारा गठित सोवियतों की रचना में मिलता है। सन् 1917 ई० में जारशाही को ध्वस्त करने के लिए इन सोवियतों को गठित किया गया था। इसके प्रतिनिधि सीधे श्रमिक वर्ग से लिये जाते थे और किसी भी समय निर्वाचक के द्वारा वापस बुला लिये जा सकते थे। लेनिन के अनुसार इसका मतलब यह था कि इसके निर्णयों में पूंजीवादी प्रभाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और सर्वहारा वर्ग के असली स्वार्थ सुरक्षित रखे जा सकते थे। इस व्यवस्था की संस्तुति करते हुए लेनिन ने कहा था कि पेरिस कम्यून के बाद जो मजदूर वर्ग का विकास हुआ है, उसका सही सही प्रतिनिधित्व इन सोवियतों की रचना में हो पाता है।

इस प्रकार बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा विधान सभा भंग करने की जिस मांग को साम्यवादी फासिस्ट कहते हैं, वह इतिहास में जनतांत्रिक अधिकारों की वृद्धि के सिलसिले में पहला साम्यवादी प्रयोग है। यह जनतांत्रिक अधिनायकवाद की दिशा में भारतीय जनता का पहला संगठित प्रयत्न है। क्या इस प्रयोग की उपेक्षा करने के लिए साम्यवादी लोग मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन को फासिस्ट कहने की हिम्मत रखते हैं? क्या वे इस बुनियादी ईमानदारी का परिचय देंगे? ..... अतः बिहार में जयप्रकाश जी का आन्दोलन संसदीय प्रणाली को दृढ़ता प्रदान करने वाला है। बहुमत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सचमुच की जनतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है और वह तब तक सफल नहीं है, जब तक कि जनता को अपने भ्रष्ट प्रतिनिधियों को किसी भी समय वापस बुलाने के अधिकार नहीं मिल जाते।'[1]

उपर्युक्त साम्यवाद के इतिहास की दार्शनिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिनिधियों के वापसी के आधार पर बिहार आन्दोलन की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही उनके द्वारा इस आधार पर बिहार आंदोलन को असंवैधानिक कहना ही औचित्यपूर्ण था।

प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री नारायण देसाई के अनुसार 'यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो बात संविधान में नहीं होती उसे संविधान में शामिल करने के लिए आंदोलन चलाना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह आन्दोलन संविधान विरोधी (एन्टी कन्स्टीट्यूशनल) न होकर संविधान निरपेक्ष (एक्स्ट्रा कन्स्टीट्यूशनल) है।

---

1 - धर्मयुग, 15 सितम्बर, 1974 पेज 3

संविधान में जब कोई नया विचार दाखिल करना होता है तब उसके लिए ऐसे उपाय अख्तियार करने पड़ते हैं जो संविधान में न दिये हों। अगर संविधान में चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की कोई व्यवस्था हो जाय तो फिर विधान सभा भंग करने के लिए आंदोलन करना गलत होगा। किन्तु जब तक चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापस बुलाने का अधिकार संविधान द्वारा जनता को नहीं दिया जाता, तब तक जनता को पूरा अधिकार है कि इस विचार को संविधान में लाने के लिए आंदोलन चलाये।"[1]

इस संदर्भ में 'दिनमान' की एक टिप्पणी को यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। 'दिनमान' के अनुसार "विधान सभा और संसद एक संस्था के रूप में ही लोकतंत्र की मूल और अनिवार्य इकाइयाँ हैं। पर एक जीवित सदन के रूप में वे देश की राजनैतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए बिहार आंदोलन के दौरान की गयी विधान सभा भंग करने की मांग लोकतंत्र समाप्त करने की कार्यवाई नहीं थी, बल्कि यह लोकतंत्रीय मूल्यों के लिहाज से एक पतनशील राजनैतिक संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह था।"[2]

सत्ता पक्ष की ओर से बिहार आंदोलन को असंवैधानिक कहे जाने का दूसरा आधार यह रहा था कि जे०पी० ने सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाया था। सत्तापक्ष के दस्तावेज 'आपात स्थिति क्यों?' में जे०पी० के संदर्भ में कहा गया था कि "उन्होंने अपने विभिन्न भाषणों में कहा कि पुलिस वालों को अपने हाकिमों के गैर कानूनी आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए।"[3] " 21 जून,

---

1- बिहार आन्दोलन/प्रश्नोत्तर, ले०नारायण देसाई, पेज 3-4

2- दिनमान, 4-10जून, 1978 पेज 27

3- आपात स्थिति क्यों? सूचनाविभाग, उ०प्र०लखनऊ, पेज 12

1975 को कलकत्ता के निकट चुरी में श्री जयप्रकाश ने सशस्त्र सेना के जवानों से कहा कि वे अपने प्रशिक्षण के अनुसार यह तय करें कि सरकार का कौन सा आदेश ठीक है।'[1]

जे0पी0 ने इस आरोप को अस्वीकार किया है। 21 जुलाई 1975 को जेल से श्रीमती गांधी को लिखे गये अपने पत्र में उन्होंने लिखा था –" जहाँ तक उस एक व्यक्ति का संबंध है जिसने सशस्त्र सेना और पुलिस में असंतोष फैलाने की कोशिश की है, वह इस आरोप को अस्वीकार करता है। उसने सेना और पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने मात्र का प्रयत्न किया है। इस संबंध में उसने जो कुछ भी कहा है, वह कानून, संविधान आर्मी एक्ट और पुलिस एक्ट के अन्तर्गत आता है।"[2] '1930 के दिनों में कुछ कांग्रेस यही बात कहा करती थी। श्रीमती गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू ने ही कांग्रेस पार्टी को यह प्रस्ताव रखने के लिए तैयार किया था जिसमें पुलिस को कहा गया था कि वह गैर कानूनी हुक्म मानने से इंकार कर दे। जिन लोगों को इस प्रस्ताव के पर्चे छपवाकर बाँटने के लिए सजा दी गयी थी, उनकी अपील उस वक्त इलाहाबाद के हाई-कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। ब्रिटिश राज्य के जजों ने फैसला किया था कि पुलिस से गैर कानूनी हुक्म न मानने के लिए कहना कोई गलत बात नहीं है।'[3] 'स्वतंत्रता मिलने के पहले गांधी जी ने भी पुलिस से इसी तरह की अपील की थी।'[4]

1- आपातकालीन स्थिति सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ। पेज 13

2 -कारावास की कहानी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 120

3-फैसला- ले0 कुलदीप नैय्यर (हिन्दी अनुवाद) पेज 46

4- दिनमान, 9 फरवरी, 1975 पेज 16

अतः स्पष्ट है कि पुलिस और सेना से गैरकानूनी आदेशों को पालन न करने के लिए कहना असंवैधानिक नहीं है। इस आधार पर बिहार आन्दोलन को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन के समय श्री मधुलिमये ने कहा था —
'निःसन्देह बिहार आंदोलन अतिरिक्त संवैधानिक(एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल) है लेकिन लोकतंत्र विरोधी नहीं।'[1]

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिहार आंदोलन का स्वरूप संवैधानिक भले ही न रहा हो पर इसे असंवैधानिक(अन्कान्स्टीट्यूशनल) कहना उचित न होगा। अतः इसे संविधानेतर(एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल) आन्दोलन की संज्ञा देना अधिक औचित्यपूर्ण है।

<u>बिहार तथा गुजरात आन्दोलन :-</u>

'बिहार आन्दोलन' की पृष्ठभूमि एवं प्रेरणास्रोत के रूप में 'गुजरात आन्दोलन' निहित था। अतः बिहार आन्दोलन के स्वरूप का अध्ययन करते समय गुजरात आन्दोलन के संबंध में भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार करलेना प्रासंगिक होगा। इन दोनों आन्दोलनों में समानता यह थी — इन दोनों आंदोलनों का आरंभ छात्रों ने किया था और उन की इनमें अन्त तक महत्वपूर्ण भूमिका रही। परन्तु इस समानता के होते हुए भी दोनों में कुछ आधारभूत अन्तर देखने को मिलते हैं।

'बिहार आन्दोलन' के समय इन दोनों आन्दोलनों की तुलना करते हुए प्रो० बाल आप्टे ने कहा था —' यह सही है कि गुजरात और बिहार में आंदोलन का श्रीगणेश छात्रों ने किया किन्तु गुजरात आन्दोलन का उद्देश्य सीमित था।गुजरात का आंदोलन स्थानीय समस्याओं को लेकर था, चिमन भाई की सरकार गिरने और

1- बिहार आन्दोलन वार्षिकी, 1974-75 पेज 41 राम बहादुर राय (संपादक)

विधान सभा भंग हो जाने के बाद यह आन्दोलन समाप्त हो गया। और जिन समस्याओं को लेकर यह आन्दोलन शुरू हुआ था वह समस्यायें ज्यों की त्यों रहीं। यह गुजरात आन्दोलन की असफलता है। .... बिहार आन्दोलन गुजरात आन्दोलन से व्यापक इसलिए रहा है कि उसने समाज परिवर्तन के व्यापक मुद्दे खड़े किये... बिहार आन्दोलन इसमें से खड़े मुद्दों के कारण राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया था लेकिन गुजरात आन्दोलन सीमित उद्देश्यों के कारण परिवर्तनवादी आन्दोलन के रूप में असफल रहा।"[1]

गुजरात आन्दोलन विधानसभा के विघटन के बाद बिखर गया। इसका कारण यह था कि वहाँ के छात्रों के पास भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। परन्तु बिहार आन्दोलन के सम्बन्ध ऐसी बात नहीं थी। इस आंदोलन के पास सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन की एक व्यापक योजना थी, निश्चित कार्यक्रम थे एवं जे0पी0 जैसे अनुभवी व्यक्ति का नेतृत्व था।

यह बात नहीं है कि गुजरात आन्दोलन का कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। प्रभाव की दृष्टि से गुजरात आन्दोलन के परिणाम अधिक तात्कालिक एवं सत्तारूढ़ दल को चोट पहुँचाने वाले हैं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ही गुजरात आन्दोलन ने सत्ता पक्ष को करारी मात दी थी। जनता की रुष्टता एवं आक्रोश को गुजरात के चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया था। गुजरात विधान सभा के विघटन के बाद जो चुनाव हुए उनमें सत्ता कांग्रेस के विरुद्ध 'जनता मोर्चे' को विजय हुयी थी। बिहार आन्दोलन तत्कालीन व्यवस्था के ही परिवर्तन की मांग कर रहा था अतः उसके तात्कालिक परिणाम व्यवस्था के सम्बन्ध में उतने प्रत्यक्ष नहीं हैं।

1- बिहार आन्दोलन, वाराणसी, 1974 पेज 43 राम बहादुर राय (संपादक)

जे0पी0 के निकटतम सहयोगी एवं सर्वोदयी नेता श्री नारायण देसाई ने इन दोनों आन्दोलनों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था —' गुजरात का आन्दोलन शहरों और कस्बों तक पहुँचा था, बिहार का आन्दोलन प्रखण्ड एवं पंचायतों तक पहुँच गया था। गुजरात के आन्दोलन में शुरू में शान्तिमय कार्यक्रमों के होते हुए भी उसके अन्तिम चरण में हिंसा और तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी। बिहार में आरम्भ में हिंसा हुयी थी लेकिन जे0पी0 के आने के बाद आन्दोलन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहा। गुजरात और बिहार में पुलिस की दमनकारी नीति प्रायः एक सी रही। गुजरात में 'मीसा' के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन जेलें नहीं भरी गयी थीं। बिहार में सत्याग्रही लोगों द्वारा जेलें बार बार भर दी गयी। गुजरात में छात्रों का कोई प्रान्तव्यापी संगठन नहीं था बिहार में ऐसा संगठन है। गुजरात की नवनिर्माण समितियाँ एक सूत्र में बद्ध नहीं थीं। अपनी सारी कमजोरियों के बाद बिहार की 'छात्र संघर्ष समितियाँ' गुजरात से अधिक एक सूत्र में ग्रथित थीं। गुजरात में 'जन-संघर्ष समितियाँ' या 'समन्वय समितियाँ' नहीं थीं। बिहार मे जगह-जगह ये समितियाँ बनायी गयी थीं जिससे आन्दोलन को बल मिला। गुजरात में छात्रों का सामूहिक अनु-शासन प्रकट नहीं हुआ, बिहार आन्दोलन में यह अनुशासन देखने को मिला। गुजरात आन्दोलन विधान सभा के विघटन के तात्का-लिक ध्येय तक सीमित होकर रह गया था। बिहार का आंदोलन आपातकाल के गति-रोध तक निरन्तर व्यापक होता जा रहा था। गुजरात में कोई अखिल भारतीय स्तर का नेता आंदोलन में सक्रिय नहीं था। बिहार में जे0पी0 का नेतृत्व आंदोलन को प्राप्त हुआ।'[1]

गुजरात और बिहार आन्दोलन में उपर्युक्त अन्तर दृष्टिगत होते हैं। बिहार आन्दोलन में गुजरात आंदोलन की अपेक्षा अधिक व्यापकता, समन्वयता एवं अहिंसात्मकता बनाये रखने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है।

1- बिहार आन्दोलन : प्रश्नोत्तर, ले0नारायण देसाई, पेज 25 और 26

(ग) आन्दोलन का परिणाम

जन-जागरण :-

'बिहार आन्दोलन' के परिणाम स्वरूप देश में एक अभूतपूर्व जन-जागरण पैदा हुआ। इससे केवल बिहार ही नहीं, सम्पूर्ण देश प्रभावित हुआ। गांधी का सत्याग्रह जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनशक्ति को उभारने में बहुत दूर तक सफल हुआ था जिस के फलस्वरूप साम्राज्यवाद से देश को मुक्ति मिली। जे0पी0 के बिहार आन्दोलन ने स्वदेशी सत्ता के विरुद्ध जनबल जागृत एवं संगठित करने में सफलता प्राप्त की थी।

जे0पी0 के कथनानुसार —" इस आन्दोलन से जनता में एक नयी चेतना पैदा हो रही थी।"[1] डा0 शाश्वत विजय इस आंदोलन को देश में जनजागृति उत्पन्न करने वाला मानते हुए लिखते हैं —' 74 का बिहार आंदोलन अपने परम्परागत क्रान्तिकारी चरित्र की एक कड़ी रही है जिसकी गुजरात के नौजवानों ने पृष्ठभूमि दी, बिहार आंदोलन ने उसे सृजन और जागरण का दर्शन दिया है जो यह देश आजादी के बाद निरंतर खो रहा था। इस आंदोलन ने जनता को वह दृष्टि दी है जिससे वह अपनी शक्ति को पहचानने लगी है ...... आजादी के बाद ऐसी धारणा बन रही थी कि भारतीय समाज के क्रान्तिकारी चरित्र का ह्रास हुआ है, यह देश चारित्रिक उच्चता को नेतृत्व प्रदान करने की सामर्थ्य को खोता जा रहा था। जे0पी0 ने इस धारणा को झुठला दिया। उन्होंने धुंधले हो रहे गांधी के शान्तिपूर्ण अहिंसक क्रान्ति के दर्शन को पुनस्थापन किया।'[2] 'तरुण क्रान्ति' ने अपने 'संपादकीय' में लिखा था कि "बिहार आन्दोलन की सबसे बड़ी देन है कि उसने सारे देश में एक नयी राज-

---

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 39

2- विद्रोही की डायरी, ले0 डा0 शाश्वत विजय, पेज 146

नैतिक चेतना पैदा कर दी है और यह चेतना दलों और सरकारों से ऊपर है।"[1] प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता एवं विद्वान् 'दादा धर्माधिकारी' का भी चिंतन है कि –" त्रुटियों और दोषों के होते हुए भी कुल मिलाकर इस आन्दोलन को लोकशक्ति के आवाहन में अपेक्षातीत सफलता प्राप्त हुयी।"[2] बाबू राव चन्दावार के अनुसार –" चौहत्तर के बिहार आन्दोलन ने अवश्य ही जनमानस में सम्पूर्ण क्रान्ति की आकांक्षा पैदा की है। इससे जो लोकशक्ति का शक्तिमय स्वरूप उभरा वह जनान्दोलन के इतिहास में एक नया अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा।"[3]

उपर्युक्त विवरण एवं विद्वानों के कथोपकथनों से स्पष्ट है कि बिहार आन्दोलन के परिणाम स्वरूप एक अभूतपूर्व जनजागरण बिहार एवं सम्पूर्ण देश में उत्पन्न हुआ था। जागरूक जनता जनतंत्र का आधार हुआ करती है। इस जनजागरण के माध्यम से देश में एक नयी चेतना का प्रवाह करके जे0पी0 ने देश के जनतंत्र के आधार को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

छात्र युवाशक्ति का उदय :—

बिहार आन्दोलन का एक परिणाम यह हुआ कि इससे 'छात्र युवाशक्ति' का उदय हुआ। यह युवा शक्ति एक निर्णायक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आयी। यह इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि बिहार आन्दोलन के समय युवकों ने जे0पी0 के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर एक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन देश में हुआ। इस संदर्भ में जे0पी0 ने कहा था —" भारत की राजनीति में एक महत्व की घटना घटी। क्रान्ति हुयी इस क्रान्ति

1- तरुण क्रान्ति, 10-15 अप्रैल, 1977 पेज 14

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 10

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की रणनीति, ले0 बाबूराव चन्दावार पेज 6

के अगुवा हमारे देश के युवक रहे।"[1]

बिहार आन्दोलन में छात्र-युवा शक्ति का यह अनुशासनात्मक रूप स्वतंत्र भारत में पहली बार देखने को मिला अन्यथा छात्रों एवं युवकों की भूमिका आंदोलनों के समय अधिकांशतः तोड़-फोड़ और हिंसक घटनाओं तक ही सीमित रही है। जे0पी0 के कथनानुसार ' हमारे आंदोलन से युवकों और छात्रों के आक्रोश को एक शांतिमय दिशा मिली।'[2]

इस आंदोलन के द्वारा पहली बार छात्र शक्ति अपनी सीमित माँगों (फीस, परीक्षा इत्यादि) से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी। इससे देश में युवकों का सम्मान बढ़ा। 'धर्मयुग' ने अपने 'सम्पूर्ण क्रान्ति अंक' में लिखा कि —"बिहार आन्दोलन और उससे पहले गुजरात आंदोलन ने सबसे महत्व का काम यह किया कि भारतीय युवक को एक बार फिर राष्ट्र-जीवन से जोड़ दिया।"[3] "देश में इतने बड़े परिवर्तन के लाने के बाद छात्रों की जो प्रतिष्ठा धूमिल हो गयी थी पुनः कायम बनी।"[4] इस आन्दोलन के समय भारतीय युवकों का राजनीतिक प्रशिक्षण जे0पी0 के निर्देशन में भारतीय परिस्थितियों और भारतीय मानस को दृष्टि में रखकर सम्भव हो सका। "बिहार आन्दोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी युवापीढ़ी के सही राजनीतिकरण की।"[5]

आंदोलन के समय छात्रों और युवकों द्वारा निभायी गयी भूमिका को देखकर सत्ता पक्ष ने भी 'युवा शक्ति' को महत्व देना आरम्भ किया। बिहार आंदोलन के बाद 'युवा परिषद' की भूमिका इसका स्पष्ट उदाहरण है।

1- साप्ताहिक हिन्दुस्तान 27 नवम्बर, 1977 पेज 23

2- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 21

3- धर्मयुग, सम्पूर्ण क्रान्ति अंक, 5 जून, 1977 पेज 20

4- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, संपादक-डा0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 3

5- धर्मयुग, 20 मई, 1979 पेज 11

इस आंदोलन ने पहली बार छात्र एवं युवा शक्ति को प्रामाणिकता प्रदान की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि छात्र परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिहार आंदोलन का एक दूरगामी परिणाम यह हुआ कि आगे आंदोलनों में छात्रों एवं युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने लगी। 'असाम आंदोलन' इसका उदाहरण है। इस आंदोलन में 'अखिल असाम छात्र संघ(आल असम स्टूडेण्ट्स यूनियन) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 'असाम आंदोलन' के संबंध में 'दिनमान' ने लिखा है—

'अखिल असाम छात्र संघ(आल असम स्टूडेण्ट्स यूनियन), इस स्टूडेण्ट्स यूनियन ने आंदोलन को आम जनता से जोड़ने के लिए 'गण संग्राम परिषद्' नाम का एक संगठन बनाया था जिसका 'आल असम स्टूडेण्ट्स यूनियन भी सदस्य था...... इसके अतिरिक्त 'स्वेच्छा सेवक वाहिनी' नाम से एक तीसरा संगठन भी खड़ा किया गया।'[1]

'असाम आंदोलन' में छात्रों, युवकों एवं राजनीतिक दलों का गठबन्धन बहुत कुछ बिहार आन्दोलन की भांति रहा। जे0पी0 की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की भांति इस आंदोलन में 'स्वेच्छा सेवक वाहिनी' का गठन किया गया।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिहार आंदोलन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण छात्र युवा शक्ति का उदय हुआ। स्वतंत्र भारत की राजनीति में छात्रों एवं युवकों को प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है।

<u>विपक्षी दलों में एकता</u> :—

बिहार आंदोलन के परिणाम स्वरूप तत्कालीन विपक्षी राजनीतिक दलों को निकट आने का अवसर मिला। उनमें एकता स्थापित हुयी। बिहार आंदोलन' के विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ मिलकर काम करने से विपक्षी राजनीतिक दलों को एक

1- दिनमान, 19-25 अक्टूबर, 1980 पेज 8

दूसरे को समझने का अवसर मिला। इस प्रकार यह आंदोलन विपक्षी राजनीतिक दलों में एकता स्थापित करने में सहायक हुआ। इस तथ्य को स्वीकारोक्ति करते हुए तत्का-लीन जनसंघ के श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था —' बिहार के आंदोलन का प्रति-पक्षी दलों को एक जुट करने में बड़ा व्यापक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा।'[1] डा0लक्ष्मी-नारायण के अनुसार 'इसी से संघर्ष पक्ष बनाम संघर्ष विरोधी पक्ष का ध्रुवीकरण हुआ।'[2]

'बिहार आन्दोलन' के अन्तिम चरण में विपक्षी राजनीतिक दलों के इस राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही जे0पी0 के अथक प्रयत्नों से गुज-रात में चुनाव के समय 'जनता मोर्चा' का गठन सम्भव हो सका। इस मोर्चे में आंदो-लन समर्थक विपक्षी राजनीतिक दल सम्मिलित थे।'[3] विपक्षी दलों के इस 'जनतामोर्चा' को गुजरात के चुनाव में आशातीत सफलता मिली। इसी सफलता से प्रेरणा ग्रहण कर 'आपात काल' के बाद जनता पार्टी' का निर्माण हुआ।

गुजरात के चुनाव से जे0पी0 की इस धारणा को बल मिला कि 'दलों' की संख्या को बटने से बचाकर सत्ता कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। आपातकाल के बाद 'जनता पार्टी' के रूप में जे0पी0 के प्रयत्नों से ऐसे सफल विकल्प का प्रस्तुतीकरण भी हुआ। यह विपक्षी दलों के इसी सहयोग का परिणाम था जिसका प्रारम्भ बिहार आन्दोलन के समय हुआ था। जे0पी0 के कथनानुसार "कुछ दल तो मिल-कर एक हुए...... जनता पार्टी जो बनी वह इसी प्रयास का फल था।"

जे0पी0 का बिहार आंदोलन विपक्षी दलों की एकता को आधार प्रदान करने एवं प्रेरक शक्ति के रूप में याद किया जायेगा।

1- बिहार आंदोलन वार्षिकी, सम्पादक-रामबहादुरराय, 1974-75 पेज 36-37
2- अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले0 डा0लक्ष्मीनारायणलाल पेज 118
3- देखे इसी शोध प्रबन्ध का, यही अध्याय शीर्षक-गुजरात का चुनाव (आन्दोलन के विस्तार के अन्तर्गत)

आपात स्थिति की घोषणा :—

'बिहार आन्दोलन' अपने अन्तिम चरण में केन्द्र की ओर उन्मुख होता गया। 'बिहार आन्दोलन' का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध चुनाव याचिका पर अपना निर्णय देते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी घोषित किया।" श्री जयप्रकाश नारायण' श्री मोरार जी देसाई तथा अन्य विपक्षी नेताओं ने .... श्रीमती गाँधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के हेतु आंदोलन शुरू कर दिया।"[1] 21 से 25 जून, 1975 तक बिहार आंदोलन समर्थित प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की बैठक नयी दिल्ली में हुयी।" 23 से 25 जून तक श्री जयप्रकाश ने भी इन बैठकों में भाग लिया। देश व्यापी आंदोलन का कार्यक्रम बनाने के लिए दस सदस्यीय समिति बनायी गयी।"[2] "प्रधानमंत्री से इस्तीफे की माँग करने के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का कार्यक्रम तैयार किया गया।"[3]

25 जून 1975 की शाम को दिल्ली की सभा में भाषण देते हुए जे0पी0 ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, की घोषणा करते हुए कहा —" उन्हें शासन करने का कोई नैतिक, कानूनी अथवा संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम उन्हें अमान्य घोषित करेंगे। हम उनसे सहयोग नहीं करेंगे, एक पैसा टैक्स नहीं देंगे।"[4] '25 जून 1975 को अर्धरात्रि के बाद 'आपात स्थिति' की घोषणा कर दी गयी।'[5]

1- आपातस्थिति क्यों? सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, पेज 15

2- वही, पेज 15

3- वही, पेज 16 4- वही, पेज 16

5- विस्तृत अध्ययन के लिए देखें, इसी शोध प्रबन्ध का अध्याय 3 शीर्षक—जे0पी0 की केन्द्रीय सक्रियता और आपात स्थिति की घोषणा।

इस प्रकार 'बिहार आन्दोलन' जिस समय देश व्यापी आन्दोलन होने जा रहा था उसी समय 'आपात स्थिति' की घोषणा कर दी गयी। जे०पी० के कथनानुसार —" इस प्रकार लोकतंत्र पर घातक प्रहार हुआ और लोकतंत्र के आन्दोलन में एक भारी विघ्न आ पड़ा। इस आंदोलन की क्रान्तिकारी सम्भावनाओं से भयभीत होकर इन्दिरा जी ने परिवर्तनके मार्ग ही को अवरूद्ध करने की कोशिश की।"[1]

तत्कालीन सत्ता कांग्रेस के विद्वान् सचिव एवं दल की कार्यकारिणी के सदस्य श्री शंकर दयाल सिंह ने इस संदर्भ में अपनी पुस्तक में लिखा है कि —' 25 जून 1975 की संध्या में रामलीला मैदान (दिल्ली) की जनसभा में जयप्रकाश जी ने भी एक ही नारा दिया था —' इन्दिरा गांधी गद्दी छोड़ो' और उसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी दिये थे जिसकी परिणति हुयी 26 जून को जयप्रकाश समेत देश के सभी विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी और उसके साथ-साथ कांग्रेस के भी कतिपय बड़े नेता जेलों में ठूंस दिये गये।'[2]

'आपात स्थिति' को बिहार आंदोलन का परिणाम मानते हुए 'धर्मयुग' ने अपने 'सम्पूर्ण क्रान्ति अंक, के संपादकीय' में लिखा था कि " बिहार अन्दोलन को देश व्यापी शक्तिशाली जनआंदोलन का रूप दिया। ऐसा आंदोलन जिसके शक्तिशाली थपेड़ों से बचने के लिए प्रशासन ने तानाशाही का लौह कवच भी पहना..।"[3] तानाशाही के लौह कवच से आशय यहाँ पर आपात स्थिति की घोषणा से है। 'भारत सरकार के गृह-मंत्रालय द्वारा तत्कालीन प्रकाशित दस्तावेज आपात स्थिति क्यों? में भी 'आपातस्थिति' की घोषणा का मुख्य कारण जे०पी० के नेतृत्व में चल रहे हुए आंदोलन को ही माना गया है।'[4]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में — ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 4।

2- इमर्जेन्सी क्या सच क्या झूठ, ले० शंकरदयाल सिंह, पेज 4।

3- धर्मयुग सम्पूर्ण क्रान्ति अंक, 5 जून 1977 पेज 7

4- आपात स्थिति क्यों? सूचनाविभाग उत्तरप्रदेश, लखनऊ, पेज 6-16

'आपात स्थिति' की घोषणा के अन्य कारण भी हो सकते हैं। परन्तु मुख्य रूप से आपात स्थिति की घोषणा बिहार आन्दोलन के देशव्यापी प्रभाव का परिणाम थी।

मूल उद्देश्यों की असफलता :—

जिन दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था उनको प्राप्त करने में यह पूर्णतः असफल रहा। इस आंदोलन के कुछ तात्कालिक परिणाम तो सामने आये परन्तु मूल उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में यह आन्दोलन कोई दूरगामी प्रभाव नहीं छोड़ सका।

डा0 लक्ष्मीनारायणलाल ने अपने लेख 'आन्दोलन और सम्पूर्ण क्रान्ति' में बिहार आन्दोलन की असफलता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि —"जिन मुद्दों, जिन मांगों को लेकर यह युवा आंदोलन हुआ, उसका कोई भी समाधान तो नहीं हुआ।"[1] डा0 रवीन्द्र श्रीवास्तव (भूतपूर्व जनसंघ के कार्यसमिति के सदस्य) का भी मानना है कि 'यह आंदोलन कुलतः एक राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनकर रह गया।'[2] जे0पी0 अपने जीवनकाल में ही बिहार आन्दोलन की असफलता को स्वीकार करने लगे थे उन्होंने 'जनता सरकार' के नेतृत्व के संबंध में कहा था —" मैंने सत्ता तक पहुंचने में इनकी मदद की क्योंकि मुझे आशा थी कि ये भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखेंगे। पर आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राष्ट्र निर्माण का यह महत्वपूर्ण कार्य इनकी क्षमता के बाहर है। न मोरार जी देसाई के बस का है न चरण सिंह के न दूसरों के। राजनीतिक लाभालाभ की इस लहर में सब डूब गया।"[3] तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई को 1 मार्च 1979 को लिखे गये अपने लम्बे ऐतिहासिक पत्र में जे0पी0 ने

1- समग्रता, सम्पूर्ण क्रान्ति विशेषांक, मार्च 1978 पेज 18

2- दिनमान, 5-11 फरवरी, 1978 पेज 28

3- समग्रता 6-19 अगस्त 1978 पेज 10

लिखा था —' भ्रष्टाचार की समस्या को ही लें। जनता सरकारें अफसरों पर भ्रष्टाचार की बुराई को निर्मूल करना तो दूर, उसे रोकने में भी असफल हुयी है। भ्रष्टाचार का निवारण 1974 के आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य था और हमने बार-बार दिल्ली स्थित भ्रष्टाचार की गंगोत्री की तरफ उंगली उठायी थी। यह अत्यन्त खेद की बात है इस बुराई के कम होने के लक्षण नहीं दीख पड़ते ऊपर से नीचे तक व्याप्त ही है और शायद यह बढ़ रही है...।'[1]

'दिनमान' द्वारा प्रकाशित शीर्षक माला 'बिहार आन्दोलन ने भारत को क्या दिया? ' के अन्तर्गत अनुग्रह नारायण सिंह समाज विज्ञान संस्थान' के निदेशक डा० सच्चिदानन्द ने कहा था —" सम्पूर्ण क्रान्ति के तहत जो नये समाज और सरकार की कल्पना जे०पी० ने की थी वह पूरी नहीं हुयी।"[2] जे०पी० के निजी सचिव श्री सच्चिदानन्द ने जे०पी० के मृत्योपरान्त प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख में लिखा है —" जे०पी०की कल्पना की लोकतांत्रिक क्रान्ति अपूर्ण रह गयी।"[3] जे०पी० ने 'धर्मयुग' से एक 'इण्टरव्यू' में कहा था " मुझे लगता है कि क्रान्ति का यह दौर भी बेकार चला गया। 1974 में जो क्रान्तिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, उसके फलस्वरूप केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होकर रह गया। क्रान्ति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी।"[4]

तुलनात्मक दृष्टि से देखने में जे०पी० और गांधी में अद्भुत साम्य है। कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। गांधी और जे०पी० दोनों का मूल उद्देश्य अहिंसक समाज की रचना का था। जिस प्रकार विदेशी शासन से मुक्ति के अपने तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति में बापू ने स्वयं कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देने पर भी आ[illegible] का

1- सम्प्रति 22-28 अप्रैल, 1979 जे०पी०का श्री मोरारजी देसाई को पत्र, पेज 4-5

2- दिनमान 29 ~~फरवरी~~ जनवरी से 4 फरवरी, 1978 पेज 27

3- सम्प्रति श्रद्धांजलि अंक अक्टूबर, दिसम्बर, 1979 पेज 19

4- धर्मयुग 21-27 जनवरी, 1979 पेज 16

अपना नेतृत्व किया, किन्तु उनके सत्तारूढ़ होने पर उसे अपेक्षित दिशा में मोड़ने में असफल रहे। इसी प्रकार आपातकाल के मुक्ति के संघर्ष में स्वयं किसी राजनैतिक दल में सम्मिलित हुए बिना उनका मार्ग दर्शन करने के बाद जे०पी० सत्तारूढ़ दल पर अपना अंकुश नहीं रख सके। और न ही उन्हें सम्पूर्ण क्रान्ति की दिशा में ले जा सके। गैर राजनैतिक '(निर्दलीय) या नैतिक नेतृत्व द्वारा जनसाधारण को प्रभावित करके जो परिवर्तन लाया गया उसका लाभ सत्तारूढ़ दल(जनतापार्टी) को मिला। परन्तु नैतिक नेतृत्व की क्रान्तकारी कल्पनाओं तथा आम जनता की आशा आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक सर्वथा अभिनव आंदोलन की अपेक्षा कमी की कमी रह गयी। यह बात जे०पी० और गांधी दोनों पर समान रूप से लागू होती है। क्रान्ति के इतिहास की यही विडम्बना है। भले हों चाहे गांधी या जे०पी० उनकी बाह्य सफलताओं के जयघोष के साथ ही उनकी विफलतायें भी सिसकियाँ भर रही हैं।

जे०पी० के निकटवर्ती सर्वोदयी नेता श्री बाबूराव चन्दावर ने अपनी पुस्तक में लिखा है —'' जो धोखा म०गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ वही धोखा जे०पी० को दूसरी स्वतंत्रता वाले सत्ता परिवर्तन से हुआ है।''[1]

निष्कर्ष रूप में बिहार आंदोलन जिन मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाया गया था उन्हें प्राप्त करने में असफल रहा है।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की रणनीति, ले० श्री बाबूराव चन्दावर , पेज 16

तृतीय अध्याय

जे0 पी0 और आपातकालीन स्थिति

तृतीय अध्याय

जे०पी० और आपातकालीन स्थिति

(अ) जे०पी० की केन्द्र की ओर सक्रियता और आपातस्थिति की घोषणा :—

बिहार आन्दोलन के अन्तिम चरण में कुछ ऐसी घटनायें घटित हुयीं जिससे जे०पी० की सक्रियता बिहार से हटकर दिन-प्रतिदिन केन्द्रोन्मुखी (दिल्ली की ओर) होतीचली गयी। जे०पी० की यह सक्रियता 'आपातस्थिति की घोषणा का हेतु बनी।

12 जून 1975 का इलाहाबाद उच्चन्यायालय का निर्णय :—

सन् 1971 के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में श्री राजनारायण श्रीमती इन्दिरा गांधी से पराजित हुए थे। श्री राजनारायण ने श्रीमती गांधी पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाकर एक चुनाव याचिका इलाहाबाद उच्चन्यायालय में प्रस्तुत की। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्चन्यायालय के न्यायाधीश श्री जग मोहन लाल सिन्हा ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्ट तरीके, अपनाने का दोषी पाया। न्यायमूर्ति ने मध्यावधि चुनाव में" रायबरेली से लोकसभा के लिए श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया एवं 6 वर्ष तक के लिए उनके संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानमण्डल का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।" न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनाव याचिका में लगाये गये छः आरोपों में से केवल दो को ही प्रामाणिक माना। प्रथम —सरकारी सेवा में रहते हुए श्री यशपाल कपूर द्वारा श्रीमती गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार। द्वितीय — श्रीमती गांधी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग।' न्यायाधीश

महोदय ने चुनाव याचिका के समय श्रीमती गांधी द्वारा दिये गये बयान के संबंध में निर्णय में कहा 'कई जगह उसमें अर्धसत्य और असत्य की मिलावट है, अतः उस पर यकीन नहीं किया जा सकता।'[1]

निर्णय सुनाने के आधा घण्टे के पश्चात् न्यायमूर्ति सिन्हा ने 'श्रीमती गांधी के वकील की अर्जी पर 20 दिन का स्थगन आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए दिया। न्यायधीश का कहना था कि श्रीमती गांधी के वकील की बहस सुनने के बाद मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि मेरे आदेश और निर्णय पर अमल रोकने के लिए पर्याप्त कारण है।'[2] श्रीमती गांधी के पक्ष के अधिवक्ता ने 'स्थगन आदेश' मांगते हुए तर्क किया था कि "नये नेता चुनने में कुछ समय लगेगा और अगर प्रधानमंत्री से तुरन्त अपना पद छोड़ देने को कहा गया तो सारे देश का प्रशासन अस्त व्यस्त हो जायेगा।"[3] न्यायमूर्ति ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया।

निर्णय पर प्रतिक्रिया :—

इस निर्णय ने तत्कालीन भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। इस निर्णय से दोनों पक्षों में तीव्र प्रतिक्रिया हुयी। बिहार आन्दोलन समर्थित प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार के आधार पर श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की। इसके विपरीत सत्ता-पक्ष ने श्रीमती गांधी से अपने पद पर बने रहने की अपील की।

जे०पी० ने 13 जून 1975 को इस निर्णय के संबंध में अपना वक्तव्य देते हुए कहा —" इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पद त्याग न करना

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले० अवधबिहारी लाल पेज 293

2- दिनमान 22 जून 1975 पेज 16-20

3- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 16

न केवल गैर कानूनी है, बल्कि जनतांत्रिक पद्धति और सार्वजनिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। श्रीमती गांधी को न्यायालय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। चुनाव में भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी करार दिये जाने के बाद अपने पद पर बने रहने का नैतिक और कानूनी अधिकार उन्हें नहीं है। वे तथा उनके पिट्ठू लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बनाये रखने का जो प्रयास कर रहे हैं वह महज पागलपन और शर्मनाक बात है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के ऐतिहासिक फैसले से देश की न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास पुनः जागृत हो गया है।"[1]

जे०पी० का यह वक्तव्य बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि जो व्यक्ति एक राज्य(बिहार) में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था वह केन्द्र एवं देश के महत्वपूर्ण पद पर पदासीन व्यक्ति का भ्रष्टाचार कैसे सहन कर सकता था।

श्रीमती गांधी के निवास पर भी उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि देश हित में श्रीमती गांधी त्यागपत्र न दें। डा० अमरनाथ सिन्हा के मतानुसार 'श्रीमती गांधी के इलाहाबाद के चुनाव याचिका के फैसले के बाद बिहार का जनान्दोलन राष्ट्र का आंदोलन बन गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद जे०पी० और विरोधी दलों के नेताओं ने श्रीमती गांधी से इस्तीफे की मांग की।'[2] जे०पी० का कहना था कि 'प्रधानमंत्री का पद में बने रहना जनता की इच्छा के विरुद्ध है।'[3]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, डा०अयोध्याप्रसाद लाल, पेज 294

2- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, सम्पा०-डा०अमरनाथ सिन्हा, पेज 14

3- स्टेट्समैन, 14जून, 1975 पेज 1 कालम 3

श्रीमती गांधी से जे०पी० एवं विरोधी दलों द्वारा त्यागपत्र की मांग इसलिए और भी औचित्यपूर्ण हो गयी थी क्योंकि अपने ही देश में ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण पदों में पदासीन व्यक्तियों ने त्यागपत्र देने की परम्परा का निर्वाह किया था। "स्व०लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद त्यागपत्र दे दिया था। श्री जान मथाई ने बजट की गोपनीयता भंग होने पर वित्तमंत्री पद पर बने रहना अनैतिक समझा था। डा०सम्पूर्णानन्द ने संसद के चुनावों में हार जाने पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। श्री नीलम संजीव रेड्डी बसों के मामले में आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले बाद तुरन्त हट गये थे। स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने मंत्रिमण्डल के एक सदस्य डा० चेन्ना रेड्डी की चुनाव याचिका खारिज होने पर उन्हें अविलम्ब कार्य-मुक्त कर दिया था।"[1]

प्रतिपक्ष श्रीमती गांधी से त्यागपत्र दिलवाने के उद्देश्य से दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन करना चाहता था। "जय प्रकाश नारायण को 17 जून को विपक्षी की पार्टियों का एक फौरी संदेश मिला कि वह फौरन दिल्ली आकर उनकी विशाल रैली की अगुवाई करें। लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। वह इसके पक्ष में थे कि श्रीमती गांधी ने जो अपील दायर की थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाने के बाद ही कोई लड़ाई छेड़ी जाये।"[2]

"18 जून को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन राम ने प्रस्ताव पेश किया कि श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री पद पर बना रहना आवश्यक है। श्री चौव्हाण ने इसका समर्थन किया। संसदीय दल ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त की और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। युवातुर्क

1- इमर्जेन्सी क्या सच क्या झूठ, ले०किरणपाल सिंह, पेज 42
2- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 23

इस बैठक में शामिल नहीं हुए।'[1] भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीमती गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि "वह दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दबाव के कारण त्यागपत्र न दें।"[2]

19 जून, 1975 को 'कांग्रेस संसदीय दल के प्रस्ताव पर' अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जे0पी0 ने कहा कि —" प्रश्न यह नहीं है कि कांग्रेसी सांसदों का विश्वास श्रीमती गांधी के नेतृत्व में है या नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि इस देश में विधि का शासन है या नहीं, और वह प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति पर समानरूप से लागू है कि नहीं..... श्रीमती गांधी के वकील द्वारा प्रस्तुत दलील के अनुसार 20 दिनों का स्थगन आदेश इसलिए प्राप्त किया गया कि संसदीय दल की बैठक बुलाकर नये नेता का चुनाव कराया जा सके, जो प्रधानमंत्री की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय होने तक उस पद पर कार्य कर सके। पर संसदीय दल की बैठक ने उनके प्रधानमंत्रित्व की अनिवार्यता घोषित कर दी। कांग्रेसी सांसदों के लिए श्रीमती गांधी का नेतृत्व अपरिहार्य हो सकता है, परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान और खासकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि श्रीमती गांधी को हटना ही चाहिए।"[3]

अपने इस वक्तव्य के द्वारा जे0पी0 ने देश के नागरिकों को बतलाया कि कांग्रेस संसदीय दल का प्रस्ताव, श्रीमती गांधी के वकील द्वारा न्यायालय में 'स्थगन आदेश' के लिए दिये गये तर्क से मेल नहीं खाता। जिस भावना से न्यायाधीश ने स्थगन आदेश दिया उसका सम्मान न करते हुए राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, अवधबिहारीलाल, पेज 296-97

2- वही, पेज 295 3- वही, पेज 297-98

जा रहा है। अतः देश के नागरिकों को इस प्रस्ताव को अमान्य करना चाहिए।

यह सत्य है कि सत्ताकाँग्रेस के संसदीय दल का प्रस्ताव न्यायालय में किये गये तर्क की भावना के अनुरूप नहीं था। परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही द्वारा दिये गये, 'स्थगन आदेश के अनुसार इस निर्णय का कार्यान्वयन 20 दिन के लिए रोक दिया गया था अतः श्रीमती गांधी को 20 दिन तक अपने पद पर बने रहने एवं इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। इसलिए केवल नैतिक आधार पर ही इस बीच उनसे त्यागपत्र की मांग की जा सकती थी। श्रीमती गांधी के सामने कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी।

पत्रकार श्री कुलदीप नैय्यर ने अपनी पुस्तक में श्रीमती गांधी की कानूनी स्थिति के संबंध में एक और तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री टी0 स्वामीनाथन्(जो श्रीमती गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे) का समर्थन भी श्रीमती गांधी को मिल गया था। चीफइलेक्शन कमिश्नर ने कहा था —"उन्हें इस बात का अधिकार था कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रधान मंत्री सहित किसी निर्वाचित पद पर हो और उसे किसी भी वजह से इसके लिए अयोग्य ठहरा दिया जाये तो वह अयोग्यता के इस आदेश को रद्द कर सकते हैं। नियमों में यही कहा गया था हालांकि इसके पहले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेन वर्मा ने 1971 के चुनाव के बारे में अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह के 'मनमाने अधिकार' नहीं होने चाहिए।"[1] इलेक्शन कमिश्नर के इस वक्तव्य से श्रीमती गांधी की कानूनी स्थिति और भी सुदृढ़ हो गयी थी।

1- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 29

श्रीमती गांधी के त्यागपत्र न देने के समर्थन में 20 जून 1975 को सत्ता कांग्रेस ने दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें विभिन्न प्रान्तों से आये समर्थकों ने भाग लिया। इस रैली को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा —" देशवासियों के बीच एक भ्रम फैलाकर विरोधी दल ने मुझे पद से हटाने का षड्यंत्र किया है। .... अन्तिम सांस तक मैं जनता की सेवा करती रहूँगी। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिसमें एक से एक बलिदान हुए हैं।"[1]

उधर बिहार आंदोलन' समर्थित राजनैतिक दलों ने श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की मांग को तीव्र करने का निश्चय किया। 21-22 जून 1975 को 'जनता मोर्चे' में सम्मिलित पार्टियों की कार्यकारणी समितियों की एक सम्मिलित बैठक बुलायी गयी। इन राजनैतिक दलों ने श्रीमती गांधी को सत्ता से हटाने के लिए सम्पूर्ण देश में आंदोलन चलाने की योजना बनायी एवं सत्ता कांग्रेस के प्रत्युत्तर में दिल्ली में एक विशाल रैली आयोजित करने का निश्चय किया। "जयप्रकाश ने संदेश भेजा कि वह मोर्चे की बातचीत में और विशाल रैली में हिस्सा लेंगे। राजनारायण ने सभा बुलाकर जयप्रकाश को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि कोई कार्यवाई शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार करना जरूरी नहीं है।"[2] पटना से दिल्ली जाने वाले विमान की उड़ान स्थगित हो जाने के कारण 22 जून को जे0पी0 दिल्ली नहीं पहुंच सके।

23 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस अपील में स्थगन आदेश से शर्तें और

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0अवधबिहारीलाल, पेज 298

2- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 40

समय सीमा हटाने के लिए कहा गया। अर्थात् निरपेक्ष और बिना शर्त स्थगन आदेश निर्गत करने की प्रार्थना की गयी। परन्तु उच्चतम न्यायालय के जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सशर्त स्थगन आदेश देते हुए अपने निर्णय में कहा 'श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकती हैं किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा --- जब तक स्थगन आदेश लागू है। गांधी की लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी, लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्हीं के सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगी रहेगी किन्तु प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का (बिना मतदान के अधिकार के) तथा अन्य कार्य करने का अधिकार है।'[1]

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से औचित्य और नैतिकता का प्रश्न और भी विचारणीय हो गया। प्रश्न था कि क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए जिसे संसद में मतदान का अधिकार न हो।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण स्थगन न देने से 24 जून 1975 को जे0 पी0 की अध्यक्षता में गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दलों की कार्य समिति की संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की मांग की गयी। इस संबंध में कहा गया -' इस्तीफा इस कारण भी आवश्यक हो जाता है कि श्रीमती गांधी के वकील श्री पालकी वाला ने कल सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि यदि पूर्णतया बिना शर्त स्थगन आदेश नहीं मिला तो प्रधानमंत्री के लिए अपना कार्य करना कठिन हो जायेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि इस आदेश के कारण श्रीमती गांधी अब लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं उनका मत देने का अधिकार समाप्त हो गया है अब वे एक

1- विद्रोही की वापसी, ले0 डा0 सत्यपाल मिश्र, पेज 162

के साथ संभव अवश्य है। श्रीमती गांधी की विश्वसनीयता नष्ट हो चुकी है। लोकसभा की उनकी सदस्यता अब सीमित रह गयी है उनके वोट देने का अधिकार निलम्बित हैं ऐसी परिस्थिति में वह किस प्रकार की प्रधानमंत्री रहेंगी? प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे मामलों में पहले मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा है। श्रीमती गांधी ने स्वयं श्री चेन्ना रेड्डी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था।'[1]

श्रीमती गांधी का त्यागपत्र लेने के उद्देश्य से " 25 जून की सुबह मोरार जी देसाई की अध्यक्षता में एक 'लोक संघर्ष समिति' बनायी गयी जिसके सेक्रे-टरी नाना जी देशमुख और कोषाध्यक्ष अशोक मेहता थे।"[2] जनता मोर्चा के अध्यक्ष मोरार जी भाई ने जे0पी0 के परामर्श से घोषणा की कि पांच दलीय जनता मोर्चा 29 जून से राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन करेगा।'[3] इस घोषणा के साथ ही जे0 पी0 की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुयी कि "यह आंदोलन अनिवार्यतः एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एकाध साल में विकसित हो जायेगा।"[4] इन सभी आयोजनों का उद्देश्य श्रीमती गांधी को त्यागपत्र के लिए बाध्य करना था।

'लोक संघर्ष समिति' में बिहार आंदोलन समर्थक राजनीतिक दल सम्मिलित थे। गुजरात 'जनता मोर्चा' की सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम विरोधी दल इस मोर्चा समिति के माध्यम से निकट आये। इस प्रकार सत्ता कांग्रेस के विकल्प की पहली रूपरेखा जे0पी0 के निर्देशन में बनी। इसी एकता के आधार पर आगे चलकर 'जनता पार्टी' का जन्म हुआ। 'जनता पार्टी' ने भारतीय राजनीति को ऐतिहासिक मोड़ दिया।

1-विद्रोही की वापसी, ले0 डा0 [illegible] विजय, पेज 163

2-इन्दिरा गांधी के दो चेहरे-ले0 उमा वासुदेव (हिन्दी अनुवाद) पेज 83-84

3-अंधकार में एक प्रकाश जयप्रकाश, ले0 डा0 लक्ष्मीनारायण लाल, पेज 123

4- [illegible], अगस्त, 1974

25 जून, 1975 की रैली :-

25 जून, 1975 को आंदोलन समर्थित पुलिपक्ष की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जे0पी0 ने रैली को सम्बोधित किया। श्रीमती गांधी के पक्ष में आयोजित रैलियों के संबंध में जे0पी0 ने कहा 'यह बहुत खतरे की बात है कि प्रदर्शन कराये जाय, मीटिंग रैली करायी जाय और उसमें प्रस्ताव पास किये जायें, यह आप सब जानते हैं कि किस प्रकार लोगों को हजारों की तादाद में बुलाया गया, प्रस्ताव पास किया गया कि आप इस्तीफा न दीजिए, आपके बगैर देश का काम न चलेगा। उससे कानून का कोई मतलब नहीं था। लोकतंत्र में राज्य के तीन अंगों में से एक ज्यूडिशियरी है अब अगर डेमोक्रेसी है और तो कोर्ट में फैसला हुआ है तो उस फैसले को बदलने का अधिकार जनता को नहीं है.... सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के सम्बन्ध में उन्होंने कहा.... पालकी वाला साहब पूर्ण स्थगन की मांग कर रहे थे जिससे श्रीमती गांधी पार्लियामेन्ट में मतदान कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्थगन नहीं दिया.... मेम्बरी उनकी खत्म नहीं होती पर मेम्बरी का कोई अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। वह वोट तो मंत्री के पद से भी नहीं दे सकतीं.... ऐसी हालत में क्या देश के लिए अच्छा होगा कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहे देश का, दुनिया भर के सामने एक ऐसा प्रतिनिधि रहे। इसलिए यह कोई नैतिकता का ही प्रश्न नहीं है यह एक ऐसा प्रश्न है कि क्या ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर देश का होना चाहिए जिसके बाद पैर बंधे हुए हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। जो तब तक नहीं धुलता जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता।'[1]
29 जून 1975 से चलाये जाने वाले सत्याग्रह के संबंध में जनता को बतलाते हुए इसी

1- विद्रोही की वापसी, ले0 डा0 रामचन्द्र मिश्र, पेज 163-65

सभा में जे0पी0 ने कहा ' यह जो संघर्ष आ गया है इसे देशव्यापी बनाना है। प्रधानमंत्री सारे देश का है लोकसभा सारे देश की है इसीलिए इस देशव्यापी संघर्ष का आह्वान् है इसका पहला दौर है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करना, जनता की ओर से हम मांग करते हैं कि आपको अब यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक सप्ताह का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह का है। लेकिन आप समझते हैं कि केवल एक सप्ताह के सत्याग्रह से प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाली है नहीं, तब आगे जाना पड़ेगा देश भर में सत्याग्रह करना पड़ेगा। सिविल नाफरमानी का भी वक्त आ सकता है, जब यह फैसला हो कि सरकार को हमने अमान्य किया है---।'[1]

जिस प्रकार का स्थगन आदेश श्रीमती गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिला था उसके आधार पर संवैधानिक रूप से उन्हें त्यागपत्र के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्थगन आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि 'श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। विरोधी दल, श्रीमती गांधी से त्यागपत्र देने के लिए केवल नैतिक अपील कर सकते थे। यदि त्यागपत्र देना नैतिकता का प्रश्न था तो यह नैतिक दायित्व श्रीमती गांधी का था न कि विरोधी दलों का। यह सत्य है कि लोकतंत्र में नैतिकता और परम्पराओं का महत्व होता है। परन्तु इस 'याचिका' के संबंध में त्यागपत्र देने की नैतिकता को बाध्यता का रूप नहीं दिया जा सकता था। 'श्रीमती गांधी से उनके इस्तीफे की मांग केवल नैतिक आधार पर ही की जा सकती थी कानूनी तौर पर नहीं।'[2] जहाँ तक न्यायालय के निर्णय के संबंध में प्रदर्शनों और रैलियों का प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद विपक्ष यही गलती कर रहा था जिस तरह की गलती

1-विद्रोही की वापसी, ले0 डॉ0 शाश्वत मिश्र, पेज 167-68

2- एक युग का अन्त, ले0 [illegible], (हिन्दी अनुवाद) पेज 192

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष ने की थी। स्वयं जे0पी0 ने अपने भाषण में कहा था —' न्यायालय के निर्णयों को प्रदर्शन और रैली का विषय न ही बनाया जाना चाहिए।'[1]

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कि 'श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, नैतिकता और औचित्य की दुहाई देकर उनको त्यागपत्र के लिए बाध्य करना, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार में कटौती करना और एक प्रकार से न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना जैसा था। यह भारतीय लोकतंत्र के एक गलत परम्परा का आरम्भ था, जिसकी पुनरावृत्ति श्रीमती गांधी और श्री संजय गांधी के मुकदमें में (जनता पार्टी के शासन के समय) होती रही।

शोधकर्ता को जे0पी0 के निजी सचिव श्री अब्राहम ने बतलाया है कि जे0पी0 श्रीमती गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने तक इस प्रकार की रैलियों और प्रदर्शनों के पक्ष में नहीं थे। किन्तु 20 जून 1975 को सत्तापक्ष द्वारा आयोजित की गयी रैली के पश्चात्, राजनारायण व अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर सत्ता पक्ष द्वारा किये जा रहे प्रचार का उत्तर देने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरह की रैली में भाग लेना स्वीकार किया।

'जे0पी0 की 25 जून 1975 को रामलीला मैदान (दिल्ली) की रैली की समाप्ति के बाद उसी दिन रात्रि में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की सलाह पर आन्तरिक आपात स्थिति' की घोषणा कर दी।'[2] '25जून 1975 की रात्रि में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान दिल्ली में जे0पी0 को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में उपस्थित आन्दोलन समर्थित राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

1- विद्रोही की वापसी, ले0 अशोकचन्द्र विजय, पेज 163-64

2- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट 1, 11 मार्च 1978 (भारत सरकार प्रकाशन) 605 पेज, पेज 29-32

आपातकाल की घोषणा के पश्चात् बिहार आंदोलन समर्थित राजनीतिक दलों के नेताओं, विद्यार्थियों, सचिवों, कार्यकर्ताओं की देशव्यापी, व्यापक गिरफ्तारियां हुयीं।

'सरकार द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होने वाली रैली के बाद विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी का निर्णय 23 जून 1975 को ही लिया जा चुका था। गिरफ्तार किये जाने वाले नेताओं की सूची आरके धवन (सी0आई0डी0) द्वारा प्रधान मंत्री के निवास में तैयार कर ली गयी थी। सरकार को यह रैली 24 जून को होने की आशा थी परन्तु यह रैली 24 जून को न होकर 25 जून को हुयी। इसलिए यह कार्यवाही 24 जून को न होकर 25 जून को रैली के बाद हुयी।'[1]

इमर्जेन्सी की घोषणा के पश्चात् 'भारत सरकार' की ओर से एक पुस्तिका 'आपातस्थिति क्यों?' प्रकाशित की गयी। इस पुस्तिका को विभिन्न राज्यों के 'सूचनाविभाग' द्वारा प्रकाशित कर वितरित कियागया। '21 जुलाई 1975 को आपात स्थिति के बाद के लोक सभा के पहले अधिवेशन में ही यह पुस्तिका वहां सारे उपस्थित सदस्यों में वितरित गयी।'[2] इस पुस्तिका में आपात स्थिति की घोषणा के लिए जे0पी0द्वारा विद्यार्थियों एवं विपक्षी दलों को लेकर चलाये जा रहे आंदोलन को उत्तरदायी ठहरायागया था। इसपुस्तिका में विभिन्न समाचार पत्रों एवं विभिन्न अवसरों पर जे0पी0द्वारा दिये गये वक्तव्यों के उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि जे0पी0द्वारा विद्यार्थियों एवं विपक्षी दलों के सहयोग से देश में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गयी थी जिससे बाध्य होकर सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी' इस प्रकार इस सरकारी दस्तावेज के अनुसार 'इमर्जेन्सी' की घोषणा जे0पी0 की सक्रियता का परिणाम थी।

पत्रकार डी0आर0मनेकेकर तथा कमला मनेकर ने भी अपनी पुस्तक में श्रीमती गांधी के संबंध में लिखा है कि 'इलाहाबाद के फैसले के तुरन्त बाद जो स्थिति सामने आ खड़ी हुयी थी, उसने श्री जयप्रकाशनारायण के बढ़ते हुए आन्दोलन के साथ मिल कर उन तरीकों को लागू करने की आवश्यक प्रेरणा और बहाने उन्हें प्रदान कर दिये जिन्हें सामान्य समय में लागू करने का साहस वे नहीं कर सकती थीं। आपातस्थिति लागू करके एक हमले में उन्होंने विरोधी दलों की 'बकवास' से छुट्टी पा ली थी।"

आपातकाल की घोषणा के अन्य कारण भी हो सकते हैं। परन्तु उपर्युक्त परिस्थितियों, घटनाक्रम एवं दस्तावेजों के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि आपातस्थिति प्रमुख एवं प्रत्यक्ष रूप से जे0पी0 की सक्रियता का परिणाम थी।

1- शाह जांच आयोग, अन्तरिम रिपोर्ट, 11 मार्च, 1978 (भारतसरकारप्रकाशन) पेज26-27

2- जयप्रकाश जी ने कहा ही था, ले0 वसंतनारगोलकर (हिन्दीअनुवाद) पेज11।

तृतीय अध्याय

(क) आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताओं की समाप्ति

अन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में बंद किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत जिन नागरिक स्वतंत्रताओं का आश्वासन है वे लगभग समाप्त प्राय हो गयीं। इस संबंध में जे0पी0 ने समय समय पर अपने विचार दिये है। निम्न व्यवस्थाओं के द्वारा नागरिक स्वतंत्रतायें आपातकाल के समय लगभग समाप्त कर दी गयी थीं।

(1) मीसा का प्रयोग :—

आपातकाल के समय जिस कानून ने सामान्य जनता और राजनीतिज्ञों को सबसे अधिक भयभीत कर रखा था उसे मीसा 'अन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। आपात स्थिति के समय इस कानून के अन्तर्गत व्यापक गिरफ्तारियां हुयीं। "जब यह कानून पास किया गया था उस वक्त सरकार ने संसद में विपक्ष को यह विश्वास दिलाया था कि मीसा को राजनीतिक विरोधियों को नजरबन्द करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।"[1]

परन्तु आपातकाल की घटनाओं से स्पष्ट है कि इसका सर्वाधिक प्रयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया गया। 'शाह आयोग' ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में लिखा है कि 'सरकार द्वारा संशोधित' मीसा' के तहत लोगों को गिरफ्तार

1- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 47

करने के जो अधिकार प्राप्त कर लिये गये थे, उनका विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों ने बहुत दुरूपयोग किया, प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के अकेले इसी कार्य से पूरे देश में जनता को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचा।"[1]

'शाह जाँच आयोग' ने अपनी 'प्रथम रिपोर्ट' में मीसा के दुरूपयोग के संबंध में लिखा है कि —" दिल्ली और अन्य राज्यों में जिनके पास आपातकाल की घोषणा के संबंध में अग्रिम सूचना थी, मीसा के अन्तर्गत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ/ नजरबन्दियाँ की गयीं जिनमें अधिनियम के दुरूपयोग के विरूद्ध दी गयी गारण्टी पर ध्यान नहीं दिया गया। कई मामलों में नजरबन्दी के कारणों का वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं था और कुछ अन्य मामलों में पुलिस ने कारण गढ़े और मजिस्ट्रेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हस्ताक्षर किये।"[2]

जे0पी0 'मीसा' के इस दुरूपयोग के विरोधी थे। उनका विचार था कि सामान्य जनता और विरोधी राजनीतिज्ञों को दबाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपातकाल में इसके दुरूपयोग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था — "अगर जनता आवाज उठाये तो मीसा और डी0आई0आर0 से उसका मुँह बन्द कर दिया जाये, यह भी कहा जाता है कि जनता को रोटी-कपड़े से मतलब है, वो क्या करना है नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से? कितना बड़ा अपमान है यह जनता का।"[3]

मीसा के दुरूपयोग के संबंध में 'शाह कमीशन' ने अपनी 'प्रथम रिपोर्ट' में एक स्थान पर लिखा है —" यहाँ सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि या तो

1- शाह आयोग, अन्तिम रिपोर्ट, सामान्य टिप्पणियाँ (भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय) फरवरी, 1979 पेज 3

2- शाह जाँच आयोग (अन्तिम रिपोर्ट) 11 मार्च 1978 भारत सरकार प्रकाशन,) पेज 39

3- यह चुनाव जनता के भाग्य का फैसला, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 11

प्रसिद्ध पत्रकार श्री अक्षयकुमार जैन के अनुसार 'देश में तानशाही का बोलबाला था। अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिये गये आन्तरिक सुरक्षाकानून (मीसा) और भारत रक्षा कानून(डी0आई0आर0) के अन्तर्गत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था।'[1]

पत्रकार श्री चन्द्रशेखर पण्डित ने अपनी पुस्तक में आपातस्थिति के समय सत्तापक्ष के चिन्तन का उल्लेख करते हुए लिखा है "अनुबंध किया गया कि विरोधी दल के उन सब नेताओं को जो जयप्रकाश के विचार का समर्थन करते हैं, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम (डी0आई0आर0) या कुख्यात आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम(मीसा) के अन्तर्गत नजरबन्द करलेना चाहिए।"[2] प्रसिद्ध पत्रकार श्री कुलदीप नैय्यार के अनुसार 'हर जगह पुलिस ने विरोधियों को मीसा या डी0आई0आर0 में वारण्ट जारी करके या वारण्ट के बिना ही पकड़ा। श्री लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तारी के नौ घण्टे बाद गिरफ्तारी का आदेश दिखाया गया था।'[3]

30जून 1975 को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा 'मीसा' कानून को और कठोर बना दिया गया।'30जून को राष्ट्रपति ने आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश जारी करते हुए घोषणा की कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं है मूल अधिनियम में यह बतलाया गया था कि नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के साथ ही कारण बताया जाना चाहिए। नये अध्यादेश के अन्तर्गत कारण बतलाने की कोईजरूरत नहीं थी।'[4]

1- जेल से जलालोक तक, ले0अक्षयकुमार जैन, पेज 108

2-एकयुग का अन्त, ले0चन्द्रशेखर पण्डित, (हिन्दीअनुवाद) पेज 217

3- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यार(हिन्दी अनुवाद) पेज 57

4- दिनमान 6जुलाई 1975 पेज 16

इस अध्यादेश की व्यवस्थाओं को स्थाई बनाने के लिए 'मीसा' कानून में संशोधन कर दिया गया।"सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा कानून में भी हेरफेर करके अपने अधिकार और बढ़ा दिये। इस कानून में किसी को भी, अदालतों को भी, कारण बताये बिना राजनैतिक कैदियों को नजरबन्द रखने और जिनकी नजरबन्दी के आदेश की मियाद पूरी हो गयी हो या आदेश रद्द कर दिये गये हों, उनको फिर से गिरफ्तार करने की इजाजत दी गयी थी। लोकसभा ने 22 जनवरी को 27 के खिलाफ 181 वोटों से इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी।"[1]

'मीसा' में किये गये इस संशोधन के सम्बन्ध में जे0पी0 ने अपनी जेल डायरी, में लिखा था -" तानाशाही की ओर बढ़ती हुयी श्रीमती गांधी अब सरहद तक पहुंच गयी हैं। मीसा में किये गये अन्तिम संशोधन से नजरबन्द का यह अधिकार भी छीन लिया है कि उसे बताया जाय कि किन कारणों से नजरबन्द ~~का कर~~ किया गया है और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि न्यायालय भी सरकार से इन कारणों को बताने के लिए नहीं कह सकते।'[2]

'आन्तरिक सुरक्षा अनुसरक्षण(दूसरा संशोधन) अधिनियम 25 अगस्त1976 द्वारा नजरबन्दी की अधिकतम अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गयी।'[3] 'शाह आयोग' ने अपनी ~~[illegible]~~ रिपोर्ट में मीसा के अन्तर्गत विभिन्न प्रान्तों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में गिरफ्तार व्यक्तियों की निम्न संख्या दी है —

1- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर(हिन्दी अनुवाद) पेज 123

2- मेरी जेल डायरी, ले0जयप्रकाशनारायण पेज 139

3- शाह जाँच आयोग अंतरिम रिपोर्ट । 11मार्च, 1978(भारत सरकार प्रकाशन)पेज 6

क्रमसंख्या	राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1135
2.	असम	533
3.	बिहार	2360
4.	गुजरात	1762
5.	हरियाणा	200
6.	हिमाचल प्रदेश	34
7.	जम्मू कश्मीर	466
8.	कर्नाटक	487
9.	केरल	790
10.	मध्यप्रदेश	5620
11.	महाराष्ट्र	5473
12.	मनीपुर	231
13.	मेघालय	39
14.	नागालैण्ड	95
15.	उड़ीसा	408
16.	पंजाब	440
17.	राजस्थान	542
18.	सिक्किम	4
19.	तमिलनाडु	1027
20.	त्रिपुरा	77
21.	उत्तर प्रदेश	6956
22.	वेस्ट बंगाल	4992
23.	अंडमान निकोबार द्वीप	41

क्रमसंख्या	राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
24-	अरुणाचल प्रदेश	——
25-	चण्डीगढ़	27
26-	दादरा नगर हवेली	——
27-	दिल्ली	1012
28-	गोवा दमन दीव	113
29-	लक्षद्वीप	——
30-	मिजोरम	70
31-	पाण्डिचेरी	54
योग ——		34988

..1

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि 'मीसा' का इमर्जेन्सी के समय व्यापक रूप से दुरुपयोग हुआ। इसके अन्तर्गत विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इससे सामान्य जनता को भी कष्ट हुआ। यह भारतीय लोकतंत्र की एक दुखद घटना थी। जे०पी० ने इस अलोकतांत्रिक कदम की कटु आलोचना की। उन्होंने 'मीसा' को समाप्त किये जाने की माँग की थी। उनके प्रयत्नों से गठित 'जनता पार्टी' के सत्ता में आने पर मीसा को समाप्त कर दिया गया।

(2) प्रेस सेंसरशिप

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आधारभूत स्वतंत्रताओं में से एक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को अपने विचार, भाषण प्रेस (समाचारपत्र व अन्य प्रकाशन) आदि के द्वारा व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। आपातकाल के समय देश में

1- शाह कमीशन आफ इनक्वायरी, थर्ड एण्ड फाइनल रिपोर्ट, 6 अगस्त 1978 (भारत सरकार)

कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गयी थी। संवाद के साधनों में सरकारी नियंत्रण था ही समाचार पत्रों के द्वारा भी केवल वही बातें सामने आ पाती थीं जिन्हें सरकार चाहती है। इस संदर्भ में जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है ——

"आपात स्थिति के दौरान यदि कोई उनके झूठ और मिथ्या प्रचार का उत्तर भी देना चाहे तो कोई समाचार पत्र उसे छापने का साहस नहीं कर सकता था।"[1]

'सरकार ने 25 जून 1975 की रात को जब आपात स्थिति लगाई तो दिल्ली के समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी गयी। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री कृष्णचन्द्र ने 25 जून 1975 की रात को मौखिक आदेश दिये कि शहर के समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली की सप्लाई काट दी जाए।'[2] इससे 'दिल्ली के अधिकांशतः समाचार पत्र नहीं निकले।'[3] पत्रकार चन्द्रशेखर पण्डित के अनुसार —— ("इस दुस्साहसिक कदम के सम्मुख सब स्तब्ध थे।"[4]

"आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए विधान तथा नियम सम्बन्धी अनेक उपाय किये गये। 26 जून 1975 को केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम (1) के अधीन एक सेन्सरशिप आदेश पारित किया गया ...... 5 अगस्त 1975 को चीफ सेन्सर द्वारा प्रेस के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी किए गये।"

समाचार पत्रों के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत किसी भी भारतीय या विदेशी समाचार पत्र में अफवाह छापने, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने और कोई भी ऐसा लेख छापने पर, जिससे सरकार के विरुद्ध विरोध

1- प्रिजन डायरी, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 5

2- शाह जांच आयोग, अन्तरिम रिपोर्ट, 1 11 मार्च 1978 शीर्षक सेन्सरशिप, पेज 42

3- फैसला (हिन्दी अनुवाद) ले0 कुलदीप नैय्यर, पेज 50

4- एक युग का अन्त, ले0 चन्द्रशेखर पण्डित (हिन्दी अनुवाद) पेज 13

की भावना उभरने का खतरा हो रोक लगा दी गयी थी। ऐसे सभी कार्टून, फोटो और विज्ञापन जिन पर सेन्सर के कानून लागू हो सकते हों, सेंसर के लिए भेजना अनिवार्य कर दिया गया था।

'सेंसरशिप की जो मार्गदर्शिकायें जारी की गयी थीं वह प्रकाशनार्थ न होकर गोपनीय थीं और इन मार्ग दर्शिकाओं के कारण सेंसरशिप बहुत व्यापक और कठोर हो गयी थी।''[1]

'आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम 2 फरवरी 1976' पारित किया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी "(क)' आक्षेपणीय सामग्री' पद में ऐसे शब्द, संकेत या दृश्यरूपण शामिल करना जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यपाल के लिए मानहानि कारक हो।(ख)ऐसे प्रकाशनों की प्रतियां जब्त करना जिनका मुद्रण अथवा प्रकाशन केन्द्रीय सर-कार के निषेध आदेश की अवज्ञा करते हुए किया गया हो।, ऐसे किसी मुद्रणालय अथवा किसी अन्य उपस्कर अथवा उपकरण को जब्त करना जिसका उपयोग प्रकाशन में किया गया हो,(ग) जब सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि प्रकाशन में कोई आक्षे-पणीय सामग्री है तो उसे यह शक्ति प्रदान करना कि वह मुद्रणालयों, प्रकाशकों और समाचार पत्रों तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों से प्रतिभूति मांग सकें, (घ)केन्द्रीय सर-कार को इन्हीं प्रकाशनों के समपहृत घोषित करने के लिए शक्ति प्रदान करना।"[2]

'प्रेस परिषद् (निरसन) अधिनियम 2 फरवरी 1976' द्वारा 'प्रेस परिषद' को भंग कर दिया गया।' यह परिषद् समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती थी।

1- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) परिशिष्ट 2 पेज 197-205

2- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट । 11 मार्च 1978 पेज 7

'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन अधिनियम' द्वारा 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।'[1] इस अधिनियम के द्वारा संसदीय कार्यवाही के स्वतंत्र रूप से प्रकाशन की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम श्रीमती गांधी के स्वर्गीय पति श्री फिरोज गांधी के अथक प्रयत्न के परिणाम स्वरूप पारित हुआ था अतः उसे 'फिरोज गांधी अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की विडम्बना कि इस अधिनियम को श्रीमती गांधी ने निरस्त करा दिया।

<u>जे०पी० और सेंसरशिप :—</u>

21 जुलाई, 1975 को चंडीगढ़ जेल से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गये अपने पत्र में जे०पी० ने लिखा था —" समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का दमन क्यों किया गया? इसलिए नहीं कि भारतीय समाचार पत्र गैर जिम्मेदार हैं। .... सच्चाई यह है कि उनके विरुद्ध आपकी क्रोधाग्नि तब भड़की जब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आपके त्यागपत्र के प्रश्न पर कुछ समाचार पत्रों ने ऐसा रुख अपनाया जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा.... अत्यन्त तर्कपूर्ण और तगड़े अग्रलेख लिखकर आपको पद त्याग करने की सलाह दी तो समाचार पत्रों की आजादी आपके लिए असह्य हो गयी। .... यह सोचकर विस्मय होता है कि समाचार पत्रों की मूल्यवान् स्वतंत्रता की ज्योति किसी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत आक्रोश के कारण एक झटके में बुझा दी गयी।"[2]

1- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट 1, 11 मार्च, 1978 पेज 7

2- कारावास की कहानी, ले० जयप्रकाश नारायण, पेज 119

12 नवम्बर, 1975 को अस्वस्थता के कारण जे0पी0 को जेल से रिहा कर दिया गया। चण्डीगढ़ से विमान द्वारा जिस समय जे0पी0 को दिल्ली लाया जा रहा था, कुछ संवाददाताओं ने उनसे भेंट करने की कोशिश की 'किन्तु अधिकारियों ने असमर्थता प्रकट की और कहा —' आप उन्हें केवल देख सकते हैं।'[1] "अखबार एक तरह से सरकारी गजट बन गये है। वे खुद अपने ऊपर इतनी सेंसरशिप लागू करने लगे है कि सरकार की मंजूरी लिए बिना जयप्रकाश के स्वास्थ्य के बारे में जारी किये गये जाने वाले बुलेटिन भी नहीं छापते है।"[2]

'शाह कमीशन' ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में जे0पी0 की रिहाई से संबंधित समाचार के संबंध में 'सेंसर लागू हुए' का विवरण देते हुए लिखा है —

"जे0पी0 की रिहाई के बारे में सरकारी टिप्पणी जिसके साथ यह अनुदेश भी दिये गये हैं कि इस समाचार को प्रमुखता न दी जाए और नहीं फोटो छापा जाये, एजेन्सियों और स्थानीय समाचारपत्रों को भेज दी गयी है।"[3] इसी प्रकार सेंसर अधिकारी का मौखिक आदेश था कि —' श्री जयप्रकाश नारायण की बम्बई यात्रा का पूर्ण सेन्सर होगा। कोई चित्र इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे।'[4] जे0पी0 ने 'बिहार वासियों के नाम चिट्ठी में लिखा था —" 20 जुलाई 76 को मैं साल भर के बाद पटना बीमार होकर लौटा। लेकिन पटना के अखबारों में यह खबर नहीं छपने दी गयी कि मैं यहाँ आया हूँ। बिहार के बहुत सारे लोगों को अभी तक यह मालूम नहीं है कि मैं डेढ़ महीने से पटना में हूँ। फोटोग्राफरों को हुक्म है कि जयप्रकाश नारायण का ये चित्र नहीं

1- धर्मयुग, 15-21 मई 1977 पेज 23

2- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर, पेज 114

3- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट, 1, 11मार्च, भारत सरकार प्रकाशन) पेज46

4-इंदिरा गांधी का पतन, ले0 डी0आर0मानेकर, कमलामानेकर (हिन्दीअनु0) पेज99

ले सकते। ऐसी कठोर पाबन्दियाँ समाचार पत्रों पर लगी हुयी है।"[1]

जे०पी० के इस कथन की पुष्टि 20 जुलाई 1976 के सेंसर के उस आदेश से होती है। जिसमें कहा गया था कि "जयप्रकाश के बारे में कोई समाचार न छापा जाये।"[2]

5 सितम्बर, 1975 को जे०पी० ने बम्बई के जसलोक अस्पताल में मरणासन्न स्थिति में एक कविता 'जीवन विफलताओं से भरा है' लिखी थी। प्रमुख सेंसर अधिकारी श्री विनोद राव ने इसे 'धर्मयुग' में छपने नहीं दिया। 'धर्मयुग' के संपादक डा० धर्मवीर भारती के अनुसार " न केवल इस अभिभूत लोकनायक को मरण के कगार तक पहुँचा दिया था वरन् उसके अंतिम अहिंसक, व्यथापूर्ण शब्दों का भी गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।"[3]

'अखबारों में गांधी और नेहरू के लोकतांत्रिक विचारों को भी प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गयी थी।'

जे०पी० द्वारा जेल से लिखे गये पत्रों को भी सेंसर किया गया। इस संदर्भ में जे०पी० ने 5 सितम्बर, 1975 को गृहमंत्रालय को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि --" एक नजरबन्द रिश्तेदार और मित्र दोनों को पत्र लिख सकता है, ब्रिटिश शासन के दिनों में भी यह व्यवस्था थी। ... अतः महोदय यह तथ्य कि मेरे 20 पत्रों में से 19 पत्र रोक लिये गये हैं। यह केवल सेंसरशिप का मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि नजरबन्द के रूप में मेरे जो अधिकार हैं, उनसे मुझे गंभीरतापूर्वक वंचित किया गया है।"

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आपातस्थिति के समय जे०पी० से सम्बन्धित कठोर सेंसरशिप लागू की गयी थी।

1-बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 47

2- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर(हिन्दीअनुवाद) पेज 207

3-धर्मयुग, 15 से 21 मई 1977 पेज 29

विदेशीपत्रकारों का निष्कासन :—

आपातस्थिति के समय अनेक विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर निकाल दिया गया 'वाशिंगटन पोस्ट' के लिविस एम0 साइमंस को सबसे पहले देश से निकाला गया उन्होंने एक लेख लिखा था 'संजय गाँधी और उनकी माँ'.....'[1]

"---'लन्दन टाइम्स' के पीटर हेजेलहर्स्ट, जिन्होंने बंगला देश के संकट के दिनों में पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों के बारे में सारी दुनिया को बताने के सिलसिले में बहुत काम किया था 'न्यूजवीक' के लारेन जेंकिंस और लंदन के अखबार 'डेली टेलीग्राफ' के पीटर गिल उन पत्रकारों में से थे जिन्हें विदेश मंत्रालय से आदेश मिला था कि वे अब भारत में नहीं रह सकते। उन्हें चौबीस घण्टे के अन्दर देश से बाहर निकाल दिया जायेगा और उसके बाद वे भारत में कदम न रखें।"[2]

जेंकिंस ने लिखा था कि " फ्रैंको के स्पेन से लेकर माओ के चीन तक सारी दुनिया में दस साल तक खबरें जमा करने के दौरान मैंने कभी इतनी कड़ी और इतनी दूर-दूर तक फैली हुयी सेंसरशिप नहीं देखी।"[3] 'बी0बी0सी0' और 'वायस आफ अमेरिका' ने अपने संवाददाताओं को भारत सरकार की सेंसर की शर्तों को अस्वीकार करते हुए वापस बुला लिया।"[4]

समाचारपत्रों पर दबाव एवं उनका बन्द होना :—

आपातकाल के समय विरोधी दलों एवं सरकार से असहमति रखने वाले समाचारपत्रों एवं पत्रकारों पर विभिन्न प्रकार के दबाव डाले गये जिससे कि वे सरकार

1- फैसला, ले0कुलदीप नैयर, हिन्दीअनुवाद) पेज 6।
2- वही, पेज 57
3- वही, पेज 58
4- इन्दिरा गांधी का पतन ले0 डी0आर0मानेकर तथा कमलामानेकर (हिन्दीअनु0) पेज10।

का विरोध करने की स्थिति में न रह जायें। इन दबावों में सरकारी विज्ञापन देना बन्द करना, पत्रकारों की गिरफ्तारी व सेंसर के नियमों का प्रयोग मुख्य था।

"आपातकाल के दौरान 49 संवाददाताओं की मान्यता (अक्रेडिटेशन) रद्द की गयी, दर्जनों पत्रकारों के मालिकों पर कागज और विज्ञापन रोकने या मीसा की धमकी देकर उन्हें सेवामुक्त कराया गया। और कितनों के खिलाफ गृहमंत्रालय को 'जांच' करने के आदेश दिये। कई पत्रकार आपातकाल समाप्त होने तक नजरबन्द रखे गये तमाम छोटे मोटे प्रकाशन बन्द हो गये या करा दिये गये।"[1] "जनसंघ के हिन्दी अखबार साप्ताहिक 'पांचजन्य' दैनिक 'तरुण भारत' और मासिक 'राष्ट्र धर्म' बन्द करवा दिये गये।"[2] "जयप्रकाश के 'एवरीमैन' जार्ज फर्नांडीज के 'प्रतिपक्ष' और पीलू मोदी के 'मार्च आफ द नेशन' को अपना प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा। जनसंघ के 'मदर लैण्ड' और 'आर्गेनाइजर' पर पाबन्दी लगा दी गयी और उनके दफ्तरों पर ताला डाल दिया गया।"[3]

"......'इंडियन एक्सप्रेस' के सारे सरकारी इश्तहार बन्द करवा दिये गये"[4] "सरकार ने एक आदेश जारी करके केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक संस्थानों के सभी विज्ञापन जो 'स्टेट्स मैन' को दिये जाने बन्द कर दिये। इसका फल हुआ कि समाचार पत्र की आय 9 लाख से गिरकर 36 हजार रह गयी।"[5] "इमर्जेन्सी के दौरान 250 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया।" विज्ञापन द्वारा समाचारपत्रों पर दबाव डालने को स्वीकारोक्ति करते हुए सत्तापक्ष के भू०पू० वरिष्ठ सचिव श्री शंकर दयाल सिंह के अनुसार —" विज्ञापन देने एवं न देने का अस्त्र का पक्षपातपूर्ण और मन-

---

1- दिनमान, 24-30 अप्रैल, 1977 पेज 17
2- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर (हिन्दी अनुवाद) पेज 54
3- वही, पेज 60
4- वही, पेज 114
5- इंदिरा गांधी का पतन, ले० डी०आर० मानकेकर तथा कमला मानकेकर (हि० अनु०) पेज 17

माना प्रयोग किया गया।'[1] डा0 ~~[illegible]~~ रामबहादुर वर्मा के कथनानुसार –
"आपातकाल में सेन्सर की आड़ में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त सी हो गयी थी। .....
जिन सम्पादकों ने थोड़ा बहुत निर्भीकता दिखाने का साहस किया न उनका केवल विज्ञापन बन्द किया गया बल्कि जेल का भी डर दिखाया गया। सेन्सर की नीति से तंग आकर राजधानी की सबसे निर्भीक पत्रिका 'मेन स्ट्रीम' को सितम्बर 1976 में अपना प्रकाशन बन्द करना पड़ा।"[2] 'न्यायालय की कार्यवाहियों पर भी सेंसरशिप लागू होती थी। न केवल न्यायालय के निर्णय ही सेंसर किये गये हैं बल्कि ऐसे अनुदेश भी दिये गये हैं कि अमुक-अमुक निर्णयों को किस प्रकार छापा जाना चाहिए।'[3]

इन सब दबावों और अवरोधों के बाद भी कुछ साहसी प्रकाशकों, संवाददाताओं, सम्पादकों ने सरकार की सेन्सर नीति को न्यायालय में चुनौती दी। अनेक न्यायायिक निर्णयों में न्यायालयों ने सरकार की नीति की आलोचना करते हुए अवैध ठहराया। ऐसा ही एक केस उड़ीसा के साप्ताहिक समाचार पत्र 'भूमिपुत्र' का है। "'भूमिपुत्र' के प्रेस पर ताला डाल दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक गया और उसके जजों ने सेंसर के आदेशों के कुछ हिस्सों को गैरकानूनी ठहराया।"[4]

इसी प्रकार पूना की साप्ताहिक पत्रिका 'साधना' के मुकदमें में 'उच्च न्यायालय ने साधना प्रेस की जब्ती के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा — इस सत्ता अथवा सम्बन्धित अधिकारी को श्री जयप्रकाश नारायण का नामतक एक अभिशाप प्रतीत होता है। क्योंकि उनके बारे में जो भी कहा गया अथवा किया गया है, वह कितना ही हानिरहित क्यों न रहा हो, उसे अत्यन्त घातक एवं अहितकर ही बताया गया है।'[5]

1- इमर्जेन्सी, क्या सच क्या झूठ, ले0 किरन बाला, हिंद, पेज 63
2- लोकतंत्र समीक्षा, जुलाई-सितम्बर, 1977 वर्ष 9 अंक 3 पेज 400
3- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट, 1, 11 मार्च 1978 (भारत सरकार द्वारा प्रकाशित) 43-44
4- दे. सत्ता, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हि0 अनु0) पेज 99
5- इन्दिरा गांधी का पतन, ले0 डी0 आर0 मानेकर तथा कमला मानेकर, पेज 108-109

1977 के लोकसभा के चुनावों के समय की सेन्सरशिप :—

"16 जनवरी 1977 को जब चुनावों की घोषणा की गयी तो सेन्सरशिप में ढील दी गयी और सेंसर शिप कानूनों को स्थगित किया गया, तब भी प्रेस की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के, प्रयास जारी रहे। अनौपचारिक रूप से मौखिक चेतावनियाँ देकर, गुप्त धमकियाँ देकर, यह कहकर कि अमुक लेख छपना वांछित और आचार संहिता लागू कर प्रेस पर सरकार ने दबाव डालने का प्रयास किया।"[1] 'विपक्ष की ओर से श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित के भाषण की रिपोर्ट आकाशवाणी में भेजने के कारण आकाशवाणी के रायपुर संवाददाता को निलंबित कर दिया गया।"[2] डा0राम बहादुर वर्मा ने अपने लेख 'भारत में प्रेस की स्वतंत्रता' में लिखा है -' आपातकाल के बाद होने वाले चुनाव के समय भी अनेक संपादकों को धमकी दी गयी।...... 'इण्डियन एक्सप्रेस' के उपमुख्य संपादक श्री अजीत भट्टाचार्य ने बताया कि जब उनका समाचार पत्र जेल से रिहा विपक्षी नेताओं के भाषण व गतिविधियों का व्यापक प्रचार कर रहा था तो प्रमुख सेन्सर एच0जे0डी0 पेन्हा की ओर से एक अनौपचारिक चेतावनी मिली कि यदि आपत्ति जनक सामग्री प्रकाशन निरोध अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों के विरूद्ध कार्यवाहि नहीं की जा रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चुनाव के बाद भी नहीं की जायेगी। इस प्रकार चुनाव के दौरान -- यद्यपि सरकार ने सेन्सर को स्थगित कर दिया था। पर सेन्सर की तलवार समाचार पत्रों पर अब भी लटकी हुयी थी।'[3]

इस सेन्सरशिप का दुष्परिणाम यह हुआ कि एक ओर जनता जे0पी0 समर्थक विपक्ष के विचारों से अवगत होने से वंचित रहीं, वहीं सरकार भी जन-प्रतिबिम्ब

1- शाह जाँच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट (भारत सरकार प्रकाशन) 11 मार्च, 1978 पेज 48

2- सब सरकारी, ले0 जनार्दन ठाकुर (हिन्दी अनुवाद) पेज 75

3- लोकतंत्र समीक्षा, जुलाई-सितम्बर, 1977 वर्ष 9 अंक 3 पेज 400

जनता से दूर होती गयी। नौकरशाही द्वारा जनता पर आपात स्थिति के समय जो अत्याचार किये गये उसकी जानकारी सेन्सरशिप के कारण सरकार को नहीं हो पायी। इससे तत्कालीन सरकार जनता के कष्टों एवं समस्याओं को समझने एवं उनको दूर करने में असफल रही। सरकार को इसका मूल्य अपनी हार से चुकाना पड़ा। अपनी भूल की स्वीकारोक्ति करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा था -' मुझे लगता है कि इमर्जेन्सी शासन के अन्तिम दिनों में मैं जनता से कट गयी थी।'[1]

इस प्रकार आपात स्थिति के समय देश में 'प्रेस' पर 'सेन्सरशिप' लगाकर देश के नागरिकों को जनतंत्र की आधारभूत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। जे0पी0 ने इस अलोकतांत्रिक आचरण की तीव्र निन्दा की थी।

(3) विरोध का दमन

आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् 25 जून, 1975 की रात को, जे0पी0 को दिल्ली के गांधी शान्ति प्रतिष्ठान से गिरफ्तार करके हरियाणा प्रान्त के 'सोहना' नामक स्थान में ले जाया गया। वहाँ पर उन्हें एक रेस्ट हाउस में रखा गया। इसी स्थान पर श्री मोरारजी देसाई को भी गिरफ्तार करके लाया गया था। जे0पी0 श्री मोरारजी से मिलना चाहते थे परन्तु उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

'सोहना' में दूसरे दिन ही जे0पी0 का हृदय रोग उभरा। 29 जून को जे0पी0 को चिकित्सा के लिए दिल्ली लाया गया। दो दिन के उपचार के पश्चात् उन्हें एक जुलाई 1975 को वायुसेना के विमान द्वारा चण्डीगढ़ ले जाया गया। वहाँ उन्हें 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेज' के अस्पताल में भरती करा दिया गया। चण्डीगढ़ के अस्पताल में जे0पी0 को अपराधी की तरह रखा गया। जिस 'वार्ड' में जे0पी0को रखा गया था उसमें पुलिस का सख्त पहरा था। दरवाजे में ताला बन्द कर दिया जाता

1- स्टेट्स मैन, 26 अक्तूबर, 1977

था। जे0पी0 को अकेले रखकर उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। जे0पी0 के अनुरोध के बाद भी उन्हें अपने अन्य बंदी साथियों से मिलने नहीं दिया गया। अतएव जे0पी0 पर इस तरह के एकाकी वातावरण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा।

जे0पी0 ने अपने इस अकेलेपन के संबंध में अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है — "इंदिरा जी की सरकार का मेरे साथ व्यवहार विदेशी अंग्रेज सरकार के व्यवहार से भी बुरा था। क्योंकि सन् 1942 के आंदोलन के सिलसिले में जब मैं (1943) में गिरफ्तार होकर लाहौर किले में दाखिल हुआ तो पहले वहाँ भी कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल ही अकेला रखा गया और मैं सरकार से साथी की माँग करता रहा। अन्त में उस विदेशी सरकार ने भी मेरी प्रार्थना सुनी और जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया लाहौर किले में लाये गये तो हर दिन एक घण्टे तक उनसे मिलने और बातचीत करने की इजाजत मुझे मिली, लेकिन इस स्वदेशी सरकार का रवैया तो अजीब रहा।"[1]

'चण्डी गढ़' की नजरबन्दी के साढ़े चार महीने के दौरान मुझे बिलकुल अकेला ही रहना पड़ा। यह अकेलापन ही मेरे लिए सबसे अधिक काटने वाली बात थी।[2] अपनी इस मानसिक यंत्रणा के संबंध में जे0पी0 ने लिखा था " औरंगजेब का अकेलापन उसका अपना चुना हुआ था, पर मुझ पर तो यह थोपा गया है और यह मुझे बहुत कष्टप्रद है।"[3]

"यह जानते हुए भी कि श्री जयप्रकाश नारायण रोग ग्रस्त हैं, नजरबन्दी के दौरान उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह अवांछित रूप से सख्त था।"[4]

1- मेरी जेलडायरी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 6
2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 64
3- मेरी जेल डायरी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 30
4- इन्दिरागांधी का पतन, ले0 डी0आर0 मनकेकर तथा कमला मनकेकर, पेज 72

बाद में जे0पी0 को उनके निजी नौकर गुलाब को अपने साथ रखने की अनुमति दे दी गयी थी परन्तु जे0पी0 ने स्वीकार नहीं किया। जे0पी0 का तर्क था कि उन्हें साथी चाहिए नौकर नहीं, फिर बेचारा गुलाब मेरे पास आकर मेरी तरह की यंत्रणा क्यों भुगते?

बिहार में बाढ़ आयी हुई थी। राहत कार्य चलाने के लिए जे0पी0 ने एक महीने के पेरोल की मांग की। इस संबंध में 28 अगस्त 1975 को जे0पी0 ने प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखा, पत्र इस प्रकार था —

"पटना और बिहार की बाढ़ की रिपोर्टों से बहुत दुखी हुआ। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार का कष्ट पटना ने पहले नहीं देखा। यहाँ बेकार बैठे मैं बुरी तरह से दयनीय स्थिति में असहाय हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि पेरोल पर एक महीने की रिहाई कर दें। ताकि मैं बिहार राज्य की और बाहरी राज्यों की जनता को सहायता के लिए प्रेरित कर सकूं। जब बाढ़ का प्रभाव कम हो जाय, फिर भी अभी बहुत काम करने बाकी हैं। 1934 के महाभूकम्प के समय ब्रिटिश सरकार ने इसी प्रकार के कार्य के लिए राजेन्द्र बाबू को रिहा किया था। शीघ्र ध्यान देने और कार्यवाहि के लिए प्रार्थना करता हूं।"[1]

परन्तु जे0पी0 की इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 'जे0पी0 जब गंभीर रूप से बीमार थे तब उन्हें सोशलिस्ट इण्टर नेशनल के प्रेसीडेण्ट नोबुल पुरस्कार विजेता श्री फिलिप नोयल बेकर से मिलने नहीं दिया गया।'[2]

चण्डीगढ़ में बन्दी की स्थिति में ही जे0पी0 के पेट में भयंकर दर्द हुआ। उनकी चिकित्सा होती रही किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। '5 नवम्बर, 1975 को चण्डीगढ़

1- मेरी जेल डायरी, ले0 जय प्रकाशनारायण, पेज 60
2- छात्र आंदोलन से जनता सरकार तक, संपादक डा0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 142

अस्पताल के डाक्टरों ने एक लम्बी जाँच के बाद घोषित कर दिया कि उनके दोनों गुर्दे बिल्कुल खराब और नष्ट हो गये हैं।'[1] सरकार ने मरणासन्न स्थिति में 12 नवम्बर, 1975 को जे0पी0 को पेरोल पर रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के संबंध में जे0पी0 ने लिखा है —" सरकार ने मुझे तब रिहा किया जब उसे विश्वास हो गया कि मेरा रोग असाध्य है और मैं थोड़े ही दिन जीवित रहने वाला हूँ। उसने पहले मुझे एक माह के पेरोल पर छोड़ा। मैंने पेरोल की मांग तो नहीं की थी इसलिए जब मैंने चण्डीगढ़ के अधिकारियों से पूछा कि यह पेरोल क्या बात है तो उन्होंने कहा कि पेरोल तो एक बहाना है, आप बिना शर्त छोड़े जा रहे हैं।'[2]

लन्दन के समाचार पत्र 'आब्जर्वर' के अनुसार 'जे0पी0 के स्वास्थ्य की गम्भीरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उन्हें नवम्बर में रिहा किया गया।'[3]

रिहाई के बाद जे0पी0 के छोटे भाई श्री राजेश्वर प्रसाद उन्हें इलाज के लिए बम्बई के 'जसलोक' अस्पताल में ले गये। 'जसलोक अस्पताल के डाक्टरों ने जाँच के बाद बतलाया कि यदि वह 15 दिन पहले ले आये गये होते तो उनके गुर्दे आंशिक रूप से बचा लिये जाते।'[4] इससे स्पष्ट है कि जे0पी0 के स्वास्थ्य के संबंध में उपेक्षा बरती गयी थी।

'जसलोक' अस्पताल में जे0पी0 का इलाज कृत्रिम गुर्दा मशीन द्वारा किया जाने लगा। हफ्ते में 3 दिन इस मशीन के द्वारा उनका खून साफ किया जाता था। इस मशीन के इलाज में जे0पी0 को 7-8 घण्टे तक भयंकर कष्ट उठाना पड़ता

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अयोध्याबिहारीलाल, पेज 339-40
2- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 5
3- आधीरात से सुबह तक, ले0 डा0 लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 131
4- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अयोध्याबिहारीलाल, पेज 342

था। इस इलाज से जे0पी0 के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जे0पी0 को जीवन पर्यन्त इस कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे रहना पड़ा।

आपातस्थिति के समय व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचार तक सुरक्षित नहीं रह गये थे। लोगों के विचारों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता था।

जसलोक अस्पताल में जिस समय जे0पी0 अपनी किडनियों (गुर्दों) का इलाज करवा रहे थे, उनके शुभचिन्तकों ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आशंका व्यक्त की कि कहीं श्रीमती गांधी जे0पी0 के आकस्मिक निधन हो जाने पर यह न कहने लगें कि अन्तिम समय में जे0पी0 ने अपने आंदोलन करने की भूल को स्वीकार कर लिया था और समझौते के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि आपातकाल के समय 'कामराज' की मृत्यु पर श्रीमती गांधी ने कहा था कि 'कामराज ने उनसे अपनी अन्तिम मुलाकात में संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस के विलय की बात की थी।'[1] जे0पी0 के निकटतम व्यक्तियों को श्रीमती गांधी के इस कथन पर सन्देह था। अतः अपने शुभचिन्तकों एवं अपने मित्र 'मीनू मसानी' के आग्रह पर अपनी वैचारिक सुरक्षा के लिए जे0पी0 ने नोटरी के माध्यम से एक दस्तावेज तैयार करवाया दस्तावेज इस प्रकार है --

"आज 5 दिसम्बर 1975 की तारीख है और सढ़े चार माह के एकान्त कारावास से मैं अभी-अभी निकलकर मैं बम्बई के जसलोक अस्पताल में अपनी किडनियों का स्थायी इलाज करवा रहा हूँ। कारावास के दौरान मेरी किडनियाँ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

यदि यह घटित हो ही गया और मुझे इस दुनिया से जाना पड़ा तो मैं देश-विदेश के अपने मित्रों तथा भारत की जनता के लिए यह कह जाना चाहता हूँ

1- [illegible], 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 7

कि भारत की परिस्थितियों के बारे में मेरे विचार वही हैं जो 25 जून 1975 को है या जुलाई 1975 को थे जब मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जो कुरूप घटनायें घटती जा रही हैं वो मेरी आशंकाओं को ही पुष्ट करती हैं। मैं यह सब इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि जब मैं अपनी बात रखने के लिए शेष न रहूं तब मेरी बातों को तोड़ने-मरोड़ने का कोई प्रयास न हो सके। मुझे आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की जनता आज के आतंक से, अहिंसक संघर्ष द्वारा मुक्त हो जायेगी।

मेरे सामने हस्ताक्षर किया

(हस्ताक्षर)

नोटरी महाराष्ट्र राज्य

5-12-75

जे0पी0 नारायण

5-12-75

JJ[1]

इस दस्तावेज से स्पष्ट है कि विरोध पक्ष के राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति अपने विचारों तक को असुरक्षित समझने लगे हैं जबकि वैचारिक स्वतंत्रता और वैचारिक सुरक्षा लोकतंत्र के आधार स्तम्भ हैं। भय और आतंक का ऐसा वातावरण व्याप्त था कि जे0पी0 जैसे व्यक्ति को भी इस आशय का दस्तावेज तैयार करवाना पड़ा।

20 जुलाई 1976 को स्वास्थ्य में सुधार होने पर जे0पी0 बम्बई से पटना आये। पटना आने पर हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए आने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने मारा-पीटा, किसी बाहरी व्यक्ति को हवाई अड्डे पर नहीं आने जाने दिया गया। 'यहां तक कि जे0पी0 के चचेरे भाई, बहन, उनकी बहन तथा उनके बहन के दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।'[2] जे0पी0 के हवाई अड्डे से उनके

1- तरुण क्रान्ति, 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 7 से उद्धृत।

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 345

निवास स्थान कदम कुआं पहुंचने पर कुछ नवयुवकों ने 'लोकनायक जिन्दाबाद' के नारे लगाये। 'ये नवयुवक जब उस समय जे0पी0 के घर से बाहर निकले तो उनमें से बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। जे0पी0 के निवास स्थान के पास पुलिस और सी0 आई0डी0 का कड़ा पहरा बैठा दिया गया।'[1]

आपातकाल के समय जे0पी0 और उनके बिहार आंदोलन का समर्थन करने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, छात्रों, युवकों को देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। सत्तापक्ष के युवातुर्क नेताओं चन्द्रशेखर इत्यादि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपात स्थिति के समय गिरफ्तार किये गये अनेक व्यक्तियों को पुलिस ने अमानुषिक यातनायें दीं। आपातकाल के बाद आपातकाल के सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तकों एवं शाह जांच आयोग की रिपोर्ट से इस प्रकार की विभिन्न घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

आपातकाल के समय किये गये दमन के संबंध में टिप्पणी करते हुए डा0 लक्ष्मीनारायण लाल ने लिखा था कि "सरकारी आतंक और दमन के कारण निराशा का वातावरण गहरा होता जा रहा था।'[2] दिल्ली की एक सभा में बोलते हुए जे0पी0 ने कहा था -' पूरा देश जेलखाना हो गया। लाखों लोगों को सीखचों में बन्द कर दिया गया था।'[3]

"आपातकाल के दौरान पुलिस ने जो अत्याचार किये, वे कई दृष्टियों से उन अत्याचारों से भी बढ़कर थे, जो विदेशी शासन में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर ढाये गये थे।...."[4] शाह आयोग की कार्यवाही के समय न्यायमूर्ति शाह ने इस 'दमन'

1- आधी रात से सुबह तक, डा0लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 136
2- वही, पेज 112   3- छात्रआन्दोलन से जनता सरकार तक, डॉ0आ0अमरनाथसिन्हा, 137
4- समता 30अप्रैल से 6 मई, 1978 पेज 5

के सम्बन्ध में 'अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था –' मानव के प्रति मानव की अमानवीयता की कोई सीमा नहीं दीखती।'[1]

आपात स्थिति के समय विरोधियों के दमन सम्बन्धी कुछ घटनायें निम्न हैं। जार्ज फर्नांडीज – इमर्जेन्सी की घोषणा के समय भूमिगत हो गये थे इनका पता मालूम करने के लिए 'जार्ज फर्नांडीज के भाई लारेंस फर्नांडीज एवं कन्नड़ फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को पुलिस द्वारा अमानुषिक यंत्रणायें दी गयीं। बाद में स्नेहलता की मृत्यु भी हो गयी।'[2]

आपातस्थिति के समय श्री मोरार जी देसाई को गिरफ्तार करने के बाद प्रारम्भ में 'उन्हें एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा गया। इस कोठरी की खिड़कियां हमेशा बन्द रहती थी। उन्हें पढ़ने के लिए अखबार तक नहीं दिया गया।'[3]

'जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता सिंधिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रंडियों और चोर उचक्की औरतों के साथ रखा गया।'[4] 'वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री लंका में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 82 वर्षीय श्री भीम सेन सच्चर व अन्य सात व्यक्तियों को मीसा के अन्तर्गत गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया।'[5]

"आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में मीसा के अधीन 1012 व्यक्ति नजरबन्द किये गये। इनमें प्रतिबन्धित संगठनों के 146 सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यतः गैर सी0पी0आई0 विरोधी ग्रुप के 180 व्यक्ति ... इस अवधि में

---

1 - स्टेट्समैन, 5 नवम्बर, 1977

2- इन्दिरा गाँधी का पतन, ले0 डी0आर0 मानकेकर तथा कमला मानकेकर (हि0 अनु0) पेज 68-8।

3- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 15।

4- वही, पेज 7। 5- शाह जांच आयोग अंतरिम रिपोर्ट 1, 11 मार्च, 1978 (भा0स0प्र0)

सीमा के अधीन 5। सरकारी कर्मचारियों को भी नजर बन्द किया गया।"[1] "पुलिस सीमा से बाहर निर्दय और अमानुषिक अत्याचार पर उतर आयी। श्री हेमन्त कुमार बिश्नोई को दिल्ली में पकड़ लिया गया। उन्हें उल्टा टांग कर पीटा गया। उनके तलवे पर जलती हुई मोमबत्ती रखी गयी।.... केरल में इंजीनियरिंग कालेज के नवयुवक छात्र राजन को जेल में इतना पीटा गया कि वह मर गया। ... श्री वृन्दावन बिहारी लाल (बन्दोसी) के नाखून प्लास से उखाड़ लिये गये।... एम0एल0एन0कालेज यमुना नगर के प्रो0 गौरी नाथ रस्तोगी को कमजोर वर्षों में पीटकर बेहोश किया गया।"[2]

आपातकाल के समय में इस प्रकार की अनेकों घटनायें घटीं। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आपात स्थिति के समय सत्ता के विरोध को दबाने के लिए कठोर दमन का सहारा लिया गया। इन अमानुषिक यंत्रणाओं के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। जे0पी0 जैसे आस्तिक, वीतराग व्यक्ति के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। जे0पी0 ने आपातस्थिति के समय किये गये अमानवीय व्यवहार एवं वैयक्तिक, शारीरिक स्वतंत्रता के हनन की कड़ी निन्दा की थी।

(4) न्यायपालिका के अधिकारों में कमी

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है जो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका पर अंकुश रखकर नागरिकों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अपने अधिकारों का

1- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट, II 26 अप्रैल 1978 (भारत सरकार प्रकाशन) पेज 40

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 ब्रजबिहारी लाल, पेज 316-17

दुरुपयोग करते हुए नागरिकों या व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण करें तो पीड़ित अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का सहारा ले सकता है। अपने देश में न्यायपालिका ने कई अवसरों पर अपने इस दायित्व का निर्वाह किया है। परन्तु आपात काल के समय कुछ ऐसे अध्यादेश एवं संवैधानिक संशोधन किये गये, जिससे भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण अंग शक्तिहीन हो गया था। इस संदर्भ में जे0 पी0 ने बिहारवासियों के नाम चिट्ठी में लिखा था –" न्यायपालिका की स्वतंत्रता कुण्ठित कर दी गयी। एक झूठी इमर्जेन्सी के नाम पर जनता के मौलिक अधिकार कुचल दिये गये हैं और नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गयी है।"[1]

संविधान वेत्ता डॉ0 लक्ष्मीमल सिंघवी ने लिखा है –' 25 जून 1975 की रात हमारे संविधान के अतीव अपमान की कालरात्रि सिद्ध हुई... संवैधानिक तानाशाही के चक्रव्यूह में न्यायपालिका के अधिकारों और मर्यादाओं का हनन कई बार और कई प्रकार से हुआ.... पिछले आपातकाल में न्यायपालिका के अधिकार आहत हो गये हैं।'[2] आपातकाल के प्रारम्भ में ही 27 जून 1975 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के द्वारा ' संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलम्बित कर दिया गया।'[3] इसी प्रकार 'मीसा' के कानून में संशोधन करते हुए 'एक सुपरिचित धारा 16क जोड़ दी गयी जिसके द्वारा आदेशों के उपबन्धों पर तथा न्यायालय में जाने पर रोक लगा दी गयी। तथा आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम 25 जनवरी 1976 के तहत व्यवस्था कर दी गयी कि--

---

1- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 12

2- धर्मयुग, 17-23 जुलाई, 1977 पेज 10 और 13

3- शाह जांच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट। 11 मार्च 1978 अध्याय 2 पेज 5

----(ग) नजरबन्दी के कारणों को गोपनीय रखना और उसके बारे में किसी को न बताना।"[1]

इस संशोधन के हो जाने से न्यायालय 'मीसा' के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रह गये हैं कि उन्हें क्यों बन्दी बनाया गया है।

इसी प्रकार संविधान के 38 वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के अध्यादेशों को न्यायपालिका में चुनौती देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में 'शाहकमीशन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है "अड़तीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के संगत उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि तत्कालिक कार्यवाई की आवश्यकता के बारे में उनकी सन्तुष्टि अंतिम और निर्णायक होगी और इसे किसी आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी------ आपातकालीन स्थिति की घोषणा को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।"[2] तत्कालीन सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चय ही न्यायालयों के अधिकारों को सीमित करने वाला था।

39वाँ संविधान संशोधन :—

श्रीमती गांधी तत्कालीन चुनाव कानूनों के अनुसार इलाहाबाद उच्चन्यायालय में भ्रष्टाचार की दोषी पायी गयीं थी। उनकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन थी। उसी समय चुनाव कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करके

1- शाहजांचआयोग अंतरिमरिपोर्ट 1, 11 मार्च, 1978 पेज 6

2- वही, पेज 6

हुए 39 वाँ संविधान संशोधन किया गया। इस संवैधानिक संशोधन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था —" इस संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गयी है —

(क) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ख) इसी प्रकार प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव भी न्यायालय के दायरे से परे रखे गये और उनका निर्णय संसद द्वारा गठित किसी निकाय/प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

उपर्युक्त संशोधनों से "नामित व्यक्तियों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें दायर करने पर भी रोक लगा दी गयी थी और लम्बित पड़ी याचिकायें भी समाप्त कर दी गयी थीं।"[1] पत्रकार 'वसंत नारगोलकर' ने अपनी पुस्तक में लिखा है —' सर्वोच्च न्यायालय के सामने इन्दिरा जी की अपील की सुनवायी होने वाली थी। उस समय से पहले ही उन्होंने 1951 के 'लोगों के प्रतिनिधित्व संबंधी कानून' में सुधार करवाये। जिन जिन आरोपों के लिए उन्हें इलाहाबाद उच्चन्यायालय के न्यायाधीश श्री सिन्हा ने दोषी बतलाया था उन-उन आरोपों से इन्दिरा जी को मुक्त कराने की दृष्टि से सारे सुधार करवाये गये। संक्षेप में चुनाव सम्बन्धी सुधार इस प्रकार है —

(क) चुनाव कानून के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार दोषी सिद्ध हुआ और उसके चुनाव लड़ने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गयी तो इस अपात्रीकरण (डिसक्वालीफिकेशन) को राष्ट्रपति रद्द कर सकेगा अथवा उसकी अवधि कम कर सकेगा। इस विषय में

---

1. शाह जाँच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट, प्रथम, 11 मार्च 1978 (भारत सरकार प्रकाशन) पेज 6

'निर्वाचन आयोग' राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा।

(ख) इन्दिरा जी के मामले में एक दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ था। वह यह था कि चुनाव के समय कोई व्यक्ति किस दिन से उम्मीदवार माना जाना चाहिए, निर्णय इन्दिराजी के अनुकूल हो इसलिए यह तय किया गया कि जिस दिन से उम्मीदवार का नाम निर्देशित होगा उसी दिन से उसको निर्वाचन प्रत्याशी की हैसियत प्राप्त होगी।

(ग) यदि किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव अधिकारियों ने चुनाव चिन्ह निश्चित कर दिया है तो उस चिन्ह के धार्मिक अथवा राष्ट्रीय होने के कारण उम्मीदवार को भ्रष्टाचरण का दोषी नहीं माना जायेगा।

(घ) सरकारी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार कार्य में सहायक रूप होने जैसा कोई काम किया हो, तो भी वह काम 'भ्रष्ट आचरण' का आरोप सिद्ध करने में सबूत नहीं माना जायेगा। (उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में श्रीमती गांधी सरकारी कर्मचारियों का सहयोग अपने चुनाव में लेने के लिए दोषी पायी गयी थीं।

(ङ) इस सुधारे हुए कानून का अमल अतीत-प्रभावी (रिट्रास्पेक्टिव) रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट प्रसंग में निचले न्यायालय का निर्णय स्वीकृत करके इन्दिरा जी को दोषी बतलाया तो भी इस अतीत प्रभावी कानून के कारण दोषमुक्त घोषित की जातीं।'[1]

उपर्युक्त संशोधन न्यायालयों के अधिकारों में कमी करने वाले थे। यह संशोधन बहुत तीव्रता में पारित करवाया गया था। श्री मोहन धारिया के अनुसार —

---

1. जयप्रकाश जी ने कहा था, ले० वसंत नारगोलकर, पेज 70-71

"यह कानून इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से बच निकलने के लिए बनवाया गया था। इसे पास करवाने में इतनी शीघ्रता इसलिए की जा रही थी क्योंकि प्रधान मंत्री के मामले की सुनवाई 11 अगस्त 1975 को उच्चतम न्यायालय में होने वाली थी।"[1] (7 अगस्त 1975 को लोकसभा में प्रस्तुत यह बिल 10 अगस्त 1975 को संविधान का हिस्सा बन चुका था।)

विभिन्न प्रेक्षकों एवं विद्वानों का मत है कि इस संशोधन के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय में श्रीमती गांधी की चुनाव याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय हो सका। डा० लक्ष्मीमल सिंघवी का मत है कि "संविधान का उपरोक्त 39 संशोधन स्वार्थ और स्वेच्छाचार के प्रतीक के रूप में अविस्मरणीय रहेगा।"[2] पत्रकार एवं समीक्षक उमा-वासुदेव के अनुसार —" जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में इस तरह के संशोधन करवा दिये थे कि जिन बातों को जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले की बुनियाद बनाया था उनकी ही कोई कानूनी हैसियत नहीं रह गयी। ऐसा के साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था।"[3] कुलदीप नैय्यर के अनुसार " यह फैसला मुकदमें के तथ्यों की बुनियाद पर नहीं बल्कि चुनाव कानून में अगस्त में संसद में जो हेरफेर किया गया था उसकी बुनियाद पर किया गया था।"[4] इसी संदर्भ में पत्रकार डी०आर० मानेकर तथा कमला मानेकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि —" यह संशोधन तो धृष्टतापूर्वक स्पष्ट इस उद्देश्य से किये गये हैं कि प्रधानमंत्री 12 जून 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जिसमें संसद में उनके चुनाव को अवैध करार दे दिया था, के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दाखिल

1- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 86

2- धर्मयुग, 17-23 जुलाई 1977 पेज 12

3- इन्दिरा गांधी के दो चेहरे, ले० उमा वासुदेव (हिन्दी अनुवाद) पेज 177

4- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर, हिन्दी अनुवाद) पेज 97

की गयी अर्जी में सफलता प्राप्त कर सकें।"[1]

इस संशोधन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा था —"प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनाव कानून से अलग रखना भूलतापूर्ण होने के साथ ही कानून के नजर में भी वैध नहीं है।क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव सामान्य चुनाव के बाद किया जाता है। यह कानून में भेदभाव है, जैसे कि लोकसभा के एक सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ भेदभाव करना, जो बहुत ही गैरकानूनी और अनुचित है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, केवल सदस्यों का होता है और उनमें से एक सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। अतः किसी विशेष सदस्य के चुनाव' जो बाद में प्रधानमंत्री बन जाता है 'को 'चुनाव - आयोग' और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना सदस्यों के बीच आपस में भेदभाव की नीति है।"[2]

3 फरवरी 1977 को जे0पी0 ने श्रीमती गांधी की उच्चतम न्यायालय की याचिका के संबंध में बोलते हुए कहा था " सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं रद्द किया, इस फैसले के बाद जो नया कानून बन गया, संशोधन हो गए, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंध गये सिवाय इसके और कोई उनका फैसला हो नहीं सकता था, और एक जज ने कहा भी..।"[3]

7 नवम्बर, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्चन्यायालयके निर्णय के विरुद्ध श्रीमती गांधी की अपील पर, निर्णय उनके पक्ष में दिया परन्तु 39 वें संविधान संशोधन के चुनाव संबंधी उस भाग को अवैध घोषित किया जिसमें प्रधान-

---

1- इंदिरागांधी का पतन, ले0 जे0आर0मानकेकर तथा कमला मानकेकर(हि0अनु0)पेज184

2- मेरी जेलडायरी' ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 27

3-यह चुनाव जनता के भाग्य का फैसला, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 23-24

मंत्री के चुनाव संबंधी विवाद में, न्यायालय में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया था —" लोकतंत्र का एक महत्व का आधार तत्व है मुक्त वातावरण में न्यायोचित चुनाव करना। इसलिए मुक्त और न्यायाचारित चुनाव भारतीय संविधान का मूलभूत अंग है।... न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से प्रधानमंत्री के चुनाव से सम्बन्धित विवाद को हटा लेना इस आधारतत्व के विरुद्ध है। इसलिए हम 39 वें संविधान के उस हिस्से को अवैध घोषित करते हैं।"[1]

"8 जनवरी, 1976 को संविधान के अनुच्छेद (1) के अधीन एक राष्ट्रपतीय आदेश जारी किया गया जिससे इस संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित किया गया।"[2]

42वाँ संविधान संशोधन :—

आपातस्थिति के समय 42 वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत व्यापक और आधारभूत परिवर्तन किये गये। डा0 प्रेमचन्द जैन ने अपने लेख 'संविधान का 42 वाँ संशोधन उद्देश्यों एवं प्रभावों का समीक्षात्मक विवेचन' के अन्तर्गत लिखा है।"आपातकाल में हुए संविधान के 42 वें संशोधन ने न्यायपालिका के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन कर दिये। कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा तथा सरकारी कृत्यों की वैधानिकता जाँच करने विषयक सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर दिया गया। उच्च न्यायालयों को 'अन्य उद्देश्यों हेतु' याचिकायें (रिट) जारी करने के अधिकार से वंचित

1- जयप्रकाश जी ने कहा थी था, ले0 वसंत नारगोलकर, पेज 72

2- शाह जाँच आयोग: अंतरिम रिपोर्ट-एक, 11 मार्च, 1978 (भारत सरकार प्रकाशन) पेज 8

कर दिया गया। उनके सीमित अधिकारों पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिये गये।"[1]

पत्रकार श्री चन्द्रशेखर पंडित के अनुसार " इस बिल (42वाँ संविधान संशोधन बिल) का लक्ष्य ही यह था कि न्यायपालिका के अधिकारों में भयंकर रूप से कटौती की जाय।"[2]

42वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए प्रसिद्ध संविधान वेत्ता श्री ए०जी०नूरानी ने लिखा था कि —" अब 'राष्ट्रविरोधी' कहकर किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया जा सकता है और इस कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती भी नहीं दी जा सकती कि यह समानता के मूल अधिकार (धारा 14) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, धारा 19 के अंतर्गत संगठन अथवा संघ बनाने अथवा बिना मुआवजे के मनमाने या गैर कानूनी ढंग से संपत्ति हथियाने (धारा 31) के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार अब न्यायिक संरक्षण भी उपलब्ध नहीं होगा। किसी भी संगठन पर अब मात्र कार्यपालिका के आदेश से ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है।"[3]

डा०लक्ष्मीनारायण लाल ने इस संबंध में लिखा था —" नये अनुच्छेद 131 क एवं नये अनुच्छेद 226 क के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय को कोई केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।"[4]

व्यावहारिक रूप में सभी नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में 'रिट' दायर करने के लिए दिल्ली पहुँचना एक कठिन कार्य है।

1-लोकतांत्रिक समीक्षा, जनवरी-मार्च 1978 वर्ष 10 अंक 1 पेज 68
2- एक युग का अन्त, ले०चन्द्रशेखर पंडित (हिन्दी अनुवाद) पेज 229
3-धर्मयुग, [illegible] अंक 26 जून [illegible] जुलाई 1977 पेज 16-17
4-रवि, 17-23 जुलाई 1977 पेज 13

डा० प्रेम चन्द जैन ने 'प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने संबंधी संशोधन' शीर्षक के अन्तर्गत इस संबंध में लिखा था कि " नये संशोधन द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के राजकीय तथा अधिशासी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित सभी विवादों को निपटाने के लिए संसद को 'प्रशासनिक न्यायाधिकरणों' की स्थापना हेतु कानून बनाने का अधिकार मिला है।......... इन न्यायाधिकरणों के निर्णय साधारणतया अन्तिम और बाध्यकारी होंगे। ऐसे सभी मामलों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष विशेष परिस्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय की ही शरण ले सकेगा। पीड़ित पक्ष के लिए कम से कम उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला रखा जाना चाहिए था। संविधान संशोधन के पूर्व अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर अधीक्षणात्मक क्षेत्राधिकार प्राप्त था। यह अधिकार भी 42वें संशोधन ने वापस ले लिया है।"[1]

इसी प्रकार 'चुनावी भ्रष्टाचार से उत्पन्न निर्योग्यता का प्रश्न,' शीर्षक के अन्तर्गत डा० प्रेमचन्द ने लिखा है कि —"संशोधित अनुच्छेदों में यह भी जोड़ दिया गया था कि न केवल संसद या विधान सभा सदस्यों की ~~निर्योग~~ निर्योग्यता संबंधी प्रश्नों का अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, बल्कि चुने जाने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव में भ्रष्टाचार के दोष सिद्ध हो जाने पर कितने समय तक वे पुनः चुनाव लड़ने के पात्र नहीं रहेंगे, इसका अन्तिम फैसला भी चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति ही करेंगे। ये चुनावी भ्रष्टाचार के कारण ~~से~~ उत्पन्न अपात्रता बिल्कुल समाप्त भी कर सकेंगे। इसके पहले तक की यह सुस्थापित परम्परा थी कि चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने का दोषी सिद्ध होने पर संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार

1- लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी-मार्च, 1978 वर्ष 10 अंक 1 पेज 75-76

की नियोग्यता का समय निर्धारित करते थे, जो अन्तिम होता था।.... न्यायालयों के फैसलों में चुनाव आयोग की सलाह लेकर हस्तक्षेप करने का अधिकार जो सरकार ने 42 वें आपातकालीन संशोधन के दौरान प्राप्त किया था वह अपने आप में अजीब और न्यायालयों के अधिकारों और प्रतिष्ठा में आघात पहुँचाने वाला था।"[1] और सबसे अधिक अलोकतांत्रिक बात यह थी कि संविधान संशोधन के द्वारा 'संशोधित अनुच्छेद 368 के खण्ड 4 में यह प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में किये गये किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी।"[2]

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट है कि आपातकाल के समय किये गये इन संवैधानिक उपायों एवं संशोधनों से न्यायपालिका के अधिकारों में बहुत कमी हो गयी थी। न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र अत्यन्त ही सीमित एवं संकुचित हो गया था। जे0पी0 ने इस अलोकतांत्रिक आचरण की तीव्र निन्दा की एवं भारतीय जनता से इसका प्रतिकार करने को कहा था।

(5) परिवार नियोजन

आपातकाल के समय परिवार नियोजन कार्यक्रम को इस प्रकार कार्यान्वित किया गया कि इससे सम्पूर्ण देश में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का वर्णन करते हुए 23 जनवरी 1977 को जे0पी0 ने नई दिल्ली की एक जनसभा में कहा था —" यहाँ तथा पूरे देश में ये गरीब तबका लोग भय एवं

1- लोकतंत्र समीक्षा, जनवरी-मार्च 1978 वर्ष 10 अंक 1 पेज 80-8।

2- धर्मयुग 17-23 जुलाई 1977 पेज 13

आशंका में जी रहे हैं कि जाने कब उन्हें नसबन्दी के लिए जानवरों की तरह पकड़ लिया जायेगा।"[1]

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत तीव्र गति से नसबन्दी कार्यक्रम चलाया गया। भारत की रूढ़िवादी एवं अशिक्षित जनता इसके लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। इस कार्यक्रम के लिये उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। परन्तु जनता को इसके लिए प्रोत्साहित करने या मानसिक रूपसे तैयार करने के स्थान पर उसे नसबन्दी के लिए बाध्य किया गया। जनता के लिए यह स्थिति असह्य हो गयी।

पत्रकार कुलदीप नैय्यर ने 'नसबन्दी कार्यक्रम' के संदर्भ में अपनी पुस्तक में लिखा है कि कि 'जब लोगों ने जबरी नसबन्दी का विरोध किया तो उसकी वजह से हिंसा की 240 वारदातें हुईं। जून में रोज का औसत 331 नसबन्दियों का था जो जुलाई में बढ़कर 1578 हो गया और अगस्त में जब इसके लिए खास कैम्प लगाये गये तो औसत रोज 5644 नसबन्दियों तक पहुँच गया। कई जगह तो यह देखे बिना ही कि किसकी उम्र कितनी है, किसी की शादी भी हुयी है या नहीं, लोगों को पकड़कर जबर्दस्ती नसबन्दी कर दी गयी। नसबन्दी की लहर बढ़ते-बढ़ते रोज 6000 आपरेशनों तक पहुँच चुकी थी।'[2]

दिल्ली में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन श्री संजय गांधी की सहयोगी रुखसाना कर रही थीं। उनके संबंध में जनार्दन ठाकुर ने अपनी पुस्तक में लिखा है —' उसकी पीठ पर संजय का हाथ था इसलिए वह नसबन्दी की मुहिम में भूतों की तरह जुट गयी। एक साल से भी कम अर्से में अकेले दुजाना हाउस कैम्प में

1- छात्रआन्दोलन, से जनतासरकार तक, संपादक डा० अमरनाथ सिन्हा, पेज 134

2- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 135-36

13000 से ज्यादा नसबन्दियाँ की गयीं।'[1]

बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलने के कारण 'नसबन्दी' कराने वालों की ठीक से देखभाल एवं चिकित्सा नहीं हो पाती थी। 'बन्ध्याकरण' के बाद स्त्री पुरुषों को औषधियां देने और उनकी देखभाल करने में निपट लापरवाही बरती गयी अति उत्साहित अधिकारियों ने चिकित्सकों द्वारा दी गयी राय की उपेक्षा की ...... अनेक सरकारी चिकित्सकों को इसलिए दण्ड दिया गया कि उन्होंने बंध्याकरण के लिए अनुपयुक्त स्त्री पुरुषों का आपरेशन करने से इन्कार कर दिया था।"[2] बहुतों ने लाचार होकर नसबन्दी करवायी और बहुतों को सड़क पर अस्पताल से पकड़कर जबर्दस्ती नसबन्दी ■■■■ की गयी। नसबन्दी करने के कुछ ही घण्टे बाद कुछ बूढ़ों और रोगियों की मृत्यु हो गयी।'[3]

'शाह आयोग' ने अपनी रिपोर्ट में नसबन्दी के बाद उचित रूप से देखभाल, चिकित्सा न हो पाने या त्रुटिपूर्ण नसबन्दी के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में मरने वालों की संख्या दी है। मृतकों की संख्या कोष्ठक में दी हुयी है। विवरण निम्न है —

"राजस्थान(217), उत्तर प्रदेश (201), महाराष्ट्र(151), आन्ध्रप्रदेश (135), हरियाणा(132), मध्यप्रदेश (132), कर्नाटक (123), आसाम(95), तमिलनाडु(90), बिहार(80), दिल्ली(78), गुजरात (68), उड़ीसा(68), वेस्ट बंगाल(65), हिमांचल(60), केरल(40), पंजाब(29), जे०एण्ड के०(2), त्रिपुरा(2), गोवा दमन दीव (2), पाण्डेचेरी(2), चण्डीगढ़(1) मिजोरम(1)"

1- सब दरबारी, ले०जनार्दन ठाकुर(हिन्दी अनुवाद) पेज 124-26

2-दिनमान, 10-16 अप्रैल, 1977 पेज 29

3-सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले०कन्हैयालाल, पेज 32।

नसबन्दी कार्यक्रम को बाध्यता का रूप दिया गया। 'कुछ अधिकारियों ने हर नगर व गाँव में जाकर स्पष्ट चेतावनी दी कि जो नसबन्दी नहीं करायेगा उसे जेल में बन्द कर दिया जायेगा।'[1] 'पदोन्नति, नौकरी की पुष्टि यहाँ तक कि वेतन का भुगतान भी कर्मचारी को अपने कोटे का नसबन्दी सार्टीफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाने लगा।'[2]

'दिल्ली प्रशासन ने .... कार्पोरेशन के प्राइमरी स्कूलों के 10000 अध्यापकों को जबानी हुकुम दे दिया कि वे कम से कम पाँच पाँच आदमियों को नसबन्दी के लिए राजी करें।'[3] "बिहार सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि तीन से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं के हकदार तब तक नहीं होंगे जब तक वे नसबन्दी नहीं करा लेंगे। तीन से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा, सरकारी आवास, सहयोगी दुकानों की सुविधाओं, अगली पदोन्नति आदि से वंचित कर दिया गया था।"[4]

इन ज्यादतियों की स्वीकारोक्ति करते हुए आपातकाल के बाद के एक इण्टरव्यू में सत्तापक्ष के श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था —' ज्यादतियां यकीनन की गयीं अध्यापकों की तनख्वाहें रोकी गयीं, पूरे के पूरे गाँव की नसबन्दी कर दी गयी, कम उम्र के नौजवानों को और सत्तर-अस्सी बरस के बूढ़ों को भी इसके लिए पकड़कर ले जाया गया।......'[5]

1- धर्मयुग, 3 जुलाई, 1977 पेज 9

2- तरुणक्रान्ति 10-25 अप्रैल, 1977 पेज 12

3- फैसला, ले० कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 38

4- इन्दिरा गांधी का पतन, ले० डी० आर० मानकेकर तथा कमला मानकेकर (हि० अनु०) पेज 167

5- इंदिरा गांधी के दो चेहरे, ले० उमा वासुदेव (हिन्दी अनुवाद) पेज 177

नसबन्दी कार्यक्रम के समय पात्रता का भी ध्यान नहीं किया गया। अनेक अविवाहित, व्यक्तियों की नसबन्दी कर दी गयी। 'शाह कमीशन' ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे व्यक्तियों की सूची दी है जो अविवाहित थे परन्तु उनकी नसबन्दी कर दी गयी। सूची निम्न है। व्यक्तियों की संख्या कोष्ठक में दी है -

" उत्तरप्रदेश(164), हरियाणा(105), मध्यप्रदेश(84) राजस्थान(44) महाराष्ट्र (37) दिल्ली(32) बिहार (30) आसाम(21) पंजाब(15) गुजरात(5) वेस्ट बंगाल(5) हिमाचल प्रदेश(3) उड़ीसा(1) गोवा दमन दीव(1) पांडिचेरी(1)।"[1]

डा० लक्ष्मीनारायण के कथनानुसार 'दिल्ली जैसे अनेक बड़े शहरों से जबरिया नसबन्दी के डर से मजदूर काम छोड़कर गांव भाग गये।'[2] 'प्रशासन की ओर से ऐसे आदेश किये गये है कि जो भी मीसा बन्दी स्वेच्छा से अपनी नसबन्दी करा लेगा उसे तुरन्त पैरोल पर छोड़ दिया जायेगा।'[3] ' 6 मार्च 1977 को लंदन के 'सण्डेटाइम्स' ने इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी देते हुए लिखा था —" गांवों में संजय के परिवार नियोजन की ज्यादतियों के लिए हमेशा याद किया जायेगा।"[4] डा० अमरनाथ सिन्हा के कथनानुसार 'दमन और यातना का एक दूसरा क्षेत्र परिवार नियोजन कार्यक्रम था।'[5]

पर्यवेक्षकों एवं विद्वानों का मत है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के (विशेषकर नसबन्दी) गलत ढंग से ज्यादतीपूर्ण कार्यान्वयन के कारण ही आपातकाल के बाद के चुनावों (1977) में सत्ता कांग्रेस की पराजय हुयी। सत्ता कांग्रेस की चुनावों

1- शाह कमीशन आफ इन्क्वायरी, थर्ड एण्ड फाइनल रिपोर्ट, 6 अगस्त 1978 पेज 167

2- आधीरात की सुबह तक — डा० लक्ष्मीनारायण लाल, पेज 101

3- शाह कमीशन, के आइने में, ले० वीरेन्द्र सांघी, पेज 15।

4- सण्डे टाइम्स (लंदन) 6 मार्च 1977

5- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक — सम्पादक — डा० अमरनाथ सिन्हा, पेज 149

राज्यों के अनुसार नसबन्दी (आपरेशन) का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति

1976-77, 1975-76, और 1974-75 के समय में

राज्य/संघुक्त क्षेत्र	लक्ष्य			लक्ष्य की प्राप्ति			लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत		
	1976-77	1975-76	1974-75	1976-77	1975-76	1974-75	1976-77	1975-76	1974-75
आन्ध्रप्रदेश	400,000	294200	212500	760275	165163	131559	190·1	56·1	61·9
असम	170000	67300	59500	226161	147545	39387	133·0	219·2	66·2
बिहार	300000	202500	211700	685636	165537	32394	228·5	81·7	15·3
गुजरात	200000	182400	110900	317113	153023	154757	158·6	83·9	139·5
हरयाणा	52000	45000	38600	222738	57942	62112	428·3	128·8	160·9
हिमाचलप्रदेश	31500	18600	11000	100740	16832	6811	319·8	90·5	61·9
जम्मूकश्मीर	31000	17000	17400	18351	9502	5205	59·2	55·9	29·9
कर्नाटक	244500	139000	95000	430069	120671	61690	175·9	86·8	64·9
केरल	222,500	148,400	63300	213974	156622	62151	96·2	105·5	98·2
मध्यप्रदेश	267500	163800	219500	1002181	112163	68433	374·6	68·5	31·2
महाराष्ट्र	562000	318300	190100	862480	611588	238160	153·5	192·1	125·3
मणिपुर	45000	1600	700	6764	847	579	150·3	52·9	82·7
मेघालय	3500	1500	300	7513	2087	930	214·7	139·1	310·0
नागालैण्ड	—	—	—	355	—	—	—	—	—
ओडिसा	195500	109200	95000	322984	125040	68971	165·2	114·5	72·6
पंजाब	46500	43100	38300	139905	53083	36460	300·9	123·2	95·2
राजस्थान	175000	106100	63300	364760	86257	38071	208·4	81·3	60·1

राज्य/संयुक्त क्षेत्र	लक्ष्य			लक्ष्य की प्राप्ति			लक्ष्यप्राप्ति का प्रतिशत		
	1976-77	1975-76	1974-75	1976-77	1975-76	1974-75	1976-77	1975-76	1974-75
सिक्किम	—	—	—	262	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	500,000	211000	189400	566708	270691	197760	113·3	128·1	104·4
त्रिपुरा	9000	3400	7600	12721	4140	846	141·3	121·8	11·1
उत्तर प्रदेश	400000	175000	190100	838071	128729	50722	209·5	73·6	26·7
पश्चिम बंगाल	392500	196100	158400	882591	206424	56417	224·9	105·3	35·6
अंडमान-निकोबार	500	200	100	1376	242	163	275·2	121·0	163·0
अरुणाचल प्रदेश	6[illegible]0	100	100	268 *	24	17	48·7	24·0	17·0
चण्डीगढ़	2000	1300	1000	2590	163	1050	129·5	89·5	105·0
दादरा नगर हवेली	600	350	200	696	241	233	116·0	68·9	116·5
दिल्ली	29000	11200	8100	138517	22510	10563	477·6	201·0	130·4
गोवा, दमन, दीव	8000	4400	2200	5571	2786	2207	69·6	63·3	100·3
लक्षद्वीप	200	50	100	147	59	23	73·5	118·0	23·0
मिजोरम	1800	900	500	679	905	656	37·7	100·6	131·2
पाण्डिचेरी	5300	3400	2700	8030	4688	2784	151·5	137·9	103·1

फैमली वेलफेयर प्रोग्राम इन इण्डिया, इयर बुक 1976-77 के पेज 77-78 से
मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर' डिपार्टमेन्ट आफ फैमलीवेलफेयर' प्रकाशन।

छठी लोकसभा के कांग्रेस पार्टी (सत्तारूढ़ दल) के चुनाव-परिणाम

(1977)

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस प्रत्याशी	जीतनेवालों की संख्या (कांग्रेस)
1	आन्ध्र प्रदेश	42	42	41
2.	असम	14	14	10
3.	बिहार	54	54	—
4.	गुजरात	26	26	10
5.	हरियाणा	10	9	—
6.	हिमाचल प्रदेश	4	4	—
7.	जम्मू काश्मीर	6	3	2
8.	कर्नाटक	28	28	26
9.	केरल	20	11	11
10.	मध्यप्रदेश	40	38	1
11.	महाराष्ट्र	48	48	20
12.	मणिपुर	2	2	2
13.	मेघालय	2	2	1
14.	नागालैण्ड	1	1	—
15.	उड़ीसा	21	20	4
16	पंजाब	13	13	—
17.	राजस्थान	25	25	1
18.	सिक्किम	1	1	1
19.	तमिलनाडु	39	15	14
20.	त्रिपुरा	2	2	1

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस प्रत्याशी	जीतनेवालों की संख्या (कांग्रेस)
21.	उत्तरप्रदेश	85	85	—
22.	पश्चिम बंगाल	42	34	3
23.	अंडमान निकोबार	1	1	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1
25.	चण्डीगढ़	1	1	—
26.	दादरा नगर हवेली	1	1	1
27.	दिल्ली	7	7	—
28.	गोवा, दमन और दीव	2	2	1
29.	लक्षद्वीप	1	1	1
30.	मिजोरम	1	1	—
31.	पांडिचेरी	1	—	—
योग		542	493	153

टिप्पणी :— जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक-एक स्थान के लिए चुनाव होना बाकी है।

(दिनमान 27 मार्च से 2 अप्रैल 77 पेज नं० 32 से)

में हार के अन्य कारण भी थे किन्तु 'नसबन्दी कार्यक्रम' एक प्रमुख कारण बना। 'कांग्रेस सरकार को ले डूबने में जो नीतियाँ सबसे ज्यादा सहायक हुईं, उनमें परिवार नियोजन का स्थान शिखर पर है।'[1] '1857 में जैसे चर्बीवाले कारतूसों ने सिपाहियों में रोष पैदा किया था, वैसे ही जबरन नसबन्दी ने कांग्रेस विरोध की लहर पैदा की।'[2]

परिवार नियोजन (नसबन्दी आपरेशन) एवं चुनाव सम्बन्धी आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जिन राज्यों में नसबन्दी कार्यक्रम में जितना अधिक जोर दिया गया उतनी ही अधिक सीटें सत्ता कांग्रेस को उन राज्यों में गंवानी पड़ी। दी गयी सारणियों से यह बात स्पष्ट है। (सारणी साथ में संलग्न है)।

दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि नसबन्दी कार्यक्रम और सत्ताकांग्रेस की हार के बीच सम्बन्ध था। इस तथ्य की स्वीकारोक्ति करते हुए सत्ता कांग्रेस के भू0पू0सचिव श्री शंकर दयाल सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है —" नसबन्दी ऐसी हुयी कि हिन्दी प्रदेशों में कांग्रेस साफ हो गयी और सफाई का दौर ऐसा चला कि प्रधानमंत्री से लेकर .... हम सभी साफ हो गये।"[3]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आपातकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक रूप से जो बाध्यकारी 'नसबन्दी' कार्यक्रम चलाया गया उससे समाज के सभी वर्गों को कष्ट हुआ। इससे देश में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता सत्ता कांग्रेस से आक्रोशित हो गयी। यह कार्यक्रम आपातकाल के बाद चुनाव (1977) में सत्ता कांग्रेस की पराजय का प्रमुख कारण बना। जे0पी0 ने देश की जनता पर की गयी इस बाध्यतापूर्ण कार्यवाई की कटुताओं में

1-दिनमान, 10-16 अप्रैल 1977 पेज 27
2-धर्मयुग, 14 अगस्त, 1977 पेज 22
इमर्जेन्सी क्या सच क्या झूठ, शंकरदयाल सिंह: पेज 149

निन्दा की थी।

बिहार आन्दोलन इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के श्रीमती गांधी के चुनाव याचिका संबंधी निर्णय के पश्चात् क्रमशः केन्द्र की ओर उन्मुख होता गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में श्रीमती गांधी को उनके लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। इस निर्णय के पश्चात् जे0पी0 एवं बिहार आन्दोलन समर्थक राजनीतिक दलों ने श्रीमती गांधीसे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग प्रारम्भ कर दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कार्यान्वय को रोकने के लिए 20 दिन का स्थगन आदेश भी दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध श्रीमती गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का सशर्त स्थगन आदेश मिला। इस प्रकार श्रीमती गांधी कानूनी रूपसे प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती थी। बिहार आन्दोलन समर्थक प्रतिपक्ष नैतिक आधार पर श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग कर रहा था।श्रीमती गांधी को त्यागपत्र दिलाने का उद्देश्य से प्रतिपक्ष द्वारा सभाओं एवं रैलियों का आयोजन किया जा रहा था। ऐसी ही प्रतिपक्ष की एक अन्तिम विशाल रैली को जे0पी0 ने दिल्ली में सम्बोधित किया। इसमें उन्होंने श्रीमती गांधी के त्यागपत्र दिलाने के उद्देश्य से 29 जून 1975 से चलाये जाने वाले प्रतिपक्ष के सत्याग्रह कार्यक्रम की घोषणा की। परन्तु उसके पूर्व ही 25 जून की रात्रि को आपातकाल(आन्तरिक आपातस्थिति) की घोषणा कर दी गयी और यह कार्यक्रम आगे न चल सका। जे0पी0 एवं उनके आंदोलन समर्थक राजनीतिकदलों के नेता [illegible], कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायालय के निर्णयों को प्रदर्शन एवं आंदोलन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। यह एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। इसके

लिए संवैधानिक उपाय किये जाने चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश एवं सुप्रीम कोर्ट के सशर्त स्थगन आदेश से कानूनी स्थिति श्रीमती गांधी के पक्ष में थी। सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं। अतः उनसे केवल नैतिक आधार पर ही त्यागपत्र की मांग की जा सकती थी। प्रतिपक्ष को इस संबंध में आंदोलन चलाने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

आपातकाल की घोषणा के लिए सत्तापक्ष ने जे0पी0 एवं उनके बढ़ते हुए आन्दोलन के प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया है। जे0पी0 ने भी स्वीकार किया है कि तत्कालीन सरकार उनके आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत थी। दोनों पक्षों की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि आपातस्थिति की घोषणा का एक प्रमुख कारण जे0पी0 और उनके आंदोलन का बढ़ता हुआ प्रभाव था।

आपातकाल के समय देश के नागरिकों की संविधान में उल्लिखित नागरिक स्वतंत्रतायें लगभग समाप्त प्राय हो गयीं। देश में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा हुआ। भीषण दमन का सहारा लिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को 'मीसा' व अन्य 'आपात कालीन नियमों' के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करते हुए 'कठोर सेंसरशिप' लागू की गयी। विरोधी व्यक्तियों को अमानुषिक यातनायें दी गयीं। 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' का हनन करते हुए उसके 'अधिकारों को सीमित' कर दिया गया। 'परिवार नियोजन' कार्यक्रम के अन्तर्गत 'नसबन्दी कार्यक्रम' को बाध्यकारी रूप से कार्यान्वित किया गया। इससे जनता के सभी वर्गों को अपार कष्ट पहुंचा। उपर्युक्त सभी तथ्यों की पुष्टि 'आपातकाल के ज्यादतियों की जाँच के लिए स्थापित 'शाह आयोग' की रिपोर्टों से हो चुकी है।

आपातस्थिति के समय घटित उपर्युक्त घटनायें निश्चय ही अलोकतांत्रिक आचरण का परिणाम थीं। इनकी निन्दा की जानी चाहिए। तत्कालीन सत्तापक्ष के संचालित

व्यक्तियों ने भी इस संबंध में अपनी गलती की स्वीकारोक्ति की है। देश के संविधान में इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। 'जनता सरकार' के समय इस प्रकार की कुछ संरक्षणात्मक व्यवस्थायें की भी गयीं हैं।

आपातस्थिति के समय जे०पी० जैसे देशभक्त को भी स्वतंत्र भारत में जेल जाना पड़ा। आपातकाल की परिस्थितियों का जे०पी० के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। गिरफ्तारी के बाद उनके साथ अपराधियों" जैसा व्यवहार किया गया। उनको मानसिक यंत्रणा दी गयी। बन्दी जीवन में ही उनके दोनों गुर्दे नष्ट हो गये। उनके स्वास्थ्य एवं जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। शेष जीवन में उन्हें कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे बहुत ही यंत्रणामय रूप से व्यतीत करना पड़ा। इस मशीन से रक्त साफ करते समय हर बार जे०पी० के शरीर में एक सुई प्रवेश की जाती थी। यह बहुत ही कष्ट दायक प्रक्रिया थी। जे०पी० के जीवन की तुलना महाभारत में युद्ध के समय बाणों की शैय्या में पड़े भीष्मपितामह एवं सूली में चढ़ते हुए सेंट क्राइस्ट(यीशु मसीह) से की जा सकती है। जे०पी० को यह कष्ट देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के कारण उठाना पड़ा। देश उनके त्याग एवं बलिदान के लिए उनका सदैव आभारी रहेगा।

चतुर्थ अध्याय

जे०पी० की समग्र क्रान्ति का विचार

चतुर्थ अध्याय

जे०पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार

(अ) सम्पूर्ण क्रान्ति की परिभाषा

क्रान्तियाँ पहले भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय रही हैं। जे०पी० ने 'बिहार आन्दोलन' के समय 'सम्पूर्ण क्रान्ति' शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इसे 'बिहार आन्दोलन' का मुख्य उद्देश्य बतलाया था। उन्होंने जिस विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग किया उसके अनुसार भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक नया 'शब्द' है। जे०पी० के भारतीय राजनीतिक चिन्तन को समझने के लिए 'सम्पूर्ण' (सम्पूर्ण क्रान्ति') को परिभाषित करना उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण करना आवश्यक है।

'सम्पूर्ण क्रान्ति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे०पी० ने 5 जून 1974 को किया। उन्हीं के शब्दों में " 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान की विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए सहज ही मेरे मुँह से पहली बार 'सम्पूर्ण क्रान्ति' शब्द निकल पड़े थे। उस दिन मैंने कहा था कि यह आंदोलन छात्र संघर्ष समिति की मात्र 10-12 मांगों की पूर्ति के लिए ही नहीं, यह सम्पूर्ण क्रान्ति की शुरुआत है।"[1]

क्रान्ति के सम्बन्ध में जे०पी० का चिन्तन है कि "क्रान्ति शब्द से परिवर्तन और नव निर्माण दोनों ही अभिप्रेत हैं।..... क्रान्ति या क्रान्तिकारी परिवर्तन बहुत शीघ्र गति से होता है और परिवर्तन बड़ा दूरगामी और मूलगामी होता है-कभी कभी ऐसा कि वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी गर्म होकर भाप बन

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 5

जाता है।"[1]

सामाजिक व्यवस्था के किसी क्षेत्र में जिस समय आमूल चूल परिवर्तन त्वरित गति से होता है उसे हम 'क्रान्ति' कहते हैं। जिस समय वही परिवर्तन धीरे-धीरे होता है उसे हम 'सुधार' की संज्ञा देते हैं।

जे0पी0 ने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के विचार को कहीं भी पूरी तरह सुनियोजित ढंग से लिपिबद्ध नहीं किया है। सम्पूर्ण क्रान्ति की जो भी व्याख्या की जाती है उसका आधार उनके द्वारा विभिन्न सभाओं में दिये गये प्रवचन एवं व्यक्तिगत रूप से की गयी चर्चायें हैं स्वयं उन्हीं के शब्दों में —"मेरे जनों और सहकर्मियों की ओर से बराबर इसके स्पष्टीकरण और भाष्य की आग्रहपूर्ण माँग उठती रही। और यह काम मैं उनके साथ की चर्चाओं में यथासाध्य द्वारा करता रहा।"[2]

'सम्पूर्ण क्रान्ति' के संबंध में जे0पी0 ने अपनी जेल डायरी' में जो कुछ भी लिखा है केवल वही विचार उनके लिपिबद्ध किये हुए हैं। 'सम्पूर्ण क्रान्ति' को समझने की दृष्टि से यह विचार बहुत संक्षिप्त एवं अव्यवस्थित हैं।

<u>परिभाषा :—</u>

जे0पी0 ने स्वयं अपने 'समग्र क्रान्ति' के विचार को विभिन्न अवसरों पर परिभाषित किया है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है —"सम्पूर्ण क्रान्ति का अर्थ हुआ सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग और संगठन के ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन।..."[3] 23 अगस्त 1975 को उन्होंने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा था —"समाज में जिस

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 5

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 28

3-धर्मयुग, 5 से 11 जून, 1977 'सम्पूर्णक्रान्ति अंक, पेज 8

प्रकार क्रमबद्ध परिवर्तन लाया जाए? अर्थात् जिसे मैंने सम्पूर्ण क्रान्ति की संज्ञा दी है, उसे कैसे लाया जाए? यह क्रान्ति जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र और पहलू में होगी।"[1] 'सम्पूर्ण क्रान्ति' नामक पुस्तक में इसको स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं -"समाज और व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो और व्यक्ति का और समाज का विकास हो, दोनों ऊँचे उठें। केवल शासन बदले इतना ही नहीं, व्यक्ति और समाज भी बदले। इसलिए मैंने इसको सम्पूर्ण क्रान्ति कहा है।"[2]

जे0पी0 के इस विचार को अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके निकटतम सहयोगी एवं बिहार आन्दोलन के संचालकों में प्रमुख श्री नारायण देसाई ने लिखा है 'सम्पूर्ण क्रान्ति से जयप्रकाश जी का तात्पर्य राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में मूल्य दृष्टि एवं मनोवृत्ति में त्वरित परिवर्तन से है।[3] डा0अमरनाथ सिन्हा के अनुसार 'सम्पूर्ण क्रान्ति' व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के अंतर्बाह्य सम्प्रसारित करने का प्रयास है। यह एक राष्ट्रीय सर्जना का आयोजन है।'[4] सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा का कहना है -"सम्पूर्ण क्रान्ति अर्थात् वैचारिक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब प्रकार की क्रान्ति इसके अलावा क्रान्ति की कल्पना में, क्रान्ति के साधनों में और क्रान्ति की प्रक्रिया में भी क्रान्ति।"[5] डा0 राम जी सिंह ने लिपिबद्ध किया है -"मानव जीवन के सम्पूर्ण पहलुओं को एक साथ स्पर्श करता हुआ समग्र परिवर्तन ही सम्पूर्ण क्रान्ति का अभीष्ट

1-मेरी जेलडायरी, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज5

2-सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 5

3-बिहार आन्दोलनः प्रश्नोत्तर, ले0नारायण देसाई, पेज16

4- बिहार आन्दोलन वार्षिकी1974-75, रामबहादुर राय(सम्पा0) पेज 52-53

5-सम्पूर्णक्रान्ति क्या?क्यों?और कैसे, ले0सिद्धराज ढड्ढा, पेज 15

है।"[1] 'सम्पूर्ण क्रान्ति' से सम्बन्धित पत्र 'समग्रता' के संपादक ने लिखा है कि "सम्पूर्ण क्रान्ति से आशय है कि समाज-जीवन के हर क्षेत्र में जो प्रतिगामी शक्तियाँ, जो प्रतिगामी रीतिरिवाज, जो प्रतिगामी विचार पद्धतियाँ जमी हुयी हैं, उन्हें उखाड़ा जाये और नया न्यायपूर्ण और उदार समाज बनाया जाये..।"[2] श्री प्रेमभसीन 'सम्पूर्ण क्रान्ति' को परिभाषित करते हुए लिखते हैं ''सम्पूर्ण क्रान्ति का अर्थ है जीवन के हर पहलू में क्रान्ति, मनुष्य में तथा उस समाज में क्रान्ति जिसका वह एक अवयव है, मनुष्य के आचरण में क्रान्ति तथा मनुष्य निर्मित सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति, आचरण तथा रचना में क्रान्ति।"[3] डा0 युगल राय का चिंतन है-'सम्पूर्ण क्रान्ति से तात्पर्य है जीवन के समग्र क्षेत्रों में क्रान्ति। उससे तात्पर्य सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में क्रान्ति 'सम्पूर्ण क्रान्ति' इस प्रकार सामाजिक वातावरण में आमूल परिवर्तन का अभियान है।'[4]

प्रसिद्ध विचारक एवं उपन्यासकार श्री गुरुदत्त के कथनानुसार" किसी भी अर्थ में लें, समग्र क्रान्ति का अर्थ होगा- सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में मूलभूत परिवर्तन करना।"[5] आचार्य दादा धर्माधिकारी के अनुसार "सम्पूर्ण क्रान्ति वह क्रान्ति है, जिसमें प्रतिक्रान्ति की सम्भावना क्षीण हो जाती है। जिस क्रान्ति में से प्रतिक्रान्ति पैदा नहीं होती।"[6] डा0 रामवचन राय ने 'सम्पूर्ण क्रान्ति की अवधारणा, शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि "वस्तुतः सम्पूर्ण क्रान्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन की

1-कादम्बनी, अप्रैल, 1979 पेज 24

2-समग्रता 30 अक्तूबर से 5 नवम्बर 1977 पेज 15

3-जनता 30 अक्तूबर 1977

4-छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, डा0 अमरनाथ सिन्हा (सम्पादक) पेज 4

5-वाह जनतापार्टी [illegible] विशेषांक, ले0 गुरुदत्त, पेज 28

6- सम्पूर्ण क्रान्ति के आयाम, ले0 आचार्य दादाधर्माधिकारी, पेज 24

एक लम्बी प्रक्रिया है, यह चिन्तन को कर्म से जोड़ने वाला वह सगुण दर्शन है, जो सतत परिवर्तन को सामाजिक संरचना का आधार मानता है।"[1] राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री बाला साहब देवरस ने 'दिनमान' के साक्षात्कार के समय कहा था —
"समग्र क्रान्ति का जो अर्थ मैंने समझा है वह है राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्ष पूरी तरह से विकृत हो गये हैं और समग्र क्रान्ति का लक्ष्य उन सभी को सही परिप्रेक्ष्य में रखना है।"[2] जे0पी0 के मृत्योपरान्त प्रकाशित लेख में जे0पी0 के निजी सचिव श्री-सच्चिदानन्द ने उनके सम्बन्ध में लिखा था —" एक वाक्य में क्रान्ति से उनका मतलब था सत्ता के ढाँचे - पावर स्ट्रक्चर में आमूल परिवर्तन। सत्ता चाहे राजनीतिक हो, या आर्थिक, वह आज मुट्ठीभर लोगों के हाथ में केन्द्रित है। सम्पूर्ण क्रान्ति का अर्थ है कि सम्पूर्ण सत्ता सामान्य जनता के हाथों में आ जाये।"[3]

'सम्पूर्ण क्रान्ति' से जे0पी0 का तात्पर्य समाज के सभी क्षेत्रों में किये जाने वाले मूलभूत गुणात्मक परिवर्तनों से है। व्यक्ति, समाज का महत्वपूर्ण अवयव होने के कारण इसमें समाज के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों की अपेक्षा भी निहित है। सम्पूर्ण क्रान्ति की परिकल्पना में भारतीय समाज को शोषणविहीन, अधिक उदार, बुराइयों से रहित समाज बनाने का स्वप्न निहित है।

'समग्र या सम्पूर्ण क्रान्ति?

जे0पी0के इस विचार के सम्बन्ध में दो शब्दों 'समग्र' एवम् 'सम्पूर्ण' का प्रयोग किया गया है। जे0पी0 के वैचारिक चिन्तन की स्पष्टता के लिए 'सम्पूर्णक्रान्ति' (समग्र क्रान्ति') में कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है, यह विचारणीय प्रश्न है।

1- ज्योत्सना, लोकनायक विशेषांक, पेज 173

2- दिनमान, 24से30अप्रैल, 1977 पेज30

3- समग्रता [illegible] अंक, अक्टूबर-दिसम्बर, 1979 पेज17

जे0पी0 ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए स्वयं कहा था —" मैंने इसको सम्पूर्ण क्रान्ति कहा है। आप इसे समग्र क्रान्ति भी कह सकते हैं। समग्र और सम्पूर्ण के अर्थों में कुछ भिन्नता हो सकती है। इसमें अगर पूर्णता जोड़ दी जाय तो सम्पूर्ण समग्र क्रान्ति इसे कहना चाहिए।"[1]

जे0पी0 इन दोनों शब्दों में विशेष अन्तर नहीं मानते। 'बिहार वासियों के नाम चिट्ठी' में उन्होंने लिखा है —" समग्र और सम्पूर्ण में अर्थ की भिन्नता तो जरूर है, लेकिन मेरे लिए दोनों तकरीबन एक ही हैं। 'समग्र क्रान्ति' भी 'सम्पूर्ण' हो सकती है।"[2]

उपर्युक्त शब्दों के सम्बन्ध में डा0 रामजी सिंह का मत है कि "ये दोनों शब्द प्रायः पर्यायवाची के रूप में व्यवहार किये जाते हैं। अन्तर इतना ही है कि 'समग्र क्रान्ति' क्रान्ति की समग्रता का द्योतक है जबकि 'सम्पूर्ण क्रान्ति' उसकी सम्पूर्णता का। 'समग्रता' गुणात्मक प्रत्यय है और 'सम्पूर्णता' गुणात्मक के साथ परिमाणात्मक भी है। 'सम्पूर्ण क्रान्ति' जीवन और समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है अतः वह समग्र क्रान्ति कहलायेगी। 'समग्र क्रान्ति' पूर्ण और अपूर्ण दोनों हो सकती है। पूर्णता एक आदर्श है जिसको लक्ष्य कर आगे बढ़ते रहना होगा।"[3] 'सम्पूर्ण क्रान्ति से संबंधित पत्र 'समग्रता' के संपादक ने लिखा है —"संपूर्ण क्रान्ति में सम्पूर्ण का आशय समग्रता का है।"[4] श्री धीरेन्द्र मजूमदार का कथन है —" मैं 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के बजाय 'समग्र क्रान्ति' शब्द अधिक पसन्द करता हूँ। सम्पूर्ण तो केवल ईश्वर है। और ईश्वर की भी सबको मान्यता नहीं है, समग्र अपने अलगाऊ योजना।"[5]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 5

2-बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 36

3-चाय समनी, अप्रैल, 1979 पेज 28

4-समग्रता 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 1977 पेज 15

5- वही, 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1977 पेज 5

जे०पी० स्वयं कहते हैं कि 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का अभी पहला चरण है। यह सतत (कान्टीन्यू) चलने वाली क्रान्ति है।सम्पूर्ण क्रान्ति के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अतः इसको 'सम्पूर्ण' कैसे कहा जा सकता है?परिभाषाओं से भी स्पष्ट है कि यह जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करती है।(अर्थात् जीवन की समग्रता को अपने में समाहित किये हुए है)इसलिए यह समग्र(टोटल) तो हो सकती है,सम्पूर्ण (परफेक्ट) नहीं। अंग्रेजी में इसके लिए 'टोटल' रिवोल्यूशन' शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शब्द का अर्थ भी 'समग्र क्रान्ति' ही होगा।

विभिन्न विद्वानों के मतों एवं तथ्यों के विवेचन, विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसे 'सम्पूर्ण क्रान्ति' कहने की अपेक्षा 'समग्रक्रान्ति' कहना अधिक औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत है।

(ब) समग्र क्रान्ति के तत्व

विश्व इतिहास में प्रायः जितनी क्रान्तियाँ हुयी हैं उनके मूल में राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ दार्शनिक एवं बुद्धिजीवियों का संयुक्त चिंतन भी रहा है।'क्रान्ति' में राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही सामाजिक निर्माण की समस्या भी सामने आती है। यह कार्य चिंतन और विचार सम्पन्नता के द्वारा ही सम्भव है।यही कारण है कि 'बिहार आन्दोलन' जिन तत्कालिक समस्याओं को लेकर आरम्भ हुआ उन्हें एक सबल वैचारिक आधार देने के लिए जे०पी० ने 'समग्र क्रान्ति' का लक्ष्य सामने रखा।

जे०पी० के कथनानुसार "सात प्रकार की क्रान्तियाँ मिलकर सम्पूर्ण क्रान्ति होती है, ऐसा मैं कहता रहा हूँ। वे हैं — सामाजिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, राजनैतिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, वैचारिक क्रान्ति, अथवा बौद्धिक क्रान्ति, शैक्षणिक क्रान्ति एवं

आध्यात्मिक क्रान्ति।"[1] 'समग्र क्रान्ति' में उपरोक्त सात क्रान्तियाँ समाहित हैं।" कभी-कभी जे0पी0 ने लोहिया की 'सप्तक्रान्ति' से सम्पूर्ण क्रान्ति की तुलना की है — सप्त क्रान्ति इससे मिलती जुलती है।"[2] 18मार्च,1975 को बिहार आन्दोलन' की पहली वर्षगांठ के अवसर पर गांधी मैदान (पटना) में सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था "लोहिया जी की सप्त क्रान्ति मिलकर ही सम्पूर्ण क्रान्ति बनती है।"[3] डा0राममनोहर लोहिया के मतानुसार 'कुल सात क्रान्तियाँ हैं।'[4] वास्तविक क्रान्ति समग्र होती है।'[5] आलोच्य विषय के संदर्भ में जे0पी0 का चिंतन है —"यह संख्या अधिक कम हो सकती है। उदाहरण स्वरूप सांस्कृतिक क्रान्ति में शैक्षणिक और सैद्धान्तिक क्रान्तियां सम्मिलित की जा सकती हैं। यदि संस्कृति को मानव शास्त्र संदर्भ में प्रयोग में लाया गया है तो उसमें सभी प्रकार की क्रान्तियां सम्मिलित की जा सकती हैं। - - - इसी प्रकार मार्क्स-वादी सिद्धान्तों के संबंध में सामाजिक क्रान्ति के प्रयोग में आर्थिक तथा राजनैतिक क्रान्तियाँ और उनसे अधिक भी सम्मिलित हैं। इस तरह हम क्रान्तियों की संख्या सात को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार इन सात क्रान्तियों को तोड़कर हम इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आर्थिक क्रान्ति में औद्योगिक , कृषि तकनीकी क्रान्तियां इत्यादि विभाजित की जा सकती है। इसी प्रकार बौद्धिक क्रान्ति को दो भागों में बाँट सकते हैं — वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। नैतिक क्रान्ति को भी नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। - - महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन तकनीकी शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं, उनकी परिभाषा हमें स्पष्ट करनी चाहिए।"[6]

1-सम्पूर्णक्रान्ति की खोज में, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 121
2- धर्मयुग, सम्पूर्ण क्रान्ति अंक, 5-11जून, 1977 पेज 11
3- विद्रोही की वापसी, डा0शायत विजय, पेज 144
4-मार्क्सवाद और सप्तक्रान्ति, डा0राममनोहर लोहिया, पेज 50
5-क्रान्ति या समग्र दर्शन, इन्दु टिकेकर, पेज 99
6- मेरी जेलडायरी, जयप्रकाशनारायण, पेज 132

समग्रक्रान्ति में सम्मिलित इन सात क्रान्तियों को 'समग्रक्रान्ति के तत्व' मानकर हम उनकी व्याख्या करेंगे।

(1) राजनैतिक तत्व :—

'राजनैतिक प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का अनिवार्य तथा अभिन्न अंग है।'[1] जे0पी0 की समग्र क्रान्ति के अन्तर्गत भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में निम्न परिवर्तनों की कल्पना निहित है।

(1) राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण :—

जे0पी0 राजनैतिक सत्ता के केन्द्रीकरण के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार 'सत्ता का केन्द्रीकरण समाज और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए खतरा है।'[2] उनका विचार है कि शक्ति के विकेन्द्रीकरण से जनता को उनके वास्तविक अधिकार मिल सकते हैं और दलीय राजनीति से अलग रूप जनशक्ति (या लोकशक्ति) का विकास सम्भव हो सकता है।

विकेन्द्रीकरण का आरम्भ वे राज्यों की स्वायत्तता से करना चाहते थे। उनके कथनानुसार "मैं राज्य की स्वायत्तता का सभी ओर से पक्षधर रहा हूँ। भारतीय संघ संतोषप्रद ढंग से काम करे इसके लिए आवश्यक है कि राजकीय प्रशासन के सुसंचालन एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्यों को प्रभावकारी वित्तीय तथा अन्य अधिकार प्राप्त हों। इस समय राज्य केन्द्र पर विशेषकर वित्तीय मामलों में बहुत अधिक निर्भर हैं और यह स्थिति संघीय सिद्धान्त से मेल नहीं खाती अतः मैं इस पक्ष में हूँ कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले। विकेन्द्रीकरण के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि वह नीचे तक अर्थात् ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा तक पहुँचे।"[3]

1- मेरी जेलडायरी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 39

2- विद्यार्थियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 26

3- जयप्रभात 30 जुलाई से 5 अगस्त, 1978 पेज 2

आय के नये साधन राज्य को सौंपे जा सकते हैं। राज्यपाल के अधिकारों तथा कार्य क्षेत्रों के विषय में भी सावधानी के साथ पुनर्विचार करना चाहिए।"[1] "केन्द्र को प्रतिरक्षा, विदेश-संबंध और बड़े उद्योगों आदि को अपने हाथ में रखकर राज्य, जिला, तहसील और गाँवों के स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि राज्यों को अधिक से अधिक मिले, केन्द्र को कम से कम।"[2]

"हमारा ध्यान अब तक उपेक्षित रहीं स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर जाना चाहिए। ग्राम प्रखण्ड और जिला स्तर की ये स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएँ ही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बना सकेंगी। सत्ता हथियाने, तानाशाही लादने की वृत्ति के विरुद्ध ऐसी विकेन्द्रित व्यवस्था ही ढाल बन सकती है।"[3] "सत्ता ऊपर से आकर नीचे जाय, जन साधारण के पास, जनता के हाथों में जाय, गाँव-गाँव में जाय, यह अर्थ है राजनीतिक क्रान्ति का वर्तमान परिस्थिति में।"[4] वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में, आम नागरिकों की भूमिका के संदर्भ में जे0पी0 का कथन है "स्थानीय स्वायत्त शासन में भी उनका कोई हाथ नहीं है और छोटे से छोटा राज्य कर्मचारी तक किसी रूप में भी उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है।"[5] "कानून बनाने वाली विधान सभायें जिला, प्रखण्ड तथा गाँव में विकेन्द्रित करनी चाहिए। राज्य तथा केन्द्रीय प्रशासन समाप्त करके उसके बदले में जिले तक का प्रशासन रखना चाहिए। प्रशासन का राज्य तथा सम्पूर्ण राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं रखना चाहिए।" नौकरशाही को समाप्त करने के लिए राज्य तथा केन्द्र की प्रशासनिक व्यवस्था, जिला, प्रखण्ड तथा

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, सामयिक आन्दोलन के फलस्वरूप बनी सरकारों की जिम्मेदारियाँ जे0पी0, पेज 79

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के लोकनायक जयप्रकाश, ले0 श्रीकृष्णदत्त भट्ट, पेज 78

सम्पूर्ण क्रान्ति, जे0पी0, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 40

4- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 115

5- लोकस्वराज्य, पेज 8 ले0 जयप्रकाशनारायण

जिला, प्रखंड तथा गांव में पहुंचा देना चाहिए।'[1] डा०ईश्वर प्रसाद वर्मा का मत है "जहां केन्द्रीय संचालन आया, वहां जनता का संचालन मर गया समझिये।"[2] विकेन्द्रित व्यवस्था में सामान्य नागरिक का भी महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ प्रत्यक्ष संबंध रहता है।'[3] आलोच्य विषय के संदर्भ में डा० लक्ष्मी नारायण लाल के शब्द भी द्रष्टव्य हैं- "राजनैतिक और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण लोकतंत्र की दृष्टि से नुकसान देह साबित हुआ है।"[4]

'गांधी और जयप्रकाश ने 'शासन मुक्ति' की दृष्टि से विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था एवं ग्राम स्वराज्य को आवश्यक माना। राज्य के पास जितनी कम सत्ता होगी व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी। प्रशासन को नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। जो काम ग्राम सभा नहीं कर सकती, उसे प्रखंड, जिला, प्रान्त व केन्द्र को सौंपना चाहिए।'[5] 'चौखम्बा राज्य, नाम से लोहिया ने भी विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था की कल्पना की थी।' गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि —' स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्न करना फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का।'

जे०पी० ऐसे लोकतंत्र से सन्तुष्ट नहीं थे जिसमें जनता का स्थान बहुत सीमित हो। इसमें असली शक्ति जनता के हाथ में न रहकर 'राजनैतिक दल' एवम् राज्य में रहती है। इसके परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे शक्ति राज्य के हाथ में केन्द्रित होती जाती है और एक ऐसा समय आता है जब राज्य(तंत्र) जनता(लोक) पर हावी हो जाता है। हमारे देश में ऐसी ही स्थिति है। जे०पी० इस स्थिति को समाप्त करना

1-सम्पूर्ण क्रान्ति की रणनीति, ले०श्री रघुराम चन्द्राकर, पेज 28

2-युगपुरुष श्री जयप्रकाशनारायण, डा०ईश्वर प्रसाद शर्मा, संपादक, पेज 125

3-क्रान्ति का समग्र दर्शन, ले०इन्दु टिकेकर, पेज 102

4-जनतंत्र से सम्पूर्ण क्रान्ति की ओर, ले० डा०लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 20

5-जाह्नवी, अप्रैल 1979 ले० डा०रामजी सिंह, पेज 27

चाहते है।

जे0पी0 संसदीय लोकतंत्र के मूल ढाँचे को कायम रखते हुए, कानून और संविधान की महत्ता को स्वीकार करते हुए बुनियादी परिवर्तन चाहते है। जे0पी0की 'समग्र क्रान्ति' में 'राज्यशक्ति' और 'लोकशक्ति' का समन्वय है। समन्वय की शर्त यह होगी कि 'राज्य शक्ति' क्रमशः सीमित होती जाय और लोकशक्ति विस्तृत, पुनर्गठित होती जाय। इस मूलतत्व को स्वीकार करने के बाद जे0पी0 की कल्पना का जो लोकतंत्र बनेगा उसके लिए राज्य की स्वायत्तता के साथ-साथ जिला, प्रखण्ड, ग्रामऔर नगर की इकाइयों की स्वायत्तता आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। 'लोकशक्ति' के विकास के लिए उन्होंने सत्ता से अलग 'लोकसमिति' एवं 'छात्र-युवा संघर्षवाहिनी' जैसे संगठनोंका विचार दिया।

भारतीयलोकतंत्र में जनता की सहभागिता को बढ़ाकर जे0पी0 इसे और अधिक वास्तविक एवं प्रभावकारी बनाना चाहते है। यदि जे0पी0 की कल्पना का विकेन्द्रीकरण सम्भव हो पाता तो नौकरशाही की सामान्य जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती। इसके परिणाम स्वरूप लालफीताशाही एवं नौकरशाही जैसे प्रशासनिकदोषों से मुक्ति भी भारतीय प्रशासन में सम्भव हो सकती थी। एक दूरगामी परिणामऐसी लोकशक्ति का उदय भी सम्भव हो सकता था जो राजनीतिक दलों तथा सरकार को सत्ता से अलग रहकर नियंत्रित करे। ऐसी कल्पना गाँधी जी भी कर चुके हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात विभिन्न आयोगों एवं सभी राजनीतिक दलों द्वारा कही जाती रही है परन्तु इस ओर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। जे0पी0 इस स्थिति को समाप्त करना चाहते है।

आने वाले दिनों में, भारतीय लोकतंत्र में इस दिशा में सुधार करने वाला कोई व्यक्ति या राजनैतिक दल जे०पी० के इस चिंतन से प्रेरणा और अनुभव प्राप्त कर सकेगा।

(2) जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण :-

जे०पी० भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दो उपाय बतलाये 'पहला — चुनाव के समय उम्मीदवारों के चयन में जनता का परामर्श प्राप्त किया जाय दूसरा — चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर जनता की निगरानी रहे।'[1] जे०पी० के मतानुसार कोई चुना हुआ प्रतिनिधि यदि अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए।

(3) जनप्रतिनिधियों का चयन :-

वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दल एवं उनके प्रभावशाली नेता करते हैं। इस चयन में जनता की कोई भूमिका नहीं होती। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के चयन के अतिरिक्त जनता के सामने अन्य कोई विकल्प नहीं होता। स्वतंत्र रूप से कुछ प्रत्याशी चुनाव अवश्य लड़ते हैं पर वे कम प्रभावशाली या राजनीतिक दलों के असन्तुष्ट व्यक्ति होते हैं। चुनाव में विजयी होने वाले सर्वाधिक जनप्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित होते हैं। जे०पी० इस व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हैं।

---

1 -मेरी जेलडायरी, ले०जयप्रकाश नारायण, पेज 9

वे इसे 'राजनीतिक दलों की तानाशाही' की संज्ञा देते हैं। जिसके अन्तर्गत राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जनता पर थोपते हैं। उनके मतानुसार प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते समय जनता से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 'लोक समिति' संगठन स्थापित करने की बात कही है। उन्हीं के शब्दों में "जनता चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भी भाग लेने लगे, इसके लिए 'लोक समितियों' का ढाँचा खड़ा करना होगा।"[1] 'लोकसमिति' की कार्यपद्धति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा —"एक-एक गाँव, मुहल्ला अथवा एक-एक पोलिंग बूथ की एक-एक समिति बने और इनके एक-एक प्रतिनिधि को लेकर पूरे चुनाव क्षेत्र की एक लोक-समिति बने। यह चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करे या ऐसा न कर सके तो किसी खड़े हुए उम्मीदवार का समर्थन करे। उम्मीदवार किसी दल का हो या निर्दलीय यह ऊपर से तय न किया जाय। स्थानीय लोकसमितियों के साथ चर्चा करके उम्मीदवार तय किये जाय।"[2] इस विषय में जे०पी० के निकटतम मित्र एवं प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता आचार्य राममूर्ति के विचार भी उल्लेखनीय हैं, उनके अनुसार "हर निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों की लोकसमितियों के प्रतिनिधियों को लेकर एक ऐसा संगठन बनाया जा सकता है जिसका नाम 'प्रतिनिधि निर्वाचक मण्डल' रखा जा सकता है।"[3]

भारत की वर्तमान दलीय व्यवस्था को देखते हुए राजनीतिक दलों से ऐसी व्यवस्था अपनाने को कहा जा सकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की 5 — 8 नामों की सूची प्रस्तुत करे। इन नामों में से उस क्षेत्र की जनता से परामर्श प्राप्त करे 'लोकसमिति' या ऐसे ही किसी अन्य संगठन के माध्यम से, जनता द्वारा

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 45

2- वही, पेज 45-46

3- सम्पूर्ण क्रान्ति इसके लिए— ले० आचार्य राममूर्ति पेज 24

स्वीकृत किसी एक व्यक्ति को अपने प्रत्याशी के रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल चुने करे। इससे भारतीय लोकतंत्र में जनता की भूमिका है एवं सम्मान बढ़ेगा और उम्मीदवारों के रूप में वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रत्याशी प्रत्येक राजनैतिक दल से चुने जा सकेंगे। 'अमरनाथ चावला केस' में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था —"चुनाव की प्रक्रिया में हर स्तर पर जनसमुदाय की भागीदारी होनी चाहिए।"[1]

(ब) जनप्रतिनिधियों की वापसी :—

हमारे देश की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत चुने हुए जन-प्रतिनिधियों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता। जे0पी0 इस व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हुए जनप्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण चाहते हैं। यह नियंत्रण जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, प्रदान करके स्थापित किया जा सकता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं करता तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले। [illegible] इस सम्बन्ध में एक तर्क यह दिया जाता है कि यदि जन-प्रतिनिधि अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से नहीं करता तो जनता उसको आगामी चुनाव होने पर हटा सकती है। जे0पी0 के विचार से "यह बहुत दूर का और प्रभावहीन नियंत्रण है।"[2] डा0 राममनोहर लोहिया भी कहा करते थे ''जिंदा कौमें पांच वर्ष तक इंतजार नहीं करतीं।'

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 46

2- लोकस्वराज्य, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 37

इस संदर्भ में गांधी जी को उद्धृत करते हुए जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा था —" आज बापू का यह बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसका केवल अर्थ यह नहीं है कि ऐसी सरकार जिसका गठन लोगों के वोटों द्वारा हुआ है, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जनता जब यह महसूस करने लगे कि उसके शासक शासन करने के योग्य नहीं है तो वह उन्हें वापस बुला सकती है।"[1] 1925 में गांधी जी ने कहा था — "स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर अधिकार करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है।"[2] इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि जे0पी0 का यह चिंतन गांधी जी के विचारों पर आधारित है।

'बिहार आन्दोलन' के समय इस अधिकार की मांग की गयी। उन दिनों का प्रसिद्ध नारा था 'तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं रहे, गद्दी छोड़ दो।' 'जनतापार्टी' की सरकार बनने पर 13 अप्रैल 1977 को आकाशवाणी और दूरदर्शन के अपने प्रसारण में जे0पी0 ने कहा —"यह आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरे होने तक अपने पद पर बना ही रहे। आन्दोलन के दौरान जिस सिद्धान्त पर जोर दिया गया था वह यही था कि अगर कोई प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, भ्रष्टाचारी [illegible] दमनकारी और अक्षम हो जाती है तब मतदाताओं को, यानी जनता को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे, भले ही उनका कार्यकाल पूरा न हुआ हो। इस सिद्धान्त का एक अच्छा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन का केस है।"[3]

1- मेरी जेलडायरी, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 126
2- नवजीवन, 29 जनवरी, 1925
3- दिनमान, 24-30 अप्रैल, 1977 पेज 10

'प्रतिनिधियों की वापसी' का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने पर ज्ञात होगा कि " इस अधिकार की कल्पना, राजनीति में स्विटजर लैण्ड ने की। 1776 में जब अमेरिका का संविधान तैयार हो रहा था तब भी इस अधिकार की चर्चा हुयी थी। अमेरिका के बारह राज्यों में आज भी यह अधिकार मतदाताओं को प्राप्त है। वाइमर संविधान और आस्ट्रियन संविधान के पुनराकलन (1929) में भी यह अधिकार शामिल था। रूस की क्रान्ति के वक्त भी यह अधिकार एक व्यापक चिंतन का विषय बना था। ...1929 में अमेरिका के एक राज्य नार्थ डकोटा के राज्यपाल के विरुद्ध इस अधिकार का उपयोग हुआ था। 1903 से 1928 के बीच कैलिफोर्निया राज्य में इस अधिकार का सर्वाधिक उपयोग किया गया। इस अवधि में 202 ऐसे मामले पेश हुए जिनमें 434 अधिकारी शामिल थे। 155 चुनाव फिर से कराये गये जिनमें 82 चुनावों में प्रतिनिधियों को वापस आना पड़ा और 103 अधिकारियों को अपनी जगह से वापस हटना पड़ा। उस वर्ष पूरे अमेरिका में ऐसे 400 पुनर्चुनाव हुए थे जिनके कारण 300 लोगों को अपने पद से हटना पड़ा था।"[1]

जे0पी0 ने 'लोकसमितियों' के माध्यम से जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने की बात कही है। उनके मतानुसार "निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेदार रहे, अपने कार्यों की रिपोर्ट नियमित रूप से मतदाताओं को देते रहें। ऐसी कोई व्यवस्था इन लोकसमितियों द्वारा करनी होगी। ये लोकसमितियाँ अपने प्रतिनिधियों पर हमेशा निगरानी रखेंगी।"[2]

उन्होंने प्रतिनिधियों की वापसी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार —" यदि चुनाव क्षेत्र में स्थित ग्राम सभायें अपनी कुल संख्या के

1- तरुण क्रान्ति, 21-27 अगस्त 1977 पेज 5

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 46

60 प्रतिशत के बहुमत से जिसमें नगर पालिका व जिला परिषद शामिल हैं, प्रतिनिधि के विरुद्ध वापस बुलाने संबंधी याचिका विधान सभा या लोकसभा अध्यक्ष को दें तो विधान सभा या लोकसभा अध्यक्ष उसे तत्काल हाई कोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दें। मुख्य न्यायधीश किसी एक न्यायाधीश को याचिका के पुनर्निरीक्षण का कार्य सौंपें। यदि वह न्यायाधीश निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपों में सत्यता मालूम करे तो मुख्य न्यायाधीश को चुनाव कमीशन से प्रतिनिधि को वापस बुलाने संबंधी विशेष जनमत संग्रह (रिफरेंडम) की सिफारिश करे। यदि इसमें जनता उस प्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करती है तो उसका स्थान तत्काल रिक्त मान लिया जाय।"[1]

उपर्युक्त प्रक्रिया उन्होंने वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में कही है। स्थायी रूप से वे यह कार्य जनता के निर्दलीय संगठन 'लोकसमिति' के माध्यम से करवाना चाहते हैं।

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत 'प्रतिनिधियों के वापसी' के कार्य में अनेकों व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ विभिन्न राजनैतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। मान लीजिए एक लाख मतों की संख्या वाले किसी चुनाव क्षेत्र से पाँच विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तीन प्रत्याशियों को बीस-बीस हजार मत मिलते हैं। चौथे प्रत्याशी को 19 हजार और पाँचवें प्रत्याशी को 21 हजार मत मिले। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 21 हजार मत पाने वाला प्रत्याशी उस चुनाव क्षेत्र से विजयी घोषित किया जायेगा। जबकि 79 हजार मत उस प्रत्याशी के पक्ष में नहीं पड़े। उस क्षेत्र में प्रतिनिधि वापसी के लिए

1- [illegible], 22-28 जनवरी, 1978 पेज 17

यदि जनमत संग्रह किया गया तो 79 हजार मत उस प्रत्याशी के विरोध में पड़ने की सम्भावना रहेगी। इस प्रकार उस प्रत्याशी का वापस आना लगभग निश्चित है।सभी चुनाव क्षेत्रों में लगभग यही स्थिति रहेगी। अतः हमारे देश की वर्तमान चुनावी व्यवस्था के अन्तर्गत यह कार्य सरल नहीं है। यह विधि उन प्रजातांत्रिक देशों के लिए उपयुक्त हो सकती है जहाँ पर दो ही मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक दल हैं।

जे0पी0 के निजी सचिव श्री अब्राहम ने शोधकर्ता को बतलाया कि जे0पी0 वर्तमान समय की इन व्यावहारिक कठिनाइयों से परिचित थे। इसीलिए वे इस संबंध में कोई अन्तिम विधि निर्धारित नहीं कर पाये थे। उन्होंने इस कार्य के लिए 'लोक समिति' नामक संगठन बनाने की बात कही थी। 'लोक समिति' के संबंध में हम इसी अध्याय के अन्त में विस्तार से विचार करेंगे।

उपर्युक्त व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए वर्तमान समय में दलगत राजनीति से अलग रहकर केवल निर्दलीय आधार पर ही प्रतिनिधियों के वापसी, की बात सम्भव है। इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है कि ग्राम सभाओं, नगरपालिकाओं टाउन एरिया, जिला परिषदों एवं महानगर पालिकाओं के चुनाव निर्दलीय आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हों। इसमें दलगत राजनीति को निषिद्ध घोषित किया जाय। वर्तमान समय में ग्राम सभाओं के चुनाव निर्दलीय ही होते हैं। उपर्युक्त संस्थाओं के प्रधान एवं अध्यक्ष निर्दलीय आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने गये जनता के प्रतिनिधि होंगे। 'प्रतिनिधि वापसी' के संबंध में जनता के इन प्रतिनिधियों की राय ली जाय। यह व्यवस्था कम खर्चीली होगी, एवं प्रतिनिधि की वापसी दलीय भावना के आधार पर न होकर गुण दोष के आधार पर सम्भव हो सकेगी।

प्रतिनिधियों के वापसी के कुछ मापदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जघन्य अपराध के दोषी पाये जाने, अपने क्षेत्र की जनता से सम्पर्क न रखने, भ्रष्टाचार के लिप्त होने,

जनप्रतिनिधियों का अपने पूरे कार्यकाल तक बने रहने का कोई अबाधित अधिकार नहीं है। विधानसभा एवं लोकसभा के भंग होने पर इनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। यह कार्य राष्ट्रपति एवं राज्यपाल सरकार की सलाह पर करते हैं। सरकार में जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। यदि यह अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को मिला हुआ है तो सीधे जनता को क्यों नहीं दिया जा सकता? इस संबंध में डा० अमरनाथ सिन्हा के शब्द दृष्टव्य हैं —'लोकतंत्र का निवास सरकारों में नहीं लोकसत्ता में है।'[1]

19 फरवरी 1980 को तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री (गृह) श्री ज्ञानी जैलसिंह ने गैर कांग्रेसी सरकारों के बर्खास्त करने का कारण बतलाते हुए दिल्ली दूरदर्शन के एक साक्षात्कार में कहा —' इन राज्यों की विधान सभायें भंग करने का मुख्य कारण यह था कि इन दलों ने आम जनता का विश्वास खो दिया था। हमने भी वही किया जो जनता पार्टी ने 1987 में किया था।'[2] इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया जाता है कि जनता का विश्वास खोने पर जन प्रतिनिधियों को हट जाना चाहिए। 19 फरवरी 1980 को बी०बी०सी० लन्दन ने अपनी समीक्षा में कहा —' यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि भारत की केन्द्र सरकार (कांग्रेस इ सरकार) ने 9 राज्यों की विधानसभाओं को इस आधार पर भंग करने की बात कही है कि सरकारों ने जनता का समर्थन खो दिया है जबकि 1974 में बिहार में श्री जयप्रकाशनारायण के इसी सिद्धान्त को श्रीमती गांधी अमान्य कर चुकी थीं।'[3]

1- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, डा० अमरनाथ सिन्हा, (सम्पादक) पेज 13

2- दैनिक जागरण, कानपुर, 20 फरवरी, 1980 पेज 1

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार करते हुए भी कि जनता का विश्वास खोने पर जन प्रतिनिधियों को हटा जाना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार जनता को नहीं दिया गया।

जे0पी0 ने लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर देश का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्हीं के चिंतन एवं प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ही जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में सर्वप्रथम, 'प्रतिनिधिवापसी के अधिकार' को सम्मिलित किया।

<u>चुनाव :—</u>

जे0पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति के चिंतन में वर्तमान चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने पर जोर दिया। उन्हीं के शब्दों में 'चुनाव भी सम्पूर्ण क्रान्ति का महत्वपूर्ण मोर्चा है।'[1] उनके कथनानुसार —" हमारा चुनाव कानून ही अपूर्ण और भ्रष्टाचार की संभावनाओं से भरा हुआ है, उसमें परिवर्तन की बात बरसों से की जा रही है, पर केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ने कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं समझी।"[2] 'आज चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि एक सामान्य आदमी, चाहे जनता में कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो, चुनाव में खड़े होने की बात सोच भी नहीं सकता।'[3] 'राजनैतिक दल चुनाव के लिए कोष जुटाते हैं। राजनैतिक तथा दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचारों का शायद सबसे बड़ा उद्गम स्थल यही है। चुनाव कोषों में कालाधन अनाप शनाप आता है। सत्तादल इसमें सबसे अधिक फायदे में रहता है। यह धन जिस तरह से बटोरा जाता है उससे भ्रष्टाचार अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है। इससे व्यापार में बेईमानी तथा कालेधन को बढ़ावा मिलता है। इससे मतदाता

1- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, डा0 अमरनाथ सिन्हा, संपादक, पेज 133

2- जयप्रकाश जी ने कहा था, वसन्तनारगोलकर, पेज 42

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 84

भी भ्रष्ट हो जाता है इससे लोकतंत्रीय पद्धति को बहुत नुकसान होता है।'[1] चुनाव के समय गलत ढंग से लिए गये चंदे के कारण राजनैतिक दल एक तरह से व्यवसायियों के हाथ बिक जाते हैं।

चुनाव कानूनों में सुधार करने के उद्देश्य से संस्तुति देने के लिए जे०पी० ने 'तारकुंडे समिति' का गठन किया। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। - 'उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश श्री वी०एम०तारकुंडे, श्री एम०आर०मसानी, श्री पी०जी०मावलंकार, श्री ए०जी०नूरानी, प्रो०के०डी०देसाई तथा श्री ई०पी०डब्लू० डाकोस्टा। इस समिति ने 100 संसद सदस्यों तथा 120 विधायकों के बीच सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।'[2]

रिपोर्ट में संक्षिप्तरूप से निम्न कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत की गयीं :—

'(1) चुनाव आयोग तीन लोगों की समिति होनी चाहिए जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति को एक अन्य समिति की सलाह से करनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी दल के नेता अथवा विरोधी दल द्वारा चयन किये हुए कोई संसद सदस्य और चीफ जस्टिस हों।

(2) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अपनी आमदनी एवं खर्च का स्पष्ट हिसाब रखना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चार्टर एकाउन्टेन्ट इस हिसाब की जाँच करें। नाममात्र का शुल्क देकर उसके सार्वजनिक जाँच कराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। झूठा हिसाब रखने पर कार्यकर्ताओं को न्यायालय द्वारा दण्ड की व्यवस्था हो।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 81-और 82

2- जिद्दोजहद की वापसी, डा०राजवंश सिंह, पेज 149

(3) चुनाव वाद, चुनाव संबंधी याचिकाओं में राज्य के उच्च न्यायालयों में शीघ्र सुनवायी की व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी जाय।

(5) हर मतदान स्थल की अलग गणना हो, प्रत्येक मतदाता मतपत्र की काउण्टर फाइल पर हस्ताक्षर करे या अंगूठा लगाये।

(6) प्रत्येक प्रत्याशी को मतदाता सूची की 12 प्रतियां दी जायें। प्रत्याशी प्रत्येक मतदाता को एक पत्र डाक से भेज सके इसकी डाक सुविधा मिलनी चाहिए।

(7) रेडियो एवम् टेलीविजन पर मान्यता प्राप्त दलों को इलेक्शन ब्राडकास्ट के लिए समय देना चाहिए।

(8) चुनाव के समय काम चलाऊ सरकार रहे। विधान सभा या लोकसभा भंग होने एवं मतदान के बीच किसी तरह की नीति विषयक घोषणा या वायदा न किया जाय न किसी योजना की शुरूआत की जाय। किसी किस्म के भत्ता या कर्ज एवं वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं करनी चाहिए।

(9) वर्तमान पद्धति से जन इच्छा का उचित प्रतिनिधित्व विधायिका में नहीं हो पाता। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए लिस्ट प्रणाली, सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट प्रणाली, सेकेण्ड मतपत्र प्रणाली आदि का सुझाव समिति ने दिया।'[1]

चुनाव विषयक प्रसंग में जे0पी0 ने एक स्थान पर लिखा है — "चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष और मुक्त तथा न्यूनतम खर्च वाले होने चाहिए।"[2] 6 मार्च 1975 को जे0पी0 के नेतृत्व में लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्षों को एक 'जनता

1- विद्रोही की वापसी, अ0शासन विनय, पेज 149-50

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जे0जयप्रकाशनारायण, पेज 86

माँग पत्र दिया गया। 'इस माँग पत्र में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' शीर्षक के अन्तर्गत वर्तमान चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन की माँग की गयी थी।'[1]

'12-13 अप्रैल 1975 को जे0पी0 ने नई दिल्ली में गैर कम्युनिस्ट प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की बैठक चुनाव कानूनों में संशोधन के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित की। इस बैठक में 'तारकुंडे समिति' की सिफारिशों पर सहमत व्यक्त की गयी। श्रीमती गांधी ने भी जयप्रकाश जी को पत्र लिखकर 'तारकुंडे समिति' की सिफारिशों पर विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय कम्यु-निस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थी।'[2] चुनाव सुधारों के संबंध में यह अपनी तरह का पहला आन्दोलनात्मक सुधारात्मक प्रयास था।

चुनाव के समय चंदा औद्योगिक कोटा, परमिट एवं लाइसेन्स इत्यादि देकर प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में जे0पी0 का सुझाव है 'कोटा-परमिट लाइसेंस की पद्धति को व्यक्तिगत या दलीय स्वार्थ के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने हेतु यह लाइसेंस आदि देने के काम एक अलग स्वायत्त बोर्ड बनाकर उसे सुपुर्द किये जा सकते हैं। उसमें सत्ताधारी दल, विरोधी दल, व्यापार उद्योग और मजदूर समुदाय के प्रतिनिधि भी हों।'[3] उनका यह भी सुझाव है कि चुनाव का सम्पूर्ण व्यय सरकार को स्वयं वहन करना चाहिए। 'पूरे चुनाव का खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल वार्षिक खर्च का एक नगण्य भाग होगा।'[4] इस संबंध में एक तर्क यह दिया जा सकता है कि इससे सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। परन्तु चुनाव खर्च

1- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 52-53

2- विद्रोही की वापसी, आनन्द विजय, पेज 150-51

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 86

4- वही, पेज 89

सरकार द्वारा वहन करने पर अपव्यय एवं भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी अतः इसमें होने वाले लाभों को देखते हुए यह एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य होगा।

आज कोई भी जागरूक नागरिक जे0पी0 की इस बात से असहमति व्यक्त नहीं करेगा कि वर्तमान चुनावी व्यवस्था में कई दोष हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र मैलीकमत को जानने वाली इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की त्रुटियों की ओर देश के नागरिकों का ध्यान आकृष्ट कराया। उनके दूर करने के उपाय भी सुझाये। उन्होंने 'तारकुंडे समिति' का गठन कर इस दिशा में एक ठोस एवं व्यावहारिक कदम उठाया। इस समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों के संबंध में विपक्ष के साथ-साथ श्रीमती गांधी एवं उनके सत्ता दल ने भी सहमति व्यक्त की थी। 1977 के चुनावों में पहली बार विपक्ष को रेडियो और टेलीविजन पर ब्राडकास्ट की सुविधा दी गयी।

<u>लोकपाल एवं लोकायुक्त :—</u>

राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जे0पी0 ने लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्त करने की बात कही है। उन्हीं के शब्दों में —' मेरा सुझाव केन्द्र में लोकपाल तथा प्रदेशों में लोकआयुक्त नियुक्त करने के सम्बन्ध में है। प्रशासन समिति ने अक्तूबर 1966 में इन पदों की स्थापना की संस्तुति दी थी और उन पदों को ~~[illegible]~~ व्यापक कानूनी अधिकार दिये हैं। तब से अब तक सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून पास किये हैं यहाँ तक कि संविधान में संशोधन किये हैं। लेकिन लोकपाल बिल अभी तक खटाई में पड़ा है। इससे और अन्य प्रकार की टालमटोलियों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार राजनीति में लगे कैंसर रोग से निपटने में किसी आतुरता का अनुभव

करती नहीं प्रतीत होती।'[1]

लोकपाल एवं लोकायुक्त को जे0पी0 एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्रियों, सचिवों विधायकों एवं अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच कर सके। आरोपों की सत्यता सिद्ध होने पर उन्हें दण्डित करसके।

'राजनैतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जे0पी0 अन्य क्षेत्रों में फैलने वाले भ्रष्टाचार की जड़ मानते हैं इसीलिए वे सर्वप्रथम इसमें रोक लगाना चाहते हैं।'[2] भ्रष्टाचार विषयक प्रसंग में उन्होंने 'बिहार वासियों के नाम चिट्ठी' ... में लिखा है —"हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठायी थी। भ्रष्टाचार निवारण हमारे आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य था। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बातें तो बहुत हुई हैं। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया है। ग्यारह वर्ष पूर्व इस सवाल पर संथानम कमेटी बैठी। उसने रिपोर्ट भी दी। लेकिन उसके सुझावों को ईमानदारी से अमल में लाने की कोशिश आज तक नहीं हुई। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपनी एक मुलाकात में इंदिरा जी से कहा था कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो संथानम कमेटी के सुझावों को ईमानदारी से लागू करायें और लोकायुक्त एवं लोकपाल को मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच करने का भी हक दिया जाये।'[3]

भ्रष्टाचार दूर करने के संबंध में जे0पी0 के योगदान की चर्चा करते हुए श्री पी0एन0प्रसाद राय ने कहा है —"राजकीय और प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के निवारणार्थ केन्द्र और राज्यों में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का

1-सिंहासन की वापसी, डा0सत्यविजय, पेज।5

2-जयप्रकाश जी ने कहा ही था।वसंत नारगोलकर, पेज 4।

3-बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 27-28

जो पर स्वयं जयप्रकाश जी द्वारा दिया गया है, यदि उसकी समुचित व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही भ्रष्टाचार पर एक सीमा तक रोक लगायी जा सकती है।"[1]

राजनैतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जे0पी0 ने लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्त करने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के परिणामस्वरूप 'जनता पार्टी' ने '1977 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में संथानम कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने एवं लोकपाल तथा लोकायुक्त संबंधी कानून बनाने की बात सम्मिलित की।'[2]

जे0पी0 के सुझाव का आदर करते हुए 28 जुलाई 1977 को जनतापार्टी की सरकार लोकसभा में 'लोकपाल विधेयक' प्रस्तुत किया। यह विधेयक 'संयुक्त प्रवर समिति' द्वारा प्रतिवेदित होकर जुलाई 1979 में पुनः लोकसभा में बहस के लिए आया किन्तु 14 जुलाई 1979 को श्री मोरार जी देसाई द्वारा त्यागपत्र दे दिये जाने से जनता पार्टी की सरकार गिर गयी और यह विधेयक पारित न हो सका।

शान्तिमय वर्गसंघर्ष :—

'सम्पूर्ण क्रान्ति' के चिंतन में 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष' के विचार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच का विचार बिन्दु कहा गया है। जे0पी0 जिस समय 'सर्वोदय' में आये उस समय मार्क्सवाद के साथ-साथ 'वर्गसंघर्ष' के विचार को भी छोड़ आये थे। 'सर्वोदय' 'वर्ग संघर्ष' की जगह हृदय परिवर्तन द्वारा 'वर्ग समन्वय' एवं 'वर्ग निराकरण' को स्वीकार करता है। इससे पहले सर्वोदय दर्शन

1- लोक नायक जयप्रकाश नारायण – सत्येन के० गुप्ता (संपादक) पेज 66

2- जनतापार्टी का चुनाव घोषणापत्र, जनतापार्टी प्रकाशन, 1977 पेज 35

में 'वर्ग संघर्ष' का कोई स्थान नहीं था। जे0पी0 का यह विचार अत्यधिक विवाद-स्पद रहा है, लोगों की इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियायें रही हैं।

जे0पी0 द्वारा 'वर्ग संघर्ष' की अनिवार्यता स्वीकार करने पर कहा गया कि वे पुनः मार्क्सवाद की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा " मैंने इस शब्द का प्रयोग मार्क्सवादी अर्थ में नहीं किया है। मेरी चिन्तन धारा में लेनिन और गांधी दोनों मिले हुए हैं। जन संघर्ष अहिंसक हो सकता है, यह सिद्ध हो चुका है। सत्याग्रह अहिंसक संघर्ष ही तो है।"[1] 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष के स्वरूप के संबंध में उनका कथन है -" संक्षेप में व्यापक, शान्तिमय, सत्याग्रह ही मेरे वर्ग संघर्ष का रूप है।"[2]

"जब तक नीचे के वर्गों में आत्मसम्मान पैदा नहीं होगा, उनके आत्म-विश्वास का दबाव नहीं होगा तब तक ऊपर के वर्गों का बदलना संभव नहीं लगता है। इस प्रकार मैं दुहरे दबाव की कल्पना करता हूं — ईमानदार और निःस्वार्थ युवकों कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक लोकशिक्षण का दबाव और पिछड़े दबे लोगों के वर्ग संगठन का दबाव। दबाव की यह दुहरी ताकत सामंती परंपराओं और शोषण की व्यवस्था को तोड़ेगी। मैं मानता हूं कि वर्ग संघर्ष में हिंसा को दूर रखा जा सकता है। वह शान्तिमय संघर्ष के रूप में असहयोग के रूप में सत्याग्रह के रूप में हो सकता है। मजदूरों का संगठन हो, आपस में उनमें फूट न हो तो, वे मालिक से असहयोग कर सकते हैं। अब बाबू लोग काम नहीं लेंगे ऐसा तो अभी संभव नहीं है। दूसरी जगहों से मजदूर आयेंगे नहीं। इसलिए मजदूरों की बात सुननी पड़ेगी। अभी इस देश का और

1- जे0पी0का वर्ग संघर्ष, पेज 5 आचार्य राममूर्ति (संपादक)

2- तरुण क्रान्ति, 4-10 सितम्बर, 1977 पेज 6

मशीनीकरण हो जाये तब शायद वे मजदूरों की उपेक्षा कर सकें। अभी तो उनको झुकना ही पड़ेगा।"[1] इस प्रकार जे०पी० नीचे के लोगों को संगठित कर उनका 'वर्ग संगठन' बनाकर असहयोग द्वारा ऊपर के लोगों को परिवर्तित करने की बात अपने चिंतन में करते हैं।

'सामयिक वार्ता' के संपादक एवं प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक श्री किशन पटनायक से वार्ता के समय 4 अगस्त 1977 को जे०पी० ने कहा —" पहले मुझे वर्ग-संगठन पर आपत्ति होती थी, लेकिन आज इस पर आपत्ति नहीं है। वर्ग संगठन बनाये जा सकते हैं। गाँव में वर्ग संघर्ष होता हो तो हो, उसमें आपत्ति नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है। सर्वोदय का रास्ता थोड़ी दूर तक गया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सका— सफलता नहीं मिली।"[2] सर्वोदय के वर्ग निराकरण या वर्ग समन्वय की असफलता की वजह से उन्होंने वर्ग संगठन और वर्ग संघर्ष की बात कही उनके मतानुसार 'सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए वर्ग संघर्ष अनिवार्य है।'[3] सर्वोदय की असफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा —"सर्वोदय आन्दोलन की जो दिशा रही है उसको देखते हुए वर्ग संघर्ष के बारे में मेरे विचारों से जो खलबली मची है, वह स्वाभाविक है। मैंने कोई बिल्कुल नयी बात कही हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर्वोदय आन्दोलन में भी इस विचार के बीज हैं किन्तु व्यवहार में हम उस स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं। विनोबा जी ने वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग निराकरण की बात की थी, और हम उस दिशा में प्रयत्नशील भी रहे। क्या फल रहा उसका? आँकड़े देखें हमने कितनी जमीन बाँटी और कितनी कब्जे में रह गयी? जिन्हें जमीन मिली उनकी सामाजिक

1-जे०पी०का वर्ग संघर्ष, शीर्षक 'वर्ग संघर्ष का नया रूप', पेज 18-19 (आचार्य राममूर्ति (संपादक)
2- जे०पी० का वर्ग संघर्ष, पेज 7 और 8
3-दिनमान, 4-10 सितम्बर, 1977 पेज 16

हैसियत में कोई परिवर्तन हुआ?"[1]

"समाज में दो शक्तियाँ हैं : एक कमजोर और एक मजबूत। सर्वोदय आंदोलन में हमने मजबूतों को ही ध्यान में रखा और समझाकर उन्हें बदलना चाहा। कमजोर जो हैं, पिछड़े जो हैं उनकी सर्वोदय आंदोलन में बहुत कम भूमिका रही। उस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों का मानस बदला, पर वर्ग के रूप में वे बदलेंगे, ऐसा नहीं लगता है। कितने वर्ष स्वराज्य के हो गये हमारे काम के हो गये, कितना बदल सके हम?"[2] सर्वोदय [illegible] कार्यपद्धति पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा —" वर्ग संघर्ष हो ही नहीं, क्योंकि वह सर्वोदय विचार के खिलाफ है। इधर हृदय परिवर्तन हो ही नहीं क्योंकि उसकी आवश्यक परिस्थिति हम बना नहीं पा रहे, तब क्या होगा? बीच में कौन पिस रहा है इसमें? क्या हम सिद्धान्त लेकर चर्चा करते रहें और स्थिति कुछ भी न बदले तो, हमें संतोष होगा? आज की परिस्थिति तो बदलनी है न।"[3] "इस विचार में व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना विश्वास पहले से कम हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि सर्वोदय आंदोलन में या किसी वोलंटरी एजेन्सी में इतनी ताकत होगी या हो सकेगी कि वह इस वर्ग संगठन को तोड़ देगी। दूसरा रास्ता खोजना होगा।"[4] जे0पी0 के अनुसार वह रास्ता है 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष का।'" विनोबा जी आज भी यह मानते हैं कि राजनैतिक दृष्टि में संघर्ष के बिना भी परिवर्तन हो सकता है, शान्तिमय संघर्ष के बिना भी, ग्राम स्वराज्य के

1- तरुणक्रान्ति, 4-10 सितम्बर, 1977 पेज 5

2- जे0पी0का क्रान्तिपर्व, आचार्य राममूर्ति(संपादक) पेज 15-16

3- वही, पेज 16

4- वही, पेज 16 और 17

काम या वर्षों का मेरा अनुभव यह रहा कि ग्राम स्वराज्य आंदोलन राजनीतिक दृष्टि में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सका।"[1] मार्क्स के संबंध में उनका विचार है " वर्ग-संघर्ष की मार्क्सवादी कल्पना हमारे काम नहीं आयेगी। मार्क्स ने जो कुछ कहा था वह औद्योगिक समाज पर लागू होता है। भारत के कृषि समाज में वैसा वर्गीकरण ठीक नहीं है। छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, उनका स्वार्थ उनका जीवन जुड़ा है उस खेत से जिसकी मालिकी बड़े भूमिवान के पास है। वैसे मार्क्स का वर्ग संघर्ष हो सकता है।"[2]

वर्ग संघर्ष में हिंसा के प्रश्न पर जे0पी0 का चिंतन है —" वर्ग-संघर्ष का नाम लेते ही लोग हिंसा के भड़कने का खतरा बतलायेंगे, परन्तु यह खतरा तो तब भी बतलाया गया था जब बिहार में सम्पूर्ण क्रान्ति का आंदोलन शुरू हुआ था। यह खतरा है भी पर खतरे से डरकर समाज परिवर्तन के प्रयोग बन्द नहीं किये जा सकते हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखनी है कि हिंसा के फूट पड़ने की कोई गुंजाइश न रह जाय। हमारी सावधानी के बावजूद ऐसा हो जाय तो हमें धैर्य के साथ उस पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कार्य-पद्धति में उचित फेर बदल करने की बात भी सोचनी चाहिए, ताकि वर्ग संघर्ष पूर्णरूप से शान्तिमय हो।"[3] "मेरा अपना पक्का विचार है कि सामाजिक तथा आर्थिक समानता का संघर्ष शान्तिमय ही होना चाहिए। यदि हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है तो उसमें वही मरेंगे जिनके लाभ के लिए वर्ग-संघर्ष की बात हम करते हैं। अपने रक्षण की नीचे के लोगों में बहुत

1- युगपुरुष श्री जयप्रकाशनारायण, पेज 116 डा0 शिवप्रसाद वर्मा(संपादक)

2- तरुण क्रान्ति, 4-10 सितम्बर, 1977 पेज 6

3- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 21

कम ताकत है। इसलिए मेरी कल्पना के वर्ग-संघर्ष में हिंसा की कोई जगह नहीं है। वर्ग संघर्ष में हिंसा होगी ही यह बात हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। कुछ बात है नेतृत्व की, योग्यता और संगठन पर आधे असर की। अगर वह ठीक रहे तो मेरी कल्पना का वर्ग संघर्ष व्यापक सत्याग्रह का रूप लेगा।"[1]

बड़े लोगों का करुणा की भावना के कारण हृदय परिवर्तन होगा और वे झुककर छोटे लोगों को ऊपर उठा लेंगे, सम्पूर्ण क्रान्ति भी इसे संभावना मानती है, क्रान्ति का मूल नहीं। मार्क्स ने हृदय परिवर्तन की संभावना से ही इंकार कर दिया था इसलिए उनका वर्ग संघर्ष विपक्ष को समाप्त करने की बात कहता है। गांधी ने इस हृदय परिवर्तन की संभावना को इंकार नहीं किया था, इसलिए उनका सत्याग्रह विपक्ष को समाप्त कर देने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए, बदलने के लिए या फिर सही राह पर चलने को मजबूर कर देने के लिए था। हृदय परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जे0पी0 भी संभावना के रूप में तो स्वीकार करते हैं, क्रान्ति की प्रक्रिया के एक छोटे से अंश के रूप में तो देखते हैं परन्तु उनके अनुसार क्रान्तिकारी प्रक्रिया की मुख्य धारा तो वर्ग संगठन, वर्ग संघर्ष की होगी। शुरूआत तो अंत्योदय से होगी, गांधी की इसी भावना को जे0पी0 ने वर्ग संगठन और वर्ग संघर्ष की योजना द्वारा प्रकट किया है।

अपने चिन्तन में जे0पी0 ने 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष' की बात कहकर 'सर्वोदय' में चली आ रही वैचारिक एवं कार्यपद्धति की जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डा0 ओस्टरगार्ड द्वारा जे0पी0 से साक्षात्कार के समय कहे गये शब्द दृष्टव्य हैं। उन्होंने जे0पी0 से कहा था" अहिंसक क्रान्ति की संकल्पना (कानसेप्ट) के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसमें आपने संघर्ष को एक मूलभूत तत्व की तरह दाखिल किया है।"[2]

1- जे0पी0का वर्ग-संघर्ष, आचार्य राममूर्ति (संपादक) पेज 18-19
2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाश नारायण, पेज 137

(2) सामाजिक तत्व

'समग्र क्रान्ति' के चिन्तन में सामाजिक रीति-रिवाज, परम्पराओं में परिवर्तन एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का विचार निहित है। जे0पी0 ने इसे 'सामाजिक क्रान्ति' की संज्ञा दी है। डा0 रामवचन राय ने 'सामाजिक तत्व' की व्याख्या करते हुए लिखा —' इसके अन्तर्गत जात-पात, छुआछूत, तिलक, दहेज को दूर करना आता है।'[1]

जातिवाद का उन्मूलन :-

जे0पी0 की दृष्टि से 'जातिवाद' की समस्या भारतीय समाज की सबसे गंभीर समस्या है उन्हीं के शब्दों में —" जातीयता हमारे लिये एक अभिशाप है। जातीयता का जो भाव लोगों के दिलों में बैठा हुआ है उससे हर क्षेत्र प्रभावित होता है। आज की राजनीति ने हमारी जाति व्यवस्था को मजबूत किया है। अपने देश की परिस्थिति में शायद जातिवाद को मिटाना कुछ मायने में वर्ग को मिटाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है।"[2] जातिवाद की वर्तमान व्यवस्था के रहते देश के नागरिकों को संविधान में उल्लिखित, समानता के अधिकार' को कभी भी नहीं दिलाया जा सकता। सामाजिक क्षेत्र की यह विषमता अन्य क्षेत्रों में भी विषमता उत्पन्न करती है।

"अछूतपन अभी भी भयावह है और अधिकांश गाँवों में हरिजन सवर्ण के कुओं से पानी नहीं ले सकते।"[3] एक सर्वेक्षण के अनुसार —" 206 गाँवों के सर्वेक्षण से पता चला कि 96 प्रतिशत दलित अपने गाँवों से बहिष्कृत की जिन्दगी जी

1- चौहान, लोकनायक विशेषांक —लेख—' सम्पूर्ण क्रान्ति की अवधारणा, पेज 174

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 25

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 105

रहे हैं। कुछ गाँवों में चमार, रामरीय जाति को गाँवों में रहने की इजाजत है लेकिन एकदम सीमापर - - - 206 गाँवों में से मात्र 47 गाँवों में सार्वजनिक कुओं से दलित पानी ले सकते हैं। 102 गाँवों में उनका प्रवेश भी निषिद्ध है। 206 गाँवों में से 52 गाँवों में दलितों का मन्दिर में प्रवेश स्वीकृत है, 28 गाँवों में वे मन्दिर के मुख्य प्रकोष्ठ में नहीं जा सकते। 126 गाँवों में तो मन्दिर प्रवेश ही निषिद्ध है। सवर्ण हिन्दुओं के अतिरिक्त नाईजाति के लोग भी दलितों को अछूत मानते हैं। 206 गाँवों में से 72 गाँवों में नाइयों ने हरिजनों की हजामत बनाने की बात स्वीकार की। 134 गाँवों में वे सामान्य से दूनी-तिगुनी कीमत पर भी दलितों की हजामत बनाने को तैयार नहीं हैं। कारण यह है कि यदि वह दलितों की हजामत करने लगें तो उनके सवर्ण ग्राहक छूट जायेंगे। ढाबों और छोटे होटलों में हरिजनों के लिए अलग बरतन रखे जाते हैं। उन्हें कुर्सी या बेंच पर बैठकर खाने का अधिकार नहीं है। 206 गाँवों में से मात्र 26 गाँवों में हरिजन और सवर्ण साथ-साथ बैठ सकते हैं। 147 गाँवों में होटलों में उनके बैठने की भी अलग अलग व्यवस्था रहती है। सामाजिक संगठनों पर भी इसका असर होता है। 203 कोआपरेटिवों में से 71 में तथा 75 ग्राम पंचायतों में एक भी हरिजन सदस्य नहीं है। कुछ जगहों पर वे सदस्य हैं तो एकदम अप्रभावी क्योंकि सवर्णों के सामने वे बोल नहीं सकते। शादी के बारे के तथ्य और भी विचारणीय हैं। 206 गाँवों के 4327 परिवारों में 6 शादियाँ सवर्णों और पिछड़ी जातियों के बीच हुयीं।"[1]

उपर्युक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि हरिजनों और दलितों के रूप में देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग देश के संविधान में उल्लिखित, नागरिकों के 'समानता

1- समग्रता 27 अगस्त से 2 सितम्बर, 1978 पेज 7

के अधिकार' से वंचित हैं। जे0पी0 इस सामाजिक शोषण को समाप्त कर उन्हें समानता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। उनके कथनानुसार —" ऊँच-नीच के ये भेद मिटाने होंगे। हरिजन भी आखिर भगवान की ही सृष्टि हैं।"[1] 'भगवान ने तो कहा है —'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्मविभागशः' — अर्थात चातुर्वर्ण्य की सृष्टि मैंने गुण कर्म के अनुसार की है।- - - मनुष्य के गुण कर्म के अनुसार उसकी इज्जत हो।- - -मनुष्य के नाते सब समान हैं। कोई मनुष्य अच्छा है तो वह अपनी जाति के कारण नहीं बल्कि अपने चरित्र के कारण।- - - समाज के मानस में हम इस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये सब बातें सम्पूर्ण क्रान्ति में आयेंगी।"[2] "जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन आज की क्रान्ति का विशिष्ट अंग है।"[3] इस संदर्भ में डा0 राममनोहर लोहिया का भी कथन है —" हिन्दुस्तान में इस क्रान्ति की जरूरत अन्य किसी देश से अधिक है।"[4]

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से 13 अप्रैल 1977 को जे0पी0 ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था —" जातिप्रथा को खत्म किया जाये - - - अब समय आ गया है कि हम हिन्दू समाज के इस कलंक को मिटा दें और भाईचारे और समानता को अपना आदर्श बनायें और अपने जीवन में उतारें।"[5] 11 सितम्बर, 1977 को जे0पी0 ने 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' के सदस्यों से जाति व्यवस्था को तोड़ने तथा सामाजिक असमानता को दूर करने के उपाय बतलाते हुए कहा —" वाहिनी के लोग आपस में जाति व्यवहार छोड़ें। - - - सहभोजों का आयोजन किया जाय - - जाति व्यवस्था टूटे इसके लिए महत्वपूर्ण साधन या कार्यक्रम अंतर्जातीय विवाह हो सकता है।

1- सम्पूर्णक्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 26

2- सम्पूर्णक्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 105-106

3- धर्मयुग 5-11 जून, 1977 संपूर्णक्रांति और किशन पटनायक का लेख' संपूर्णक्रान्तिः सातआयाम पेज 38

4- मार्क्स गांधी और सप्तक्रान्ति, डा0 राममनोहर लोहिया, पेज 54

5- दिनमान, 24-30 अप्रैल, 1977 पेज 11

वाहनी के कुंआरे लोग अंतर्जातीय विवाह करें। - - - गांवों में जाकर अवर्णों (नीची जातियों) के यहां भी जाकर ठहरिये उनके यहां खाना खाइये।"[1]

अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युवक युवतियोंको सरकार प्रोत्साहन प्रदान करे उन्हें नकद आर्थिक लाभ एवं नौकरियों में प्राथमिकता तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए कुटीर उद्योगों के लिए ऋण एवं लाइसेंस, परमिट इत्यादि दिये जांय। नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने का आंदोलन चलाया जाय।

<u>तिलक दहेज का बहिष्कार</u> :—

13 अप्रैल 1977 को जे0पी0 ने अपने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश में कहा —" शादी, जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए कुछ और बुरे रिवाज हैं। सम्पूर्ण क्रान्ति के द्वारा उन्हें भी खत्म किया जाना चाहिए।"[2] भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित कुप्रथा दहेज की है। दहेज न दे पाने के कारण युवतियों को योग्यवर नहीं मिल पाते जिससे गरीब माँ बाप को मजबूरी में बेमेल विवाह करना पड़ता है। इससे लड़की का जीवन तो बरबाद होता ही है, अन्य सामाजिक समस्यायें भी उठ खड़ी होती हैं। दहेज न दे सकने के कारण लड़कियों को जलाकर मार डालने की घटनायें आम हो गयी हैं। यह कुप्रथा भारतीय समाज को खोखला किये दे रही है। दहेज विषयक प्रसंग में जे0पी0 ने कहा —" शादी ब्याह का पवित्र संस्कार बाजारू बनकर रह गया है। तिलक दहेज जैसी कुरीतियां परिवार की प्रतिष्ठा और कुल की मर्यादा का अंग बन गयी है। इनके सामने कानून विवश है। इनसे मुक्त होने का पहला कारगर कदम यही है कि घर-घर में युवक और युवतियां विद्रोह का नारा

1- तरुण क्रान्ति, 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 1977 पेज 11-12

2- दिनमान, 24-30 अप्रैल 1977 पेज 11

बुलन्द करें। इसके लिए युवकों को प्रह्लाद की तरह अपने अभिभावकों के विरुद्ध भी सत्याग्रह के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके बिना सम्पूर्ण क्रान्ति भी मात्र नारा बनकर रह जायेगी।"[1] प्राचीन भारतीय संस्कृति की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा "अपनी भारतीय संस्कृति को जरा याद करो। यहाँ तो सीता ने रामचन्द्र को वरमाला पहनायी थी। यहाँ तो स्वयंवर होता था। लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी।"[2]

इस कुप्रथा को दूर करने के लिए जे0पी0 ने स्त्रियों को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में पुरुषों के समान लाने पर जोर दिया। उन्हीं के शब्दों में —— " शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हर तरह से महिलाओं को समानता का व्यवहार मिलना चाहिए। सम्पूर्ण क्रान्ति का यह अभिन्न हिस्सा है।"[3]

तिलक दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए 'दहेज निरोधक अधिनियम' में संशोधन किये जाने चाहिए। दहेज को गंभीर अपराध मानकर दण्ड की व्यवस्था को कड़ा किया जाना चाहिए। 'सामूहिक विवाह कार्यक्रमों' का आयोजन किया जाना चाहिए।

जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में जातिवाद, अस्पृश्यता, तिलक दहेज, मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की बात कही है। बिहार आंदोलन के समय इन कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयत्न भी किये गये परन्तु बाद में इस आंदोलन के सामाजिक सुधार का पक्ष उत्तरोत्तर कमजोर होता गया और अन्ततः यह अपने अन्तिम चरण में एक राजनैतिक आंदोलन बन कर रह गया जिससे सामाजिक

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 28-29

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 107

3- समग्रता, 6-19 अगस्त, 1978 पेज 10

सुधार से सम्बन्धित अन्य कार्य नहीं हो सके। जे0पी0 के चिन्तन से उन कार्यक्रमों एवं कार्यों का आभास अवश्य मिलता है जो वह इस क्षेत्र में करना चाहते थे। उनके सामाजिक कार्यक्रमों का मूलाधार भारत के सभी नागरिकों को 'समानता का अधिकार' दिलाना है जो आज भी भारतीय समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है।

(3) आर्थिक तत्व

'सम्पूर्ण क्रान्ति' की 'सप्त क्रान्तियों' में निहित एक 'आर्थिक क्रान्ति' भी है। इसमें जे0पी0 ने भारतीय समाज की आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार दिये हैं। 'सम्पूर्णक्रान्ति' के 'आर्थिक तत्व' के रूप में हम इसका यहाँ अध्ययन करेंगे।

जे0पी0 के अनुसार —"समाज का राजनीतिक ढाँचा ही उलटे पिरामिड जैसा नहीं है, आर्थिक ढाँचे की तस्वीर भी वैसी ही बेतुकी है।- - - राजनीतिक और आर्थिक दोनों ढाँचे एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वे समाज के एक ही भवन के अभिन्न भाग हैं।"[1] इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा "समाज की आर्थिक रचना में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा"[2] आर्थिक क्रान्ति की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है —"इसका अर्थ समाज के आर्थिक ढाँचे तथा आर्थिक संस्थाओं में तथा उनके नये क्रान्तिकारी रूपों से है। आर्थिक क्रान्ति का अर्थ परिवर्तन एवं नई रचना दोनों से है।"[3] "आर्थिक क्रान्ति में यांत्रिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति आ ही जाती है। साथ ही स्वामित्व तथा प्रबंध में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाता है।"[4] भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित जे0पी0 के मुख्य विचारों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे।

1- लोकस्वराज्य, जयप्रकाशनारायण, पेज 29
2- तरुणक्रान्ति, 9-15 अक्तूबर, 1977 पेज 8 एवं 9
3- मेरी जेल डायरी, जयप्रकाशनारायण, पेज 133
4- कारावास की कहानी, जयप्रकाशनारायण, पेज 104

ग्रामीण विकास :—

हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। अतः देश का विकास गाँवों के विकास बिना सम्भव नहीं है। ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए जे0पी0 ने कहा —" कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योग और ग्रामोद्योग की रूप रेखा गाँवों के विकास के लिए बनानी चाहिए। इसमें बिजली परिवहन और बाजार आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाय।"[1] 6मार्च, 1975 को उनके नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों को दिये 'जनता मांगपत्र' में मांग की गयी थी कि "कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।"[2] ग्रामीण विकास से संबंधित निम्न बातों पर उन्होंने विशेष बल दिया है।

कृषि :—

जे0पी0का मत है कि 'इस देश को खेतिहर क्रान्ति की जरूरत है। कम से कम उन प्रदेशों में, जिनमें जमींदारी रही है, वहाँ के ग्रामीण समाज में, वहाँ की रचना में, सम्बन्धों में इसके बिना कोई बुनियादी परिवर्तन होने वाला नहीं है।'[3] 'इस देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग आर्थिक दृष्टि से तबाह और परेशान है।'[4] "चीन में माओ ने गाँवों के किसानों द्वारा क्रान्ति करके दिखायी है। ... भारत जैसे देश में क्रान्ति की शुरुआत गाँवों से ही हो सकती है।"[5] उनके अनुसार गाँव के

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 15
2- बिहार आंदोलन वार्षिकी, रामबहादुर राय(संपादक) 1974-75पेज 59
3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 110-111
4- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 38
5- मेरी विचारयात्रा भाग प्रथम पेज 77, जयप्रकाशनारायण

सम्बन्ध में योजना बनाते समय गाँव के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्हीं के शब्दों में "गाँव वाले बड़ी पंचवर्षीय योजनायें नहीं समझ पायेंगे। परन्तु वह लोग यह अवश्य समझ सकेंगे कि अपने गाँव में कहाँ कुआँ चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है कहाँ पुल चाहिए। .... गाँव के विकास की योजना गाँव के लोग स्वयं बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं।"[1] "गाँवों के लिए खेती-पशु पालन-उद्योग की मिली जुली अर्थनीति (एग्रो इंडस्ट्रियल इकानमी) अपनायी जाय, ताकि सन्तुलित विकास हो।"[2]

जे०पी० देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि क्रान्ति को आवश्यक मानते हैं। उनके विचार से एक कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की स्थिति को सुधारे बिना अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसके लिए उन्होंने भूमि व्यवस्था में सुधार एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया है।

भूमि व्यवस्था :—

भूमि व्यवस्था के संबंध में उनका विचार है "कृषि प्रधान देश होने के नाते आर्थिक रचना के अधिकांश सवाल भूमि से संबंधित हैं। आर्थिक रचना में कोई भी परिवर्तन भारत के लिए भूमि को छोड़कर संभव नहीं है। इसमें दो परिवर्तनों की आवश्यकता है (क) भूमि के स्वामित्व का सवाल — व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति होनी चाहिए और उसकी जगह गाँव के स्वामित्व की व्यवस्था बनानी चाहिए। गाँव का

1- मेरी विचार यात्रा भाग प्रथम जयप्रकाशनारायण, पेज 98

2- सम्पूर्णक्रान्ति एक नजर में, आचार्य राममूर्ति, पेज 4

स्वामित्व हो या किसी दूसरे सामाजिक संस्थान का स्वामित्व हो। (ख) दूसरी बात उत्पादन के लाभ के वितरण की है — उत्पादन के लाभ का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि वह असली उत्पादकों के पास पहुँचे। सिर्फ स्वामित्व होने के नाते चाहे वह किसी का स्वामित्व हो उत्पादन का लाभ नहीं चूसता रहे यह न्यायपूर्ण है। जो उत्पादक है लाभ उनमें बटना चाहिए। और उतना ही बचाया जाना चाहिए जितना अगली खेती के लिए या दूसरे विकास के लिए आवश्यक हो। ये दो मुख्य कि-क्रियायें हैं इसी अनुरूप और भी परिवर्तन आर्थिक रचना और प्रक्रियाओं में करने की जरूरत है।"[1] "एक नवीन व्यवस्था हो कि स्वामित्व गांव का होना चाहिए भूमि के ऊपर और कब्जा उस पर किसान का होना चाहिए जो अपने हाथों से खुद खेती करता हो उसी का जमीन पर कब्जा हो हाँ, कभी कभी खेती का कुछ समय ऐसा आये कि उसको मजदूरों की जरूरत पड़े और पड़ती है तो वह मजदूर रखे, लेकिन खुद खेती करता हो यह आवश्यक है। और एक बार सीलिंग का कानून बन जाय तो उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए। साथ ही सीलिंग तय करके फिर उससे नीचे नहीं जाना चाहिए।"[2] सीलिंग कानून बनने के पहले ही जे0पी0 ने अपनी जमीन भूमिहीनों में वितरित कर दी थी उन्हीं के शब्दों में —" मैं गर्व नहीं करता, लेकिन आपको बता दूं कि सीलिंग का कानून बनने के पहले ही मैंने अपनी जमीन भूमिहीन परिवारों के बीच बाँट दी थी।"[3] जे0पी0 उन महान - पुरुषों में हैं जिनकी वाणी और कर्म में अन्तर नहीं है। सीलिंग कानून बनने के पूर्व

1- समग्रता, सम्पूर्ण क्रान्ति विशेषांक, वर्ष 1978 'आर्थिक क्रान्ति' शीर्षक, पेज 2।

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 36-37

3- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 35-36

ही उन्होंने अपनी जमीन भूमिहीनों में वितरित कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

सर्वोदय' में रहने के समय जे0पी0 को भूमि व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं को अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला। भूमि के स्वामित्व से संबंधित 'भूमि दान और 'श्रम दान' का उनको वर्षों से अनुभव रहा है। इसलिए उनके द्वारा भूमि सम्बन्धी दिये गये सुझाव अधिक व्यावहारिक एवं तर्क संगत हैं। उनके योगदान की चर्चा करते हुए समग्रता ने लिखा है —" गांवों में रहकर उनके जीवन को उठाने का जितना काम जयप्रकाश ने स्वतंत्रता के बाद भी किया है उतना काम शायद किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, असमर्थता से पहले, जयप्रकाश का एक पांव शहर में तो दूसरा किसी निहू गांव में रहता था। गांव की दरिद्रता और फटेहाली के बीच ही उन्होंने क्रान्ति की शक्ति पहचानी थी।"[1]

कुटीर उद्योग :—

जे0पी0 सत्ता के साथ-साथ औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के भी पक्ष में थे उनका मत है " बिना आर्थिक विकेन्द्रीकरण के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण कारगर नहीं हो सकता।"[2] उनका विचार है कि छोटे-छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर ही बहुसंख्यक जनसंख्या की स्थिति को सुधारा जा सकता है। अपनी 'जेल ---- डायरी' में उन्होंने लिखा है —" औद्योगिक विकास के लिए मध्यवर्ती उद्योग, लघुउद्योग, ग्रामीण उद्योग विकास का तरीका ही अपनाना चाहिए। इसके लिए ग्राम तथा लघु उद्योग की तकनीक को प्रोत्साहित करना होगा। न्याय संगत तकनीक के विकास के लिए समयानुकूल अनुसंधान किये जाने चाहिए ग्रामीण स्कूलों में ग्रामीण तकनीकी सेवान

1- समग्रता, 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 1977 पेज 17

2- लोक स्वराज्य, जयप्रकाशनारायण, पेज 29

होने चाहिए।"[1] वे भारत जैसे गरीब देश में बहुत बड़े पूँजी प्रधान उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उनका कथन है —" शायद भारत में बृहत स्तरीय आधुनिक यंत्रकला तथा पूँजी-प्रधान उद्योग काफी हैं। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को छोड़ ऐसे बड़े यंत्रों और उद्योगों की वृद्धि पर समझबूझकर रोक लगनी चाहिए। मैं वैज्ञानिक अपकर्ष के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि मैं केवल विज्ञान के ऐसे उपयोग पर बल दे रहा हूँ, जो भारत की वर्तमान स्थिति तथा जनता की आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कल्याण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता हो।"[2]

6 मार्च, 1975 को जे0पी0 के नेतृत्व में लोकसभा और राज्य सभा के अध्यक्षों को दिये माँग पत्र में माँग की गयी कि —" औद्योगीकरण का प्रोग्राम ऐसा हो जिससे विपुल मानव शक्ति का उपयोग किया जा सके।"[3] यह कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा ही सम्भव है। जे0पी0 के 'कुटीर उद्योगों के विकास' के विचार का समर्थन करते हुए भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा0 वी0के0आर0वी0राव ने बंगलौर में कहा था —" मध्यम दर्जे की तकनीक का सहारा लेकर, ग्रामों में उद्योग स्थापित करके और मितव्ययता पर बल देकर ही हम अपने देश को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।"[4] डा0 रामवचन राय का भी मत है —" आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक विकास में मध्यम श्रेणी के उद्योगों, लघुउद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"[5]

1- मेरी जेल डायरी, पेज 97 जयप्रकाशनारायण

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 97

3- विद्रोही की वापसी, डा0[illegible], पेज 155

4- [illegible], 18-24जून, 1978 पेज 13

5- ज्योत्स्ना, लोकनायक विशेषांक, पेज 174

गांधी जी भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कुटीर उद्योगों के विकास और गांवों को आत्म-निर्भर बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं। जे0पी0ने इसी विचार क्रम में अपना बल को आगे बढ़ाया है। भारत की अधिकांश जनता गरीब है। वह गांवों में रहती है अतः वह बड़े पूंजी प्रधान उद्योगों में पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से सम्बन्धित व अन्य छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय तो इससे बहुसंख्यक जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे बहुत से लोगों को स्थानीय रोजगार भी मिलेगा इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा।

आजकल गांवों से शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति तेज हुयी है। इस 'शहरीकरण' से अन्य सामाजिक समस्यायें उठ खड़ी हुयी हैं, 'स्थानीय रोजगार' मिलने पर इसमें भी रोक लगेगी अतः जे0पी0 का यह सुझाव भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी उपयोगी है।

<u>उद्योग और स्वामित्व</u> :—

जे0पी0 ने अपने आर्थिक चिन्तन में अनेक प्रकार के स्वामित्व की कल्पना की है। उनके अनुसार " स्वामित्व और व्यवस्था दोनों में बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि स्वामित्व में हमेशा राज्य स्वामित्व ही हो, स्वामित्व राज्य के हाथ, व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के, संस्था या को-आपरेटिव के या इन सबके किसी मिले-जुले स्वरूप के हाथ हो। स्थानीय इकाइयों के हाथ भी स्वामित्व रह सकता है, जैसे ग्राम सभा, प्रखण्ड सभा, जिला परिषद् आदि।"[1]" वृहत् क्षेत्र में

1- धर्मयुग 5-11 जून, 1977 संपूर्ण क्रान्ति अंक, पेज 10

सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी का स्वामित्व चलने दिया जा सकता है। निजी क्षेत्र में उत्पादन, विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अनावश्यक प्रतिबंध (कंट्रोल, लाइसेंस आदि) समाप्त किये जाने चाहिए, बशर्ते कानून द्वारा निर्धारित आचरण के मानदण्डों का पालन होता हो।"[1]

जे०पी० भारतीय उद्योगों की वर्तमान राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था से भी सन्तुष्ट नहीं है। राष्ट्रीयकरण विषयक प्रसंग में उन्होंने कहा है —" कुछ उद्योगों, बैंकों तथा जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण बहुत पहले हो चुका था। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ नये और बड़े उद्योगों की स्थापना हुयी है। परन्तु इन सबकी निष्पत्ति क्या है? यह सब मिलाकर राजकीय पूंजीवाद को जन्म देते हैं तथा अकुशलता, बरबादी और भ्रष्टाचार में वृद्धि करते हैं। राजकीय पूंजीवाद का अर्थ है राज्य की सत्ता, मुख्यतः राजकीय नौकरशाही की सत्ता में, या जिसे गालब्रेथ ने सार्वजनिक नौकरशाही की संज्ञा दी है, वृद्धि होना। श्रमिक वर्ग का, जनता का भी कहिये, आम लोगों का कोई स्थान इस हवि में नहीं है, सिवा इसके कि वे मजदूर या उपभोक्ता मात्र हैं। इसमें न तो बहुवर्जित आर्थिक लोकतंत्र और न औद्योगिक लोकतंत्र ही है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं समाजवाद का विरोधी हूं। चूंकि समाजवाद में मुझे गहरी दिलचस्पी है, इसलिए मैं इन सब बातों की ओर संकेत कर रहा हूं। अफसोस यह है कि हमारे समाजवादी बन्धु राष्ट्रीयकरण को ही बहुत दूर तक समाजवाद का पर्याय मान लेते हैं।"[2]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 125

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 11

उद्योग और श्रमिक :—

'उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी' पर भी उनका चिन्तन है —— "प्रश्न है कि वर्तमान समय में श्रमिकों का स्वामित्व और प्रबन्ध सफल हो सकता है क्या? बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में श्रमिकों का स्वामित्व लागू नहीं हो सकता। वहाँ सामाजिक स्वामित्व के विचार को लागू करना होगा परन्तु उद्योगों में लगे हुए श्रमिक 'ट्रस्टी' के रूप में केवल अपने हितों के ट्रस्टी नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं समुदाय और समाज या राष्ट्र के वृहत्तर हितों के ट्रस्टी के रूप में उस उद्योग का प्रबन्ध कर सकते हैं, तो मेरी दृष्टि में यह सर्वोत्तम है। युगोस्लाविया छवि में से अगर तानाशाही को निकाल दिया जायतो एक बहुत अच्छी तस्वीर बन सकती है।"[1] इस संबंध में उन्होंने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है —" प्रबन्धों में श्रमिकों की साझेदारी का भी प्रयास किया जाना चाहिए, किन्तु जब तक ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को उचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं कर लेती तो श्रमिक अच्छी प्रकार से प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रभावकारी नहीं होंगे।"[2]

हमारे देश में आजकल विभिन्न मजदूर यूनियनों, राजनैतिक दलों द्वारा उद्योगों में श्रमिकों के साझेदारी की मांग की जा रही है। सरकार ने कई क्षेत्रों में इसको सिद्धान्ततः स्वीकार भी कर लिया है। समसामयिक महत्व के इस प्रश्न पर अपने विचार देकर जे०पी० ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मार्गदर्शन किया है।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जे०जयप्रकाशनारायण, पेज 125

2- मेरी जेलडायरी, जयप्रकाशनारायण, पेज 98

ट्रस्टीशिप :—

गांधीवादी चिन्तक होने के कारण जे०पी० ने 'ट्रस्टीशिप' की भावना पर भी अपने विचार दिये हैं। उनका विचार है कि आर्थिक क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं का समाधान इसके द्वारा हो सकता है। इसी प्रसंग में उन्होंने कहा ——

"व्यापार उद्योग के क्षेत्र में भी कई समस्यायें सामने हैं। आज पूँजीवाद, समाजवाद साम्यवाद, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में उठने वाली समस्याओं का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। ---- इस प्रकार कुल मिलाकर यही अनुभव आया है कि कानून, भय, हिंसा के किसी भी माध्यम से की गयी क्रान्ति के बाद ये सवाल हल नहीं हो पाये हैं। जब तक किसी काम को करते हुए मानवीय मूल्यों की कोई प्रेरणा सामने नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल अपने लिए ही कामकाज कर रहे हैं। उसमें हमारे आस-पास के लोग समाज, देश आदि भी हमसे जुड़े हुए हैं ऐसी भावना तक हर आदमी को उठना पड़ेगा। वह किसी भी हैसियत से काम कर रहा हो, एक नागरिक, व्यापारी, शिक्षक, डाक्टर या वकील हो, किसी उद्योग का मालिक, मैनेजर या मजदूर हो, वह समाज के प्रति अपने क्या कर्तव्य हैं, उन्हें समझ-समझकर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ पूरा करे। हर आदमी अपनी बुद्धि, धन और श्रम का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है, यह भावना मालूम हो। गांधी जी ने इसी को ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त कहा था। सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए इस बात को भी समाज में फैलाना होगा।"[1]

जे०पी० ने अपने आर्थिक चिन्तन में ग्रामीण विकास, ग्रामीण स्वावलम्बन कृषि, कुटीर उद्योग, भूमिव्यवस्था के सम्बन्ध मे अपने विचार दिये। उद्योगों के व्या-

---

1- सम्पूर्ण क्रान्ति-नैतिक ट्रस्टीशिप की भावना, जयप्रकाशनारायण, पेज 37-38

मित्व, राष्ट्रीयकरण उनमें श्रमिकों की साझेदारी एवं ट्रस्टीशिप की उपयोगिता के संदर्भ में उन्होंने अपने सुझाव सामने रखे हैं। जे0पी0 का आर्थिक चिन्तन, उनके राजनीतिक चिन्तन का पूरक है। उनके चिन्तन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर भारतीय कृषि एवं उद्योग क्षेत्र की अनेकों प्रमुख समस्याओं का रचनात्मक समाधान सम्भव है। उनके चिन्तन से प्रेरणा ग्रहण कर भारतीय अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। जे0पी0 के आर्थिक विचार वर्तमान समय की समस्याओं के समाधान की दिशा में अधिक समीचीन प्रतीत होते हैं।

(4) सांस्कृतिक तत्व

किसी समाज के रीति-रिवाज, परम्परायें, भाषा, साहित्य और कला उस समाज की संस्कृति का अंग होती हैं। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास उस राष्ट्र के विकास का आधार हुआ करता है। जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिन्तन के द्वारा भारतीय संस्कृति की विकृतियों को दूर करने एवं उसको एक स्वस्थ संस्कृति के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है, जिससे भारतीय समाज शक्तिशाली हो और एक सबल राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके। उन्होंने सांस्कृतिक क्रान्ति' की आवश्यकता के संबंध में कहा —" दूषित व्यवस्था, संस्कार व परम्परा के कारण भी एक दूसरे पर जुल्म होते रहते हैं।"[1] अतः इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। डा0 लक्ष्मी नारायण लाल ने भी इसकी अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्हीं के शब्दों में — " मैं बहुत शिद्दत के साथ यह भी महसूस कर रहा हूँ कि सम्पूर्ण क्रान्ति जिसकी परिकल्पना गांधी से लेकर जयप्रकाश तक की मनीषा ने की है, वह राजनीतिक आन्दोलन से नहीं बल्कि सांस्कृतिक आन्दोलन से ही संभव है।"[2]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 30

2- समग्रता'सम्पूर्णक्रान्ति विशेषांक, मई1978, लेख-आंदोलन और सम्पूर्णक्रान्ति, पेज19

साहित्य एवं कला :-

जे0पी0 भारतीय समाज की संस्कृति में जिन परिवर्तनों को चाहते थे उनमें से कुछ का अध्ययन हम 'सामाजिक तत्व' के अन्तर्गत कर चुके हैं, शेष बिन्दुओं पर अपना ध्यान हम यहाँ पर केन्द्रित करेंगे। डा0 राम वचन राय ने 'सांस्कृतिक तत्व' की व्याख्या करते हुए लिखा है —" सांस्कृतिक क्रान्ति का भी एक बड़ा क्षेत्र है। किसी देश या समाज की संस्कृति ही वह मूलाधार होती है, जिस पर उसका चतुर्दिक विकास निर्भर करता है अतः संस्कृति के उन मूल जीवन तत्वों को संवर्धित करना और समय समय आयी हुयी विकृतियों को दूर करना किसी जीवन्त समाज का पहला दायित्व होता है। 'सांस्कृतिक क्रान्ति' के अन्तरगत कला और साहित्य के लोक तत्वों का संवर्धन होगा और उसे जनाभिमुख करने की दिशा में लेखकों और कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रचनाकार और कलाकार ही जीवन मूल्यों के निर्माता होते हैं, अतः वे सांस्कृतिक क्रान्ति के सूत्रधार होंगे।"[1]

भारतीय संस्कृति के साहित्यिक और कलात्मक पक्ष पर अपने विचार देते हुए 13 मार्च 1975 को 'कालीकट' में 'संघ' के एक शिविर को सम्बोधित करते हुए जे0पी0 ने कहा —" हमारी संस्कृति है, संगीत है, साहित्य है, कला है, भिन्न-भिन्न प्रकार की कला है यह सारा हमारा कल्चर है हमारी संस्कृति है। संस्कृति में और बातें भी जोड़ ले सकते हैं, जाति प्रथा भी एक मायने में संस्कृति का ही भाग है लेकिन उसको अलग करके संस्कृति के संकीर्ण रूप में अगर इन्हीं को हम देखते हैं तो आज जो कला है, साहित्य है, संगीत है थोड़े लोगों तक सीमित है, यह सर्वसाधारण तक जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए और ऐसी सांस्कृतिक क्रान्ति होनी

1- ज्योत्सना, लोकनायक विशेषांक, लेख 'संपूर्ण क्रान्ति की अवधारणा', पेज, 174

चाहिए जिससे सर्वसाधारण की संस्कृति का विकास हो, उनका सांस्कृतिक उत्थान हो थोड़े से लोगों के लिए संस्कृति नहीं रह जाये।"[1] जे०पी० के इस वक्तव्य में लोक-साहित्य और लोक संगीत के विकास का संदेश निहित है। इसके द्वारा जन सामान्य का सांस्कृतिक विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास सम्भव होगा।

<u>भाषा</u> :—

जे०पी० राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्पूर्ण देश की सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करना चाहते थे। इस संदर्भ में 3 जून 1978 को कश्मीर के मु०मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को 'त्रिभाषा सूत्र' के बारे में उन्होंने एक तार भेजा था। इसमें उन्होंने हिन्दी को सम्पूर्ण देश की सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इस तार के उत्तर में शेख अब्दुल्ला ने जे०पी० को एक सकारात्मक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा —" मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सलाह का उन लोगों पर असर होगा जिन पर असर का कोई मतलब है। देश आपको निःस्वार्थ त्याग के प्रतीक स्वरूप देखता है और वह निश्चित ही आपकी प्रौढ़ प्रज्ञा की सलाह सुनेगा।"[2] जे०पी० का तार मिलने पर शेख अब्दुल्ला ने एम०जी० रामचन्द्रन को भी इस संदर्भ में एक पत्र लिखा था। इस प्रकार जे०पी० अपने अन्तिम दिनों में गैर हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों से सम्पर्क करके 'हिन्दी' को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दी के विकास की आवश्यकता के संदर्भ में 'समझता' ने लिखा है — "राष्ट्र जीवन से मानसिक गुलामी को हटाने की पहली शर्त है कि इसे अंग्रेजी के आतंक से मुक्त किया जाय। देश की अपनी विशिष्ट प्रतिभा के विकास के लिए इसे शिक्षा, <u>प्रशासन, न्याय, साहित्य सभी में देशी वातावरण मिलना चाहिए। भाषा सिर्फ संवाद</u>

1- तरुणक्रान्ति, 9-15 अक्तूबर, 1977 पेज9

2- समझता, 9-15 जुलाई 1978, शेख अब्दुल्ला का जे०पी० को पत्र, पेज 5-6

का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि वह उसके मनः स्थिति का निर्माता भी है। — अंग्रेजी और हिन्दी का विवाद जिन चतुर लोगों ने खड़ा किया है वे इस सत्य को छुपा जाना चाहते हैं कि हिन्दी यदि राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहार की जाने लगी तो दूसरी सभी भारतीय भाषाएँ स्वतंत्रता के साथ विकास करने लगेंगी, और हिन्दुस्तान की अपनी प्रतिभा उन सभी बलात्कार पुरुषों को नीचे गिरा देगी। जो जिस-किस का मुखौटा लगा कर आज बहुत बड़े, बहुत भले दीखते हैं। भाषा के सवाल को इस दृष्टि से यदि हम नहीं समझेंगे तो एक नकली लड़ाई के सिपाही, बने रहेंगे। हिन्दी भाषी राज्य हिन्दी को अपने यहाँ के प्रशासन की आम भाषा बनायें, नेतागण उसे अपनी भाषा मानकर बोलें लिखें।"[1] डा० राम मनोहर लोहिया का कहना है —" हिन्दुस्तान में जनतंत्र को चलाना चाहते हैं तो अंग्रेजी को सार्वजनिक जगहों से खत्म करना होगा।"[2] हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करना आवश्यक है। परन्तु दुर्भाग्य से हिन्दी के राष्ट्र भाषा घोषित होने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जे०पी० ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में इस दिशा की ओर प्रयत्न किया।

जातिगत चिन्हों का बहिष्कार :—

जातिगत चिन्हों से तात्पर्य उन चिन्हों या प्रतीकों से है जो जाति विशेष को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जनेऊ जो सवर्णों में अधिकांशतः ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जातिगत चिन्हों के बहिष्कार की सलाह देते हुए जे०पी० ने कहा —" बिहार आन्दोलन के समय मैं कहता था कि जनेऊ यदि उच्च जाति का

1- जनमुक्ता, 9-15 जुलाई 1978 पेज 3 और 4

2- वही, पेज 10

का प्रतीक माना जाता हो तो जनेऊ भी तोड़ना होगा। हिन्दुस्तान में अधिकतर वे लोग आते हैं जिन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। महर्षि दयानन्द ने वेदों के हवाले से यह सिद्ध कर दिया था कि जनेऊ धारण करने का अधिकार द्विजों के अलावा और लोगों को भी है, फिर भी व्यवहार में इसका ठीक उल्टा है। अतः जातिवाद के साथ जुड़ी हुयी इन सभी परम्पराओं का भी उन्मूलन करना होगा।"[1]

"हमारी संस्कृति की एक और कमी रही है। वह कमी है प्रतीक और प्रत्यक्ष के रिश्ते में। प्रतीक से जब मूल्य हट जायें तो फिर प्रतीक व्यर्थ है यानी प्रतीक से प्रत्यक्ष का भान नहीं हुआ तो फिर उस प्रतीक का कोई अर्थ नहीं। प्रत्यक्ष में सार्वभौम मूल्य प्रकट करने पर ही प्रतीक जीवन में (पार्ट आफ डिसीप्लीन) बनता है। हमारी संस्कृति का संकट यही है कि यहाँ प्रतीक और प्रत्यक्ष के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं रह गयी है। प्रतीक जड़ है और प्रत्यक्ष में उन जड़ प्रतीकों के प्रति मोह दीखता है, प्रतीकों में निहित मूल्य को जीने में नहीं। यह तभी संभव होगा, जब सांस्कृतिक क्रान्ति के जरिये प्रत्येक मनुष्य में निम्नलिखित दो पहलू उजागर किये जायेंगे —(1) कलात्मक सृजनशीलता (2) चिंतन शीलता प्रत्येक मनुष्य में इन दो पहलुओं का प्रस्फुटन और विकास ही एकात्मक भाव पैदा करेगा।"[2]

बिहार आंदोलन के समय इस दिशा में जे०पी० द्वारा किये गये प्रयत्नों पर प्रकाश डालते हुए श्री किशन पटनायक ने लिखा —— "जनेऊ आदि जैसे धार्मिक जाति-चिन्हों को तोड़ने तथा अंतर्जातीय विवाह के लिए एक अभियान शुरू हुआ था। कई आम सभाओं में बिना दहेज के अंतर्जातीय विवाह होने लगे। बाद में देश की बिगड़ी हुयी राजनीतिक स्थिति के कारण आंदोलन पर जैसे-जैसे दलीय नेतृत्व हावी होने लगा

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 27

2- रविवार 19-25 अक्टूबर, 1978 शीर्षक 'सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रान्ति' पेज 8

वैसे ही इस पहलू पर से ध्यान हट गया।"[1] भारतीय त्योहारों के समय किये जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में जे0पी0 ने कहा —"दीवाली दशहरा के पर्व के संदर्भ में मैंने जनता से अपील की थी कि पूजा कीजिए, पर पूजा से और तमाशे से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब, जो दिखाई उत्सव में मनाये जाते हैं उनका पूजा से क्या संबंध? अरे बाबा, दुर्गा जी के बारे में कोई गीत हो, भजन हो या और कोई भजन हो तो यह समझ में आता है। यह फिल्मी गाने गाते हैं, रात भर यह सब चलता है। यह क्या हमारी संस्कृति है? इसको हम हिन्दू संस्कृति कहते हैं? तो मित्रों, यह सम्पूर्ण क्रान्ति है, इसमें इसकी भी क्रान्ति होगी। इन सबमें परिवर्तन होगा। पूजा के लिए पूजा की भावना होनी चाहिए, तमाशे की भावना नहीं होनी चाहिए।"[2] अन्त में 'समग्रता' के इस कथन को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जिसमें कहा गया —"उपरोक्त कथनों में सांस्कृतिक क्रान्ति के आयाम स्पष्ट है जिनके मूल में वैचारिक स्वतंत्रता का वह संघर्ष है, जो कलात्मक सृजनशीलता और चिंतनशीलता प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव बनायेगा।"[3]

जे0पी0 ने 'समग्र क्रान्ति' के 'सांस्कृतिक तत्व' के अन्तर्गत लोकसाहित्य, लोक संगीत, एवं राष्ट्रीय भाषा(हिन्दी) के विकास पर जोर दिया साथ ही सांस्कृतिक विकृति के रूप में धार्मिक आयोजनों व त्योहारों के आडम्बर को समाप्त करने एवं जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से 'जातिगत चिन्हों' के बहिष्कार की बात कही।

'समग्र क्रान्ति' की निहित सांस्कृतिक क्रान्ति द्वारा जे0पी0 भारतीय समाज की सांस्कृतिक विकृतियों को दूर कर राष्ट्रभाषा का विकास एवं जनसामान्य का सांस्कृतिक विकास करना चाहते थे जिससे देश में सामाजिक सांस्कृतिक समानता के आदर्श को प्रस्तुत किया जा सके, देश को शक्तिशाली बनाया जा सके। उनके द्वारा किया गया मार्ग दर्शन आज की परिस्थितियों में भी उपयोगी है।

1-धर्मयुग, 5-11 जून 1977 संपूर्णक्रान्ति अंक, ले0 'संपूर्णक्रान्तिः सात आयाम', पेज38-39
2-सम्पूर्णक्रान्ति की खोज में, पेज108, 3-समग्रता, 19-25 नवम्बर, 1978 पेज8

(5) नैतिक या आध्यात्मिक तत्व

जे0पी0 के 'समग्र क्रान्ति' के चिन्तन में निहित सप्तक्रान्तियों में से एक पहलू नैतिक या आध्यात्मिक क्रान्ति का भी है। आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की स्वीकृत भारतीय राजनीति की पुरानी परम्परा रही है। इन मूल्यों को नयी दृष्टि भारतीय राजनीति में गांधी, अरविन्द और विनोबा ने दी। इसी परम्परा का निर्वाह जे0पी0 ने भी किया है।

अध्यात्म अपने आप में एक विवादास्पद विषय रहा है। इसमें विभिन्न मत मतान्तरों का बाहुल्य है जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जे0पी0 के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य क्या हैं? और उनका क्या महत्व है?

जे0पी0 का अध्यात्म मोक्ष या परलोक की कल्पनाओं से संबंधित न होकर भौतिक संसार की मानवीय समस्याओं से संबंधित है। उनका अध्यात्म किसी पंथ या सम्प्रदाय से सम्बन्धित न होकर सम्पूर्ण विश्व में एकरूपता का अनुभव करते हुए एक 'मानवतावादी' धर्म से सम्बन्धित है। आपने अध्यात्मक की व्याख्या करते हुए जे0पी0 ने लिखा है —" मैं वैराग्य की बात नहीं करता हूँ, वह आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की चीज है। एक सामान्य आदमी के लिए — हम सबके लिए — उन्हें छोड़कर जिन्होंने वैराग्य को आध्यात्मिक खोज का रास्ता मान लिया है, पूर्ण भौतिक तृप्ति ही अपने आप में अध्यात्मक है। अपवित्र साधनों से धन इकट्ठा करना, अतिरेक में जीना आदि अध्यात्म विरोधी है।"[1]

1- धर्मयुग, 5 मई। 1 फुन'सम्पूर्ण क्रान्ति अंक' पेज 10

भारतीय संदर्भ में उन्होंने अपने आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा करते हुए कहा —"अध्यात्म के विषय में कुछ कहने का अधिकार मुझे तो नहीं है, फिर भी इतना कहूँगा कि यदि इसका अर्थ यह हो कि देश और जनता की वर्तमान समस्याओं के प्रति उदासीन रहा जाय, तो कम से कम मुझे अध्यात्म की यह परिभाषा मान्य नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता की वर्तमान स्थिति को सुधारना, उनकी गरीबी और गुलामी को दूर करना ही हमारे प्राथमिक आध्यात्मिक कर्तव्य हैं। भारतीय अध्यात्म जीवन की समस्याओं से अलग रहकर एक संकीर्ण दायरे में बन्द रहा है, यद्यपि कुछ आदि आध्यात्मिक नेताओं ने समय-समय पर व्यक्ति और समाज के तात्कालिक प्रश्नों को अध्यात्म से जोड़ने के प्रयत्न किये हैं। आधुनिक काल में गांधी जी ऐसी आध्यात्मिक विभूति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आज फिर जीवन की वास्तविकताओं से अध्यात्म को जोड़ने की जरूरत है, इससे अलग रहकर आखिर कौन सा अध्यात्म विकसित किया जा सकता है।"[1]

जे०पी० ने अपनी 'जेल डायरी' में 'नैतिक आध्यात्मिक ढाँचा' शीर्षक के अन्तर्गत मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लिखा है —"(क) मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों हैं। उसके शरीर की भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की जरूरत है। (ख) भौतिक आवश्यकताओं की अवश्य पूर्ति होनी चाहिए— खुराक, कपड़ा और रहने का स्थान इत्यादि। खुराक पर्याप्त, सादा, पौष्टिक तथा स्वादिष्ट होनी चाहिए, किन्तु वह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कपड़ा न केवल उपयोगी हो, बल्कि आँखों को तथा स्पर्श करने में भी अच्छा हो। हर प्रकार के मौसम के लिए यह सब पर्याप्त होना

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज मे, जयप्रकाशनारायण, पेज 135

चाहिए। रहने का स्थान साधारण किन्तु मनुष्यों के रहने के काबिल होना चाहिए। (स्वच्छ वायु, रोशनी आदि)। रहने के लिए बड़े तड़कभड़क वाले स्थानों से बचना चाहिए। इसी तरह भौतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी व्यक्ति को उन्हें स्वयं सीमित करना है। यह नैतिक धारणा है मेरे मन में कोई सन्यास की बात नहीं है।"[1]

श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर ने 'आध्यात्मिक तत्व' की व्याख्या करते हुए लिखा है —"मनुष्य तभी ऊपर उठ सकता है जब वह अनुभव कर लेता है कि जीवन मात्र सर्वत्र एक है और सारे मनुष्यों में भी यह एकात्मकता शांति और समता की ओर अग्रसर होती रहती है। मनुष्य को तब यह भी प्रतीत हो जाता है कि 'परमेश्वर राज्य' की प्राप्ति इस भूतल पर ही हो सकती है। वह आध्यात्म आध्यात्म नहीं जो सर्वभूतात्मकता का अनुभव नहीं कर सकता।"[2] जे०पी० के निकटतम सह-योगी प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा ने इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए लिखा है —" अध्यात्म से मतलब ब्रह्मज्ञान से या धर्म सम्प्रदाय जैसी किसी चीज से नहीं है। अध्यात्म का मतलब है — समूची सृष्टि की एकता में विश्वास। इस एकता की अनुभूति ही अध्यात्म है। यह अनुभूति पक्की हो तो उसके फलस्वरूप (क) सबके हित में मेरा हित है — इस तथ्य की आन्तरिक और स्वेच्छा से स्वीकृत हो सकेगी, बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। (ख) समूह जीवन और परस्परावलम्बन में आस्था तथा परस्पर सुख दुख में जिम्मेदारी की भावना भी सहज हो सकेगी। (ग) अन्त्योदय की दृष्टि प्रधान रहेगी। सबसे पहले कमजोर की चिन्ता करना, उसके उदय को प्राथमिकता देना कर्तव्य मालूम होगा।"[3]

1- मेरी जेल डायरी, पेज 95 जयप्रकाशनारायण

2- [illegible] 16-22 अक्तूबर 1977 शीर्षक—'सम्पूर्ण क्रान्ति का एक पहलू-आध्यात्मिक क्रान्ति' पेज 9

3- सम्पूर्ण क्रान्ति क्या?क्यों और कैसे? ले० सिद्धराज ढड्ढा, पेज 10

डा0 इन्दु टिकेकर का मत है —" वास्तविक समग्रता होती है। समग्रता एकात्मकता के भान के बिना मिलती नहीं। इसलिए समग्र क्रान्ति आध्यात्मिक क्रान्ति ही होती है।"[1] देश की समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक मूल्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए जे0पी0 ने कहा —" जब मैं देश के स्वास्थ्य की क्रान्तिक अवस्था के मूल कारण का निदान करता हूँ तो मैं बिना हिचकिचाहट के पाता हूँ कि वह कारण हमारे जनजीवन में नैतिक मापदण्डों का एकाएक पतन है। - — नैतिक आधार के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता है। राजनीति सन्तों के लिए नहीं है यह मैं जानता हूँ। मैं स्वयं संत नहीं हूँ जो दूसरों को उपदेश दूँ। किन्तु कम से कम प्रजातंत्र में राजनीति की सीमायें स्वीकारनी चाहिए जिनको पार नहीं करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस देश में सीमायें लाँघी जा चुकी हैं - - - राजनैतिक नेतृत्व का नैतिक बल एकदम ढह गया है।"[2] इसी संदर्भ में डा0 रामजी सिंह (भू0पू0सांसद) ने लिखा —" नैतिकता क्रान्ति रूपी जीवन का वह तत्व है जिसके अभाव में क्रान्ति फीके रहेंगी। समाजवाद हो या सम्पूर्ण क्रान्ति, जनतंत्र हो या स्वदेश प्रेम — ये सभी नैतिक परिकल्पनायें हैं। बिना नैतिकता के ये सभी निष्प्राण रहेंगी।"[3]

नैतिक और आध्यात्मिक क्रान्ति के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए 'समग्रता' ने लिखा है —" मानव सेवा परायणता को भगवद् सेवा के रूप में स्वीकार करना होगा, और मैत्री की कसौटी परस्पर सद्भाव, सहिष्णुता और समभाव की भावना होगी। जहाँ पारस्परिक त्याग, परस्परावलंबन और परस्पर सेवा का

1- क्रान्ति का समग्र दर्शन, ले0 इन्दु टिकेकर, पेज 99

2- विद्रोही की वाणी, डा0 शाश्वत विजय, पेज 11 से 14

3- कादम्बिनी, अप्रैल 1979 पेज 26

जीवन में आता है, जहाँ समग्र व आमूलाग्र क्रान्ति होती है ---- परस्पर प्रेम होगा आदर होगा और विश्वास भी होगा। इससे बहुत से प्रचलित मूल्य बदल जायेंगे और नये मूल्य प्रस्थापित होंगे। यही है नैतिक क्रान्ति ---- जहाँ समभाव आया ममता आयी, पारस्परिकता के रूप में पारिवारिक भावना विस्तृत हुयी। ---- वहाँ मानवीय मूल्यों को अपने आप आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाता है। नैतिक क्रान्ति आध्यात्मिक क्रान्ति में परिणत हो जाती है।"[1]

जे0पी0 ने आधुनिक 'आध्यात्मिक क्रान्ति' के लिए युवकों का आह्वान किया है। उन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा —"इस देश का अध्यात्म बूढ़ों की वस्तु नहीं, जवानों की वस्तु रही है। जब हृषीकेश ने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपूर्व अध्यात्म का पांचजन्य फूँका था तब वे बूढ़े नहीं हुए थे और वे थे सारथी भारत की उत्कृष्ट तरुणाई के रथ के। जब अपनी प्रिया की गोद में नवजात राहुल को सोया छोड़कर सिद्धार्थ अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक क्रान्ति के पथ पर चले पड़े थे, तब वह बूढ़े नहीं हुए थे। अद्वैत के अन्यतम ऋषि शंकर ने जब अपनी दिग्विजय-यात्रा की थी, तब वे बूढ़े नहीं हुए थे। स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के रंगमंच पर जब वेदान्त के सार्वभौम धर्म का उद्घोष किया था, तब वे बूढ़े नहीं हुए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दावानल में कूदकर जब अध्यात्म का आग्नेय प्रयोग किया था, तब वे बूढ़े नहीं हुए थे। नहीं मित्रों, अध्यात्म बुढ़ापे की कुम्हलाहट नहीं, तरुणाई की उत्तालतम उड़ान है। इसलिए जिस अभिनव क्रान्ति की ओर मैंने इंगित किया है, उसके सैनिक और सेनापति तरुण ही हो सकते हैं।"[2]

1- समग्रता 28 जनवरी से 3 फरवरी, 1979 पेज 13

2- जेल से आलोक तक, अभयकुमार जैन, पेज 106-107

जे0पी0 का विचार है कि युवकों को सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने 'समग्र क्रान्ति' के महत्वपूर्ण संगठन के रूप में 'छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी' का गठन किया है।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जे0पी0 का अध्यात्म किसी प्रकार की संकीर्णता में विश्वास नहीं करता बल्कि सार्वभौमिक रूप से आत्मा की एकरूपता स्वीकार करते हुए सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा करना चाहता है। उनका अध्यात्मक परलोक की कल्पनाओं से संबंधित न होकर इस भौतिक जगत की प्रत्यक्ष मानवीय समस्याओं का समाधान नैतिक मापदण्डों के अनुसार करना चाहता है। अतः जे0पी0 का अध्यात्म संकीर्णता, पंथ, सम्प्रदायवाद की बुराइयों से परे एक उदारवादी, 'मानवतावादी धर्म' की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जिसमें विश्व और देश की बहुत सी समस्याओं के समाधान की संभावनायें निहित हैं।

(6) शैक्षिक तत्व

शिक्षा व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित होती है अतः किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए, उस समाज की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। बिहार आन्दोलन में छात्रों की व्यापक साझेदारी रही है। उनकी प्रमुख मांग शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की थी। जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिन्तन में 'शिक्षा पद्धति में परिवर्तन' सम्बन्धी विचार दिये हैं। इन विचारों को उन्होंने समग्र क्रान्ति' में निहित 'शैक्षिक क्रान्ति' की संज्ञा दी है। उनका कथन है ——

"इसको महत्व का जो क्षेत्र है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सम्पूर्ण क्रान्ति का आमूल परिवर्तन होना चाहिए वो शिक्षा का है। समाज रचना से, हम शिक्षा किस प्रकार की

देगी इसका सम्बन्ध है।"[1] "वर्तमान सड़ी हुयी व्यर्थ की शिक्षा पद्धति के विरुद्ध जेहाद बोलना होगा क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था बच्चों को गलत ढंग से शिक्षित करती है।"[2] "बहुत सी समितियों और आयोगों के बावजूद हमारी शिक्षा प्रणाली बुनियादी तौर पर वही है जो ब्रिटिश शासन के दिनों में थी।"[3] "प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में आमूल परिवर्तन होने चाहिए।"[4] डा0 रामजी सिंह का मत है कि "शिक्षा सामाजिक क्रान्ति की आधार शिला है जिस दिन शिक्षा में क्रान्ति हो जायेगी समाज स्वतः बदल जायेगा।"[5] जे0पी0 ने भारतीय शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित परिवर्तनों की बात कही है :—

<u>रोजगारमूलक शिक्षा</u> :—

जे0पी0 वर्तमान शिक्षा को बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करने वाला मानते हैं। उनके अनुसार —"वर्तमान शिक्षा से तो इतना ही होता है कि हम नौकरियों को खोजते हैं और दर-दर की ठोकर खाते हैं। नौकरियाँ नहीं मिलती हैं तो कोई जीवन यापन का रास्ता ही नहीं रहता।"[6] "हजारों नौजवानों का भविष्य अँधेरे में पड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है।" वर्तमान शिक्षापद्धति पर जे0पी0 का लगाया गया आरोप गलत नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है। 'सम्प्रति' ने शिक्षित बेरोजगारों के आँकड़े प्रकाशित कर जे0पी0 की बात को प्रमाणित किया है ——

1- सम्पूर्णक्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 31
2- सम्पूर्णक्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 108
3- मेरी जेल डायरी, जयप्रकाशनारायण, पेज 54
4- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, जयप्रकाशनारायण, पेज 36
5- कादम्बिनी, अप्रैल, 1979 पेज 27-28
6- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण पेज 109

"डिग्रीधारी व तकनीकी लोगों के बीच बेरोजगारी (1971)

क्षेत्र	केरल	पंजाब	शेष प्रान्त
कला व संस्कृति	17·4	13·4	13·1
विज्ञान	26·0	19·5	16·5
वाणिज्य	22·8	9·3	13·9
कृषि	10·4	7·6	11·4
पशु-चिकित्सा	11·2	2·1	5·5
चिकित्सा(एलोपैथ)	3·7	2·4	4·2
चिकित्सा(अन्य पद्धतियाँ)	17·8	5·1	5·9
नर्सिंग	3·5	4·7	3·5
अभियांत्रिकी	27·5	12·4	12·8
अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण	41·8	14·5	21·8
अन्य	26·7	15·8	9·2
शेष विषय	21·1	13·2	13·5

"[1]

उपर्युक्त आँकड़े डिग्रीधारी (अर्थात् ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट) व तकनीकी लोगों के हैं। अन्य लोगों की स्थिति क्या होगी इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह स्थिति और भी विषम हो गयी है। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

1- समग्रता, 4-10 जून, 1978 पेज 5

विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनको रोजगार दिला सके उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। रोजगार जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आगे के जीवन का विकास इसी पर निर्भर करता है। आत्म निर्भरता पर जोर देते हुए जे0पी0 ने कहा —" शिक्षा ऐसी हो जो जीवन उपयोगी हो। जिस शिक्षा को प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़े हो सके कुछ कर सकें। - - - गांधी ने युवकों से कहा था कि कारखाने में, खेतों में जाओ, वहाँ जाकर सीखो समझो। वही असल विश्व-विद्यालय है। गांधी जी ने भी यही कहा था कि विद्यार्थी स्वावलम्बी बनें, उनका आत्म विश्वास बढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए।"[1] सारी उच्च शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए।"[2] 6 मार्च, 1975 को लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्षों को जे0पी0 के नेतृत्व में दिये गये जनता मांग पत्र' में कहा गया था —" माध्यमिक स्तर से शिक्षा को जीविकोन्मुख बनाया जाये, जिसके साथ आर्थिक योजना भी एक ऐसी प्रणाली हो जो रोजगार की गारंटी करे।"[3]

जे0पी0 ने 'अपनी जेल डायरी' में उन विषयों पर प्रकाश डाला है जिनका शिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में कराकर वहाँ के लोगों को आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने लिखा —" ग्रामीण विद्यालय : कृषि, ग्रामीण उद्योग, नागरिकता(सहयोग एवं सहयोगी समितियाँ – कानून, नियम, संविधान) समाजशास्त्र(जो क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो) विज्ञान भाषा और साहित्य, ग्रामसभा([illegible] निर्णय करने की पद्धति तथा उसकी क्रियान्विति) ग्राम अदालत, लेखा तथा बही खाते(कृषि, व्यापार तथा ग्रामीण उद्योग) स्वास्थ्य और सफाई(शौचालय, जलापूर्ति) जीवाणु एवं जीवविज्ञान

1- सम्पूर्णक्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 32

2- [illegible], 8-14 जनवरी, 1978 जे0पी0 पेज 8

3- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, अनुलग्नक, 2 'जनता मांग पत्र' जयप्रकाश, पेज 54

(ग्रामीण कृषि से सम्बन्धित) बागवानी, जन्तुविज्ञान, खाद्य एवं पौष्टिकता (उपलब्ध स्रोत) गैस-प्लांट, कम्पोस्ट, पेशाब की खाद आदि विषय के अध्ययन होने चाहिए।"[1]

जे0पी0 ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बना सके, उन्हें रोजगार दिला सकें। विद्यार्थियों को ऐसे विषय पढ़ाये जाने चाहिए जो उनके जीवन व व्यवहार से सम्बन्धित हों।

<u>डिग्री योग्यता का प्रमाणपत्र न हो :—</u>

शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी सुझाव देते हुए जे0पी0 ने कहा —
"शिक्षा में कोई मौलिक परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं है, जबतक कि या तो (क) उपाधि या समाप्त न कर दी जाय (ख) उपाधियों का रोजगार से कोई सम्बन्ध न रहे। आज तो विद्यार्थी कुछ सीखे हो या न सीखे हों, फिर भी नाम के आगे बी0ए0-, एम0ए0 की डिग्री हो जाने से नौकरी के लायक मान लिए जाते हैं और ज्यादा तो लोग पढ़ाई इसीलिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए नहीं, क्योंकि नौकरी के लिए दरवाजा खुलता है। इसलिए घोषणा कर दें कि केवल डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। हम जिस काम के लिए लोगों को नौकर रखेंगे उसके लिए अलग से परीक्षा ले लेंगे।"[2]
"मेरा सुझाव है कि नौकरियाँ देने वाले चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी, जिस प्रकार का काम हो उसके अनुरूप स्वयं अपनी ओर से परीक्षायें ले सकते हैं। भरती के बाद आवश्यकता हो तो वे अतिरिक्त शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। युनिवर्सिटी की ओर से मात्र एक प्रमाणपत्र दिया जाय कि विद्यार्थी कितने वर्ष महाविद्यालय में रहा, कितने घण्टे कक्षाओं में रहा और दुकानों, कारखानों, दफ्तरों खेती आदि

1- कारावास की कहानी, जयप्रकाशनारायण, पेज 77

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, पेज 32-33 जयप्रकाशनारायण

में कितना काम किया और किन विषयों में उसकी रुचि है। उसकी योग्यता और कार्यकुशलता को परखना उसे रोजगार देने वाले का काम होगा।"[1] डिग्री का संबंध नौकरी से होने के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए 'धर्मयुग' ने अपने लेख में लिखा था —" डिग्री होगी तब नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी, तब जीवन चलेगा, ऐसे समीकरण का परिणाम यह होता है कि डिग्री पाने के लिए नाना उपाय किये जाते हैं। पैसा, सिफारिश, चाकू, नकल आदि डिग्री पाने के रास्ते हैं।"[2] स्पष्ट है कि गलत साधनों से प्राप्त डिग्री किसी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण नहीं हो सकती।

डिग्रियाँ समाप्त करने की अपेक्षा उचित यह होगा कि विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग-अलग परीक्षायें ली जायें। उन्हीं परीक्षाओं के आधार व्यवसाय दिया जाय। इससे छात्र गलत ढंग से डिग्री प्राप्त करने की अपेक्षा अपना समय व्यवसाय-विशेष को प्राप्त करने की तैयारी में लगायेंगे। औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अनौपचारिक शिक्षण को बढ़ावा [illegible] मिलेगा।

<u>साक्षरता :—</u>

13 अप्रैल, 1977 को आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संदेश में जे0पी0 ने कहा —" शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाये कि न्यूनतम शिक्षा सबको मिल सके और अज्ञान और निरक्षरता का समूल नाश किया जा सके।"

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी निरक्षर बना हुआ है। साक्षरता का यह अभाव भारत के प्रजातांत्रिक विकास में बाधक है, क्योंकि अशिक्षित जनता को उसके अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान सरलता से नहीं कराया जा सकता और

1- सम्पूर्णक्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 109

2- धर्मयुग, 5-11 जून 1977 'सम्पूर्णक्रान्ति अंक' लेख 'युवाशक्ति, बिहार आन्दोलन और शिक्षानीति'

कि प्रजातंत्र के जागरूक नागरिकों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। '[illegible]' के मुख पत्र समग्रता ने आँकड़े प्रदर्शित कर निरक्षरता की व्यापक स्थिति को दर्शाया है —

साक्षरता प्रतिशत 1971 (15 से 35 वर्षीय वर्ग के लिए)

विवरण	पुरुष	महिलाएँ	सम्पूर्ण जनसंख्या
राष्ट्रीय साक्षरता	57	27	42
शहरी क्षेत्र	79	57	69
ग्रामीण क्षेत्र	50	19	34
हरिजन और अन्य अनुसूचित जातियाँ —	22*	6*	15*
आदिवासी	18*	5*	11*

* ये आँकड़े सब आयु वर्गों की गणना पर आधारित हैं।"[1]

6 मार्च, 1975 को लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्षों को जे०पी० के नेतृत्व में दिये गये 'माँग पत्र' में माँग की गयी "व्यापक प्राइमरी-शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा को पाँच वर्षों के भीतर ही उपलब्ध कराने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।"[2] निरक्षरता को दूर करने के सम्बन्ध में जे०पी० का कथन है —" इस क्षेत्र में हम चीन के उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं जहाँ सभी स्कूल और कालेज बंद कर दिये गये थे और विद्यार्थियों को गाँवों और झोंपड़ियों में भेजा गया जिससे कि वे जवान बूढ़े हर आदमी को बुनियादी शिक्षा दे सकें।"[3] निरक्षरता की समाप्ति

1- समग्रता, 23-29 जुलाई, 1978 पेज 7

2-जे०पी० की वाणी, [illegible] विजय, पेज 157

3- दिनमान, 24-30 अप्रैल, 1977 पेज 11

के लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसमें विद्यार्थियों शिक्षकों, शिक्षित व्यक्तियों एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षितों को 'ईच वन टीच वन' कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

<u>शिक्षा का माध्यम मातृभाषा :—</u>

साम्राज्यवादी वासता के जो प्रतीक हमारी शिक्षा पद्धति में अभी भी शेष हैं उनमें एक अंग्रेजी का मोह है। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में अभी भी अंग्रेजी का बाहुल्य है। उच्च शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, कानून तथा चिकित्सा के क्षेत्र में हम अभी भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को विकसित नहीं कर सके हैं। आज भी यह माना जाता है कि इन विषयों के अध्ययन के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। जबकि रूस ने अपने यहाँ की भाषा में सभी क्षेत्रों में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। जे०पी० का मत है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 'सम्पूर्ण क्रान्ति के पत्रक' में कहा गया है "शिक्षा मातृभाषा में हो। हर विद्यार्थी पर विदेशी भाषा का बोझ न लादा जाय।"[1] डा० रामजी सिंह का मत है —"शिक्षा संस्कृति से कटकर नहीं दी जा सकती। अतः अपने सांस्कृतिक परिवेश तथा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।"[2]

विदेशी भाषा में किसी ज्ञान को समझने की अपेक्षा अपनी भाषा में उसे समझना अधिक सरल एवं ग्राह्य होता है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के जे०पी० के विचार को स्वीकार कर लेने से हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के विकास का भी अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

1- सम्पूर्ण क्रान्ति एक नजर में, जयप्रकाशनारायण, पेज 5

2- कादम्बनी, अप्रैल, 1979 पेज 27 व 28

पब्लिक स्कूलों की समाप्ति :—

हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक साधारण स्कूल दूसरे पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूलों में आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इनमें पाश्चात्य ढंग से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षा की व्यवस्था रहती है। यह दो प्रकार के विद्यालय हमारी शिक्षा पद्धति में असमानता को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की यह असमानता दूसरे क्षेत्रों में भी असमानता पैदा करती है। यह असमानता हमारे देश के घोषित समाजवादी समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है जे०पी० ने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पैदा करने वाले इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की बात कही है। समाजवादी चिंतक श्री किशन पटनायक इस सम्बन्ध में अपने लेख में लिखते हैं —" जे०पी० ने शैक्षणिक क्रान्ति पर विशेष जोर दिया है - - - - भारतीय समाज में शिक्षा पद्धति भी वर्ग-भेद पैदा करती है। सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए इनको बदलना जरूरी है।"[1] जे०पी० के निकटतम एवं '[illegible]' के संपादक कुमार प्रशान्त ने इस सम्बन्ध में लिखा "आज समाज की आर्थिक असमानता, सामाजिक गैर-बराबरी आदि का स्पष्ट प्रतिफलन शिक्षा प्रणाली पर दिखायी देता है। और तो और शिक्षण संस्थायें भी आर्थिक गैर-बराबरी को मानकर, दो तरह की बना दी गयी हैं—एक तरफ बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी तरफ नगर पालिका के स्कूल हैं। एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का खर्च इतना है जितना दूसरे स्कूल में शिक्षक का वेतन भी नहीं है। इन्हीं पब्लिक स्कूलों में पढ़े लड़के देश की ऊंची नौकरियों में सारी जगह ले लिये जाते हैं। इस प्रकार

1- धर्मयुग, 5-11 जून 1977 'संपूर्ण क्रान्ति अंक' लेख —'संपूर्ण क्रान्तिः सात आयाम, पेज 38

देश के नीतिनिर्धारक वे लोग बन जाते हैं जिन्हें अपने देश के सामान्य लोगों की आशा आकांक्षाओं का कोई पता नहीं होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक स्तर पर भी देश दो टुकड़ों में बँट जाता है। यह खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है।"[1] "हमें शिक्षा ऐसी चाहिए जो समता का मानस बना सके, - - - - समाज की आर्थिक और गैर-बराबरी पर इस शिक्षा प्रणाली ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग विद्यालय चलते हैं। पब्लिक स्कूलों की समाप्ति - आर्थिक गैर बराबरी की एक बड़ी मान्यता को समाप्त करना है।"[2]

इस प्रकार समग्र क्रान्ति के चिंतन से शिक्षा में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की बात कही गयी है यह हमारे संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक समाजवादी समानता के आदर्श के अनुरूप है।

जे0पी0 के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये सुझाव वर्तमान परि-स्थितियों में भी उपयोगी हैं एवं भारतीय शिक्षा पद्धति को एक नयी दिशा प्रदान करने में सक्षम हैं।

(7) बौद्धिक या वैचारिक तत्व

जे0पी0 ने 'समग्र क्रान्ति' में निहित सातवीं क्रान्ति को 'बौद्धिक या वैचारिक क्रान्ति' की संज्ञा दी है। प्रश्न है बौद्धिक या वैचारिक क्रान्ति से जे0पी0का क्या आशय है?

समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई व्यक्ति है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के सभी प्रयोग अन्ततः व्यक्ति से ही सम्बन्धित होते हैं। समाज में

1- द 14युग, 5-11जून1977 'संपूर्णक्रान्तिअंक' लेख-'युवाजन, बिहार आंदोलन और शिक्षानीति' : पेज 20

2- समग्रता, 4-10जून 1978 पेज 7

किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके विचारों एवं संस्कारों में परिवर्तन हो, व्यक्ति में होने वाले इन परिवर्तनों को ही जे0पी0 ने बौद्धिक या वैचारिक क्रान्ति की संज्ञा दी है। जे0पी0 का मन्तव्य है कि व्यक्ति बदले तभी समाज बदलेगा। सामाजिक परिवर्तन सामूहिक रूप से व्यक्तियों का ही परिवर्तन हुआ करता है। जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा है ——
"स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी जनता की रूढ़ियाँ, आचार व्यवहार, आस्थाएँ और अन्ध विश्वास अभी तक वही हैं।"[1] इसीलिए व्यक्ति में मानसिक बदलाव की आवश्यकता है। 13 मई,1975 को 'कालीकट' में संघ के एक शिविर को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा —" वैचारिक क्रान्ति होनी चाहिए। बहुत से विचार हमारे पुराने हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा नये विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, हमारे मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन के मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए। मूल्यों का क्रान्ति चाहिए(रेडिकल रेवोल्यूशन) चाहिए।"[2]

डा0रामवचन राय ने इस तत्व की व्याख्या करते हुए लिखा है ——
" बौद्धिक क्रान्ति के द्वारा नये चिंतन की एक नवीन परम्परा शुरू होगी। जैसे जैसे इस परम्परा का विकास होगा रूढ़िवादी संस्कार बदलता जायेगा। समाज से अंधविश्वास उठेगा और चेतना सम्पन्न एक स्वस्थ सामाजिक दृष्टि का उदय होगा।"[3] डा0 राय जी सिद्ध करते है —"वास्तव में जब तक जीवन के मूल्य नहीं बदलेंगे,क्रान्ति को स्थायित्व नहीं मिलेगा। दबाव और शक्ति के आधार पर जो क्रान्ति होगी वह अंतहीन प्रतिक्रियाओं को जन्म देती रहेगी। सम्पूर्ण क्रान्ति मूलतः वैचारिक क्रान्ति है। विचार

1- मेरी जेल डायरी, जयप्रकाशनारायण, पेज 54-55
2- तरूण क्रान्ति, 9- 15 अक्तूबर,1977 पेज 9
3- लोकनायक,लोकनायक सिरीयक्षि, पेज 174

की शक्ति अद्वितीय होती है, हर क्रान्ति के पहले वैचारिक जागृति आवश्यक है। क्रान्ति के सतरंगी इन्द्रधनुष (जे0पी0 की सप्त क्रान्तियाँ) का आधार वैचारिक क्रान्ति ही है।"[1] जे0पी0 के कथनानुसार " वादों-सिद्धान्तों के कठमुल्लेपन से ऊपर उठना भी अपने आप में सम्पूर्ण क्रान्ति के वैचारिक पहलू का हिस्सा है।"[2] "हमारा दिमाग बहुत जल्दी बात ग्रस्त हो जाता है। जहाँ एक बनी बनायी लीक मिली कि बस उस को ही पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ नहीं पाते। हम कुछ मेहनत कर, कुछ परेशानी उठाकर प्रश्नों के उत्तर खोजना नहीं चाहते, बस उसे किसी से पा लेना चाहते हैं। यह हमारी बौद्धिक जड़ता की पहचान है। क्रान्तिकारी को इस जड़ता से मुक्ति पानी होगी। तभी कोई क्रान्ति संभव है। तभी जे0पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति के जो सात पहलू गिनाये हैं उनमें एक वैचारिक या बौद्धिक क्रान्ति को गिनाया है।"[3] सर्वोदयी नेता श्री नारायण देसाई का मत है कि 'क्रान्ति का मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने से गहरा संबंध है।'[4] प्रो0 रामकिशोर पाठक ने इसी संदर्भ में लिखा है "गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सब में एक प्रकार की मानसिक क्रान्ति की आवश्यकता है। भारतीय कर्मवाद को कई लोगों ने भाग्यवाद समझ लिया है और निष्क्रियता की ओर झुक गये हैं। देश में ऐसे सक्रिय नवयुवकों की जरूरत है जो स्वयं के उदाहरण से श्रम की प्रतिष्ठा कायम कर सकें।"[5] प्रसिद्ध विचारक श्री अच्युत पटवर्धन का कथन है -" जब तक कि कोई व्यक्ति स्वयं को मानसिक व व्यावहारिक तौर पर पूरा तरह बदलने को तैयार

1- मानवमनी, अप्रैल, 1979 पेज 25-26
2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 58
3- समता 29 जनवरी से 4 फरवरी, 1978 कुमार शुभमूर्ति, लेख-सम्पूर्ण क्रान्ति एक चर्चा, पेज 15
4- बिहार आन्दोलन : प्रश्नोत्तर नारायण देसाई, पेज 17
5- समता 9-15 अप्रैल, 1978 लेख-मानसिक क्रान्ति, पेज 18

नहीं होता तब तक वह मानव के बुनियादी परिवर्तन का कारगर हथियार नहीं बन सकता। 'सम्पूर्ण क्रान्ति' इस अर्थ में के लिए अपने मूल्यों को नये मानवीय सन्दर्भ में बदल देने का अभियान है।"[1] "सम्पूर्ण सम्पूर्ण क्रान्ति की कल्पना में दुहरे परिवर्तन की कोशिश है। समाज अपनी रूढ़ियों से मुक्त हो और मानव अपनी कमजोरियों से मुक्त हो व्यक्ति भी बदले और समाज भी। इस प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज साथ-साथ बदलेंगे। एक नये मानव को सृजन की इस कल्पना को पुरातनपंथी समाज से हम पूरा नहीं कर सकेंगे।"[2] इसीलिए व्यक्ति में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

'समग्र क्रान्ति' में निहित 'बौद्धिक या वैचारिक क्रान्ति' के अन्तर्गत जे0पी0 ने मनुष्य में ऐसे मानसिक परिवर्तनों पर जोर दिया जिनके द्वारा वह अपनी पुरानी गलत मान्यताओं, रूढ़ियों, गलत संस्कारों और अंधविश्वासों से मुक्ति पा सके एवं नये क्रान्तिकारी मूल्यों जिनमें आस्था, श्रम की प्रतिष्ठा, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता इत्यादि को ग्रहण कर सके। इससे एक नये मानव का उदय होगा जिससे अन्ततः एक नया आदर्श समाज बनेगा। ऐसी कल्पना जे0पी0 की थी। जे0पी0 की इस क्रान्ति में यह सचाई छिपी हुयी है कि सभी वास्तविक परिवर्तन व्यक्ति के मानसिक परिवर्तन पर ही निर्भर करते हैं। बाह्य परिवर्तन तो मात्र प्रदर्शन बनकर रह जाते हैं।

(स) समग्र क्रान्ति का दर्शन

अपने चिन्तन में जे0पी0 ने संघर्ष और रचना को 'समग्र' क्रान्ति' का आधार माना है। उन्हीं के शब्दों में " संघर्ष और रचना की दोहरी प्रक्रिया सम्पूर्ण क्रान्ति को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है। स्वभावतः युवकों का आकर्षण संघर्षात्मक कार्यों की ओर ज्यादा होता है, बनिस्बत रचनात्मक कार्यों के। परन्तु हमें यह

1- समग्रता 28 वर्ष के 3 जून लेख-'मनुष्य स्वभाव और सम्पूर्ण क्रान्ति' पेज 2, 1978

2- समग्रता, 23-29 अप्रैल, 1978 पेज 15

समझना है कि रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्य एक-दूसरे से अलग-अलग नहीं चल सकते। रचना, संघर्ष के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि रचना में परिवर्तन या क्रान्ति निहित है। इसी तरह परिवर्तन और क्रान्ति में रचना निहित है। अतः कोई आन्दोलन शान्तिमय है, इसलिए वह क्रान्तिकारी नहीं है, ऐसा कोई मानता हो तो मैं कहूँगा कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है।"[1] जे०पी० अपनी इस 'क्रान्ति' को 'सतत' अर्थात् निरन्तर चलने वाली मानते हैं उनके कथनानुसार " मैं बराबर यह कहता आया हूँ कि यह संपूर्ण क्रान्ति निरंतर क्रान्ति है, सतत चलने वाली क्रान्ति है। निरंतर क्रान्ति कभी शुरू हुयी कभी खत्म हुयी, ऐसा नहीं होगा। परस्पर में क्रान्ति व्यापक क्रान्ति और निरंतर क्रान्ति यह सम्पूर्ण क्रान्ति की मेरी कल्पना है। यह एक अखण्ड धारा है, प्रवाह है, मेरी कल्पना सतत क्रान्ति (कान्टीन्युइंग रिवोल्यूशन) की है। संपूर्ण क्रान्ति सतत चलेगी, निरंतर चलेगी और हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को बदलती चलेगी। इस क्रान्ति में कोई विराम नहीं है, पूर्ण विराम तो हरगिज नहीं है। परिस्थिति के अनुसार उसके रूप बदलेंगे, कार्यक्रम बदलेंगे, प्रक्रियाएँ बदलेंगी और समय आने पर नयी शक्तियों का ऐसा उभार होगा जो परिवर्तन के रथ को धक्का मारकर आगे बढ़ा देगा।"[2] इसी संदर्भ में उनका विचार है कि 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की पूरी की पूरी रूपरेखा वर्तमान समय में ही नहीं दी जा सकती यह समय और परिस्थिति के अनुसार आगे स्पष्ट होगी। इस संबंध में उन्होंने लिखा —" अब तक के विवेचन से पाठकों को सम्पूर्ण क्रान्ति की मेरी कल्पना की कुछ झलक अवश्य मिली होगी। यह पर्याप्त

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, पेज 145 जयप्रकाश नारायण

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 145

तो नहीं है पर विचार प्रारम्भ करने के लिए यह कुछ ठोस सामग्री जरूर देती है। सम्पूर्ण क्रान्ति की मेरी कल्पना किसी बने बनाये ढाँचे में नहीं समा सकती है।...... किसी एक व्यक्ति के पास सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। कोई दार्शनिक हो, फिलासफर हो, तो सभी सवालों के जवाब निकाल-निकाल कर सामने रख दे। लेकिन जिन्हें काम करना है, उनके लिए यह असम्भव है। इसलिए सम्पूर्ण क्रान्ति की पूरी-पूरी रूपरेखा आज ही आज नहीं दी जा सकती। वह आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे प्रकट होती जायेगी।"[1]

"गांधी जी कहते थे एक कदम काफी है।...... इसलिए इतना काफी है कि पहला कदम सही हो, उसकी दिशा सही हो। परिस्थिति में से अगले कदम सूझते जायेंगे। विनोबा यही बात दूसरी तरह से कहते हैं : जब पर्वतारोहण करते-करते एक पर्वत पर आप चढ़ जाँय तो उससे ऊँचे पर्वत, जो नीचे से नहीं दीखते, दिखाई देंगे। उसके ऊपर चढ़ेंगे तो उससे ऊँचा पर्वत दिखेगा। क्रान्ति भी पर्वतारोहण जैसी होती है।"[2] इस संदर्भ में डा0 राम जी का मत है —" जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति को .... आने वाली पीढ़ी पर इसके लिए चिन्तन का दायित्व दिया है।"[3] डा0 लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने तुलनात्मक अध्ययन में कहा —" लेनिन की 'सोवियत सत्ता' गांधी जी की 'ग्राम स्वराज्य' डा0 लोहिया की 'चौखम्भा राज्य' और लोक - नायक जयप्रकाश की सामुदायिक समाज को और दीन दयाल उपाध्याय की एकात्ममानव-वाद की कल्पनाओं में एक ही संकेत, एक ही दिशा है।"

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 58

2- वही, पेज 58

3- कादम्बनी, अप्रैल 1979 पेज 26

जे०पी० भी गांधी और मार्क्स की तरह समग्र जीवन की पुनर्रचना का स्वप्न देखते हैं। 'समग्र क्रान्ति' हमारे लिए कोई बिल्कुल अजनबी चीज नहीं है। डा० राम मनोहर लोहिया एवं एम०एन० राय ने भी इसी प्रकार की परिकल्पना प्रस्तुत की है। 'समग्र क्रान्ति' सतत शुद्ध साधनों की, समस्त जनता के सहयोग की, एक अहिंसक क्रान्ति की कल्पना है, जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोषों को दूर करते हुए उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। यह भारतीय परिस्थितियों के अधिक अनुकूल, भारतीय समाज के समग्र गुणात्मक परिवर्तनों की कल्पना से ओत-प्रोत है।

(ब) सम्पूर्ण क्रान्ति के संगठन :—

'समग्र क्रान्ति' की कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जे०पी० ने दो संगठनों का गठन किया था। उन्होंने 'लोकसमिति' व 'संघर्ष वाहनी' के रूप में संगठन के दो व्यापक कार्यक्रम रखे।"[1] 'जयप्रकाश जी 'लोक समिति' और 'संघर्ष वाहनी' के द्वारा लोकशक्ति को संगठित करना चाहते हैं।'[2] इन संगठनों के सम्बन्ध में समग्रता ने लिखा —" क्रान्तिकारी को अपने शक्ति केन्द्र बनाने चाहिए ताकि जब संघर्ष का तूफान उठे तब उसका तंबू न उखड़ जाय। 'संघर्ष वाहनी' 'लोकसमिति' आदि वे खूंटे हैं जिनसे सम्पूर्ण क्रान्ति का तंबू गड़कर रखना है।"[3] 'संघर्ष वाहनी' 'लोक समिति' की समान्तर शक्ति के रूप में यह काम नहीं करेगी, बल्कि सहयोगी शक्ति रहेगी। .... संघर्ष वाहनी, लोकसमिति की

1- समग्रता, 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक, 1977 पेज 4

2- वही, पेज 5, 22-29 अक्तूबर, 1977

3- वही, 16-22 अक्तूबर, 1977 पेज 4

सेना की होगी। लोकसमिति इसका इस्तेमाल शांति के लिए और शांतिमय सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए करेगी। लोकसमिति की सेना होकर भी वह आज की सेना की तरह समिति के हाथों में नहीं होगी।'[1]

छात्र-युवा संघर्ष वाहनी का गठन सर्वप्रथम प्रान्तीय स्तर पर बिहार आन्दोलन के समय हुआ था। इसके पश्चात् 'राष्ट्रीय स्तर पर 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' एवं 'लोक समिति' का गठन जे0पी0 के जीवनकाल में ही किया गया।

(1)छात्र युवा संघर्ष वाहनी :—

छात्रों और युवकों के इस संगठन के सम्बन्ध में जे0पी0 ने कहा —
" मैंने छात्र युवा संघर्ष वाहनी के नाम से एक अखिल भारतीय युवा संगठन बनाया है। सम्पूर्ण क्रान्ति के विशिष्ट सैनिकों की संगठित टोली के रूप में मैंने इस संगठन की कल्पना की है। सम्पूर्ण क्रान्ति में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक युवक,-युवती को मैं इस संगठन में शामिल होने का आह्वान् करता हूं।"[2] 'सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए प्रतिबद्ध निर्दलीय छात्र युवकों का संगठन 'वाहनी' मेरी अपनी ताकत है।'[3]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संगठन की आवश्यकता :—

बिहार आन्दोलन के प्रारम्भ में 'छात्र युवा-संघर्ष वाहनी' का अस्तित्व नहीं था। सर्वप्रथम प्रान्तीय स्तर पर बिहार में 'एक जनवरी 1975 को छात्र युवा संघर्ष वाहनी की घोषणा हुयी।'[4]

1- समग्रता, 2-8 अप्रैल 1978, पेज 17

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 144

3- समग्रता, 4-17 सितम्बर, 1977 जे0पी0 पेज 14

4- समग्रता 'संपूर्ण क्रान्ति विशेषांक' पेज 3।

प्रश्न उठता है कि इस बीच ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण जे0पी0 को ऐसे संगठन की आवश्यकता हुयी और संगठन गठित करना पड़ा? कारण अनेक है। बिहार आंदोलन में सम्मिलित विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके छात्र युवा संगठनों की दोहरी निष्ठा जिसके कारण आन्दोलन के कार्यक्रमों के कार्यान्वय में कठिनाई हो रही थी, किसी ऐसी संगठित शक्ति का अभाव जिसका बिहार आन्दोलन अपनी विशिष्ट शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकता, निर्दलीय किन्तु असंगठित युवकों छात्रों का स्वयं को दिशा-हीनता का महसूस करना इत्यादि अनेकों समस्यायें थीं जिसके कारण 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' का जन्म हुआ।

एक जनवरी 1975 को 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' के गठन के लिए निर्गत की गयी जे0पी0 की अपील को यदि हम देखें तो इस संगठन की अनिवार्यता के कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अपील में कहा गया —" पिछले कई महीनों से मैं बार-बार एक ऐसी अनुशासित छात्र एवं युवा संगठन की आवश्यकता महसूस करता रहा हूं जिसका किसी राजनैतिक दल या उसके छात्र एवं युवा मंच से संबंध न हो। बिहार के छात्रों एवं युवकों का एक काफी बड़ा हिस्सा किसी भी दल या संगठन से संबंधित नहीं है। इस संघर्ष की अधिकांश मार उन्होंने ही झेली है। जैसा कि जेल जाने वाले छात्रों एवं युवकों के संख्यात्मक विश्लेषणों से सिद्ध हुआ है। फिर भी संगठित छात्रों एवं युवकों के द्वारा ये असंगठित निर्दलीय लड़के पीछे कर दिये जाते हैं जिसके फलस्वरूप इनमें निराशा पैदा हुयी है। मेरा यह भी अनुभव रहा है कि अपने संगठनों के उच्च कमानों से नियंत्रित छात्र एवं युवा अपनी अलग पहचान छोड़ने और आन्दोलन के वृहत्तर हित में अपने दलीय हितों का त्याग करने में असमर्थ हैं। मैंने अक्सर अपने हाथ पांव भी बंधे महसूस किये हैं जब संचालन समिति तथा दलों की समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों एवं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुझे ऐसी संगठित

जमातों पर निर्भर रहना पड़ता है जो एक ओर आन्दोलन के प्रति और दूसरी ओर अपने अपने संगठनों के प्रति दोहरी वफादारी के बोझ से त्रस्त हैं। आन्दोलन के भावी थपेड़ों का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए एक ऐसी विश्वसनीय शक्ति आवश्यक हो गयी है जो आन्दोलन तथा उसके दूरगामी लक्ष्य 'शान्तिमय सम्पूर्ण क्रान्ति' को छोड़कर अन्य किसी के प्रति वफादार न हो। इन्हीं कारणों से मैंने 'छात्र युवा संघर्ष ~~की~~ वाहनी' के नाम से एक स्वयं सेवक दल के निर्माण का निश्चय किया है। मैं बिहार के छात्रों एवं युवकों का आह्वान करता हूँ कि वे वाहनी के स्वयं सेवकों में अपना नाम दर्ज करायें।"[1]

इस प्रकार बिहार आन्दोलन के एक प्रान्तीय संगठन, के रूप में 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' का जन्म हुआ। जनता पार्टी के शासन में आने पर उसको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करते हुए —" छात्र युवा संघर्ष वाहनी के राष्ट्रीय स्तर पर गठन की घोषणा जे०पी० ने अमेरिका जाने से पूर्व 30 अप्रैल 1977 को की।"[2]

'बिहार आंदोलन' के समय जहाँ जे०पी० के इस संगठन का निर्दलीय छात्र युवाओं की ओर से स्वागत हुआ वहीं 'विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके युवा-छात्र संगठनों ने इसे अपने समानान्तर संगठन के रूप में देखा और छात्रों एवं युवकों को इसमें शामिल होने से रोका। कुछ ने इसे जयप्रकाश की पाकेट सेना की संज्ञा दी।'[3] परन्तु यह विरोध लुका-छिपा ही रहा क्योंकि बिहार आन्दोलन में सम्मिलित राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उन दिनों जे०पी० का विरोध कर सकते बल्कि वे स्वयं जे०पी० की कृपा पर निर्भर थे और अपनी प्रामाणिकता तथा पुनर्स्थापना के लिए उनसे शक्ति ग्रहण कर रहे थे।

1- तरुण क्रान्ति, 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर 1977 पेज 3-4
2- जयप्रकाश, 4-17 सितम्बर, 1977 पेज 14
3- तरुण क्रान्ति, 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1977 पेज 4

इस प्रकार बिहार आंदोलन के गर्भ से सम्पूर्ण क्रान्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस संगठन का जन्म हुआ। 22 अप्रैल 1975 को मुंगेर (बिहार) में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के एक शिविर में जे0पी0 ने कहा था —"हमारी जो संघर्ष वाहिनी है। वास्तव में वह सम्पूर्ण क्रान्ति वाहिनी है।"[1]

छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' के गठन के यह कारण तात्कालिक है किन्तु यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाय तो इसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता को समझ सकते हैं। क्रान्ति की अपनी परिकल्पना में हर क्रान्तिकारी ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की है जो उस क्रान्ति के विशिष्ट उद्देश्यों का पूरक बने। 'मार्क्स' ने क्रान्ति के संगठन तौर पर 'सर्वहारा दल' की कल्पना की थी। 'दल जनता का एक टुकड़ा है' इसकी शक्ति से लेनिन ने क्रान्ति का प्रयास किया और रूसी समाज को कुछ आगे ले गया। माओ ने चीन में भी क्रान्तिकारी दल बनाया किन्तु खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों का व्यापक संगठन भी खड़ा किया। चीन में एक ऐसी स्थिति भी आयी जब माओ की सर-कार और उनका दल क्रान्ति के मूल्यों के विपरीत पड़ने लगा, 'माओ' की सजगता और स्थिति के मुताबिक ऐसा हुआ और तब 'माओ' को एक ऐसी ताकत का सहारा लेना पड़ा जो सत्ता की राजनीति में नहीं थी। माओ ने सांस्कृतिक क्रान्ति, का आह्वान् किया और परंपरागत राजनीति से अलग लाखों युवकों छात्रों की शक्ति से शासन को अपनी भूमिका बदलने पर मजबूर किया। यह क्रान्ति की प्रक्रिया से निकली हुयी आव-श्यकता थी जिसे माओ ने स्वीकार किया। अपने ही देश में गांधी जी ने अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले लिखे अपने अन्तिम विचार बिन्दु (जिसे उनका आखरी वसीयतनामा' कहा जाता है) में कांग्रेस को भंग करके लोक निर्दलीय और सेवा संगठन के

1- समग्रता, 16-22 अक्तूबर, 1977 पेज 15

रूप में 'लोक सेवक संघ' के गठन के स्वरूप की कल्पना की थी। इस प्रकार गांधी जी ने समय को पहचानते हुए माना था कि क्रान्ति के विकास क्रम में एक ऐसी अवस्था आयेगी जब सत्ता की राजनीति से अलग रहने वाली शक्ति से उसका नियमन और संचालन आवश्यक हो जायेगा इस प्रकार उनकी क्रान्ति योजना में सबसे व्यापक और प्रमुख संगठन निर्दलीय और सत्ता की राजनीति से अलग रहने वाला था। लेनिन ने भी कहा था कि प्रथम पंक्ति के नेताओं को सत्ता में न जाकर जनता के बीच रहना चाहिए किन्तु यह मानते हुए भी क्रान्ति की सफलता के बाद, ऐतिहासिक प्रक्रिया की बाध्यता के कारण लेनिन को स्वयं सत्ता में जाना पड़ा। परिणामतः रूस की क्रान्ति सत्ता के जंगल में उलझ कर रह गयी। जे०पी० ने गांधी के इस छूटे हुए सूत्र को उठाया। लेनिन ने जो कहा, गांधी ने स्वयं किया और दूसरों को आह्वान किया। आजादी के बाद से जो परिस्थितियाँ पैदा हुयी उन सबकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सामने 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' का गठन हुआ।

जे०पी० की क्रान्ति सत्ता की कुर्सी पर अधिकार करने के लिए नहीं, सत्ता की कुर्सी पर नियंत्रण रखने के लिए है इसीलिए उन्होंने इसके लिए सत्ता से दूर निर्दलीय 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' का संगठन खड़ा किया। डा० विजय रंजन दत्त ने इस संगठन के संबंध में लिखा —" परिस्थितियों का अंदाजा लगाकर ही जे०पी० ने निर्दलीय 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' का गठन किया है जो राजसत्ता के चकाचौंध से दूर रहकर संपूर्ण क्रान्ति के कार्यक्रम के लिए समर्पित युवकों की टोली होगी।"[1]

छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का संगठन :—

छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की संरचना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गयी। इसमें निम्न सदस्य थे —" प्रकाश (आंध्र), अरूण (बिहार)

1- समग्रता, 23-29 अप्रैल, 1978 पेज 12-13

रमेश (बम्बई) कमल (गुजरात) सुरेन्द्र (मध्यप्रदेश) विजय (उड़ीसा) अरुण (उत्तर प्रदेश) देवव्रत (बंगाल) शेखर सोनालकर (महाराष्ट्र) प्रभु (केरल) प्रभाकर (कर्नाटक) राममूर्ति (राष्ट्रीय समिति) एवं अनिल श्रीवास्तव (राजस्थान संयोजक)"[1] इस समिति द्वारा सर्वसम्मत प्रारूप 12 सितम्बर 1977 को वाहिनी नायक श्री जयप्रकाश नारायण के सामने निर्णायक मार्गदर्शन हेतु रखा गया। संगठन की स्वीकृत संरचना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :—

* सदस्यता —

सदस्यता दो प्रकार की थी (क) प्राथमिक सदस्यता (ख) सक्रिय सदस्यता।

इकाइयाँ — बुनियादी इकाई दस्ता होगी। इसमें दस सैनिक होंगे। उनका एक दस्ता नायक होगा। अन्य इकाइयाँ निम्न प्रकार की होंगी —

(1) ग्राम या मुहल्ला संघर्ष वाहिनी (2) पंचायत या वार्ड संघर्ष वाहिनी (3) प्रखण्ड या नगर संघर्ष वाहिनी (4) जिला संघर्ष वाहिनी (5) प्रान्तीय संघर्ष वाहिनी (6) राष्ट्रीय संघर्ष वाहिनी।

वाहिनी नायक :— जे0पी0 वाहिनी नायक हैं। यह संगठन का सर्वोच्च पद है। जे0पी0 के बाद वाहिनी नायक का पद समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा (7) महानगर व (8) विश्वविद्यालय की संघर्ष वाहिनी भी बननी थी। इन्हें जिले का दर्जा प्राप्त होगा।

समितियों की सदस्यता :— समितियों के सदस्य वही हो सकते हैं। जो संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। दो प्रकार की समितियों की व्यवस्था थी।

(1) सलाहकार समिति — हर समिति के स्तर पर एक सलाहकार समिति होगी।

(2) कार्यकारणी समिति — प्रत्येक समिति अपनी एक कार्यकारणी समिति चुनेगी। पंचायत

1- समग्रता, 6-12 नवम्बर, 1977 पेज 6

या वार्ड संघर्ष वाहनी स्तर तक प्रत्येक ईकाई में एक नायक तथा एक उपनायक चुना जाना था। तथा प्रखण्ड या नगर संघर्ष वाहनी स्तर तक की ईकाई सेलेकर राष्ट्रीय संघर्ष वाहनी तक प्रत्येक ईकाई में एक संयोजक तथा एक उपसंयोजक चुना जाना था।

कोषाध्यक्ष :— प्रत्येक समिति का एक कोषाध्यक्ष होगा।

कार्यकाल :— प्रत्येक समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

कोरम :— चुनाव के वक्त सभी समितियों का कोरम 80 प्रतिशत तथा अन्य अवसरों पर 70 प्रतिशत में ही कोरम पूरा हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त सहयोजन (कोआप्शन) चुनाव पद्धति, प्रतिनिधि का चुनाव, बैठक, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य, प्रक्रिया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी नियमों की व्यवस्था थी।"[1]

जे0पी0 के निधन के बाद 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' के संविधान के प्रारूप में समय समय पर कई संशोधन किये गये हैं। शोधकर्ता को राष्ट्रीय कार्यालय से 9 पृष्ठीय साइक्लोस्टाइल संविधान की कापी प्राप्त हुयी है उसमें पहले वर्णित नियमों में काफी संशोधन है। उदाहरण के लिए इसमें 'राष्ट्रीय परिषद्' नामक सर्वोच्च समिति के संबंध में कहा गया है —" राष्ट्रीय परिषद् संगठन की सुप्रीम बाडी होगी। यह संगठन के नीति संबंधी मामलों का निर्धारण करेगी। सभी राज्य और राष्ट्र समिति के चुने हुए सदस्य इसके सदस्य होंगे।"[2]

1978 में संघर्ष वाहनी के राष्ट्रीय संयोजक कुमार शुभमूर्ति थे। 7-10 मार्च 1979 को नागपुर में 'राष्ट्रीय समिति' का जो चुनाव हुआ उसमें निम्नलिखित सदस्य थे। "संयोजक अमर हबीब (महाराष्ट्र) उपसंयोजक - अनिल प्रकाश (बिहार) कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र (राजस्थान)।" -

---

1- सम्पूर्णता, 6-12 सितम्बर, 1977 पेज 6-7 एवं 12

2- 12-16 अक्टूबर 1979 को मुजफ्फर पुर में पारित संविधान पेज, 6-7

'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' का राष्ट्रीय कार्यालय पहले 12 राजेन्द्र नगर पटना में था अब उसे हटाकर महाजन बिल्डिंग राज बिलास सिनेमा के पीछे महाल नागपुर 440002 में स्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहनी अपने 'क्षेत्रीय कार्यालय' 14 प्रान्तों में चला रही है। 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' से सम्बन्धित सूचनायें राष्ट्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यक्रम : —

जे०पी०ने इस संगठन के कार्यक्रमों के लिए दो सीमायें निर्धारित की हैं। "शान्तिमय और शुद्ध इन दो कसौटियों पर खरे उतरने वाले सामाजिक क्रान्ति के सभी कार्यक्रम वाहनी के लिए स्वीकृत हैं।"[1] 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' की राष्ट्रीय 'परिषद' की प्रथम बैठक पटना में 10-12 नवम्बर 1978 को हुयी। इसमें 'सम्पूर्णक्रान्ति' लाने की दिशा में 1979 के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये —

"एक जनवरी – वाहनी दिवस — अपनी मांगों का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रतिनिधि वापसी के अधिकार के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू।

18 मार्च — राष्ट्रपति को देश भर से एकत्रित किये गये हस्ताक्षर देना।

एक मई – काम का अधिकार दिवस – नागरिकों को काम का अधिकार मिले। इसकी मांग करते हुए सभायें करना।

5 जून – लोक चेतना दिवस — प्रतिनिधि वापसी के अधिकार के लिए जनरैली की तैयारी।

26 जून – लोक चेतना दिवस – बड़े होटल तथा पब्लिक स्कूल बन्द करने की मांग का प्रचार प्रसार।

1- जनप्रहर, 14-20 मई, 1978 पेज 12

9 अगस्त क्रान्ति दिवस — प्रदर्शन, बड़े जमींदारों पर सीमा लगाने के लिए देहातों में अभियान

15 अगस्त — स्वतंत्रता दिवस — देहातों में अभियान सप्ताह की तैयारी।

2 अक्टूबर — गांधी जयन्ती — जाति तोड़ो दिवस।

11 अक्टूबर — जे0पी0 जयन्ती — सप्ताह, धरना, प्रदर्शन देना, जेल भरो के लिए व्यापक तैयारी।

4 नवम्बर — बिहार दिवस — जेल भरो अभियान।"[1]

वाहिनी की विभिन्न इकाइयों द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। जे0पी0 के निधन के बाद राष्ट्रीय परिषद' की दूसरी बैठक 12 से 16 अक्टूबर, 1979 तक मुजफ्फर पुर (बिहार) में सम्पन्न हुयी इसमें देश के 12 राज्यों के 131 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।'[2] इसमें संविधान में संशोधन के साथ-साथ संगठन की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विचार किया गया। संघर्ष वाहिनी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सम्पन्न किया।

<u>बोधगया संघर्ष —</u>

संघर्ष वाहिनी का बिहार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य बोध गया मठ के महंत (मठाधीश) जयराम गिरि के विरुद्ध भूमि संघर्ष है। 'इसमें मठाधीश महोदय ने हजारों एकड़ अतिरिक्त भूमि मठ के नाम पर अपने कब्जे में कर रखी है। संघर्ष वाहिनी ने इस भू-शोषण का अन्त करने तथा इसे भूमिहीनों में बांटने के लिए बड़े पैमाने पर एक क्षेत्रीय आन्दोलन किसान एवं मजदूरों को साथ लेकर खड़ा किया जिसमें संघर्ष वाहिनी के कई लोगों को यातनायें झेलनी पड़ीं तथा कुछ लोगों की जानें गयीं।'[3] जे0पी0 बोधगया के इस संघर्ष को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अपने जीवन के अन्तिम समय में

1- प्रथम राष्ट्रीय परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव-छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, पेज 31-32

2- समय की चुनौती और संघर्ष वाहिनी-छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा प्रकाशित, पेज 7

3- [illegible], 16-30 सितम्बर, 1979 (बोधगया अंक)

इस आंदोलन के संबंध में वाहनी को निर्देश देते हुए कहा था -" मेरी हार्दिक सहानुभूति मस्तीपुर (बोधगया) के मजदूर किसानों के साथ है। अपनी अस्वस्थता के कारण मैं वाहनी के साथियों को निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूं। अतः अगर मैं कोई निर्देश दे सकता हूं तो यही कि वाहनी के साथी शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते जायें उनकी विजय निश्चित है।"[1] "बोध गया मठ के पास उस क्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8687·54 1/2 एकड़ जमीन है। इसमें 2096·66 1/4 एकड़ जमीन 17 देवी देवताओं के नाम ट्रस्ट बनाकर रखी गयी है। इसमें से सभी ट्रस्ट मान्यता प्राप्त भी नहीं हैं। मठ ने सरकार को अभी तक 1313·36 एकड़ जमीन दी है।"[2] संघर्ष वाहनी के प्रयत्नों के द्वारा इस क्षेत्र में मठाधीश के विरुद्ध जनमत अवश्य तैयार तो हुआ है परन्तु भू वितरण में वाहनी को सफलता नहीं मिल सकी। इसका कारण मठाधीश द्वारा इस जमीन से संबंधित मुकदमा न्यायालय में दायर कर दिया जाना है।

पब्लिक स्कूलों की समाप्ति के लिए आन्दोलन :—

असमानता के प्रतीक 'पब्लिक स्कूलों' को समाप्त करने की दिशा में जनमत तैयार करने एवं सरकारी नीति के विरोध में 'उत्तर प्रदेश की छात्र युवा-संघर्ष वाहनी' ने 'दून मार्च' का आयोजन किया। 'इस दून मार्च का प्रारम्भ 5 जून 1978 को लखनऊ के 'काल्विन तालुकेदार्स कालेज,' 'पब्लिक स्कूल' से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० बनवारी लाल शर्मा द्वारा किया गया। यह पैदल मार्च

1- समय की चुनौती और संघर्षवाहनी, पेज 3, छात्र युवा संघर्ष वाहनी, प्रकाशन

2- समग्रता 16-30 सितम्बर, 1979 बोधगया अंक, पेज 10

प्रतिनिधि वापसी का अधिकार

"भारत के हम नागरिकों की मान्यता है कि सच्ची लोकशाही की स्थापना के लिए प्रतिनिधि वापसी के अधिकार को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए.

इस मान्यता को कार्यान्वित करने की दृष्टि से इस प्रश्न की गहराई में जाने के लिए सरकार को तत्काल एक अध्ययन समिति नियुक्त करनी चाहिए."

जयप्रकाश नारायण

२६ जनवरी '७९

लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस मांग के लिए हस्ताक्षर किये हैं. आप भी कीजिए !

छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी

राष्ट्रीय कार्यालय, १२, राजेंद्रनगर, पटना–८०००१६

मुद्रक : नूतन प्रिंटिंग प्रेस, मसल्लहपुर, पटना-६

1 जून 1978 को देहरादून के शाखा के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल 'दून स्कूल' के दरवाजे पर समाप्त हुआ। 26 दिन में पैदल मार्च द्वारा 591 कि0मी0 की दूरी तय करके पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की माँग इस आन्दोलन द्वारा की गयी'।'[1] इस आंदोलन में वाहनी को सफलता इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि तत्कालीन 'जनता पार्टी की सरकार' ने पब्लिक स्कूलों को बनाये रखने की अपनी नीति की घोषणा कर दी थी।

<u>प्रतिनिधि वापसी का अधिकार संबंधी आंदोलन :-</u>

इस अधिकार को जनता को दिलवाने के उद्देश्य से वाहनी की विभिन्न इकाइयों ने समय-समय पर विभिन्न सभाओं एवं जुलूसों का आयोजन किया जिससे जनमत तैयार करके सरकार पर दबाव डाला जा सके।'8 अप्रैल 1979 को 'बिहार प्रदेश की छात्र युवा संघर्ष वाहनी' ने एक प्रभावशाली रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जिसमें प्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार पब्लिक स्कूल बन्द हो, काम का अधिकार जैसी व्यवस्था करने की माँग की गयी।'[2] वाहनी के राष्ट्रीय कार्यालय ने इस संबंध में प्रचार पुस्तिकायें छपवाकर वितरित करवायीं। एवं इस अधिकार की माँग के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया।

(हस्ताक्षर अभियान के पम्फलेट की फोटोकापी संलग्न है)

जे0पी0 की अन्त्येष्टि के समय उनका दाह संस्कार ब्राह्मणों द्वारा करवाये जाने का भी संघर्ष वाहनी ने विरोध किया क्योंकि वाहनी इसे सामाजिक समता

1- समग्रता 30 जुलाई, से 5 अगस्त 1978 पेज 10-12

2- वही, 22-28 अप्रैल 1979 पेज 13-14

दिनांक- 9.10.79

लोकनायक की अन्तयेष्टि में ब्राह्मण क्यों ?

प्रिय सच्चिदानन्द जी,

यह पत्र हमें अपने नायक की मृत्यु और अन्तयेष्टि के बीच की स्थिति में लिखना पड़ रहा है। लोकनायक की अन्तयेष्टि की तैयारी और योजना में हमें सामाजिक समता के विचारों का खण्डन दिख रहा है। इस अन्तयेष्टि क्रिया के उन रिवाजों को, जो काफी हद तक सामाजिक गैर-बराबरी के लिए जिम्मेवार हैं— उन्हें हम व्यापक बहस के लिए आपके माध्यम से आम जनता तक पहुँचना चाहते हैं।

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार लोकनायक की अन्तयेष्टि क्रिया में दाह-संस्कार के समय ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण की व्यवस्था है। इससे समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था को पोषण मिलता है, साथ ही सवर्ण-संस्कृति की बुराइयाँ प्रतिष्ठित होती हैं। ये असमानता पर आधारित हैं और सामाजिक शोषण को मजबूती देती हैं। इस जाति-व्यवस्था में जन्म महत्त्वपूर्ण होता है एवं मानवीय गुणों की उपेक्षा होती है।

जनक्रांति के उद्घोषक जयप्रकाश के अन्तिम दर्शन के लिए आज लाखों की भीड़ लगी है। इनकी अन्तयेष्टि में यह क्रिया-कलाप काफी महत्व का है, जो कहीं-न-कहीं सामाजिक मान्यताओं के सही और गलत होने की पुष्टि करता है। सामान्य जनमानस पर इनके उदाहरण बनकर छा जाने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में इन रूढ़ियों का शांतिमय विरोध इस पूरी क्रिया का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है।

जयप्रकाश जी ने इस तरह की सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष के लिए बार-बार आह्वान किया है। अपने वाहिनीनायक से हमने हर गलत सामाजिक रिवाजों का शांतिमय विरोध करना सीखा है। हमें ऐसा लग रहा है कि उनके विचार हमें आज फिर इस गलत व्यवस्था के विरोध के लिए आवाज दे रही है। वे हमेशा के लिए सो चुके हैं और सामाजिक जड़ता उन्हें जकड़ रही है। उनकी अन्तिम क्रिया में ब्राह्मण की भागीदारी की अनिवार्यता इस जड़ता का मूर्त रूप है। हम इस जकड़न से उन्हें बचा पाने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, साथ ही अपने नायक को सामाजिक असमानता के इन बेड़ियों से जकड़ते देख इसे हटाने की अनिवार्यता को महसूस कर रहे हैं, जो इन क्रांतिकारी व्यक्तित्वों तक को जकड़ सकती है। हम आशा करते हैं कि समय रहते ब्राह्मण की अनिवार्यता को अस्वीकार किया जायेगा।

हम आज इस रूढ़िवादी रिवाज का विरोध करते हैं और शोषितों, दलितों से मिलकर जुल्म और गैर बराबरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लेते हैं। यह लड़ाई तबतक चलेगी जबतक समाज शोषण से मुक्त न हो जाय।

के विचारों का खण्डन एवं जाति व्यवस्था के पोषण के रूप में देखती थी जबकि जे०पी० ने जीवन भर विरोध किया।(देखें संलग्न, 9 सितम्बर 1979 के पम्फलेट की फोटोकापी)।

उत्तर प्रदेश की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, के कार्यकर्ताओं ने 'गीता नाम की लड़की को सिकन्दरा(आगरा) के वेश्यालय से मुक्त करवाया।'[1] इसके अतिरिक्त 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' की विभिन्न इकाइयों द्वारा समय समय पर सम्पूर्ण क्रान्ति गोष्ठियां, सम्पूर्ण क्रांति शिविर एवं संपूर्ण क्रांति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं।

'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को व्यापक सफलता नहीं मिल पायी है।'[2] इसके अनेक कारण हैं। बहुत सी बातों को जिनका जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी उल्लेख था 'जनता पार्टी' की सरकार अस्वीकार कर चुकी थी जैसे प्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार, पब्लिक स्कूलों को समाप्त करना इत्यादि। अतः इन क्षेत्रों में सफलता की संभावना सीमित हो चुकी थी। वाहिनी केवल जनमत तैयार कर सकती थी इसके लिए उसने प्रयत्न किया और आज भी प्रयत्नशील है।

इसके अतिरिक्त 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' अपने जन्म के समय से ही राजनैतिक दलों के आँख की किरकिरी रही है। उन्होंने इसे जे०पी० की प्राइवेट सेना की संज्ञा दी थी। विभिन्न राजनैतिक दलों के छात्र एवं युवा संगठन इसे अपने एक प्रतियोगी एवं समानान्तर संगठन के रूप में देख रहे हैं। 'जनता सरकार' में सम्मिलित

1-उत्तर प्रदेश छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का आपातकालीन बुलेटिन, मई 1982 पेज 2 एवं 4 वाहिनी प्रकाशन

2- समग्रता, 24-30 दिसम्बर, 1978 पेज 4-5

विभिन्न राजनैतिक दलों के घटकों के युवा छात्र संगठनों को संरक्षण एवं पोषण मिला। इसके विपरीत जे०पी० की अस्वस्थता एवं निधन हो जाने से वाहनी को उचित मार्ग-दर्शन एवं सहयोग न मिल सका। इससे वाहनी की पूर्ण सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना निश्चित हो गया था।

शोधकर्ता ने 7 जून, 1980 को पटना में 'छात्र-युवा संघर्ष वाहनी' के राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर स्थिति का अध्ययन किया। तत्कालीन कार्यालय सचिव श्री बलदेव विद्रोही ने साक्षात्कार के समय बतलाया कि संगठन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण जे०पी० की मृत्यु के बाद 'समग्र क्रान्ति' के मुखपत्र 'समग्रता' का प्रकाशन बन्द हो गया है। सदस्यता और दान के अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत संगठन के पास नहीं है। बहुत थोड़ी सी राशि जे०पी० के अमृत कोष से इस संगठन को मिली है। कार्यों की सफलता का मूल्यांकन साधनों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत 'छात्र युवा संघर्ष वाहनी' ने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों एवं इसके प्रचार-प्रसार का आयोजन किया है जो कि प्रशंसनीय है। वाहनी आज भी इस दिशा में प्रयत्नशील है।

जे०पी० के निधन के बाद इस संगठन की पहली जैसी स्थिति नहीं है। परन्तु वाहनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज भी प्रयत्नशील है। इस संगठन का वर्तमान परिस्थितियों में इतना तो महत्व है ही कि दलगत राजनीति से अलग रहकर छात्रों एवं युवकों को सामाजिक कार्य करने का अवसर यह संगठन प्रदान करता है।

---

(2) लोकसमिति

आवश्यकता एवं उद्देश्य :—

राजसत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए जे0पी0 ने लोक समितियाँ (पीपुल्स कमेटी) गठित करने की बात कही है। 'लोकसमिति' के गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा —"जनता लोकतंत्र का प्रहरी बने तथा नीचे के कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, सबके कामकाज पर निगरानी रखे। ऐसी जागरूक शक्ति का निर्माण हो कि जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी न कर सके। जनता को निरंतर जागरूक और सावधान रहना है। इसके बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। मात्र मतदान कर देने से कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण क्रान्ति में तो लोकतंत्र के एक सर्वथा नये स्वरूप की कल्पना है, जब लोग समाज-जीवन के कार्यों में प्रत्यक्ष हिस्सा ले सकें और 'तंत्र' 'लोक' की अनुमति और सहमति से काम करता हो, तथा लोकतंत्र तो तभी सफल होगा। इसके लिए लोक चेतना जागृत और सक्रिय रखनी होगी। इन विचारों के निर्दिष्ट रूप में ही मैंने ठेठ गाँव से लेकर ऊपर तक 'लोक समितियों' के गठन का कार्यक्रम देश के सामने रखा है। उम्मीदवारों का चयन और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अंकुश में रखने का काम यह संगठन करे ऐसी मेरी कल्पना है। केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रान्ति के लिए अथवा संपूर्ण क्रान्ति के लिए लोकसमितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी।"[1]

लोक शक्ति के संगठन का विचार बिल्कुल नया नहीं है। हर क्रान्तिकारी ने उसके महत्व को स्वीकार किया है। बहुत पहले अप्रैल 1907 में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी

1- लोकसमिति, उद्देश्य, संगठन, कार्यक्रम, पेज । लोकसमिति प्रकाशन।

एवं विचारक श्री अरविन्द ने 'ग्रामसमितियों द्वारा ग्राम स्वराज्य के स्थापना की बात कही थी।'[1] 'गांधी जी के गांव को एक 'छोटा गणराज्य' बनाने एवं विनोबा जी की 'ग्राम स्वराज्य' की कल्पना में इस विचार के बीज हैं। इसी संदर्भ में डा० राममनोहर लोहिया ने 'चौखम्भा राज्य' की बात कही। श्री एम०एन०राय ने विकेन्द्रीकरण पर बहुत जोर दिया। लेनिन का नारा था 'सोवियत को सत्ता' माओ ने कहा 'जनता के साथ एकाकार हो जाओ।'[2]

जे०पी० का चिंतन है कि यदि लोकसमितियाँ संगठित होकर अच्छी तरह से कार्य करने लगें तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण सरलता से संभव हो सकेगा और स्वराज्य का सुख अन्तिम व्यक्ति तक पहुँच सकेगा। अपनी इस कल्पना को साकार करने के लिए जे०पी० ने एक तदर्थ 'राष्ट्रीय लोक समिति' का गठन किया।' उक्त तदर्थ 'राष्ट्रीय लोक समिति' की प्रथम बैठक 30-31 जुलाई 1977 को पटना में हुयी। इसमें जयप्रकाश जी ने अध्यक्ष बनना स्वीकार किया - राष्ट्रीय समिति का कार्यालय राजघाट वाराणसी 22001 में रखा गया।'[3] इसके महामंत्री प्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री नारायण देसाई हैं।'श्री जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रीय लोकसमिति(तदर्थ) की सहमति से लोकसमितियों के गठन और कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गयी।'[4]

संगठन :—

लोकसमितियों के संगठन के लिए दोहरी प्रक्रिया अपनायी गयी। आदर्श तो यही था कि संगठन बिल्कुल नीचे अर्थात् 'ग्राम' या 'पड़ोस' स्तर से शुरू हो, परन्तु दूसरी ओर राष्ट्रीय समिति के कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गयी कि वे प्रादेशिक स्तर

1- लोकसमिति क्यों बने, कैसे, बने, क्या करे, पेज 30-32 आचार्य राममूर्ति
2- तरूणक्रान्ति 25 सितम्बर, 1अक्टूबर, 1977 पेज 5
3- सप्रवार्ता 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 11
4- लोकसमितियाँ क्यों बने, कैसे बने, क्या करे, पेज 40 आचार्य राममूर्ति।

पर तदर्थ समितियों की रचना करें जो संगठन के कार्य को देखें।

<u>सदस्यता</u> :—

जे0पी0 दलगत राजनीति की बुराइयों से परिचित थे। 'लोक समितियों' के माध्यम से वे निर्दलीय लोकशक्ति को संगठित कर उसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे अतः लोकसमितियों को राजनीतिक वर्चस्व से बचाने के लिए सदस्यता संबंधी निम्न प्रावधान रखे गये।

'सामान्य तौर पर ग्राम या पड़ोस स्तर की लोकसमिति का सदस्य अठारह वर्ष के ऊपर का कोई भी नागरिक हो सकता है पर चुने हुए सदस्यों पर ये पाबंदियाँ थी —(क) किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी समितियों का साधारण सदस्य नहीं हो सकता। (ख) किसी राजनैतिक दल का सदस्य ऊपर की समिति के लिए प्रतिनिधि न ही चुना जा सकता। (ग) किसी राजनैतिक दल का सदस्य समिति का संयोजक या पदाधिकारी नहीं बन सकता।'[1] अन्य स्थितियों में राजनैतिक दलों के सदस्य भी समिति के सदस्य हो सकते हैं। अपेक्षा की गयी कि विश्वसनीय और निष्ठावान लोगों को लिया जाय जो समिति को अपना समय दे सकें। जे0पी0 के मतानुसार -"निहित स्वार्थवालों का कब्जा और आज उच्च वर्ग का वर्चस्व लोकसमितियों पर न रह जाय। अन्यथा लोकसमितियों की क्रान्तिकारिता नष्ट हो जायेगी। लोकसमितियों को शोषितों और दलितों के लिए काम करना है तथा लोकतंत्रीय मूल्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करना है। इन समितियों में ऐसे लोग होने चाहिए जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस करते हों तथा सम्पूर्ण क्रान्ति के विचारों में निष्ठा रखते हों।"[2] लोक समिति का मूलभूत उद्देश्य सम्पूर्ण क्रान्ति है।'[3]

1- [illegible], 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 11
2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 120-21।
3- लोकसमिति उद्देश्य, संगठन, कार्यक्रम, लोकसमिति प्रकाशन, पेज 2

<u>इकाइयाँ :—</u>

इस संगठन में निम्न इकाइयों की कल्पना की गयी। "(1) ग्राम लोक-समिति (2) पंचायत लोक समिति, (3) ब्लाक लोक समिति (4) निर्वाचन लोक समिति (5) नगर समितियाँ इसमें पड़ोस, मुहल्ला, वार्ड, वार्ड निर्वाचन क्षेत्र समितियाँ सम्मिलित हैं।"[1] (6) जिला लोक समिति (7) प्रदेश लोक समिति (8) राष्ट्रीय लोकसमिति।"[2]

24 जून 1979 को गांधी दर्शन, राजघाट में लोकसमितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें निर्णय किया गया कि चूंकि अभी वास्तविक लोक समितियाँ नहीं बन पायी हैं अतः प्रत्येक स्तर की लोक समिति को लोक समिति (संगठक) कहा जायेगा। इसका आशय यह था कि यह वास्तविक लोक समिति न होकर लोक समिति के संगठन के लिए प्रयत्नरत इकाई है।

'लोक समिति' के संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि इस प्रकार का संगठन तो 'ग्राम पंचायतों' के रूप में पहले से बना हुआ है और 'लोक समिति' के सभी कार्य 'ग्राम पंचायतें' भी कर सकती हैं फिर इस प्रकार के संगठन की क्या आवश्यकता है?

परन्तु जे0पी0 की 'लोक समिति' की परिकल्पना और ग्राम पंचायतों में कुछ मौलिक अन्तर है। 'ग्राम पंचायतें' सरकार की बनायी हुयी हैं और वे प्रशासन का अंग हैं। पंचायतों के लिए एक सरकारी विभाग होता है, जिसके अधिकारी अलग होते हैं। 'वित्तीय' और 'प्रशासनिक' मामलों में इनमें सरकारी हस्तक्षेप भी है। जबकि लोक समितियाँ जनता की अपनी इच्छा से बननी हैं और यदि नहीं चाहेगा वह 'लोक

1- लोकसमिति, क्यों बने? कैसे बने? क्या करे? पेज 11-16 आचार्य राममूर्ति

2- तरुण, 1-15 अक्तूबर, 1979 पेज 20-21

समिति' नहीं बनायेगा। इस प्रकार यह गांव के लोगों का आपसी और ऐच्छिक संगठन है जिसमें किसी भी स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के 16 प्रमुख प्रान्तों में 'नवई' या 'संगठक' समितियाँ गठित की गयी।

कार्य :— 'लोक समिति' के कार्यों के संबंध में जे0पी0 का कथन है -"संपूर्ण क्रान्ति की जितनी बातें मैंने पहले कहीं हैं, उनके अनुसार लोक समितियाँ काम करेंगी। झगड़ों का आपसी निपटारा, कोई मामला कोई कचेहरी में न जाय, ऊँच-नीच, छुआ-छूत के भेदभाव का अन्त, तिलक दहेज जैसी बुराइयों को दूर करना, आदिवासी, हरिजनों, मुसलमानों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार, हर एक को रोजगार मिले इसकी कोशिश अनाज आदि जरूरी चीजें उचित मूल्य पर मिलें, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, पर रोक सीलिंग तथा भूमि के दूसरे प्रगतिशील कानूनों पर अमल, बेदखली का निराकरण, भूमिहीनों को बासगीत की और जितनी हो सके खेती की भूमि, मजदूरों को उचित मजदूरी समाज अनीतियों अन्यायों का प्रतिकार भ्रष्टाचार उन्मूलन, बूढ़ों, बीमारों का आवश्यक इलाज और तीमारदारी, सफाई, मतदाताओं की सजगता बनाये रखना आदि नया समाज बनाने के जितने भी सवाल हैं, उन सबको समय-समय पर लोक समितियाँ हाथ में लेंगी।"[1]

जे0पी0 द्वारा दिये गये उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर 'लोकसमिति के राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का निर्धारण कर उन्हें एक लघुपुस्तिका में विस्तार से प्रकाशित करवाया गया।'[2]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जयप्रकाशनारायण, पेज 48-49

2- लोकसमिति उद्देश्य, संगठन कार्यक्रम, लोकसमिति प्रकाशन, पेज 4-6

परन्तु जे०पी० की कल्पना के अनुसार 'लोकसमितियों का कार्य ठीक से प्रगति नहीं कर पाया।'[1] स्वयं जे०पी० के कार्यस्थल बिहार में ही मई 1979 तक मात्र '23 जिलों में ही इसका संगठन हो सका था।'[2] जे०पी० के निजी सचिव श्री अब्राहम ने लेखक को साक्षात्कार के समय बतलाया कि 'लोक समितियों' के गठन का कार्य ठीक से नहीं हो सका, अधिकांशतः कागजी समितियाँ ही गठित की गयी हैं, वह जनता का वास्तविक संगठन नहीं बन सकीं। 'समयुग' ने अपने सम्पादकीय में लोक-समितियों की असफलता के संबंध में लिखा था —' 1978 का वर्ष 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के आंदोलन की निद्रा का वर्ष रहा है। लोकसमिति और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की बात जिस उत्कटता और प्राथमिकता के साथ जे० पी० ने रखी थी उसका कोई स्पर्श इन दोनों में नहीं दिखा है। लोक समिति की कल्पना भी आज लोक के पास तक नहीं पहुँची है। लोक समिति के नाम से चलने वाले जिन छिटपुट कामों का समाचार मिलता है उनमें किसी सुविचारित प्रयास का संकेत नहीं है। ऊपर का ढाँचा जितना भारी भरकम है, लोकसमिति के पाँव के नीचे उतनी ही पोली जमीन है। कुल मिलाकर लोकसमिति की कल्पना को उसकी पूर्णता में पकड़ सकने में 1978 का वर्ष सफल नहीं हुआ।'[3] और 1979 में जे०पी० का स्वर्गवास हो गया जिससे इस संगठन के सक्रिय होने एवं विकास की सभी संभावनायें समाप्त हो गयीं।

24 जून 1979 को गांधी दर्शन राजघाट, नई दिल्ली में लोकसमितियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें इस क्षेत्र की असफलता को स्वीकार किया गया। सम्मेलन ने अपने निर्णय में कहा — अभी वास्तविक और प्रतिनिधिक लोकसमितियों का हर स्तर पर बनना बहुत दूर की बात है, इसलिए हर स्तर की लोकसमिति को लोकसमिति(संगठ

1- समयुग, 1-15 अक्तूबर, 1979 पेज 20
2- समयुग 27 मई, 2 जून, 1979 पेज 12
3- वही, 24-30 सितम्बर, 1978 पेज 4

कहकर संबोधित किया जाये, हर स्तर के लोकसमितियों के सदस्य माने कि ये प्राथमिक लोक समितियों के संगठन कर्ता मात्र हैं, किसी वास्तविक लोकसमिति के प्रतिनिधि नहीं।"[1] इस निर्णय से स्पष्ट है कि लोकसमितियों के गठन में सफलता नहीं मिल पायी थी। लोकसमितियों के गठन और अन्य क्षेत्रों (कार्यक्रमों) में सफलता न मिल पाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय लोकसमिति(संगठक) की एक गोष्ठी रिपोर्ट में कहा गया —' जे०पी० अस्वस्थ हो गये और उनके स्थान पर अन्य नेतृत्व नहीं बन सका। बिहार के बाहर सम्पूर्ण क्रान्ति धारा भी नहीं बन सकी थी, इसलिए उसका दर्शन, दिशा, कार्यक्रम आदि राष्ट्रीय नहीं बन सका। सम्पूर्ण क्रान्ति सर्वोदय, लोक-समिति और संघर्षवाहिनी के संगठनों तक सीमित रह गयी, और इन संगठनों में परस्पर आदर और विश्वास का सम्बन्ध नहीं बन सका। संघर्ष वाहिनी ने स्वयं लोक समिति के कार्यक्रम को अमान्य कर दिया। इतना ही नहीं वर्ग संघर्ष को लेकर तीव्र वैचारिक मतभेद भी पैदा हो गये, जो बढ़ते ही जा रहे हैं। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी बराबर बनी रही।"[2]

जे०पी० की असफलता जनतापार्टी एवं उसकी सरकार द्वारा जे०पी० और उनके कार्यक्रमों एवं संगठनों के प्रति बरती जाने वाली उपेक्षा इसकी असफलता के प्रमुख कारण थे। जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते थे कि उन पर नियंत्रण रखने वाला कोई संगठन बने।' जनता सरकार' के प्रमुख स्तम्भ चौधरी चरण सिंह जी ने 'लोक-समितियों' से 'प्रशासन ' में कठिनाई उत्पन्न होने की बात कही थी।' इस संबंध में 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में ने अपने एक लेख में लिखा है —"चौधरी साहब की 'जन-

---

1- जनमुक्ति, 1-15 अक्तूबर, 1979 पेज 20

2- गोष्ठीरिपोर्ट(राष्ट्रलोकसंगठक) लोकसमिति, वर्धा के पास सहमति' के मुद्दे 'शांतिक लोक समिति आन्दोलन क्यों नहीं बन सकी' पेज एक

समिति के कायल नहीं है। उन्होंने कहा था — कि इस तरह की समितियाँ अगर बनायी गयीं तो प्रशासन सुधरेगा नहीं बिगड़ेगा।"[1] इन सभी कारणों से संगठन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

इस तरह लोक शक्ति को संगठित करके, भारत के लोकतंत्र में जनता की भूमिका को बढ़ाने, प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने और चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण रखने वाले आम जनता के इस संगठन का, जे०पी० का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। यदि जे०पी० की कल्पना की 'लोक समिति' वास्तविक रूप से गठित हो पाती और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सक्रिय हो जाती तो भारत के लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन अपरिहार्य था। इससे देश की जनता का बहुत ही कल्याण होता। भारत के लोकतंत्र में 'तंत्र' की अपेक्षा 'लोक' का महत्व बढ़ जाता।

1- साप्ताहिक हिन्दुस्तान, लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति अंक, 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, पेज 11, 1979

पंचम अध्याय

जनता पार्टी के निर्माण में जे०पी०की भूमिका

पंचम अध्याय

जनता पार्टी के निर्माण में जे0पी0 की भूमिका

(अ) जे0पी0 द्वारा जनतापार्टी के गठन में सहयोग :—

जे0पी0को भारतीय राजनीति में 'जनता पार्टी' नाम के एक नये राजनैतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्राप्त है। 1977 के चुनावों में 'जनतापार्टी' ने भारत की राजनीति को एक नयी दिशा प्रदान की। उसने एक नये राजनैतिक इतिहास को जन्म दिया। यह केन्द्र के 30 वर्षीय 'कांग्रेसी' शासन के विकल्प के रूप में सामने आयी। जे0पी0 'जनता पार्टी' के निर्माण की प्रक्रिया में आरम्भ से ही संबंधित रहे हैं। 'जनता पार्टी' के निर्माण में जे0पी0 की भूमिका का हम निम्न तीन भागों में अध्ययन करेंगे।

(1) जे0पी0 के जेल जाने से पूर्व की स्थिति :—

आपातकाल में जेल जाने से पूर्व जे0पी0 ने 'जनता पार्टी' के गठन के उद्देश्य से विभिन्न विरोधी राजनैतिक दलों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

'सर्वोदय' के पत्र 'भूदान यज्ञ' ने जे0पी0 से प्रश्न करते हुए लिखा था —' क्या जयप्रकाश नारायण ऐसा कोई गैर राजनैतिक मोर्चा नहीं बना सकते जो सरकार पर अंकुश रखने में सही और असली विरोध की भूमिका निभा सकें?'[1]

1- भूदान यज्ञ 5 मार्च 1973

यह प्रश्न काल के कराल गाल में अनुत्तरित सा नहीं गया। 1974 के 'बिहार आन्दोलन' में जे0पी0 के 'समग्र क्रान्ति' के उद्घोष ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। एक गैर राजनैतिक मोर्चा तो नहीं बन सका परन्तु विरोधी राजनैतिक दलों का 'जनता मोर्चा' आपात काल के पूर्व गुजरात में चुनाव के समय अस्तित्व में आया। इसने गुजरात के चुनावों में सफलता प्राप्त की और शासन संभाला। इस जनतामोर्चे को जे0पी0 का मार्ग दर्शन और समर्थन प्राप्त था। गुजरात के चुनाव में 'जनता मोर्चे की सफलता 'सत्ता शक्ति' के विकल्प की खोज में जे0पी0 को पहली विजय थी।

1973 के आरम्भ में ही दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में विरोध की राजनीति' पर बहस चलने पर जे0पी0 ने कहा था —' सिद्धान्तों और कार्यक्रम की सीमेन्ट से अगर देश के विरोधी दल जुड़ सकें तो उन्हें अपना नैतिक समर्थन और सलाह मशविरा दे सकता हूँ।'[1]

'बिहार आन्दोलन' का नेतृत्व जे0पी0 कर रहे थे। इसमें विभिन्न विरोधी राजनैतिक दल जे0पी0 के सहयोगी थे। 'बिहार आंदोलन' में एक ही प्रकार के कार्यक्रमों और एक ही नेतृत्व में एक साथ कार्य करने से विरोधी राजनैतिक दलों को निकट आने का अवसर मिला। बिहार आंदोलन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास के बाद भी विरोधी राजनैतिक दल जे0पी0 के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार हो गये थे। तत्कालीन परिस्थितियों में जे0पी0 इन दलों की आवश्यकता थे। इसका कारण यह था कि उस समय की परिस्थिति में विरोधी राजनैतिक दलों की स्थिति अच्छी नहीं थी। सन् 1967 की संयुक्त सरकारों के विफलताओं और 1971 के चुनावों में भारी पराजय से सिद्ध हो गया था कि विरोधी दल जनता की सहानुभूति खोते जा रहे हैं। वह जे0पी0

1- विद्रोही की वापसी, ले0 आर0 शाश्वत मिश्र, पेज 134

जैसे व्यक्तित्व की छत्रछाया में ही फलफूल सकते थे और जनता में अपने प्रति आस्-तिक विश्वास पैदा कर सकते थे।

इधर जे0पी0 भी 'सत्ता कांग्रेस' के विकल्प के रूप में इन विरोधी राजनैतिक दलों को एक करना चाहते थे क्योंकि किसी एक राजनैतिक दल की यह स्थिति नहीं रह गयी थी कि वह सत्ता कांग्रेस' का विकल्प बन सके। उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए 'आपातकाल' के समय प्रकाशित भारत सरकार के दस्तावेज में कहा गया था —" 1974 के आरम्भ में गुजरात का आंदोलन और बिहार में संगठन कांग्रेस जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल को आपस में एक होने का आधार प्रदान किया। श्री जयप्रकाश के रूप में उन्हें वह व्यक्तित्व दिखायी दिया जिसके गिर्द वह इकट्ठा हो रहे थे और जिसकी तलाश में वह व्याकुल थे।"[1]

बिहार आन्दोलन और उससे उत्पन्न परिस्थितियाँ विरोधी दलों को एक करने का अच्छा अवसर था। जे0पी0 ने इस दिशा में प्रयत्न किया। उन्हीं के शब्दों में —" मैंने यह भी कोशिश की कि सभी विपक्षी दल मिलकर एक दल बना लें।"[2]

जे0पी0 केन्द्र में सत्ता के कांग्रेसी एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे क्योंकि सत्ता कांग्रेस उनके आंदोलन को गम्भीरता से नहीं ले रही थी। वह सत्ता कांग्रेस का विकल्प खोज रहे थे। 5 जून 1974 को (बिहार आंदोलन के समय) पटना के गांधी मैदान की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था —' अगर मैं यह कह दूँ कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नयी पार्टी का निर्माण करूँगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे।'[3]

1- आपातस्थिति क्यों, भारत सरकार प्रकाशन, पेज 14

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, जयप्रकाशनारायण, पेज 57

3- सम्पूर्ण देश क्रान्ति के लिए आवाहन, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 22

कुछ दलों एवं नेताओं ने तो जयप्रकाश नारायण के विरोधी दलों के मोर्चे का नेतृत्व करने की भी बात कही थी।'[1] विरोधी दलों ने नेतृत्व की बात इसलिए कही क्योंकि ' वह अपने लिए जयप्रकाश से अच्छा कोई नेता चुन ही नहीं सकते हैं।"[2]

बिहार आंदोलन के आलोचकों एवं सत्ता पक्ष द्वारा प्रायः कहा जाता था कि जे0पी0 विरोधी दलों के हाथ की कठपुतली बन गये हैं परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी। 'जे0पी0 भारत के जनमानस के प्रतिबिम्ब बन गये हैं। विरोधी दल उनके व्यक्तित्व की जेब में हैं चरण सिंह, बाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु आज के साथ जे0पी0 नहीं, बल्कि ये लोग जे0पी0 के साथ हैं।'[3]

जे0पी0 के प्रयत्न से विरोधी दल धीरे-धीरे निकट आने लगे थे। कुछ बुद्धिजीवी ऐतिहासिक रूप से यह मानते हैं कि नवम्बर 1974 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी। पत्रकार चन्द्रशेखर पंडित के अनुसार —"जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति में केवल 26 नवम्बर को नयी दिल्ली में विरोधी दलों की दो दिनों की बैठक में 3 वर्ष बाद संगठित होने वाले जनतापार्टी का बीज बोया गया था।"[4]

25-26 नवम्बर 1974 को नयी दिल्ली में जे0पी0 की उपस्थिति में विरोधी दलों की होने वाली यह बैठक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। जनतापार्टी के निर्माण की दिशा में यह पहली महत्वपूर्ण घटना थी। इस बैठक में 'गैर कम्युनिस्ट विरोधी पार्टियों में एक लम्बे विचार विमर्श के बाद एक संयुक्त नीति के लिए सहमति हुयी और भारतीय स्तर पर जनसंघर्ष के लिए कार्यक्रम तय हुआ। गुजरात और बिहार

1- धर्मयुग, 12 जनवरी, 1975 पेज 39
2- फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर- हिन्दी अनुवाद, पेज 22
3- धर्मयुग, 11मई, 1975 पेज 9
4-एक युग का अन्त, ले0 चन्द्रशेखर पंडित, (हिन्दी अनुवाद) पेज 188

की तरह का संघर्ष दूसरे राज्यों में फैलाने का इरादा था। 26 नवम्बर को 'एक राष्ट्रीय समन्वय समिति,' जे0पी0 की अध्यक्षता में बनायी गयी। मार्च 1975 में संसद के सामने इस समिति ने सामूहिक प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस समिति में निम्न विरोधी सदस्य थे।

पार्टी	सदस्य
जनसंघ	अटल बिहारी बाजपेयी, नाना जी देशमुख
कांग्रेस(ओ)	अशोक मेहता, श्याम नन्दन मिश्र
भारतीय लोकदल	पीलू मोदी, राजनारायण
भारतीय समाजवादी पार्टी	जार्ज फर्नांडीज, सुरेन्द्र मोहन
क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	टी0चौधरी, ज्योतिन चक्रवर्ती
अकाली दल	प्रकाश सिंह बादल
सर्वोदय मण्डल	सिद्धराज ढड्ढा, नारायण देसाई, जे0बी0कृपलानी, कर्पूरी ठाकुर, सरला भदौरिया, पुरुषोत्तम मावलंकर महादेव जोशी।'[1]

यह पहला अवसर था कि जिस समय जे0पी0 के निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दल एक ' 'समन्वित नीति' अपनाने के लिए सहमत हुए थे।

जे0पी0 द्वारा विरोधी राजनैतिक दलों को निकट लाने के संदर्भ में 'दिनमान' के शब्द भी दृष्टव्य हैं —' जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा और उनकी चेष्टाओं के अभाव में गैर साम्यवादी दलों के नजदीक आने का सिलसिला कहाँ तक

1- द जनता पीपुल्स' स्ट्रगल - धीरेन्द्र शर्मा, पेज 29

खड़ा होता यह कहना मुश्किल है। 23 जून 1975 को जब जे0पी0 दिल्ली पहुँचे तो पाँच दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक उनकी उपस्थिति में हुयी। जे0पी0 ने साफ शब्दों में कहा कि सभी दलों को मिलाकर एक पार्टी बना ली जाय जिससे चुनाव के अवसर पर मतदाताओं के सामने सत्ताधारी कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। जे0पी0 प्रतिपक्ष की कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए वह जानते हैं कि राष्ट्रीय और लोकतंत्रीय पार्टियों का विलय ही कांग्रेस का विकल्प हो सकता है। जे0पी0 की उपस्थिति प्रतिपक्षी दलों के एकता प्रयासों को जनता की निगाह में अतिरिक्त प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा देती है।'[1]

'जनता पार्टी' के निर्माण में जे0पी0 के योगदान को रेखांकित करते हुए पत्रकार वसंत नारगोलकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है —"जनता पार्टी की स्थापना जैसी एक अत्यंत महत्व की राजनीतिक घटना का मुख्य श्रेय श्री जयप्रकाश नारायण को है।"[2]

ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाज शास्त्री श्री प्रो0 आस्टर गार्ड ने भी 'जनता पार्टी' के निर्माण में जे0पी0 के योगदान को स्वीकार किया है। जे0पी0 से एक भेंट के समय उन्होंने कहा था —"आपके सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन से एक चीज यह भी निकली कि मुख्य विरोधी दलों का एकीकरण हुआ।"[3]

<u>(2) जे0पी0 के जेल जाने के बाद की स्थिति :—</u>

25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुयी उसी रात जे0पी0 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अपने जेल जाने से पूर्व जे0पी0 विपक्षी दलों की एकता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसका एक सफल प्रयोग उन्होंने आपातकाल के पूर्व

1- दिनमान, 29 जून 1975 पेज 18
2- जयप्रकाश जी ने कहा ही था, ले0 वसंत नारगोलकर, पेज 155
3- समग्रता, अक्टूबर, दिसम्बर, 1979 पेज 24

गुजरात में 'जनता मोर्चा' के रूप में 'सत्ता कांग्रेस' को चुनाव में हराने के लिए किया था। 'जनता मोर्चे' में 'बिहार आंदोलन' समर्थित विरोधी राजनैतिक दल सम्मिलित थे।

जेल में भी जे0पी0 विरोधी राजनैतिक दलों की एकता के संबंध में निरंतर चिंतन करते रहे। 15 अगस्त 1975 को अपने कर्मा जीवन के समय उन्होंने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा था —" विरोधी पार्टियाँ यदि एकजुट में होती तो कांग्रेस का शासन बहुत पहले समाप्त हो गया होता। तानाशाही की आग से निकलने के बाद मुझे विश्वास है कि विरोधी दल एक होंगे। वस्तुतः आपात स्थिति की घोषणा करने का यह भी कारण था कि गुजरात में जनतादल के विजय से श्रीमती गांधी सोचने लगीं कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोधी दल का संगठन हो गया तो लोकसभा के आगामी चुनाव वह जीत नहीं पायेंगी। इसके अतिरिक्त बिहार आंदोलन का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा था। देश भर में मेरे भ्रमण की सफलता से भी शायद वह डर गयी हों।"[1]

जे0पी0 जेल में आगामी लोकसभा के चुनावों में विपक्ष की समस्याओं के सम्बन्ध में भी चिंतन करते रहे थे। 4 अक्तूबर, 1975 को उन्होंने जेल में लिखा था —" विरोधी नेता जेल में हैं। समाचार पत्रों और सभाओं पर प्रतिबन्ध लागू है। एक भय का वातावरण सारे देश में व्याप्त है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यदि चुनाव के ठीक पूर्व, मान लीजिए दिसम्बर के अन्त या जनवरी के प्रारम्भ में, जेलों से सबकी रिहाई हो जाये और भाषण एवं संगठन की स्वतंत्रता मिल जाये तो भी क्या

1- मेरी जेल डायरी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 33

इतने कम समय में विरोधी पक्षों को अपना घर ठीक करने और गुजरात जनता मोर्चे की तरह (यदि प्रमुख विरोधी दलों का विलय न हो) चुनावी एकता करने तथा कोष संग्रह करने आदि के लिए काफी अवसर मिल सकेगा? सम्भवतः श्रीमती गांधी की योजना यही है कि उन्हें यह अवसर न मिले।"[1]

10 अक्तूबर, 1975 को प्रो0डी0पी0दर ने जे0पी0 के मित्र श्री सुगत दास गुप्त (वाराणसी) से यह जानना चाहा कि जे0पी0 जेल से छूटने के बाद क्या करेंगे? इस संदर्भ में जे0पी0 ने अपने मित्र श्री सुगत को जेल में बतलाते हुए कहा था—
"स्वाभाविक है कि मैं अपने सर्वोदय साथियों तथा विरोधी नेताओं से परामर्श प्राप्त करना चाहूँगा यदि अनुचित समय में संसदीय चुनाव किये जाते हैं तो मैं सरकार से मुकाबला करने की प्रवृत्ति को रोकूँगा और चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रयास करने को कहूँगा।"[2]

इससे स्पष्ट है कि जे0पी0 जेल के समय अपने चिंतन में विरोधी दलों के आगामी चुनाव की विजय को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं इसके लिए वह कुछ समय के लिए आंदोलन को भी स्थगित करने के लिए तैयार थे। यह विजय विपक्षी दलों की एकता (गुजरात की तरह संयुक्त मोर्चा बनाकर या एक दल बनकर) से ही सम्भव थी।

जे0पी0 ने जेल के समय प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में लिखा था—
"अब तो लोकसभा चुनावों में (और सम्भवतः विधान सभाओं के चुनावों में भी यदि आप ऐसा निर्णय करें) केवल छः महीने की देर है। विरोधी दलों के नेताओं को अगर छोड़ना है और उन्हें काम करने का अवसर देना है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तात्कालिक कार्य के अलावा, चुनाव के लिए तैयारी करना है। अगर मैं या अन्य

1- कारावास की कहानी, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 101-102

2- मेरी जेल डायरी, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 134

कोई इतने मूर्ख बन जायें और आन्दोलन को पुनर्जीवित करने के काम में उन्हें झोंकने का प्रयास न करें तो उनकी इस बारे में रूचि नहीं हो सकती। इस काम में उन्हें हरगिज कोई दिलचस्पी नहीं होगी और छात्रों का भी यही रूख रहेगा। इसलिए आपको अपने साथ, देश के साथ और लोकतंत्र के साथ न्याय करते हुए उन सब लोगों को जो अभी तक राजनीतिक आधार पर बन्दी हैं (अपनी बाबत के लिए मुझे चिन्ता नहीं है) रिहा करने का आदेश देना चाहिए और साथ ही सेंसरशिप उठाकर समाचारपत्रों की पूरी स्वतंत्रता प्रतिष्ठित करनी चाहिए तथा जनता की पूर्ण नागरिक स्वतंत्रतायें वापस कर लोकसभा के चुनावों की सम्भावित तिथियों की घोषणा यथाशीघ्र करनी चाहिए।"[1]

जे0पी0 द्वारा लिखे गये उपर्युक्त पत्र के अंश से स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव एवं आगे विरोधी दलों की भूमिका जेल के अन्दर जे0पी0 के चिन्तन का मुख्य केन्द्र बिन्दु था। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक आधार पर बन्दि व्यक्तियों की रिहाई तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना की माँग की थी जिससे कि समस्त विरोधी दल अपनी स्थिति को जनता के सामने ठीक से स्पष्ट कर सकें। जे0पी0 'सत्ता पक्ष' को आगामी चुनावों में पराजित करना चाहते थे। यह कार्य विपक्षी दलों के एक होने पर ही सम्भव था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने चिन्तन को व्यावहारिक रूप दिया जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर जनता पार्टी का जन्म हुआ।

(3) जेल से छूटने के बाद जे0पी0 का जनता पार्टी के निर्माण में योगदान :—

अस्वस्थता के कारण जे0पी0 को नवम्बर 1975 में रिहा कर दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार होते ही जे0पी0 ने विरोधी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक नयी पार्टी के गठन का प्रयत्न आरम्भ कर दिया।" 20 और 21 मार्च 1976 को

1- कारावास की कहानी, ले0 जयप्रकाशनारायण, परिशिष्ट 2 पेज 127

बम्बई में समाजवादी, जनसंघ, भारतीय लोकदल और संगठन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक हुयी जिसमें जे0पी0 ने भी भाग लिया। सबने नया दल बनाने का निश्चय किया। सर्व श्री एन0जी0गोरे(समाजवादी)ओम् प्रकाश त्यागी(जनसंघ)एच0एम0पटेल (भालोद)और शान्तिभूषण (संगठन कांग्रेस) की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की गयी जिसके संयोजक श्री गोरे हैं। इस समिति ने नये दल की रूपरेखा और कार्यक्रम तैयार किया।"[1]

इस प्रकार विरोधी दलों के प्रतिनिधियों और जे0पी0 के बीच नये दल के गठन के सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से विचार विमर्श मार्च 1976 में आरंभ हुआ।

22-23 मई 1976 को इन चारों दलों के प्रतिनिधियों की बैठक पुनः बम्बई में हुयी। इस बैठक में नयी पार्टी के गठन के सम्बन्ध में पहला प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था —" गत 21 मार्च की बम्बई की मीटिंग में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक विकल्प की अति आवश्यकता है। 22-23 मई की सभा में संचालन समिति की रिपोर्ट पर काफी गहराई से सोचने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग श्री जयप्रकाश नारायण से प्रार्थना करें कि वह एक नयी पार्टी बनायें।"[2] जे0पी0 ने उनके इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि जे0पी0 इसके लिए स्वयं प्रयत्नशील थे।

इस सम्बन्ध में जे0पी0 ने 'बिहार वासियों के नाम चिट्ठी' में लिखा था —" 22-23 मई 1976 को इन चारों दलों के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक बंबई में हुयी। बैठक ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर मुझसे अनुरोध किया था कि

1- जेल से आलोक तक, ले0 अजयकुमार जैनः पेज 115

2- द जनता पीपुल्स' स्ट्रगल—ले0 धीरेन्द्र शर्मा, पेज 74

में ही एक नये दल का निर्माण की घोषणा कर दूं। तदनुसार 25 मई,76 को मैंने अपने निवास पर एक पत्रकार सम्मेलन बुलाकर नये दल की घोषणा कर दी। यद्यपि इसका नामकरण भी अभी नहीं हो पाया था। इस दल के निर्माण के लिए एक बुनियादी शर्त यह थी कि सर्वप्रथम उपर्युक्त चार दलों के सदस्य व्यक्तिगत रूप से नये दल में शामिल हो जायेंगे और इन दलों को विघटित कर दिया जायेगा। यह भी तय हुआ था कि नये दल का दरवाजा आंदोलन समर्थक अन्य दलों के लिए तथा उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो कांग्रेस से निकल कर आये हैं।"[1]

एक नये दल के गठन के संबंध में प्रतिपक्ष के अनेक नेताओं ने भी जे0पी0 से व्यक्तिगत रूप से अपील की थी और पत्र लिखे थे। श्री जार्ज फर्नांडीज ने जे0पी0 को लिखे गये अपने पत्र में लिखा था —"मैं जून 1974 से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप राजनीतिक पार्टी बनायें.... आपके स्वास्थ्य की कमी को मैं जानता हूं लेकिन मैं यह भी विश्वास करता हूं कि आप तमाम विपक्ष को एक झण्डे के नीचे लाने में सफल हो सकते हैं।"[2]

चौधरी चरण सिंह ने, जो अन्य विरोधी दलों एवं जे0पी0 से अनेक बातों में असहमत थे, जे0पी0 को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि —"यदि आप इस पर दबाव डालेंगे तो हम फिर से बी0एल0डी0 के नयी पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचेंगे।"[3]

स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों में चौधरी चरण सिंह भी जे0पी0 के नैतिक दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार थे।

1- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी — ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 40

2- द जनता (पीपुल्स) स्ट्रगल, ले0 धीरेन्द्र शर्मा, पेज 190 (जार्ज फर्नांडीज का पत्र)

3- वही, पेज 300-303 (श्री चरणसिंह का जे0पी0 को पत्र)

कांग्रेस(ओ) के श्री अशोक मेहता द्वारा श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं श्री मधु दण्डवते को लिखे गये पत्र में लिखा था —' जे०पी० की इस पुकार से कि एक पार्टी जल्दी ही बनायी जाय...... मैं पूरी तरह सहमत हूं।'[1]

जनवरी 1977 में विपक्ष के नेताओं को जेल से छोड़ा जा रहा था। श्रीमती गांधी चुनाव की घोषणा कर चुकी थीं। उस समय जे०पी० शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से नयी पार्टी का गठन चुनाव के पूर्व कर लेना चाहते थे। क्योंकि जिस नये दल की घोषणा उन्होंने की थी, उसे आवश्यक कार्यकर्ताओं एवं विरोधी दलों के नेताओं के जेल में होने के कारण अधिक सक्रिय नहीं किया जा सका था। अपनी इस इच्छा को उन्होंने '8-9 जनवरी 1977 को श्री मधु दण्डवते से पटना में बातचीत के समय व्यक्त किया था।'[2]

नये दल के गठन में नेतृत्व के प्रश्न को लेकर गतिरोध बना हुआ था: "सभी पार्टियों को मिलकर एक हो जाने में बाधा दरअसल इस सवाल के कारण पड़ रही थी कि नेता कौन हो।"[3]

एक पार्टी बनने के मार्ग में विभिन्न पार्टियों का एक दूसरे के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण भी बाधक था। इन विरोधों के संबंध में प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं चिन्तक श्री गुरुदत्त ने अपनी पुस्तक में लिखा है —"मोरारजी देसाई को जनसंघ के साथ काम करना अटपटा प्रतीत हो रहा था... एक बार 1969 में जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो किसी ने मोरारजी को यह सुझाव दिया था कि जनसंघ से हाथ मिलाकर कांग्रेस (संगठन) को सुदृढ़ बना लिया जाये। यह कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने यह कहा था कि 'मैं जनसंघ को चिमटे से भी नहीं छुऊंगा।'

1- द जनता(पीपुल्स)स्ट्रगल, ले०धीरेन्द्र शर्मा, पेज 313

2- वही, पेज 355

3- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 160

अब इमर्जेन्सी के उपरान्त वह नहीं जानते है कि जनसंघ में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं? इस पर भी वह अधिक से अधिक जनसंघ के साथ साझा मोर्चा ही बनाने की बात पर विचार कर रहे है।"[1]

'जनसंघ' की तरह ही मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह को भी पसन्द नहीं करते है। इस संदर्भ में गुरु दत्त ने लिखा है —" चरण सिंह के विषय में देसाई जानते है कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहेगा और देसाई यह कभी सहन नहीं कर सकते है। इसी कारण वह चरण सिंह के साथ भी एक दल बनाने का विचारनहीं कर सकते है। स्वतंत्र दल और समाजवादी दल तो पहले ही चरण सिंह के दल बी0के0 डी0 के साथ मिलकर एक संयुक्त दल बी0एल0डी0 बना चुके थे। इस संयुक्त दल का नेता चरण सिंह था। इस कारण चरण सिंह स्वयं ही प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त प्रत्याशी था। मोरार जी भाई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।"[2]

जे0पी0 के निजी सचिव श्री सच्चिदानन्द के अनुसार जनता पार्टी के निर्माण में एक अन्य गतिरोध यह था कि "विभिन्न दलों के नेताओं के बीच नयी पार्टी के नाम और स्वरूप के बारे में अब भी कुछ मतभेद है। भालोद, सोशलिस्ट और जनसंघ ये तीनों दल अविलम्ब एक हो जाने के लिए उत्सुक है। परन्तु संगठन कांग्रेस के नेताओं की यह शर्त थी कि उक्त तीनों दल संगठन कांग्रेस में ही शामिल हो जायें। यह शर्त अन्य दलों को स्वीकार्य नहीं थी।''[3]

जे0पी0 'जनतापार्टी' के निर्माण में आने वाले इन गतिरोधों से चिंतित थे। अन्त में उन्होंने विरोधी दलों को चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखा —। इस पत्र

1- यह जनतापार्टी है(एक विश्लेषण) ले0 गुरुदत्त, पेज 54-55
2- वही, पेज 55
3-दिनमान, 13-19 अप्रैल, 1980 पेज 25

को सोशलिस्ट नेता एस0एम0जोशी पटना से लाये थे। जयप्रकाश ने इस पत्र में लिखा था कि 'अगर उन सबने मिलकर एक ही पार्टी न बना ली तो वह चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे। यही बात वह टेलीफोन पर पहले कह चुके थे।'[1]

विपक्षी दलों द्वारा चुनाव में जे0पी0 का समर्थन होना एक आघात के समान था। क्योंकि बिहार आन्दोलन से लेकर आपातकाल की घोषणा के पूर्व तक यह जन मानस में जे0पी0 के प्रभाव को देख चुके थे। जे0पी0 के प्रभाव का उपयोग वह चुनाव जीतने के लिए आवश्यक समझते थे अतः उन्होंने एक पार्टी बनाने का निश्चय किया। जे0पी0 के निजी सचिव श्री सच्चिदानन्द के अनुसार —" अगर ये चारों दल मिलकर एक नयी पार्टी नहीं बनाते हैं तो मैं लोकसभा के चुनाव में उनका समर्थन नहीं करूँगा। जे0पी0 की यह चेतावनी काम कर गयी और चारों दलों ने अविलम्ब एक होने का निर्णय कर लिया।"[2]

"जे0पी0 के इस दो टूक बयान और उसमें छिपे एक श्रेष्ठ नैतिक दबाव से जैसे सब कुछ बिखरा हुआ एक हो गया।"[3]

जे0पी0 को जैसे ही विरोधी दलों के एक होने की सहमति की सूचना मिली वे 22 जनवरी को दिल्ली पहुँचे। जहाँ श्री मोरार जी देसाई के निवास स्थान पर उन्होंने गैर कम्युनिस्ट प्रतिपक्षी दलों से बातचीत की। इस बातचीत में संगठन कांग्रेस जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल के नेताओं ने भाग लिया। बातचीत चुनाव के संबंध में और एक दल के निर्माण के बारे में हुयी। अगले दिन 23 जनवरी को नवगठित जनता पार्टी ने 27 सदस्यों की राष्ट्रीय समिति की घोषणा की, जिसके श्री मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे।

1-फैसला, ले0कुलदीप नैय्यर (हिन्दी अनुवाद) पेज 159
2-दिनमान, 13-19 अप्रैल, पेज 25
3-आधीरात सुबह तक -ले0 लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 172-73

नवगठित जनतापार्टी की राष्ट्रीय समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित है —' चौधरी चरण सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। दल की राष्ट्रीय समिति में 27 सदस्य है। श्री अशोक मेहता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री बीजू पटनायक, श्री चन्द्रभान गुप्त, श्री चांदराम, श्री चन्द्रशेखर श्री एच0एम0पटेल, श्री कुशा भाऊ ठाकुरे, श्रीमती मृणाल गोरे, श्री एन0जी0गोयरे हुडी श्री नाना जी देशमुख, श्री एन0जी0 गोरे, श्री पी0रामचन्द्रन, श्री समर गुहा, श्री सिकन्दर बख्त, श्री ए0श्रीधरन, श्री पी0सी0 सेन, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री श्याम नंदन मिश्र और श्री शान्तिभूषण। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री सुरेन्द्र मोहन, रामधन और सिकन्दर बख्त ये चार महासचिव है और शान्तिभूषण को कोषाध्यक्ष चुना गया।'[1]

लोकसभा चुनावों के बाद '1मई 1977 को जे0 पी0 की भावनाओं का आदर करते हुए सर्व सम्मति से श्री चन्द्रशेखर को जनतापार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।'[2] तत्कालीन परिस्थितियों में विरोधी दलों द्वारा एक होकर एक नयी पार्टी बनाना, चुनाव जीतने के लिए उनकीअपनी आवश्यकता थी, इसीलिए → उन्होंने एक होकर एक पार्टी बनायी। यह सत्य होते हुए भी एक तथ्य यह भी है कि यदि जे0पी0 ने अपने प्रभाव का प्रयोग न किया होता तो विभिन्न विरोधी विचार रखने वाले प्रतिपक्षी दल एक पार्टी 'जनता पार्टी' बनाने के स्थान पर गुजरातकी तरह चुनाव के लिए केवल एक संयुक्त मोर्चा ही बना पाते। आपातस्थिति के पूर्व गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने यही किया था।

1- दिनमान, 30जनवरी, 5फरवरी, 1977 पेज 18

2-→ दिनमान, 9-14 मई, 1977 पेज 18

'जनतापार्टी' के निर्माण में जे0पी0 के योगदान को स्वीकार करते हुए भू0पू0 राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने कहा था कि —" श्री जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के जनक हैं।"[1] सन् 1973 से जे0पी0 भारत में दो पक्षों वाले जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगातार कोशिश करते रहे। जनता पार्टी उनकी उसी कोशिश का परिणाम थी।"[2]

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट है कि 'जनतापार्टी' के गठन में जे0पी0 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। भारतीय राजनीतिक दलों के इतिहास में 'जनता पार्टी' के रूप में एक नये राजनीतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय उन्हें प्राप्त है।

(ब) जनता पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र

चुनावों के समय राजनीतिक दलों द्वारा अपना 'चुनाव घोषणा पत्र' प्रकाशित करने की परम्परा है। इन घोषणा पत्रों में दल विशेष द्वारा अपनायी गयी नीतियों एवं भविष्य के कार्यक्रमों का उल्लेख रहता है। इस घोषणा पत्र से ही दल-विशेष की भावी नीति का पता चलता है।

1977 में लोकसभा के चुनावों के समय 'जनता पार्टी' ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 'जनता पार्टी का घोषणा पत्र जे0पी0के वैचारिक दर्शन से प्रभावित था। जनता पार्टी के गठन में जे0पी0 की भूमिका को देखते हुए जनतापार्टी के भावी कार्यक्रमों एवं जे0पी0 के विचारों में एकरूपता होना स्वाभाविक था।

1- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, संपादक डा0अमरनाथ सिन्हा पेज 145

2- जयप्रकाश स्मृति (नारायण देसाई एवं कान्तिशाह(संपादक)अनुवाद) पेज 173

10फरवरी, 1977 को नयी दिल्ली में 'जनता पार्टी' के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री चरण सिंह ने अपने दल का 40 पृष्ठीय चुनाव घोषणा पत्र' जारी करते हुए पत्रकारों से कहा था —" जनता पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है, मगर यह समाजवाद सत्ता रूढ़ दल के समाजवाद से बिल्कुल भिन्न है। इसका आधार गांधीवाद है। घोषणा पत्र के दो मुख्य आधार हैं, अर्थतंत्र और प्रशासन का पूर्ण विकेन्द्रीकरण। उनके अनुसार भारत का प्रमुख उद्योग कृषि है और इसीलिए इसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। उद्योगों में भी भारी उद्योगों की अपेक्षा छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।"[1] श्री चरण सिंह जी का यह वक्तव्य जे0पी0 के 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के विचार से साम्य रखता है।

<u>राजनैतिक कार्यक्रम :—</u>

'जनता पार्टी' ने अपने 'चुनाव घोषणा पत्र' में जे0पी0 के 'प्रतिनिधियों के वापसी' के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए 'राजनैतिक रूपरेखा' के अन्तरगत कहा था —" पार्टी इस सुझाव पर विशेष ध्यान देगी कि भ्रष्ट विधायकों को वापस लौटाने का अधिकार मतदाताओं को मिले।"[2] जे0पी0 'बिहार आन्दोलन' के समय से ही यह अधिकार मतदाताओं, को दिये जाने की माँग कर रहे थे।

जे0पी0 के बिहार आन्दोलन' का मुख्य मुद्दा 'भ्रष्टाचार' की समाप्ति था। राजनैतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने का सुझाव अपने 'सम्पूर्णक्रान्ति' के चिन्तन में दिया था। जे0पी0 के इन्हीं विचारों के अनुरूप घोषणा करते हुए जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था —" जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए

---

1 दिनमान, 20-26 फ़रवरी, 1977 पेज 11

2- जनतापार्टी चुनाव घोषणापत्र, 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, राजनैतिक रूपरेखा, (8) पेज 15

तुरन्त और कड़े कदम उठायेगी।..... लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी जो बिल बहुत दिनों से बना पड़ा है उसको कानून की शक्ल दी जायेगी और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों पर भी यह कानून लागू होगा।"[1]

'राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' के सम्बन्ध में 'जनता पार्टी' ने अपने 'चुनाव घोषणा पत्र' में कहा था —" राष्ट्र जीवन के समस्त स्तरों पर जनता का व्यापक सहयोग प्राप्त किये बिना हम यह दावा नहीं कर सकते कि सरकार जनता की है और जनता ही उसे चला रही है। जनता पार्टी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता को यथेष्ट विकेन्द्रीकरण करेगी।"[2] जे०पी० शासन में जनता के सतत सहयोग एवं 'राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के पक्षधर रहे हैं। 'लोक समितियों' का गठन उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था।

'जनता पार्टी' ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 'राजनैतिक रूपरेखा' के अन्तर्गत लिखा था कि 'जनता पार्टी' लोकतंत्र की वापसी के लिए निम्न कार्य करेगी— "(1)आपात स्थिति को उठालेगी(2)राष्ट्रपति के आदेश से जिन मौलिक अधिकारों का निलम्बन हुआ है वे जनता को लौटा देगी।(3)मीसा को रद्द करेगी सारे राजनैतिक बन्दियों को मुक्त करेगी और अन्यायपूर्ण कानूनों का पुनरावलोकन करेगी(4)ऐसे कानून बनायेगी कि स्वतंत्र न्यायिक जाँच के बिना किसी भी राजनैतिक अथवा सामाजिक संस्था पर प्रतिबन्ध न लगाया जा सके(5) 42 वें संशोधन को रद्द करेगी।"[3]

[illegible]

उपर्युक्त सम्बन्धों के प्रति जे०पी० पहले ही अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। नागरिक अधिकारों को निलम्बित करने वाली इन व्यवस्थाओं को वे शीघ्र से

1- जनतापार्टी चुनाव घोषणा पत्र, 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 35
2- वही, पेज 13-14
3- वही, पेज 14

गति समाप्त करना चाहते थे।

'संचार साधनों एवं प्रेस की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में 'जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र' में कहा था —" सेंसरशिप को समाप्त करके समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, प्रकाशकों और छापाखानों के साथ की जाने वाली जोर जबरदस्ती बन्द करेगी। आपत्ति जनक सामग्री प्रकाशन निरोध सम्बन्धी कानून को रद्द कर देगी ···· आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा फिल्म डिवीजन को स्वायत्त प्रतिष्ठान बना देगी ताकि वे राजनीति में निष्पक्ष रह सकें और सरकार की दखलन्दाजी से दूर रह सकें। समाचार एजेन्सियों को सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त करेगी और किसी एजेन्सी का एकाधिकार नहीं बनने देगी।"[1]

इस सम्बन्ध में 23 जनवरी 1977 को नई दिल्ली में बोलते हुए जे0 पी0 ने कहा था —' मैं यह माँग करता हूँ कि जनता के पैसों पर चलने वाले संचार साधनों को सत्ताफुट अथवा सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाय।'[2]

<u>आर्थिक कार्यक्रम :—</u>

'एक नईअर्थ व्यवस्था की रूपरेखा' शीर्षक के अन्तर्गत 'जनतापार्टी' ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जिस आर्थिक नीति की घोषणा की थी, उसमें भी जे0पी0 के वैचारिक प्रभाव को स्पष्ट ~~रूपसे~~ रूप से देखा जा सकता है। कृषि, क्षेत्र को प्रधानता देने की घोषणा करते हुए चुनाव घोषणा पत्र' में कहा गया था कि —' आर्थिक क्षेत्र में जनता पार्टी कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण को प्रधान मानकर उन्हें विकास और योजना का आधार बनायेगी। कृषि में आमदनी बहुत कम है और गाँवों में निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए गाँव में पूँजी बनती नहीं। जनतापार्टी गाँव

1- जनतापार्टी, चुनाव घोषणापत्र, 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 15-16

2- छात्रआन्दोलन से जनता सरकार तक, डॉ0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 134-35

और शहर के बीच इस बढ़ते हुए असन्तुलन को ही नहीं रोकेगी बल्कि ग्राम सुधार के एक व्यापक आंदोलन का सूत्रपात भी करेगी और ग्राम विकास के केन्द्र खोलेगी।"[1]

जे0पी0 का आरम्भ से विचार रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है। अधिकांशतः लोगों का व्यवसाय कृषि है अतः कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जे0पी0 'सर्वोदय' में स्वयं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से संबंधित रहे हैं।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लघु तथा कुटीर उद्योग के संबंध में कहा था —' लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र का कानून द्वारा निर्धारण किया जायेगा।'[2] 'लघु तथा कुटीर उद्योगों का सुरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा से इनके विकास की सम्भावनायें बढ़ी थीं। इस सम्बन्ध में आपातकाल के समय जे0पी0 ने अपनी 'जेल डायरी' में लिखा था —" औद्योगिक विकास के लिए मध्यवर्ती उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग विकास का तरीका ही अपनाना चाहिए। इसके लिए ग्राम तथा लघु उद्योग की तकनीक को प्रोत्साहित करना होगा।"[3]

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 'कृषि सम्बन्धी सुधार' उपशीर्षक के अन्तर्गत लिखा था कि —" जनता पार्टी कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए कृत संकल्प है। ...... सीलिंग सम्बन्धी कानूनों पर अमल करने में जो ढील और बेईमानी बरती गयी है उसे जनता पार्टी जानती है।...... जनता पार्टी भूमि सुधार कानूनों पर ईमानदारी से अमल करेगी।....... बचत की जाने वाली और खेती लायक बनाई जाने

1- जनता पार्टी, चुनाव घोषणा पत्र, 1977 जनता पार्टी प्रकाशन पेज 19-20

2- वही, पेज 27

3- मेरी जेल डायरी, ले0 जयप्रकाश नारायण, पेज 97

वाली ~~अतिरिक्त~~ धरती का वितरण भूमिहीन किसानों, विशेषतः हरिजनों और आदिवासियों में किया जायेगा।"[1]

'सीलिंग' के सम्बन्ध में जे०पी० ने अपनी पुस्तक में लिखा था —

" मैं गर्व नहीं करता लेकिन आपको बता दूँ कि सीलिंग कानून बनने के पहले ही मैंने अपनी जमीन भूमिहीन परिवारों के बीच बाँट दी थी।"[2]

इस प्रकार सीलिंग कानून' के अन्तर्गत मिलने वाली जमीन का भूमिहीनों में वितरण का 'जनता पार्टी' का कार्यक्रम भी जे०पी० की वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित था।

<u>सामाजिक कार्यक्रम :—</u>

'जनतापार्टी' ने छुआछूत समाप्त करने एवं हरिजनों के उत्थान के सम्बन्ध में अपने घोषणापत्र में कहा था —" हमारे लिये यह बड़ी लज्जा की बात है कि आजादी के तीन दशक बाद भी हमारे पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दशा अत्यन्त हीन है। उनके साथ अब भी अनेक प्रकार का भेदभाव बरता जाता है और वे घोर अत्याचार के शिकार होते हैं। छुआछूत के कलंक को कानून शिक्षा तथा सामाजिक कार्यवाही की सहायता से मिटाना चाहिए। संविधान में दिये गये संरक्षणों का पालन करने के लिए एक विशेष मशीनरी बनायी जायेगी।"[3]

जे०पी० ~~भी~~ जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के चिंतन में जातिवाद एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कहा था। जे०पी० के कथनानुसार "अपने देश की परिस्थिति में शायद जाति

1- जनतापार्टी ,चुनावघोषणापत्र, 1977 पेज 20-21

2- सम्पूर्ण क्रान्ति, जे०जयप्रकाशनारायण, पेज 35-36

3-जनतापार्टी चुनावघोषणापत्र, 1977 पेज 33-34

बाद मिटाना कुछ मायने में वर्ग को मिटाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है।"[1]
इस प्रकार 'जनता पार्टी' द्वारा घोषित सामाजिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी
जे0पी0 का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

शैक्षिक कार्यक्रम :—

'जनतापार्टी' ने 'चुनाव घोषणापत्र' में 'शैक्षिक नीति' की घोषणा करते हुए कहा था —" पार्टी का यह प्रोग्राम है कि अगले 12 वर्ष के भीतर या इससे भी कम समय में मिडिल तक की शिक्षा सबको मिल जाय। शिक्षा की वर्तमान पद्धति में सुधार जरूरी है। अनौपचारिक शिक्षा शुरू होनी चाहिए---- शिक्षा का अर्थ कार्यात्मक होना चाहिए जिसका सीधा सम्बन्ध जनता के जीवन और वातावरण से हो सके और जो समाज की जरूरतों से जुड़ सके----- शिक्षा के साथ जीविका उपार्जन की सुविधायें भी होनी चाहिए---- अशिक्षित वयस्कों को अनौपचारिक, वैकल्पिक 'पार्ट टाइम' तथा कार्येतर शिक्षा मिलेगी यदि से दस वर्ष के भीतर निरक्षरता को समाप्त कर दिया जायेगा।"[2]

जे0पी0 के नेतृत्व में चलने वाले 'बिहार आंदोलन' में शिक्षा में आमूल परिवर्तन की मांग की गयी थी। जे0पी0 के अनुसार 'शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार गठित किया जाय कि उसका सीधा सम्बन्ध देश की समस्याओं से जुड़ सके। यह व्यवस्था भी हो कि न्यूनतम शिक्षा सबको मिल सके और अज्ञान तथा निरक्षरता का समूल नाश किया जा सके---- शिक्षा क्रान्ति का पहला चरण यही हो सकता है कि

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, जे0जयप्रकाश नारायण, पेज 25

2- जनतापार्टी, चुनाव घोषणापत्र, 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 28-29

शिक्षा श्रममूलक हो और न्यूनतम शिक्षा सबको प्राप्त हो।'[1]

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'जनता पार्टी' के चुनाव घोषणापत्र' में घोषित शिक्षा नीति जे0पी0 के ही विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि सन् 1977 में सत्ता कांग्रेस को सत्ता से हटाकर भारत में सत्तारूढ़ होने वाली जनता पार्टी का सभी कार्यक्रम जे0 पी0 की वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित था। तत्कालीन परिस्थितियों में सत्तारूढ़ होने वाले इस राजनैतिक दल के भावी कार्यक्रमों के निर्धारण में जे0पी0 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

(स) 1977 का लोकसभा चुनाव

जे0पी0 अपने बन्दी जीवन के समय आगामी लोकसभा के चुनावों के सम्बन्ध में निरन्तर चिंतन करते रहे थे। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा था — "श्रीमती गांधी उस समय चुनाव करायेंगी जब उन्हें यह विश्वास हो जायेगा कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं जिससे उनका विजयी होना सुनिश्चित है।"[2]

एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद श्रीमती गांधी ने 18 जनवरी, 1977 को देश के नाम संदेश प्रसारित कर लोकसभा चुनाव कराये जाने की घोषणा कर दी। इसके पूर्व 1976 से ही विरोधी दलों के नेताओं को जेल से छोड़ा जाने लगा था। संगठन कांग्रेस के नेता श्री अशोक मेहता, नजरबन्दी से मुक्त होने वाले पहले प्रमुख नेता थे। उन्हें 15 मई 1976 को मुक्त किया गया। चौधरी चरण सिंह, एस0एन0 मिश्र, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बलराज मधोक को भी जेल से मुक्त कर दिया गया। ये सभी

1- सम्पूर्ण क्रान्ति, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 34

2- मेरी जेल डायरी, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 48

विरोधी नेता जे०पी० के सहयोग से आपसी एकता के लिए प्रयत्नशील थे। श्री चन्द्रशेखर व मोहन धारिया 12 जनवरी, 1977 को छूटे। 18 जनवरी को मोरार जी देसाई व जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी भी रिहा कर दिये गये।

19 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी गयी। 20 जनवरी को केन्द्र सरकार ने घोषणा की कि अभिव्यक्ति के माध्यमों से सेंसर हटाया जा रहा है परन्तु 'आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन अधिनियम' लागू रहना था।

इस प्रकार इस लोकसभा चुनाव में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गयी। विरोधी दलों ने इस चुनाव घोषणा का स्वागत किया परन्तु इस बात के लिए दुख प्रकट किया कि उनके अनेकों कार्यकर्ता और नेताओं को अब भी जेलों से मुक्त नहीं किया गया। जे०पी० ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि —' सरकार सोचती है कि उसे बहुमत मिलेगा क्योंकि विरोधी दलों को चुनाव की तैयारी के लिए कोई समय नहीं दिया गया है। सत्तारूढ़ दल ने आपात स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त न करने और हजारों बंदियों को न छोड़ने से अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। इसलिए यदि कांग्रेस जीत जाती है तो आगे क्या होगा यह बात भी लोगों के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए।'[1]

23 जनवरी 1977 को जे०पी० के अथक प्रयत्न से 'जनता पार्टी' का गठन हुआ। नवगठित 'जनता पार्टी' ने घोषणा की कि बिहार में जयप्रकाश नारायण स्वयं चुनाव अभियान आरम्भ करेंगे।

जे०पी० ने चुनाव में 'जनता पार्टी' का समर्थन करने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से भी सहयोग करने की अपील की। जे०पी० ने कहा —जिन्हें

1- दिनमान, 30 जनवरी से 5 फरवरी, 1977 पेज 18

लोक तंत्र प्रिय है वे निःसंकोच नवगठित जनतापार्टी को वोट दें और धड़ाधड़ वोट दें।'[1] 'जे0पी0 के हस्ताक्षर से चन्दा कूपन चालू किये गये।'[2]

'जनतापार्टी' को आर्थिक सहयोग की जे0पी0 की अपील तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण थी। चुनाव की दृष्टि से जनता पार्टी के सामने अर्थ व अन्य साधनों की समस्या थी। उसके बहुत से कार्यकर्ता अब भी जेलों में बन्द थे।समयाभाव के कारण 'जनतापार्टी' को चुनाव के लिए धन संग्रह करने का अवसर नहीं मिल पाया था। 'इमर्जेन्सी' के भय से भी जनता खुले रूप में 'जनता पार्टी' को सहयोग करने से डर रही थी।' इसके विपरीत सत्ता कांग्रेस को सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त थीं।'[3]

जे0पी0 की अपील का जनमानस पर प्रभाव पड़ा 'दिल्ली की जनसभा में नागरिकों ने स्वयं सेवकों को बुलाबुलाकर चंदा दिया। एक लाख 20 हजार रूपये जमा हो गया जिसमें एक एक और दो-दो के नोट ही अधिक संख्या में थे।'[4]

श्री जगजीवन राम का त्यागपत्र :—

2 फरवरी 1977 को श्री जगजीवन राम ने सत्ता कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नन्दनी सतपथी(उड़ीसा की भूतपूर्व मुख्यमंत्री) श्री के0आर0गणेश(भू0पू0मंत्री)व अन्य व्यक्तियों ने भी सत्ता कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने 'कांग्रेस फार डेमोक्रेसी' नाम के एक नये राजनीतिक दल का गठन किया। त्यागपत्र का कारण बतलाते हुए श्री जगजीवन राम ने कहा कि सत्ता-

---

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 354

2- लोकनायक जयप्रकाश, सत्येन्द्र के0गुप्त(संपादक) पेज 36।

3- शाह जाँच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट द्वितीय, अध्याय 8 (भारत सरकार प्रकाशन)

4- दिनमान, 13-19 फरवरी, 1977 पेज 17

रूढ़ दल द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ, श्रीमती गाँधी व उनके बेटे श्री संजय गाँधी द्वारा किया जाने वाला अनावश्यक हस्तक्षेप उनके लिए असह्य हो गया था। उन्होंने तानाशाही को समाप्त करने के लिए संगठित होने की अपील की। सत्ता कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा आघात था क्योंकि हरिजन वोट प्राप्त करने के लिए श्री जग-जीवन राम को महत्वपूर्ण समझा जाता था। लंदन के 'सण्डे टाइम्स' ने श्री संजय गाँधी के सम्बन्ध में लिखा था —' संजय ... अपनी माँ के बहुत से वोट खो देगा।'[1] विपक्ष ने जगजीवन राम के त्यागपत्र का स्वागत किया 'जे0पी0 ने पटना से ही टेलीफोन पर जगजीवन राम बाबू को साधुवाद दिया और उनसे बातें की।'[2]

श्रीमती गाँधी ने जगजीवन राम के इस त्यागपत्र को अनैतिकता की संज्ञा दी। 3 फरवरी, 1977 को पटना के गाँधी मैदान में एक सभा में बोलते हुए जे0पी0 ने कहा —" इन्दिरा जी ने इस मौके पर यह प्रश्न भी उठाया है कि कहाँ तक जगजीवन राम जी का आचरण नैतिक है? नैतिकता का प्रश्न उठाने का अधिकार और किसी को हो लेकिन इन्दिरा जी को तो हर्गिज नहीं है। क्यों नहीं है? 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, इन्दिरा जी ने स्वयं अपनी कलम से मनोनीत किया संजीव रेड्डी साहब को राष्ट्रपति पद के लिए और स्वयं हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने काम किया श्री वी0वी0गिरि के लिए यह कौन सी नैतिकता थी, यह कौन सी ईमानदारी थी? इससे बड़ा कोई विश्वासघात-विश्वासघात की बात वे कर रही हैं - लेकिन इससे बड़ा किसी विश्वास घात का मुकाबला कोई हमारे दिमाग में तो नहीं है कि इतिहास में हुआ हो ... हमारे प्रधानमंत्री को और कुछ कहने का अधिकार भले ही

1- सण्डे टाइम्स (लंदन) 6 मार्च 1977 में इयान जैक का लेख, संजय अनटोल्ड स्टोरी, से

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 357

सारणी

राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस	जनता पार्टी	भाकपा	माकपा	अन्य	कुल प्रत्याशी
आंध्रप्रदेश	42	42	37	7	10	70	165
बिहार	54	54	52	2	22	210	340
असम	14	14	11	1	2	12	40
गुजरात	26	26	26	—	—	60	112
हरयाणा	10	9	10	1	2	28	50
हिमाचलप्रदेश	4	4	4	1	1	4	14
जम्मूकाश्मीर	6	3	3	—	—	23	29
कर्नाटक	28	28	28	—	3	39	98
केरल	20	11	3	9	4	36	63
मध्यप्रदेश	40	38	39	—	3	72	152
महाराष्ट्र	48	48	30	3	4	126	211
मणिपुर	2	2	2	—	2	5	11
मेघालय	2	2	—	—	—	5	7
नागालैंड	1	1	—	—	1	—	2
ओडिशा	21	20	20	1	5	15	61
पंजाब	13	13	3	1	3	59	79
राजस्थान	25	25	25	2	3	47	102
सिक्किम	1	1	—	—	—	—	1
तमिलनाडु	39	15	18	2	3	157	195
त्रिपुरा	2	2	—	2	1	3	8
उत्तरप्रदेश	85	85	85	2	13	258	443

राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस	जनता पार्टी	माकपा	भाकपा	अन्य	कुल प्रत्याशी
पश्चिम बंगाल	42	34	15	20	8	94	171
अंडमान-निकोबार	1	1	—	—	—	1	3
अरुणाचल	2	2	—	—	—	2	4
चण्डीगढ़	1	1	1	—	1	7	10
दादरानगर हवेली	1	1	1	—	—	1	3
दिल्ली	7	7	7	—	1	26	41
गोवा, दमन, दीव	2	2	2	—	—	11	+ 15
लक्षद्वीप	1	1	—	—	—	1	2
मिजोरम	1	1	—	—	—	3	4
पांडिचेरी	1	—	1	—	—	3	4
योग	542	493	423	53	92	1278	2430

टिप्पणी :— सिक्किम में और एक स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

दिनमान, 20-26 मार्च 1977 पेज 19

हो, लेकिन क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, यह कहने का अधिकार उनको नहीं है।'[1]

चुनाव रणनीति :—

'अकाली दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, डी०एम०के०ने 'जनतापार्टी' के साथ चुनाव समझौता कर लिया। इन दलों ने अपने-अपने झण्डे और चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने का निश्चय किया।कांग्रेस युवा तुर्क जनता पार्टी में शामिल हो गये।'[2] 'सी०एफ०डी०(कांग्रेस फार डेमोक्रेसी) भी जनता पार्टी के साथ थी।जयप्रकाश जी ने उन दोनों को एक ही झण्डे के नीचे और एक ही निशान पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया था।'[3] यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे जे०पी० ने सी०एफ०डी० के आगे चलकर जनता पार्टी' में सम्मिलित होने का मार्ग सरल बना दिया था। इन चुनाव समझौतों का एक परिणाम यह हुआ कि इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या में कमी हुयी। भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह शुभ लक्षण था। दिनमान' के अनुसार '1971 में जहाँ 520 स्थानों के लिए 2674 प्रत्याशी थे वहाँ इस बार 542 स्थानों पर 2430 प्रत्याशी ही मैदान में थे जिनमें दलीय प्रत्याशियों की संख्या 1150 ही थी शेष निर्दलीय थे।'[4]

नोट :— विभिन्न राज्यों में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों की संख्या सारणी में दी है। सारणी साथ में संलग्न है।

चुनाव प्रचार :—

6 फरवरी 1977 को जनतापार्टी की विशाल सभा दिल्ली में हुयी। 'जनता पार्टी' की इस सभा को श्री जयप्रकाश नारायण, श्री जगजीवन राम श्री बहुगुणा व श्री प्रकाश सिंह बादल व अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। जे०पी० के नहीं

1- यह चुनाव जनता के भाग्य का फैसला, ले०जयप्रकाशनारायण, पेज 15
2- सम्पूर्णक्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले०अवधबिहारीलाल, पेज 353
3- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 167
4- दिनमान, 20-26 मार्च 1977 पेज 19

नष्ट हो गये थे। उन्हें तीसरे दिन डायलिसिस (कृत्रिम गुर्दा मशीन) से अपना रक्त साफ करवाना पड़ता था। यह एक कष्टदायक प्रक्रिया थी। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह गया था। जीवन के अस्तित्व को भी खतरा था परन्तु इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हुए दिल्ली की सभा में भाग लेने आये। इस संबंध में 'दिनमान' ने लिखा था "जयप्रकाश नारायण जिनकी आवाज से ही यह बात सच मालूम होती थी कि वह अपनी सेहत का नुकसान करके दिल्ली आये हैं। कहा कि —" ऐसे मौकों पर लोग जान की बाजी लगा देते हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया।'[1] जे0पी0 ने इस ऐतिहासिक चुनाव सभा में बोलते हुए कहा —' अगला चुनाव आजादी और गुलामी के बीच चुनने का अवसर होगा देश के लिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अगर आप यह अवसर चूक गये तो ऐसी जनसभा शायद फिर कभी न कर सकें — पिछले 19 महीनों में भय जनमानस में व्याप्त हो गया है यदि आप इस भय को नहीं छोड़ते और सजग होकर इस स्थिति को समाप्त करने के लिए जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करते तो और भी बुरे दिन देखने को तैयार रहें।"[2] अपने एक अन्य वक्तव्य में जे0पी0 ने कहा —' ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं हैं, असाधारण हैं, इसमें देश के भाग्य का निर्णय होगा, देश यह तय करेगा वह लोकतंत्र चाहता है या तानाशाही। सोचिये कितना बड़ा निर्णय होगा।'[3]

डा0 अमरनाथ सिन्हा के कथनानुसार —' जयप्रकाश जी की यह घोषणा कि 'हमें लोकशाही और तानाशाही के बीच चुनाव करना है, इस चुनाव में हमें यह निर्णय करना है कि भावी भारत गुलामों का देश बनेगा या मानव अधिकार सम्पन्न

1- दिनमान, 13-19 फरवरी, 1977 पेज 16

2- वही, पेज 16

3- यह चुनावः जनता के भाग्य का फैसला, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 2

स्वतंत्र नागरिकों का देश' लोकसभा के चुनावों का बुनियादी मुद्दा बना।'[1]

28 फरवरी 1977 को पटना की चुनाव सभा में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने कहा -' आज जो लोग हम पर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं। वे एकदम झूठी और बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, यदि यह बात सच होती तो आज चुनाव नहीं होते।'[2] श्रीमती गांधी के इस तर्क के प्रत्युत्तर में जे0पी0 ने कहा --- "चुनाव तो होते हैं तानाशाही में हिटलर ने भी चुनाव करवाया, स्पेन में भी चुनाव हुआ, रूस में भी हुआ। इस चुनाव में अगर इन्दिरा जी विजयी हुयीं तो एक पार्टी रहेगी, कांग्रेस पार्टी और सब पार्टियाँ खत्म हो जायेंगी।'[3]

प्रतिपक्ष श्रीमती गांधी को तानाशाह सिद्ध करने में लगा हुआ था। 'परिवार नियोजन' एवं आपातकाल के दमन की चर्चा भी चुनाव सभाओं में होती थी। 'सत्ता कांग्रेस' 'जनतापार्टी' को अराजकता फैलाने वाली पार्टी कह रही थी।" सिर्फ दो ही नारों की गूंज सुनाई देती थी - विपक्ष कहता था कि हमें दो रास्तों में एक को चुनना है 'डिक्टेटरशिप या जनतंत्र' कांग्रेस का भी नारा यही था' जनतंत्र या अराजकता।"[4]

श्रीमती गांधी जब किसी चुनाव सभा में जयप्रकाश नारायण की आलोचना करती तो वह भीड़ के लिए असह्य बन जाती।'[5] यह जनमानस पर जे0पी0 के प्रभाव का प्रतीक था। जनता पार्टी के कुछ समर्थक सत्ता कांग्रेस की सभाओं में जाकर नारेबाजी करते थे उनकी सभाओं में व्यवधान डालते थे। जे0पी0 ने ऐसी घटनाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा "जनतापार्टी के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं को मेरा निर्देश है कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की सभाओं में जाकर जो अपनी

1- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, संपादक-डा0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 158
2- दिनमान 6-12मार्च, 1977 पेज 15
3- यह चुनाव जनता के भाग्य का फैसला, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 19
4- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 169
5- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 358

भावनाओं के आवेग को रोक न सकते हों, वे कृपा कर उनकी सभाओं तथा दूसरे कार्य-क्रमों में जाएं ही नहीं। हिंसा या हुल्लड़ बाजी की छोटी से छोटी वारदात हमारा पक्ष कमजोर करेगी। लोकतंत्र का पक्ष कमजोर करेगी। सबको अपनी बात कहने, अपना कार्यक्रम समझाने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। हमें इसके प्रति सचेत रहना है और छोटी से छोटी सभाओं पर भी विरोध पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देना है।"[1]

जे0पी0 का यह वक्तव्य उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था का द्योतक था। वह लोकतांत्रिक आदर्शों को भारतीय राजनीति में प्रतिस्थापित कराना चाहते थे।

'जे0पी0 की सभाओं में अभूतपूर्व भीड़ इकट्ठा होती थी। उन्होंने पटना, गया, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, कलकत्ता आदि प्रमुख नगरों में विशाल सभाओं को सम्बोधित किया।'[2]

चुनाव के ही समय जे0पी0 '25 फरवरी 1977 को अस्वस्थ होगये।'[3] डा0 लक्ष्मीनारायण लाल के कथनानुसार 'कलकत्ता दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का चुनाव दौरा अपने उस घायल शरीर से करते हुए और उतनी अस्वस्थता में इतनी विशाल सभाओं में बोलते हुए जे0पी0 अन्ततः बम्बई पहुंचकर पूर्णतः अस्वस्थ हो गये। बम्बई के जसलोक अस्पताल में उनका आपरेशन हुआ। जसलोक में पड़े जे0पी0 ने 3मार्च को बिहार के मतदाताओं के बहाने सम्पूर्ण देश के भाईबहनों से अपील की।'[4] इस अपील में जनतापार्टी को चुनाव में विजयी बनाने के लिए कहा गया था।

1- आधीरात से सुबह तक, डा0लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 175

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 359

3- दिनमान 6-12मार्च, 1977 पेज 18

4- आधीरात से सुबह तक, ले0 डा0लक्ष्मीनारायणलाल, पेज 175

कहाँ, किसके, कितने जीते

1977 के लोकसभा चुनाव परिणाम

राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस	ज0पा0/लो0पा0	माकपा	भाकपा	अन्य
आंध्रप्रदेश	42	41(42)	1(37)	—(7)	—(10)	—(70)
असम	14	10(14)	3(11)	—(1)	—(2)	1(12)
बिहार	54	—(54)	54(54)	—(2)	—(22)	—(210)
गुजरात	26	10(26)	15(26)	—	—	1(60)
हरयाणा	10	—(9)	10(10)	—(1)	—(2)	—(28)
हिमाचलप्रदेश	4	—(4)	3(4)	—(1)	—(1)	—(4)
जम्मूकाश्मीर	6	2(3)	—(3)	—	—	3(23)
कर्नाटक	28	26(28)	2(28)	—	—(3)	—(39)
केरल	20	11(11)	—(3)	—(9)	4(4)	5(36)
मध्यप्रदेश	40	1(38)	37(39)	—	—(3)	2(72)
महाराष्ट्र	48	20(48)	19(30)	3(3)	—(4)	6(126)
मणिपुर	2	2(2)	—(2)	—	—	1(5)
मेघालय	2	1(2)	—	—	—	1(5)
नागालैंड	1	—(1)	—	—	—	1(1)
उड़ीसा	21	4(20)	15(20)	1(1)	—(5)	1(15)
पंजाब	13	—(13)	3(3)	1(1)	—(3)	8(59)
राजस्थान	25	1(25)	24(25)	—(2)	—(3)	—(47)
सिक्किम	1	1(1)	—	—	—	—
तमिलनाडु	39	14(15)	3(18)	—(2)	3(3)	19(157)

राज्य का नाम	कुल स्थान	कांग्रेस	ज0पा0/लो0द0	माकपा	भाकपा	अन्य
उत्तर प्रदेश	85	—(85)	85(85)	—(2)	—(13)	—(258)
पश्चिम बंगाल	42	3(34)	15(15)	17(20)	—(8)	7(94)
अंडमान निकोबार	1	1(1)	—	—	—	—(1)
अरुणाचल प्रदेश	2	1(2)	—	—	—	1(2)
चण्डीगढ़	1	—(1)	1(1)	—	—(1)	—(7)
दादरा नगर हवेली	1	1(1)	—(1)	—	—	—(1)
दिल्ली	7	—(7)	7(7)	—	—(1)	—(26)
गोवा, दमन, दीव	2	1(2)	—(2)	—	—	1(11)
लक्षद्वीप	1	1(1)	—	—	—	—(1)
मिजोरम	1	—(1)	—	—	—	1(3)
पांडिचेरी	1	—	—(1)	—	—	1(3)
योग	542	153(493)	299(423)	22(53)	7(91)	58(1279)

टिप्पणी :— जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक एक स्थान के लिए चुनाव होना बाकी है। कोष्ठक में प्रत्याशियों की संख्या दी गयी है।

दिनमान, 27 मार्च, 2 अप्रैल, 1977 पेज 32

इस चुनाव में जे0पी0 ने अपने जीवन के अस्तित्व को खतरे में डालकर 'जनतापार्टी' के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अस्वस्थ हो जाने के कारण जे0पी0का चुनाव सभाओं में पहुँचना सम्भव नहीं रह गया। उस समय जे0पी0 ने 'टेप'द्वारा अपनी बात जनता तक पहुँचायी। अनेक चुनाव सभाओं में जे0पी0 के 'टेपांकित'भाषणों को सुनवाया जाता था।

'बम्बई के अस्पताल में अपने 'टेपांकित भाषण' में अपनी असमर्थता के सम्बन्ध में जे0पी0 ने कहा —" खुद आपके पास न आकर टेप द्वारा अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए मैं क्यों मजबूर हुआ हूँ?इसे आप जानते हैं।सोलह महीने हुए नवम्बर 75 में मैं मौत के मुँह से निकला था। तबसे मशीन के भरोसे जी रहा हूँ। हर तीसरे दिन डायलासिस के कारण मशीन से बँधा रहना पड़ता है कितनी भी कोशिश करूँ, कितना भी चाहूँ,, डायलिसिस से खाली दिनों में कुछ ही गिनी जगहों में ही जा सकता हूँ। आशा है आप मेरी बेबसी को समझेंगे और मुझे माफ करेंगे।— एक काम करना है इस बार कांग्रेस का दिल्ली पर कब्जा मत होने दीजिए---- कांग्रेस के विकल्प के रूप में विरोधी पक्ष'जनतापार्टी' के नाम से सामने आया है। यह पार्टी वह हथियार है जिससे सत्ता पर कांग्रेस का तीस वर्ष पुराना एकाधिकार तोड़ा जा सकता है।"[1]

जे0पी0 की अपील का आशाजनक परिणाम सामने आया। लोकसभा के चुनावों में 'जनतापार्टी' की भारी विजय हुयी। भारत की जनता ने अपना निर्णय जे0पी0 के पक्ष में किया।' विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोकसभा चुनावों में जीते हुए प्रत्याशियों की संख्या सारणी में दी गयी है।'[2]

1- दिनमान, ● यह चुनाव जनता के भाग्य का फैसला, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 1-3

2- दिनमान, 27 मार्च, से 2 अप्रैल, 1977 पेज 32

सारणी

"अलग अलग कुछ राज्यों में कांग्रेस को 1971 और 1977 में मिलने प्रतिशत वोट मिले उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	प्रतिशत 1977	प्रतिशत 1971
पश्चिमबंगाल	29·39	28·23
उत्तरप्रदेश	25·04	48·56
तमिलनाडु	22·28	12·51
राजस्थान	30·56	45·96
पंजाब	35·87	45·96
उड़ीसा	38·18	38·46
मणिपुर	45·71	30·02
महाराष्ट्र	46·93	63·18
मध्यप्रदेश	32·5	45·6
केरल	29·12	19·75
कर्नाटक	56·74	70·87
हिमाचल प्रदेश	38·3	75·79
हरियाणा	17·95	52·56
गुजरात	46·92	44·85
बिहार	22·90	40·06
असम	50·56	56·98
आन्ध्रप्रदेश	57·36	55·73

नोट :— इस सारणी से स्पष्ट है कि कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस को मिलने वाले मतों में कमी आयी थी।

फैसला, पेज 176

'सत्ता कांग्रेस को पहले की अपेक्षा कम मत मिले।'[1]

इस चुनाव में विजयी प्रत्याशियों ने अब तक के सबसे अधिक मत प्राप्त करने के उस कीर्तिमान को तोड़ दिया।" 1952 में सबसे अधिक मत से जीतने का कीर्तिमान था। 4133। इसको 1957 में सूरत में मोरार जी देसाई ने 151450 मतों से विजयी होकर पहला कीर्तिमान तोड़ दिया। 1962 में महारानी गायत्रीदेवी 157692 मतों से जीतीं जो जिसे विश्व कीर्तिमान की पुस्तिका 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्डस) ने सबसे बड़ी व्यक्तिगत विजय के रूप में दर्ज किया था। 1971 में बीकानेर से महाराज करणी सिंह 193816 मतों से विजयी होकर उस कीर्तिमान को तोड़ दिया। 1977 में ये सब आंकड़े बचकाने सिद्ध हुए सबसे अधिक मतों से जीतने वाले हाजीपुर (वैशाली) से जनतापार्टी के उम्मीदवार श्री रामविलास पासवान जिन्होंने कांग्रेस के बालेश्वर राम को 424545 मतों से हराया। तीन लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले थे — मुजफ्फर पुर से जार्ज फर्नांडिज, छपरा से लालू प्रसाद यादव मधुबनी से मधुनी राय, समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर पटना से महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सब जनतापार्टी या लोकतांत्रिक कांग्रेस के उम्मीदवार थे।"[2] कीर्तिमान (रिकार्ड) तोड़ने वाले सभी उपर्युक्त व्यक्ति जे०पी० के 'बिहार आंदोलन' से संबंधित रहे हैं। इनको सर्वाधिक मतों से जिताकर जनता ने जे०पी० और उनके बिहार आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री राजनारायण से ~~9902~~ 55202 वोटों से हार गयीं स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का चुनाव हार जाना पहली घटना थी।

1- फैसला, ले०कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 176 (देखें सारणी)

2- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले०अवधबिहारीलाल, पेज 364

इस चुनाव में जे0पी0 के प्रभाव को स्वीकारोक्ति करते हुए 'धर्मयुग' ने लिखा था "सचमुच जयप्रकाश जी के प्रभाव ने उत्तर भारत में चमत्कार किया और तो और जातिवाद का गढ़ समझे जाने वाले बिहार में 'जे0पी0' की प्रचण्ड आंधी के आगे जातियों के बाड़े टूट गये। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तो मुजफ्फर पुर चुनाव क्षेत्र से सामने आया जहाँ के मतदाताओं ने तिहाड़ जेल में बन्दी जार्ज फर्नान्डीज को 3 लाख 27 हजार से भी अधिक मतों से जिताया।"[1]

विधिवेत्ता एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता श्री एम0सी0छागला ने कहा था –' एक बड़ी मात्रा में उस विजय का श्रेय जयप्रकाश जी को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने चार विपक्षी दलों का विलयन करवाया।'[2]

डा0 रमेशचन्द्र सिन्हा के कथनानुसार –'' भारत की राजनीति में जे0 पी0 का अमूल्य योगदान है,....... विदेशी राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों को आश्चर्य हुआ कि बिना खून खराबे या हिंसा के इतने विशाल देश में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? यह सचमुच में जयप्रकाश के सफल नेतृत्व का ही फल है जो इतना बड़ा परिवर्तन शांति पूर्ण ढंग से हुआ।"[3]

22 मार्च 1977 को श्रीमती गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 23 मार्च 1977 को जे0पी0 दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। 24 मार्च 1977 को 'जे0पी0 ने 'जनता पार्टी' एवं 'जनतांत्रिक कांग्रेस' (सी0एफ0डी) के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ दिलायी। वहाँ पर इन सांसदों ने गांधीवादी मूल्यों के अनुसार कार्य करने की शपथ ली।

1- धर्मयुग, 3-9 अप्रैल, 1977 पेज 9

2- जयप्रकाश जी ने कहा ही था, ले0 बलन्त नारगोलकर पेज 1

3- छात्र आन्दोलन से जनता सरकार तक, संपादक– डा0 अमरनाथ सिन्हा, पेज 169

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि 1977 के लोकसभा चुनावों में जे० पी० ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। चुनावी रणनीति के प्रथम चरण में उन्होंने राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों का विलय करवाकर एक नये राजनीतिक दल 'जनतापार्टी' का गठन करवाया। इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक नया राजनीतिक दल अस्तित्व में आया। इससे प्रतिपक्ष को मिलने वाले मतों का विभाजन रोका जा सका। इसका लाभ प्रतिपक्ष को मिला और 'जनतापार्टी की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ।

गंभीर रूप से अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर 'जनतापार्टी' एवं उसके समर्थक राजनीतिक दलों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया।

जे०पी० द्वारा अपनायी गयी राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का एक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की संख्या में कमी हुयी। भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह एक अच्छा लक्षण था।

1977 के लोकसभा चुनावों की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने के सभी उच्च कीर्तिमान (रिकार्ड) टूट गये। सर्वाधिक मत प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले अधिकांश व्यक्ति जे०पी० के बिहार आंदोलन से सम्बन्धित थे।

इस चुनाव द्वारा 30 वर्ष से केन्द्र में शासन कर रही एक ही राजनैतिक पार्टी कांग्रेस का सत्ता का एकाधिकार समाप्त हुआ। विकल्प के रूप में प्रतिपक्ष 'जनतापार्टी' का शासन आया। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष को भी सत्ता में आने का अवसर मिलना

चाहिए। इससे सत्ता में एकाधिकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। भारतीय राजनीति में इस लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना का श्रेय सर्वप्रथम जे0पी0 को प्राप्त हुआ है। इससे भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ विकास की सम्भावनायें बढ़ी थीं।

आगे की चुनावी रणनीति में 'प्रतिपक्ष' 'मतों के विभाजन को रोकने' की जे0पी0 की नीति से प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा।

सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों को गांधीवादी मूल्यों की शपथ दिलवा कर जे0पी0 ने भारतीय राजनीति में गांधीवादी आदर्शों की पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया था। उपर्युक्त प्रेरणा दायक घटनाओं के लिए जे0पी0 को भारतीय राजनीति में सदैव स्मरण किया जायेगा।

षष्ठ अध्याय

जे०पी०,जनता सरकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना

षष्ठ अध्याय

जे0पी0, जनता सरकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना

(अ) जनतापार्टी की सरकार के प्रथम मंत्रिमण्डल के गठन में जे0पी0की भूमिका —

जनता पार्टी की सरकार के गठन में एवं उसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना में जे0पी0 की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनाव में सफलता के पश्चात् 'जनतापार्टी' के साथियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नेता पद के चुनाव की थी। प्रधानमंत्री पद के लिए श्री मोरारजी देसाई, श्री चरणसिंह व श्री जगजीवनराम के नाम सामने थे। इनमें किसी एक व्यक्ति का चुनाव आसान कार्य नहीं था। 'जनता-पार्टी में सम्मिलित विभिन्न घटक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अतः प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर गतिरोध उत्पन्न होगया। जे0पी0 के प्रभाव को देखते हुए उनसे इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की गयी। 'जे0पी0 ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।

'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' ने अपने एक लेख में लिखा था 'जयप्रकाश जी को ही वोट मिला था ऐसा संसद सदस्य 'जनतापार्टी के' भी मानते है। राजघाट पर जयप्रकाश जी ने उन्हें शपथ दिलवायी। उसके बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में जब श्री जयप्रकाश नारायण यह पता लगा रहे थे कि सदस्य किसे प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं, तब वह मत गणना अनेक सदस्यों के इस आग्रह पर टाल दी गयी कि स्वयं जयप्रकाश जी निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री हो। बाद में जब संसद के केन्द्रीय कक्ष में जनता दल की यह बैठक हुयी कि नेता कौन चुना जाय तब यहाँ यह प्रस्ताव रखा गया कि बाबू जयप्रकाश नारायण को यह अधिकार दिया जाय कि वह चाहे जिसे प्रधानमंत्री बनो-

नीत करें। बाद में जयप्रकाश जी ने अपने साथ आचार्य कृपलानी को भी सम्मिलित कर लिया।'[1]

इस प्रकार 'जनतापार्टी' के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव का अधिकार जे0पी0 को दे दिया गया। जे0पी0 के कथनानुसार "मुझे इस बात का फख़्र है कि जब जनतापार्टी के पार्लियामेन्ट के मेम्बरों की बैठक हुयी थी तब दादा कृपलानी जी और मुझे उन लोगों ने एकमत से यह अधिकार दिया कि हम जिसको चाहें लीडर नामजद कर दें। कई नाम थे हम लोगों के सामने। ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी। इतना आसान काम नहीं था फिर भी 10 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगा और दादा चूंकि उम्र में मुझसे बड़े है, बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे कहा कि आप इनका नाम एलान कर दीजिए। मोरार जी भाई का नाम उन्होंने एलान कर दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट से लगा कि छत उड़ जायेगी।"[2]

इस प्रकार जनतापार्टी की सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री का चयन जे0पी0 द्वारा सम्पन्न हुआ।

'जनता पार्टी' का एक बड़ा आन्तरिक गतिरोध समाप्त हो गया, अन्यथा प्रधानमंत्री के पद को लेकर ही 'जनता पार्टी' का विघटन हो गया होता। क्योंकि जनता पार्टी में सम्मिलित दलों में से —"जनसंघ और संगठन कांग्रेस के लोग मोरार जी के पक्ष में थे और सोशलिस्ट और ज्यादातर युवा तुर्क जगजीवन राम को चाहते थे। भारतीय लोकदल अपने नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था।"[3]

1- साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 17-23 अगस्त, 1980 पेज 17

2- सम्प्रति 29 जनवरी, से 4 फरवरी, 1978 पेज 6

3- फैसला, कुलदीप नैय्यर, हिन्दी अनुवाद) पेज 180

चौधरी चरण सिंह की स्थिति के सम्बन्ध में 'दिनमान' ने लिखा था —

"चौधरी चरण सिंह का समर्थन करने वालों में भारतीय लोकदल के पुराने सदस्य तो हैं ही और दलों के भी कुछ सदस्य रहे हैं जिनका सम्बन्ध देहात और खेती से है।...... दिलचस्प बात तो यह है कि किसानों का यह अघोषित नेता पंजाब के सिक्ख किसानों का भी समर्थन प्राप्त करने में सफल हुआ था। कुछ ऐसा लगता है कि सम्पन्न किसानों में यह धारणा पैदा हो गयी है कि चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने से कृषि की भलाई होगी।"[1]

इस प्रकार सब सांसदों द्वारा चुनाव होने की स्थिति में चौधरी चरण सिंह जी की स्थिति काफी सुदृढ़ समझी जा रही थी।

'मोरार जी भाई के पक्ष में यह बात थी कि वह कई मौकों पर देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी उनका नेता पद पर चुना जाना स्वाभाविक ही होता।'[2] इसके अतिरिक्त श्री मोरार जी एक निष्ठावान, सैद्धान्तिक एवं गांधीवादी नेता माने जाते रहे हैं।

'श्री जगजीवन राम के सिलसिले में भी बहुत सीमित समर्थन के लक्षण दिख-लायी देने लगे थे। आम तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि प्रजातंत्र कांग्रेस के सदस्यों के अतिरिक्त जनता पार्टी के चुने हुए बहुत से सदस्य भी बाबू जगजीवन राम को नेता बनाने के पक्ष में सोच रहे थे।'[3] समाजवादियों का समर्थन भी जगजीवन बाबू को प्राप्त था। मधु लिमये और राजनारायण की बात ही अलग थी। ... उनके नेता

1- दिनमान, 27मार्च, 2अप्रैल, 1977 पेज 16

2- वही, पेज 16

3- वही, पेज 16

डा0 राममनोहर लोहिया की इच्छा थी कि भारत में ऐसा दिन भी आ जाये जबकि देश के सर्वोच्च आसन पर एक हरिजन को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इसलिए जार्ज ने भरपूर कोशिश की थी कि बाबू जगजीवन राम के पक्ष में फैसला हो जाय।'[1]

परन्तु जगजीवन राम के विरुद्ध यह बात थी कि उन्होंने आपातकाल के प्रस्ताव को लोकसभा में रखा था। बहुत समय बाद श्री चरण सिंह ने इस संबंध में कहा था —' मैं श्री जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनना इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि 1975 में गृहमंत्री न होते हुए भी उन्होंने आपातकाल लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।'[2]

ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का चुनाव आसान कार्य नहीं था। 24 मार्च 1977 को गांधी शांति प्रतिष्ठान में जे0पी0 और कृपलानी ने नवनिर्वाचित जनतापार्टी के सांसदों से आम राय लेना आरम्भ ही किया था कि घटनाक्रम ने एक अद्भुत मोड़ लिया। 'श्री चरण सिंह जो उन दिनों अस्पताल में थे, उन्होंने श्री राज-नारायण के द्वारा पत्र भेजकर नेता पद के लिए श्री मोरारजी देसाई के पक्ष में अपना समर्थन भेजा। अब श्री मोरार जी देसाई और जगजीवन राम के संबंध में राय ली जाने लगी।'[3] 'परन्तु बाद में संसद सदस्यों की राय लिए बिना ही राजनारायण मधुलिमये व अन्य सदस्यों के सुझाव पर प्रधानमंत्री पद पर नामजद किये जाने का फैसला श्री जयप्रकाश जी पर छोड़ दिया गया। श्री जगजीवनराम व श्री बहुगुणा को संसद सदस्यों की राय न लिये जाने का निर्णय पसन्द नहीं आया और वे उठकर वहाँ से चले आये।'[4]

1- दिनमान, 3-9 अप्रैल, 1977 पेज 19-20

2-हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 सितम्बर, 1979

3- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 368

4- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 181

श्री चरणसिंह जी के समर्थन से निश्चय ही श्री मोरारजी देसाई का पक्ष मजबूत हो गया था। परन्तु 'जयप्रकाश जी अब भी राय मालूम कर लेने के पक्ष में थे लेकिन कृपलानी ने कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ज्यादा लोग मोरार जी के पक्ष में हैं। इसलिए राय मालूम करने का विचार त्याग दिया गया।'[1]

चौधरी चरण सिंह ने श्री मोरार जी देसाई का समर्थन इसलिए किया क्योंकि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा एवं श्री चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपस में प्रतिद्वन्द्वी रह चुके थे। श्री जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बन जाने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री बहुगुणा के प्रभाव के बढ़ जाने की सम्भावना थी। अतः श्री चरण सिंह जी ने अनिश्चयात्मकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए श्री मोरार जी देसाई को समर्थन देना उचित समझा।

श्री मोरारजी देसाई को मनोनीत किये जाने को श्री जगजीवनराम व श्री बहुगुणा ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। श्री जगजीवन राम ने अपनी रुष्टता को प्रकट करते हुए अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से कहा 'जनतांत्रिक कांग्रेस संसद में और बाहर अलग दल के रूप में काम करेगी। वह नयी सरकार को समर्थन देगी। पर अपने घोषणापत्र के अनुरूप कामों में ही।'[2] लगभग एक वर्ष बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री जगजीवन राम ने कहा था 'अगर स्वतंत्र चुनाव कराया जाता तो मैं ही प्रधानमंत्री बनता।'[3]

सी0एफ0डी0 के मंत्रिमण्डल में न सम्मिलित होने की घोषणा से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के गठन में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुयी थी। 25 मार्च 1977 जे0पी0 के डायलिसिस का दिन था। इसलिए वह विमान से पटना चले आये। डायलिसिस के

1- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, पेज 18।

2- धर्मयुग, 10-16 अप्रैल 1977 पेज 10

3- संडे, 14 मई, 1978

लिए उनके पैर में लगे गैंट से रक्त जाने में बाधा उत्पन्न होगयी जिससे उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया था। उन्हें वायु सेना के विमान से तत्काल बम्बई के 'जसलोक' अस्पताल पहुँचाया गया। मंत्रिमण्डल के गठन के गतिरोध को दूर करने के लिए श्री चन्द्रशेखर, अटल जी, श्री मधुलिमये, राजनारायण, श्री जार्ज फर्नान्डीज, व अन्य सक्रिय प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। जे0पी0 ने अपनी अस्वस्थता की इस गंभीर हालत में भी इस गतिरोध को दूर करने में अपना सहयोग दिया। 'जसलोक अस्पताल में लोकनायक ने श्री चन्द्रशेखर के द्वारा पत्र भेजकर जगजीवन बाबू से आग्रह किया कि वे मंत्रिमण्डल में शामिल हो जाँय। जे0पी0 के आग्रह को स्वीकार करते हुए जगजीवन बाबू ने अपनी स्वीकृति दे दी। मंत्रिमण्डल की सम्भावित सूची तैयार कर ली गयी। श्री जगजीवन राम और श्री बहुगुणा को लेकर 13 सदस्यों के नाम थे।'[1]

परन्तु बाद में श्री जगजीवन बाबू और श्री बहुगुणा की सलाह लिए बिना ही मंत्रिमण्डल की सूची में 6 और सदस्यों के नाम जोड़ लिये गये। इससे जगजीवन बाबू पुनः रुष्ट हो गये। 'जगजीवन राम ने मोरार जी को टेलीफोन करके यह बता दिया कि वह मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं होंगे। जगजीवन राम को इन नये लोगों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्हें यह बात बुरी लगी कि उनकी सलाह क्यों नहीं ली गयी।'[2]

'जगजीवन बाबू और बहुगुणा जी ने 26 मार्च को शपथ नहीं ली उनको मनाने के लिए श्री फर्नांडीज और श्री राजनारायण ने भी शपथ नहीं ली।'[3]

'जनतापार्टी' के कार्यकर्ता इस गतिरोध से उत्तेजित थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने जार्ज फर्नांडीज का घेराव करके मांग की कि वे मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हो

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 372
2- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 182
3- धर्मयुग, 10-16 अप्रैल, 1977 पेज 11

गयी। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जे0पी0 पुनः आगे आये। जे0पी0 ने श्री जगजीवन राम को पुनः संदेश भेजा। इस संदेश में जे0पी0 ने कहा था —
"आप एक व्यक्ति नहीं वरन् एक शक्ति हैं जिसके बिना नये भारत का निर्माण करना सम्भव नहीं। अतः मेरी इच्छा है कि आप मंत्रिमण्डल में शामिल हो जायँ।"[1]

इस संदेश से श्री जगजीवन बाबू पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने 27 मार्च 1977 को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने की घोषणा करते हुए कहा —"श्री जयप्रकाश नारायण मेरे पुराने साथी हैं। मेरे मन में उनके प्रति भारी सम्मान है उनकी ख्वाहिश मेरे लिए आदेश है और मैं बिना शर्त प्रधानमंत्री जी को अपना सहयोग अर्पित कर रहा हूं।"[2]

इस संबंध में जे0पी0 के योगदान की स्वीकारोक्ति करते हुए पत्रकार श्री कुलदीप नैय्यर ने अपनी पुस्तक में लिखा है —" इस बार भी जयप्रकाश ने ही इस गुत्थी को सुलझाया, उनके संदेश से सारा काम बन गया।"[3] जगजीवन बाबू के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होते ही श्री बहुगुणा श्री फर्नांडिज व अन्य लोग भी मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हो गये। जे0पी0 के प्रयत्न से यह संकट भी समाप्त हो गया। जे0पी0 के सहयोग से गठित जनतापार्टी के सरकार के प्रथम मंत्रिमण्डल में निम्न सदस्य सम्मिलित थे —

"(1) श्री मोरार जी देसाई — प्रधानमंत्री एवं उन सभी मंत्रालयों एवं विभागों के प्रभारी जिनका नीचे उल्लेख नहीं है।

(2) श्री चरणसिंह — गृह

(3) श्री जगजीवन राम, — रक्षा

1- सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश, ले0 अवधबिहारीलाल, पेज 372

2- धर्मयुग, 10-16 अप्रैल 1978 पेज 11

3- फैसला, ले0 कुलदीप नैय्यर, (हिन्दी अनुवाद) पेज 182

(4) श्री अटलबिहारी बाजपेयी — विदेश

(5) श्री राजनारायण — स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

(6) श्री एच0एम0पटेल — वित्त, राजस्व एवं बैंकिंग विभाग

(7) श्री जार्ज फर्नांडीज — संचार

(8) श्री प्रकाश सिंह बादल — कृषि एवं सिंचाई

(9) श्री लालकृष्ण आडवाणी — सूचना एवं प्रसारण

(10) श्री बृजलाल वर्मा — उद्योग

(11) श्री हेमवती नंदन बहुगुणा — पेट्रोलियम रसायन एवं उर्वरक

(12) श्री सिकन्दर बख्त — आवास कार्य आपूर्ति एवं पुनर्वास

(13) श्री शांतिभूषण — विधि, न्याय एवं कंपनी मामले

(14) डा0प्रताप चन्द्र चंदर — शिक्षा, समाजकल्याण एवं सांस्कृतिक विभाग

(15) श्री मधु दण्डवते — रेलवे

(16) श्री मोहन धारिया — व्यापार नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता

(17) श्री पुरुषोत्तम कौशिक — पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

(18) श्री बीजू पटनायक — इस्पात एवं खान

(19) श्री पी0रामचन्द्रन — ऊर्जा

(20) श्री रवीन्द्र वर्मा — संसदीय मामले एवं श्रम"[1]

बाद में इन विभागों में परिवर्तन होता रहा है।

कुछ विद्वानों का मत है कि जे0पी0 द्वारा श्री मोरारजी देसाई को जिस प्रकार प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया वह लोकतांत्रिक पद्धति के

1- धर्मयुग, 10-16 अप्रैल, 1977 पेज 13

विपरीत था। इस सम्बन्ध में 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा था —' एक बात जे0पी0 को भी ध्यान देना होगा कि राजनीतिक नेतृत्व लोकतांत्रिक पद्धति चुनाव से उभर कर सामने आना चाहिए, मनोनयन आदि के द्वारा नहीं, तभी लोकतंत्र व्यावहारिक बन सकेगा।'[1]

इसमें संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनयन लोकतांत्रिक आदर्श नहीं था। आदर्श यही होता कि जनता पार्टी के सांसदों द्वारा नेता पद का चुनाव करा लिया जाता। शोधकर्ता को जे0पी0 के निजी सचिव श्री सच्चिदानन्द ने बतलाया है कि बाद में जे0पी0 भी चुनाव के औचित्य को स्वीकार करने लगे थे।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जे0पी0 ने जनता पार्टी के प्रथम मंत्रिमण्डल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इससे भारत की तत्कालीन राजनीति प्रभावित हुयी।

(च) जनता सरकार द्वारा मीसा की समाप्ति :—

आपातकाल के समय जिस कानून ने सबसे अधिक आतंकित किया था उसे 'आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम (मीसा) के नाम से जाना जाता है। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए इस अधिनियम का व्यापक प्रयोग किया गया। आपातकाल के समय मीसा में संशोधन करके यह व्यवस्था भी कर दी गयी थी जिसके अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बतलाना भी आवश्यक नहीं रह गया था। जे0पी0 के अनुसार यह एक अलोकतांत्रिक अधिनियम था जो कि नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता का हनन करता था। उन्होंने इसे समाप्त करने की मांग की थी। 'जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र

1- साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 28 जनवरी, से 3 फरवरी 1979 पेज 13

में 'मीसा' को समाप्त करने का आश्वासन दिया था।'[1] सत्ता में आने पर 'जनता-पार्टी' की सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा करते हुए 'मीसा' को समाप्त करने वाला — 'आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (निरसन) विधेयक लोकसभा में 19 अप्रैल 1978 को प्रस्तावित किया। इसे 19 जुलाई 1978 को लोकसभा ने पास कर दिया। तदुपरान्त 27 जुलाई 1978 को राज्यसभा ने भी इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 3 अगस्त 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर यह विधेयक कानून बन गया।'[2] इस प्रकार 'मीसा' 'आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया।'[3]

इस सन्दर्भ में जे0पी0 ने अपनी पुस्तक में लिखा था —"अंधाधुंध गिरफ्तारियों और नये नये बनाये गये कानूनों के कारण देश में एक जबरदस्त भय का वातावरण व्याप्त था, उसमें से जनता को मुक्त कराना था, लोगों को निर्भय बनाना था और मुझे लगता है कि नयी सरकार ने इतना काम तो अत्यन्त त्वरा के साथ किया है। इन्दिरा जी द्वारा बनाये गये संवैधानिक तानाशाही के ढांचे को तोड़ने का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। यह उनकी सबसे बड़ी भेंट है। उन्होंने देश में पुनः लोकतंत्र स्थापित किया है, नागरिक स्वतंत्रता — पुनः प्रदान की है।"[4]

जनतापार्टी के सदस्यों एवं नेताओं को 'मीसा' का कटु अनुभव था। आपातकाल के समय वह स्वयं इसके द्वारा प्रताड़ित हुए थे। आपातकाल के समय 'मीसा' का जिस प्रकार दुरूपयोग किया गया उससे देश की जनता में आक्रोश व्याप्त था। जे0पी0 इस अप्रजातान्त्रिक अधिनियम को समाप्त किये जाने की माँग अपनी चुनाव सभाओं में करते रहे थे। जनता एवं जे0पी0 की भावनाओं का आदर करते हुए जनता सरकार ने इस

1- जनतापार्टी, चुनावघोषणापत्र 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, राजनैतिक रूपरेखा, पेज 4
2- भारत 1979 भारत सरकार प्रकाशन (लोकतन्त्र-न्याय और कानून) पेज 553
3- आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) अधिनियम, 1978
4- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0 जयप्रकाशनारायण, पेज 76

इस अधिनियम को समाप्त करने में तीव्रता दिखलायी। नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना के दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य था। जनता सरकार के इस कार्य की विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिज्ञों ने प्रशंसा की।

(स) प्रेस की स्वतंत्रता :—

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' लोकतंत्र की आधारभूत स्वतंत्रताओं में से एक है। 'प्रेस' अभिव्यक्ति का शक्तिशाली एवं गतिशील माध्यम है। इसीलिए 'प्रेस' की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक पद्धति की अनिवार्य आवश्यकता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है। जे0पी0 प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं।

आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुंची थी। जे0 पी0ने प्रेस की स्वतंत्रता के पुनर्स्थापना की मांग की थी। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि जनतापार्टी "सेन्सरशिप को समाप्त करके समाचारपत्रों, पत्रिकाओं प्रकाशकों और छापखानों के साथ की जाने वाली जोर जबरदस्ती बन्द करेगी। 'आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन' निरोध संबंधी कानून को रद्द कर देगी। जिससे समाचार पत्रों की स्वाधीनता का संरक्षण हो सके। संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट देने का जो अधिकार समाचार पत्रों को पहले प्राप्त था वह उन्हें वापस मिलेगा।"[1]

सत्ता में आने के उपरान्त जनतापार्टी की सरकार ने चुनाव के समय किये गये अपने आश्वासन को पूरा करते हुए सर्वप्रथम 'प्रेस' को स्वतंत्र कराने का कार्य आरम्भ किया। जनता सरकार के तत्कालिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने '4 अप्रैल 1977 को दो विधेयक प्रथम संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन

1- जनतापार्टी चुनाव घोषणापत्र 1977 जनतापार्टी प्रकाशन राजनैतिक रूपरेखा, पेज 5-

पर लगी कानूनी रोक हटाने के लिए द्वितीय आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निषेध अधिनियम को समाप्त करने के लिए लोकसभा में प्रस्तावित किये।'[1] लोकसभा ने दोनों विधेयक भी सप्ताह पारित कर दिये। 4 अप्रैल 1977 को लोकसभा में प्रस्तावित विधेयक 9 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिये गये। 18 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् दोनों विधेयक कानून बन गये। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता पर लगी रोक को जनता सरकार ने संसद के प्रथम अधिवेशन ही में समाप्त कर दिया।

'आपत्ति जनक सामग्री प्रकाशन निषेध अधिनियम' के द्वारा आपात-काल के समय प्रेस ([illegible]) द्वारा सरकार की आलोचना किये जाने पर रोक लगा दी गयी थी। 1976 में पारित इस अधिनियम में कहा गया था 'अपराधों को उकसाने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के विरुद्ध उपबंध करता है। आक्षेपणीय सामग्री के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ शब्द संकेत या दृश्यरूपण भी हैं, जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ की मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपालों के लिए मानिहानि कारक है।'[2]

उपरोक्त विधेयक की शब्दावली से स्पष्ट है कि इस विधेयक के प्रभाव से 'प्रेस' सरकार की किसी भी प्रकार की आलोचना करने की स्थिति में नहीं रह गया था।

'जनता सरकार' ने (आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) अधि-नियम 1977 के द्वारा उपरोक्त विधेयक को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में कहा गया था 'प्रेस की स्वतंत्रता के रक्षोपाय की दृष्टि से यह अधिनियम आक्षेपणीय

1- लोकसभा डिबेट्स, 4 अप्रैल 1977 नं0 8 कालम 29

2- आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 27)।

सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम 1976 को निरसित करता है।'[1]

संसदीय कार्यवाही प्रकाशन अधिनियम 1956 'संसद की कार्यवाही को प्रेस द्वारा छापने की स्वतंत्रता से संबंधित था। इसे आपातकाल में समाप्त कर दिया गया था। 'जनतासरकार' ने प्रेस को यह स्वतंत्रता पुनः प्रदान की। वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ 'भारत' के अनुसार -" आम तौर से फिरोज गांधी अधिनियम के नाम से जाना जाने वाला संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण' अधिनियम 1956 को आपातस्थिति के दौरान रद्द कर दिया गया था, जो बहाल कर दिया गया। इस प्रकार संसद की कार्यवाही को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता प्रेस को वापस दे दी गयी।"[2]

यह अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद की कार्यवाही के प्रकाशन से ही देश की जनता को यह ज्ञात हो पाता है कि उसके प्रतिनिधि संसद में क्या कर रहे हैं? जनता सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने पत्रकारों से अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था —
'आप निर्भय होकर संसद की कार्यवाही छाप सकते हैं, निषेधकारी कानून जल्द ही हटा लेगा।'[3]

आपातकाल के समय बहुत से पत्रकारों की मान्यता राजनीतिक कारणों से समाप्त कर दी गयी थी। 'जनता सरकार' ने यह मान्यता पत्रकारों को पुनः प्रदान की। 'जनता सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक साक्षात्कार के समय 'धर्मयुग' को बतलाया था -' दिल्ली में नियुक्त पत्रकारों को भारत सरकार की ओर से मान्यता देने की पद्धति कई दशकों से चली आ रही

1- आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) अधिनियम, 1977

2- भारत 1977-78 भारतसरकार प्रकाशन, परिवर्तन का वर्ष शीर्षक पैराग्राफ,ख।

3- दिनमान 24-30अप्रैल 1977 पेज 17

है, इसके सहारे इन पत्रकारों को अपने काम में कई प्रकार की मान्यता राजनीतिक आधार पर रद्द कर दी थी। नयी सरकार के बनने के बाद ही इनमें से 31 संवाददाताओं ने पुनः मान्यता के लिए अनुरोध किया था और [illegible] ये सारे अनुरोध स्वीकार कर लिए गये। इनके अतिरिक्त 22 अन्य भारतीय संवाददाताओं को मान्यता प्रदान की गयी। 20 मार्च 1977 के बाद से अब तक इसने कुल 127 संवाददाताओं को मान्यता प्रदान की है।'[1]

<u>प्रेस परिषद :—</u>

समाचार पत्रों की स्वाधीनता एवं उनसे संबंधित प्रकरणों के निपटारे के लिए 1965 में भारत में 'प्रेस परिषद' की स्थापना की गयी थी। आपातकाल के समय प्रेस परिषद (निरसन) अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। जनता सरकार ने प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के माध्यम से पुनः प्रेस परिषद की स्थापना कर दी। इस अधिनियम में कहा गया था —"प्रेस की स्वतंत्रता को परिरक्षित करने तथा भारत में समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों के स्तर को कायम रखने तथा उसमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस परिषद की स्थापना करता है।"

'प्रेस की स्वतंत्रता' को पुनर्स्थापित करने वाला यह महत्वपूर्ण कार्य था। उपरोक्त अधिनियमों की व्यवस्था से स्पष्ट है कि जनता सरकार ने आपातकाल के समय लगी 'प्रेस की स्वतंत्रता' पर रोक को समाप्त कर 'प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः प्रतिष्ठित किया था।

<u>प्रेस आयोग का गठन :—</u>

जनता सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'प्रेस आयोग की स्थापना करके किया। प्रथम प्रेस आयोग का गठन पं0जवाहरलाल नेहरू

1- धर्मयुग, 25 सितम्बर, से 1 अक्तूबर, 1977 पेज 6

के समय सन् 1952 में किया गया था। 1954 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इधर 20-22 वर्षों से भारतीय प्रेस परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं से गुजरा था। अतः दूसरे प्रेस आयोग' के गठन की आवश्यकता एक लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी। बहुत समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करते हुए जनता सरकार ने दूसरे प्रेस आयोग का गठन किया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रेस आयोग के गठन के उद्देश्य के संबंध में कहा था —" आयोग से अपेक्षा है कि वह भारतीय प्रेस को 'सशक्त और स्वस्थ' बनाने के उपाय सुझाये। आपातकाल में प्रेस का स्वस्थ और सशक्त रूप नष्ट हो गया था। उस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऐसी सुरक्षाओं की बुनियाद रखनी है जो सरकार तथा दूसरे संस्थाओं के दबावों से सर्वथा मुक्त रहे।"[1]

इस कथन से स्पष्ट है कि इस आयोग के गठन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को शक्तिशाली बनाना था। 'यह आयोग एक भूतपूर्व न्यायाधीश श्री पी०के०गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित किया गया था।'[2] इस आयोग द्वारा प्रमुख रूप से विचारणीय विषय निम्नलिखित है —

'अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के संदर्भ में वर्तमान कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्तता, एक लोकतांत्रिक समाज में सरकार, मजदूर संघों तथा अन्य संस्थानों के विभिन्न प्रकार के दबावों से प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय, समाचारपत्रों के स्वामित्व का स्वरूप प्रेस और सरकार के बीच संबंधों का स्वरूप, प्रकाशकों , व्यवस्थाओं, संपादकों तथा पत्रकारों के बीच रिश्ते का स्वरूप, समाचार पत्रों का विकास, उन्नति, पत्रकारिता प्रशिक्षण, भाषीय, क्षेत्रीय और ग्रामीण समस्याओं के प्रति समर्पित समाचारपत्रों की समस्यायें।

1-दिनमान, 4-10जून 1978 पेज 7

2- दिनमान, वही,

'प्रेस आयोग' के समक्ष विचारणीय विषय प्रेस की स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 'जनता सरकार' की प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में अन्तिम नीति क्या होती? यह 'जनता सरकार' इस 'प्रेस आयोग' की संस्तुतियों को कहाँ तक स्वीकार करती इसी आधार पर जाना जा सकता था। परन्तु इतिहास ने इसका अवसर ही नहीं दिया। जुलाई 1979 में जनता सरकार सत्ता से अपदस्थ हो गयी और उससे संबंधित सभी संभावनायें इस संदर्भ में समाप्त हो गयीं।

'जनता सरकार' द्वारा की गयी उपर्युक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि 'जनता सरकार' ने आपातकाल के समय छीनी गयी 'प्रेस की स्वतंत्रता' को विभिन्न अधिनियमों द्वारा पुनर्स्थापित किया। प्रेस की स्वतंत्रता को भविष्य में भी सीमित न किया जा सके इस दृष्टि से 'प्रेस' से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के अध्ययन एवं प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से प्रेस आयोग की स्थापना की। नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना की दृष्टि से 'जनता सरकार' के द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण कार्य था। जे०पी० ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा था —" नयी सरकार ने नागरिक स्वतंत्रता, अखबारी स्वतंत्रता पुनः प्रदान की है।"[1]

(ख) संचार साधनों की स्वायत्तता :—

जे०पी० का विचार था कि संचार साधनों को स्वतंत्र होना चाहिए। उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह रेडियो और टेलीविजन से संबंधित संगठनों के स्वायत्तशासी स्वरूप प्रदान किये जाने के पक्ष में थे। 23 जनवरी 1977 को उन्होंने नयी दिल्ली की सभा में कहा था —" मैं यह माँग करता हूँ कि जनता के पैसों पर चलने वाले संचार साधनों को सत्ता गुट अथवा सरकार के नियंत्रण

1- सम्पूर्ण क्रांति की खोज में, ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 76

से बाहर रखा जाय।"[1] उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है —' सत्तारूढ़ दल के लिए रेडियो, टेलीविजन और अन्य सरकारी साधनों का इस्तेमाल दलीय कार्यों के लिए निषिद्ध होना चाहिए विरोधी दलों के साथ बराबरी के दर्जे पर ऐसा किया जा सकता है।'[2]

जनता पार्टी ने जे0पी0 के विचारों के अनुरूप घोषणा करते हुए अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था —"आकाशवाणी दूरदर्शन तथा फिल्मस डिवीजन को स्वायत्त प्रतिष्ठान बना देगी ताकि वे राजनीति में निष्पक्ष रह सकें और सरकार की दखल अन्दाजी से दूर हो सके।"[3]

'जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर उसके तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी सरकार की नीति की घोषणा करते हुए कहा था —" मेरी सरकार की नीति रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्त सत्ता देने की है।"[4]

भारत में संचार साधनों की स्वायत्तता के औचित्य को पहले भी स्वीकार किया गया है।' 1948 में प्रधानमंत्री पं0 नेहरू ने संसद में घोषणा की थी कि वे आल इण्डिया रेडियो को बी0बी0सी0 की तरह एक स्वायत्त प्रतिष्ठान का रूप देने की कल्पना रखते हैं। पं0नेहरू इस कल्पना को कार्य रूप नहीं दे पाये। 1964 में जब श्रीमती गांधी सूचना प्रसारण मंत्री बनी, तब उन्होंने आकाशवाणी की जांच करने के लिए चंदा समिति का गठन किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिश यही थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक स्वायत्त प्रतिष्ठान का रूप दिया जाये।'[5]

1- छात्रआन्दोलन से जनता सरकार तक, सं0 डा0अमरनाथ सिन्हा, पेज 134-35
2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 83-84
3- जनतापार्टी, चुनाव घोषणापत्र 1977 जनतापार्टीप्रकाशन, राजनीतिक रूपरेखा, पेज 15-16
4- दिनमान 8-14मई, 1977 पेज 12

वर्मा समिति की इस प्रमुख संस्तुति की ओर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे-धीरे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया।" इमर्जेन्सी के दौरान तो सत्तारूढ़ दल और सरकार के बीच की सभी सीमा रेखायें विलुप्त हो गयीं और आकाशवाणी, दूरदर्शन सत्तारूढ़ दल का एक प्रोपेगण्डा विभाग सा ही बन कर रह गया।"[1]

"1 अगस्त 1977 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में एक 'श्वेतपत्र' प्रस्तुत किया।"[2] इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सरकारी दुरुपयोग के अनेकों तथ्य सामने आये। श्वेतपत्र में बतलाया गया था कि "आकाशवाणी तथा भारत सरकार के श्रव्य दृश्य विभाग के अनुवादकों से कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्रों के अनुवाद का काम लिया जाता रहा। दिसम्बर 76 में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में 2207 लाइनें सत्ताधारी दल के पक्ष में थी और केवल 34 लाइनों में प्रतिपक्ष के समाचार दिये गये हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान आकाशवाणी पर दबाव बहुत बढ़ गया था। श्री जगजीवन राम के कांग्रेस मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के बाद तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी को आदेश दिया था कि श्री जगजीवन राम की निन्दा और प्रधानमंत्री के समर्थन के वक्तव्य अधिकाधिक प्रसारित किये जाने चाहिए।"[3]

वर्गीज समिति का गठन :—

भविष्य में इन साधनों के दुरुपयोग को रोकने एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक स्वायत्त संस्था बनाने के उद्देश्य से—

1- धर्मयुग, 17-23 अप्रैल, 1977 पेज 14
2- लोकसभा डिबेट्स, 1 अगस्त 1977 नं० 42 कालम 280
3- दिनमान, 14-20 अगस्त 1977 पेज 16

'17अगस्त 1977 को जनतापार्टी की सरकार ने श्री बी0जी0वर्गीज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उससे इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को देने को कहा।'[1] वर्गीज समिति ने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च 1978 को सरकार के सामने प्रस्तुत की।'[2] इससे लगा कि जनता पार्टी की सरकार स्वायत्तता के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। परन्तु जनता सरकार की निष्पक्षता की नीति के संबंध में अनेक आलोचनात्मक तथ्य भी सामने आये हैं।

उदाहरण के लिए 'आपातकाल के दौरान जिन बुद्धिजीवियों, पत्रकारों ने इमर्जेन्सी का समर्थन किया था और रेडियो टेलीविजन पर अपना मत व्यक्त किया था ऐसे 17 लोगों की एक 'ब्लैक लिस्ट' बनायी गयी थी और सरकार ने रेडियो और टेलीविजन को निर्देश दे रखा था कि इन लोगों को कार्यक्रमों में न बुलाया जाय। जब अखबारों में इस बात को लेकर शोर मचा और आलोचना हुयी तो सरकार ने विरोध और आलोचना से घबड़ा कर घोषणा की कि उसने 'ब्लैक लिस्ट' को समाप्त कर दिया है।'[3]

सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उसकी घोषित नीति के विपरीत था आरोप तो यह भी है कि 'इस ब्लैक लिस्ट' की सूची में 18वें व्यक्ति के रूप में श्री जे0पी0 को भी सम्मिलित किया गया था। सरकार को जे0पी0 के राजनीतिक विचार भी असह्य हो गये थे। इस संबंध में 'दिनमान' ने लिखा था ——

"ऐसे नामों में एक नाम तो तुरंत ही ध्यान में आता है और वह है श्री जयप्रकाश नारायण का नाम। ---- यह बात जो 17 व्यक्तियों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के निर्देशकों से कही गयी थी कि आम तौर से उन्हें राजनीतिक

1- दिनमान, 21-27मई,1978 पेज 11

2- वही,

3- रविवार, 24-30जून,1979 पेज 13

मिशन के कार्यक्रमों में न बुलाया जाये। श्री जयप्रकाश नारायण पर तुरन्त लागू होती दिखायी देगा। जनता पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद अप्रैल 1977 में श्री जयप्रकाश नारायण का जसलोक अस्पताल से टेपांकित किया हुआ एक संदेश प्रसारित किया गया था। इस संदेश का कथ्य सुनकर ही शायद जनता सरकार ने तय किया था कि अब उनको किसी राजनैतिक विचार को प्रकट करने के लिए नहीं निमंत्रित किया जायेगा। इस संदेश में उन्होंने और बातों के अलावा कहा था कि संविधान में लिखित न होने पर भी जन साधारण को अधिकार है कि यदि वह अपने द्वारा चुनी हुयी सरकार को एकदम अयोग्य और अपने घोषणापत्र से विमुख हो गयी पाये तो उसे वे अगले चुनाव के पहले ही अस्वीकृत कर सकते हैं। .... यह विचार आपातकाल सम-र्थक विचार तो नहीं था किन्तु जयप्रकाश नारायण [illegible] की सूची में अठारहवें व्यक्ति बन गये।'[1]

'लन्दन स्टैण्डर्ड' की एक रिपोर्ट के अनुसार 'जनता सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्ण करने पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा की गयी समीक्षा को दूरदर्शन पर सेंसर करके पेश किया गया।'[2]

जे०पी० के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले इस व्यवहार से, 'जनता पार्टी' की सरकार द्वारा घोषित नीति के सम्बन्ध में संदेह पैदा होने लगा था।

<u>स्वायत्तता सम्बन्धी विधेयक</u> :—

16 मई, 1979 को जनता पार्टी की सरकार का बहुप्रतिक्षित आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को 'स्वायत्त निगम' बनाने सम्बन्धी 'प्रसार भारती' नामक विधेयक लोक-

---

1- दिनमान, 1-7 अप्रैल, 1979 पेज 7-8

2- लन्दन स्टैण्डर्ड, 16 मार्च, 1978

सभा में प्रस्तावित किया गया।'[1] यह विधेयक 'वर्गीज समिति' की संस्तुतियों पर आधारित था। इस विधेयक का उद्देश्य आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से न्यायसंगत एवं निष्पक्ष प्रसारण करना था।

'प्रसार भारती' विधेयक को प्रस्तावित कर 'जनता सरकार' संचार साधनों के स्वायत्तता सम्बन्धी अपने आश्वासनों को पूरा करने जा रही थी। यह विधेयक इस दिशा में एक ठोस कदम था। परन्तु जुलाई 1979 में 'जनतापार्टी' की सरकार के सत्ता से हट जाने के कारण यह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सका। इस प्रकार दुर्भाग्य से संचार साधनों की स्वायत्तता का जे0पी0 का स्वप्न अधूरा रह गया। यदि यह विधेयक पारित हो गया होता तो भारतीय लोकतंत्र में 'सज्जनता' के तत्व को बल मिलता। हम इस देश में पश्चिम के विकसित लोकतंत्र के समकक्ष आ गये होते। इस विधेयक के प्रेरक के रूप में जे0पी0 को सदैव स्मरण किया जायेगा।

(घ) संचार साधनों के प्रयोग के लिए विपक्ष को अवसर

जे0पी0 भारत की वर्तमान चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। 'लोकतंत्र के लिए नागरिक' संगठन की ओर से जे0पी0 ने चुनाव कानूनों में सुधार के उद्देश्य से 'तारकुण्डे समिति' का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष उच्च-न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी0एम0 तारकुण्डे थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था —" रेडियो एवं टेलीविजन की वर्तमान नीति लोकतंत्र की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। समिति का सुझाव है कि मान्यता प्राप्त दलोंको उनके द्वारा प्राप्त मतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन ब्राडकास्ट के लिए समय देना चाहिए।'[2]

1- लोकसभा डिबेट्स, 16 मई, 1979 नं0 57 कालम 282-289

2- [illegible] की [illegible]-जे0 ए0 [illegible], अनुवाद-तारकुण्डे समिति की रिपोर्ट, पेज। 50
[illegible] विजय

6 मार्च, 1975 को जे0पी0 के नेतृत्व में लोकसभा व राज्य सभा के अध्यक्षों को दिये गये 'जनता मांगपत्र' में मांग की गयी थी कि —" शासक दल के लिए रेडियो, टेलीविजन और अन्य सरकारी साधनों का इस्तेमाल दलीय कार्यों के लिए निषिद्ध होना चाहिए, विरोधी दलों के साथ बराबरी के दर्जे पर ऐसा किया जा सकता है।"[1]

जे0पी0 चुनाव के समय रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रचार के लिए विपक्ष को समान रूप से अवसर दिये जाने के पक्ष में है।

सत्ता में आने पर 'जनता पार्टी' की सरकार ने जे0पी0 की मांग को स्वीकार करते हुए विपक्ष को भी रेडियो एवं टेलीविजन पर अपनी बात कहने का अवसर देने का निर्णय किया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस संदर्भ में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था —" कल (1 अप्रैल 1977) को ही मैंने प्रधानमंत्री जी से दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्र को संबोधित करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके तुरन्त बाद ही मैंने विरोधी दल के नेता श्री चव्हाण से भी यही प्रार्थना की। स्वयं में छोटी बात होते हुए भी यह सरकार के रवैये को अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित करती है।"[2]

केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होने पर जून 1977 में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए। इस समय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों को चुनाव के समय अपनी बात कहने की सुविधा 'रेडियो एवं टेलीविजन' पर प्रदान की गयी। 'धर्मयुग' के अनुसार —" इतिहास में पहली बार राज्यों के चुनाव के समय अन्य राजनीतिक दलों को इन माध्यमों को उपयोग के

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले0जयप्रकाशनारायण, पेज 83

2- धर्मयुग, 17-23 अप्रैल, 1977 पेज 14

अवसर प्रदान किये गये।"[1]

'दिनमान' ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि —"प्रतिपक्षी दल कांग्रेस को संसद में और बाहर भी मान्यता दी गयी है। रेडियो और दूरदर्शन पर विरोधी दल के नेता को समय दिया जा रहा है।"[2]

चुनाव में मिलने वाली यह प्रचार सुविधा, भारतीय चुनाव व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारतीय राजनीति में इस प्रेरणा का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है। इस संबंध में अपने विचारों का कार्यान्वयन अपने जीवन काल में जे0पी0 को देखने को मिल गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सुविधा केवल प्रमुख विपक्षी दल को ही न दी जाकर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से दी गयी थी। जून 1977 तथा 1978 में राज्य विधान सभाओं के चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त राजनीतिक दलों को समानता के आधार पर इस सुविधा का उपयोग करने दिया गया।

'जनता पार्टी की सरकार' ने यह व्यवस्था भी की थी कि जिस समय प्रधानमंत्री राष्ट्र को सम्बोधित करें उस समय लोकसभा में विपक्षी के नेता को भी 'रेडियो एवं दूरदर्शन' पर अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत जिस समय 2 अप्रैल 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने अपना राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया उसके दूसरे दिन अर्थात् 3 अप्रैल 1979 को लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री सी0एम0स्टीफेन को भी 'रेडियो एवं टेलीविजन' से देश के नागरिकों को सम्बोधित करने का अवसर दिया गया। 'अपने इस प्रसारण में श्री स्टीफेन ने आलोचनात्मक दृष्टि से देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक

1- धर्मयुग, 25 सितम्बर, से 1 अक्तूबर 1977 पेज 7

2- दिनमान 1-7 मई, 1977 पेज 15

स्थिति से देश के नागरिकों को अवगत कराया।'[1]

प्रधानमंत्री के पश्चात् विपक्षी नेता द्वारा देश की स्थिति के संबंध में, देश की जनता को अपने विचारों से अवगत कराना एक स्वस्थ परम्परा का आरम्भ था। इससे देश की जनता को समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का अवसर मिलता है। इससे जनता में जागरूकता बढ़ती है। भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए यह हितकर है। इस परम्परा का आगे भी निर्वाह किया जाना चाहिए।

जुलाई 1979 में श्री मोरार जी देसाई की सरकार गिर गयी थी। श्री चरण सिंह के नेतृत्व में नयी केन्द्रीय सरकार का गठन हुआ। उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री जगजीवन राम थे। प्रधानमंत्री के रूप में श्री चरण सिंह के 'रेडियो एवं टेलीविजन' पर राष्ट्रीय प्रसारण के पश्चात् '29 जुलाई 1979 को श्री जगजीवन राम को राष्ट्र के नाम प्रसारण के लिए आमंत्रित किया गया था।'[2]

श्री चरण सिंह की सरकार को बहुमत न मिलने पर, राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा लोकसभा भंग कर दी गयी। तत्कालीन 'जनता संसदीय दल के नेता श्री जगजीवन राम ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के समय 'विपक्ष को रेडियो-टेलीविजन के प्रसारण की सुविधा जारी रखी जाय।'[3]

श्री चरणसिंह की सरकार ने इस सुविधा को नियमित रखा। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने कहा था —' लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हेतु सभी मान्यता प्राप्त दलों के नेताओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रसारण का अवसर प्रदान किया जायेगा।'[4]

1- दैनिक जागरण, कानपुर, 4अप्रैल, 1979 पेज 1 और 5

2- वही, 30जुलाई, 1979

3- वही, 30 अगस्त 1979

4- वही, 8सितम्बर, 1979

तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री श्यामलाल शकधर ने अपनी घोषणा में कहा था कि —' लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारण की सुविधा प्राप्त होगी।'[1]

लोकसभा के इस मध्यावधि चुनाव में आकाशवाणी से विभिन्न दलों के नेताओं के चुनाव संबंधी प्रसारण का कार्यक्रम निम्न प्रकार था —'आकाशवाणी की एक विज्ञप्ति के अनुसार 18 दिसम्बर 1979 को श्री ई०एम०एस०नम्बूदरीपाद(माकपा), 19 दिसम्बर को श्री देवराज अर्स(कांग्रेस अर्स) 20 दिसम्बर को श्री राजनारायण(जनता एस0) 21 दिसम्बर को श्रीमती इन्दिरा गांधी(कांग्रेस ई0) 22 दिसम्बर को श्री जगजीवनराम (जनतापार्टी) 24 दिसम्बर को श्री भूपेश गुप्त(भा0क0पा0) के भाषण रात्रि साढ़े आठ बजे प्रसारित किये जायेंगे।'[2]

जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आयीं। श्रीमती गांधी की सरकार ने अनेक राज्यों की विधान सभाओं को भंग कर दिया। इन राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव समय में भी 'सभी मान्यता प्राप्त दलों को प्रसारण की यह सुविधा प्रदान की गयी।'[3]

इस प्रकार किसी समय जे0पी0 के विरोधी विचार रखने वाली श्रीमती गांधी की सरकार ने भी प्रसारण की इस सुविधा की आवश्यकता और औचित्य को स्वीकार किया और इसे नियमित रखा। जे0पी0 की प्रेरणा से इस समतामूलक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा का आरम्भ भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति में 'जनता पार्टी की सरकार' के समय से हुआ।

2- दैनिक जागरण कानपुर, 18 दिसम्बर, 1979

1- नवभारत टाइम्स(दिल्ली) 1 नवम्बर, 1979 पेज 1

3- दैनिक जागरण कानपुर, 7 मई 1980

(र) आपातकाल की संवैधानिक स्थिति में संशोधन

जे0पी0 और जनतापार्टी के नेताओं को आपातकाल का बहुत ही कटु अनुभव था। उन्होंने देखा था कि आपातकाल के समय किस प्रकार नागरिकों को प्रताड़ित किया गया और उनकी नागरिक स्वतंत्रतायें लगभग समाप्त कर दी गयीं। अतः वे चाहते थे कि भारत के आगामी राजनैतिक इतिहास में आपातकाल के नाम पर अधिकारों का दुरूपयोग न हो और न ही नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया जा सके।

जे0पी0 ने अपनी पुस्तक में 'आन्दोलन के फलस्वरूप बनी सरकारों की जिम्मेदारियाँ' शीर्षक के अन्तरगत लिखा था कि —" इमर्जेन्सी लागू करने के लिए कौन सी स्थितियाँ जरूरी हैं, उसको संविधान में स्पष्टतः पूर्वक अंकित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इमर्जेन्सी के अन्तरगत जो विशेष अधिकार शासन को सौंपे गये हैं, उनके दुरूपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ स्पष्ट मर्यादाओं का उल्लेख होना चाहिए। हम यह अनुभव कर चुके हैं कि उन मर्यादाओं के अभाव में इमर्जेन्सी के विशेषाधिकारों का उपयोग दलीय या व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर-संविधान में सुरक्षित मौलिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं को इमर्जेन्सी में कहाँतक स्थगित किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भी आवश्यक निर्देश संविधान में होने चाहिए।"[1]

जे0पी0 के इन सुझावों का आदर करते हुए जनता पार्टी की सरकार' ने '44वाँ संविधान संशोधन' करके 'आपातकालीन स्थिति की घोषणा' के सम्बन्ध में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था कर दी जिससे इसका न तो दुरूपयोग किया जा सके और न ही

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में जे0जयप्रकाशनारायण पेज 78

अनावश्यक रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ही स्थगित किया जा सके। 42वें संशोधन के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। 44 वें संशोधन द्वारा उसमें एक वाक्य और जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व मंत्रिमण्डल से उस पर पुनः विचार करने का आग्रह कर सकता है। इस प्रकार केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकालीन घोषणा नहीं हो सकेगी जैसा कि 1975 में हुआ था। यदि पुनः विचार के उपरान्त भी मंत्रिमण्डल अपने निर्णय पर दृढ़ रहे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। 'आपातकाल' (आन्तरिक) को 44 वें संविधान में स्वीकार कर लिया गया था किन्तु यह व्यवस्था की गयी कि (सशस्त्र विद्रोह) की दशा में ही इसकी घोषणा की जा सकेगी। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त निर्णय पर घोषणा करेगा। केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह ऐसा नहीं कर सकेगा। एक माह के अन्दर संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह स्वीकृति सदन के दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही मान्य होगी। यह घोषणा 6 मास के लिए लागू होगी। पुनः संसद की स्वीकृति अनिवार्य होगी यदि इसे 6 माह से अधिक लागू रखना है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को और अधिवेशन न होने पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देकर आपातकाल की घोषणा पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं तथा सामान्य बहुमत से इसे समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 में भी परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण की दशा में घोषित आपातकाल में निलम्बित किया जा सकता है, अन्य में नहीं।'[1]

1- संविधान का 44 वां संशोधन अनुच्छेद 352(1) खण्ड(3)(4)(5)(6)(7)(8) अनुच्छेद 359(1)

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 359 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 20 तथा 21 के स्थगन पर रोक लगा दी गयी है। संशोधित अनुच्छेद 359 में कहा गया है —" जहाँ आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लम्बित सभी कार्यवाहियाँ उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, निलम्बित रहेंगी।"[1]

अर्थात् अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकेगा। इसके पूर्व 'आपात काल की घोषणा के समय राष्ट्रपति संविधान के भाग 3 में उल्लिखित धारा 19 सहित सभी मौलिक अधिकारों में रोक लगा सकता था तथा नागरिकों को इन अधिकारों हेतु न्यायालय में अपील करने के अधिकार से भी वंचित कर सकता था।'[2]

'दिनमान' ने आपातकाल से सम्बन्धित 'जनता सरकार' की इन नयी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के संदर्भ में लिखा था —" सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के कारण अब आपातकाल का दुरुपयोग नहीं हो पायेगा। ये व्यवस्थाएं हैं —
'(4) उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबस कारपस) का अधिकार बराबर रहेगा।
(5) कोई भी नागरिक सरकार की बदनीयती के खिलाफ अदालत की शरण में जाकर आपातकाल की घोषणा को चुनौती दे सकता है (8) आपातकाल के दौरान संसद की

1- भारत का संविधान (1 जून 1982 को यथा विद्यमान) भारत सरकार प्रकाशन भाग 18 आपात उपबन्ध पेज 131

2- भारत का संविधान, रजत जयंती संस्करण, भारत सरकार प्रकाशन, अनुच्छेद 358 एवं 359 भाग 18 आपात उपबंध पेज 195

कार्यपालिका के प्रधान का अधिकारहरण नहीं किया जा सकता, जिसके कारण जनता को मालूम होता रहेगा कि उनके प्रतिनिधि वहाँ क्या कह और सुन रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन प्रावधानों के कारण 1975 जैसी स्थिति दोहराई नहीं जा सकेगी।"[1]

इन सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के कारण आपातकाल के दुरुपयोग की संभा' वनायें कम हो गयी हैं। जनतापार्टी की सरकार' द्वारा किये गये इन संशोधनों की प्रशंसा करते हुए 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के मुखपत्र 'समग्रता' ने अपने सम्पादकीय में लिखा था कि 'संकटकाल के बाद की सरकार ने जिस धैर्य के साथ काटा है उसकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रहा जा सकता।'[2]

जे0पी0 के सुझाव पर 'जनता पार्टी की सरकार' द्वारा किये गये इन संशोधनों के प्रति भारत के नागरिक सदैव आभारी रहेंगे क्योंकि संकट काल जैसी विषम परिस्थिति में भी उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था इन संशोधनों द्वारा हो गयी है।

(ख) मौलिक अधिकारों का न्यायपालिका द्वारा संरक्षण

आपातकाल के समय संविधान में ऐसे बहुत से संशोधन किये गये थे जिनके कारण न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो गये। इसके कारण न्यायपालिका नाग- रिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गयी थी।

1977 में जनतापार्टी की सरकार' सत्ता में आयी। उसने ऐसे बहुत से संशोधनों को समाप्त कर दिया जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण

1- दिनमान, 3-9 सितम्बर, 1978 पेज 17

2- समग्रता, 22-29 अक्टूबर, 1977 पेज 4

प्रदान करने के न्यायपालिका के अधिकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीमित या नियंत्रित करते है। 'जनता सरकार ने 43 वें एवं 44 संविधान संशोधन के माध्यम से अनेक व्यवस्थायें करके मौलिक अधिकारों को पुनः न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया। 2 अप्रैल 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था —" देश की और न्यायालयों की आजादी छीन ली गयी थी वह वापस हमने कायम की है।"[1]

42वें संविधान संशोधन ने जो आपातकालीन परिस्थितियों में पारित किया गया था नागरिक स्वतंत्रता और न्यायालयों की स्थिति को बड़ा आघात पहुँचाया था। उसे दूर करने के लिए43 वाँ संशोधन पारित कर लागू किया गया।' इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31डी को संविधान से निरस्त कर दिया गया। इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह राष्ट्र विरोधी कार्यों की ओट में कानूनी रूप में अन्य ट्रेड यूनियनों के क्रिया कलापों पर अंकुश लगा सकती थी। अतः इस धारा को समाप्त करके राजनैतिक समुदायों तथा ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को सीमित करने का अधिकार अब संसद के पास नहीं रह गया। ये संस्थायें अपनी गतिविधियों पर रोक लगने पर न्यायालयों की शरण ले सकती हैं। 43 वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका को पुनः सम्मानित स्तर प्रदान किया गया। 42 वें संशोधन द्वारा राज्य के कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया था। इस संशोधन द्वारा यह अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी केन्द्रीय सरकार के कानूनों को वैधानिकता की कसौटी पर कसने का अधिकार प्रदान किया गया।'[2] इसका सर्वाधिक

1- वायदे पूरे अधूरे, जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 4

2- संविधान का 43वाँ संशोधन अनुच्छेद, 144क, 131क, 226क, 228क, 32क

लाभ यह हुआ कि दूरस्थ प्रदेशों के नागरिकों को उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार न्यायपालिका, जो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु के रूप में मान्य है, उसे पुनः उसके अधिकार प्रदान किये गये। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितान्त आवश्यक है।

छठी संसद ने 43 वें संविधान संशोधन द्वारा 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गये न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित करने वाले प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। 43 वें संशोधन ने 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गये अनुच्छेद 31 डी, 32 ए, 131 ए, 144ए, 226ए तथा 228ए निरसित किये हैं।

इसके अतिरिक्त जनता सरकार ने 44 वें संविधान संशोधन द्वारा भी ऐसी अनेक व्यवस्थायें की हैं जो कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए '39 वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया था। 44 वें संशोधन द्वारा पूर्व स्थिति कर दी गयी। अर्थात् 39 वें संशोधन को समाप्त कर दिया गया।'[1]

39 वें संविधान संशोधन की समाप्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'समानता के अधिकार' का उल्लंघन करता था। इसी प्रकार 42 वें संशोधन में अनुच्छेद 77 तथा 166 में एक धारा (4) जोड़ दी गयी थी जिसके अन्तर्गत न्यायालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपने कार्यों के नियमों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के

1- संविधान का 44 वाँ संशोधन अनुच्छेद, 329क' (निरसित)

~~2- संविधान का 44 वाँ संशोधन अनुच्छेद, 77 और अनुच्छेद 166 का खंड (4) निरसित।~~

बाध्य नहीं कर सकते थे। इस धारा को 44 वें संशोधन द्वारा निकाल दिया गया।'[1]

यह संशोधन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता था कि केन्द्र या राज्य सरकारों के अपने कार्यों के नियम' नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने वाले होते। इस संशोधन के हो जाने से कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन नियमों को न्यायालय में चुनौती दे सकता है।

जनता सरकार ने 44 वें संविधान संशोधन द्वारा 'आपातउपबन्धों' में संशोधन करके आपातकाल जैसी विषम परिस्थिति में भी नागरिकों के 'मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का न्यायिक संरक्षण प्रदान किया है। उदाहरण के लिए 'मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के काल घोषित आपात स्थिति में ही स्थगित किया जा सकता है अन्य में नहीं।'[2] इसी प्रकार 'मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 अब आपातकाल में भी स्थगित नहीं किये जा सकते।'[3] अर्थात् इन व्यवस्थाओं के हो जाने से नागरिक आपातकाल में भी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इसके पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में कभी भी नहीं रही।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि 'जनता पार्टी की सरकार' ने आपातकाल के पश्चात् संविधान में संशोधन करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका द्वारा पुनः संरक्षण प्रदान किया है। इस संदर्भ में जे0पी0 ने अपनी पुस्तक में कहा था —"जनतापार्टी ने-मैं जिसे अपना ही एक हिस्सा मानता हूँ- हमारी स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इस विषयमें अपना वायदा पूरा करने के लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।'[4]

1- संविधान का 44वाँ संशोधन अनुच्छेद 77 और अनु0166 क खण्ड(4) निरसित)

2- संविधान का 44 वाँ संशोधन अनुच्छेद, 358

3- वही, अनुच्छेद, 359(1)

(ब) शाह आयोग

जे०पी० का मत था कि संकटकाल के अतिरेकों की जाँच होनी चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।'[1] 'आन्दोलन के फलस्वरूप बनी सरकारों की जिम्मेदारियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत जे०पी० ने इस संबंध में अपनी पुस्तक में लिखा था कि —" सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से कार्यवाई की जानी चाहिए और जाँच की पूरी तफसील प्रकाशित होनी चाहिए।''[2] जनता के अन्य संगठनों द्वारा भी आपातकाल के समय की गयी ज्यादतियों की जाँच की माँग की जा रही थी।

जे०पी० के सुझावों एवं जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए जनता सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री चरणसिंह ने आपातकाल से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी। गृहमंत्रालय की 28 मई 1977 की अधिसूचना के अनुसार "संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 25 जून 1975 को उद्घोषित आपात स्थिति के समय किये गये प्राधिकार के गलत इस्तेमाल, ज्यादतियों तथा अनाचारों और की गयी अथवा की जाने के लिए तात्पर्यित कार्यवाइयों के अभिकथनों के कतिपय पहलुओं के संबंध में जाँच करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों ने व्यापक माँग की है।...... अतः अब, जाँच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक जाँच आयोग नियुक्त करती है।"[3] इस आयोग के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति श्री जे०सी० शाह हैं। अतः इसे 'शाह आयोग' के

1- तरुणक्रान्ति, 28 अगस्त 3 सितम्बर, 1977 पेज 4

2- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में, ले० जयप्रकाशनारायण, पेज 8।

3- शाह जाँच आयोग, अन्तरिम रिपोर्ट प्रथम भारत सरकार प्रकाशन पेज 1

नाम से जाना जाता है। तत्कालीन सरकार द्वारा 'शाह आयोग' से कहा गया था कि वह बताये कि आपातकाल के अपराधियों को क्या सजा दी जानी चाहिए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति असंभव बनाने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए।

'शाह आयोग' को आपातकाल से संबंधित जाँच का कार्य करना था। अतः जे०पी०से संबंधित बहुत सी घटनाओं का जाँच के अन्तरगत आ जाना स्वाभाविक था। जे०पी० के सुझाव के अनुसार 'जनता सरकार ने 'शाह आयोग' की सभी रिपोर्टों को प्रकाशित किया है। 'शाह आयोग' ने 11मार्च और 26 अप्रैल 1978 को अपनी दो अन्तरिम रिपोर्टों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। सरकार ने 15 मई 1978 को इन दोनों रिपोर्टों को संसद के सामने प्रस्तुत किया। शाह कमीशन ने अपनी तीसरी और अन्तिम रिपोर्ट 6अगस्त 1978 को प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों के अध्ययन से प्रमाणित रूप से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार आपातकाल के समय नागरिकों को उनकी नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया गया।

शाह आयोग की रिपोर्ट से जे०पी० से संबंधित एक तथ्य यह सामने आया है कि जे०पी० को गिरफ्तार करने के बाद हरियाणा के सोहना नामक स्थान में रखे जाने की व्यवस्था हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल के निर्देश पर की गयी थी। इस संबंध में उन्होंने अपने प्रधान सचिव श्री एस०के०मिश्र को टेलीफोन किया था एवं हरियाणा से एक अधिकारी जे०पी० को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली से सोहना नामक स्थान में लाने के लिए भेजा गया था।'[1]

श्रीमती गाँधी ने शाह आयोग के सामने शपथ लेकर बयान देने से इन्कार कर दिया था। शाह आयोग द्वारा सहयोग किये जाने के निवेदन पर श्रीमती इन्दिरा-

---

1-शाह जाँचआयोग, अन्तरिमरिपोर्ट, प्रथम, भारत सरकार प्रकाशन, पेज 27-28

गांधी 'शाह आयोग' को पत्र लिखती रहीं। अपने इन पत्रों में आपातकाल के औचित्य को सिद्ध करती रहीं। उनका कहना था कि देश की स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा करना अनिवार्य हो गया था।

21 नवम्बर 1977 को शाह आयोग को लिखे गये अपने पत्र में श्रीमती गांधी ने लिखा था कि —"बहुमत दल के विधिवत निर्वाचित नेता के घेराव के भय से हटाने तथा सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाने को भी किसी भी प्रजातांत्रिक सिद्धान्त से उचित नहीं ठहराया जा सकता।"[1] 2 दिसम्बर 1977 को शाह आयोग को लिखे गये अपने दूसरे पत्र में श्रीमती गांधी ने लिखा था —" अगर एक विधिवत् निर्वाचित सरकार को हिंसा के भय से गलियों में प्रदर्शन और सेना तथा पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाकर गिरा दिया जाये तो देश का प्रजातांत्रिक ढांचा ही गिर जायेगा।"[2]

इन पत्रों में श्रीमती गांधी का संकेत जे0पी0 एवं उनके द्वारा संचालित 'बिहार आंदोलन' की ओर था क्योंकि 'बिहार आंदोलन' के समय मंत्रियों एवं विधायकों का घेराव किया गया था। 25 जून 1975 को दिल्ली की सभा में जे0पी0 के इस वचन को कि 'पुलिस और सेना को गैर कानूनी आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए' को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा की गयी थी। गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'आपात स्थिति क्यों?' में जे0पी0 पर हिंसा भड़काने एवं पुलिस एवं सेना को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

जे0पी0 शांतिपूर्ण घेराव' एवं 'गैर कानूनी आदेशों का पालन न करने की सलाह को अलोकतांत्रिक नहीं मानते थे। जे0पी0 द्वारा हिंसा भड़काने की बात कभी नहीं कही गयी। जे0पी0 पर हिंसा भड़काने का आरोप भ्रान्तिपूर्ण था। यह तथ्य शाहआयोग

1- शाहजांच आयोग अन्तरिम रिपोर्ट प्रथम उद्धृत श्रीमती गांधी का पत्र, भारत सरकार प्रकाशन पेज 33

2- शाह जांच आयोग अन्तरिम रिपोर्ट, प्रथम, भारत सरकार प्रकाशन, पेज 35

के सामने दिल्ली गुप्तचर विभाग की विशेष शाखा द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। इस गोपनीय रिपोर्ट में 25 जून 1975 के उपरान्त चलने वाले 'आंदोलन' के संबंध में बतलाया गया था —" श्री जयप्रकाश नारायण ने जगजीवन राम और यशवंतराव चव्हाण जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से अनुरोध किया कि वे प्रधान-मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए दबाव डालें। उन्होंने 'युवा तुर्कों' की प्रशंसा की। एक शपथ भी ली गयी जिसमें यह कसम खायी गयी कि आंदोलन हर हालत में शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा।"[1]

इस प्रकार 25 जून 1975 के बाद जे0पी0 व अन्य प्रतिपक्षी दलों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण एवं अहिंसक रखने का निश्चय किया गया था। अतः जे0पी0 द्वारा हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर आपातकाल की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं था।

शाह आयोग अपनी जांच के परिणाम स्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जिन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की गयी थी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह बात जे0पी0 पहले भी अनेक बार कह चुके थे। इस संबंध में शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था —"जैसा कि अन्तरिम रिपोर्ट नं0 1 के अध्याय 5 के विवरण के द्वारा स्पष्ट होगा, परिस्थितियों का ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो आपात-काल की घोषणा का समर्थन करता हो, खासकर एक आन्तरिक आपात काल को लागू करने का। देश के किसी भाग में किसी कानून और व्यवस्था के भंग होने का कोई साक्ष्य नहीं है और न ही इस बारे में किसी आशंका का। आर्थिक स्थिति भली भांति नियंत्रण नियंत्रण में थी और किसी प्रकार बिगड़ी हुयी नहीं थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति

1- दिनमान, 18-24 सितम्बर, 1977 पेज 11-12

के गंभीर रूप से भंग होने की आशंका या आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के बारे में किसी सरकारी पदाधिकारी से भी कोई रिपोर्ट नहीं है। किसी स्पष्टीकरण के अभाव में यह निष्कर्ष निश्चित है कि संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा निराश होकर अपने को न्यायिक फैसले के वैध दबाव से बचाने के लिए एक राजनीतिक निर्णय लिया गया।'[1]

'ऊपर लिखित अन्तरिम रिपोर्ट नं0एक के अध्याय 5 में 'शाह आयोग' ने उन परिस्थितियों की जाँच की थी जिनके कारण 25 जून 1975 को आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी थी।[2]

'शाह आयोग' की जाँच से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि जे0पी0 को जेल से उस समय मुक्त किया गया जबकि सरकार को विश्वास हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है। सरकार बन्दी की स्थिति में जे0पी0की मृत्यु का दायित्व बदनामी के भय से नहीं लेना चाहती थी। 'दिनमान के अनुसार —" दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री कोहली और उपायुक्त सुशील कुमार नवम्बर 1975 में चण्डीगढ़ गये ताकि श्री जयप्रकाश नारायण को मुक्त करने का आदेश दिया जाय। चण्डीगढ़ के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री माथुर ने आयोग को बताया कि श्री नारायण के लिए दो आदेश बनाये गये थे। एक बिना शर्त की मुक्ति और पैरोल पर मुक्ति। माथुर ने कहा कि जब श्री नारायण ने बिना शर्त की मुक्ति का आग्रह नहीं किया तो दिल्ली के मुख्य सचिव ने बड़ी प्रसन्नता में श्री चमन को टेलीफोन पर बताया कि दूसरे आदेश की जरूरत नहीं पड़ी। यह मुक्ति आदेश इसलिए जारी किये गये थे कि जयप्रकाश जी को मृत प्राय समझा जा रहा था और सरकार नहीं चाहती थी कि बंधन में उनकी मृत्यु हो जाये।"[3]

1- शाह जाँच आयोग, अंतरिम रिपोर्ट द्वितीय, भारत सरकार प्रकाशन पेज 180

2- वही, अंतरिम रिपोर्ट प्रथम, भारत सरकार प्रकाशन, पेज 21-40

3- दिनमान, 18-24 दिसम्बर, 1977 पेज 13

नवम्बर 1975 में जे०पी० को पैरोल पर मुक्त करने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था'।'[1] दो आदेश इसलिए तैयार किये गये थे कि यदि जे०पी० पैरोल पर मुक्त होने से इंकार कर दें तो उन्हें बिना शर्त मुक्त किया जा सके। इससे तत्कालीन केन्द्र सरकार की इस मंशा का पता चलता है कि वह जे०पी० को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने अधिकारियों को इन दो आदेशों के साथ चण्डीगढ़ भेजा था।

परन्तु शाह आयोग की सम्पूर्ण कार्यवाही उस समय प्रभावहीन हो गयी जिस समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाह आयोग की कार्यवाही को अवैध घोषित कर दिया। शाह आयोग की वैधानिकता पर आरम्भ से ही प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। शाह-आयोग के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उनके सहयोगियों ने शपथ लेकर बयान देने से इंकार कर दिया था। उनका तर्क था कि 'शाह आयोग' की कार्यवाही से उनके पूर्व जो उन्होंने अपने पद पर पदासीन होते समय गोपनीयता की शपथ ली थी उसका उल्लंघन होता है एवं 'शाह आयोग को उन परिस्थितियों की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा की गयी थी।

'शपथ लेकर बयान देने से इंकार करने के कारण 'शाह आयोग' ने पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में श्रीमती गांधी श्री प्रणव मुखर्जी- श्री बंसीलाल, श्री संजयगांधी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया था जिसके विरुद्ध श्रीमती गांधी और श्री प्रणव मुखर्जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका उपस्थित की।'[2] इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी और उनके भूतपूर्व सहयोगी श्री प्रणव मुखर्जी के पक्ष में 20 दिसम्बर 1979 को निर्णय

1- जे०पी०के निजी सचिव श्री अब्राहम ने साक्षात्कार के समय बतलाया था।

2- दैनिक जागरण कानपुर, 21 दिसम्बर, 1979

किया। इस निर्णय के अनुसार " शाह आयोग अपने अधिकार से कहीं आगे बढ़ गया था और जस्टिस जे0सी0 शाह को एक मंच ही दुबारा ली गयी गोपनीयता की शपथ की उपेक्षा करने और उन परिस्थितियों की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं था, जिनके तहत इमर्जेन्सी की घोषणा की गयी थी। न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में मुकदमें को जारी रहने देना सार्वजनिक धन व समय की महज बर्बादी होगी। अतः न्यायिक यही होगा कि इस मुकदमें को रद्द कर दिया जाय (यह बात दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहे मुकदमें को खारिज करने के लिए कही गयी थी। क्योंकि अपीलकर्ताओं ने इस मुकदमें को खारिज करने की अपील की थी) न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि संघ के विषय में केन्द्र सरकार निर्णय देने के लिए कोई आयोग नहीं बैठा सकती है।"[1]

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध तत्कालीन केन्द्रीयसरकार ने 24 सितम्बर, 1979 को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 347 पृष्ठ के निर्णय में से 184 पृष्ठों को निरस्त करने तथा इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने की माँग की गयी थी। केन्द्र सरकार की इस याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सर्वोच्च न्यायालय खुलने पर 7 जनवरी 1980 को विचार किया जाना था।

परन्तु जनवरी 1980 में स्थिति बदल चुकी थी। श्रीमती इन्दिरागांधी एवं उनकी पार्टी लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में भारी बहुमत से विजयी रहीं। बदली हुयी परिस्थिति में तथाकथित अपराधी केन्द्र सरकार में थे अतः सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। श्रीमती गांधी की पार्टी के चुनाव विजय से शाह आयोग की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रभावहीन हो चुकी थी।

1- दैनिकजागरण, कानपुर, 25 सितम्बर, 1979

'शाह आयोग' एवं उसकी कार्यवाही की वैधानिकता एक संवैधानिक सूक्ष्मता का विषय है। परिस्थिति वश देश के सर्वोच्च न्यायालय में 'शाह आयोग' के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय भी नहीं हो पाया इसलिए इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। घटनाक्रम इतिहास को अद्भुत मोड़ देते हैं। यही भारत के राजनैतिक इतिहास में भी हुआ। इस शोध प्रबन्ध के संदर्भ में 'शाहआयोग' की जाँच की प्रासंगिकता यह है कि इससे जे0पी0 एवं आपातकाल से संबंधित अनेक तथ्य उभर कर सामने आये हैं। जिनका उपयुक्त स्थान पर उल्लेख किया गया है। 'शाह आयोग की जाँच से जे0पी0, नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों के दुरूपयोग से सम्बन्धी अनेक तथ्य प्रकट हुए हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इनका अपना अलग महत्त्व है। भारत के वर्तमान एवं भावी राजनीतिज्ञ इनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अन्त में शाह आयोग के सम्बन्ध में 'दिनमान' की इस टिप्पणी को यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जिसमें 'शाह आयोग' की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा गया था —"दो अन्तरिम रपटों में बड़ी मेहनत के साथ जो चित्र उभारा गया है वह आपात स्थिति और उससे पहले की घटनाओं और परिस्थितियों को समझने में एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज है।"[1] इस प्रकार शाह आयोग की के जाँच की कार्यवाही भारत के अतीत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी।

1-दिनमान, 28 मई, 3 जून 1979 पेज 17

सप्तम अध्याय

जे०पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति के सम्बन्ध में जनता सरकार का दृष्टिकोण

सप्तम अध्याय

जे0पी0 की समग्र क्रान्ति के सम्बन्ध में जनता सरकार का दृष्टिकोण

'बिहार आन्दोलन' के गर्भ से 'जनता पार्टी' का जन्म हुआ था। इसके निर्माण में जे0पी0 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1977 के चुनावों के परिणाम - स्वरूप जनता पार्टी को सत्तारूढ़ होने का अवसर मिला। अतः स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की गयी थी कि वह जे0पी0 के वैचारिक चिन्तन 'समग्र क्रान्ति' के प्रति लगाव अनुभव करेगी एवं उसको यथार्थरूप में परिणत करने के लिए अपेक्षित कदम उठायेगी।

जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' सम्बन्धी वक्तव्य में कहा था —— "यह क्रान्ति दो चार वर्षों में होने वाली नहीं है। इसमें समय लगेगा और इसके लिए सतत प्रयत्न करना होगा। आंदोलन के गर्भ से जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें पैदा हुयी हैं उनकी भी इस बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।"[1] जे0पी0 ने अपनी पुस्तक में 'आंदोलन के फलस्वरूप बनी सरकारों की जिम्मेदारियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा था कि 'मैं मानता हूँ कि बिहार में जो लोक आंदोलन चला, उसके पीछे का जो सार है, इस आंदोलन के फलस्वरूप जो नयी सरकारें बनी हैं उसे ग्रहण करेंगी, बिहार आंदोलन का जो उद्देश्य है वह आज भी है। 'सम्पूर्ण क्रान्ति' यह क्रान्ति अकेले सरकार द्वारा नहीं हो सकती। फिर भी एक हद तक इस क्रान्ति में सरकार अपनी भूमिका अवश्य अदा कर सकती है। वर्तमान सरकार क्रान्ति की आंदोलन की प्रक्रिया में बनी है, इसलिए क्रान्ति में कुछ और तक सहयोगी हो सकती है, और यह उसका कर्तव्य है।'[2]

1- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में ले0श्री जयप्रकाश नारायण, पेज 74

2- वही, पेज 107।

प्रतिनिधि वापसी का अधिकार अव्यावहारिक है। तो क्या अब चुनाव घोषणा से जनता पार्टी की सरकार का कोई संबंध नहीं है? क्या चुनाव घोषणापत्र मतदाताओं के बरगलाने के लिए है? या कि सरकार ने इस विषय पर विशेष ध्यान दे लिया? हमारी तो मान्यता ही यही है कि सरकार ने इस दूरगामी अधिकार की अव्यावहारिकता को परखे बिना इसे अस्वीकार कर दिया। कहाँ चली देश में इस पर बहस? कहाँ कानूनविदों और परिपक्व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सेमिनार सरकार ने आयोजित किये?"[1]

प्रतिनिधि वापसी का प्रावधान करने की जे०पी० की मांग राजनेताओं के लिए सबसे असुविधाजनक बात थी। क्योंकि इससे उनके अपने ही अस्तित्व के खतरे में पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर होती थी।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई को 2 मार्च 1979 को लिखे गये अपने अन्तिम पत्र में जे०पी० ने अपेक्षाकृत कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा था —" शायद आपको याद भी होगा कि जिस आंदोलन ने जनता पार्टी को जन्म दिया और आपको सत्ता में ला बिठाया उसने इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया था कि लोगों को पूरे पांच वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जबकि वे ईमानदारी से ऐसा महसूस करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि निकम्मा साबित हुआ है या फिर चुनाव के समय किये गये वायदों को पूरा करने का काम सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहा है। यह उनका (जनता) अलिखित अधिकार है कि वह अपने प्रतिनिधियों से उनकी अकुशलता अकर्मण्यता का स्पष्टीकरण मांगे और स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उसे वापस बुलाने का अधिकार भी उसे है। यह सच है कि हमारा संविधान लोगों के इस अधिकार को मान्यता नहीं देता। यह देखकर मुझे दुःख हुआ कि वर्तमान संसद ने जिस संविधान संशोधन को पारित किया उसमें भी इस जनाधिकार

को शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। हालांकि जनतापार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस प्रस्ताव पर विचार करने का वचन दिया था।"[1]

इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार ने जे०पी० की 'सम्पूर्णक्रान्ति' के इस विचार को पूरी तरह से नकार कर बिहार आन्दोलन के समय जे०पी० के संदर्भ में साम्यवादियों द्वारा की गयी इस आलोचना को सत्य सिद्ध कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था —" जे०पी० को उम्मीद है कि पार्टियाँ यथा समय उग्र परिवर्तनोन्मुख (रैडिकलाइज्ड) हो जायेंगी। लेकिन ये पार्टियाँ सोचती हैं कि वे जे०पी० की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रही हैं। वे भी नहीं चाहती हैं कि —" इस अवस्था में हर चीज को "आर्डर" कर दिया जाये। और जब वे आर्डर कर देंगी तब जय-प्रकाश नारायण अपने आपको असहाय और उन पार्टियों के चंगुल से निकलने में असमर्थ पायेंगे।"[2] इसमें सन्देह नहीं कि 'जनता पार्टी के नेताओं ने जे०पी० को उसी तरह पृष्ठभूमि में धकेल दिया जिस तरह कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी को किनारे कर दिया था।"[3]

यदि 'जनतापार्टी' ने जनप्रतिनिधियों के वापसी के अधिकार को अपने चुनाव घोषणापत्र में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था तो उसे इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए था। यदि जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिल जाता तो जनप्रतिनिधियों के भ्रष्ट आचरण पर रोक लगने की सम्भावना बढ़ जाती। जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करना पड़ता। इस विचार की स्वीकृति देश के लोकतान्त्रिक विकास में नयी सम्भावनाओं को जन्म देती।

1- दिनमान, 8-14 अप्रैल 1979 जे०पी०का मोरारजी को पत्र, पेज 20

2- सम्पूर्ण क्रान्ति बेनकाब, ले० [illegible] (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रकाशन) पेज 13

3- तरुण क्रान्ति, 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 10

सारणी

कृषि और ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	पांचवीं योजना	पंचवर्षीय योजना
	(1974-79)	(1978-83)
1-कृषि तथा संबंधित क्षेत्र		
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	210	425
कृषि उत्पादन	575	1125
भूमि सुधार और चकबन्दी	163	350
भूसंरक्षण और भूमिसुधार	221	450
खाद्य	123	150
पशुपालन और दुग्ध उद्योग	438	825
मत्स्यपालन	150	400
वनसंरक्षण	206	450
कृषि वित्त संस्थाओं में निवेश	520	1000
सामुदायिक विकास और पंचायतीराज	127	150
सहकारिता	376	475
2-ग्रामविकास —		
ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम	537	1550
कमांड क्षेत्र विकास	206	450
पहाड़ी एवं जनजाति क्षेत्रविकास	450	800
3-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
बड़ी और मध्यम सिंचाई	3089	7250
लघु सिंचाई	792	1725
बाढ़ नियंत्रण	345	675
योग	8528	18250

(भारत 1979 पेज 276-277 से)

(ब) ग्रामीण विकास और स्वावलम्बन :-

जे0पी0 ने गांवों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से अपने सम्पूर्ण क्रान्ति के चिंतन में कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया था। 'जनतापार्टी' की सरकार' ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये थे। 1979-80 के केन्द्रीय बजट से जनता सरकार की ग्रामोन्मुखी नीति का पता चलता है।

12 जुलाई 1979 को जनता सरकार के विरुद्ध तत्कालीन विपक्ष (कांग्रेस) द्वारा रखे गये अविश्वास प्रस्ताव के बहस के समय लोकसभा में बोलते हुए श्री जार्ज फर्नांडीज ने अपनी सरकार की कृषि नीति के सम्बन्ध में विरोधी सदस्यों से कहा था-" देश में आगामी पांच वर्षों में योजना के कुल सार्वजनिक व्यय का 43.5 प्रतिशत ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर व्यय किया जायेगा। सच यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 33000 करोड़ रु0 रखे गये हैं और यह रकम उस रकम की डेढ़ गुनी है जो अपने गत 30 वर्षों में इस क्षेत्र पर व्यय की थी।"[1] 'जनता सरकार' द्वारा तैयार की गयी छठीं योजना में 'अन्य योजनाओं की तुलना में ग्रामीण विकास के तत्वों' को और अधिक विकसित किया गया था। गांवों का जीवन स्तर उठाने के लिए दूगुने से भी अधिक व्यय का प्रावधान किया गया था। वार्षिक संदर्भ के ग्रन्थ 'भारत' में दिये गये तुलनात्मक आंकड़ों से यह बात स्पष्ट है। आंकड़ों के लिए सारणी देखें।"[2]

सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि निर्धारित की थी। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की काफी सम्भावनायें थीं।

1- लोकसभा डिबेट्स, 12 जुलाई, 1979 नं0 4 कालम 269-285

2- भारत- 1979 पेज 276-77 'भारत सरकार प्रकाशन'

सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि :—

जनता सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी। जिससे आगे चलकर कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। "1977-78 में ही 26 लाख हेक्टेयर, नयी जमीन पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी थीं। इससे पहले तीन साल से औसतन 14 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा मिल पाती थी।"[1]

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यय की जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गयी थी। जनता पार्टी के राज्यसभा के तत्कालीन सचिव श्री सुरेन्द्र मोहन ने अपने लेख 'जनता सरकार की उपलब्धियाँ क्या हैं' में लिखा था —" सिंचाई पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में 520 करोड़ रुपये औसतन खर्च हुआ है, किन्तु गत दो वर्षों में औसतन 870 करोड़ रुपये खर्च हुए अर्थात् ड्योढ़ा।"[2]

इसके अतिरिक्त 'जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाओं में भी सुधार किया था। डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने अपने लेख -'एक अविस्मरणीय कीर्तिमान' में लिखा था —' बैंकिंग पद्धति को एक नयी दिशा की ओर मोड़ा गया है ----सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कहा गया है कि मार्च,1979 तक कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उनके द्वारा दिये गये अग्रिम धन का कम से कम $33\frac{1}{3}$ प्रश मिलना चाहिए। बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि जून 1978 तक प्रत्येक सामुदायिक खण्ड में कम से कम एक व्यावसायिक बैंक की स्थापना हो जाय। यह सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के डिपोजिट को अन्यत्र न लगाया जाय, इसके लिए ऐसा नियम निर्धारित किया गया है। ---व्यावसायिक बैंकों

1- धर्मयुग, 18-24 फरवरी, 1979 पेज 23

2- वही, 25 से 31 मार्च 1979 पेज 11

की प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्धशहरी शाखाओं के धन का कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया जाये। छोटे किसानों तथा लघु उद्योगों द्वारा ऋण लेने की सुविधाओं का विस्तार किया गया है।"[1]

बैंकिंग क्षेत्र में की जाने वाली उपर्युक्त सभी सुविधायें ग्रामीण विकास में सहायक हैं।

खाद :—

"जनता सरकार ने कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद के मूल्यों में कमी करके किया था। 1979 के बजट में जिन राहतों की घोषणा की गयी थी, उन राहतों में सबसे प्रमुख राहत रासायनिक उर्वरकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती थी। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि —" 1978-79 में यूरिया का मूल्य प्रति टन 100 रूपया कम कर दिया गया।"[2] मूल्यों में कमी हो जाने से किसानों द्वारा पहले के वर्षों की अपेक्षा अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत के अनुसार —"1977-78 में उर्वरकों की कुल खपत 42·86 लाख टन थी जबकि 1976-77 में 34·11 लाख टन थी। विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग इस प्रकार था —

उर्वरक	1977-78(लाखटन)	1976-77(लाखटन)
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक	29·13	24·57
फास्फेट युक्त उर्वरक	8·67	6·35
पोटाश युक्त उर्वरक	5·06	3·19 "[3]

1- चार वर्ष पूरे अधूरे, जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 13-14

2- वही, पेज 16

3- भारत, 1979 पेज 287(भारत सरकार प्रकाशन)

उत्पादन वृद्धि :—

सिंचाई, खाद तथा कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा। कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। भारत में कृषि उत्पादन बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करता है परन्तु कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सुविधायें भी उत्पादन को प्रभावित करती हैं।" 1977-78 में खाद्य उत्पादन में नया रिकार्ड स्थापित हुआ। इस वर्ष 12.56 करोड़ टन उत्पादन हुआ, जो 1975-76 के 12.1 करोड़ टन के रिकार्ड उत्पादन से 46 लाख टन और 1967-77 के 11.16 करोड़ टन के उत्पादन से 1.4 करोड़ टन अधिक था।"[1] कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक वृद्धि इस प्रकार थी —

सारणी (हजार टन में)

फसल	1976-77	1977-78
चावल	41917	52676
ज्वार	10524	11818
मोटा अनाज	1752	2113
गेहूँ	29010	31328
चना	5424	5451
अरहर	1725	1888
अन्य दालें	4212	4459
	संशोधित अनुमान	अन्तिम अनुमान

"[2]

1- भारत 1979 पेज 277 (भारत सरकार प्रकाशन)

2- भारत 1979 पेज 274-75 (भारत सरकार प्रकाशन)

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 'जनता सरकार' द्वारा अपनायी गयी नीति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुयी। 12 जुलाई 1979 को संसद में बोलते हुए श्री जार्ज फर्नांडीज ने कहा था —" इस वर्ष कृषि उत्पादन ने सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं — कृषि उत्पादन 1305 लाख टन हुआ है।"[1]

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास :—

जनता पार्टी की सरकार ने कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनायी थी। इन उद्योगों में अधिकांशतः गांवों की जनता कार्य करती है। "23 दिसम्बर 1977 को जनता पार्टी के तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज ने अपनी सरकार की उद्योग नीति की घोषणा की थी।'[2] इसमें कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस नीति पर टिप्पणी करते हुए 'दिनमान' ने लिखा था —' इसमें छोटे उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। उद्योग नीति वक्तव्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लघु और ग्रामोद्योग के लिए एक विशिष्ट भूमिका निश्चित की जा रही है। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होगी आर्थिक स्वामित्व और शक्ति का विकेन्द्रीकरण भी होगा और उपेक्षित ग्रामीण अंचलों तथा पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जायेंगी।"[3]

ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें उत्पादित आरक्षित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि की गयी थी। इस संबंध में वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ 'भारत' में बतलाया गया था —" ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए औद्योगिक

1- हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व है, ले० जार्ज फर्नांडीज, (जनता प्रदीप प्रकाशन) पेज 6
2- लोकसभा डिबेट्स, 23 दिसम्बर, 1977 नं० 27 कालम 292-329
3- दिनमान, 1-7 जनवरी, 1978 पेज 17 और 19

नीति को भी नया रूप दिया गया है इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में अधिकाधिक वृद्धि और ग्रामीण आय का स्तर बढ़ाना है। पहले 180 चीजें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित थी जबकि अब 800 आरक्षित की गयी हैं।"[1] "बजट में जनता सरकार के ही समय में इन आरक्षित वस्तुओं की संख्या में और वृद्धि की गयी।" लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 807 वस्तुयें केवल इसी क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दीं।"[2] आरक्षित वस्तुओं की वृद्धि से इन उद्योगों के विकास की सम्भावना बढ़ी थी।

'दिनमान' ने लिखा था —" केन्द्रीय बजट में ग्रामोद्योगों के विकास के लिए 193 करोड़ रुपये रखे गये हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यह 53 करोड़ रु0 अधिक हैं।" इस प्रकार जनता सरकार के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय की जाने वाली धनराशि में निरन्तर वृद्धि की जा रही थी।

उपर्युक्त अध्ययन और विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनता सरकार की नीति ;ग्रामीण विकास और गरीबों के आत्म निर्भर होने की दिशा में सहायक थी। ग्रामीण विकास और स्वावलम्बन के क्षेत्र में जनता सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति जे0पी0 के विचारों के अनुकूल थी। जे0पी0 ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा था —" 60 लाख एकड़ नयी भूमि सिंचित हो रही है। उन्नत किस्म के बीज ज्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। खाद का प्रयोग बढ़ रहा है। दूध के लिए डेयरी को प्रोत्साहित करने की दिशा में कुछ ठोस काम हुआ है। और कुल मिलाकर कृषि की पैदावार स्थायी वृद्धि की दिशा में में है। आर्थिक क्षेत्र में कृषि और लघु ग्रामाधारित उद्योगों की तरफ झुकाव भी बढ़ रहा है जो सही दिशा में एक कदम है। पिछली नीति से हटकर जनता सरकार की आर्थिक नीति में ग्रामीकरण पर जोर है, यह स्वागत योग्य है।"

1- भारत 1977-78 भारत सरकार प्रकाशन सीरीज, परिवर्तन का वर्ष पेज '8'

2- भारत 1979 भारत सरकार प्रकाशन, पेज 426

(स) राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण :—

जे०पी० राजनैतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के पक्षधर थे। "जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण का आश्वासन दिया था।"[1] 'जनतापार्टी की सरकार' बनने पर प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने राष्ट्र के नाम प्रथम संदेश में सत्ता के केन्द्रीकरण को प्रजातंत्र के लिए अभिशाप बताया था। अपने प्रारंभिक दिनों में 'जनता सरकार' ने विकेन्द्रीकरण का कार्य आरम्भ किया। इस संबंध में 'दिनमान' ने लिखा था —" जनता सरकार ने प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की अपनी नीति पर अमल शुरू कर दिया है पता चला है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को 'कबीना सचिवालय' से पृथक करके गृहमंत्रालय से सम्बद्ध किया जा रहा है। नागरिक सेवाओं पर इसी विभाग का नियंत्रण है। इसके साथ ही राजस्व गुप्तचर विभाग और निष्पादन निदेशालय (राजस्व) वित्तमंत्रालय को लौटाये जा रहे हैं। ये दोनों विभाग 1970 में वित्तमंत्रालय से पृथक करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले लिये थे। कबीना सचिवालय प्रधानमंत्री की सत्ता का प्रमुख आधार है। इन दो विभागों के चले जाने से उनकी सत्ता में उल्लेखनीय कमी हुयी है और भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय में जो सत्ता सिमट आयी थी उसके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध नीति नियामक संगठनों को संबंधित मंत्रालयों को लौटाने का निर्णय भी किया गया है। अब तक ये प्रधानमंत्री सचिवालय से संबद्ध थे।"[2]

परन्तु विकेन्द्रीकरण का कार्य केवल यहीं तक सीमित होकर रह गया इसलिए जे०पी० को जनता सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना पड़ा। उन्होंने राज्यों

1—जनतापार्टी का चुनाव घोषणापत्र 1977 जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 13-14

2— दिनमान 1-7 मई 1977 पेज 25

को और अधिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने का सुझाव दिया था।'[1]

जे0पी0 की सलाह की उपेक्षा करते हुए — '22 जनवरी, 1978 को बैंगलूर में जनता पार्टी की कार्यकारणी समिति में प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई द्वारा राज्यों को और स्वायत्तता प्रदान करने से इंकार कर दिया गया।'[2] 'विकेन्द्रीकरण के संबंध में 'जनता पार्टी की सरकार' का यह पहला विरोधी स्वर था।

'बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई पर आरोप लगाया गया कि वे राज्यों के साथ नगरपालिका से भी बुरा व्यवहार करते हैं। जनता घोषणापत्र के विपरीत राज्यों की स्वायत्तता छिनती जा रही है।'[3]

राज्यों को स्वायत्ता देने से इंकार करने पर जे0पी0 को जनता सरकार से राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की दिशा में कम ही आशा रह गयी थी। 7-8 फरवरी 1978 को 'बिहार युवा जनता' के दो दिवसीय सम्मेलन को अपने भेजे गये संदेश में जे0पी0 ने कहा था — "जनता पार्टी से जो बड़ी बड़ी अभिलाषायें जनता ने की थीं वे अभी तक पूरी नहीं हुयी हैं। सत्ता आज भी थोड़े से हाथों में केन्द्रित है। जब तक सत्ता का केन्द्रीकरण रहेगा तब तक तानाशाही का खतरा बना रहेगा। इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इस दिशा में कदम बढ़ाने का वचन जनता पार्टी ने तो दिया है लेकिन वह अभी तक कुछ कर नहीं पायी है।"[4]

4 नवम्बर, 1978 को 'बिहार आन्दोलन' में सम्मिलित विभिन्न संगठनों द्वारा 'वादा निभाओ दिवस' का आयोजन किया गया था। इसमें जनता सरकार से विकेन्द्रीकरण की दिशा में उचित कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए मांग की गयी थी कि :'जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में राजनैतिक एवं आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए ठोस कदम उठाने के जो वायदे किये गये हैं उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित

1- देखें इसीशोध प्रबन्ध में, जे0पी0की समग्रक्रान्ति का विचार अध्याय4राजनीतिक तत्व
2-दिनमान, 5-11 फरवरी, 1978पेज5 3- इण्डियनएक्सप्रेस, 25जून 1979
4- दिनमान 26 फरवरी, से 4मार्च, 1978 पेज 22

किया जाय।"[1]

'धर्मयुग' ने 1978 में अपना एक अंक 'जनता सरकार : एक वर्ष का मूल्यांकन' शीर्षक से निकाला था। इस अंक में प्रखर समाजवादी युवा चिंतक श्री किशन पटनायक ने 'विकेन्द्रीकरण सिर्फ नारा' शीर्षक के अन्तरगत अपने लेख में जनता सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली विकेन्द्रीकरण संबंधी नीति पर प्रकाश डालते हुए लिखा था 'इस एक वर्ष में जनता सरकार ने विकेन्द्रीकरण की घोषणायें की है अमल की दिशा में कुछ नहीं हो पाया है।.... जहाँ तक राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की बात है, इसके लिए श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी। इसकी सिफारिशों और उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अमल कैसे होगा यह दूर भविष्य की बात लगती है। अभी तक व्यवहार में जनता पार्टी और उसकी सरकार आचरण और कार्य संबंधी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं लायी है जिससे विश्वास हो कि नयी सरकार विकेन्द्रीकरण को एक आवश्यक सिद्धान्त के रूप में मानती है।.... जनता की जिम्मेदारी के लिए प्रशासन जनता सम्पर्क की जो स्थिति होनी चाहिए, उससे हम बहुत दूर हैं।'[2]

इस प्रकार जनता सरकार अपनी स्थापना के एक वर्ष बाद तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी थी। 1978 में जनतापार्टी और उसकी सरकार में आन्तरिक कलह का आरम्भ हो चुका था। इससे जनता सरकार के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होने लगा था। सरकार और प्रशासन ने यथास्थितिवाद' को अपना रखा था। आगे चलकर इसी कारण से 1979 में जनता सरकार भी गिर गयी ऐसी स्थिति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की कल्पना करना व्यर्थ था।

1980 में श्रीमती गांधी की सरकार बनने के बाद 'धर्मयुग' में श्री गणेश मंत्री ने अपने एक लेख में 'बिखरता जनता पार्टी और लोकतंत्र की' उपशीर्षक

1- [illegible], 12-18 नवम्बर, 1978 पेज 15

2- धर्मयुग, 26 मार्च से 2 अप्रैल, 1978 पेज 12

सीमित रही है और राष्ट्रीय मामलों में नौकरशाही का प्रभुत्व बढ़ा है। जनता ठगी सी अनुभव करती है जब वह देखती है कि सत्ता के सभी केन्द्रों पर उन्हीं शाहों का नियंत्रण है। अगर नौकरशाही का प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण कायम रहता है और उसमें जनता की कोई सक्रिय भूमिका नहीं बनती तो राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की सारी बातें निरर्थक हैं।"[1]

इस प्रकार जे०पी० का भी विचार था कि जनता सरकार ने 'राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। जनता पार्टी के नेता सिद्धान्त रूप में तो विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं परन्तु व्यावहारिक रूप में उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जे०पी० के सम्पूर्ण क्रान्ति' के चिंतन के आधारभूत तत्व 'राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' के सम्बन्ध में जनता सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा।

<u>(ब) दलित वर्ग का उत्थान :—</u>

जे०पी० दलित वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान चाहते थे। उनका विचार था कि इस वर्ग के लोगों का सामाजिक आर्थिक शोषण समाप्त हो। उनके साथ समाज में समानता का व्यवहार किया जाय।

जनतापार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में 'सीलिंग कानून को ईमानदारी से लागू करने' उससे मिलने वाली जमीन को भूमिहीनों में वितरित करने, अनुसूचित एवं जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने, एवं उनको संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया था।'[2]

1- समयुग 22-28 अप्रैल, 1979 (जे०पी० द्वारा 1 मार्च 1979 को लिखा गया श्रीमोरारजी देसाई को पत्र) पेज4

2- जनतापार्टी का चुनाव घोषणापत्र, 1977 पेज20-21

भूमिवितरण :—

भूमि सम्बन्धी कानूनों को जनता सरकार उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सकी। इसके परिणाम स्वरूप सीलिंग व अन्य प्रकार से मिलने वाली भूमि का हरिजनों व भूमि हीनों में उचित वितरण नहीं हो सका। इस क्षेत्र में जनता सरकार की असफलता के संबंध में 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के पत्र 'समग्रता' ने लिखा था —"एक सीधा सादा काम राज्य सरकारें कर सकती थीं, पहले से बने हुए भूमिसुधार कानूनों पर सख्ती से अमल का, भूमिहीनों में भूमिवितरण का। लेकिन निहित स्वार्थों के प्रतिनिधियों की ओर से बहस छेड़ी गयी भूमि की सीमा बढ़ाने की। बाद में यह बहस बन्द हो गयी, लेकिन भूमि सुधारों के नाम पर मात्र कानूनों की सही [illegible] करने की बात से आगे जनता पार्टी नहीं जा सकी। गुजरात तथा देश के कितने ही भागों से ये समाचार भी आये कि पिछली सरकार द्वारा बाँटी गयी भूमि को कतिपय शक्तिशाली भूस्वामियों ने छीन ली है। भूमि सुधार के क्षेत्रों पर अकर्मण्यता की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इस अकर्मण्यता को तोड़े बिना, भूमिहीन, हरिजन, आदिवासी में आशा और विश्वास पनपाये बिना गाँधीवादी समाजवाद का कौन सा सपना चरितार्थ हो सकता है?"[1]

जे०पी० ने जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर को लिखे गये अपने पत्र में लिखा था —" आर्थिक क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण बात भूमि व्यवस्था और भूमि संबंधों के सुधार की है। इस दिशा में गत वर्षों में कई कानून बने हैं, उनमें त्रुटियाँ तो हैं पर जो कानून बने हैं उन पर भी अमल नहीं हो सका है।"[2]

8 नवम्बर 1978 को 'बिहार आन्दोलन' में सम्मिलित विभिन्न छात्र युवा एवं अन्य संगठनों द्वारा जे०पी० के आवास पटना में 'वादा निभाओ' दिवस

1- समग्रता 9-15 अप्रैल, 1978 पेज 11

2- वही, 21-27 मई 1978 पेज 11 (जे०पी० द्वारा श्री चन्द्रशेखर को लिखे गये पत्र का अंश)

का आयोजन किया गया। इसमें भूमिहीन गरीब लोगों की उपेक्षा की और सरकार का दमन दिखाते हुए कहा गया था —"सरकार भूमि हदबंदी तथा बटाईदारी के कानूनों को क्रियान्वित करने में असफल सिद्ध हो रही है।"[1]

इस प्रकार भूमिहीनों में भूमिवितरण का कार्य, 'जनतासरकार' ठीक ढंग से नहीं कर सकी। यदि सीलिंग व अन्य कानूनों के अन्तर्गत मिलने वाली भूमि का भूमिहीनों में नीतिपूर्ण वितरण किया जाता तो भूमिहीनों की स्थिति में अवश्य सुधार होता।

<u>जनता सरकार का बजट :—</u>

जनता सरकार के बजट में समाज के गरीब वर्ग के लिए अपेक्षाकृत कम धनराशि रखी गयी थी। जनता सरकार के 1977 के बजट पर टिप्पणी करते हुए 'समयुग' ने लिखा था —'बजट को देखने से पता चलता है कि बजट के 10प्रतिशत को भी नीचे के लोगों के स्तर को ऊपरउठाने के लिए नहीं रखा गया"[2]

'जनता सरकार के 1979 के बजट में रासायनिक खादों, डीजल व उन्नत कृषि यंत्रों में भारी छूट दी गयी थी। इससे गाँवों के सम्पन्न किसानों को ही लाभ हुआ था। बहुसंख्यक गरीब किसानों के लाभ के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी।

इस बजट के सम्बन्ध में 'समयुग' ने लिखा था —" इस बजट का सबसे आपत्तिजनक पहलू है कि वित्तमंत्री गाँव के एक खास वर्ग से नीचे नहीं उतर सके। जिस प्रकार शहरों की तुलना में गाँव को रियायत देने की बात न्याय संगत है उसी प्रकार गाँव में जो वर्ग बने हैं उन्हें भी एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। धनाढ्य और बड़े किसान बजट [illegible] की छूट से अपना घर भरेंगे, पर उसमें कितना नीचे तक पहुँचेगा? रासायनिक खाद किसके खेतों में पहुँचता है? यह अत्यन्त

1- समयुग, 12-18नवम्बर, 1978 पेज 5

2- वही, 5-11फरवरी, 1978 पेज 12

भर नहीं समाप्त हो पाता। यह श्रमिकों के शोषण का सबसे निकृष्टतम रूप है। 'भारत सरकार' के 'बंधुआ मजदूर समाप्ति विधेयक 1976' के अनुसार कोई भी व्यक्ति बंधुआ मजदूर रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। परन्तु अन्य कुरीतियों की तरह यह व्यवस्था समाज में आज भी विद्यमान है।

जनता सरकार ने बंधुआ मजदूरों की मुक्ति की दिशा में कुछ प्रयत्न किये हैं। 'श्रम विभाग-सचिव की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित की थी उसका कार्य बंधुआ मजदूरों की स्थिति का पता लगाना था। राज्य सरकारों से भी ऐसी समितियों की स्थापना के लिए कहा गया था। देश में 97396 बंधुआ मजदूरों का पता लगा था। इनमें से 31 जुलाई 1977 तक 95997 को मुक्त कराया गया तथा 23720 के पुनर्वास की व्यवस्था की गयी।'[1]

यह सरकारी आंकड़े अपूर्ण हैं एवं समस्या की गम्भीरता को देखते हुए जनता सरकार का यह कार्य नगण्य था। यह तथ्य जनता सरकार के ही समय में पश्चिमी जर्मनी की संस्था 'ब्रेड फार द वर्ल्ड' के सहयोग एवं 'गांधी शान्ति प्रतिष्ठान' और 'श्रम मंत्रालय' के निर्देशन में कराये गये सर्वेक्षण से स्पष्ट है। इस सर्वेक्षण में 10 राज्यों के 294 जिलों के एक हजार गांवों में बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया। राज्यवार बंधुआ मजदूरों की स्थिति निम्न प्रकार थी —

राज्य	बंधुआ मजदूर	कृषि मजदूरों में प्रतिशत
आन्ध्रप्रदेश	325000	4·96
बिहार	111000	1·7
गुजरात	171030	9·5
कर्नाटक	193000	7·6

1- भारत 1977-78 भारत सरकार प्रकाशन, पेज 499-500

राज्य	बंधुआ मजदूर	कृषि मजदूरों में प्रतिशत
मध्यप्रदेश	467000	11·8
महाराष्ट्र	105000	2·1
राजस्थान	67000	9·4
तमिलनाडु	250000	6·0
उ0प्र0	555000	10·5

(उड़ीसा के आंकड़े सम्मिलित नहीं है)[1]

यह आंकड़े 9 राज्यों के है सम्पूर्ण देश की क्या स्थिति रही होगी इसका प्रामाणिक रूप से पता ही नहीं लगाया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता सरकार के समय में भी बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण हो रहा था। 'जनता सरकार' इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा सकी। यह जेपी0 की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की उपेक्षा का परिचायक था।

जनता सरकार ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कुछ सकारात्मक कार्य भी किये है। उदाहरण के लिए श्री भोलापासवान शास्त्री की अध्यक्षता में 'अनुसूचित एवं जनजाति आयोग' का गठन किया गया था। जनतापार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में कहा गया था 'जनतापार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए यथासंभव कार्य करने का वायदा किया था। उस वायदे की तर्कसंगत परिणति के रूप में सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति आयोगों को नियुक्त किया।'[2]
'आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों तथा जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक

1- रविवार, 6-12 मई, 1979 पेज 4

2- वायदे पूरे हुए, जनतापार्टी प्रकाशन पेज 31

स्थितियों में सुधार करना था। इस आयोग को इस बात का भी अध्ययन करना था कि उनकी समता में आने वाली कौन कौन सी बाधायें हैं और उनके इस गत्यवरोध को कैसे दूर किया जा सकता है।'[1] इस आयोग को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी थी। परन्तु आयोग की रिपोर्ट आने के पहले ही 'जनतापार्टी' सत्ता से अपदस्थ होगयी।

'गरीब वर्ग' के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कुछ प्रयत्न जनता सरकार के समय में किये गये। इस संबंध में श्री आरिफमोहम्मद ने 12 जुलाई 1979 को लोकसभा में बोलते हुए कहा था —' गत वर्ष हमने हरिजनों अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों के 60,000 जवान लड़के और लड़कियों को तालीम देने का प्रावधान किया। इस वर्ष 60,000और लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस प्रकार हम उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। गत वर्ष हमने हथकरघा क्षेत्र में 11 प्रतिशत अधिक कपड़ा तैयार किया। इससे देहाती गरीबों के हाथों में उतना ही अधिक धन गया।'[2] दलित वर्गों के उत्थान की दिशा में जनता सरकार का यह सकारात्मक प्रयास था परन्तु इन सकारात्मक प्रयत्नों के होते हुए भी 'जनतासरकार' के समय में हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारों और उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में बताया गया कि 'जून 1978 तक भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 59521, 1974, 75, 76, और 1977 के वर्षों में क्रमशः इस प्रकार के मामलें 8860, 7781, 5968, और 10879 हुए थे।"[3]

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता सरकार के समय में हरिजनों पर अत्याचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुयी थी। 1978 में जून तक हरिजनों

1- धर्मयुग, 20-26 अगस्त, 1978 पेज 10

2- हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व है, ले0आरिफमोहम्मद, पेज 12

3- दिनमान, 1-7 अक्तूबर, 1978 पेज 16

पर अत्याचार एवं उत्पीड़न के 5952 मुकदमें दर्ज किये गये हैं जबकि कार्यवाई अभी शेष था। इस संबंध में 'दिनमान' ने लिखा था —" इस प्रकार की घटनायें उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, और राजस्थान में सबसे ज्यादा हुयीं। संभवतः इसका कारण यह है कि देश के 50प्रतिशत से अधिक हरिजन इन्हीं प्रदेशों में रहते हैं।"[1]

इन सभी प्रदेशों में जनता पार्टी की सरकारें थी। अतः इसका दायित्व जनता सरकारों पर ही जाता है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना राज्य-सरकारों का विषय है। इस प्रकार जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने एवं उनके संरक्षण प्रदान करने का जो आश्वासन दिया था उसे वह पूरा नहीं कर सकी।

दलित वर्ग के उत्थान के संबंध में जनता सरकार की असफलता पर प्रकाश डालते हुए जे0पी0 ने प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को (1 मार्च 1979) को लिखा था —' राष्ट्रीय आय काफी बढ़ी है परन्तु विकास के ये लाभ गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों तक नहीं पहुंचे हैं और तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आर्थिक व्यवस्था को हम सुधारते नहीं एवं उसे समतावादी आधार पर पुनर्गठित नहीं करते। हरिजनों पर लगातार हो रहे अत्याचारों से जनतापार्टी की छवि को जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी बात से नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह समस्या अतीत की विरासत है। लेकिन अगर एक सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक और गांधीवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध सरकार सुदृढ़ प्रयास करे तो इस समस्या का अंत हो सकता है।"

इस पत्र से स्पष्ट है कि जे0पी0 जनता सरकार द्वारा इस संबंध में अपनायी जाने वाली नीति से सन्तुष्ट नहीं थे और हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों से दुखी थे।

1-दिनमान, 1-7 अक्तूबर, 1978 पेज 16

यह सत्य है कि जनता पार्टी की सरकार ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कुछ सकारात्मक कार्य किये थे। परन्तु वह उनको भूमि दिलवाने शोषणमुक्त कराने एवं उनको सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने में असफल रही थी जो कि अपेक्षाकृत एक मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता थी, क्योंकि बिना संरक्षण और सुरक्षा के अभाव में विकास की सभी सम्भावनायें समाप्त हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जनता सरकार का आन्तरिक संघर्ष था जिससे वह अपनी ~~नि~~ नीतियाँ उचित ढंग से लागू नहीं कर पायी।

(घ) लोकपाल :—

जे०पी० ने अपनी 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के सिलसिले में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' नियुक्त करने की बात कही थी। 'लोकायुक्त' की नियुक्ति कांग्रेस के शासन के समय में ही कुछ प्रदेशों में की गयी थी। 'लोकपाल' बिल कांग्रेसी शासन के समय प्रस्तावित अवश्य हुआ था किन्तु उसे कानून का रूप नहीं दिया गया।

जे०पी० के सुझाव को स्वीकार करते हुए जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लोकपाल सम्बन्धी कानून बनाने का आश्वासन दिया था।'[1] 1977 के लोकसभा के चुनावों के परिणामस्वरूप जनतापार्टी सत्ता में आयी। 13 अप्रैल 1977 को आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित अपने राष्ट्र के नाम संदेश में जे०पी० ने अपनी बात को पुनः स्मरण कराते हुए कहा —" गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आन्दोलन पूरे भारत में फैल गया और इस जन आंदोलन का खास मुद्दा राजनीतिक और सरकारी भ्रष्टाचार था। इसलिए इस आन्दोलन के तहत जो लोग सत्ता में आये हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राजनीतिक और सरकारी क्षेत्रों

1- जनतापार्टी का चुनावघोषणापत्र, 1977 पेज 35

में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ठोस और कारगर कदम उठायेगी। मेरी यह राय है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की तरह एक संस्था केन्द्र और राज्यों में बनायी जाय जिसके पास कानूनी सत्ता और अधिकार हो उदाहरण के लिए केन्द्र में एक ऐसा निकाय हो सकता है जिसका नाम लोकपाल हो·---- सरकार से सबसे पहले मेरी यह अपेक्षा है।"[1]

जे0पी0 की भावनाओं का आदर करते हुए 'जनता पार्टी की सरकार' ने '28 जुलाई 1977 को लोकसभा में 'लोकपाल विधेयक' प्रस्तावित किया।'[2] इस प्रकार 1969 में कांग्रेसी शासन के समय प्रस्तावित लोकपाल सम्बन्धी विधेयक को जे0 पी0 के प्रयत्नों से पुनः एक नया जीवन मिला। डा0 लक्ष्मीमल सिंघवी ने इसे 'अहिल्या उद्धार' की संज्ञा देते हुए लिखा —"जयप्रकाश जी ने उस अहिल्या को जो पत्थर बन चुकी थी फिर से जीवन प्रदान किया है। इसलिए लोकपाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने का एक साधन बनाया जाना चाहिए।"[3]

'स्वीडन' में इस प्रकार की संस्था है जिसे 'ओम्बुड्समान' (ओम्बड्समैन) कहा जाता है। ओम्बुड्समान स्वीडी भाषा का शब्द है जिसे बाद में हिंदी में लोकपाल का नाम दिया गया।

इस विधेयक के संदर्भ में पाँच वर्ष पूर्व 'भारत' में कहा गया था —"भ्रष्टाचार, प्रशासकीय दक्षता तथा नागरिकों की शिकायत पर पिछले वर्षों में वैसा ध्यान नहीं दिया गया जैसा दिया जाना चाहिए था। जैसे 1969 में लोकसभा ने लोकपाल (ओम्बड्समैन का भारतीय संस्करण) तथा लोकायुक्त की नियुक्ति करने के

1- दिनमान 24-30 अप्रैल, 1977 पेज 10

2- लोकसभा डिबेट्स सेकेण्ड सेशन, छठी, 28जुलाई1977 लोकपाल बिल' मोशन टू इन्ट्रोड्यूस, पेज 212-15

3- दिनमान, 17-23जुलाई, 1977 पेज12

लिए एक विधेयक पारित कर दिया था। परन्तु इसे पूरे तौर पर कानून का रूप नहीं दिया गया इस दिशा में जनता सरकार ने शीघ्र ही कदम उठाया और 28 जुलाई को लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना है जो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों सहित उच्च पदों पर आसीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जाँच करे।"[1]

इस विधेयक की व्याप्ति के सम्बन्ध में प्रस्तावित विधेयक से तुलना करते हुए तत्कालीन गृहमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा था —" पहले बिल में प्राइममिनिस्टर मेम्बरानें पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टरों का कोई जिक्र नहीं था। इस बिल के जुरिस्डिक्शन में सभी लोग आ जायेंगे।"[2]

'प्रधानमंत्री को लोकपाल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाना एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि लोकपाल यदि सरकार को सम्पूर्णता में नहीं देख पाता तो उसकी जाँच का महत्व स्वल्प होता।'[3]

इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के संबंध में बतलाते हुए तत्कालीन गृहमंत्री श्री चरणसिंह ने कहा था —"लोकपाल उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों पर विचार कर सकेगा जो 'सार्वजनिक व्यक्ति' की परिभाषा के अन्दर आते हैं जैसे प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, संसद सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री विधानसभाओं और परिषदों के सदस्य, केन्द्र शासित प्रदेशों के विधान सभा सदस्य और मेयर तथा जिलों के कार्यकारी पार्षद।"[4]

1- भारत 1977-78 'भारत सरकार प्रकाशन' [illegible] पेज 'छ'

2- लोकसभा डिबेट्स, सेकेण्ड सेशन, 1 अगस्त 1977 [illegible] पेज 303

3- दिनमान, 17-23 जुलाई, 1977 पेज 12

4- दिनमान, 14-20 अगस्त, 1977 पेज 20

इस विधेयक की बहस के समय कतिपय सदस्यों का कहना था कि संसद सदस्यों को 'लोकपाल' के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके पास कार्यपालिका संबंधी कोई अधिकार नहीं होते। परन्तु यह तर्क उचित नहीं था। 'तुलमोहन राम काण्ड से स्पष्ट हो चुका है कि संसद सदस्य भ्रष्टाचार कराने में सहायक होता है या हो सकता है।'[1]

संसद सदस्यों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना उचित नहीं था क्योंकि वह अपनी स्थिति का गलत लाभ उठा सकते हैं। बाद में 'इस विधेयक को विचार के लिए 'ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी' को सौंप दिया गया। इस कमेटी में ~~[illegible]~~ लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य थे।'[2] 'ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी' से प्रतिवेदित विधेयक पुनः बहस के लिए संसद में लाया गया। इस विधेयक पर अन्तिम बहस 10 जुलाई 1979 को लोकसभा उठने तक ही हो सकी क्योंकि इसी समय जनतापार्टी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के कारण इस पर आगे विचार नहीं हो सका। इस विधेयक की बहस के समय बोलते हुए मध्यप्रदेश (रीवां) के लोकसभा सदस्य श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने कहा था —
" वस्तुतः लोकनायक जयप्रकाश जी के आन्दोलन का यह प्रमुख मुद्दा रहा है कि सार्वजनिक जीवन से सर्वोच्च स्तर से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए और उनके स्वप्न को साकार करने के लिए यह विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है।"[3] 14 जुलाई 1979 को श्री मोरारजी देसाई मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और जे०पी० का यह सपना अधूरा रह गया।

1- दिनमान, 14-20 अगस्त 1977 पेज 20

2- लोकसभा डिबेट्स सेकेण्ड सेशन, 1 अगस्त 1977 [illegible] पेज 345

3- लोकसभा डिबेट्स 10 जुलाई, 1979 पेज 300-301

इसमें सन्देह नहीं कि 'लोकपाल' के संबंध में जनता सरकार ने जे०पी० के सुझाव को स्वीकार किया था। इसीलिए उसने 'लोकपाल विधेयक' को संसद में प्रस्तावित किया। परन्तु दुर्भाग्य से इस विधेयक के पारित होने के पूर्व ही जनता सरकार' सत्ता से हट गयी जिससे यह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सका।

इस विधेयक को प्रस्तावित कराने में जे०पी० की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो निश्चय ही राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलती। भारतीय लोकतंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की दिशा में जे० पी० द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण प्रयत्न भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुधार एवं विकास के इतिहास में स्मरणीय रहेगा।

(र) जनता सरकार की शिक्षानीति :—

जे०पी० ने 'अपने समग्र क्रान्ति के चिन्तन में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने, डिग्री का नौकरी से संबंध समाप्त करने, साक्षरता को बढ़ाने, मातृभाषा में शिक्षा एवं पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की बात कही थी।'[1]

'जनता सरकार' ने निरक्षरता को समाप्त कर साक्षरता को बढ़ाने में सर्वाधिक बल दिया था।' अप्रैल 1977 में नयी सरकार के कार्यभार संभालने के प्रायः साथ ही शिक्षा मंत्री ने संसद में घोषणा की कि देश में साक्षरता को सर्वव्यापी बनाने पर सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी। ...... निरक्षरता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया.... जनता सरकार ने निरक्षरता उन्मूलन को कितना महत्व दिया है इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि केवल प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में ही योजना में पहले केवल 18 करोड़ रु० रखे गए आवंटन का जो

1- देखें, इसी शोधप्रबन्ध का अध्याय 4, जे०पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार सैद्धान्तिक

बढ़ाकर दो अरब रुपये कर दिया गया था।'[1]

'5 अप्रैल 1977 को केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने संसद में शिक्षानीति की घोषणा की थी।'[2] 'इसमें पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा को (कक्षा 1 से 8 तक) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वभौम बनाया जायेगा और यह कार्य 10 वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा।'[3] प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से साक्षरता बढ़ने की पर्याप्त सम्भावना थी।

'30 अप्रैल 1979 को जनता सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया।'[4] इस नीति के अनुसार देश में बढ़ती हुयी निरक्षरता से युद्धस्तर पर निपटने के लिए सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 15-35 वर्ष के आयु समूह के कुल 23 करोड़ निरक्षरों में से दस करोड़ को शिक्षित करने की योजना बनायी थी। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनता सरकार अपनी योजनाओं में साक्षरतावृद्धि को पर्याप्त महत्व दे रही थी यह कार्य जे0पी0 के समग्र क्रान्ति के विचार के अनुरूप था।

जनता सरकार ने 'डिग्री का नौकरी से कोई सम्बन्ध न हो' जे0पी0 के इस विचार को भी स्वीकार किया था। 'विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर से दबाव को कम करने के उद्देश्य से नयी शिक्षा नीति के मसविदे में नौकरी और डिग्री का नाता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था।'[5] समग्र क्रान्ति के चिंतन में शिक्षा का माध्यम 'मातृभाषा' को बनाने एवं अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की बात कही गयी थी।

1- वायदे पूरे करेंगे—जनतापार्टी प्रकाशन, पेज 18, 19, 20

2- लोकसभा डिबेट्स, 5 अप्रैल 1977 नं09 पेज 106—108

3- भारत 1979 भारत सरकार प्रकाशन, पेज 67

4- लोकसभा डिबेट्स, 30 अप्रैल 1979 नं047 कालम 293

5- दिनमान, 3-9 जून, 1979 पेज 15

एक मार्च 1979 को प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को लिखे गये अपने पत्र में विश्वविद्यालयों में छात्र अशान्ति का कारण बतलाते हुए जे0पी0 ने लिखा था ——

" मुझे लगता है कि वर्तमान अशान्ति का मुख्य कारण छात्रों एवं युवाओं के मानस में पैठी हुयी निराशा की भावना है। शिक्षा की व्यवस्था को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी जिससे शिक्षित युवा को रोजगार का आश्वासन मिले और उनका भविष्य आश्वस्त हो। ऐसा करने में हमारी विफलता के कारण ये अशान्ति हो उठे हैं।...... सभी शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है।"[1]

जे0पी0 के इस पत्र से स्पष्ट है कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में वे जनता सरकार को असफल मान रहे थे। इस पत्र के पश्चात् अप्रैल 1979 में जनता सरकार ने शिक्षा योजना का जो प्रारूप लोकसभा में प्रस्तुत किया उसमें शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात कही गयी थी। किन्तु इसके पूर्व कि इस प्रारूप का कार्यान्वयन होता जनता सरकार सत्ता से हट गयी। अतः इस प्रारूप की योजना का कोई परिणाम नहीं निकला।

'जे0पी0 ने अपनी जेल डायरी' में शिक्षा की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी उसमें गाँवों एवं कृषि से संबंधित विषयों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था।'[2] इस विचार के अनुरूप जनता सरकार ने अप्रैल 1979 में प्रस्तावित शिक्षा योजना के प्रारूप में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही थी।

1- रविवार, 22-28 अप्रैल, 1979 पेज 5

2- मेरी जेल डायरी, जे0जयप्रकाशनारायण, पेज 99

एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यह हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त कार्य था। हमारे देश में फसलों के उत्पादन एवं भूमि की किस्म में भिन्नता है अतः विभिन्न राज्यों के लिए क्षेत्रीयता के आधार पर कृषि संबंधी भिन्न-भिन्न अध्ययन आवश्यक है। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना से विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए भूमि, बीज, उर्वरक एवं फसल संबंधी विभिन्न उपयोगी जानकारियाँ मिलतीं। इससे देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहायता मिलती। अपने प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभायी है।

'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में 'पब्लिक स्कूलों' को समाप्त करने की बात कही गयी थी। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के प्रतीक हैं। जनता सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई भी शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था को बनाये रखने के विरोधी थे।'[1] परन्तु जनता सरकार इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त न कर सकी। इस संबंध में समग्र क्रान्ति के पत्र 'समग्रता' ने लिखा था —"स्वयं जनता पार्टी की कार्य समिति ने पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का निर्देश शिक्षामंत्री को दिया था परन्तु सरकार ने उस पर अमल की तनिक भी चिंता नहीं की। उलटे शिक्षामंत्री पब्लिक स्कूलों के समर्थन में दलीलें देते रहे, जनता पार्टी का ढांचा जिस तरह का है, उसमें किसी बड़े नेता को न तो यह चिंता करने की जरूरत है कि कार्य समिति के पब्लिक स्कूल वाले प्रस्ताव कितना अमल हुआ।"[2]

पब्लिक स्कूलों को बनाये रखने के संबंध में जनता सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रतापचन्द्र चंदर का तर्क था कि इनका संचालन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है अतः इनको समाप्त नहीं किया जा सकता।

शिक्षामंत्री के तर्क के प्रत्युत्तर में डा० पुरेश्वर ने अपने लेख में लिखा था —"इधर प्रतापचन्द्र चंदर (तत्कालीन शिक्षामंत्री) पब्लिक स्कूलों के नये वकील

1- साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 11-17 सितम्बर, 1977 पेज 14

2- समग्रता, 9-15 अप्रैल, 1978 पेज 11

बने हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर भारतीय जीवन में परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन पब्लिक स्कूलों में धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चे नहीं पढ़ते। वे अल्पमत में हैं। इनमें पढ़ते हैं एंग्लो-यूरोपीय बाबुओं के लाड़ले। पब्लिक स्कूलों में यूरोपीयकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। ये देशीकरण और भारतीयकरण के खिलाफ हैं। यह हमारी गरीब मेहनतकश जनता का अपमान है। इन्हीं स्कूलों के परदनों ने देश में अंग्रेजी कायम रखी है। अगर धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐसे स्कूलों की जरूरत है तो इस बात की भी जरूरत है कि ऐसे स्कूलों में दूसरे समुदाय के लोग न पढ़ें। यह प्रतिबन्ध लगते ही पब्लिक स्कूल खत्म हो जायेंगे..... अनेक पब्लिक स्कूल बेर हैं उन्हें तुरन्त बन्द करना चाहिए..... अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर अब पब्लिक स्कूलों का अधिक चलना अनर्थकारी है।"[1]

जनतापार्टी के बहुत से नेता पब्लिक स्कूलों को समाप्त किये जाने के पक्षधर हैं। इन स्कूलों को समाप्त न करने के कारण अनेक जनता सांसदों में आक्रोश व्याप्त था। जनता पार्टी के इंदौर के सांसद श्री कल्याण जैन ने 11 जुलाई 1979 को अपने आक्रोश पूर्ण वक्तव्य में लोकसभा में कहा था —" मैं जयप्रकाश जी का समर्थक हूं उनकी सम्पूर्ण क्रान्ति का समर्थक हूं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी शिक्षा सभी क्षेत्रों में क्रान्ति लाने के लिए जयप्रकाश जी ने अभियान चलाया था। आंदोलन छेड़ा था और उसी आंदोलन के गर्भ से ही जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार उसकी घोषणा के अनुसार जब शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी लाने का प्रस्ताव यहां आया था तब हमारे श्री प्रतापचन्द्र ने (केन्द्रीय शिक्षामंत्री) उसका मखौल उड़ाया था। यह बहुत ही शर्म की बात है। जनता पार्टी के तमाम लोग सब सिखाते हैं कि आप बराबरी का नाम लेते हो तो शिक्षा के

1-दिनमान, 19-25 मार्च, 1978 पेज 39-40

क्षेत्र में जब से जब पब्लिक स्कूल खोले गये तब उन्होंने उसका विरोध किया था।[1] 'जनतापार्टी' में पब्लिक स्कूलों के इतने व्यापक विरोध के होते हुए भी 'जनतासरकार' द्वारा पब्लिक स्कूलों की समाप्ति की मांग को ठुकरा दिया गया।[2] इस विरोध का यह प्रभाव अवश्य पड़ा कि जनता सरकार ने अप्रैल 1979 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' वाली प्रारूप लोकसभा में प्रस्तुत किया और पब्लिक स्कूलों में शिक्षा शुल्क एवं प्रवेश संबंधी नियम निर्धारित करने की बात कही गयी थी।

हमारी शिक्षा पद्धति में विद्यमान 'पब्लिक स्कूलों' की व्यवस्था हमारे लोक-तंत्र के समानता के आदर्शों से मेल नहीं खाती। पब्लिक स्कूलों की वर्तमान व्यवस्था आरम्भ से ही वर्गभेद को स्वीकार करके चलती है। इससे आगे चलकर अन्य क्षेत्रों में भी असमानता उत्पन्न होती है। एक निश्चित वर्ग के हितों की पोषक होने के कारण से ही यह व्यवस्था अभी तक विद्यमान है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। 'नव भारत टाइम्स' ने अपने संपादकीय में लिखा था—'पब्लिक स्कूल भारतीय शिक्षा पद्धति का कैंसर है।'[3]

पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने संबंधी समग्र क्रांति के विचार के प्रति जनता सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। जनता सरकार ने शिक्षा में परिवर्तन की दिशा में अत्यन्त धीमी गति अपनायी थी। 5 अप्रैल 1977 को शिक्षा नीति की घोषणा और उसके दो वर्ष के पश्चात् 30 अप्रैल 1979 को उसके प्रारूप की घोषणा इसका प्रमाण है।

शिक्षा के क्षेत्र में जनता सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति से जे०पी० असन्तुष्ट थे। 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' के एक अधिवेशन को (शिक्षा के संबंध में 1979 में हुआ था) अपने भेजे गये संदेश में जे०पी० ने जनता सरकार की आलोचना

1- लोकसभा डिबेट्स, 11 जुलाई 1979 पेज 212-13
2- छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की प्रथम राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव (10-12 नव० 1978 पटना) पेज 5
3- नवभारत टाइम्स, 17 अप्रैल, 1979 संपादकीय।

करते हुए कहा था -' शिक्षा में आमूल परिवर्तन की बातें बहुत हुयी हैं और हो रही हैं, परन्तु इस दिशा में कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका है। मैं चाहूँगा कि यह अधिवेशन शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रश्न पर सबसे अधिक बल दे और इसके लिए प्रभावशाली आंदोलन खड़ा करने का निर्णय ले।'[1] जे0पी0 के इस वक्तव्य से जनता सरकार की शिक्षा नीति के प्रति उनकी क्षुब्धता का पता चलता है। उनका क्षुब्ध होना इसलिए स्वाभाविक था क्योंकि 'बिहार आन्दोलन' का एक मुख्य मुद्दा शिक्षा में परिवर्तन का भी था।

1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुनः सत्ता में आने से 'जनता सर-कार' की शिक्षा सम्बन्धी योजनायें निरर्थक हो गयी। इन्दिरा सरकार के नये शिक्षा मंत्री श्री शंकरानन्द ने 'जनता सरकार' की शिक्षा नीति में अनेक दोष बतलाते हुए उसमें परिवर्तन की घोषणा कर दी।

अतः अब जनता सरकार की शिक्षा योजनाओं के कार्य रूप में परि-णत करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जनता सरकार के पास इतना समय अवश्य था कि यदि वह चाहती तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे आधारभूत परिवर्तन कर देती जिनको आगे चलकर बदलना सम्भव न हो पाता। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाषा सम्बन्धी लिया गया निर्णय इसका उदाहरण है। जनता सरकार का यह निर्णय जे0पी0 की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के विचार के अनुरूप था। इसका देश के भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

जे0पी0 ने अपने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के चिंतन में जिन आधारभूत परिवर्तनों की बात कही थी। 'जनता सरकार' उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाने में अस-

---

1- धर्मयुग, 4-10 फरवरी, 1979 पेज 9

फल रही। शिक्षा में परिवर्तन की दिशा में जो प्रयत्न किये भी गये, जनतापार्टी के आन्तरिक संघर्ष के कारण उनकी गति इतनी धीमी रही कि वे अधिक प्रभावी नहीं हो सके।

प्रायः प्रश्न किया जाता है कि 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की इस उपेक्षा को जे0पी0 ने क्यों सहन कर लिया? जनता पार्टी' और उसकी सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? क्या 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का नारा मात्र सत्ता कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए ही था? इसका और कोई अभीष्ट नहीं था?

इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जे0पी0 की संकल्प शक्ति में कोई कमी नहीं रही किन्तु घटना क्रम और परिस्थितियाँ कभी-कभी इतिहास में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इतिहास कुछ का कुछ हो जाता है। इतिहास में वैसे तो सभी 'क्रान्तियों' की अपेक्षाओं के साथ ऐसा ही हुआ है। जे0पी0 की सम्पूर्ण क्रान्ति भी इसका अपवाद नहीं रही, और एक समय विशेष के राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का पर्याय मात्र बन कर रह गयी। परन्तु यह परिवर्तन भारतीय जनता में एक नया विश्वास एवं भारतीय लोकतंत्र में अनेक सम्भावनायें उजागर कर गया।

जहाँ तक 'जनता पार्टी' और उसकी सरकार का जे0पी0 द्वारा विरोध न करने का प्रश्न है, इसके अनेक कारण हैं। आरम्भ में जे0पी0 जनता सरकार द्वारा अपनायी गयी कार्यपद्धति की प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि जून 1977 तक विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव के पश्चात् अनेक राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें स्थापित हो पायी थीं। 'जनता पार्टी' की सरकार ने केन्द्र में सत्तारूढ़ होते ही एमर्जेन्सी के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना का कार्य त्वरित गति से किया था। जे0पी0 इसके पक्षधर थे। अतः उस समय तक जनता सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की आलोचना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

जनता सरकार के एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् ही जे0पी0 ने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के प्रति जनता सरकार द्वारा अपनाये जाने वाली नीतियों के सम्बन्ध में अपनी चिंता को सार्वजनिक रूप से अवगत कराना आरम्भ कर दिया था। यह एक प्रकार से जनता पार्टी और उसकी सरकार की आलोचना ही थी। 5 जून 1978 को 'सम्पूर्णक्रान्ति दिवस' के अवसर पर बोलते हुए जे0पी0 ने कहा था —" लगता है कि सम्पूर्ण क्रान्ति का कारवाँ ठिठक गया है। हमारे कुछ साथी लोकसभा और विधानसभा में गये हैं। उनको हमने ही वहाँ भेजा है हमें आशा थी कि वे सरकार पर अंकुश रखेंगे और सम्पूर्ण क्रान्ति के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, परन्तु वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं जनता पार्टी की सरकार उसी घिसी-पिटी लीक पर चल रही है जिस पर चलकर कांग्रेस की सरकार विफल हुयी---- जनता पार्टी से जो अपेक्षायें थीं, वे पूरी नहीं हो रही हैं और जनता निराश हो रही है।"[1]

इसके अतिरिक्त भी जे0पी0 ने अनेक क्षेत्रों में जनता सरकार की नीतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से की थी। उनका उल्लेख इसी शोध प्रबन्ध में विभिन्न स्थानों पर किया गया है।

सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया जे0पी0 ने एक अप्रैल 1979 को श्री मोरार जी देसाई (तत्कालीन प्रधानमंत्री) को लिखे गये पत्र में व्यक्त की थी। इस पत्र में उन्होंने लिखा था —' 1977 में जनतापार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद से देश में जो कुछ हुआ है और हो रहा है, उसको एक मूक दर्शक की भांति देखता रहा हूँ, परन्तु मैं समझता हूँ कि अब समय आया है कि मैं अपनी चिंताओं और अपने विचारों को यथासंभव स्पष्टता-पूर्वक आपके सामने रखूं---- जनता सरकारें जनता की उन अपेक्षाओं को पूरा करने में

1- सम्प्रति, 11-17 जून 1978 पेज 3

असफल हुयी है जिनका उभार दो वर्ष पहले चुनाव के समय हुआ था, विशेषकर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में.... अपने लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में बहुत कर नहीं पायी.... चुनाव में जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए भारत की जनता से अपील करते हुए मैंने उसे आश्वासन दिया था कि जनता सरकारें अपने वायदे पूरे करें और अपना दायित्व निभायें, उस पर नजर रखूंगा। जनता को मैंने यह भी वचन दिया था........ इसके कारण ही आपको पत्र लिख रहा हूं। एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक क्रान्ति के बाद लगता है भारत अब एक प्रतिक्रान्ति की ओर भटक रहा है।"[1] जनता सरकार के सत्ता सम्हालने के दो वर्ष बाद ही जे०पी० को इस प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता अनुभव हुयी। इस पत्र की भाषा से प्रतीत होता है कि उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी।

इसके पूर्व कि वह सक्रिय होते, गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गये निरंतर डायलिसिस में रहने के कारण वह पहले से ही क्षीण थे। इस रुग्णता ने उनको निष्क्रिय बना दिया और वे कुछ कर नहीं सके।

जनता पार्टी एवं उसकी सरकार का जे०पी० द्वारा विरोध न करने का एक कारण यह भी था कि उनके पास जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं था। लोकसमितियों एवं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के रूप में वह जनता का उस प्रकार का संगठन खड़ा नहीं कर सके थे। जिसे वह राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में देखते थे।

जे०पी० का स्वास्थ्य एवं उनकी रुग्णता उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगा। जे०पी० के निजी सचिव श्री अब्राहम ने लेखकों को बतलाया है कि जे०पी० की कर्मेन्द्रियाँ शिथिल हो गयी थीं, आँखों से भी कम दिखलायी देने लगा था, स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगी थी। इस लिए वह सक्रिय होने की स्थिति में नहीं रह गये थे।

1- जनमुक्ति, त्रैमासिक, अंक, अक्तूबर-दिसम्बर, 1979 पेज 27

6 जनवरी, 1979 को (जे0पी0 उस समय बेहद खराब स्थिति में थे) ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी श्री ज्योफ्री आस्टर गार्ड से बातचीत के समय जे0पी0 ने कहा था —" यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता और मैं उस स्थिति में होता कि अपने भारत व्यापी दौरों का सिलसिला जारी रख सकूँ तो शायद मैं इतना दबाव पैदा कर सकता था जिससे सरकार प्रभावित होती। उस दबाव की उपेक्षा करना श्री देसाई या जो भी श्रीमान् वहाँ होते, उनके लिए कठिन होता। लेकिन व्यक्तिगत सीमाओं और राजनीतिक परिस्थितियों के मेल ने मेरे लिए कुछ भी करना असंभव कर दिया।"[1] इस कथन में जे0पी0 ने अपनी असमर्थता को अपने मृत्यु के पूर्व व्यक्त कर दिया था।

अस्वस्थ होने एवं दुर्बलता के कारण जे0पी0 सक्रिय होने की स्थिति में नहीं रह गये थे। अन्यथा हो सकता था (जैसा कि उनके ऊपर के वक्तव्य से आभास होता है) कि वह जनता सरकार के विरुद्ध भी 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की उपेक्षा के लिए जनान्दोलन खड़ा करते। परन्तु इतिहास ने उनको ऐसा अवसर ही नहीं दिया और जे0पी0 की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का स्वप्न अधूरा रह गया।

1- सम्भूता, बहुआयामी, अंक अक्टूबर-दिसम्बर, 1979 पेज 27

उ प सं हा र

उपसंहार

श्री जयप्रकाशनारायण का जन्म 11 अक्तूबर, 1902 में बिहारराज्य के जिला सिताब दियारा नामक गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही मेधावी छात्र थे। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गये। वहाँ पर उन्हें अनेकों कष्टदायक असाध्य कार्य करने पड़े। अमेरिकी प्रवास के समय वह मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। अमेरिका में उनकी समाजशास्त्र की एम०ए० की थीसिस को वर्ष का श्रेष्ठ 'शोध प्रबन्ध' घोषित किया गया।

स्वदेश लौटने पर जे०पी० गाँधी, नेहरू व कांग्रेस के सम्पर्क में आये। आरम्भ में उन्होंने कांग्रेस के 'श्रमिक विभाग' का कार्य देखा बाद में उन्हें कांग्रेस का स्थायी मंत्री बना दिया गया। 1932 में जब अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया उन्होंने गुप्त रूप से आन्दोलन का संचालन किया। भारत की स्थिति की जाँच के सम्बन्ध में आये ब्रिटिश संसद सदस्यों के शिष्ट मण्डल को भारत सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों से परिचित करवाया। उनकी इन गतिविधियों के कारण 7 सितम्बर 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अपने मार्क्सवादी प्रभाव के कारण 1934 में उन्होंने कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की। इसका उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी नीतियों के लिए प्रेरित करना था। जे०पी० इसके प्रथम महासचिव चुने गये। 1936 में नेहरू जी से नीति सम्बन्धी मतभेद होने के कारण उन्होंने 'कांग्रेस वर्किंग कमेटी' से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अंग्रेजों को सहयोग न करने की अपील पर उन्हें युद्ध विरोधी वक्तव्य के कारण नौ महीने की कड़ी सजा सुनायी गयी। जेल से छूटने पर उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बनाये। इसलिए उन्हें भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

जयप्रकाश जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के समय 1942 में थी। सरकार ने अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को जेल में बन्द कर रखा था। उसी समय 9 नवम्बर 1942 को जे0पी0 दीपावली की रात्रि को अपने पांच साथियों सहित जेल से फरार हो गये। डा0 राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली व अन्य साथियों के सहयोग से उन्होंने भूमिगत रहकर आन्दोलन को गति प्रदान की। नेपाल में उन्होंने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का एक दल 'आजाद दस्ता' गठित किया। 18 सितम्बर 1943 को उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर किले में कैद कर लिया गया। वहाँ पर उन्हें अमानुषिक यातनायें दी गयी। 'कैबिनेट मिशन' के आगमन के समय उन्हें मुक्त किया गया। देश की स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने कैबिनेट मिशन के सदस्यों से बातचीत की।

स्वतंत्रता के बाद मार्च 1948 में 'सोशलिस्ट पार्टी' कांग्रेस से पृथक हो गयी। जे0पी0 जनरल सेक्रेटरी बनाये गये। इस प्रकार उनका कांग्रेस से संबंध-विच्छेद हो गया।

जे0पी0 पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जे0पी0 विनोबा के भूदान आन्दोलन' से अत्यधिक प्रभावित हुए। 19 अप्रैल 1954 को जे0पी0 ने भूदान और 'सर्वोदय' के लिए अपना जीवन दान कर दिया। वे 'सर्वोदय' एवं भूदान के कार्य में लग गये। 'मार्क्सवाद' से लोकतांत्रिक समाजवाद एवं सर्वोदय' तक की अपनी यात्रा को जे0पी0 अपना वैचारिक विकासक्रम मानते थे।

1958 में पं0 नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा गांवों के विकास के सम्बन्ध में जे0पी0 से परामर्श किया। 1959 में जे0पी0 ने नेहरू जी को सहमत कर ग्राम पंचायतों क्षेत्र समितियों एवं जिला बोर्डों के अधिकारों के वृद्धि के सम्बन्ध में एक कानून पारित करवाया। ग्रामीण विकास से संबंधित होने के कारण यह कार्य उनके सर्वोदय सिद्धान्त के अनुकूल था।

नागालैण्ड की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने शान्ति मिशन स्थापित किया। इस मिशन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार एवं नागा प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सम्भव हो सकी। 1964 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खाँ के निमंत्रण पर भारत पाक सम्बन्ध सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की। उत्कृष्टतर मानवीय सेवाओं के लिए 1965 में उन्हें 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके कार्यों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन था।

बंगला देश के युद्ध के समय बंग मुक्ति आन्दोलन के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने 16 देशों की यात्रा की। बंगला देश के सम्बन्ध में उन्होंने एक सम्मेलन बुलवाया। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् 1972 में चंबल में डाकुओं का आत्म समर्पण कराकर उन्होंने भारत की धरती पर अंगुलिमाल एवं बाल्मीकि के इतिहास को दोहराया। यह कानून-व्यवस्था की समस्या का तात्कालिक समाधान एवं हृदय परिवर्तन की घटना का उत्कृष्ट उदाहरण था।

आगे चलकर जे0पी0 को सर्वोदय कार्यपद्धति एवं सिद्धान्तों से निराशा होने लगी। वे इनमें परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उनका विचार था कि सर्वोदय परिवर्तन की शक्ति बनने में असफल रहा है। देश की जनता भ्रष्टाचार, मंहगाई एवं बेरोजगारी से परेशान थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने देश की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी अपील 'यूथ फार डेमोक्रेसी'(लोकतंत्र के लिए युवा) के माध्यम से युवकों का आवाहन किया। इस अपील का छात्रों एवं युवकों ने स्वागत किया। इसके बाद गुजरात एवं बिहार में छात्रों का आन्दोलन आरम्भ हुआ। उन्होंने 'बिहार आन्दोलन' का नेतृत्व किया। इस आन्दोलन से भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ने-

पूर्ण होती गयी। गांधी जी ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया था जे०पी० ने उसी हथियार को स्वदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रयोग किया। सविनय संघर्ष का यह सबसे आधुनिक रूप था।

भारतीय राजनीति में अपने पुनरागमन एवं सक्रियता के बाद भी जे० पी० दलगत राजनीति में सम्मिलित नहीं हुए। गांधी जी का अनुसरण करते हुए वे सत्ता एवं दल की राजनीति से अलग रहे। अपने प्रयत्नों से गठित जनता पार्टी के भी वे साधारण सदस्य तक नहीं रहे। अपनी राजनीति को दल की राजनीति न कह कर वे उसे जनता की राजनीति कहते थे। इसे उन्होंने 'लोकनीति' का नाम दिया है।

'बिहार आन्दोलन' में छात्रों एवं युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए युवकों को संघर्ष करने की प्रेरणा देने का श्रेय जे०पी० को प्राप्त है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए 'यूथ फार डेमोक्रेसी' (लोकतंत्र के लिए युवा) नामक अपील के माध्यम से उन्होंने युवकों का आवाहन किया था। छात्रों ने इस अपील का स्वागत किया। गुजरात में इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने छात्रावासों में भोजन की बढ़ी हुयी कीमतों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन में अन्य छात्रों के साथ जनता भी सम्मिलित होती गयी। इस प्रकार यह आन्दोलन बढ़ता गया। गुजरात के इस आन्दोलन में विधान सभा को विघटित किये जाने की मांग भी सम्मिलित कर ली गयी। आन्दोलन के प्रभाव से बाध्य होकर सत्तारूढ़ दल को गुजरात विधान सभा भंग करनी पड़ी

इसी समय बिहार में भी छात्र अपनी शिक्षा सम्बन्धी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे थे। आगे चलकर उन्होंने भ्रष्टाचार एवं मंहगाई सम्बन्धी सार्व-जनिक मांगों को भी सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में इसके पूर्व के आन्दोलनों से भिन्न प्रकार चरित्र इस आन्दोलन द्वारा प्रकट हुआ। इसके पूर्व,छात्रों

के अतिरिक्त आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी माँगों के लिए हुआ करते थे। छात्रों को एक व्यापक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जे०पी० की उपर्युक्त अपील को है। गुजरात में विधान सभा भंग हो जाने से बिहार के आन्दोलनकारियों का साहस बढ़ा। जे०पी० व प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों ने भी छात्र शक्ति द्वारा राजनीतिक परिवर्तनों की सम्भावना देखी। 18 मार्च 1974 को छात्रों द्वारा विधान सभा का घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। इसमें व्यापक रूप से लाठीचार्ज हुआ एवं गोली चलायी गयी। छात्रों के समर्थन में पूरे बिहार में छात्रों एवं जनता के प्रदर्शन हुए, आन्दोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया गया क्योंकि सरकार गुजरात की पुनरावृत्ति बिहार में नहीं चाहती थी। छात्रों ने जे०पी० से नेतृत्व करने की प्रार्थना की। प्रशासनिक हिंसा के विरोध में जे०पी० ने आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया परन्तु उन्होंने छात्रों से आन्दोलन को निर्दलीय एवं अहिंसक रखने का आश्वासन भी लिया। बिहार आन्दोलन में राजनीतिक दल सम्मिलित थे किन्तु उनकी भूमिका दलीय न होकर जन आन्दोलन को समर्थन देने की थी। जे०पी० स्वयं निर्दलीय व्यक्ति थे। आन्दोलन के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जे०पी० को प्राप्त था।

जे०पी० की नेतृत्व कुशलता प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आन्दोलन उत्तरोत्तर तेज होता गया। सरकार द्वारा बिहार की उपेक्षित दलीय सामाजिक सेवायें, मँहगाई, बेरोजगारी एवं कृषि की दयनीयस्थिति भी इसमें सहायक हुयी।

'बिहार आन्दोलन' को जनता का व्यापक समर्थन मिला और यह आन्दोलन जनांदोलन में बदल गया। प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। परन्तु आंदोलन के नेता जयप्रकाश थे अतः इसमें सफलता नहीं मिली। छात्रों के इस आन्दोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक हो जाने की अत्यधिक सम्भावना थी।

परन्तु जे0पी0 के प्रभाव एवं उनके गाँधीवादी मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था के कारण यह आंदोलन अहिंसक बना रहा। सत्ता कांग्रेस एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस आंदोलन के विरुद्ध प्रत्यान्दोलन चलाने का भी प्रयास किया गया, परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।

'बिहार आन्दोलन' के परिणाम स्वरूप देश में एक अद्भुत जनजागरण पैदा हुआ। यह आंदोलन राजनीतिक ध्रुवीकरण में भी सहायक हुआ। इस आन्दोलन में विपक्षी राजनीतिक दलों को एक दूसरे के समझने का अवसर मिला। उनमें आपसी एकता स्थापित हुयी। इसी के परिणाम स्वरूप आन्तरिक आपातकाल के पूर्व गुजरात के चुनावों में प्रतिपक्षी दलों का 'जनता मोर्चा' स्थापित हो गया। गुजरात में 'जनता मोर्चे' की चुनावी सफलता से विपक्षी दलों ने अपनी एकता की शक्ति को पहचाना और यही एकता आगे चलकर 'जनता पार्टी' के निर्माण में सहायक हुयी। 'बिहार आंदोलन' के देश व्यापी परिणाम हुए। इसके प्रभाव से केन्द्र सरकार भी अछूती नहीं रही। सत्ता कांग्रेस के युवातुर्क नेताओं की सहानुभूति जे0पी0 और उन के आंदोलन के साथ थी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री एवं युवा तुर्क नेता श्री मोहन धारिया को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देना पड़ा। अपने अन्तिम चरण में देश व्यापी स्वरूप ग्रहण करते हुए यह आंदोलन आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा का हेतु बना।

आन्दोलन अपने अन्तिम चरण में केन्द्रोन्मुखी होता गया। जे0पी0 की सक्रियता बिहार से हटकर केन्द्र की ओर होती गयी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को श्री राजनारायण की चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी को भ्रष्टाचार अपनाने का दोषी घोषित किया। निर्णय के कुछ ही घंटे पश्चात् श्रीमती

गाँधी के अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय के कार्यान्वयन को रोकने के लिए 20 दिन का स्थगन आदेश भी प्रदान किया। परन्तु इस समयावधि के पूर्व ही 'बिहार आन्दोलन' सम्बंधित प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार के आधार पर श्रीमती गाँधी से त्यागपत्र की माँग करने लगा। जे0पी0 ने भी श्रीमती गाँधी से त्यागपत्र की माँग की।

इस समय श्रीमती गाँधी से त्यागपत्र की माँग केवल नैतिक आधार पर ही की जा सकती थी। त्यागपत्र देने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं थीं। स्थगन आदेश के अनुसार वह 20 दिन तक अपने पद पर बनी रह सकती थी एवं इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त था।

23 जून 1975 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। अपनी याचिका में उन्होंने अपने पद पर बने रहने के लिए निरपेक्ष एवं बिना शर्त स्थगन आदेश निर्गत करने की प्रार्थना की। उच्चतम न्यायालय ने सशर्त स्थगन आदेश देते हुए कहा कि 'श्रीमती गाँधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं उन्हें संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने एवं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा की उनकी सदस्यता निलम्बित रहेगी।'

उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेश के बावजूद औचित्य एवं नैतिकता के आधार पर संगठित प्रतिपक्षी दलों ने त्यागपत्र की माँग को और तीव्र बना दिया। इस उद्देश्य से जे0पी0 के नेतृत्व में एक 'लोक संघर्ष समिति' का गठन किया गया। इस समिति ने श्रीमती गाँधी से त्यागपत्र दिलाने के उद्देश्य से 29

जून 1975 से राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आंदोलन चलाने की घोषणा की। 25 जून 1975 को प्रतिपक्षी दलों की रैली को सम्बोधित करते हुए जे0पी0 ने श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की। उनका तर्क था कि भ्रष्टाचार के आरोप से कलंकित एवं सीमित अधिकारों वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे अवसरों पर त्यागपत्र देने की परम्परा रही है। इन आयोजनों एवं घोषणाओं से 'बिहार आन्दोलन' देश व्यापी रूप धारण करने लगा था।

उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के पश्चात् श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग केवल नैतिक आधार पर ही की जा सकती थी। संवैधानिक रूप से उन्हें अपने पद पर बने रहने का पूर्ण अधिकार था।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है अतः न्यायालयों के निर्णयों को प्रदर्शन एवं आंदोलन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष द्वारा नैतिकता एवं औचित्य के आधार पर श्रीमती गांधी को त्यागपत्र के लिए बाध्य करना एक प्रकार से न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप एवं न्यायालय द्वारा द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के अधिकार में कटौती करना था। भारतीय राजनीति में यह एक अलोकतांत्रिक परम्परा का आरम्भ था। इस संबंध में आंदोलन चलाने के पूर्व प्रतिपक्ष को उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

इसके पूर्व कि प्रतिपक्ष का देश व्यापी आंदोलन प्रारम्भ हो, 25 जून 1975 की रात्रि को आन्तरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी। जे0पी0 सहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेता गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिये गये। आंदोलन समर्थक प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की देश व्यापी गिरफ्तारियां हुयीं।

आपातकाल की घोषणा के पश्चात् भारत सरकार द्वारा 'व्हाई इमर्जेन्सी' नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। इसमें आपात स्थिति की घोषणा के लिए

जे0पी0 एवं उनके द्वारा संचालित आंदोलन को उत्तरदायी ठहराया गया था। जे0पी0 ने भी स्वीकारोक्ति करते हुए कहा था कि सरकार ने उनके आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर आन्तरिक आपातकाल की घोषणा की थी दोनों पक्षों की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा का प्रमुख कारण जे0पी0 एवं उनके आंदोलन का बढ़ता हुआ प्रभाव था। इस आपातकाल ने भारतीय राजनीति को निर्णायक मोड़ दिया।

इस आपातकाल के समय देश की जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात पहुँचा। देश में कठोर सेंसरशिप लागू कर दी गयी। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित 'प्रेस परिषद' को भंग कर दिया गया। संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी। सरकार विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो गया। अनेक विदेशी पत्रकारों को देश से निष्कासित कर दिया गया। जे0पी0 से संबंधित समाचारों पर रोक लगा दी गयी। उनके द्वारा जेल से लिखे गये पत्रों को भी सेंसर किया गया। आपातकाल के समय प्रजातंत्र की आधार-भूत आवश्यकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लगभग समाप्त कर दिया गया।

राजनीतिक विरोधियों को बन्दी बनाने के लिए व्यापक रूप से 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम) का प्रयोग किया गया। विभिन्न अध्यादेशों एवं संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसे और कठोर बना दिया गया। इसके अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी का कारण बतलाना आवश्यक नहीं था। इस कानून के प्रयोग से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को गंभीर क्षति पहुँची।

आपातकाल के समय सत्ता के विरोध को दबाने के लिए कठोर दमन का सहारा लिया गया। राजनीतिक बन्दियों को अमानुषिक यंत्रणायें दी गयीं। विरोधियों को प्रताड़ित किया गया। जे0पी0 को भी विरोध का मूल्य चुकाना पड़ा। कारा

भारत में उन जैसे देशभक्त, ओजस्वी व्यक्ति के साथ बन्दी जीवन के समय अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें उनके अन्य बन्दी साथियों से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें समुचित दवा की [illegible] व्यवस्था दी गयी। आपातकाल के समय बन्दी अवस्था में उनके दोनों गुर्दे नष्ट हो गये। इससे उनके स्वास्थ्य एवं जीवन को गंभीर क्षति पहुँची। इसी रुग्णता में बाद में उनकी मृत्यु हो गयी।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का भार न्यायपालिका पर होता है। अपने देश में न्यायपालिका ने इस दायित्व का निर्वाह अनेक अवसरों पर किया है। आपातकाल के समय संवैधानिक संशोधनों द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इससे न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में पहले की तरह प्रभावी नहीं रह गयी थी। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित एवं संकुचित करना एक अलोकतांत्रिक घटना थी।

आपातकाल के समय 'परिवार नियोजन' कार्यक्रम को बाध्यता का रूप दिया गया। इसमें सहयोग न करने के आधार पर कर्मचारियों का वेतन एवं प्रोन्नति रोकी गयी। अनेक अनुपयुक्त व्यक्तियों की नसबन्दी की गयी। त्रुटिपूर्ण नसबन्दी से अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपयोगिता होते हुए भी इसके त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन से भारतीय जनता में रोष व्याप्त हो गया।

आपातकाल के समय किये गये उपर्युक्त दमनात्मक एवं अलोकतांत्रिक कार्यों की पुष्टि 'शाह आयोग' की जाँच से हो चुकी है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक दुःखद अध्याय है जिसके अन्तर्गत भारतीय जनता को दुःखद जीवन व्यतीत करना पड़ा। जे०पी० ने इन अलोकतांत्रिक कार्यों की तीव्र निन्दा की

दी। उन्होंने भारतीय जनता को इसका प्रतिकार करने के लिए कहा था। जे०पी० की भावनाओं का आदर करते हुए आपातकाल के पश्चात् इन्दिरा कांग्रेस को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता ने एक नये राजनीतिक इतिहास का सूत्रपात किया।

शोध प्रबन्ध का चौथा अध्याय जे०पी० की समग्र क्रान्ति से सम्बन्धित है। जे०पी० ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में भारतीय समाज में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार भारतीय समाज में राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नैतिक , शैक्षिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसके पूर्व डा० राम मनोहर लोहिया भी 'सप्त क्रान्ति' की बात कह चुके हैं।

कोई भी विचारक एवं क्रान्तिकारी अपने समय की परिस्थितियों एवं घटना क्रम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। जे०पी० भी इसका अपवाद नहीं रहे। जे०पी० के चिंतन में भी उनके समय की परिस्थितियों एवं घटनाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने अपने समय में भारतीय राजनीति में सत्ता एवं शक्ति के केन्द्रीकरण तथा उसके दुष्परिणामों को देखा था। अतः उन्होंने अपने चिंतन में 'राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' पर जोर दिया। उनके अनुसार इससे निरंकुशता कम होगी। और भारतीय लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जे०पी० की समग्र क्रान्ति में 'राज्य शक्ति' एवं 'लोकशक्ति' का समन्वय है। वे भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों से परिचित थे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार का भी उन्हें कटु अनुभव था। इसीलिए उन्होंने भारतीय प्रजातंत्र के आधार चुनावों में सुधारों का आवाहन करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रखने एवं आम व्यक्तियों के भाग लेने योग्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों से भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए उन्होंने 'लोकपाल' एवं 'लोकायुक्त' की नियुक्ति की संस्तुति की है। वास्तव में

जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य पलायनता को देखते हुए उन्होंने 'जनप्रतिनिधियों पर' जनता के निरंतर नियंत्रण को आवश्यक बतलाया है। इसके लिए उन्होंने दो उपाय बतलाये हैं। प्रथम — उम्मीदवारों के चयन के समय क्षेत्रीय जनता का परामर्श, द्वितीय — 'जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार' मतदाताओं को प्रदान करना। अपने अतीत के 'मार्क्सवादी' प्रभाव एवं 'गाँधीय' कार्यपद्धति की आस्था के कारण उन्होंने 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष' की बात कही है।

जे०पी० का विचार था कि राजनीतिक परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक कि समाज की सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं बौद्धिक स्थितियों में परिवर्तन न किया जाय। इसीलिए उन्होंने अपने चिंतन में सामाजिक क्षेत्र में जातिवाद तिलक, दहेज, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया है। सामाजिक शोषण के समाप्त होने पर समता पर आधारित समाज का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल दिया है। उनके विचार से भारत का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है अतः कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण स्वावलम्बन हमारी योजना का आधार होना चाहिए। उन्होंने उद्योगों में श्रमिकों के साझेदारी की व्यवस्था का भी समर्थन किया है।

सांस्कृतिक परिवर्तनों के अन्तर्गत हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बनाने, आंचलिक हिन्दी का परिष्कार करने एवं लोक साहित्य तथा लोक कला के विकास पर बल दिया है।

जे०पी० ने समाज में नैतिक मापदण्डों की पुनर्स्थापना को आवश्यक बतलाया है उनके अनुसार नैतिक सीमाओं की पुनर्स्थापित प्रणाली के अस्तित्व के लिए

आवश्यक है। जे0पी0 के आध्यात्मिक मूल्य उदार मानवतावादी धर्म से सम्बन्धित हैं।

शैक्षिक क्षेत्र में उन्होंने रोजगार परक शिक्षा, साक्षरता में वृद्धि, डिग्री किसी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण पत्र न हो, मातृभाषा में शिक्षा एवं समानता के उद्देश्य से पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

सांस्कृतिक परिवर्तनों के अन्तर्गत गलत मान्यताओं, रूढ़ियों अंधविश्वासों एवं गलत संस्कारों से मुक्त होते हुए। 'स्वतंत्रता' 'समानता' श्रम की प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों की स्वीकारोक्ति पर बल दिया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने से ज्ञात होता कि प्रत्येक क्रान्तिकारी ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की है जो उसकी क्रान्ति के विशिष्ट हितों का पूरक बने। मार्क्स ने क्रान्ति के संगठन के रूप में सर्वहारा दल की कल्पना की थी। 'माओ' ने चीन में क्रान्ति दल बनाया था। गांधी जी ने भी अपनी मृत्यु से पूर्व कांग्रेस को भंग करके एक निर्दलीय एवं सेवा संगठन के रूप में लोक सेवक संघ के गठन की कल्पना की थी।

जे0पी0 ने गांधी के रचित सूत्र को पकड़ते हुए दलीय राजनीति से पृथक निर्दलीय संगठन के रूप में 'लोकसमिति' एवं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' की कल्पना की एवं उसके गठन का प्रयत्न भी किया। 'लोक समिति' के द्वारा वह निर्दलीय लोकशक्ति को संगठन एवं विकसित करना चाहते थे। 'बिहार आन्दोलन' में छात्रों एवं युवकों की भूमिका को देखते हुए उन्होंने उनके लिए पृथक निर्दलीय, छात्रयुवा संगठन के रूपमें 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' का निर्माण किया। जे0पी0 इन संगठनों के माध्यम से समग्र क्रान्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे।

जे0पी0 की समग्र क्रान्ति के चिंतन का आधार भारतीय समाज की परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

जे0पी0 की 'समग्र क्रान्ति' अहिंसा लोक शक्ति के गठन एवं उसके विकास द्वारा एक शोषण रहित समता का समाज बनाते हुए समाज के समग्र परिवर्तन पर आधारित है। जे0पी0 के चिंतन का मूल 'मार्क्सवाद एवं गाँधीवाद' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 'गाँधी' एवं 'विनोबा' के विचारों ने उसे पुष्पित एवं पल्लवित किया है और इसके फल के रूप में उनका समग्र क्रान्ति का दर्शन है।

जे0पी0 को भारतीय राजनीति में 'जनता पार्टी' नाम के एक नये राजनीतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्राप्त है। 'जनता पार्टी' के निर्माण की प्रक्रिया में वे आरम्भ से ही सम्बन्धित रहे हैं। इनके नेतृत्व में चलने वाले 'बिहार आन्दोलन' ने विभिन्न प्रतिपक्षी दलों को एक साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया। 6 मार्च 1975 को संसद के सामने जे0पी0 के नेतृत्व में प्रदर्शन कर इन विरोधी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता प्रदर्शित की। 'बिहार आंदोलन' के अन्तिम चरण में गुजरात में विधान सभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जे0पी0 की प्रेरणा से बिहार आन्दोलन समर्थक प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों ने 'जनता मोर्चा' गठित किया। 'जनता मोर्चे' को गुजरात चुनाव में आशातीत सफलता मिली और गुजरात में 'जनता मोर्चा' का मंत्रिमण्डल पदासीन हुआ। इस चुनाव से भारत में फिर प्रतिपक्षी राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरम्भ हुआ। जनता मोर्चे की चुनावी सफलता से सत्ता पक्ष के विकल्प की सम्भावनायें बढ़ी एवं जे0पी0 के इस विचार को बल मिला कि 'प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों को मिलने वाले मतों का विभाजन रोककर सत्तारूढ़ दल का विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।' 'बिहार आंदोलन' जिस समय राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर रहा था उसी समय आन्तरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गयी।

आपातकाल में जे0पी0 को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बन्दी जीवन में प्रतिपक्षी दलों की एकता उनके चिंतन का मुख्य विषय रहा। बंदी जीवन से मुक्त होने पर उन्होंने अपने चिंतन को व्यावहारिक रूप दिया।

नवम्बर, 1975 में जे0पी0 को अस्वस्थता के कारण मुक्त कर दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार होते ही उन्होंने प्रतिपक्षी दलों को मिलाकर एक नये राजनैतिक दल के गठन का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। प्रतिपक्षी दलों के अनेक प्रमुख नेताओं ने भी पत्र लिखकर एक नये दल के गठन की प्रार्थना की। इसी समय संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गयी। प्रतिपक्षी दलों के नेताओं को मुक्त किया जाने लगा। नये राजनैतिक दल के गठन में नेतृत्व को लेकर मतभेद था। नयी पार्टी के नाम और स्वरूप को लेकर भी गतिरोध बना हुआ था। इस स्थिति में जे0पी0 ने विरोधी राजनैतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे मिलकर एक पार्टी नहीं बनाते तो वे आगामी संसदीय चुनावों में उनका समर्थन नहीं करेंगे। चुनावों में जे0पी0 का समर्थन होना प्रतिपक्षी दलों के लिए एक आघात के समान था क्योंकि आन्तरिक आपात काल की घोषणा के पूर्व तक वे जनमानस में जे0पी0 के प्रभाव को देख चुके थे। अतः प्रतिपक्षी दलों ने अविलम्ब अपने मतभेद समाप्त कर एक पार्टी के रूप में संगठित होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार जे0पी0 के श्रेष्ठ नैतिक दबाव के परिणाम स्वरूप 'जनता पार्टी' के रूप में एक नया राष्ट्रीय राजनैतिक दल अस्तित्व में आया।

यदि जे0पी0 ने अपने प्रभाव का प्रयोग न किया होता तो 'जनता पार्टी' के स्थान पर गुजरात की तरह प्रतिपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा ही बनने की सम्भावना थी। अस्तु, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी का यह कथन कि 'जे0पी0 जनता पार्टी के जनक हैं।' अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।

नवगठित जनता पार्टी ने अपने "चुनाव घोषणा पत्र' में अपने भावी कार्यक्रमों एवं नीतियों की घोषणा की। 'जनता पार्टी का यह चुनाव घोषणापत्र' जे0पी0 के वैचारिक दर्शन से प्रभावित था। 'जनता पार्टी' ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 'राजनैतिक' कार्यक्रम' के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार मतदाताओं को

देने, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति करने, राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने, आपातस्थिति को समाप्त कर नागरिकों को स्थगित नागरिक स्वतंत्रतायें पुनः प्रदान करने की बात कही थी। आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास एवं सीलिंग कानून को उचित ढंग से कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया था। सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत छुआछूत को समाप्त करने एवं दलित वर्गों के उत्थान की बात कही गयी थी। शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारमूलक शिक्षा एवं निरक्षरता को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था। जे0पी0 बिहार आन्दोलन एवं सम्पूर्ण क्रान्ति के अपने चिंतन में इन बातों पर पहले ही बल दे चुके थे। इस प्रकार आगे चलकर भारत में सत्तारूढ़ होने वाली 'जनता पार्टी' का भावी कार्यक्रम जे0पी0 की वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित था।

अस्वस्थ होते हुए भी जे0पी0 ने अपने जीवन को संकट में डालकर जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जे0पी0 ने जनता को आपातकाल के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अत्याचारों से अवगत कराया। उनकी चुनाव सभाओं में विशाल जनसमूह एकत्र होता था। यह जनमानस पर उनके प्रभाव का प्रतीक था। इस संसदीय चुनाव में जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 'जनतापार्टी' के प्रत्याशियों ने चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने के सभी कीर्तिमान तोड़ दिये। नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले विजयी प्रत्याशी जे0पी0 के 'बिहार आन्दोलन' से संबंधित रहे थे। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में 30 वर्षों से केन्द्र में सत्ता कांग्रेस के एकाधिकार पूर्ण शासन का अन्त हुआ। सत्ता कांग्रेस के विकल्प का जे0पी0 का स्वप्न साकार हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष को भी सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए। इससे एकाधिकार पूर्ण शासन के दोष उत्पन्न नहीं होने पाते। भारतीय राजनीति में इस लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना का श्रेय सर्वप्रथम जे0पी0 को प्राप्त हुआ है।

चुनाव में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् 'जनता पार्टी' के समक्ष सबसे बड़ी समस्या प्रधानमंत्री के चयन की थी। प्रधानमंत्री पद के लिए श्री मोरार जी देसाई, श्री चरण सिंह व श्री जगजीवन राम के नाम विचारणीय थे। जनता पार्टी में सम्मिलित विभिन्न घटक अपने दल के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अतः प्रधानमंत्री पद को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए 'जनता पार्टी' ने जे0पी0 का सहयोग लिया; जे0पी0 को प्रधान मंत्री मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। जे0पी0 ने प्रधानमंत्री पद के लिए श्री मोरार जी देसाई के नाम की घोषणा करके इस गतिरोध को समाप्त किया। इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर श्री जगजीवन राम के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया। परन्तु बाद में जे0पी0 के आग्रह पर वे मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हो गये। इस प्रकार 'जनता पार्टी' के प्रथम मंत्रिमण्डल के गठन में जे0पी0 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। प्रधानमंत्री के मनोनयन का अधिकार जे0पी0 को दिया जाना तत्कालीन 'जनता पार्टी' में उनके सम्मान एवं प्रभाव का द्योतक था। स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री (या प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री) को पदासीन करने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है जे0पी0 के निर्णय ने तत्कालीन भारतीय राजनीति को एक नयी दिशा प्रदान की। उनके इस निर्णय के दूरगामी परिणाम हुए।

प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाना लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। उचित यही होता कि ऐसी परिस्थिति में जनता सांसद गुप्त मतदान द्वारा अपना नेता चुनते। बाद में जे0पी0 ने भी चुनाव के औचित्य को स्वीकार किया था।

जे0पी0 ने जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव सभाओं को सम्बोधित करते हुए देश की जनता को आश्वासन दिया था कि 'जनता पार्टी' के सत्ता में आने पर

आपातकाल के समय नागरिकों की छीनी गयी स्वतंत्रतायें पुनः प्रदान कर दी जायेगी। एवं भविष्य में उनके संरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। जे0पी0 के आश्वासन के अनुरूप 'जनता पार्टी' की सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाये है।

'जनता पार्टी' की सरकार ने आपातकाल के समय कुख्यात एवं नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कानून 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम) को एक अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया।

जे0पी0 संचार साधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते है जिससे कि सत्तारूढ दल इन साधनों का दुरूपयोग न कर सके। वे रेडियो एवं टेलीविजन से संबंधित संगठनों को स्वायत्तशासी स्वरूप प्रदान करने के पक्ष मे थे। 'जनता पार्टी' की सरकार ने जे0पी0 के विचारों के अनुरूप रेडियो एवं दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने की अपनी नीति की घोषणा की थी।

इस संबंध में सुझाव देने के लिए उसने 'वर्गीज समिति' का गठन किया था। जनता पार्टी की सरकार ने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगम' बनाने के उद्देश्य से 16 मई 1979 को 'वर्गीज समिति' की संस्तुतियों के आधार पर लोकसभा में 'प्रसार भारती' नामक एक विधेयक प्रस्तावित किया था। परन्तु इसके पूर्व कि यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता 'जनता पार्टी' की सरकार सत्ता से हट गयी और संचार साधनों की स्वायत्तता का जे0पी0 का स्वप्न अधूरा रह गया।

आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुँची थी। जे0पी0 ने प्रेस की स्वतंत्रता के पुनर्स्थापना की मांग की थी। 'जनता पार्टी' की सरकार ने पदासीन होते ही प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले दो प्रमुख अधिनियमों (प्रथम — आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, दूसरा — संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर लगी कानूनी रोक संबंधी अधिनियम) को निरस्त कर दिया। आपात-

काल के समय राजनीतिक कारणों से पत्रकारों की छीनी गयी मान्यता उन्हें पुनः प्रदान की। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित 'प्रेस परिषद' को आपातकाल के समय भंग कर दिया गया था। 'जनता सरकार' ने प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के माध्यम से पुनः प्रेस परिषद की स्थापना की। 'जनता सरकार' ने एक 'प्रेस आयोग' का भी गठन किया था जिसका उद्देश्य 'प्रेस की स्वतंत्रता' को और अधिक शक्तिशाली बनाना था। इन कार्यों से स्पष्ट है कि जनता सरकार ने जनतंत्र की आधार भूत आवश्यकता 'प्रेस की स्वतंत्रता' की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था।

'जनता पार्टी' की सरकार ने स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संचार साधनों के प्रयोग के लिए विपक्ष को अवसर प्रदान किया। चुनाव के समय रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रतिपक्ष को प्रसारण की सुविधा प्रदान करना भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटना थी। इससे भारतीय लोकतंत्र में जनता के मत को बल मिला। इस समतामूलक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा के प्रेरणा स्रोत जे०पी० थे। यह परम्परा आज भी विद्यमान है।

जे०पी० ने कहा था कि आपातकाल के दुरूपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ स्पष्ट मर्यादाओं का उल्लेख होना चाहिए। जे०पी० के सुझाव का आदर करते हुए 'जनता पार्टी' की सरकार ने '44 वें संविधान संशोधन' के माध्यम से ऐसी संवैधानिक व्यवस्था कर दी जिससे आपातकाल की घोषणा का दुरूपयोग न किया जा सके। नयी व्यवस्था के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 19 केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के समय घोषित आपात स्थिति के समय ही निलम्बित किया जा सकेगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किये जा सकेंगे।

आपातकाल के समय संविधान में ऐसे बहुत से संशोधन कर दिये गये थे जिनके कारण न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो गये थे। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गयी थी। 'जनता पार्टी' की सरकार ने 43 वें एवं 44 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसे संशोधनों को समाप्त कर दिया जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्रदान करने के न्यायपालिका के अधिकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीमित या नियंत्रित करते थे। इस प्रकार 'जनता पार्टी' की सरकार ने भारतीय न्यायपालिका को पुनः शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली न्यायपालिका लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। इस दृष्टि से जनता सरकार का यह कार्य सराहनीय रहा।

जे0पी0 का मत था कि आपातकाल के अतिरेकों की जाँच होनी चाहिए। 'जनतापार्टी' की सरकार ने आपातकाल के अतिरेकों की जाँच के लिए 'शाह आयोग' का गठन किया। 'शाह आयोग' की रिपोर्टों को प्रकाशित किया गया था। यद्यपि 'जनता सरकार' के सत्ता से हट जाने से 'शाह आयोग' की कार्यवाही का कोई परिणाम नहीं निकल सका परन्तु 'शाह आयोग' की जाँच के परिणाम स्वरूप जे0पी0 आन्तरिक आपात काल, नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों के दुरूपयोग से संबंधित अनेक तथ्य प्रकट हुए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उनका अपना अलग महत्व है। भारत के वर्तमान एवं भावी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जे0पी0 के सुझावों एवं प्रेरणा से 'जनता पार्टी' की सरकार ने तत्कालीन समय में नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी एवं कुछ ऐतिहासिक लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना की। 'जनता सरकार' के इन कार्यों का भारत के लोकतांत्रिक विकास में दूरगामी गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

'जनता पार्टी' के सत्ता में आने पर अपेक्षा की गयी थी कि वह जे0 पी0 के 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन को व्यावहारिक रूप देगी। 'समग्र क्रान्ति' में 'जन-प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार 'मतदाताओं को दिये जाने का आग्रह किया गया था। 'जनता पार्टी' ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी इस संबंध में आश्वासन दिया था। परन्तु सत्तारूढ़ होने पर जनता सरकार ने इसे अव्यावहारिक घोषित कर दिया। जनता सरकार की इस उपेक्षा से एक क्रान्तिकारी चिंतक एवं शासक के मस्तिष्क का अन्तर दृष्टिगत हुआ। 'जनता सरकार' के इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भारतीय लोकतंत्र एक नये मूल्यगत गुणात्मक परिवर्तन की सम्भावना से वंचित रह गया।

जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में ग्रामों के विकास एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया था। जनता सरकार' ने सत्ता में आने पर इस दिशा में कार्य किया। उसने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन-राशि व्यय करने का प्रावधान किया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की बैंकिंग सेवाओं में भी सुधार किया गया। गाँवों में आय के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। उर्वरकों (खादों) के मूल्य में कमी की गयी। ये सभी कार्य गाँवों के विकास में सहायक है। इनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए यह एक शुभ संकेत था। जे0पी0 ने जनता सरकार के इस कार्य की प्रशंसा की थी।

जे0पी0 ने अपने समग्र क्रान्ति के चिंतन में राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण को आवश्यक बतलाया था। सत्तारूढ़ होने पर जनता सरकार ने अपने प्रारम्भिक दिनों में केन्द्र में सचिवालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण का कार्य आरम्भ किया था। परन्तु जनता सरकार का विकेन्द्रीकरण का कार्य यहीं तक सीमित हो कर रह गया।

जे०पी० राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के पक्षधर रहे हैं। 22 जनवरी 1978 को बंगलौर में जनता पार्टी की कार्यकारणी समिति की बैठक में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से इंकार कर दिया था। आगे चलकर जनता सरकार ने विकेन्द्रीकरण के संबंध में 'यथास्थितिवाद' को ही अपनाये रखा। जनता सरकार के राजनैतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भारतीय लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो गयी। जे०पी० ने जनता सरकार की इस नीति के प्रति क्षोभ व्यक्त किया था।

सामाजिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से जे०पी० ने अपने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के चिंतन में दलित वर्ग के उत्थान की बात कही थी। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस आवश्यकता को स्वीकार किया था। 'जनता पार्टी' ने सत्तारूढ़ होने पर इस वर्ग की समस्याओं के अध्ययन एवं उनके समाधान के उद्देश्य से 'अनुसूचित एवं जनजाति आयोग' एवं 'पिछड़ा आयोग' का गठन किया था।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से इस वर्ग के नवयुवक एवं नवयुवतियों को कालीन बुनने का प्रशिक्षण देने का कार्य आरम्भ किया गया था। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए भी प्रयास किये गये। परन्तु दलित वर्ग के उत्थान की दिशा में यह कार्य प्रभावकारी नहीं हो सके। जर्मनी की संस्था 'ब्रेड फार द वर्ल्ड' के सहयोग से 'जनता सरकार' के शासन के समय किये गये सर्वेक्षण से प्रामाणिक रूप से यह स्पष्ट हो गया कि देश में बंधुआ मजदूरों की एक बड़ी संख्या विद्यमान है। और उन्हें शोषण से मुक्त नहीं कराया जा सका है। 'जनता सरकार' भूमि संबंधी सीलिंग कानून को उचित ढंग से कार्यान्वित करने एवं भूमिहीन हरिजनों को भूमि वितरित करने के कार्य में भी असफल रही। इस वर्ग के लोगों को संरक्षण

प्रदान करने में भी सरकार असफल रही। 'जनता सरकार' के समय में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों एवं उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुयी थी। सुरक्षा के अभाव में विकास की सभी सम्भावनायें समाप्त हो जाती हैं। जे०पी० ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराया था। दलित वर्ग के लोगों का शोषण समाप्त कर उनके विकास में सहयोग प्रदान कर ही उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सकता है। सभी वर्गों की समानता हमारे लोक-तांत्रिक समाजवाद की अनिवार्य आवश्यकता है। 'जनता सरकार' (समग्र क्रान्ति) के इस आदर्श को प्राप्त करने में असफल रही। जे०पी० ने इस असफलता के लिए 'जनता सरकार' की भर्त्सना की थी।

जे०पी० ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में राजनीतिक एवं प्रशास-निक क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 'लोकपाल एवं लोकायुक्त' नियुक्त करने का सुझाव दिया था। 'लोकायुक्त' की नियुक्ति जनता सरकार के शासन के पूर्व ही कांग्रेसी शासन के समय में कुछ प्रान्तों में कर दी गयी थी। सत्तारूढ़ होने पर 'जनता सरकार ने जे०पी० के सुझाव को स्वीकार करते हुए 28 अप्रैल 1977 को लोक-सभा में 'लोकपाल बिल' प्रस्तावित किया। इसके पूर्व कि यह विधेयक कानून का रूप धारण करता जनता सरकार सत्ता से हट गयी और राजनीतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जे०पी० का स्वप्न अधूरा रह गया। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो निश्चय ही इससे राजनीतिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलती। इस विधेयक को प्रस्तावित कराने में जे०पी० की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राज-नीति के भीतर भ्रष्टाचार से भारतीय लोकतंत्र को मुक्त कराने की दिशा में जे०पी० द्वारा किया गया यह प्रयत्न भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुधार के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के शिक्षा सम्बन्धी चिंतन में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने डिग्री का नौकरी से सम्बन्ध विच्छेद करने, साक्षरता वृद्धि, मातृभाषा में शिक्षा एवं पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की बात कही थी।

'जनता सरकार' ने साक्षरता वृद्धि के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित 18 करोड़ रूपये की धनराशि को बढ़ाकर दो अरब रूपये कर दिया था, 'जनता सरकार' ने अपनी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप' में डिग्री का संबंध नौकरी से समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जे0पी0 के विचार के अनुरूप कदम उठाते हुए 'केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन' की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर संविधान की 8वीं सूची में दी गयी भाषाओं में देने की छूट प्रदान की। अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण निर्णय था।

'जनता सरकार' द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारूप में शिक्षा को रोजगार परक बनाने की बात कही गयी थी। साथ ही प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव था। जे0पी0 ने भी अपनी 'शैक्षिक रूपरेखा' में कृषि संबंधी विषयों के अध्ययन पर विशेष बल दिया था। 'पब्लिक स्कूलों' को समाप्त करने के सम्बन्ध में जनता सरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। 'पब्लिक स्कूल' हमारे 'समानता' के आदर्श से मेल नहीं खाते। यह आरम्भ से ही 'उच्च वर्ग' और 'निम्न-वर्ग' के भेद को स्वीकार करके चलते हैं। इनके द्वारा समाज के अन्य क्षेत्रों में भी असमानता उत्पन्न होती है अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आने पर जनता सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षा योजनायें निरर्थक हो गयीं क्योंकि नये शिक्षाविदों ने इनमें परिवर्तन की योजना

कर दी। प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की उपेक्षा को जे0पी0 ने क्यों सहन कर लिया? जनता पार्टी और उसकी सरकार का विरोध क्यों नहीं किया?

जे0पी0 द्वारा जनता पार्टी एवं उसकी सरकार के मुखर विरोध न करने का एक कारण जे0पी0 के पास जनता पार्टी का विकल्प न होना था। वह लोक शक्ति को उस प्रकार संगठित नहीं कर सके थे जिसे वह राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में देखते थे। 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के विचारों एवं सिद्धान्तों की उपेक्षा से संबंधित अवसरों पर जे0पी0 ने जनता पार्टी एवं उसकी सरकार की सार्वजनिक भर्त्सना की थी । यह एक प्रकार विरोध ही था।

'जनता सरकार' के विरोध न करने का दूसरा प्रमुख कारण जे0पी0 का अस्वस्थ एवं रुग्ण होना था। अस्वस्थता के कारण वह सक्रिय होने की स्थिति में नहीं रह गये थे। अन्यथा हो सकता था कि वे जनता के दबाव से जनता पार्टी की सरकार को 'सम्पूर्ण क्रान्ति' से सम्बन्धित विचारों के कार्यान्वयन के लिए बाध्य करते। अपनी मृत्यु से पूर्व ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाज शास्त्री श्री [illegible] आस्टर गाई से बात-चीत के समय उन्होंने अपनी इस भावना से उन्हें अवगत कराया था। परन्तु कालचक्र ने उन्हें इसका अवसर नहीं दिया और जे0पी0 की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का स्वप्न अधूरा रह गया। जे0पी0 के स्वास्थ्य को उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जे0पी0 ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसी भारतीय लोकतंत्र को खोखला करने वाली सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध देश में प्रबल जनान्दोलन खड़ा किया। विपक्षी दलों में एकता स्थापित कर 'जनतापार्टी' के नाम से एक नये राष्ट्रीय राजनीतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय जे0पी0को

प्राप्त है। जे०पी० के प्रयत्नों से गठित 'जनता पार्टी' केन्द्र में 30 वर्षीय कांग्रेसी शासन के एकाधिकार को समाप्त कर सत्तारूढ़ दल के विकल्प के रूप में सामने आयी। इससे भारत की तत्कालीन राजनीति प्रभावित हुयी। जो एक नयी दिशा मिली।

भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का चिंतन किया। आपातकाल के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना एवं भविष्य में संरक्षण के प्रणेता के रूप में जे०पी० सदैव स्मरणीय रहेंगे। जे०पी० की ही प्रेरणा से चुनाव के समय विपक्षी दलों को अपनी बात रेडियो एवं टेलीविजन पर कहने का अवसर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वप्रथम 1977 में प्राप्त हुआ। यह परम्परा वर्तमान समय में भी विद्यमान है। इस समतामूलक लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना के लिए भारतीय जनमानस उनका सदैव आभारी रहेगा उनके त्याग एवं बलिदान से आगे आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।

आधारभूत- ग्रन्थ

1- सम्पूर्ण क्रान्ति : श्री जयप्रकाशनारायण, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी, संस्करण- 1979 अप्रैल।

2- मेरी विचार यात्रा : श्री जयप्रकाशनारायण, सं0[illegible], सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण- 1974 अक्टूबर।

3- सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में (मेरी विचार यात्रा भाग2) श्री जयप्रकाशनारायण, सर्व-सेवा-संघ- प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, संस्करण-1978 मार्च।

4- मेरी जेल डायरी, श्री जयप्रकाशनारायण, अनु0 डॉ0लक्ष्मीनारायणलाल, राजपाल एण्ड सन्ज़- कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण-1977

5- यह चुनाव: जनता के भविष्य का फैसला, श्री जयप्रकाशनारायण, बिहार सर्वोदय मण्डल, पटना,-3, संस्करण 1977

6- बिहारवासियों के नाम चिट्ठी, श्री जयप्रकाशनारायण, बिहार, सर्वोदयमण्डल, पटना-3, 1976

7- सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए आवाहन, श्री जयप्रकाशनारायण, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन राजघाट- वाराणसी, संस्करण 1974 अगस्त।

8- सिंहासन खाली करो : श्रीजयप्रकाशनारायण, भूदानयज्ञ 'पुस्तिकामाला प्रकाशन' नई दिल्ली। संस्करण - 1974

9- लोक स्वराज्य : श्री जयप्रकाशनारायण, सर्वसेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी संस्करण- नवम्बर, 1977

10-कारावास की कहानी : श्री जयप्रकाशनारायण, अनु0सच्चिदानन्द, बिहार सर्वोदय मण्डल, संस्करण-फरवरी, 1978

11-समाजवाद से सर्वोदय की ओर (अनुवाद) श्री जयप्रकाशनारायण, सर्वसेवा संघ प्रकाशन- वाराणसी, प्रकाशन 1958

13- आमने सामने (अनुवाद) श्री जयप्रकाशनारायण, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, सं01971

14. Why Socialism: Jaya Prakash Narayan, Congress Socialist Party Varanasi. (1936)

15. Inside Lahore Fort- Sahityalaya, Patna (1947) Writer -Jaya Prakash Narayan.

16. From Socialism To Sarvodaya, Jaya Prakash Narayan Serva Seva Sangh Prakashan, Varanasi. (1957)

17. A Plea for Reconstruction of Indian Polity. Jaya Prakash Narayan Serva Seva Sangh Prakashan, Varanasi (1959)

18. Swaraj for the people, Jayaprakash Narayan, Serva Seva Sangh Prakashan Varanasi (1961)

19. Face to Face. Jayaprakash Narayan, Navachetna Prakashan Varanasi 1970)

20. Prison Diary, Jaya Prakash Narayan, Popular Prakashan Bombay (1977)

[illegible]

1- आपात स्थिति क्यों?, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'आपातस्थिति क्यों" पुस्तक के आधार पर, सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ, अगस्त 1975

2- प्रथम राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव, राष्ट्रीय कार्यालय, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' 12 राजेन्द्र नगर पटना -800016, 1979

3- काम का अधिकार : 'राष्ट्रीय कार्यालय, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, 12 राजेन्द्र नगर, पटना, 800016, संस्करण 1979

4- समय की चुनौती और संघर्ष वाहिनी, (वही)

5- जनान्दोलन , (वही)

6- चतुर्थ राष्ट्रीय परिषद: (लखनऊ) राष्ट्रीय कार्यालय, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, महाजन बिल्डिंग महल, नागपुर-440002, मई 1981

7- सम्पूर्ण क्रान्ति पैम्फलेट, चन्द्रदीप सिंह, बिहार राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संस्करण -1975 जनवरी

8- हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व है - मार्च [illegible], जनता पार्टी प्रकाशन, अगस्त 1979

9- वायदे पूरे अधूरे -- जनता पार्टी प्रकाशन, अगस्त 1979

10- शाह जांच आयोग अंतरिम रिपोर्ट प्रथम[illegible] भारत सरकार प्रकाशन, मार्च 1978

English Books.

1. Loknayak Jaya rakash Narayan; Suresh Ram Macmillan co., Delhi (1974)
2. Jayaprakash: Rebel Extraordinary; Lakshmi Narayan Lal Indian book co., New Delhi (1975)
3. Loknayak Jayprakash Narayan; Farooq Argali Janta Pocket Books, Delhi (1977)
4. Red Fugitive: Jaya Prakash Narayan; H.L.Seth Dewan's Publications Lahore (1946)
5. Jayaprakash Narayan: A Political Biography; Ajit Bhattacharjee, Vikas Publications, Delhi (1975)
6. J.P. : His Biolography; Allanand Wendy Scarfe Orient Longmans, New Delhi (1975).
7. J.P.- From Marxism to Total Revolution; Ramchandra Gupta Sterling Publishers, Delhi (1981)
8. Total Revolution for All; Rammurti Sarva Seva Sangh Prakashan, Varanasi (1978)
9. Is J.P. the Answer? ; Minoo Masani Macmillan co., Delhi (1975)
10. J.P.Vinidicated; Vasant Nargolkar S.Chand & Co., New Delhi (1977)
11. Jayapeocracy: Theory and Practice; Achyutanand Prasad All India Sampradayikta Virodhi Committee. New Delhi (1975)
12. Protest Movements in two Indian States (A study of Gujarat and Bihar Movements); Ghanshyam Shah. Ajanta Publishers, Delhi (1977)
13. Politics of the J.P. Movement; Radhakant Barik Radiant Publishers, New Delhi (1977)
14. J.P's Crusade for Revolution; Vasant Nargolkar S. Chand and Co., New Delhi (1975)
15. J.P.- India's Revolutionary Number one; ed. B.M.Ahuja Varma Publishing Co., Lahore (1947)
16. J.P's Mission Partly Accomplished; Minoo Masani Macmillan Co. Delhi (1977)

17. Unacknowledged Aeronaut (An analysis of J.P's agitation);

Achyutanand Prasad

All India Sampradayikta Virodhi Committee, New Delhi.

18. Jaya Prakash Narayan and the future of Indian Democracy;

T.K.Mahadevan Affiliated East-West Press, New Delhi (1975)

19. Jaya Prakash Narayan: His Life and Thought Commemoration

Volume, J.P's 61st Birth day Celebration Committee, Madras (1963)

20. Real Face of J.P's Total Revolution; Indradeep Sinha Communist

Party of India, New Delhi (1974)

21. The Quest and the Goal; Commemoration Volume J.P's 76th Birthday

Celebration Committee, Madras (1979).

22. Bihar shows the way (with 96 Illustrations); Raghu Rai and

Sunanda K. Datta Ray.Nachiketa Publications, Bombay (1977)

23. Jayprakash Narayan: Abhinandan Granth ed. K.L.Sharma (English&Hindi)

Chinmaya Prakashan, Jaipur (1978)

24. Jaya Prakash Narayan analysed through the Gandhian Prism;

Hari Kishore Thakur, All India Congress Committee (1975)

25. Towards Struggle; ed Yusuf Meherally Padma Publications,Bombay(1946)

26. J.P's Jail Life; (A Collection of Personal letters)(Tr.)ed.

G.S.Bhargava. Arnold-Heinemann, New Delhi.

27. Towards Total Revolution

1) Search for an Ideology)
2) Politics in NT India.) ed. Brahmanand
3) India and Her Problems)
4) Total Revolution.)

Popular Prakashan, Bombay (1978)

28) A Revolutionary's Quest; ed Bimal Prasad Oxford University-

Press, New Delhi (1980)

29. Nation-Building in India; ed Brahmanand Navachetna Prakashan, Varanasi (1974)

30. Towards Revolution; ed Bhargava and Phendris Arnold-Heinemann, New Delhi (1977)

31. J.P.: Profile of a non-Conformist; Interviews by Bhola Chatterji Minerva Associates, Calcutta (1979)

32. Communitarian Society and Panchayati Raj; ed. Brahmanand Navachetna Prakashan Varanasi (1970)

33. Sarvodaya Answer to Chinese Agression Sarvodaya Prachuralaya, Tanjore (1963)

34. Socialism; Sarvodaya and Democracy, ed. Bimal Prasad Asia Publishing House, Bombay (1964)

35. The Shah Commission Final Report (General Observations) Government of India, Feb. 1979.

36. Homage to Lok-Nayak A Janta Party Publication (1979)

37. J.P.- Lohia Talks: a Flashback Praja Socialist Party New Delhi (1957)

38. Planning for Sarvodaya Akhil Bharat Sarva Seva Sangh (1957)

39. Shah Commission Third and final Report 6th August 1978 Government of India Publication.

T. Abraham Secretary to Shri Jayaprakash Narayan • Kadam Kuan Patna 800 003. Tel 51239

Resi :- Flat No. 47, Block No. 3, Rajendranagar, Patna-800016 • Tel. 50679

Mr. Janardhan Prasad Tripathi met me in Patna, today and interviewed me in connection with his thesis "The Role of JP in Indian Politics After 1971".

Patna
7.6.1980

Abraham
T. Abraham
~~[illegible]~~ Secretary to the late
Shri Jayaprakash Narayan

चम्बल घाटी शान्ति मिशन

महाबीर भाई
अध्यक्ष

जन सम्पर्क कार्यालय
१३०, रायलहोटल, लखनऊ

दिनांक ३०·12·80

शोधकर्ता जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी ने जे०पी० के सम्बन्ध में साक्षात्कार किया।

(जे.पी. के साथ चम्बल में डाकुओं के आत्मसमर्पण का महान कार्य 1972 में सम्पन्न करवाया) महावीर भाई

छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी
CHHATRA-YUVA SANGHARSH VAHINI

वाहिनी नायक/Vahini Nayak
जयप्रकाश नारायण
JAYAPRAKASH NARAYAN

राष्ट्रीय कार्यालय/National Office
१२, राजेन्द्र नगर, पटना-८०००१६
12, Rajendra Nagar, PATNA-800016

पत्रांक : छा. यु. सं. वा.
Ref. No. : C.Y.S.V.

दिनांक / Date - 7 JUN 1980

श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, बांदा (उ. प्र.) जो 'श्री जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में योगदान (1971 के बाद)' पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने इस कार्यालय से शोध से सम्बंधित जानकारी प्राप्त की।

(महादेव विद्रोही)
कार्यालय सचिव
राष्ट्रीय समिति
छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी

छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी
CHHATRA-YUVA SANGHARSH VAHINI

सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है — भावी इतिहास हमारा है

राष्ट्रीय कार्यालय : महाजन बिल्डिंग
राजविलास सिनेमा के पीछे,
महाल, नागपुर ४४० ००२

संस्थापक /Founder
जयप्रकाश नारायण
JAYAPRAKASH NARAYAN

National Office: Mahajan Building,
Behind Rajvilas Cinema, Mahal,
NAGPUR 440 002

पत्रांक / Ref. No.

दिनांक /Date

शोध कर्ता जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी ने जे. पी. के सम्बंध में साक्षात्कार किया।

शुभ आशीष
14/1/83
भूतपूर्व राष्ट्रीय संयोजक

तार : सर्वसेवा'   दूरभाष : ५४८३१

राष्ट्रीय लोक समिति
(संगठक)

राजघाट, वाराणसी-२२१ ००१

पत्रांक : 2165/NPC/80-81   दिनांक : ४-२-१९८१

श्री जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी,
द्वारा श्री चन्द्रमोहन त्रिपाठी,
छोटी बाजार (कमतू फाटक के अंदर),
बाँदा- २१०००१ (उ०प्र०)

प्रिय महाशय,

राष्ट्रीय लोक समिति के महामंत्री के नाम आपका पत्र हमें देखने को मिला है। शोधकार्य के लिए आपने कुछ जानकारी चाही है, वह इस प्रकार है :

१- राष्ट्रीय लोक समिति के पदाधिकारी -

अध्यक्ष-		डा० मोहन सिंह मेहता
उपाध्यक्ष	-	१) श्री सिद्धराज ढड्ढा तथा २) आचार्य राममूर्ति
महामंत्री	-	श्री नारायण देसाई
मंत्री	-	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह

२- कितने प्रान्तों में लोक समिति का गठन हो चुका है ?

देश के १६ (सोलह) प्रमुख प्रान्तों में `तदर्थ` या `संगठक` समितियां गठित की गई हैं। बाकी में संगठन का प्रयास चल रहा है। १९८१ के अन्त तक संगठन के काम में जोरदार प्रगति की संभावना है।

३- लोक समिति ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ?

कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी कृपया संलग्न फोल्डर से प्राप्त करें।

आपका,

[signature]

(देवेन्द्र प्रसाद सिंह)
मंत्री

Telephone : 3285.

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST)

BIHAR STATE COMMITTEE

बिहार राज्य कमिटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

एनीबेसेन्ट रोड
पटना-८००००४

ANNIE BESANT ROAD
PATNA-800004

Ref..............

Date 8/6/80

Shri J.P. Tripathi Research Scholar, U.P called on the "Role of J.P after 1971.

H. Shrivastava
8/6/80.
Secy,
Bihar State Committee of the C.P.I(M)

Bihar State Committee
COMMUNIST PARTY OF INDIA (Marxist)
Annie Besant Road, Patna-4

श्री धर्मवीर प्रसाद सिंह

अध्यक्ष
कटरा क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ, मुजफ्फरपुर
सदस्य
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

टेलीफोन : कार्यालय ५३८१५
निवास ५०३४२

नेशनल हॉल, कदमकुआँ
पटना-३

पत्रांक ....

दिनांक ....

शोधकर्ता (जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी) ने जे.पी. के शोध के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

धर्मवीर प्रसाद सिंह
८/६/८०

(जे.पी. के बिहार आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता)

संक्षिप्तिका

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध 1971 के उपरान्त भारतीय राजनीति में श्री जय प्रकाश नारायण की भूमिका पर आधारित है परन्तु विषयवस्तु को समझने की दृष्टि से प्रथम अध्याय के अन्तर्गत संक्षेप में उनका जीवन परिचय एवं देश के स्वतंत्रता -- आन्दोलन में उनके योगदान का उल्लेख है।

उच्चशिक्षा प्राप्ति के अपने अमेरिकी प्रवास के समय जे0पी0 मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। स्वदेश लौटने पर वे गाँधी, नेहरू एवं कांग्रेस के सम्पर्क में आये। 1932 में अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के समय में जे0पी0 ने गुप्तरूप से आन्दोलन का संचालन किया। 7 सितम्बर, 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अतीत के अपने मार्क्सवादी प्रभाव के कारण 1934 में उन्होंने कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की। इसका उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी नीतियों के लिए प्रेरित करना था। स्वतंत्रता आंदोलन संचालन के उद्देश्य से उन्होंने अनेक 'गुप्त संगठन' बनाये। इसीलिए उन्हें 'भारत सुरक्षानियमों' के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जयप्रकाश जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के समय थी। सरकार ने अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को जेल में बन्द कर रखा था। उसी समय 9 नवम्बर, 1942 को जे0पी0 अपने पांच साथियों के साथ जेल से फरार हो गये। उन्होंने भूमिगत रहकर आन्दोलन को गति प्रदान की। नेपाल में उन्होंने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का एक दल 'आजाद दस्ता' तैयार किया। 18 सितम्बर, 1943 को वे गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें बन्दी बना

कर लाहौर किले में ले जाया गया। यहाँ पर उन्हें अमानुषिक यंत्रणायें दी गयीं। 'कैबिनेट मिशन' के भारत आने पर उन्हें मुक्त किया गया। देश की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उन्होंने कैबिनेट मिशन के सदस्यों से बातचीत की।

मार्च 1948 में 'सोशलिस्ट पार्टी' कांग्रेस से पृथक् हो गयी। उनका कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। जे0पी0 पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव बढ़ता गया। वे बिनोवा के भूदान आन्दोलन से प्रभावित हुए। 19 अप्रैल, 1954 को जे0पी0 ने 'भूदान' और 'सर्वोदय' के लिए अपना जीवन दान कर दिया। वे 'सर्वोदय' के कार्य में लग गये। 'मार्क्सवाद' से 'सर्वोदय' तक की अपनी यात्रा को जे0पी0 अपना वैचारिक विकासक्रम मानते थे।

नागालैण्ड की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक 'शान्ति मिशन' स्थापित किया। इस मिशन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही नागाविद्रोहियों एवं भारत सरकार के बीच बातचीत सम्भव हो सकी। 1965 में उनकी उत्कृष्ट मानवीय सेवाओं के लिए उन्हें 'रैमन मैगसेसे पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह उनके कार्यों का अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकन था।

बांगला देश के युद्ध के समय 'बंग मुक्ति आन्दोलन' के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने एवं भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उन्होंने 16 देशों की यात्रा की। बांगला देश के सम्बन्ध में उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया। 1972 में उन्होंने चंबल की घाटी में डाकुओं का आत्मसमर्पण कराकर भारत वर्ष की भूमि में अंगुलीमाला एवं वाल्मीकि के इतिहास की पुनरावृत्ति की। यह कानून

व्यवस्था की प्रशासनिक समस्या का तात्कालिक समाधान एवं हृदय परिवर्तन की घटना का उत्कृष्ट उदाहरण था।

आगे चलकर जे0पी0 को 'सर्वोदय' कार्यपद्धति एवं 'सिद्धान्तों' से निराशा होने लगी। देश की जनता भ्रष्टाचार, महगाई, बेरोजगारी से परेशान थी। 'सर्वोदय' के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। जे0पी0 ने अनुभव किया कि 'सर्वोदय' परिवर्तन की शक्ति बनने में अक्षम रहा है अतः वे उसमें परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। देश की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अपनी अपील 'यूथ फार डेमोक्रेसी' (लोकतंत्र के लिए युवा) के माध्यम से देश के युवकों का आह्वान किया। इस अपील का छात्रों एवं युवकों ने स्वागत किया। गुजरात एवं बिहार में आन्दोलन आरम्भ हुए।

दूसरे अध्याय में जे0पी0 के नेतृत्व में चलने वाले 'बिहार आन्दोलन' का वर्णन है। इस आन्दोलन से भारतीय राजनीति में जे0पी0 की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती गयी। गांधी जी ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध जिस सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जे0पी0 ने उसी हथियार का प्रयोग स्वदेशी सत्ता के विरुद्ध किया।

'बिहार आन्दोलन' के पूर्व गुजरात में आन्दोलन आरम्भ हुआ। गुजरात में इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने छात्रावासों में भोजन की बढ़ी हुयी कीमतों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। महगाई विरोधी इस आन्दोलन में अन्य छात्रों के साथ-साथ जनता भी सम्मिलित होती गयी। इस प्रकार यह आन्दोलन बढ़ता गया। गुजरात आन्दोलन में विधान सभा विघटन की मांग भी सम्मिलित कर ली गयी। इस आन्दोलन के प्रभाव से बाध्य होकर सरकार को गुजरात विधान सभा विघटित करनी पड़ी।

इसी समय बिहार में भी छात्र अपनी शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे थे। आगे चलकर उन्होंने भ्रष्टाचार एवं महगाई संबंधी सार्वजनिक

माँगों को भी सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में इसके पूर्व के आन्दोलनों से भिन्न युवा चरित्र इस आन्दोलन द्वारा प्रकट हुआ। इसके पूर्व छात्रों के अधिकांश आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी मांगों को लेकर हुआ करते थे। छात्रों को एक व्यापक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जे0पी0 की 'यूथ फार डेमोक्रेसी' नामक अपील को है। गुजरात में विधान सभा भंग हो जाने से बिहार के आन्दोलनकारियों का साहस बढ़ा। जे0पी0 व प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों ने भी छात्र शक्ति द्वारा राजनैतिक परिवर्तनों की सम्भावना देखी। 18 मार्च 1974 को छात्रों द्वारा बिहार विधान सभा का घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। इसमें पुलिस द्वारा व्यापक रूप से लाठीचार्ज किया गया एवं गोली चलायी गयी। छात्रों के समर्थन में पूरे बिहार में छात्रों एवं जनता के प्रदर्शन हुए, आन्दोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया गया क्योंकि सरकार गुजरात की पुनरावृत्ति बिहार में नहीं चाहती थी। छात्रों ने जे0पी0 से आन्दोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। प्रशासनिक हिंसा के विरोध में जे0पी0 ने आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया परन्तु उन्होंने छात्रों से आन्दोलन को निर्दलीय एवं अहिंसक रखने का आश्वासन भी लिया। बिहार आन्दोलन में विभिन्न राजनैतिक दल सम्मिलित थे किन्तु उनकी भूमिका दलीय न होकर जन आन्दोलन को समर्थन देने की थी। जे0पी0 स्वयं निर्दलीय व्यक्ति थे। आन्दोलन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जे0 पी0 को प्राप्त था।

जे0पी0 की नेतृत्व कुशलता, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप यह आन्दोलन उत्तरोत्तर तीव्र होता गया। सरकार द्वारा बिहार की उपेक्षित दयनीय सामाजिक सेवायें, मँहगाई, बेरोजगारी एवं कृषि की दयनीय स्थिति भी इसमें सहायक हुयीं।

बिहार आन्दोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला और यह आन्दोलन जनांदोलन में बदल गया। प्रशासन ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया परन्तु आन्दोलन को मिले जनसहयोग से उसे इसमें सफलता नहीं मिली। छात्रों के इस आन्दोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक हो जाने की अत्यधिक सम्भावना थी। परन्तु जे0पी0 के प्रभाव एवं उनके गांधीवादी मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था के कारण यह आन्दोलन अहिंसक बना रहा। सत्ता कांग्रेस एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस आंदोलन के विरुद्ध प्रत्यान्दोलन चलाने का भी प्रयास किया गया परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।

'बिहार आन्दोलन' के परिणाम स्वरूप देश में एक अद्भुत जनजागरण उत्पन्न हुआ। यह आन्दोलन राजनैतिक ध्रुवीकरण में सहायक हुआ। बिहार आन्दोलन ने विभिन्न राजनैतिक दलों को एक दूसरे के निकट आने एवं एक दूसरे को समझने का अवसर दिया। उनमें आपसी एकता स्थापित हुयी। 25 जून, 1975 के आपातकाल के पूर्व गुजरात के चुनाव में प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों का एक संयुक्त मोर्चा 'जनता मोर्चे' के नाम से संगठित हुआ। 'जनता मोर्चे' को गुजरात के चुनाव में आशातीत सफलता मिली। 'जनता मोर्चे की चुनावी सफलता से विपक्षी दलों ने अपनी एकता की शक्ति को पहचाना। यही समझ आगे चलकर 'जनता पार्टी' के निर्माण में सहायक हुयी। अपने अन्तिम चरण में जिस समय यह आन्दोलन देशव्यापी स्वरूप ग्रहण करने जा रहा था, आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा कर दी गयी। बिहार आन्दोलनका बढ़ता हुआ देश व्यापी प्रभाव 25 जून 1975 को घोषित आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा का हेतु बना।

तीसरा अध्याय 26 जून, 1975 की आन्तरिक आपातस्थिति की घोषणा से सम्बन्धित है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री राजनारायण की चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भ्रष्टाचार का दोषी घोषित किया

साथ ही अपने निर्णय के कार्यान्वयन को रोकने के लिए 20 दिन का स्थगन आदेश भी दिया। परन्तु इस समयावधि के पूर्व ही जे0पी0 एवं बिहार आन्दोलन में सम्मि-लित विरोधी राजनैतिक दलों ने भ्रष्टाचार के आधार पर श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की। श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग केवल नैतिक आधार पर ही की जा सकती थी क्योंकि 20 दिन तक अपने पद पर बने रहने एवं उच्चतम न्यायालय में अपील करने का उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त था।

23 जून, 1975 को इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करते हुए श्रीमती गांधी ने निरपेक्ष एवं बिना शर्त स्थगन आदेश निर्गत करने की प्रार्थना की। उच्चतम न्यायालय ने सशर्त स्थगन आदेश देते हुए कहा कि 'श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं किन्तु उन्हें लोकसभा में मतदान का अधि-कार नहीं होगा। लोकसभा में उनकी सदस्यता निलम्बित रहेगी।' इस स्थगन आदेश के पश्चात् बिहार आन्दोलन समर्थित प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों ने औचित्य एवं नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग को और तीव्र बना दिया। इस उद्देश्य से जे0पी0 के परामर्श से एक 'लोक संघर्ष समिति' का गठन किया गया। इस समिति ने श्रीमती गांधी से त्यागपत्र दिलाने के उद्देश्य से 29 जून, 1975 से सम्पूर्ण देश में सत्याग्रह का आन्दोलन चलाने की घोषणा की। 25 जून, 1975 को प्रतिपक्षी दलों की एक रैली को दिल्ली में सम्बोधित करते हुए जे0पी0 ने श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की। उनका तर्क था कि भ्रष्टाचार के आरोप से कलंकित एवं सीमित अधिकारों वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसे अवसरों पर त्यागपत्र देने की परम्परा रही है।

उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के पश्चात् श्रीमती गांधी को संवैधा-निक रूप से अपने पद पर बने रहने का पूर्ण अधिकार था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में

न्यायपालिका का पृथक् एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है अतः न्यायालयों के निर्णयों को प्रदर्शन एवं आन्दोलनों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। श्रीमती गांधी को औचित्य एवं नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र के लिए बाध्य करना एक प्रकार से न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप एवं न्यायालय द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के अधिकार में कटौती करना था। इस सम्बन्ध में आन्दोलन चलाने के पूर्व प्रतिपक्ष को उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

इसके पूर्व कि जे0पी0 एवं प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों का आंदोलन प्रारम्भ हो, 25 जून 1975 की रात्रि को आन्तरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी। जे0पी0 एवं आन्दोलन समर्थक प्रतिपक्षी नेता गिरफ्तार कर जेलों में बन्द कर दिये गये। विरोधी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की व्यापक गिरफ्तारियां हुयीं।

इस आपातकाल के समय देश की जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात पहुंचा। कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गयी। 'प्रेस परिषद' भंग कर दी गयी। संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी। विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो गया। जे0पी0 से संबंधित समाचारों पर रोक लगा दी गयी। उनके द्वारा जेल से लिखे गये पत्रों को भी सेंसर किया गया। प्रजातंत्र की आधारभूत आवश्यकता अभिव्यक्ति कीस्वतंत्रता लगभग समाप्तप्राय हो गयी।

राजनैतिक विरोधियों को बन्दी बनाने के लिए व्यापक रूप से 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम) का प्रयोग किया गया। संवैधानिक संशोधनों, एवं अध्यादेशों द्वारा इसे और कठोर बना दिया गया। इसके प्रयोग से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को गंभीर क्षति पहुंची।

आपातकाल के समय सत्ता के विरोध को दबाने के लिए कठोर दमन का सहारा लिया गया। विरोधियों को प्रताड़ित किया गया एवं अमानुषिक यंत्रणायें दी गयीं। स्वतंत्र भारत में जे0पी0 जैसे देशभक्त, अहिंसक व्यक्ति के साथ बन्दी जीवन के समय अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें एकान्तवास की मानसिक यंत्रणा दी गयी। बन्दी अवस्था में उनके दोनों गुर्दे नष्ट हो गये। इससे उनके स्वास्थ्य एवं जीवन को गंभीर क्षति पहुंची। इसी रुग्णता में बाद में उनकी मृत्यु हो गयी।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का भार न्यायपालिका पर होता है। आपातकाल के समय संवैधानिक संशोधनों द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गयी थी। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित एवं संकुचित करना एक अलोकतांत्रिक घटना थी।

आपातकाल के समय 'परिवार नियोजन' कार्यक्रम को बाध्यता का रूप दिया गया। 'परिवार नियोजन' कार्यक्रम की उपयोगिता होते हुए भी इसके त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन से भारतीय जनता में रोष व्याप्त हो गया था।

जे0पी0 ने उपर्युक्त अलोकतांत्रिक कार्यों की निन्दा की थी एवं भारतीय जनता को इनका प्रतिकार करने को कहा था। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक दुखद अध्याय है।

चतुर्थ अध्याय में जे0पी0 की 'समग्र क्रान्ति' के दार्शनिक चिंतन का अध्ययन है। जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिन्तन में भारतीय समाज में 'समग्र' परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार भारतीय समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों की आवश्यकता

है। जे0पी0 ने इन परिवर्तनों को 'समग्र क्रान्ति' की संज्ञा दी है। इसके पूर्व डा0 राम मनोहर लोहिया भी 'सप्त क्रान्ति' की बात कह चुके हैं। 'समग्र क्रान्ति' में निहित उपर्युक्त सात क्रान्तियों को 'समग्र क्रान्ति' के तत्व मानकर उन्हें इस अध्याय में व्याख्यायित एवं विश्लेषित किया गया है।

राजनैतिक तत्व' के अन्तर्गत जे0पी0 ने राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण, चुनाव व्यवस्था में सुधार, जनप्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण(इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार मतदाताओं को दिये जाने की बात कही थी) भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए 'लोकपाल' एवं 'लोकायुक्त' की नियुक्ति पर बल दिया है। अपने अतीत के 'मार्क्सवादी' प्रभाव एवं 'सर्वोदय' कार्यपद्धति की असफलता के कारण उन्होंने 'शान्तिमय वर्ग संघर्ष' को भी स्वीकार किया है।

जे0पी0 का विचार था कि 'राजनीतिक परिवर्तन' तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक समाज के अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन न किया जाय। इसीलिये उन्होंने अपने चिंतन में सामाजिक क्षेत्र के जातिवाद, तिलक, दहेज, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया है। उनके विचार से सामाजिक शोषण के समाप्त होने पर ही 'समता' पर आधारित समाज का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण भारत की परिस्थितियों में कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विकास पर बल दिया है। उन्होंने उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी की व्यवस्था का भी समर्थन किया है।

सांस्कृतिक परिवर्तनों के अन्तर्गत हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बनाने, जातिगत चिन्हों का बहिष्कार करने एवं लोक साहित्य तथा लोक कला के विकास पर बल दिया है।

प्रजातंत्र के अस्तित्व के लिए जे0पी0 समाज में नैतिक मूल्यों की अनि-वार्यता पर बल देते थे। जे0पी0 के आध्यात्मिक मूल्य उदारमानवतावादी धर्म पर आधारित हैं। शैक्षिक क्षेत्र में उन्होंने रोजगारमूलक शिक्षा, साक्षरता मे वृद्धि, डिग्री का व्यवसाय से संबंध न होना, मातृभाषा में शिक्षा एवं 'समानता' के उद्देश्य से 'पब्लिक स्कूलों' को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

बौद्धिक परिवर्तनों के अन्तर्गत उनकी मान्यता थी कि गलत मान्यताओं रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं गलत संस्कारों से मुक्त होते हुए 'स्वतंत्रता' 'समानता' श्रम की प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों को स्वीकार किया जाय।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रत्येक क्रान्तिकारी ने एक ऐसे संगठन की कल्पना अवश्य की है जो उसकी क्रान्ति के विशिष्ट उद्देश्यों का पूरक बने। 'मार्क्स' ने क्रान्ति के संगठन के रूप में 'सर्वहारा दल' की कल्पना की थी। 'माओ' ने चीन में 'क्रान्तिदल' बनाया था। गांधी जी ने भी अपनी मृत्यु के पूर्व कांग्रेस को भंग करके एक निर्दलीय सेवा संगठन के रूप में 'लोक सेवक संघ' के गठन की कल्पना की थी।

जे0पी0 ने गांधी के संकेत सूत्र को पकड़ते हुए दलीय राजनीति से पृथक निर्दलीय संगठन के रूप में 'लोक समिति' एवं 'छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी' का विचार दिया एवं उनका गठन किया। 'लोकसमिति' के द्वारा जे0पी0 निर्दलीय लोक-शक्ति को संगठित एवं विकसितकरना चाहते थे। उनके इस विचार में 'लोक शक्ति' एवं 'राज्य शक्ति' का समन्वय है। तत्कालीन राजनीति में छात्रों एवं युवकों की भूमिका को देखते हुए उन्होंने उनके लिए पृथक निर्दलीय, छात्र-युवा संगठन के रूप में 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी' का गठन किया। इन संगठनों के माध्यम से वे 'समग्रक्रान्ति' के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे।

जे0पी0 की 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन का आधार भारतीय समाज की परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

जे0पी0 की 'समग्र क्रान्ति' 'अहिंसा' लोकशक्ति के गठन एवं उसके विकास द्वारा, एक शोषण रहित समता का समाज बनाते हुए समाज के 'समग्र परिवर्तन' की कल्पना पर आधारित है।

जे0पी0 के चिंतन का वृक्ष 'मार्क्सवाद' एवं 'गांधीवाद' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 'माओ' एवं 'बिनोवा' के विचारों ने उसे पुष्पित एवं पल्लवित किया है और इसके फल के रूप में उनका 'समग्र क्रान्ति' का दर्शन है।

पाँचवे अध्याय में 'जनता पार्टी' के निर्माण में जे0पी0 की भूमिका का उल्लेख है जे0पी0 को भारतीय राजनीति में 'जनता पार्टी' के नाम के एक नये राजनैतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्राप्त है। 'जनता पार्टी' की निर्माण की की प्रक्रिया में वे आरम्भ से ही सम्बन्धित रहे हैं। जे0पी0 के नेतृत्व में चलने वाले 'बिहार आन्दोलन' ने विभिन्न प्रतिपक्षी दलों को निकट आने का अवसर प्रदान किया। इस आन्दोलन में अपने मतभेदों को भुलाकर प्रतिपक्षी दलों ने जे0पी0 के नेतृत्व में कार्य किया। 6 मार्च, 1975 को संसद के सामने जे0पी0 के नेतृत्व में प्रदर्शन कर इन विरोधी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता प्रदर्शित की। आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के पूर्व गुजरात में विधान सभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में जे0 पी0 की प्रेरणा से 'बिहार आन्दोलन' समर्थक प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों ने एक संयुक्त मोर्चा 'जनता मोर्चा' के नाम से गठित किया। 'जनता मोर्चे' की सरकार सत्तारूढ़ हुयी। 'जनता मोर्चे' की चुनावी सफलता से सत्ता कांग्रेस के विकल्प की सम्भावनायें बढ़ीं एवं जे0पी0 के इस विचार को बल मिला कि 'प्रतिपक्षी राजनैतिक दलों को मिलने वाले मतों का विभाजन रोक्कर सत्तारूढ दल का विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।'

इस प्रकार इस चुनाव से जे0पी0 के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में चिरप्रतीक्षित 'राजनीतिक ध्रुवीकरण' का आरम्भ हुआ।

आपातकाल के समय अपने बन्दी जीवन में प्रतिपक्षी दलों की एकता जे0पी0 के चिंतन का मुख्य विषय रहा । बन्दी जीवन से मुक्त होने पर उन्होंने अपने चिंतन को व्यावहारिक रूप दिया।

बन्दी जीवन से मुक्त होते ही जे0पी0 ने प्रतिपक्षी दलों को मिलाकर एक नये राजनैतिक दल के गठन का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। प्रतिपक्षी दलों के अनेक नेताओं ने पत्र लिखकर जे0पी0 से एक नये दल के गठन की प्रार्थना की। इसी समय संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी गयी। नये राजनैतिक दल के गठन मेंनेतृत्व, पार्टी के नाम एवं स्वरूप को लेकर प्रतिपक्षी दलों के बीच मतभेद था। ऐसी स्थिति में जे0पी0 ने विरोधी राजनैतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे मिलकर एक राजनैतिक दल नहीं बनाते तो वे इस संसदीय चुनाव में उनका समर्थन नहीं करेंगे। चुनाव में जे0पी0 का समर्थन खोना प्रतिपक्षी दलों के लिए एक आघात के समान था, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के पूर्वतक वे जनमानस मेंजे0पी0 के प्रभाव को देख चुके थे अतः प्रतिपक्षी दलों ने गतिरोध समाप्त कर एक होने का निश्चय किया। इस प्रकार जे0पी0 के श्रेष्ठ नैतिक दबाव के परिणाम स्वरूप 'जनता पार्टी' के रूप में एक नया राजनैतिक दल भारतीय राजनीति में अस्तित्व में आया।

यदि जे0पी0 ने अपने प्रभाव का प्रयोग न किया होता तो 'जनतापार्टी' के स्थान पर गुजरात की तरह प्रतिपक्षी दलों का एक 'संयुक्त मोर्चा' ही बनने की सम्भावना थी। अस्तु भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी का यह कथन कि —— 'जे0पी0 जनता पार्टी के जनक थे।' अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।

नवगठित 'जनतापार्टी' ने अपने 'चुनाव घोषणापत्र' में अपने भावी कार्यक्रमों एवं नीतियों की घोषणा की। 'जनतापार्टी' का यह चुनाव घोषणापत्र जे0पी0

के वैचारिक चिन्तन से प्रभावित था। इस चुनाव घोषणापत्र में जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार मतदाताओं को देने, लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्त करने, राजनैतिकशक्ति का विकेन्द्रीकरण करने, कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास, छुआछूत समाप्त कर दलित वर्गों का उत्थान, रोजगार मूलक शिक्षा एवं निरक्षरता को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था। जे0 पी0 अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में पहले ही इन बातों पर बल दे चुके थे। इस प्रकार जनता पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा जे0पी0 की वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी।

अस्वस्थ होते हुए भी जे0पी0 ने अपने जीवन को खतरे में डालकर 'जनता पार्टी' के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उनकी सभाओं में विशाल जनसमूह एकत्र होता था। जे0पी0 ने अपनी जनसभाओं में आपातकाल के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अत्याचारों से जनता को अवगत कराया। इस संसदीय चुनाव में 'जनता - पार्टी' को अभूतपूर्व सफलता मिली। स्वतंत्र भारत में केन्द्र के सत्ता कांग्रेस के 30 वर्षीय एकाधिकार पूर्ण शासन का अन्त हुआ। सत्ता कांग्रेस के विकल्प का जे0पी0 का स्वप्न साकार हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष को भी सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए। इससे एकाधिकार पूर्ण शासन के दोषों से मुक्ति मिलती है। भारत में इस लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना सर्वप्रथम जे0पी0 के प्रयत्नों से सम्भव हो सकी।

छठें अध्याय में 'जनता पार्टी' की सरकार के प्रथम मंत्रिमण्डल के गठन में जे0पी0 की भूमिका एवं जे0पी0 की प्रेरणा से जनतापार्टी की सरकार द्वारा आन्तरिक आपात स्थिति के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना का उल्लेख है।

चुनाव में सफलता के पश्चात् जनता पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या प्रधानमंत्री के चयन की थी। प्रधानमंत्री पद के लिए श्री मोरारजी देसाई, श्री चरणसिंह

व श्री जगजीवन राम के नाम विचारणीय थे। जनता पार्टी में सम्मिलित विभिन्न घटक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जनता पार्टी ने जे0पी0 को प्रधानमंत्री मनोनीत करने का अधिकार दे दिया। जे0पी0 ने श्री मोरार जी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत करके इस गतिरोध को समाप्त किया। इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर श्री जगजीवन राम ने मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया परन्तु बाद में जे0पी0 के आग्रह पर वे मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हो गये। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री को पदासीन करने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है। जे0पी0 ने अपने इस निर्णय के द्वारा तत्कालीन भारतीय राजनीति को एक दिशा प्रदान की।

प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाना लोकतांत्रिक आदर्श के अनरूप नहीं था। उचित यही होता कि ऐसी स्थिति में जनता संसद गुप्त मतदान के द्वारा स्वयं अपना नेता चुनते। बाद में जे0पी0 ने भी चुनाव के औचित्य को स्वीकार किया था।

चुनाव के समय जे0पी0 ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि जनता पार्टी के सत्तारूढ होने पर आपातकाल के समय छीनी गयी स्वतंत्रतायें उन्हें पुनः प्रदान कर दी जायेंगी एवं भविष्य में उनके संरक्षण की व्यवस्था की जावेगी। जे0पी0 के आश्वासन के अनुरूप जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाये।

जनता पार्टी की सरकार ने नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कुख्यात कानून 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम) समाप्त कर दिया।

जे0पी0 संचार साधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते थे। जे0पी0 के विचारों के अनुरूप जनता पार्टी की सरकार ने रेडियो एवं दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने की अपनी नीति की घोषणा की थी।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को स्वशासी निगम बनाने के उद्देश्य से 16मई, 1979 को 'प्रसार भारती' नामक विधेयक प्रस्तावित किया गया। परन्तु इसके पूर्व कि यह विधेयक कानून का रूप धारण करता जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गयी जिससे संचार साधनों की स्वायत्तता का जे0पी0 का स्वप्न अधूरा रह गया।

आपातकाल के समय प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुंची थी। जे0पी0 ने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी। इस दिशा में कदम उठाते हुए जनता सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम एवं संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर लगी रोक संबंधी अधिनियम को निरस्त कर दिया। आपातकाल के समय पत्रकारों की छीनी गयी मान्यता उन्हें पुनः प्रदान की। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित 'प्रेस परिषद' की पुनः स्थापना की। प्रेस की स्वतंत्रता एवं उससे संबंधित अन्य समस्याओं के अध्ययन के लिए 'प्रेस आयोग' का गठन किया। उपर्युक्त सभी कार्यों से स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था।

'जनता पार्टी' की सरकार ने चुनाव के समय रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किया। स्वतंत्र भारत के लिए यह ऐतिहासिक घटना थी। इस समतामूलक स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा के प्रेरणा के स्रोत जे0पी0 थे। यह परम्परा आज भी विद्यमान है।

जे0पी0 ने कहा था कि आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ स्पष्ट मर्यादाओं का उल्लेख होना चाहिए। जे0पी0 के सुझाव का आदर करते हुए जनता पार्टी की सरकार ने '44 वें संविधान संशोधन' के माध्यम से ऐसी

संवैधानिक व्यवस्था कर दी है जिससे आपातकाल की घोषणा का दुरूपयोग न किया जा सके और उस विषम परिस्थिति में भी नागरिकों के कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें।

आपातकाल के समय संवैधानिक संशोधनों द्वारा न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिये गये थे अतः यह पहले की तरह प्रभावशाली नहीं रह गयी थी। जे0पी0 ने इस अलोकतांत्रिक कदम की निन्दा की थी। जनता पार्टी की सरकार ने 43 वें एवं 44 वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा न्यायपालिका को उसके छीने गये अधिकार पुनः प्रदान किये और उसे शक्तिशाली बनाया। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। इस दृष्टि से जनता सरकार का यह कार्य सराहनीय रहा।

जे0पी0 का मत था कि 'आपातकाल' के अतिरेकों की जांच होनी चाहिए इस उद्देश्य से जनता पार्टी की सरकार ने 'शाह आयोग' का गठन किया था। जनता पार्टी की सरकार के सत्ता से हट जाने से 'शाह आयोग' की कार्यवाही का कोई परिणाम नहीं निकल सका। परन्तु इस जांच के परिणाम स्वरूप जे0पी0नागरिक स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों के दुरूपयोग से संबंधित अनेक तथ्य प्रकट हुए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इनका अपना अलग महत्व है। भारत के वर्तमान एवं भावी शासक इनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जे0पी0 के सुझावों एवं प्रेरणा से जनता पार्टी की सरकार ने नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया एवं कुछ ऐसे ऐतिहासिक लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना की जिनका भारत के लोकतांत्रिक विकास में दूरगामी गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सातवें अध्याय में जे0पी0 की समग्र क्रान्ति के सम्बन्ध में जनतापार्टी की सरकार के दृष्टिकोण का वर्णन है। जनतापार्टी के सत्ता में आने पर इस बात की अपेक्षा की गयी थी कि वह जे0पी0 के समग्र क्रान्ति के चिंतन को व्यावहारिक रूप देगी। जे0पी0 ने 'समग्र क्रान्ति' में 'जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार' मतदाताओं को दिये जाने को कहा था। जनता पार्टी ने अपने चुनाव - घोषणापत्र में भी इस संबंध में आश्वासन दिया था। परन्तु सत्तारूढ़ होने पर जनता सरकार ने इसे अव्यावहारिक घोषित कर दिया। जनता सरकार के इस नकारात्मक दृष्टिकोण से भारतीय लोकतंत्र एक नये मूल्यगत गुणात्मक परिवर्तन की सम्भावना से वंचित रह गया।

जे0पी0 ने अपने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में गांवों के विकास एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कार्य किया। उसने कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन-राशि व्यय करने का प्रावधान किया। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, ग्रामीण क्षेत्र की बैंकिंग सेवाओं में सुधार, ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं उर्वरकों(खादों) के मूल्य में कमी की। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए यह एक शुभ संकेत था। जे0पी0 ने जनतासरकार के इस कार्य की प्रशंसा की थी।

जे0पी0 ने अपने चिंतन में 'राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' की अनिवार्यता पर बल दिया था। जनता सरकार ने प्रारम्भिक दिनों में केन्द्र में सचिवालय स्तर पर विकेन्द्रीकरणकार्य आरम्भ किया था परन्तु जनता सरकार का विकेन्द्रीकरण का कार्य यहीं तक सीमित होकर रह गया। आगे चलकर उसने 'यथास्थितिवाद' को ही अपनाये रखा। जे0पी0 राज्यों को और अधिक स्वायत्ता दिये जाने के पक्षधर

रहे हैं। 22 जनवरी, 1978 को बंगलौर मेजनतापार्टी की कार्यकारिणी समिति की ~~बैन्ठ~~ बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से इंकार कर दिया। अतः जनता सरकार से इस क्षेत्र में कुछ करने की सभी सम्भावनायें समाप्त हो गयीं।

'जनता सरकार' के 'राजनैतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण' के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भारतीय लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो गयी। जे0पी0 ने इस नीति के प्रति क्षोभ व्यक्त किया था।

सामाजिक समानता के उद्देश्य से जे0पी0 ने 'समग्र क्रान्ति' के चिंतन में 'दलित वर्ग के उत्थान' की बात कही थी। 'जनता सरकार' ने इस वर्ग की समस्याओं के अध्ययन के लिए 'अनुसूचित एवं जनजाति आयोग' एवं 'पिछड़ा आयोग' का गठन किया था। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ग के नवयुवक एवं नवयुवतियों को कालीन बुनने का प्रशिक्षण ~~कि~~ दिये जाने का कार्य आरम्भ कियागया। बंधुवा मजदूरों को मुक्त कराने के भी प्रयास किये गये। परन्तु 'जनता सरकार' को इसमें सफलता नहीं मिली। उस समय जर्मनी की संस्था 'ब्रेड फार द वर्ड' के सहयोग से कराये गये सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया कि देश में बंधुवा मजदूरों की बड़ी संख्या विद्यमान है और उन्हें शोषण से मुक्त नहीं कराया जा सका है। इसी प्रकार हरिजनों में भूमि वितरण का कार्य भी उचित ढंग से नहीं हो सका। 'जनता सरकार' के समय में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों एवं उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुयी थी। सुरक्षा के अभाव में विकास की सभी सभावनायें समाप्त हो जाती हैं। जे0पी0 ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराया था एवं इस क्षेत्र में असफलता के लिए 'जनता सरकार' की भर्त्सना की थी।

राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से जे0पी0 ने 'लोकपाल' एवं 'लोकायुक्त' नियुक्त करने का सुझाव दिया था। 'लोकायुक्त' की नियुक्ति कुछ प्रान्तों में 'जनता सरकार' के सत्ता में आने से पूर्व ही हो चुकी थी। सत्तारूढ़ होने पर 'जनता सरकार' ने जे0पी0 के सुझाव का आदर करते हुए 28 अप्रैल, 1977 को लोकसभा में 'लोकपाल बिल' प्रस्तावित किया परन्तु इसके पूर्व कि यह विधेयक कानून का रूप धारण करता जनता सरकार सत्ता से हट गयी और जे0पी0 का यह स्वप्न अधूरा रह गया।

जे0पी0 ने 'समग्र क्रान्ति' के शैक्षिक चिंतन के अन्तर्गत शिक्षा को रोजगारपरक बनाने, डिग्री का नौकरी से संबंध विच्छेद करने, साक्षरता में वृद्धि, मातृभाषा में शिक्षा एवं पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की बात कही थी।

जनता सरकार ने साक्षरता वृद्धि के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित 18 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर दो अरब रुपये कर दिया था। 'जनता सरकार' ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में डिग्री का सम्बन्ध नौकरी से समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था एवं शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात कही थी। जे0पी0 के विचार के अनुरूप कदम उठाते हुए 'केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन' की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर संविधान की 8वीं सूची में दी गयी भाषाओं में देने की छूट प्रदान की थी। अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के संबंध में जनतासरकार का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा। पब्लिक स्कूल हमारे समानता के आदर्श से मेल नहीं खाते। यह आरम्भ से ही वर्गभेद को स्वीकार करके चलते हैं। इनके द्वारा समाज के अन्य क्षेत्रों में भी असमानता उत्पन्न होती है अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

प्रायः प्रश्न किया जाता है कि 'समग्र क्रान्ति' की उपेक्षा को जे0पी0 ने क्यों सहन कर लिया? जनता पार्टी एवं उसकी सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? जे0पी0 द्वारा जनतापार्टी एवं उसकी सरकार का मुखर विरोध न करने का प्रमुख कारण उनके पास जनता पार्टी का विकल्प न होना था। वह लोकशक्ति को उस प्रकार संगठित एवं विकसित नहीं कर सके थे जिसे वह राजनैतिक दलों के विकल्प के रूप में देखते थे। 'समग्र क्रान्ति' के विचारों एवं सिद्धान्तों की उपेक्षा से संबंधित अवसरों पर जे0पी0 ने जनता पार्टी एवं उसकी सरकार की भर्त्सना समय समय पर की है यह एक प्रकार का विरोध ही था।

'जनता सरकार ' के विरोध न करने का दूसरा प्रमुख कारण जे0पी0 का अस्वस्थ एवं रूग्ण होना भी था। अस्वस्थ होने के कारण जे0पी0 सक्रिय होने की स्थिति में नहीं रह गये थे अन्यथा हो सकता था कि वे जनता के दबाव से जनतापार्टी की सरकार को 'समग्र क्रान्ति' से सम्बन्धित विचारों के कार्यान्वियन के लिए बाध्य करते। अपनी मृत्यु के पूर्व ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री ज्योफ्रे आस्टर गार्ड से बातचीत के समय उन्होंने अपनी इस भावना से उन्हें अवगत कराया था। परन्तु उन्हें इतिहास ने इसका अवसर ही नहीं दिया और 'समग्र क्रान्ति' का स्वप्न अधूरा रह गया। जे0 पी0 के स्वास्थ्य को उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारणकहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जे0पी0 ने भ्रष्टाचार, महँगाई, बेरोजगारी जैसी भारतीय लोकतंत्र को खोखला करने वाली सामाजिक समस्याओं के विरूद्ध देश में प्रबल आन्दोलन खड़ा किया। भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों को जनता के सामने रखा। विपक्षी दलों में एकता स्थापित कर 'जनता पार्टी' के नाम से एक नये राष्ट्रीय राजनैतिक दल को अस्तित्व में लाने का श्रेय जे0पी0 को प्राप्त है। 'जनता

पार्टी' ने केन्द्र में 30 वर्षीय कांग्रेसी शासन के एकाधिकार को समाप्त करके सत्ता कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत किया। जे0पी0 के प्रयत्नों से भारत की तत्कालीन राजनीति प्रभावित हुयी उसे एक नयी दिशा मिली।

भारतीय समाज की परिस्थितियों के संदर्भ में उन्होंने अपना 'समग्र क्रान्ति' का चिंतन दिया। इसमें भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक नयी दृष्टि से विचार किया गया है। आपातकाल के समय छीनी गयी नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना एवं भविष्य में उनके संरक्षण के प्रणेता के रूप में जे0पी0 चिरस्मरणीय रहेंगे। जे0पी0 की ही प्रेरणा से चुनाव के समय विपक्षी दलों को अपनी बात रेडियो एवं टेलीविजन पर कहने का अवसर सर्वप्रथम 1977 में प्राप्त हुआ। यह परम्परा वर्तमान समय में भी विद्यमान है। इस समतामूलक लोकतांत्रिक आदर्श के प्रणेता के रूप में भारतीय जनमानस उनका सदैव आभारी रहेगा। उनके त्याग एवं बलिदान से आगे आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी।